

आर्थिक समीक्षा
2017-18

खण्ड 2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
जनवरी, 2018

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		**2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन**
	1	वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि
	7	सकल घरेलू उत्पाद और उसके घटक
	9	बचतें और निवेश
	13	लोक वित्त
	14	कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन
	15	विदशी क्षेत्र
	19	2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं
	19	क्षेत्रवार घटनाक्रम
	26	धारणीय विकास ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
2		**राजकोषीय घटनाक्रम**
	29	केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय
	29	प्राप्तियां
	31	व्यय एवं घाटा
	32	राज्य और केंद्र सरकार
	35	परिशिष्ट 1
	35	वर्ष 2017-18 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत की गई महत्वूपर्ण कार्रवाइयां
	39	बजट 2017-18 में और उसके बाद प्रत्यक्ष करों पर की गई कार्रवाइयां
	42	परिशिष्ट 2
	42	सीपीएसईएस में निवेश प्रबंधन के सम्बंध में नीतिगत पहलें
3		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता**
	44	वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम
	47	नकदी स्थिति और इसका प्रबंधन
	48	सरकारी प्रतिभूति (जी-सिक्यु.) बाजार में परिवर्तन
	48	बैंकिंग क्षेत्र
	49	ऋण (क्रेडिट) वृद्धि
	53	गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र
	53	पूंजी बाजार में घटनाक्रम
	55	बीमा क्षेत्र
4		**कीमतें और मुद्रास्फीति**
	56	विषय प्रवेश
	57	मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां
	60	मुद्रास्फीति के कारक
	63	राज्यवार मुद्रास्फीति
	66	वैश्विक वस्तु कीमतों के रूझान
	67	मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रयास
	68	निष्कर्ष

5 धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

69 धारणीय विकास के लक्ष्य
69 राष्ट्रीय धारणीय विकास लक्ष्य संकेकत और आधार रेखा
70 शहरी भारत और सतत् विकास
71 धारणीय ऊर्जा तक पहुंच
74 अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग (आईएसएस) का प्रभावी होना
75 भारत और जलवायु परिवर्तन
77 जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं
80 प्रगति पथ

6 वैदेशिक क्षेत्र

81 वैश्विक आर्थिक परिवेश
82 भारत के भुगतान संतुलन संबंधी घटनाक्रम
88 व्यापार विन्यास
90 व्यापार नीति
93 बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएं
93 व्यापार संबंधी संभार तंत्र
94 डंपिंग-रोधी उपाय
94 विदेशी मुद्रा भंडार
95 मुद्रा विनिमय दर
98 विदेशी ऋण

7 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

100 कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों पर एक नज़र
101 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण
102 फसल उत्पादन 2016-17
102 खरीफ उत्पादन 2017-18
103 रबी फसलों की बुआई 2017-18
104 कृषि विकास के गतिशील घटक
105 भारतीय कृषि में फसल लगाने की पद्धति
108 कृषि में आगत प्रबंधन
112 कृषि में जोखिमों को कम करना: फसल बीमा और फसल हानि
115 कृषि क्रेडिट और विपणन संबंधी पहलें
116 कृषि अनुसंधान और विकास
117 खाद्य प्रबंधन
120 भावी योजना

8 उद्योग और अवसंरचना

121 उद्योग
122 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)
123 आठ मुख्य उद्योग
124 कॉरपोरेट क्षेत्र का निष्पादन
125 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

125 औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलें
127 क्षेत्रवार मुद्दे और पहलें
127 इस्पात क्षेत्र
128 एमएसएमई क्षेत्र
129 वस्त्र और परिधान
130 चमड़ा क्षेत्र
130 रत्न और आभूषण
130 अवसंरचना क्षेत्र
131 सड़क क्षेत्र में नीतिगत उपाय
138 रेलवे
140 मेट्रो रेल तंत्र
140 नागर विमानन
141 पोत परिवहन
143 दूरसंचार क्षेत्र
144 विद्युत
145 संभार तंत्र क्षेत्रः नई खोज
146 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
148 सभी के लिए आवास-कुछ मुद्दे

9 **सेवा क्षेत्र**
153 अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं
154 भारत का सेवा क्षेत्र
154 सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन
155 सेवाओं की राज्य-वार तुलना
156 भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
157 भारत का सेवा व्यापार
158 प्रमुख सेवाएंः समग्र निष्पादन
160 प्रमुख सेवाएंः क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां
160 पर्यटन
161 सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम सेवाएं
162 स्थावर संपदा और आवासन
164 अनुसंधान और विकास
166 अंतरिक्ष सेवाएं

10 **सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास**
168 सामाजिक क्षेत्रक व्यय की प्रवृत्तियां
168 सर्वजन शिक्षा
172 श्रम सुधारों में प्रगति
174 महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण
176 सर्वजन स्वास्थ्य
184 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
186 भावी मार्ग

आभारोक्ति

यह आर्थिक समीक्षा मिल-जुलकर किए गए कार्य और परस्पर सहयोग का परिणाम है। आर्थिक प्रभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों का योगदान इस समीक्षा की रचना और प्रकाशन में मिला है, इनमें शामिल हैं: अर्चना एस॰ माथुर, संजीव सान्याल, एच॰ए॰सी॰ प्रसाद, ए॰एस॰सचदेवा, राजश्री रे, अरूण कुमार, एंटनी सिरियक, पी॰के॰ अब्दुल करीम, अश्विनी लाल, आशुतोष राराविकर, निखिला मेनन, अभिषेक आचार्य, रजनी रंजन, धर्मेन्द्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, रबि रंजन, दीपक कुमार दास, एम॰ राहुल, अभिषेक आनंद, कनिका वाधवान, सोनल रमेश, खाई लेसिंहम, गौरव कटियार, नीरज श्रीवास्तव, विजय कुमार मान, रियाज अहमद खान, सलाम श्याम सुन्दर सिंह, मो॰ आफताव आलम, प्रद्युत कुमार पाइन, नरेन्द्र जेना, प्रवीन जैन, सुभाष चन्द, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, मृत्युंजय कुमार, रंगीत घोष, कपिल पाटीदार, सैय्यद जुवैर हुसेन नकबी, रोहित लाम्बा, सिद्धार्थ ईपन जॉर्ज, सुतीर्थ राय, सौमित्र चटर्जी, सिद रविनतुला, अमृत अमीरापु, एम.आर. शरण, पार्थ खरे, बोबन पॉल, गायत्री गणेश, किशन शाह, तेजस्वी वेलायुधन, अनन्या कोटिया, उत्कर्ष सक्सेना, सिद्धार्थ हरि, नवनीरज शर्मा और रोहित चन्द्रा।

यह समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से बहुत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा श्री सुरेश प्रभु, श्री नितिन गडकरी, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री राधामोहन सिंह, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री आर॰के॰ सिंह, श्री जयंत सिन्हा तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पी॰ राधा कृष्णन और श्री शिव प्रताप शुक्ल सहित अन्य माननीय मंत्रियों की टिप्पणियों एवं जानकारी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। यह समीक्षा श्री सुशील मोदी, श्री हसीब द्राबू, श्री टी॰एम॰ थॉमस ऐसेक, श्री मनीष सिसोदिया, श्री युद्धवीर सिंह मलिक, श्री कैलाश गहलौत, श्री युनूस खान, श्री के॰एल॰ पवार तथा श्री स्वतंत्र देव सिंह सहित माननीय राज्य सरकारों के मंत्रियों के सुझावों से भी लाभान्वित हुई है।

यह समीक्षा निम्नलिखित अधिकारियों की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित हुई है, विशेष रूप से एन॰के॰ सिंह, राजीव कुमार, अजय त्यागी, पी॰के॰ सिन्हा, नृपेन्द्र मिश्र, पी॰के॰ मिश्र, हसमुख अधिया, सुभाष, सी॰ गर्ग, अजय नारायण झा, राजीव कुमार, अरविंद मेहता, राजीव महर्षि, विरल आचार्य, विवेक देबराय, रमेश चन्द्र, प्रणब सेन, टी॰सी॰ए॰ आनंद, सुरजीत भल्ला, रितिन राय, अशीमा गोयल, रतन वातल, अमिताभ कांत, अरूणा सुंदर राजन, सुशील कुमार, वानजा एन सरना, अरूण कुमार, दुर्गा शंकर मिश्र, प्रीति सूदन, यू॰पी॰ सिंह, इंजेटी श्री निवास, सी॰के॰ मिश्र, अमरजीत सिन्हा, परमेश्वरन अय्यर, राजीव नयन चौबे, कपिल देव त्रिपाठी, शोभना के॰ पटनायक, अजय कुमार भल्ला, अरूणा शर्मा, रीता ए॰ तियोतिया, जीतेन्द्र शंकर माथुर, अश्विनी लोहानी, अजय भूषण पाण्डेय, राजीवन, के॰जे॰ रमेश, अरबिंद मोदी, गोपाल कृष्ण, टी॰आर॰ रघुनंदन, नागेश सिंह, आलोक श्रीवास्तव, विजय राघवन, राम सेवक शर्मा, विजय केलकर, वाई॰वी॰ रेड्डी, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, आयशर जे॰ अहलूवालिया, के॰एल॰ प्रसाद, एंटनी लियानजुला, रंजिता दुबे, टी॰वी॰ सोमनाथन, प्रकाश कुमार, ए॰ गिरिधर, तरूण बजाज, सीमांचल दास, सौरभ शुक्ल, देवश्री मुखर्जी, ब्रजेन्द्र नवनीत, एस॰पी॰ सिंह परिहार, ज्योर्तिमय पोद्दार, आशुतोष शर्मा, अखिल कुमार, आशुतोष जिंदल, यू॰के॰ श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार मिश्र, के॰पी॰ कृष्णन, एम॰एस॰ साहू, नीलेन्द्र मिश्र, आनंद झा, आलोक शुक्ल, अमिताभ कुमार, गुलजार नटराजन, टी॰ राजेश्वरी, प्रशांत गोयल, एस॰ सेल्वकुमार, गोविन्द मोहन, संजीव सिन्हा, अमित मोहन गोविल, जी॰डी॰ लोहानी, संजीव पटजोशी, के॰वी॰ प्रताप, प्रवीण गर्ग, आशुतोष जिंदल, उर्वशी साधुवाणी, बी॰के॰ सिन्हा, यू॰एस॰ कुमावत, आर॰के॰ जैन, दीपांकर साहा, अनुराधा मित्रा, राजपाल, पी॰ संगीत कुमार, पी॰आर॰ मेश्राम, नंदलाल, एस॰के॰ सिन्हा, पीयूष कुमार, एस॰ के॰ तिवारी, यशवीर सिंह, अरूण कुमार, वंदना अग्रवाल, व्यासन आर॰, पी॰के॰ स्वाइन, बी॰एन॰ प्रुष्टि, वेंकटरमण आर॰ हेगड़े, रेणुका कुमार, मोहित सक्सेना, पल्ली कुण्डु, एच॰के॰ राय, रजनीश, शैलेन्द्र शर्मा, सुनील शर्मा, अश्विनी कुमार, महिमा, मनोज, आर॰एस॰ प्रशांत, वी॰ रेगी, राजेश बाधवान, पवन कुमार, वी॰ कृष्णन, गोपाल रमन आयंगर, ब्रह्म यादव, शिवानंद पई, पुलक गुहा ताकुर्ता, अरविंद श्रीवास्तव, राहुल सक्सेना, महेन्द्र पुरोहित, गार्गी और प्रीतिश कुमार त्रिपाठी, आर॰ सतीश, बैलोचन बेहरा, शोबीन्द्र अकाई, स्वाति अग्रवाल, अभिशांत पंत, विजय कुमार, सुषिमता दास गुप्ता, राजेश भाटिया, प्रमोद कुमार, डेविड रसकिन्हा, एस॰ प्रहलादन अय्यर, आशीष कुमार, आशीष गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, सारिका, मदन, श्रीजित के॰वी॰, नेहा श्रीवास्तव, शैलेश कुमार निकिता गर्ग, अंशिका भटनागर, सुशांत सूदन, नीरज कुमार शर्मा, सलाका कुजूर, पी॰ के॰ श्रीवास्तव, वी॰एस॰ सहरावत, अरविंद पाण्डेय, जे॰ पोद्दार, गायत्री भट्टाचार्य, सुदीप्त भट्टाचार्य, विपद भंजन पाल, अरूण विष्णु कुमार, कौस्तुभ, राजीव जैन, सौम्यश्री तिवारी, मधु चांद साहू।

आर्थिक समीक्षा टीम भारत के उच्चतम न्यायालय, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (एन.जी.टी), राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग (एनसीडीआरसी), विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, (एन.सी.एल.ए.टी.), दूरसंचार विवाद निबटान तथा अपीलीय अधि करण (टीडीएसएटी), बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी), न्यायमूर्ति डी.के जैन, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति रंजनाप्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, रवीन्द्र मैथानी, जी.डी. अग्रवाल, संजीव कुमार चासवाल संजय परिहार, तिरुआर शक्तिवेल, मो. फईस आलम खान, पी. वी. गणेदिवाला, सुखदा मंजुमदार, दिनेश कुमार, वैदेही, डी. काले तथा लेथराम लाडू सिंह, का आभार प्रकट करती है।

आर्थिक समीक्षा टीम अनेक शिक्षाविदों तथा प्रैक्टिशनरों का भी आभार प्रकट करती है, जिनमें ये शामिल हैं: लार्ड निकोलस स्टर्न, लार्ड अडयर टर्नर, जोय फेल्मान जस्टिन सैडंफर, दिव्यांशी वाधवा, राकेश बनर्जी, नंदन नीलकेणी, सीमा जय चंन्द्रन, रिकूं मुरगई, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफले, फ्रेडिरगो गिल सेंडर, पूनम गुप्ता, फैबियानों सेल्वियो कोल्बानो, फैबियो सोला बिटटार, प्रताप मेहता, देवेश कपूर, देवेश राय, अशोक गुलाटी, दीपकदास गुप्ता, भानु अरुण माथुर, संदीप सुख्तांकर, हरीश दामोदरन, एंड्रियास बौर, निकोलस लार्डी, लड्जर शुग्नेच, माइकेल प्रिश्को, रानिल एम. सलगादो, निमारजित सिंह, शेखर शाह, रजत कतूरिया, अमलेन्दु घोष, रूक्मणी बनर्जी, माइकल ग्रीनस्टोन, कोर्ट जे विलमोर्ट, फरिहा कमाल, कैरोलिन फ्रयूड, रोहिणी सोमनाथन, परीक्षित घोष, हिमांशु, पुलक घोष, मौसमी दास, केजी मंसूरा, अरविंद दतर, मनीष सबरवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल एल विश्वनाथन, सरीन वैद्य, राजीव मल्होत्रा, अपूर्वा जावडेकर, एस॰एम॰ विजयानंद, यामिनी अय्यर, चिन्मय तुम्बे, एम॰ए॰ उम्मन, मनोरंजन पटनायक, मेहुल गुप्ता, वेंकेटनारायण एस, क्षितिज बत्रा, स्वरूप मामुड़ी पुड़ी, रागिनी आहूजा, राघवी विश्वनाथ, रोहन धारिवाल, तेजस्वी मेलारकोड, वर्षा राव, गोकुल प्लाहा, देवदत्त मुखोपाध्याय, निर्मल मैथ्यू, मुइस ड्राबू, अनुष्का मित्तल, परिधि श्रीवास्तव, करन गुप्ता, माधव कुमार, अमन गुप्ता, अतिथि प्रकाश, निखिल अग्रवाल, प्रहर्ष जोहरे, श्रेय पटनायक, दक्ष और उनके सहयोगियों (सूर्य प्रकाश बी॰एस॰, अहमद पठान, हरीश नरसप्पा, श्रुति नाईक), सजिद चिनाय, आशीष गुप्ता, नीलकंठ मिश्र, कुश शाह, प्रांजल भण्डारी, यामिनी आत्मविलास, जो डाऊनी, जाक हरील्ड, निशा अग्रवाल, देव पटेल, चारल्स केन्नी, नानसी बेडसाल, चारिटी मूर, मिलन वैष्णव, अपूर्वा जाधव, रवि वर्मा, शशिधरा, राजेंद्र भाटिया, आलोक जोशी, सौम्यकांति घोष, श्रीकांत विश्वनाथन, मार्कस ब्रन्नेनमेर, अवनी कपूर, क्षितिज बत्रा, श्रीकांत विश्वनाथ, महिपाल, मिहिर भास्कर, अपर्णा कृष्णन, ब्रज पाण्डा, जी॰ के॰ किशन, मातंगी चंद्रशेखरन, अनिल नायर, चेतना योगेश वर्मा, रूपाली घनेकर, बिशाषा भट्टाचार्य, निर्मला बालकृष्णन, वी॰ राजन, पीयूष पाण्डेय, ब्रिगेडियर आर॰आर॰ सिंह (सेवानिवृत), बिल्मा वाधवा और सावित्री देवी।

उपर्युक्त के साथ-साथ, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुराग अग्रवाल, आर॰पी॰ पुरी, देवाशीष हलधर, विजय कुमार, एन॰ श्रीनिवासन, आर॰ विजय कुमारी, वी॰के॰ प्रेम कुमारन, गुरमीत भारद्व ाज, प्रदीप राणा, साधना शर्मा, ज्योति बहल, सुशील शर्मा, मनीष पनवार, सुषमा, मुनाशाह, सुरेश कुमार, अनिकेत सिंह, जोध सिंह, पुनीत, ओमवीर सिंह, आर॰आर॰ मीना, सुभाष चन्द्र, राजकुमार तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय तथा आर्थिक प्रभाग के अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा कुशल प्रशासनिक योगदान दिया गया। प्रो॰ वी॰एस॰ बागला, रमेशबाबू अणियेरी,

सुवर्चा वसुदेव, तथा उनकी टीम ने इस समीक्षा का हिन्दी अनुवाद कार्य किया। हिंदी टंकण कार्य वाई॰एस॰ राठौर, मीना पंत, रमेशचन्द्र सुन्दरियाल, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। समीक्षा का कवर पृष्ठ का डिजाइन जार्ज डिजाइन कोच्चि के जैकब जार्ज द्वारा किया गया, जिस कार्य में विनीत कुमार द्वारा सहयोग दिया गया। चन्द्र प्रभु आफसेट प्रिटिंग वर्क्स प्रा॰लि॰ नौएडा ने इस समीक्षा के अंग्रेजी व हिन्दी पाठ का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया।

अंत में हम इस समीक्षा के कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस दौरान धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना भरपूर सहयोग एवं प्रोत्साहन भी दिया।

अरविंद सुब्रह्मण्यन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

3एमएमए	3 माह चल औसत
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एराएम	अतिरिक्त संसाधन जुटाना
एएसईएएन	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
एएसईआर	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक उपस्थिति
एटीएंडसी	कुल तकनीकी और वाणिज्यिक
बीसीएम	बिलियन क्यूबिक मीटर
बीई	बजट अनुमान
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
बीआरआईसीएस	ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
सीएए एंड ए	सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के महालेखा नियंत्रक
सीएजीआर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीआर	कृषि जैविक संसाधन
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीएसटी	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर
सीआईसी	परिचलन में मुद्रा
सीआईआरपी	कारपोरेट ऋण शोधन अक्षमता संकल्प प्रक्रिया
सीएलएसएस	ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम
सीओसी	ऋणदाताओं की समिति
सीओपी	दलों का सम्मेलन
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई(एएल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक)
सीपीआई(सी)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)
सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सीपीआई(आईडब्ल्यू)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)
सीपीआई(आरएल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)
सीआरएआर	जोखिम-भारित आस्ति अनुपात में पूंजी
सीएसए	जलवायु स्मार्ट कृषि
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटीए	सीमा शुल्क अधिनियम
सीवी	घट-बढ़ का सह-संबंध
सीडब्ल्यूपी	जनता के पास मुद्रा
डएएलवाईएस	अशक्तता समायोजित जीवत वर्ष
डीएआरआई	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीटीएल	एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीए	दोहा विकास कार्यसूची
डीजीसीआई एंड एस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीएएम	निवेश एवं लोक आस्ति प्रबंधन विभाग
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
डीआईएससीओएमएस	संवितरण कम्पनी
डीएसआईआर	विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईबीआरडी	यूरोपीय पुनर्निमाण और विकास बैंक
ईएफटीए	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईआईबी	यूरोपीय निवेश बैंक
ई-एनएएम	इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार
ईपीसीजी	पूंजी वस्तु संबंधी निर्यात संवर्धन
ईआर एंड डी	इंजिनियरिंग अनुसंधान और विकास
ईटीएफ	विनिमय व्यापारित निधि
ईयू	यूरोपीय संघ
ईडब्ल्यूआरएस	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफसी	वित्तीय ऋणदाता
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफईईएस	विदेशी विनिमय अर्जन
एफएफपीआई	एफएओ खाद्य मूल्य सूचंकाक
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफटीएएस	विदेशी पयर्टक पहुंच
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफवाई	वित्त वर्ष
जीसीए	सकल फसल क्षेत्र
जीसीसी	गल्फ सहयोग परिषद
जीसीसीए	पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान
जीसीएफ	सकल पूंजी निर्माण
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसीई	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
जीएफसीएफ	सकल नियत पूंजी निर्माण
जीआईआई	वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादन अग्रिम
जीपीआई	लिंग समानता सूचकांक

जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु और सेवाकर
जीएसवीए	सकल राज्य मूल्य वर्धन
जीटी	सकल टन
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
जीडब्ल्यू	गीगावाट्
एचएफसीएस	आवास वित्त कम्पनी
एचएफसीएस	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
एचपीसीएल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
एचपीआई	आवास मूल्य सूचकांक
एचवाईवीएस	अधिक उपज वाली किस्म
आईबीसी	अशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
आईजीएस	अंतरराष्ट्रीय भू-स्टेशन
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु और सेवा कर
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईपीओ	इंडियन पेटेंट ऑफिस
आईपीपी	बौद्धिक सम्पदा उत्पाद
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईपीयू	अंतर-संसदीय संघ
आईआरएस	भारतीय सुदूर संवेदन
आईएसएस	ब्याज राजसहायता योजना
आईटी-बीपीएम	सूचना प्रौद्योगिकी-कारोबार प्रक्रिया प्रबंध
आईटीसी	इनपुट कर ऋण
केसीसी	किसान ऋण पत्र
केडब्ल्यूएच	किलोवाट घंटा
एलएएफ	नकदी समायोजन सुविधा
एलईबी	जन्म जीवन प्रत्याशा
एलईडी	प्रकाश-स्कंदन द्विविपथी
एलईओ	निम्न भू-कक्ष
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलपीजी	द्रवित पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	संभारिकी निष्पादन सूचकांक
एम/ओ डीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एम/ओ एचएंडएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम/ओ पीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एम0	रिज़र्व मुद्रा
एम3	स्थूल मुद्रा
एमसी11	ग्यारहवीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस
एमडीजीएस	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमईआईएस	भारत योजना से पण्य निर्यात
एमईपी	न्यूनतम निर्यात कीमत
एमआईजी	मध्य आय समूह
एमआईपी	न्यूनतम आयात मूल्य
एमएलएएस	निर्यात सभाओं का सदस्य
एमएमआर	मातृत्व मृत्यु दर
एमएमटी	मिलियन मिट्रिक टन
एमएमटीपीए	मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष
एमएनईएस	विनिर्माण बहुराष्ट्रीय उद्यम
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
एमटी	मिट्रिक टन
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएआरईडीसीओ	राष्ट्रीय वास्तविक सम्पदा विकास परिषद्
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसीएस	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीएस	अपरिवर्तनीय ऋण पत्र
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनसीटी	राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र
एनसीडब्ल्यू	राष्ट्रीय महिला आयोग
एनडीटीएल	निवल मांग और समय देयताएं
एनएफसी	खाद्य भिन्न ऋण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचडीपी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
एनआईसीआरए	राष्ट्रीय जलवायु लचीला कृषि नवोन्मेष
एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एनपीए	गैर-निष्पादन आस्तियां
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओएमएसएस	खुला बाजार बिक्री योजना
ओओपीई	किया गया फुटकर खर्च
पी2पी	पीयर टू पीयर
पीए	अनंतिम वास्तविक
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पीई	निजी इक्विटी
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएल	वैयक्तिक ऋण
पीएमएवाई	प्रधान मंत्री आवास योजना
पीएमएफबीवाई	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
पीएमआई	क्रय मैनेजर सूचकांक
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीओएल	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक
पीओएस	क्रय स्थान
पीपीआई	उत्पाद मूल्य सूचकांक
पीआरआईएस	पंचायती राज संस्थान
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र बैंक
पीएसबीएस	सरकारी क्षेत्र बैंक
पीएसई	सरकारी क्षेत्र उद्यम
पीएसएफ	मूल्य स्थिरीकरण निधि
पीटीआर	छात्र-शिक्षक अनुपात
पीवीबी	निजी क्षेत्र बैंक
क्यूएफआई	अर्हक विदेशी निवेशक
आर एण्ड डी	अनुसंधान और विकास
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरइ	संशोधित अनुमान
आरइआईटीएस	वास्तविक सम्पदा निवेश न्यास
आरजीआई	भारत के महारजिस्ट्रार
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरओए	आस्तियों पर लाभ
आरओइ	इक्विटी पर लाभ
आरआरबीएस	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरआर	रिजर्व रेपो दर
आरएसए	पुनर्संरचना मानक अग्रिम
आरटीआई	शिक्षा का अधिकार
एसए	तनावग्रस्त जोखिमपूर्ण अग्रिम
एसबीएम(जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीजी	धारणीय विकास लक्ष्य
एसडीजीएस	धारणीय विकास लक्ष्यों
एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
एसइबीआई	भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसइआईएस	भारत सेवा निर्यात योजना
एसजीएसटी	राज्य वस्तु और सेवा कर
एसएचजी	स्व्यं सहायता समूह
एसएलआर	सांविधिक नकदी अनुपात
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसयूयूटीआई	भारत विशिष्ट निकाय न्यास उघम
टीएएन	कर कटौती खाता संख्या
टीबी	राजकोषीय हुंडी
टीपीडीएस	लक्षित लोक वितरण प्रणाली
टीआरएआई	भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
यूडीएवाई	उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना
यूडीआईएसइ	शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएलबीएस	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनइएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूएसडी	संयुक्त राष्ट्र डालर
यूएसजीएस	संयुक्त राष्ट्र भूगर्भीय सर्वे
यूटीएस	संघ राष्ट्र क्षेत्र
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतर विधियन
वीआरआर	भिन्नता प्रतिस्थापन दर
डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत मांग दर
डब्ल्यूपीआई	खुदरा मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन

01
अध्याय

वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि की ओर अग्रसर हुई, जो केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह हालिया घटनाक्रमों के आधार पर वर्तमान में पूर्वानुमानित 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के दायरे से थोड़ा सा कम है। 2017-18 के लिए इस कमतर वृद्धि के साथ भी, 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत रहा है, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। यह तथ्य कि यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति, बेहतर चालू खाता शेष और जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी के चलते हासिल की गई, इसे और अधिक सराहनीय बनाता है। जीएसटी (माल और सेवा कर) शुरू करने के अलावा, इस वर्ष बैंकों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित समस्याओं के समाधान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने आदि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, इस प्रकार सुधारों की गति और तेज की गई। दो वर्षों के लिए ऋणात्मक स्थिति में रहने के बाद, 2016-17 में निर्यात वृद्धि में दुबारा उछाल आया और 2017-18 में इसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 414 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास रही।

कुछ देशों में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और अभी यह देखना बाकी है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा, कच्चे तेल की औसत कीमतें (भारतीय समूह) अब तक 2017-18 (जनवरी 2018 के मध्य में) वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ी हैं। यदि हम हालिया प्रवृत्ति के अनुसार देखें तो मौजूदा वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत प्रति बैरल 56-57 अमरीकी डालर के आस-पास रहेगी और 2018-19 में और 10-15 प्रतिशत बढ़ सकती है। आने वाले वर्ष में इनमें से कुछ कारकों से जीडीपी की वृद्धि दर मन्द हो सकती है। तथापि, चूंकि 2018 में वैश्विक वृद्धि में साधारण सुधार होने की संभावना है, अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी में अधिक स्थिरता की आशा, निवेश स्तर में संभावित सुधार और चालू अवसंरचनात्मक सुधार उच्चतर वृद्धि में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर, देश के आर्थिक प्रदर्शन में 2018-19 में सुधार आना चाहिए।

2017-18 में जीडीपी में वृद्धि

1.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का औसत 2014-15 और 2016-17 के बीच 7.5 प्रतिशत से अधिक रहने से, इस मानदण्ड पर भारत को विश्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों में गिना जा सकता है। पिछले 3 वर्षों के वैश्विक विकास औसत से यह वृद्धि 4 प्रतिशतांक से अधिक है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों द्वारा हासिल की गई औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)। यद्यपि 2017-18 में वृद्धि कम होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है, जो 4 वर्ष के औसत को 7.3 प्रतिशत पर ला देगी। भारत की जीडीपी वृद्धि की गाथा में जो मोटे तौर पर विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में अधिक होने की है, कोई फेर-बदल नहीं होगा। यह वृद्धि पिछले 3 वर्षों की वैश्विक औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक है और उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों द्वारा हासिल औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)।

सारणी 0.1: मुख्य संकेतक

सारणी- प्रमुख संकेतक	ईकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
जीडीपी (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	10536984	11381002	12189854पीई	12985363एई
वृद्धि दर	%	7.5	8.0	7.1	6.5
आधार कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	9719023	10490514	11185440पीई	11871321एई
वृद्धि दर	%	7.2	7.9	6.6	6.1
बचत दर	% of जीडीपी	33.1	32.3	एनए	एनए
पूंजी निर्माण (दर)	% of जीडीपी	34.4	33.3	एनए	एनए
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर)	₹	86454	94130	103219	111782
उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	252.0	251.6	275.7*	134.7#
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वृद्धि)	%	4.0	3.3	4.6	3.2जी
बिजली उत्पादन (वृद्धि)	%	14.8	5.7	5.8	4.9जी
कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) (औसत)	% परिवर्तन	1.2	-3.7	1.7	2.9सी
मुद्रास्फीति (सीपीआई) (संयुक्त) (औसत)	% परिवर्तन	5.9	4.9	4.5	3.3सी
वैदेशिक क्षेत्र					
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% परिवर्तन	-1.3	-15.5	5.2	12.1सी
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% परिवर्तन	-0.5	-15.0	0.9	21.8सी
मौजूदा लेखा शेष (कैब)/जीडीपी	%	-1.3	-1.1	-0.7	-1.8डी
विदेशी मुद्रा भण्डार	अमेरिकी डालर बिलियन	341.6	360.2	370.0	409.4ई
औसत विनिमय दर	₹ /अमेरिकी डालर	61.14	65.46	67.07	64.49सी
मुद्रा और ऋण					
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	10.9	10.1	10.1	10.5एफ
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	9.0	10.9	8.2	9.3जी
राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	जीडीपी का %	4.1	3.9	3.5	3.2बीई
राजस्व घाटा	जीडीपी का %	2.9	2.5	2.1	1.9बीई
प्राथमिक घाटा	जीडीपी का %	0.9	0.7	0.4	0.1बीई

टिप्पणीयां :

एनए-उ.न.

पीई-अ.अ.

एई-प्र.अ.अं.

क-आधार (2011-12=100)

ख-अप्रैल-अक्तूबर-2017

ग-अप्रैल-दिसंबर-2017

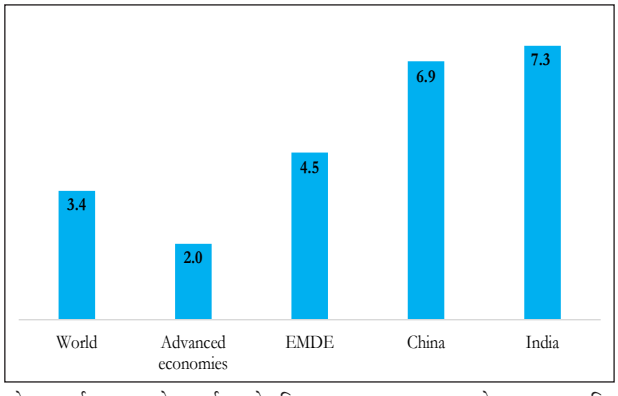
घ-अप्रैल-नवंबर-2017

ङ-अप्रैल-सितंबर-2017

च-बजट अनुमान

छ-अनंतिम (वास्तविक) (गैर लेखांकित)

चित्र 1. 2014-17 के दौरान जीडीपी की औसत तुलनात्मक वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनामिक आउट लुक डाटा बेस पर आधारित (अक्टूबर 2017)

1.2 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार सतत बुनियादी मूल्य पर सकल मूल्यवर्द्धन वृधि दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2017-18 में यह 6.6 प्रतिशत थी यह कृषि और सम्बद्ध तथा उद्योग के क्षेत्र में कम वृद्धि के कारण हुई थी। आशा है कि इनमें क्रमश: 201 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। 2017-18 में 2016-17 के 7.7 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत वृद्धि हो सकती हैं। सेवा क्षेत्र के भीतर केवल लोकप्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में गिर सकती है। उन्नत देश उभरते बाजार और विश्व भारत चीन विकासशील देश

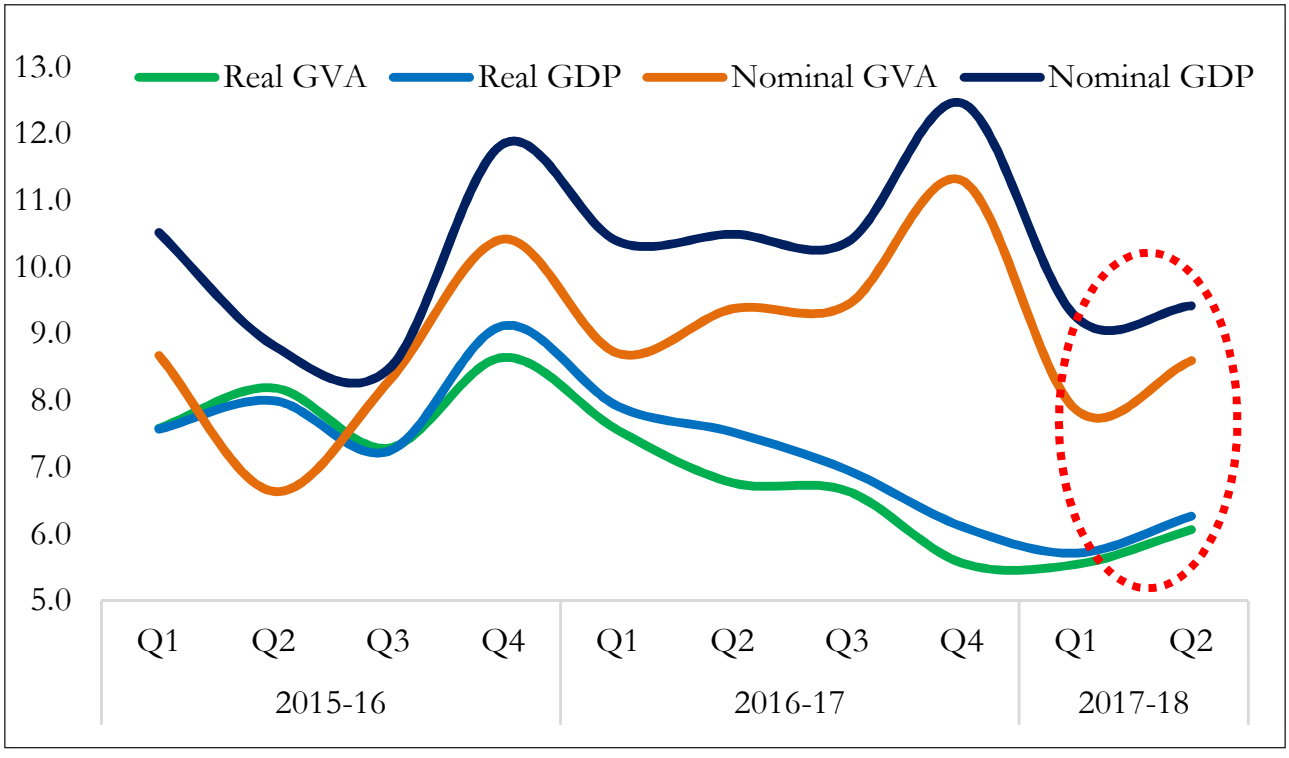
1.3 2012-13 में जीडीपी में 5.5% की निम्न वृद्धि से अगले 3 वर्षों तक लगातार सुधार हुआ और 2015-16 में यह शिखर पर पहुंच गयी, विशेष रूप से चौथी तिमाही में जब इसमें 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई (2015-16 की चौथी तिमाही में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में भी काफी वृद्धि हुई) बहरहाल, 2016-17 की प्रथम तिमाही से वृद्धि में कमी आने लगी। 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी और जी वी ए में वृद्धि और कम होकर क्रमश: 6.1%, 5.6% रह गई। 2017-18 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में वृद्धि और कम होकर 5.7% हो गई। तथापि 2017-18 की दूसरी तिमाही से जीडीपी वृद्धि की गिरावट की प्रवृत्ति में उलट-फेर हुआ और बढ़कर 6.3% हो गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी और जीवीए की मामूली वृद्धि में तेजी आई और क्रमश: 9.4 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत पर आ गई। (चित्र 2)

चित्र 1. वास्तविक मूल्य वर्द्धित और जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत)

आधार मूल्य पर जीवीए	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (1st AE)
कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	**-0.2**	**0.7**	**4.9**	**2.1**
उद्योग	**7.5**	**8.8**	**5.6**	**4.4**
खनन तथा खननकार्य	11.7	10.5	1.8	2.9
विनिर्माण	8.3	10.8	7.9	4.6
विद्युत गैस एवं जलआपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाएं	7.1	5.0	7.2	7.5
निर्माण	4.7	5.0	1.7	3.6
सेवाएं	**9.7**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबधित सेवाएं	9.0	10.5	7.8	8.7
वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेसेवर सेवाएं	11.1	10.8	5.7	7.3
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	8.1	6.9	11.3	9.4
आधार मूल्य पर जीवीए	**7.2**	**7.9**	**6.6**	**6.1**
बाजार मूल्य पर जीडीपी	**7.5**	**8.0**	**7.1**	**6.5**

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त आकड़ो पर आधारित

चित्र 2. 2011-12 कीमतों पर जीडीपी और जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.4 प्रथम अग्रिम अनुमानों के तहत, 2017-18 में जीडीपी में वृद्धि 6.5% होने की आशा है, जबकि आधार कीमतों पर वास्तविक जीवीए में 6.1% वृद्धि होने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी और जीवीए में वृद्धि क्रमश: 6.0% और 5.8% होने से, वर्ष की दूसरी तिमाही में अंतर्निहित वृद्धि क्रमश: 7% और 6.4% बैठती है, जोकि अर्थव्यवस्था में बेहतरी को दर्शाता है, जिसका श्रीगणेश 2017-18 की दूसरी छिमाही में ही हो चुका था। प्रमुख वृहत संकेतक जैसे सकल नियत निवेश और निर्यातों में भी 2017-18 के पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि तीव्रतर होने की आशा है।

1.5 हालिया वर्षों में वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी वृद्धि की खाई में भी कमी आई है। 2012-13 और 2014-15 के दौरान वास्तविक जीडीपी में औसतन वृद्धि 6.4% रही, इसी अवधि में मौद्रिक वृद्धि 12.5% थी, इसकी तुलना में 2015-16 से 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी में औसत वृद्धि क्रमश: 7.2% और 10.1% होने की संभावना है, जोकि बाद की अपेक्षा पूर्वावधि में उच्चतर अंतर को दर्शाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं: पूर्वावधि में मुद्रास्फीति उत्तरवर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक थी।

1.6 2016-17 में जीडीपी में मामूली वृद्धि 11% होने की संभावना है और 2017-18 में निम्नतर वास्तविक वृद्धि और अपस्फीतक के कम अधिमूल्य के कारण 2017-18 में जीडीपी 9.5% होने की आशा है। इन दो वर्षों में मौद्रिक जीवीए की वृद्धि 9.7% और 9.0% होने की आशा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौद्रिक जीवीए और जीडीपी की वृद्धि में अंतर भी बढ़ा है। यह जीडीपी में निवल अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है।

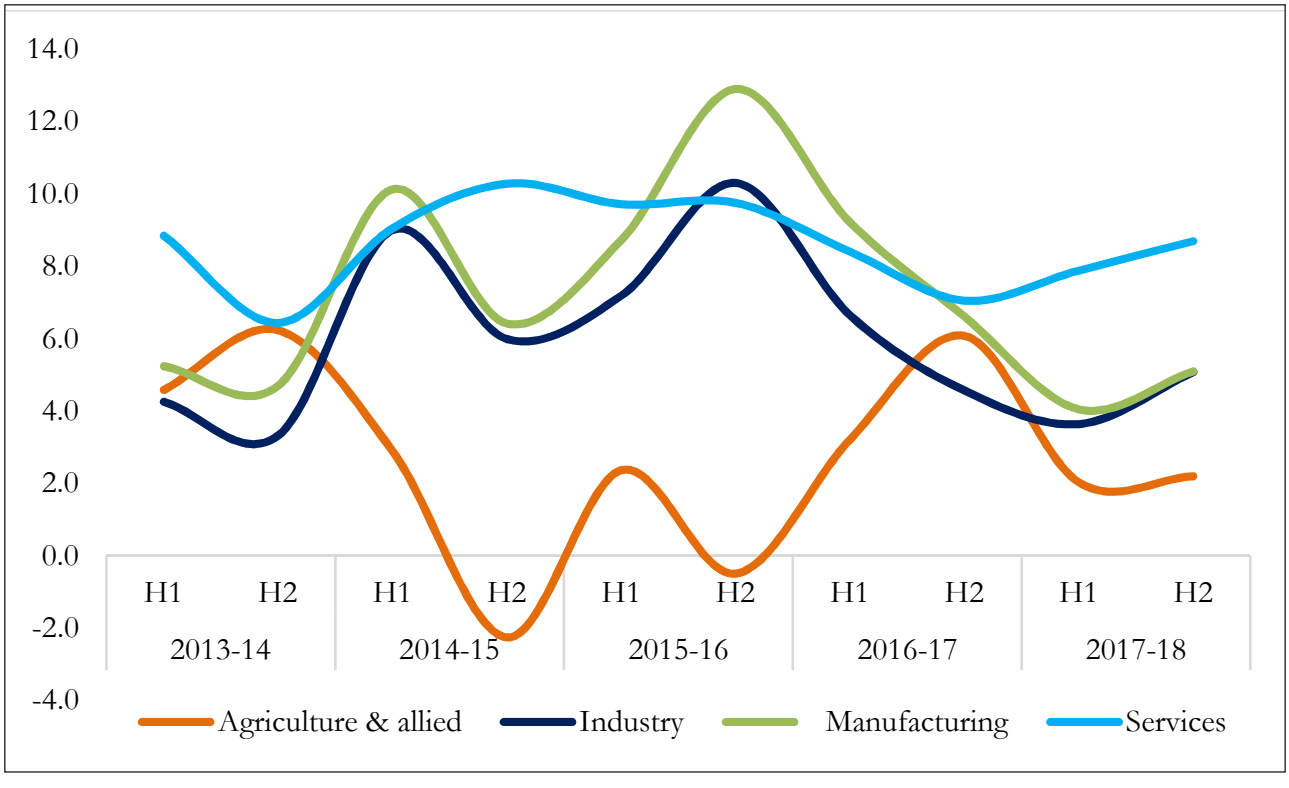
मुख्य क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि

1.7 जैसी कि अपेक्षा थी सामान्य बारिश होने के कारण कृषि क्षेत्र में पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय उच्च वृद्धि पर देखने को मिली। खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह अनुमान

लगाया गया था कि वर्ष 2016-17 में खाद्यान्नों की पैदावार 275.7 मिलियन टन होगी और खाद्यान्न तथा दालें, दोनों का उत्पादन रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाएगा। अधिकांश अन्य फसल और गैर-फसल कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों ने भी दो अंकों में वृद्धि दर्ज की जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा बकाया राशियों के उच्च भुगतान के कारण थी। तथापि, पिछले वित्त वर्ष में उद्योग सेक्टर की वृद्धि में 3 प्रतिशत बिंदु की कमी आई।

1.8 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में जीवीए वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, दोनों तिमाहियां अलग-अलग तस्वीर पेश कर रही थीं। जीवीए में पिछली कुछ तिमाहियों में देखी गई कमी की प्रवृत्ति वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में रूक गई जिसमें वही वृद्धि दर दर्ज की गई जो वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह कमी की प्रवृत्ति की स्थिति विपरीत हो गई और जीवीए वृद्धि 6.1 प्रतिशत हो गई, यह पहली तिमाही की तुलना में 0.5 प्रतिशत बिंदुओं का सुधार था। यह मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र के कारण हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार नजर आया जो पहली तिमाही में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के दूसरी छमाही के लिए जीवीए की अन्तर्निहित वृद्धि 6.4 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों नामत: कृषि और संबद्ध उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में दूसरी छमाही में अन्तर्निहित वृद्धि क्रमश: 2.2 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत रही है जो 2017-18 की पहली छमाही से बेहतर है (चित्र 3)। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2017-18 के पहली छमाही, में 4.0 प्रतिशत से सुधर कर दूसरी छमाही में 5.1 प्रतिशत होने की आशा है। व्यापार, परिवहन, होटल, भंडारण, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाओं का सेक्टर एकमात्र वह सेक्टर है जिसके वर्ष 2017-18 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि में कमी आने की संभावना है। (चित्र 3)

चित्र 3: वर्ष (2011-12) के बुनियादी मूल्यों पर जीवीए में छमाही वृद्धि



स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी : 2017-18 की दूसरी छमाही एई और 2017-18 की दूसरी तिमाही अनुमानों पर आधारित है।

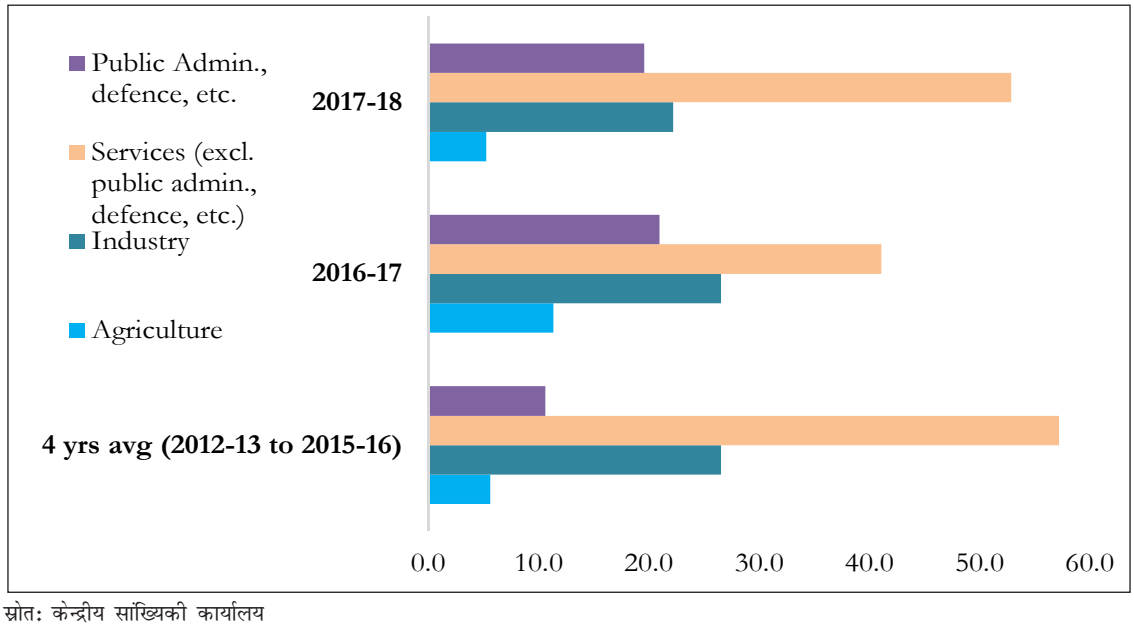
1.9 वर्ष 2016-17 में जीवीए वृद्धि की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि दो क्षेत्रों (सेक्टरों) नामत: कृषि और संबद्ध 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' ने अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि में लगभग एक तिहाई अंशदान किया इन दोनों क्षेत्रों के अधिक अंशदान का कारण वर्ष 2016-17 में इन दोनों सेक्टरों मे उच्च वृद्धि का होना था। इन क्षेत्रों ने 2012-13 से 2015-16 की अवधि (चित्र 4) के बीच जीवीए वृद्धि के लगभग 1/6 भाग का औसत अंशदान किया। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच सेवाओं (लोक प्रशासन, रक्षा आदि को छोड़कर) कुछ जीवीए वृद्धि का लगभग 57 प्रतिशत योगदान किया। वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा सेक्टर में कम वृद्धि के कारण 2016-17 में कम होकर यह 41 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन रक्षा तथा अन्य सेवाओं की कुल वृद्धि का योगदान, वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच औसत योगदान का लगभग दोगुना था। दूसरी ओर, 2013-14 से सकल मूल्यवर्धन वृद्धि में वित्तीय सेवाओं, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं के योगदान में लगातार गिरावट आई (यह वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान 32.7 प्रतिशत औसत से घट कर 2016-17 में 18.8 प्रतिशत रह गयी।

1.10 वर्ष 2017-18 में सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के बीच में उलट गई, वर्ष 2017-18 में 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' के योगदान में कुछ गिरावट आई क्योंकि इस सेक्टर की वृद्धि की गति धीमी हुई। वर्ष 2017-18 में विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की कमी आई जो मुख्यत: पहली छमाही और विशेष रूप से पहली तिमाही में इस क्षेत्र हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि के करणा रहा।

तिमाहीवार सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि

1.11 पिछली कुछ तिमाहियों में जीवीए वृद्धि कम रहने के बाद यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 6.1 होंगे। वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की जीवीए वृद्धि की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति 2016-17 की चौथी तिमाही से पलट गई। वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में उद्योग की वृद्धि में गिरावट आना शुरू हो गई थी और चौथी तिमाही में विशेषरूप से यह वृद्धि कम थी। हालांकि 2017-18 की दूसरी तिमाही में उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। 2015-16 की चौथी तिमाही से बाद की प्रत्येक तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में गिरावट आई, (2016-17 की तीसरी तिमाही को छोड़कर) 2017-18 की पहली तिमाही तक जब वह 1.2

चित्र 4: सकल मूल्य वर्धन वृद्धि में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

[1] अन्य सेवाओं में समुदाय सेवाएं जैसे-कोचिग सेंटरए शिक्षा, शिक्षा, वैयक्तिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

प्रतिशत पर पहुंच गई थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत पर इसमें तेजी से सुधार हुआ। औद्योगिक विकास इतना धीमा क्यों रहा होगा इसका एक कारण क्रेडिट वृद्धि में आई कमी हो सकती है। वर्ष 2015-16 में उद्योग में नियोजित किए गए क्रेडिट वृद्धि (बकाया) में उल्लेखनीय रूप से आई कमी 2016-17 में नकारात्मक हो गई, और 2017-18 की पहली छमाही में ऐसी ही बनी रही। यह कहना कठिन है कि क्या यह गिरावट क्रेडिट की कम मांग के कारण थी अथवा क्या यह अनर्जक आस्तियों (एनपीए), की समस्या को पहचानने के कारण हैं, जिन्होंने उधार देने में बैंकों का और अधिक सचेत बनाया होगा, तथापि, 24 नवम्बर 2017 को औद्योगिक क्षेत्र का बकाया क्रेडिट 25 नवम्बर 2016 के बकाया क्रेडिट से 1 प्रतिशत दर 2016-17 की तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना में 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कम रही है। (सारणी 2)।

प्रति व्यक्ति आय

1.13 वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (2011-12 के स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापित) किसी भी देश के लोगों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह आय 2015-16 के 77,803 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 86,660 रुपए हो जाने की संभावना है जो 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की द्योतक है। मौद्रिक रूप में इसमें औसतन 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई और यह 2015-16 के 94,130 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 111,782 रुपए हो गई।

सारणी-1 तिमाहीवार वास्तविक जीवीए और जीडीपी वृद्धि

क्षेत्र	2016-17				2017-18	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	7.6	6.8	6.7	5.6	5.6	6.1
कृषि और सहबद्ध क्षेत्र	2.5	4.1	6.9	5.2	2.3	1.7
उद्योग	7.4	5.9	6.2	3.1	1.6	5.8
जिसमें (विनिर्माण)	10.7	7.7	8.2	5.3	1.2	7.0
सेवाएं	9.0	7.8	6.9	7.2	8.7	7.1
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	7.9	7.5	7.0	6.1	5.7	6.3

स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आकड़ों पर आधारित

अधिक था। यद्यपि, निर्माण क्षेत्र में वर्धित मूल्य मेंप्रसारण से संबधित 2016-17 की चौथी तिमाही में कमी हुई थी, फिर इसमें आगामी तिमाहियों में सुधार हुआ। 1.12 सेवा क्षेत्र का विकास जो 2016-17 की तीसरी तिमाही में कम हो गया था, 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' के क्षेत्र में वास्तविक संदर्भ में 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ही मुख्यतया चौथी तिमाही में जरा सा बढ़ गया। व्यापार, परिवहन, भण्डारण, संचार आदि' क्षेत्रों में विकास, आंशिक रूप से उच्च आधार प्रभाव (वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में इस क्षेत्र का विकास 12.8 प्रतिशत था) के कारण कम था। वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत था। 'वित्तीय सेवाएँ, स्थावर संपदा तथा पेशेवर सेवाएँ तथा 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं' के क्षेत्र में उच्च वृद्धि के बल पर-2017-18 की पहली छमाही तथा 2016-17 की दूसरी छमाही में सेवाओं की वृद्धि पर में कुछ सुधार हुआ है। दूसरी तरफ, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि

सकल घरेलू उत्पाद और इसके घटक

1.14 उपभोग व्यय 2012-13 और 2015-16 के बीच कुल जीडीपी वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत रहते हुए अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक रहा है। यह अंशदान बढ़कर 2016-17 में 95 प्रतिशत से अधिक हो गया जिसकी वजह निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) दोनों में हुई उच्च वृद्धि को माना जा सकता है। विशेषकर, जीएफसीई की वृद्धि 2012-13 से 2015-16 के दौरान 3.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में वास्तविक संदर्भ में लगभग 21 प्रतिशत बढ़ी। इसकी वजह मुख्यत: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान है। पीएफसीई और जीएफसीई दोनों की वृद्धि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कम हाने की संभावना है। जीडीपी में निवेश का हिस्सा और विशेषकर

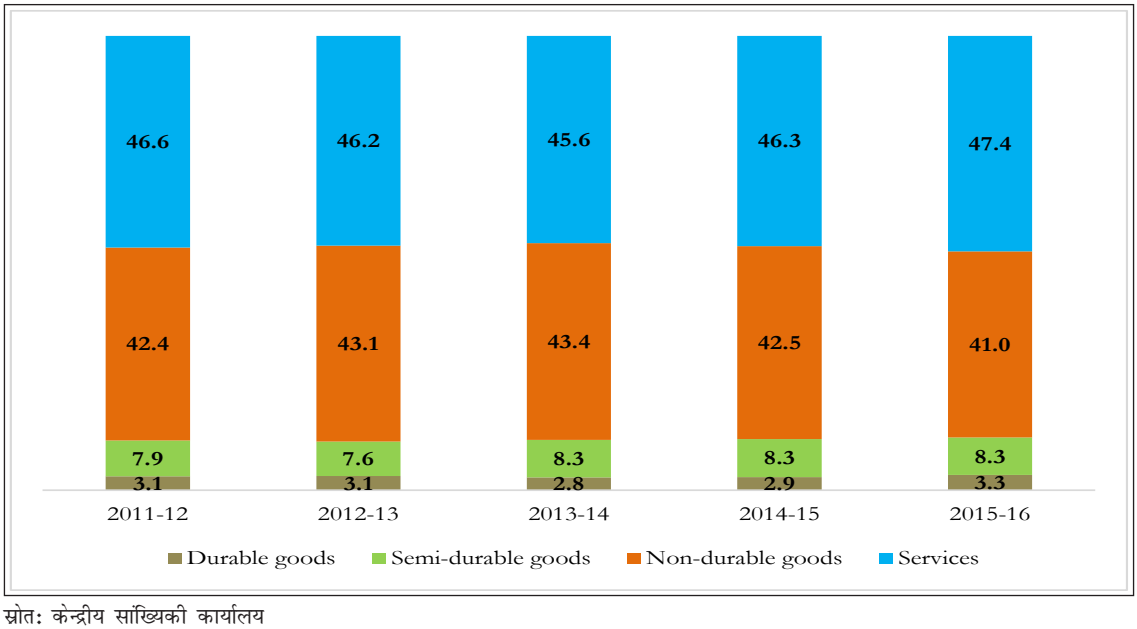
स्थिर निवेश का हिस्सा 2011-12 और 2016-17 के बीच निरंतर गिरता रहा। जहां 2011-12 के स्थिर निवेश जीडीपी का 34.3 प्रतिशत था, यह गिरकर 2016-17 में 27.1 प्रतिशत रह गया। हालांकि, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में स्थिर निवेश के तीव्र दर पर बढ़ने की संभावना है (जो निवेश में कुछ सुधार इंगित करता है), फिर भी यह जीडीपी में स्थिर निवेश के हिस्से में और गिरावट रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। माल और सेवाओं का निर्यात 2014-15 में लगभग गतिरुद्ध रहने और 2015-16 में गिरने के बाद 2016-17 में बढ़ना शुरू हुआ। आयातों में भी वृद्धि हुई लेकिन धीमी रफ्तार पर, फिर भी इससे 2016-17 में चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली। वर्ष 2017-18 में निर्यातों में 4.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, वहीं आयातों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना हैं। परिणामात्मक जीडीपी में माल और सेवाओं के निवल निर्यात का हिस्सा (जैसाकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिखाया गया है) 2016-17 के (-) 0.7 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में (-) 1.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

अंतिम उपभोग व्यय

1.15 वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच 6 वर्षों में, कुल जीडीपी में पीएफसीई का औसत हिस्सा 57.5 प्रतिशत रहा और इस अवधि में इसकी वृद्धि औसतन 6.8 प्रतिशत रही। पीएफसीई जीडीपी की वृद्धि का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक रहा है और विशेष रूप से ऐसा 2016-17 में हुआ है जब पीएफसीई ने जीडीपी वृद्धि के लगभग दो तिहाई का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का योगदान 29 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, जीडीपी वृद्धि में पीएफसीई और जीएफसीई का योगदान क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। जहां पीएफसीई का योगदान 2011-12 से 2015-16 में हासिल औसत स्तरों पर लौट आया, वहीं जीएफसीई का योगदान उस औसत से अधिक बना रहा है।

1.16 पीएफीसीई का आगे ब्यौरा (केवल 2015-16 तक उपलब्ध है) दर्शाता है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं का हिस्सा (जिसमें अधिकांश खाद्य पदार्थ है) 2011-12 और 2015-16 के बीच (2013-14 के बाद) (चित्र 5) कुछ-कुछ गिर गया। यह गिरावट प्रत्याशित है क्योंकि आय स्तरों में वृद्धि के साथ खाद्य उत्पादन का हिस्सा, विशेषकर खाद्यान्नों के हिस्से, में गिरावट का रुझान रहता है (एंजल का लोचशीलता पर आधारित विश्लेषण, बाक्स 1.1 देखें)। स्थिर कीमतों के संदर्भ में इस हिस्से में अधिक तीव्र गिरावट इस अवधि में अन्य मद समूहों की तुलना में कुछ खाद्य उत्पादों जैसे मछली और सी-फूड, फल इत्यादि के संबंध में अपस्फीतिकारक के अपेक्षाकृत कम मूल्य (अर्थात अधिक मूल्य वृद्धि) से

चित्र 5: वर्तमान मूल्यों पर निजी उपयोग व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

बाक्स 1.1 पीएफसीई के संबंध में मुख्य वस्तु समूहों की एंजल की लोचशीलता

उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने का एक तरीका एंजल का लोचशीलता है। नीचे दी गई सारणी में चुनिंदा वस्तु समूहों के लिए एंजल की लोचशीलता दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि यहां परिकलित एंजल की लोचशीलता 2011-12 के स्थिर कीमतों पर समग्र निजी अंतिम उपभोग व्यय के प्रति किसी विशेष वस्तु समूह के निजी अंतिम उपभोग व्यय की अनुक्रियाशीलता दर्शाती है।

घरेलू बाजार में निजी अंतिम खपत व्यय का सीएजीआर और एंजल लोचशीलता

मद का वर्णन	सीएजीआर 2011-12 से 2015-16	पीएफसीई के संदर्भ में लोचशीलता
भोजन और गैर-एल्कोहलिक पेय-पदार्थ	4.1	0.61
कपड़ा और फुटवीयर	9.6	1.44
आवास, पानी, बिजली, गैस तथा अन्य ईंधन	5.2	0.78
साज-सज्जा, घरेलू उपस्कर और रखरखाव,	9.3	1.39
स्वास्थ्य	13.1	1.95
परिवहन	6.5	0.98
संचार	7.3	1.09
शिक्षा	6.3	0.93
घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय	6.7	

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ

जैसीकि आशा थी, भोजन संबंधी मदों की एंजल लोचशीलता काफी कम है, जो इस परिकल्पना की पुष्टि करती है कि जैसे आय का स्तर बढ़ता है, भोजन पर व्यय समानुपात से कम बढ़ता है। भोजन के अंतर्गत अंडा, मॉस और मछली, सब्जी आदि जैसे उत्पादों की लोचशीलता ब्रैड, अनाज और दालों जैसे मदों से अधिक है। जबकि स्वास्थ्य पर व्यय की लोचशीलता एक से काफी अधिक है, परंतु शिक्षा पर यह आश्चर्यजनक रूप से एक से थोड़ी कम है।

जुड़ी है।

बचत और निवेश

1.17 इस तथ्य के बावजूद, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2014-15 और 2017-18 के बीच 4 वर्षों में भारी वृद्धि दर्ज की है, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की कहानी दिलासा देने वाली नहीं रही है। अर्थव्यवस्था में निवेश दर (सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सकल पूंजी निर्माण (जीएसएफ)) 2011-12 और 2015-16 के बीच लगभग 5.6 प्रतिशत बिंदु कम हुई है। जैसाकि सारणी 3 में देखा जा सकता है, वर्ष 2013-14 में मुख्य कमी हुई हैं जब निवेश दर लगभग 5 प्रतिशत बिंदु कम हो गयी थी। यह बहुत से कारकों के कारण थी जैसे भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयाँ, विलंबित और रुकावट वाली पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ, अवसंरचना क्षेत्र में समस्याएँ आदि। यद्यपि ऐसी बहुत सी समस्याएँ विद्युत की बेहतर स्थिति बनाकर, अवसंरचना संबंधी अड़चनों को कम करके दूर कर दी गई है, फिर भी निवेश दर (मुख्यत: स्थिर निवेश) नहीं बढ़ी है। वर्ष 2011-12 और 2013-14 के बीच बचत दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत) भी लगभग ढाई प्रतिशत बिंदु कम हुई हैं तथा उसके बाद कमोबेश स्थिर रही है। बचत दरों की तुलना में निवेश दर में तीव्र गिरावट के कारण 2013-14 से 2015-16 तक चालू खाता घाटे का स्तर (बचत-निवेश अंतर) अपेक्षाकृत

सारणी 2: बचत, निवेश दर (प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
निवेश दर	39.0	38.7	33.8	34.4	33.3
बचत दर	34.6	33.9	32.1	33.1	32.3
एस-आई अंतर	-4.3	-4.8	-1.7	-1.3	-1.0

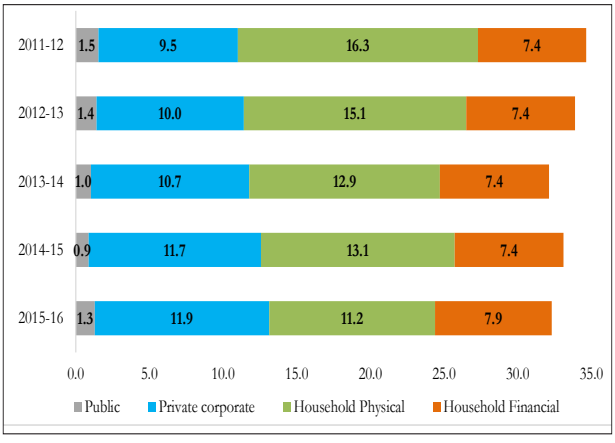
स्रोत: सीएसओ के आँकड़ों पर आधारित।

कम रहा है।

बचत

1.18 अर्थव्यवस्था में बचत सामान्य प्रशासन सहित परिवारों, निजी कारपोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से होती है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत के अनुरूप 2011-12 तथा 2015-16 के बीच जीडीपी के अनुपात के रूप में परिवार क्षेत्र की बचत सामान्यत: कम हुई है यह जीडीपी के 23.6 प्रतिशत से घटकर 19.2 प्रतिशत रह गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत निरंतर रूप से बढ़ी है (चित्र 6)। सामान्य प्रशासन की बचत में सुधार दिख रहा है, (यद्यपि यह नकारात्मक क्षेत्र में ही बना रहा है), वर्ष 2014-15 तक सरकारी बचत में कमी का

चित्र 6: जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत (प्रतिशत)



स्रोत: सीएसओ के आंकड़ों पर आधारित।
टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शमिल हैं।

कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत के निम्न स्तर का होना हो सकता है।

1.19 परिवार क्षेत्र बचत के बड़े परिमाण का हिस्सा रखता है, तथापि, कुल बचत में परिवार बचत का हिस्सा 2011-12 में लगभग 68 प्रतिशत से 2015-16 में 59 प्रतिशत के नजदीक तक गिर गया था। परिवारों की बचत के वर्ग में वास्तविक परिसम्पत्तियों से वित्तीय परिसम्पत्तियों की ओर रूझान हुआ है जिससे कुल घरेलू बचत में वास्तविक परिसम्पतियों का हिस्सा 10 प्रतिशतांक बिन्दुओं से ज्यादा कम हो गया। सरकारी बचत 2011-12 में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 0.9 प्रतिशत रह गई थी जबकि यह 2015-16 में फिर वृद्धि होने लगी है। अंशत: इस की व्याख्या पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि तथा सब्सिडी में कमी द्वारा हो सकती है। जिसमें निजी निगम क्षेत्र का सकल बचत में अंश 2011-12 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में लगभग 12 प्रतिशत पर पहुंच गया।

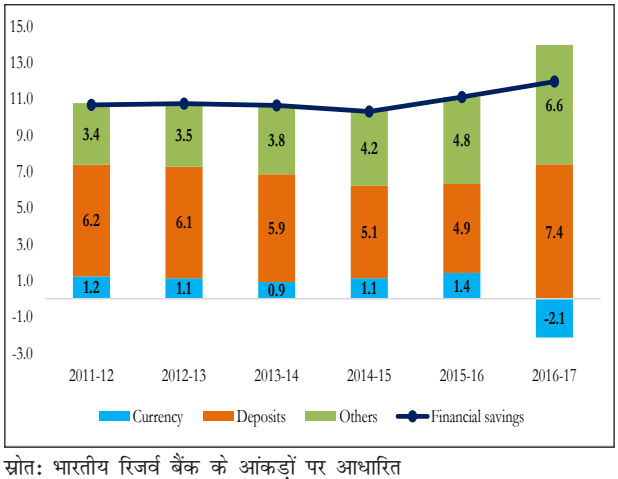
1.20 वर्ष 2015-16 के बाद के सकल बचत के लिए आंकडा उपलब्ध नहीं है। तथापि, 2016-17 के लिए परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत हेतु प्रारंभिक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध है।[2] परिवार द्वारा की गई वित्तीय बचत मुख्य रूप से करेंसी, बैंक जमाएं, जीवन बीमा निधि, भविष्य एवं पेंशन निधि के रूप में तथा कई वर्षों से शेयरों तथा डिबेंचरों के रूप में रखी जाती है। वर्ष 2011-12 और 2015-16 के बीच बैंक खातों में जमाराशि सकल वित्तीय बचत का 50 प्रतिशत थी। वर्ष 2015-16 में बैंक जमा खातों और जीवन बीमा निधियों में वित्तीय बचत किए जाने के अनुपात में पर्याप्त कमी देखी गई तथा मुद्रा, भविष्यनिधि और पेंशन निधियों, सरकार के दावों (मुख्यत: लघु बचत में) के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई। शेयरों और डिबेन्चरों में बचत दोगुना से ज्यादा हो गई तथा शेयरों और डिबेन्चरों के भीतर म्यूचयूल फंड हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में 126% की बढ़ोत्तरी हुई।

1.21 पारिवारिक वित्तीय बचतों का स्वरूप, पिछले 5 वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में पर्याप्त रूप से भिन्न था। जबकि परिवारों की समग्र वित्तीय बचत में वर्ष 2016-17 में 20% से अधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई (पिछले 5 वर्ष में

[2] सीएसओ जनवरी 2018 के अंत पर वर्ष 2016-17 के लिए अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत का अनुमान लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना तथा इसके स्वयं के वास्तविक बचत अनुमानों के आधार पर वित्तीय बचत की सूचना जारी करेगा।

देखी गई बढ़ोतरी से भी अधिक), मुद्रा के रूप में बचत में 250% से अधिक कमी हुई (लगभग 5 लाख करोड़ रु.)। यह कमी मुख्य रूप से नवम्बर 2016 में उच्च मूल्य वाली मुद्रा के नोटों के वापस ले लिए जाने तथा मार्च 2017 के अन्त तक आंशिक पुन: मुद्रीकरण के कारण हुआ। बैंक

चित्र 7: जीडीपी के हिस्से के रूप में पारिवारिक वित्तीय बचत



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शमिल हैं।

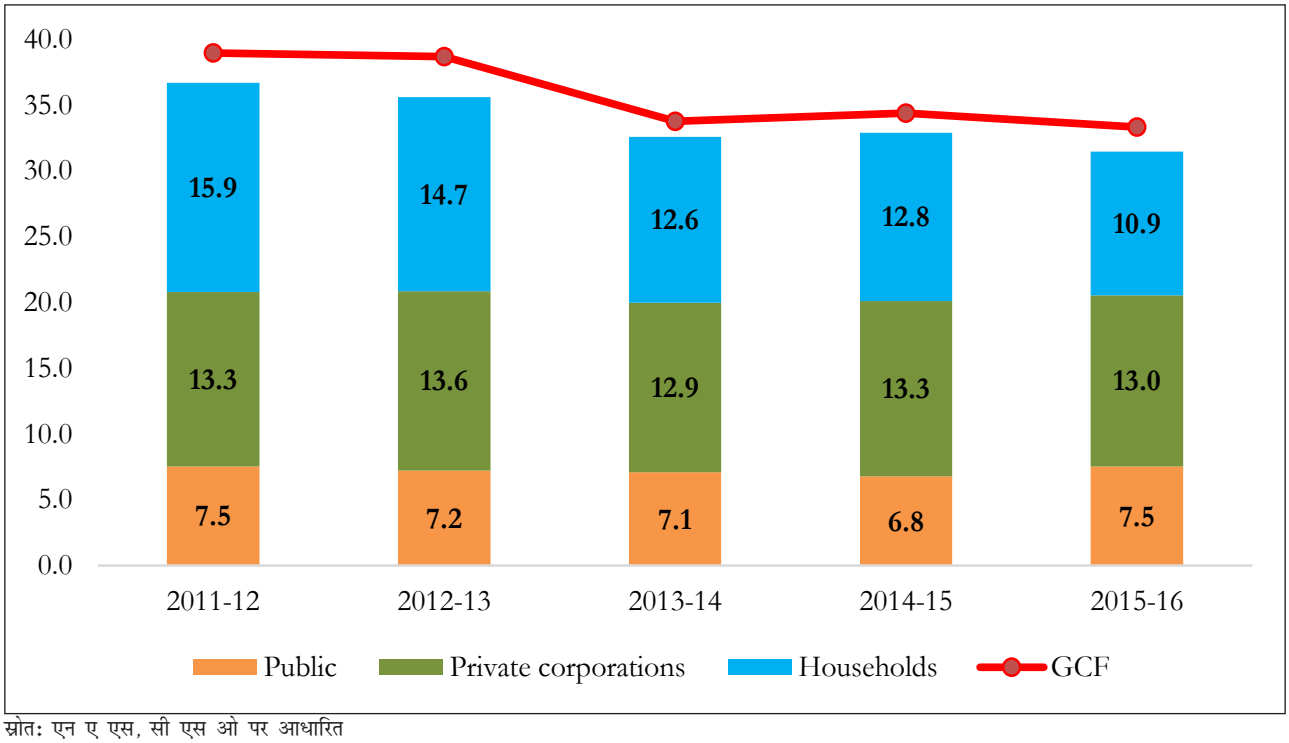
जमा खातों, जीवन बीमा निधियों और शेयरों तथा डिबेन्चरों में बचत धनराशि 2016-17 में क्रमश: 82%, 66% तथा 345% बढ़ गई (चित्र 7)। शेयरों और डिबेन्चरों की श्रेणी के भीतर, म्यूचुअल फंडों में बचत में, वर्ष 2015-16 की 126% वृद्धि के मुकाबले, 400% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। अत: 2 वर्ष के समय में, म्यूचुअल फंड के रूप में बचत में 11 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उस समय हुआ जब बीएसई सेन्सेक्स लगभग 1.5% प्रति वर्ष की औसत से बढा, जिसको और अधिक विस्तार से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

निवेश

1.22 वर्ष 2015-16, अर्थात वह अद्यतन वर्ष जिसके सम्बन्ध में सकल पूंजीगत निर्माण के बारे में सूचना उपलब्ध है, में निवेश दर में 2011-12 में 39% से 2015-16 में 33.3% तक सतत गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के सम्बन्ध में निवेश के मुख्य घटकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है अर्थात सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जिसमें जीसीएफ का समग्र अनुपात आता है, स्टाक और बहुमूल्य वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन) 2011-12 और 2015-16 के बीच मियादी निवेश दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ) में 5% की गिरावट आई। यह 2016-17 में 2 प्रतिशत और गिर गई। वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान यह सुझाते हैं कि यद्यपि स्थिर निवेश की वृद्धि दर 2016-17 में 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, स्थिर निवेश दर अपने गिरावट के रूझान को बरकरार रखेगी। हाल ही के वर्षों में स्थिर निवेश में धीमी बढ़ोतरी, दोहरे तुलन पत्र के कारण हो सकती है। इस रूझान को यथाशीघ्र वापस लाया जाना है ताकि आने वाले वर्षों में 8% से अधिक की भारी संभवित वृद्धि को हासिल किया जा सके। वर्ष 2011-12 से बहुमूल्य वस्तुओं का हिस्सा सामान्यत: कम होता जा रहा है। तथापि, इसके वर्ष 2016-17 के जीडीपी के 1.1% की तुलना में वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.5% होने की संभावना है।

1.23 अर्थव्यवस्था में निवेश के संस्था-वार ब्यौरे में पिछले कुछ वर्ष में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र (जिसमें और सामान्य प्रशासन आते हैं) में निवेश वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक लगातार गिरता रहा। हालांकि यह वर्ष 2015-16 में बढ़कर जीडीपी का 7.5% हो गया। यह वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर दिए गए अधिकतर ध्यान की तर्ज पर है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य प्रशासन द्वारा पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर, (चालू कीमतों पर) वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान औसत 7% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 21% से अधिक हो गयी। कुल निवेश में निजी-कारपोरेट क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2011-12 के 36% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 41% हो गया और यह अब घरेलू क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। पारिवारिक क्षेत्र (परिवारों की सेवा कर रही लाभेतर संस्थाओं सहित) का निवेश 2011-12 में जीडीपी के

चित्र 8: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल निवेश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निवेश (प्रतिशत)



स्रोत: एन ए एस, सी एस ओ पर आधारित

टिप्पणी : विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में कीमती वस्तु और भूल-चूक शामिल नहीं है, इसलिए जीसीएफ तक नहीं शामिल करें

सारणी 4: कुल स्थिर निवेश के हिस्से के रूप में संस्थागत क्षेत्र द्वारा आस्ति-वार स्थिर निवेश आंकडें

		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीएफसीएफ	आवास	57.5	56.6	57.7	58.6	57.1
	मशीनरी और उपकरण	35.0	34.5	31.9	31.6	32.5
	अन्य	7.6	9.0	10.5	9.9	10.5
सरकारी क्षेत्र (सामान्य प्रशासन सहित)	आवास	12.0	12.3	12.7	13.4	16.1
	मशीनरी और उपकरण	8.1	7.3	8.0	7.4	8.1
	अन्य	1.4	1.5	2.0	1.3	1.1
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	आवास	8.0	9.6	9.5	10.0	10.4
	मशीनरी और उपकरण	18.7	18.4	19.6	17.9	18.2
	अन्य	6.0	7.2	8.3	8.3	9.1
परिवार क्षेत्र	आवास	37.4	34.7	35.5	35.2	30.6
	मशीनरी और उपकरण	8.2	8.9	4.3	6.4	6.2
	अन्य	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

स्रोत: एनएएस, सीएसओ।

टिप्पणी : अन्य में आईपीपी और सीबीआर शामिल है।

15.9 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशतांक घटकर 2015-16 में 10.9 प्रतिशत रह गया (चित्र 8)।

1.24 स्थिर निवेश कुल निवेश का लगभग 90 प्रतिशत बैठता है। स्थिर निवेश में उन्नत जैविक संसाधनों (सीबीआर) से प्राप्त होने वाले लघु अंशदान के साथ-साथ आवासों, मशीनरी एवं उपस्कर और बौद्धिक संपदा उत्पादों (आईपीपी) सहित विभिन्न आस्तियां शामिल हैं (सारणी 4)।1.25 आवास पर निवेश स्थिर निवेश का लगभग 57-58 प्रतिशत बैठता है और यह हिस्सा 2011-12 तथा 2015-16 के बीच उचित रूप से स्थिर बना हुआ है। तथापि, आवासों में परिवारों का निवेश काफी घट गया है, जिसका संभावित कारण भौतिक आस्तियों के रूप में परिवारों की बचत के हिस्से में ह्रास होना है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थिर निवेश में प्राय: समस्त बढ़त आवासों में है। स्थिर निवेश के मशीनरी खंड के हिस्से में ह्रास ही परिवार क्षेत्र में अधिकांश ह्रास का कारण है। 'अन्य' (सीबीआर के साथ-साथ आईपीपी) का हिस्सा निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा इस श्रेणी में उच्च निवेश करने के कारण बढ़ गया।

लोक वित्त

1.26 अधिकांश राजकोषीय संकेतकों जैसे-राजस्व उत्प्लावन, व्यय गुणवत्ता, कर अंतरण एवं घाटा-में प्रत्यक्ष सुधारों द्वारा प्राप्त दृढ़ आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने राज्यों की साझेदारी से, चिरप्रतीक्षित वस्तु और सेवाकर जीएसटी व्यवस्था को जुलाई, 2017 से प्रारंभ किया। जीएसटी का प्रवर्तन व्यापक तैयारियों एवं बहुस्तरीय परामर्श के बाद किया गया, तथापि, इस पूर्णतया परिमाणपरक परिवर्तन का अभिप्राय यह था कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का प्रबंध सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। सरकार इस संभावना कि अंतिम माह (मार्च, 2018) के जीएसटी संग्रहणों का पर्याप्त भाग अगले वर्ष में जमा हो सकता है, के साथ परिवर्तन एवं चुनौतियों के संबंध में मार्गदर्शन कर रही है।

1.27 केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों के आंकड़े महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से नवंबर 2017 तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, राजस्व मोर्चे पर, चालू वर्ष के प्रथम आठ माह में तीन विशिष्ट प्रवृत्तियाँ देखी गईं: प्रत्यक्ष कर संग्रहण उचित रूप से पटरी पर है; कर-भिन्न राजस्व का निष्पादन अल्प रहा है, और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां, मुख्यत: विनिवेश से आय, सही दिशा में है।

1.28 केंद्र के प्रत्यक्ष कर[3] संग्रहण में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष जैसी ही रही। पूर्ण वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रत्यक्ष करों में बजट विहित वृद्धि मात्र 7.6 प्रतिशत है; नवंबर तक यह वास्तविक वृद्धि 18.3 प्रतिशत है। इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों में अंतिम प्राप्ति केंद्र-राज्यों के बीच जीएसटी लेखों के अंतिम निपटान पर निर्भर करेगी और यह सम्भावना है कि ग्यारह महीनों में केवल करों (आयात पर आईजीएसटी को छोड़कर) की वसूली की जाएगी। 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान राज्यों का कर-हिस्सा लगभग 25.2 प्रतिशत बढ़ा, जो केन्द्र के निवल कर राजस्व में हुई 12.6 प्रतिशत वृद्धि तथा सकल कर राजस्व में हुई 16.5 प्रतिशत वृद्धि से बहुत अधिक है।

1.29 वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सरकार का कुल व्यय 14.9 प्रतिशत बढ़ा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.6 प्रतिशत था। चालू वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय 13.1 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 29.3 प्रतिशत तक बढ़ गया। बजट चक्र और इसकी प्रक्रिया को लगभग एक महीने आगे बढ़ाने से व्ययकर्त्ता एजेंसियों को वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से योजना बनाने और कार्यान्वयन को शीघ्र शुरू करने का व्यापक अवसर मिल गया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय व्यय में तीव्र गति से प्रगति हुई। कुछ व्ययों के आगे जुड़ने और बढ़े हुए ब्याज व्यय के साथ इसने राजकोषीय घाटे पर और दवाब डाला जो नवम्बर, 2017 तक बजट अनुमान के 112 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा यह वृद्धि कुछ हद तक सामान्य हो जाएगी।

1.30 विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों के राजकोषीय सन्तुलन में 'उदय' यूडीएवाई-उत्प्रेरित असामान्य कमी के पश्चात राज्यों ने वर्तमान वर्ष में सुदृढ़ता हासिल करने का लक्ष्य रखा। 21 राज्यों की सरकारों की स्थिति जो कुल जीएसडीपी के लगभग 86 प्रतिशत के बराबर है और जिसके लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, यह प्रदर्शित करती है कि उनकी राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की दृष्टि से और तदनुरूप बजट अनुमानों के संबंध में विगत वर्षों के साथ तालमेल दर्शाया है। यदि नवम्बर 2017 तक के

---

[3] प्रत्यक्ष कर में वैयक्तिक आय कर एवं कारपोरेट कर शामिल है।

संकेतक बरकरार रहते हैं तो मौजूदा वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सभी राज्य मिलकर एक साथ मिलकर राज्यों के पहुँच के भीतर हो सकता है।

1.31 जीएसटी से प्रत्याशित राजस्व के और अधिक स्पष्ट हो जाने के साथ, बजट अनुमान की तुलना में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय संतुलन चौथी तिमाही में राजस्व व्यय की उभरती प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगा।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन

कीमतें एवं मुद्रास्फीति

1.32 वर्ष 2017-18 के दौरान देश में मुद्रास्फीति धीमी बनी रही। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की इसी अवधि की 4.8 प्रतिशत की दर से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में 3.3 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में खाद्य पदार्थों की निम्न महंगाई दर के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत से कम रही, विशेषकर दालों और सब्जियों की महंगाई में मामूली वृद्धि हुई और यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत रही। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) के संबंध में खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 5.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 1.2 प्रतिशत रह गई। सीपीआई-आधारित मुख्य (खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न) मुद्रास्फीति भी वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.5 प्रतिशत रह गई। आवास तथा ईंधन एवं प्रकाश समूहों को छोड़कर, सीपीआई-सी के सभी मुख्य उप समूहों की मुद्रास्फीति में वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में गिरावट आई। खाद्य और पेय पदार्थों में इस गिरावट की दर सबसे तेज रही।

1.33 थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 0.7 की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.9 प्रतिशत रही। कई महीनों तक मंद रहने के बाद डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में आई अचानक तेजी के कारण फरवरी और मार्च, 2017 के दौरान बढ़ गई। इसके पश्चात्, विश्व में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आने के साथ जून 2017 में 0.9 प्रतिशत के निम्न स्तर तक पहुंचते हुए मुद्रास्फीति भी जुलाई तक अगले चार महीनों के दौरान सामान्य रही। बाद के महीनों में कच्चे तेल की कीमत में पुनः उछाल आने और इसके बढ़ते जाने तथा बढ़ती खाद्य कीमतों के साथ दिसम्बर, 2017 में मुद्रास्फीति भी बढ़ी और 3.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

1.34 डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की अवधि की 6.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.3 प्रतिशत रह गई। डब्ल्यूपीआई, ईंधन एवं विद्युत मुद्रास्फीति पूर्व वर्ष की (-)6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुख्य स्फीति (गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों) बढ़कर वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर) के 1.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.6 प्रतिशत रही। तथापि, डब्ल्यूपीआई के सम्पूर्ण वर्ग (बास्केट) में 64.2 प्रतिशत का भार रखने वाली विनिर्मित पदार्थ स्फीति 2.6 प्रतिशत के आस-पास बनी रही।

मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय हस्तक्षेप

1.35 वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधित सांविधिक ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति का संचालन किया गया जो 5 अगस्त, 2016 से प्रभावी हुई। वर्ष 2017-18 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण (अगस्त, 2017) में मौद्रिक नीति समिति ने 6.0 प्रतिशत नीतिगत रेपोरेट के 25 आधार बिन्दु तक घटाने का निर्णय लिया। इसने अक्तूबर और दिसम्बर, 2017 दोनों माह में इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

1.36 पुनःमौद्रिकरण प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाते हुए, 17 नवम्बर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव निर्धारित करने के साथ, प्रचलन मुद्रा और आरक्षित मुद्रा (एमओ) दोनों की वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि तीव्र रूप से सकारात्मक बनी रही और पिछले वर्ष की अपनी संबंधित वृद्धि दरों से उच्च रही। नवम्बर, 2016 की शुरूआत में विमुद्रीकरण के पश्चात, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक, दोनों विलेखों का मिश्रित रूप से उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने अपने नकदी समावेशन कार्यों को गति प्रदान की। नकदी की स्थिति आधिक्य की अवस्था में बनी रही।

उत्तरोतर पुनर्पूंजीकरण के साथ इसका प्रभाव धीरे-धीरे सामान्य होता गया।

1.37 बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, के कार्य निष्पादन में चालू वित्तीय वर्ष में नरमी बनी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादनकारी अग्रिम (जीएनपीए) मार्च 2017 और सितम्बर, 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया। नवम्बर, 2016 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में खाद्य-भिन्न क्रेडिट (एनएफसी) नवम्बर, 2017 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया। सेवाओं और निजी ऋण खंड को बैंक ऋण का उधार, समग्र एनएफसी वृद्धि के लिए प्रमुख योगदानकर्त्ता बना रहा।

विदेशी क्षेत्र

1.38 वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है और वर्ष 2016 में यह 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्षों की गिरावट के विपरीत वस्तुओं की कीमत (ईंधन और ईंधन भिन्न) भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब तक, भारत का विदेशी क्षेत्र वर्ष 2017-18 में लोचशील और सुदृढ़ बना रहा है तथा जीडीपी के 1.8 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा (सीएडी), वाणिज्यिक निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि, निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2017-18 में एच1 में बेहतर विदेशी ऋण संकेतकों के साथ भुगतान शेष (बीओपी) की स्थिति संतोषप्रद बनी हुई है।

भारत का वाणिज्यिक व्यापार

1.39 नकारात्मक वृद्धि के दो वर्षों के पश्चात वर्ष 2016-17 को वाणिज्यिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि वाले वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। इसी प्रकार नकारात्मक वृद्धि के तीन वर्षों के पश्चात् वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक आयात में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में निर्यात 491 बिलियन अमरीकी डालर से लगभग 107 बिलियन अमरीकी डालर घटकर वर्ष 2016-17 में 384 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। मुख्य रूप से यह गिरावट 77 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में कमी तथा इस अवधि के दौरान सोने और चांदी के आयात में 26.4 बिलियन अमरीकी डालर तक कमी के कारण आई। इस प्रकार लगभग इन दो सामग्रियों के समूह के कारण ही आयात में 97 प्रतिशत की कमी आई। आयात में सामग्री में गिरावट को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के कारण माना जा सकता है। कच्चे तेल के भारतीय समूह की आयात कीमत वर्ष 2012-13 में 108 अमरीकी डालर प्रति बैरल के औसत से गिरकर वर्ष 2016-17 में 47.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गयी। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आने से पीओएल निर्यातों की कीमत में भी कमी आ गई, जो 2012-13 में लगभग 61 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 32 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गई। पीओएल-भिन्न निर्यात 2012-13 में 239.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 में 244.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। इन वर्षों में कुल व्यापारिक निर्यातों में लगभग 24.5 बिलियन अमरीकी डालर तक की गिरावट आई।

1.40 निर्यातों की कीमत के मुकाबले आयातों की कीमत में आई अधिक कमी व्यापारिक कारोबार के संतुलन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार रही, जो 2012-13 में 190 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 108.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई (चित्र 9)। इस अवधि में व्यापार घाटे में कमी ने चालू खाता घाटे की स्थिति में कुछ सुधार लाने में काफी योगदान दिया, जो 2012-13 में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत रह गया। पूंजी प्रवाह अच्छे स्तरों पर बने रहने से, विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2013 के अंत में 292 बिलियन अमरीकी डालर से तेजी से बढ़कर मार्च 2017 के अंत में 370 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

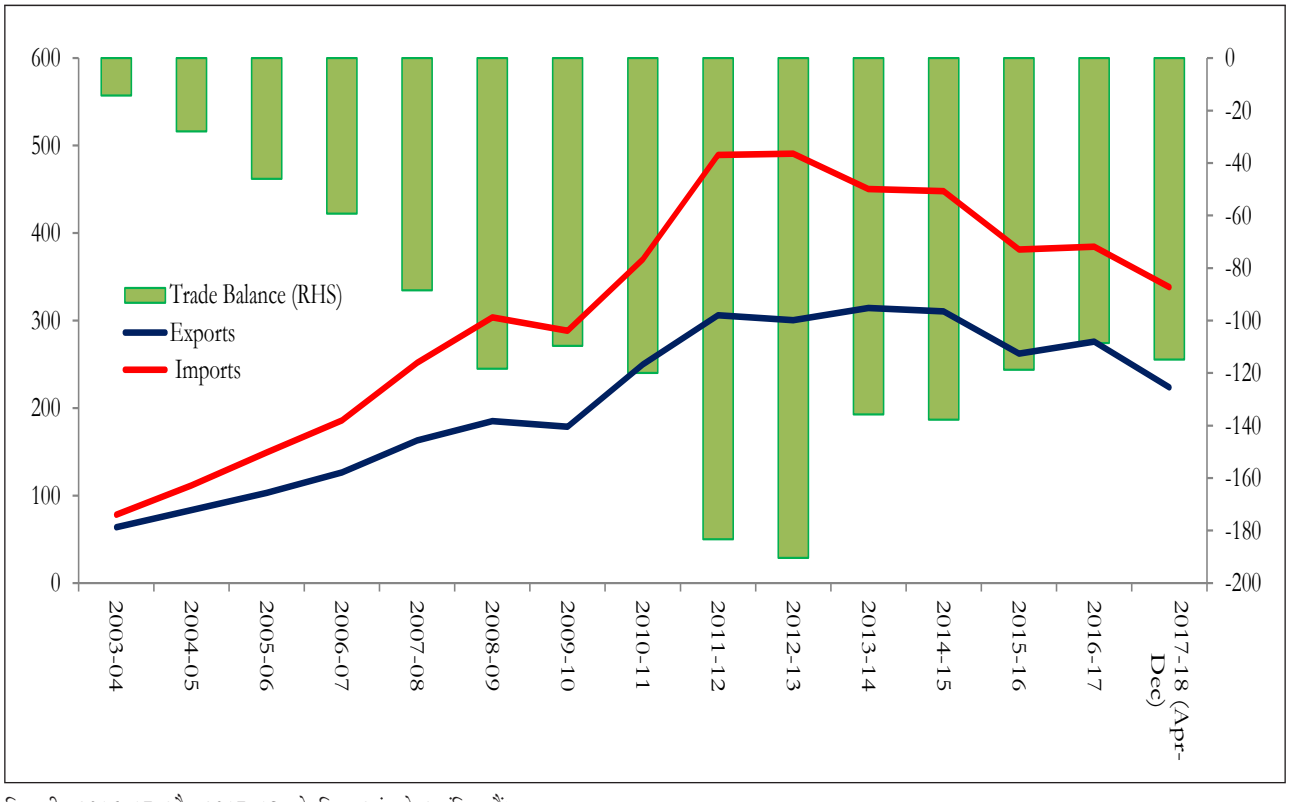
1.41 2016-17 की पहली छमाही में भारत की निर्यात वृद्धि (-) 1.3 प्रतिशत पर नकारात्मक बनी रही। तथापि, 2016-17 की दूसरी छमाही में, इसमें सुधार आना शुरू हुआ और वर्ष 2016-17 में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात वृद्धि में और तेजी आई और यह 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत की

निर्यात परिमाण वृद्धि, जो मार्च 2016 से सकारात्मक हो गई थी, में अप्रैल 2017 तक उछाल आया, परंतु इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। यद्यपि यह अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, आयातों में 21.8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। मुख्यतया कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पीओएल आयात वृद्धि 24.2 प्रतिशत थी और स्वर्ण

भुगतान शेष:

1.42 भारत की भुगतान शेष की स्थिति, जोकि वर्ष 2013-14 से सुसाध्य रही है, प्रथम छमाही में सीएडी में कुछ वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही तक वैसी ही बनी रही है। 18 (अप्रैल-दिसंबर) व्यापार घाटा 114.9 बिलियन तक बढ़ गया। भारत का सीएडी में

चित्र 9. निर्यात, आयात और व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)



टिप्पणी: 2016-17 और 2017-18 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

तथा चांदी आयातों में 52 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पीओएल-भिन्न आयातों में 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न और चांदी आयात 18.1 प्रतिशत तक बढ़ गए। भारत का व्यापार घाटा, जिसमें वर्ष 2014-15 और 2016-17 से लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, वर्ष 2016-17 में पहली छमाही में 43.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 74.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, व्यापार घाटा 114.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया।

वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 3.9 बिलियन अमेकिी डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत, था जो वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 22.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया (सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत), जिसका प्रमुख कारण निर्यातों के संगत मर्केंडाइज आयातों में अधिक वृद्धि थी जो उच्च व्यापार घाटा है। सोने के आयात में हुई तीव्र वृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल कीमतों में हुई वृद्धि के कारण आयातों में उछाल आया है। वर्ष 2016-17 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई

है जिसका कारण 'अदृश्य' बैलेंस में सुधार के साथ-साथ विदेशी निवेश द्वारा निवल पूंजी प्रवाह की अधिकता थी और साथ ही बैंकिंग पूंजी व्यापार घाटे को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी जिससे वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रामाणिक वृद्धि दिखाई थी।

अदृश्य घटक

1.43 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों में वृद्धि के कारण निवल अदृश्य अतिरेक में 52.5 विलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जबकि वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में यह 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही के दौरान वर्ष-दर वर्ष आधार पर निवल सेवा प्राप्तियों में मुख्यत: यात्रा और दूरसंचार तथा कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई निवल आय में वृद्धि होने से 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निजी अंतरण प्राप्तियां, मुख्यत: विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित धन, पूर्व वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखा रही है। निवल निवेश आय के संबंध में होने वाला बर्हिगमन जो पिछले दो वर्षो में लगातार बढ़ रहा था उसमें 2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि बरकरार रही और वह 2016-17 की पहली छमाही में 14.9 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 15.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया।

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बीओपी का पूंजी/वित्त खाता

1.44 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंत:प्रवाह में गिरावट के होते हुए भी भारत के पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि के चलते निवल विदेशी निवेश में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में एफडीआई प्रवाह में मंदी के कारण पूर्व वर्ष की संगत अवधि के दौरान इसके स्तर में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में 7.3 प्रतिशत की समेकित गिरावट आई है। तथापि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुई थी जिसमें 78.0 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बढ़कर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के बारे में एक सकारात्मक संकेत है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.45 दिसंबर 29, 2017 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वाधिक उच्चस्तर के साथ 409.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2016 के अंत से वर्ष-दर वर्ष आधार पर यह वृद्धि 14.7 प्रतिशत थी जबकि मार्च 2017 के अंत से दिसंबर 2017 के अंत में यह वृद्धि 10.6 प्रतिशत (370.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई। सामान्य शब्दों में विदेशी मुद्रा भंडार में (मूल्य निर्धारण प्रभावों सहित) वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्त्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। नवंबर 2017 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर में 12.2 महीनें हो गया जबकि मार्च 2017 के अंत में यह 11.3 महीने थी।

विनिमय दर

1.46 वर्ष 2017-18 के दौरान (दिसंबर 2017 तक) अमेरिकी डालर की तुलना में सामान्यत: रुपए का कारोबार वृद्धिमान दर पर हुआ हालांकि सितंबर 2017 में कुछ-कुछ गिरावट भी दर्ज की गई थीं। दिसंबर 2017 के दौरान 64. 24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने से रुपए में 2.6 प्रतिशत की मजबूती आई जबकि मार्च 2017 के दौरान एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 65.88 रुपए थी जिसका कारण अत्यधिक पूंजी प्रवाह था। अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिमूल्यन की प्रवृत्ति जनवरी में जारी रही है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, औसत आधार पर, अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले में भी रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है। औसतन रूप से (अप्रैल-दिसंबर, 2017 में) अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले भी रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है। रुपए के मूल्य में वृद्धि होना (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर आरईईआर के संदर्भ में) यह दर्शाता है कि भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।

1.47 पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी डॉलर की तुलना में

बॉक्स. 1.2: अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए की स्थिरता

हाल के वर्षों में, बाह्य सेक्टर में हुए विकास की मुख्य विशेषता रुपए और डॉलर के बिलियम दर की स्थिरता और उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की दर में कमी रही है। 2011-12 और 2013-14 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 21 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ था, जबकि 2014-15 और 2016-17 के बीच इसमें 8.8 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ है। 2016-17 के बाद 2017-18 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में औसतन मूल्य में वृद्धि हुई है। वार्षिक औसत दर से औसत दैनिक रुपए-डॉलर के विनिमय दर में होने वाले घट-बढ़ के संबंध में उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की माप की गई है। और उस वार्षिक औसत के घटबढ़ के गुणांक के द्वारा इसे दर्शाया गया है। पिछले चार वर्षों में (2014-15 से 2017-18 (दिसंबर के अंत तक) घटबढ़ का गुणांक बहुत कम रहा है जो एक अधिक स्थिर वर्ष के दौरान (कम घटबढ़) रुपए-डॉलर विनिमय दर को दर्शाता है।

सारणी 1 : रुपए-डॉलर विनिमय दर

	रुपयए/डॉलर विनिमय दर (वर्ष का औसत)	मानक घट-बढ़	घट-बढ़ का गुणांक (प्रतिशत)
2011-12	**47.92**	**3.03**	**6.32**
2012-13	**54.41**	**1.25**	**2.29**
2013-14	**60.50**	**3.06**	**5.05**
2014-15	**61.14**	**1.19**	**1.94**
2015-16	**65.46**	**1.69**	**2.57**
2016-17	**67.07**	**0.71**	**1.06**
2017-18 (दिसंबर की समायित तक)	**64.49**	**0.42**	**0.65**

स्रोत: आर.बी.आई. से उपलब्ध दैनिक विनिमय दर से प्राक्कलित

रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2014-15 और 2016-17 की तुलना में 2011-12 और 2013-14 के बीच मूल्यह्रास का स्तर बहुत अधिक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष उतार-चढ़ाव की दर में भी कमी आई है (बॉक्स 1.2 देखें)।

विदेशी कर्ज

1.48 मार्च 2017 के अंत से सितंबर, 2017 के अंत तक भारत के विदेशी कर्ज के स्टॉक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे यह कर्ज बढ़कर 495.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण में शामिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ जाने के कारण दीर्घावधि के ऋण में वृद्धि हुई है। मुख्यत: व्यापार से संबंधित क्रेडिटों में हुई वृद्धि के कारण अल्पावधि के ऋण में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यत: सरकार के अन्य विदेशी कर्ज के अंश के कारण मूल ऋण में सरकार के हिस्से का ऋण जो मार्च, 2017 की समाप्ति में 19.4 प्रतिशत थी, वह सिंतबर 2017 तक बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गई है जो सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी विशेष निवेश के बढ़ते स्तर को दर्शाया है। विदेशी कर्ज को मार्च 2017 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का 78.4 प्रतिशत था, वह सितंबर 2017 में बढ़कर 80.7 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के वास्तविक परिपक्वता के द्वारा अल्पावधि के ऋण का अनुपात जो मार्च 2017 के अंत में 23.8 प्रतिशत था वह सितंबर 2017 के अंत में घटकर 29.2 प्रतिशत हो गया है।

व्यापार नीति

1.49 वर्ष के दौरान व्यापार नीति में होने वाले दो महत्वपूर्ण सुधार हैं, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा तथा दिसंबर, 2017 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की हालिया बहुपक्षीय वार्ता। व्यापार संभारिकी के मोर्चे पर तथा डंपिंग-रोधी उपायों के संबंध में कुछ प्रगति हुई है। अधिसूचित सेवाओं हेतु टेक्स्टाइल क्षेत्र के दो उप-सेक्टरों के लिए एमईआईएस (मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम) और एसईआईएस (सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम प्रोत्साइनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ-साथ दिसंबर, 2017 में सरकार द्वारा लेदर एवं फुटवियर सेक्टर में रोजगार निर्माण हेतु एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया गया है, जिससे इन सेक्टरों से होने वाले निर्यातों में मदद मिलने की संभावना है।

भारतीय संभारिकी (लॉजिस्टिक) बाजार के वर्ष 2019-20 में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हुए निर्यातों पर संवर्धित संभारिकी का व्यापक प्रभाव है। सरकार ने संभारिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

वर्ष 2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं:

1.50 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का प्राक्कलन है कि वर्ष 2017-18 में जीडीपी विकास की दर 6.5 प्रतिशत पर रहेगी। हालांकि, कुछ ऐसे संकेतक हैं जो विगत कुछ दिनों के दौरान सामने आए है जैसे विनिर्माण सेवाएं पीएमआई, औद्योगिक क्षेत्र का विकास जैसाकि उच्चतर आईआईपी द्वारा परिलक्षित हुआ है, ऑटोमोबाइल विक्रय, इत्यादि, जिनसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी विकास दर सीएसओ के प्राक्कलन की तुलना में थोड़ा-सा अधिक हो सकती है (यह 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के बीच रह सकती है)। वर्ष 2018-19 के लिए संवृद्धि में अनेक कारकों के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष पर, अक्टूबर 2017 में विमोचित आईएमएफ के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है। इससे भारत के निर्यातों में अतिरिक्त तेजी आने की संभावना है जिसने चालू वर्ष में तेजी को पहले की दर्शा दिया है। धनप्रेषणों, जिन्होंने चालू वर्ष की प्रथम छमाही में पुन: प्रवर्तन का संकेत दिया है, में तेजी आने की आशा की जा सकती है, विशेष रूप से यदि तेल की कीमतें चालू वर्ष के अनुरूप ही बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती रहें।

1.51 देश में निवेश गतिविधि के पुन:प्रवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और स्थिर निवेश की वृद्धि में हालिया उछाल के आगामी वर्ष में यही गति बनाए रखने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि महंगाई दर अपने मौजूदा स्तरों से अधिक ऊपर नीचे नहीं होती है तो नीतिगत दरों के पूरी तरह स्थिर बने रहने की आशा की जा सकती है। यह, वैश्विक बाजारों में प्रचलित अभी तक अनुकूल ब्याज दर व्यवस्था के साथ निवेश के वातावरण को और अधिक निश्चितता प्रदान कर सकती हैं। वर्ष 2017-18 में किए गए सुधारात्मक उपायों के वर्ष 2018-19 में भी और सुदृढ़ होने और विकास की गति को बल देने की अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी ओर, उच्च वृद्धि को होने वाले अधोवर्ती जोखिम उच्चतर कच्चे तेल की कीमत से होते हैं, जिनके (वर्तमान संकेतों के अनुसार), वर्ष 2017-18 के लिए लगाया 56-57 अमेरिकी डालर प्रति बैरल (भारतीय बाजार के लिए) के संभावित औसत के ऊपर अधिक से अधिक लगभग 10-15 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ देशों में संरक्षण ावादी नीतियां निर्यात-वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं जबकि विकसित देशों में मौद्रिक शर्तों को कड़ा करने की संभाव्यता से पूंजी के अंत:प्रवाहों में कमी आ सकती है। इस मौद्रिक कठोरता से वित्तीय संकट की संभावना भी हो सकती है और अधोवर्ती जोखिम हो सकता है। इसके समाध ान पर वर्ष 2018-19 में संवृद्धि दर के उच्चतर रहने की मजबूत संभावना है और यह वर्ष 7.0 से 7.5 प्रतिशत के बीच में जीडीपी संवृद्धि दर पर समाप्त होने की संभावना है।

क्षेत्रवार घटनाक्रम

कृषि एवं सहायक सेक्टर

1.52 आम तौर पर अन्य बातों के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट आती है, जोकि भारत में भी देखा जा रहा है। जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 17.4 प्रतिशत हो गया (वर्तमान कीमतों पर)। हालांकि हिस्सेदारी में गिरावट रोजगार, जीविका और खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र के महत्व को नकारता नहीं है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र स्वयं भी हाल के वर्षों में क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। कृषि के जीवीए में पशुधन की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 से लगातार बढ़ रही है जबकि फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 65 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गई है।

1.53 कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए चतुर्थ अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार भारत ने वर्ष 2016-17 के दौरान खाद्यान्न का लगभग 275.7 मिलियन टन रिकार्ड उत्पादन किया। वर्ष 2017 के खरीफ सीजन के दौरान अधिकांश फसलों का अनुमानित उत्पादन पिछले पांच वर्षों के उनके सामान्य उत्पादन की तुलना में अधिक रहने का अनुमान लगाया है। 22 सितंबर, 2017 को रिलीज किए गए प्रथम अग्रिम प्राक्कलन (एई) के

सारणी 5: कृषि क्षेत्र-प्रमुख संकेतक

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (PE)	2017-18 (AE)
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि (2011-12 में वर्तमान कीमतों पर)	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9	2.1
कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (वर्तमान कीमतों पर)	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4	16.4
कुल जीसीएफ में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा, जिसमें से	7.7	9.0	8.3	7.8	na	na
फसल की हिस्सेदारी'	6.5	7.7	6.9	6.5	na	na
पशुधन की हिस्सेदारी'	0.8	0.9	0.8	0.8	na	na
वानिकी और लट्ठे बनाना क्षेत्र*	0.1	0.1	0.1	0.1	na	na
मछली पालन का हिस्सा *	0.4	0.5	0.5	0.5	na	na

नोट*: कुल जीसीएफ में हिस्सेदारी, जोकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017 तथा वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुमानों पर आधारित हैं। एनए: उपलब्ध नहीं
स्रोत: केंद्रीय सांख्यकी कार्यालय

अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 134.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जोकि वर्ष 2016-17 की तुलना में 3.9 मिलियन टन कम था। वर्ष 2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 94.5 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 96.4 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2017-18 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन 8.7 मिलियन टन, गन्ने का 337.7 मिलियन टन, तिलहन का 20.7 मिलियन टन और कपास का 170 किलो ग्राम के 32.3 मिलियन गांठों का अनुमान है।

1.54 यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे-2017 के मुताबिक भारत विश्व में निवल फसली क्षेत्र (179.8 एमएचए) के 9.6 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। अत: भारत में विविध फसल उगाने और कृषि को एक टिकाऊ एवं लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाने की जबर्दस्त क्षमता है। हालांकि फसलों का पैटर्न विभिन्न कारकों, जैसे कृषि जलवायु, जोत का आकार, कीमतें, लाभप्रदता और सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार एक अत्यधिक विविधीकृत फसल पैटर्न को प्राप्त करने के लिए मूल हरित क्रांति वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविध करण कार्यक्रम को लागू कर रही है ताकि धान के क्षेत्रों का सदुपयोग करते हुए वहां जल की कम आवश्यकता वाली फसलें उगाई जा सकें। यह किसानों को लगने वाले कीमत संबंधी झटकों और उत्पादन/फसल हानियों के जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

1.55 कृषि उत्पादकता महत्वपूर्ण इनपुट जैसे सिंचाई, बीज, खाद, क्रेडिट, मशीन, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के उपयुक्त प्रयोग से निर्धारित की जाती है। इनपुट सर्वे (2011-12) के अनुसार कुल परिचालित जोत में से केवल 9.4 प्रतिशत प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं, 27.0 प्रतिशत अधिसूचित किस्मों के बीज का उपयोग करते हैं और केवल 9.8 प्रतिशत हाइब्रिड (संकर) बीजों का उपयोग करते हैं। कुल फसली क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र का अखिल भारतीय प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 34.5 प्रतिशत था जो वर्षा जल पर निर्भर भारत में कृषि का बड़ा हिस्सा बनाता है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सिंचाई क्षेत्र की कवरेज और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रीति से 76.0 लाख हैक्टेयर को शामिल करते हुए 99 मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कमान एरिया विकास की सहायता से मिशन तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

1.56 एनएसएसओ रिपोर्ट (जुलाई 2012-जून 2013) से संकेत प्राप्त हुआ है कि फसल उत्पादन से संबंधित क्रियाकलापों में कार्यरत परिवारों का बहुत ही छोटा हिस्सा अपनी फसलों का बीमा करवाता था। कृषि संबंधित कामकाज में लगे हुए परिवारों को फसल बीमा के बारे

में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जो उपज सूचकांक आधारित बीमा योजना है, और 2016 में शुरू की गई थी, पूर्व की स्कीमों की तुलना में अधिक भूमि को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। खरीफ़ 2016 के मौसम के दौरान 23 राज्यों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया और 2016-17 के रबी के मौसम के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया। दिसंबर, 2017 को यथास्थिति, पीएमएफबीवाई, 116 लाख किसानों (आवेदनों) के लिए कुल 13292 करोड़ रुपए के दावे अनुमोदित किए गए हैं और 12020 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।

उद्योग, कारपोरेट और अवसंरचना निष्पादन

1.57 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), जोकि आधार वर्ष 2011-12 के साथ एक परिमाणात्मक सूचकांक है, दर्शाता है कि औद्योगिक उत्पाद में, अप्रैल-नवंबर, 2017-18 के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की जर्बदस्त वृद्धि तथा खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत की संयत वृद्धि का समग्र प्रभाव है। आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों, यानी, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, इस्पात, सीमेंट और बिजली, जिनका आईआईपी में कुल लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है, में अप्रैल-नवंबर, 2017-18 के दौरान 3.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि धनात्मक रही। इस्पात उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि कच्चे तेल और फर्टिलाइजर उत्पादन में उक्त अवधि के दौरान सीमांत गिरावट हुई। नवंबर, 2017 में आईआईपी ने 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान अप्रैल से नवंबर में यह वृद्धि 3.2 प्रतिशत थीं।

1.58 भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवंबर, 2017 के अंत में उद्योगों में नामिक बकाया क्रेडिट वृद्धि में नवम्बर, 2016 के अंत तक हुई वृद्धि की तुलना में 1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋण क्षेत्र की मंदी के संदर्भ में भारतीय फर्मों द्वारा की गई निधियों की मांग को कुछ हद तक वैकल्पिक स्रोतों, जैसे कि कारपोरेट बांड, विदेशी वाणिज्यिक उधारियां और वाणिज्यिक प्रपत्र इत्यादि द्वारा पूरा किया गया है।

1.59 विश्व बैंक की अद्यतन ''डूइंग बिजनेस रिपोर्ट-2018'' में भारत ने अपनी पूर्ववर्ती 130 रैंक से 30 पायदान की छलांग लगाई है। मूडी इंवेस्टर्स सर्विस ने भी भारत की रेटिंग को नीचे से उठाते हुए Baa 3 से Baa 2 के ग्रेड में रेटिंग की है। यह सब माल और सेवा कर, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कोड और बैंक पुनर्पूंजीकरण की घोषणा के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्टार्ट-अप इंडिया और बौद्धिक अधिकार नीति सहित औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं।

1.60 क्षेत्रवार की गई पहल

- **इस्पातः** चीन, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से किए जाने वाले सस्ते स्टील के आयात की डंपिंग की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने सीमाशुल्क में वृद्धि की है और एंटी-डंपिंग शुल्क अधिरोपित किया है। इसी प्रकार, एक वर्ष की अवधि के लिए, फरवरी, 2016 में कुछ मदों पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) शुरू की। इन उपायों से घरेलू उत्पादकों को मदद मिली और निर्यातों में वृद्धि हुई। फरवरी 2017 में सरकार ने विविध स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्कों की अधिसूचना जारी की। सरकार ने मई 2017 में एक नई इस्पात नीति की शुरूआत की।

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रः** एमएसएमई सेक्टर की बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर प्रदान करने में और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म औद्योगिक यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के लिए पुनः वित्तीयन करने और उनका विकास करने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की लागू की है।

- **वस्त्र और परिधानरू** परिधान फर्मों के सम्मुख आई कुछ समस्याओं के निव.

ारण के लिए, कैबिनेट ने जून, 2016 को परिधान सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें यह पाया गया था कि जून 2016 में इसके लागू होने से, पैकेज का मानव निर्मित धागों (फाइबर) से बने रेडीमेड गारमेंटस (आरएमजी) के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था जबकि इसका ऊन के सिवाय अन्य प्राकृतिक धागों से रेडीमेड गारमेन्ट पर सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। समय के साथ साथ पैकेज का प्रभाव पड़ा और क्षीणन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। सरकार ने दिसंबर 2017 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना अनुमोदित की।

- **चमड़ा क्षेत्र:** चमड़ा क्षेत्र अत्यंत श्रम आधारित क्षेत्र भी है। दिसंबर 2017 में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए, 2600 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली स्कीम की तीन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के लिए घोषणा की गई।

- **रत्न और आभूषण:** भारत रत्नों और आभूषणों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि 2014-15 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 12.8 प्रतिशत हो गई है। इस क्षेत्र को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके लिए आभूषण का डिजाइन तैयार करने, रिफाइनरी हॉल मार्क केन्द्र स्थापित करने आदि तथा विविध आभूषण पार्क तैयार करने में प्रशिक्षण के लिए सरकारी निजी भागीदारी अपेक्षित होगी।

अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादन

1.61 भारत के दीर्घकालीन विकास में सहायता करने के लिए सरकार भवन अवसंरचना पर निवेश में बढ़ोतरी कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन पर अगले पैराओं में चर्चा की गई है।

- **सड़क:** इस सेक्टर में सरकार के प्राथमिक एजेंडा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) बनाने और राज्य राजमार्गों (एसएच) को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की व्यवस्था है। सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में, 115,530 कि.मी. लम्बी सड़कें और राज्य राजमार्ग में 1,60,235 कि.मी. लम्बी सड़कें तथा 52,07,044 कि.मी. लम्बी अन्य सड़कें शामिल हैं। विलंबित परियोजनाओं के तुरन्त समापन के उद्देश्य से, भूमि अर्जन और पर्यावरण संबंधी अनुमति को सरल और कारगर बनाने के लिए विविध कदम उठाए गए हैं। नव व्यापक कार्यक्रम ''भारतमाला परियोजना'' का उद्देश्य एक आदर्श राजमार्ग विकास के लिए अनुकूल संसाधन नियतन प्राप्त करना है।

- **रेलवे:** अप्रैल-सितम्बर, 2017 के दौरान, भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान 531.2 मिलियन टन माल ढुलाई की तुलना में 558.1 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल की ढुलाई की है जो इस अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने रेलवे अवसंरचना विकास पर जोर दिया है। ब्रॉड गेज (बीजी) लाइनों को चालू करने और विद्युतीकरण के कार्य समापन की गति को त्वरित किया गया है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से, दिंसबर, 2017 में, यथास्थिति, संपूर्ण भारत के विविध शहरों में 425 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणालियां चालू है और लगभग 684 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणाली निर्माणाधीन है।

- **पत्तन (बन्दरगाह):** वर्ष 2017-18 में (31-12-2017 तक) प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित कार्गो यातायात वर्ष 2016-17 की समान अवधि के दौरान संचालित 481.8 मिलियन टन कार्गो यातायात की तुलना में 499.4 मिलियन टन हो गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य भारतीय तट रेखा के किनारे पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है, 2.17 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 289 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

- **दूरसंचार:** 'भारत नेट' एवं 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए हैं। सितम्बर, 2017 के

अंत में, कुल ग्राहकों की संख्या 1207 मिलियन हो गई जिसमें से 502 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 705 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे।

- **नागर विमानन:** अप्रैल-सितम्बर, 2017 में, घरेलू एयरलाइनों में 57.5 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की जो पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। सरकार हवाई सेवाओं के उदारीकरण, विमानपत्तन विकास और उड़ान स्कीम के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव जैसी पहल कर रही है।

- विद्युत: अखिल भारतीय स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार 330,861 मेगावाट पहुंच गई है। 1 अप्रैल 2015 को यथास्थिति, कुल 18,542 गाँव अविद्युतीकृत थे जिनमें से 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 15183 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) में ब्याज भार, बिजली की लागत और सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को को कम करके डिस्कामों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। सौभाग्य नामक एक नई स्कीम (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) सितम्बर, 2017 में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाकी सभी इच्छुक परिवारों (घरों) का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था।

सेवाएं

1.62 भारत की सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत के हिस्से के साथ सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक बना हुआ है जो वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य की वृद्धि का लगभग 72.5 प्रतिशत है। यद्यपि वर्ष 2017-18 में इस क्षेत्र की संवृद्धि के 8.3 प्रतिशत होने की उम्मीद की जाती है, किन्तु सेवा निर्यातों और निवल सेवाओं में वृद्धि 2017-18 की प्रथम छमाही में क्रमश: 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

1.63 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जिनके लिए नव आधार (2011-12) सीरीज हेतु डेटा सीएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें से सेवा/सर्विस क्षेत्र 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वृद्धि (जीएसवीए) के आधे से अधिक योगदानकर्त्ता प्रबल क्षेत्र है। इन 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, सर्विस क्षेत्र जीवीए शेयर के संदर्भ में दिल्ली एवं चंडीगढ़ सबसे ऊपर है जिनका हिस्सा 80 प्रतिशत है और सिक्किम सबसे नीचे है जिसका हिस्सा 31.7 प्रतिशत है।

1.64 वर्ष 2016-17 में, सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 क्षेत्र) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ईक्विटी अंतर्वाहों में 0.9 प्रतिशत कम होने पर वह 26.4 बिलियन अमेरिकी डालर रह गए हैं, भले ही, समग्र एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह 8.7 प्रतिशत तक बढ़ा है तथापि, वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की तुलना में इन क्षेत्रों के कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में, मुख्यत: दो क्षेत्रों अर्थात् दूरसंचार तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में उच्च एफडीआई के कारण, 15.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

1.65 वर्ष 2016 में भारत विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं में आठवां सबसे बड़ा निर्यातक (डब्ल्यूटीओ, 2017) रहा जिसका हिस्सा 3.4 प्रतिशत है और यह विश्व में भारत के पण्य निर्यातों के हिस्से का दोगुना है। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वर्ष 2016-17 में 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ सकारात्मक क्षेत्र में लौट आयी जोकि वर्ष 2015-16 में (-)2.4 प्रतिशत थी। अप्रैल-सितम्बर 2017 के दौरान सेवा निर्यात में 16.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और यात्रा एवं सोफ्टवेयर सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कुछ मोड़ आया। भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यातों में भी अप्रैल-सितम्बर, 2017 में 17.4 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वृद्धि दिखाई दी। निवल सेवा प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 के अप्रैल-सितम्बर के दौरान 14.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सेवाओं में निवल बचत से वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में भारत के लगभग 49 प्रतिशत पण्य व्यापार घाटे का लिए वित्तीयन हो गया और इससे चालू खाता घाटे को सहारा मिला।

1.66 भारत में, आने वाले विदेशी पर्यटकों (एफटीए) की संख्या के वर्ष 2016 में 8.8 मिलियन तक पहुँचने के कारण पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2016 में विदेशी मुद्रा आय (एफ.ई.ई) में 22.9 बिलियन अमेरिकी डालर की आय में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम डाटा के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2016 के दौरान पर्यटन संबंधी विदेशी मुद्रा आय में 27.7 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हॉल ही के वर्षों में पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2015 के दौरान भारत से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 20.4 मिलियन थी जो वर्ष 2016 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 21.9 मिलियन हो गई। यह संख्या भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के दोगुने से भी अधिक हैं। घरेलू पर्यटकों की संख्या जहां वर्ष 2015 में 1432 मिलियन थी वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 1614 मिलियन हो गई।

1.67 एनएएसएससीओएम डाटा के अनुसार भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (आईटीबीपीएम) उद्योग में वर्ष 2016-17 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 139.9 बिलियन अमेरिकी डालर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर के अलावा) हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान आईटी-बीपीएम निर्यात में साथ 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ई-कामर्स बाजार में 33 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिलियन अमरीकी डालर हो जाने का अनुमान लगाया गया। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात में 0.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में इसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईटी-आईटीईएस संबंधी कुल निर्यात में लगभग 90 प्रतिशत की भागीदारी अमेरीका, यूके तथा यूरोपीय संघ की रही। इन परंपरागत भौगोलिक परिस्थितियों में नई-नई चुनौतियों के आने से एशिया प्रशांत के देशों (एपीएसी), लेटिन अमरीका और मध्यपूर्व एशिया से मांग बढ़ने से महाद्वीपीय यूरोप, जापान, चीन और अफ्रीका में नए नए नए अवसरों का विस्तार हो रहा है।

1.68 स्थावर संपदा क्षेत्र, में (आवास स्वामित्व सहित) की वर्ष 2015-16 में भारत के समग्र जीवीए में 7.7 प्रतिशत की भागीदारी रही। गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्र के विकास में गिरावट आई है। जहां वर्ष 2013-14 के दौरान यह वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी वहीं 2015-16 में यह घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई। इसका मुख्य कारण आवास स्वामित्व की वृद्धि में गिरावट का आना है। वर्ष 2013-14 में जहां यह वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2015-16 में गिरकर 3.2 प्रतिशत रह गई। एनएचबी के रेजीडैक्स इंडेक्स के अनुसार 50 मुख्य शहरों में से 36 शहरों में अप्रैल-जून 2017 के दौरान मकानों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी जब 13 शहरों में गिरावट दर्ज की गई।

1.69 वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित प्रोफेशनल वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलापों में क्रमश: 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में कार्यरत अनुसंधान और विकास सेवा कंपनियों, जिनकी वैश्विक बाजार में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है, में 12.7 प्रतिशत की रफतार से बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि अनुसंधान और विकास में भारत का कुल व्यय बहुत कम है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 1 प्रतिशत के लगभग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के मामले में भारत वर्तमान में 127 देशों की सूची में 60वें स्थान पर आ गया है जबकि वर्ष 2016 में 66वें स्थान पर था। ग्लोबल कंपीटिटिवनेस रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार इनोवेशन के संबंध में भारत की क्षमता अमेरिका, यूके, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों से बहुत कम है लेकिन चीन से बेहतर स्थिति में है। तथापि, प्रति मिलियन आबादी के हिसाब से पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत ब्रिक्स के अन्य देशों से बहुत अधिक पीछे है और अनुसंधान और विकास पर कंपनी खर्च के मामले में भारत चीन से मामूली पीछे है।

1.70 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में पीएलएलबी में 254 उपग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपत्र किया। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की भागीदारी में भी 2014-15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1.1 प्रतिशत हो गई।

1.71 सरकार ने विभिन्न सेवा क्षेत्रों, जैसेकि डिजीटलीकरण, ई-वीजा, संभार तंत्र संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, स्टार्ट अप इंडिया और हाउसिंग क्षेत्र आदि से संबंधित योजनाओं, में अनेक कदम उठाए हैं जिससे सेवा क्षेत्र में उछाल आने

की संभावना है। पर्यटन, विमानन और दूर संचार जैसे उप-सेक्टरों के अच्छे प्रदर्शन के कारण संभावनाएं उज्जवल प्रतीत हो रही हैं। तथापि, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों को बाहरी कारकों से उत्पन्न जोखिम मौजूद हैं।

सामाजिक अधिसंरचना:

सामाजिक अधिसंरचना पर व्यय

1.72 भारत में 2012-13 से 2014-15 के दौरान समाज सेवा पर किया जाने वाला व्यय जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में 6 प्रतिशत की रेंज में स्थिर रहा है तथा यह 2015-16 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (बी.ई.) में 6.6 प्रतिशत हो गया।

1.73 सभी 29 राज्यों द्वारा तीन वर्षों (अर्थात् 2014-15 से 2016-17 (बजट अनुमान) में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में समाज सेवा पर किया जाने वाला राज्यवार व्यय 6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालाँकि, राज्यों के बजट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समाज सेवा पर किए जाने वाले व्यय के अंश में अंतर-राज्य अंतर बहुत अधिक हैं। 2016-17 में अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, तथा जम्मू और कश्मीर ने समाज सेवा पर जीएसडीपी के सर्वाधिक अंश का व्यय किया है, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब और एनसीटी दिल्ली इस क्षेत्र में सबसे निचले स्थान पर रहा है।

शिक्षा की स्थिति

1.74 शिक्षा का अधिकार सूचकांक, जो शिक्षा की सर्वव्यापकता की प्रभावोत्पादकता को दर्शाता है, के अनुसार, अधिकांश राज्यों में पीटीआर (छात्र शिक्षक अनुपात) प्रतिमानकों द्वारा अनुपालित विद्यालयों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। जीपीआई (लैंगिक समानता सूचकांक) महिलाओं को शिक्षा देने में किए जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के नामांकन में जीपीआई में काफी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि, उच्च शिक्षा में नामांकन के क्षेत्र में लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है, जिसके संबंध में, उच्च शिक्षा में महिलाओं के निवल दाखिले की दर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

1.75 'भारत: देश के राज्यों का स्वास्थ्य' रिपोर्ट, 2017 में पहली बार वर्ष 1990 से 2016 तक की देश के सभी राज्यों से संबंधित बीमारियों और जोखिम घटकों पर निष्कर्षों का व्यापक सेट दिया गया है। कुपोषण अभी भी सर्वाधिक जोखिम घटक (14.6 प्रतिशत) है जिसका परिणाम देश में बीमारी बोझ के रूप में पड़ता है, भले ही इसमें वर्ष 1990 से पर्याप्त गिरावट आ रही है। भारत में कुल बीमारी बोझ का 33 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016 में संक्रामक, मातृक, नवजात, और कुपोषण संबंधी बीमारियों (जिन्हें संक्रामक एवं अनुषंगी बीमारियां कहा जाता है) के कारण था। गैर संक्रामक बीमारियों के योगदान में वर्ष 1990 में 30 प्रतिशत कुल बीमारी बोझ वर्ष 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है और चोट का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। लगभग 5 प्रतिशत स्वास्थ्य हानि असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, और हाथ धोने की पद्धतियों के कारण थी जिसका निवारण सरकार स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन

1.76 कई अध्ययनों से पता चला है कि खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) क्षेत्र होने से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में लाभ हुआ है। भारत को स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक की लागत वहन करनी पड़ती है। स्वस्थ जीवन में स्वच्छता की भूमिका को स्वीकार करते हुए और सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, अक्टूबर 2014 में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 करोड़ थी जो अक्टूबर, 2017 में घटकर 30 करोड़ रह गई; जोकि वर्ष 2014 से पूर्व देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में एक तीव्रतर गति से बदलाव हुआ है।

श्रम सुधार

1.77 भारत में रोजगार सेक्टर अपनी संरचना के अनुसार बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करता है जिस पर अनौपचारिक कामगारों, बेरोजगारी के उच्च स्तरों, कौशल की कमी तथा कठोर श्रम कानूनों और संस्थाओं

से युक्त श्रम बाजारों का प्रभाव है। इस संदर्भ में सरकार मौजूदा कानूनों के संगत प्रावधानों को तैयार कर चार श्रम संहिताएं यानी, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता तथा संरक्षा, एवं काम की दशाओं पर संहिता, बनाकर 38 श्रम अधिनियमों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है।

धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

धारणीय विकास लक्ष्य

1.78 भारत द्वारा चुने गए विकास पथ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित धारणीय विकास के लक्ष्यों के बीच बहुत सी समानताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जिन्हें सितंबर, 2015 में विश्व समुदाय द्वारा अंगीकृत किया गया है, में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है और इनमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कुल 17 एसडीजी हैं जिनके तहत वर्ष 2030 तक 169 लक्ष्य प्राप्त किए जाने निश्चित किए गए हैं।

1.79 न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में धारणीय विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में 19 जुलाई, 2017 को एसडीजी के कार्यान्वयन पर भारत ने अपनी प्रथम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। यह वीएनआर रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं कदमों के तहत हुई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है। वीएनआर रिपोर्ट में 7 एसडीजी पर फोकस किया गया, जो हैं एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन); 2 (शून्य भूख); 3 (उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर जीवन); 5 (लिंग-समानता); 9 (उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना); 14 (जलीय जीवन) और 17 (लक्ष्यों हेतु साझेदारी)।

शहरी भारत और धारणीय विकास

1.80 एसडीजी 11 का नारा है, ''शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और धारणीय बनाएं''। भारत अब ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज की सबसे जरूरी मांग यह है कि शहरों के निवासियों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएं। हालांकि, धारणीय शहरी रूपांतरण के लिए आवश्यक परिमाण में संसाधनों की प्राप्ति एक भयंकर चुनौती सिद्ध हो रही है। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में औसत लागत वसूली 50 प्रतिशत से कम है। इसके आगे विभिन्न नवीन वित्तीय साधनों जैसेकि म्यूनिसिपल बाँड्स, पीपीपी, क्रेडिट जोखिम गारंटी आदि के माध्यम से संसाधन जुटाने में यूएलबी के समक्ष उत्पन्न चुनौती से निपटने की बात है।

धारणीय ऊर्जा की उपलब्धता

1.81 वहनीय विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच का अन्य समस्त लक्ष्यों के साथ गहरा अंतर्संबंध है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अन्य धारणीय विकास उद्देश्यों, जैसेकि उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन, लैंगिक समानता, उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना धारणीय शहर एवं समुदायों आदि से भी संबंधित है।

1.82 भारत में परिवारों की महिलाएं सदस्यों पर जलावन लकड़ी और पानी लाने और खाना पकाने का बोझ गैर आनुपातिक रूप से अधिक रहा है। जो महिलाएं और बच्चे खाना बनाने के कार्य में सीधे लगे हुए हैं अथवा जिनका अत्यधिक समय घरों में ही व्यतीत होता है उन पर घर के भीतर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों में भी गैर आनुपातिक रूप से गिरावट आ रही है। यद्यपि अनेक वर्षों में देश में स्वच्छ भोजन पकाने के विकल्पों तक परिवारों की पहुंच मुहैया कराने में पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी अभी भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक है जिनकी पहुंच भोजन पकाने के स्वच्छ ईंधनों तक नहीं है। इस प्रकार से आधुनिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित होने से जलावन लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए नष्ट हुए समय को कम किया जा सकता है और ऐसा करके बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

1.83 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पिछले संस्करण में रिपोर्ट दी गई है, भारत सरकार ने मई, 2016 में ''प्रधान मंत्री उज्जवला योजना'' (पीएमयूवाई) शुरू की थी और इसे उन्नत किया गया है जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वर्ष 2020 तक 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शन दिए जा सकें। उपर्युक्त स्कीम को पूरा करने के लिए सरकार ''उज्जवला प्लस'' नामक अन्य पहलों को भी लाई है। जिससे ऐसे वंचित व्यक्तियों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं का निवारण होगा जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी) 2011 के तहत नहीं आते हैं। वर्ष

2016-17 के दौरान 3.25 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे जिसमें प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जारी किए गए 2 करोड़ कनेक्शन भी शामिल हैं।

1.84 इसके अलावा, भारत सरकार 2019 तक सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विश्वसनीय और गुणवत्ता बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2015 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम की शुरूआत की गई थी और देश के ग्रामीण और शहरी प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली रहित सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 25 सितम्बर, 2017 को सौभाग्य स्कीम शुरू की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पोर्टल सौभाग्य के अनुसार देश के 18.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.2 करोड़ (78 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंचा दी गई है (16 जनवरी, 2018 की यथास्थिति)। भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में से 18 प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों प्राप्त की गई थी (30 नवंबर, 2017 की यथास्थिति)।

1.85 इंटरनेशनल सोलर एलाइंस (आईएसए) का प्रभावी होना: 30 नवम्बर 2015 को भारत के माननीय प्रध ान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रैंकोइस होलांडे द्वारा शुरू किए गए आईएसए ने 6 दिसम्बर 2017 से कार्य प्रारंभ कर दिया। आईएसए सौर संसाधनों से सम्पन्न राष्ट्रों का संगठन है जो पूर्णत: या अंशत: कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का दोहन करके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है। आईएसए पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आध ारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। आज की तारीख में 46 देश इस पर सहमति दर्ज करा चुके हैं जिनमें से 19 देशों ने आईएसए फ्रेम वर्क एग्रीमेंट का अनुसमर्थन किया है। आईएसए में सौर ऊर्जा के लिए ट्रिलियन डालर के अवसर मौजूद हैं। परिणाम स्वरूप 121 आईएसए सदस्य देशों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों से अर्थव्यवस्था और उद्योग दोनों को लाभ हो सकता है।

भारत और जलवायु परिवर्तन

1.86 भारत ने घरेलू स्तर पर अपनी पर्यावरणीय कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं और संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। भारत सरकार विविध अन्य प्रयासों के अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, सतत् पर्यावास, वानिकी हिमालय पारिस्थितिकी की प्रणाली तथा ज्ञानयुक्त आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन कार्यों से पर्यावरण परिवर्तन संबंधी समस्या का सामना करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता प्रतिबिंबित होती है।

जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं

1.87 वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता मुख्यत: पेरिस करार को लागू करने के लिए नियमों एवं विनियमों को बनाने पर केंद्रित है। यूएनएफसीसीसी (सीओपी 23) में पक्षकार देशों के सम्मेलन के 23वें सत्र में इन देशों ने पेरिस करार के अधीन कार्य से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भारत के लिए सीओपी 23 की मुख्य उपलब्धि यह रही की 2020 के पूर्व जलवायु परिवर्तन के एजेंडा से संबंधित प्रतिबद्धताएं और कार्यान्वयन को सीओपी 23 के निष्कर्षों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि 2020 से पूर्व कार्रवाई एवं योजना पर भावी कदम उठाए जाएं। इस निर्णय में 2020 से पूर्व की विस्तारित योजना पर जोर दिया गया है जोकि 2020 के बाद की विस्तारित योजना के लिए मजबूत आधार रख सकता है। भारत पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम के विभिन्न तत्वों पर अनौपचारिक टिप्पणियों/पाठों पर अपने मत को स्थापित करने में सफल रहा है जिसमें पेरिस करार के लिए राष्ट्रीय अंशदान, अनुकूलन संचार, निष्पक्षता ढांचा, अनुपालन, प्रौद्योगिकी ढांचा, वित्त और नियमों, पद्धतियों और दिशा-निर्देशों के समता निर्माण भी सम्मिलित हैं।

02

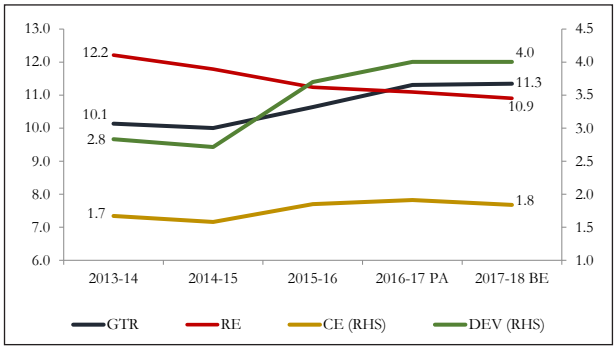
अध्याय

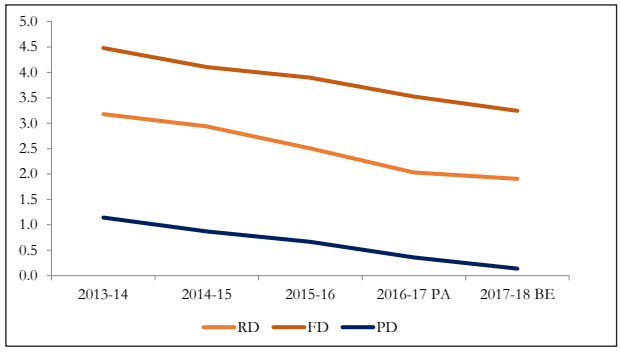
राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा

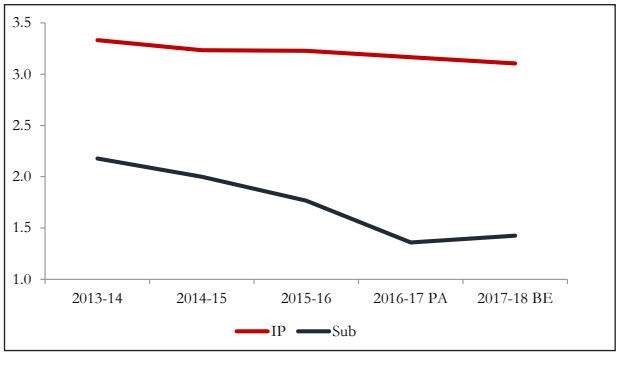
सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पिछले तीन वर्षों में भारत की स्थूल आर्थिक स्थिरता का एक स्तंभ रहा है। इस सख्त व्यवस्था के आधार पर, सरकार ने राज्यों की भागीदारी में, दीर्घ प्रतीक्षित जीएसटी (माल एवं सेवा कर) युग की शुरूआत की। जीएसटी को व्यापक तैयारियों, परिकलनों और बहुआयामी परामर्शों के बाद लागू किया गया था, फिर भी, बदलाव के मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब यह है कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का सावधानीपूर्वक प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। सरकार परिवर्तन और चुनौतियों का पथ प्रदर्शन कर रही है, जिनमें यह संभावना भी शामिल है कि विगत माह के जीएसटी संग्रहों का अत्यधिक हिस्सा अगले वर्ष में जा सकता है। इस बीच, प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के अनुरूप रहने की आशा है तथा व्यय संबंधी योजनाएं व्यापक रूप से नियंत्रण में हैं।

2.1 चालू वर्ष में कर सुधारों को प्रवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त इस सुदृढ़ व्यवस्था को नीचे दिए गए रेखा चित्रों से समझा जा सकता है। राजस्व वृद्धि, व्यय गुणवत्ता, अंतरण और घाटे से संबंधित मुख्य राजकोषीय संकेतकों में पिछले तीन वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

चित्र 1 (क से ग) : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक







केंद्र द्वारा प्राप्तियों, व्यय तथा अंतरण संबंधी रूझानों और बजट अनुमान 2017-18 तक केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति से संबंधित विस्तृत चर्चा आर्थिक समीक्षा 2016-17 के खण्ड-2 में की गई थी इसलिए आगामी खण्डों में इससे बचने का पूरा प्रयास किया गया है। यहां पर मुख्यत: जिन रूझानों की चर्चा की गई है उनका संबंध मुख्यत: चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों से है।

स्रोत: सीजीए, लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार

जीटीआर=सकल कर राजस्व; आरई=राजस्व व्यय; सीई=कैपीटल एक्सपेंडीचर; (पूंजी व्यय); डीईवी=टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेटस (राज्यों के लिए कर हस्तांतरण) आईपी=इंटरेस्ट पेमेंट (ब्याज भुगतान); सब=सब्सिडीज (सब्सिडी); आरडी=रिवेन्यू डेफिसिट (राजस्व घाटा); एफडी=फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा); पीडी=प्राइमरी डेफिसिट (मूलघाटा); पीए=प्रोविजनल एक्चुअल्स (अनंतिम आंकड़े); बीई=बजट एस्टीमेट्स (बजट प्राक्कलन)

केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

क. प्राप्तियां

2.2 केंद्र सरकार के नवंबर 2017 तक के वित्तीय आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) से प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित तालिका के अनुसार नवंबर 2017 (सारणी 1) तक राजस्व के संबंध में तीन विशिष्ट स्वरूप देखने को मिले हैं जिनकी झलक केंद्र की गैर-ऋण प्राप्तियों से संबंधित रूझानों में दिखाई देती है। पहला रूझान तो यह है कि सकल कर संग्रहण पर्याप्त रूप से ट्रैक पर है। दूसरा रूझान यह है कि स्पेक्ट्रम संबंधी बोलियों में मुख्यत: मंदी की प्रवृत्ति के कारण गैर-कर राजस्व में स्पष्टत: अपेक्षित निष्पादन नहीं हुआ है। तीसरा रूझान यह है कि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यत: विनिवेश के कारण गतिमान हुई हैं और बेहतर कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष 16 विनिवेशों और बीमा कंपनियों के सूचीकरण से 17357.5 करोड़ रुपए शामिल है। इन प्राप्तियों से विनिवेश को आगे बढ़ाने, अर्थात् महत्वाकांक्षी बजट अनुमान, के लिए आशा की किरण दिखती है। विनिवेश संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीपीएसई में निवेश प्रबंधन हेतु किए गए उपाय परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं।

2.3 सारणी 1 के सांकेतिक रूझानों की पुष्टि सारणी-2 से होती है। सकल कर राजस्व और निवल कर राजस्व के अन्तर का मुख्य कारण राज्यों को करों का अधिक अन्तरण है। अप्रैल-नवंबर 2017 के दौरान राज्यों के करों का हिस्सा बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया जो कि निवल कर राजस्व से बहुत अधिक है, यही वह राशि है जिसे केन्द्र अपने स्वयं के करों में से खर्च करने के लिए प्रयोग कर सकता है। विनिवेश प्रक्रिया और गैर कर राजस्व परस्पर विरोधी वृद्धि स्वरूप को दर्शाते हैं। विनिवेश राजस्व की स्थिति

सारणी 1: अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियां

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(रु. लाख करोड़ में)			बजट प्राक्कलन का प्रति (पूरे वर्ष के लिए)		
सकल कर राजस्व	7.68	9.33	10.87	53.0	57.2	56.9
निवल कर राजस्व (केंद्र के लिए)	4.65	6.21	6.99	50.5	58.9	57.0
गैर कर राजस्व	1.73	1.75	1.05	78.1	54.2	36.5
राजस्व प्राप्तियां	6.38	7.96	8.05	55.9	57.8	53.1
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.21	0.33	0.62	25.8	48.5	73.3
गैर-ऋण प्राप्तियां	6.59	8.29	8.67	53.9	57.4	54.2

स्रोत: **लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार**

से 46,247 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, वर्ष 2017-18 के लिए 72,500 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का लक्ष्य है। इसमें से 46500 करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से रणनीतिक विनिवेश से 15000 करोड़ रुपए और बीमा कंपनियों के सूचीकरण से 11,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। लगभग 52,378.2 करोड़ रुपए की राशि अप्रैल-नवम्बर 2017 के दौरान अभी तक वसूल की जा चुकी है जिसमें 16 सीपीएसई में माइनोरिटी स्टेक बिक्री से 30,867.0 करोड़ रुपए, एसयूयूटीआई में रणनीतिक धारिताओं के विनिवेश से 4153.6 करोड़ रुपए को मजबूत बनाता है और गैर-कर राजस्व उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है।

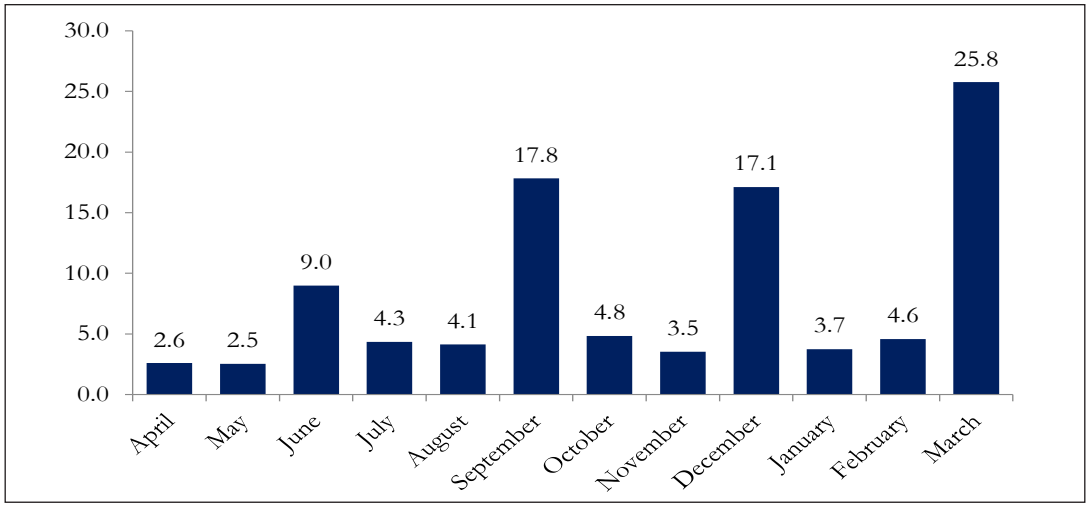
2.4 केन्द्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि गत वर्ष की भांति ही रही है (चित्र-3)। इस बात पर विचार करते हुए कि आधे से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रहण सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अंतिम चार महीनों के दौरान प्राप्त होते हैं, (चित्र-2) चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित बजट लक्ष्य अभी भी पहुँच से दूर नहीं हैं (चित्र-3)। अतिरिक्त संसाधन (एआरएम) जुटाने से गत दो वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में उछाल आया था जिसका श्रेय उपभोक्ताओं के माध्यम से

सारणी 2: प्राप्तियों की मदों में वृद्धि (प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		अप्रैल-नवम्बर		
सकल कर राजस्व	6.5	20.8	21.5	16.5
निवल कर राजस्व	4.3	12.5	33.6	12.6
गैर कर राजस्व	20.5	34.9	1.0	-39.7
कुल राजस्व प्राप्तियां	7.8	17.8	24.8	1.1
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	-17.3	180.3	57.1	89.9
गैर ऋण प्राप्तियां	7.3	20	25.8	4.6

स्रोत : सीजीए, भारत सरकार

चित्र 2: प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में मासिक अंशदान* (प्रतिशत में): औसत 2014-15 से 2016-17

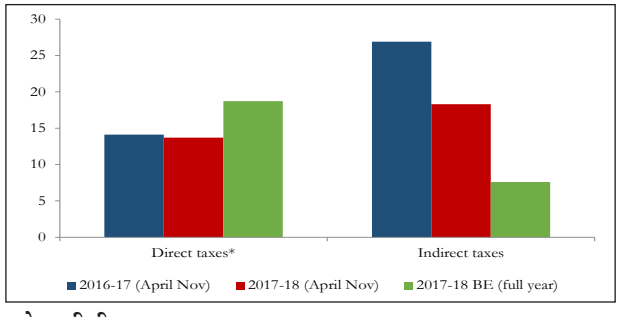


स्रोत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार

*** यहां पर जिन प्रत्यक्ष करों पर चर्चा की गई है उनमें केवल व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आय कर शामिल है**

पेट्रोलियम कीमतों और विकासात्मक निधियों संबंधी वृद्धि को जाता है। इस बात पर विचार करते हुए कि चालू वर्ष के दौरान में कोई उल्लेखनीय एआरएम उपाय नहीं किया गया है जिससे पहले आठ महीनों के दौरान अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि संतोषप्रद है। पूर्ण 2017-18 वर्ष के संबंध में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट में केवल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। अब तक 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों में अन्तिम परिणाम केन्द्र और राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर लेखाओं के

चित्र 3: केन्द्रीय करों में वृद्धि (प्रतिशत)



***स्रोत:* सीजीए, भारत सरकार**

*** यहां पर जिन प्रत्यक्ष करों पर चर्चा की गई है उनमें केवल व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आय कर शामिल है**

समाधान पर निर्भर करेगा और इसी प्रकार से केवल ग्यारह महीनों (आयातों से संबंधित आईजीएसटी को छोड़कर) के लिए करों की वसूली की जाएगी।

ख: व्यय एवं घाटा:

2.5 अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान केन्द्रीय सरकार का व्यय अत्यधिक तेजी से बढ़ा है (सारणी 3 एवं 4)। चालू वर्ष में बजट चक्र को लगभग एक माह पहले शुरू करना एक महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार रहा है। इससे एजेंसियों को वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से योजना बनाने और उसको शीघ्र लागू करने में आसानी होती है। इस दृष्टिकोण से इससे चालू वर्ष में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में तदनुरूप अवधि में अब तक घाटे में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है (सारणी 5)

2.6 निम्नलिखित सारणी 5 में देखी जाने वाली राजकोषीय एवं राजस्व घाटे की प्रवृत्तियाँ गैर-ऋण प्राप्तियों (ऊपर सारण ी 1 एवं 2 में यथाप्रदर्शित) और व्यय संबंधी स्वरूपों का संयुक्त प्रभाव हैं। व्यय की प्रारांभिक वृद्धि से भिन्न अप्रैल-नवंबर, 2017 के दौरान बजटीय लक्ष्य को पार कर जाने वाला राजकोषीय घाटा भी, विवेकशील व्यय प्रबंधन के भाग के रूप में किए गए कुछ व्यय की फ्रंट-लोडिंग के कारण हुआ है। इस बात के होते हुए भी, तालिका 5 यह दर्शाती है कि चालू वर्ष में प्रारंभिक आठ माह के दौरान राजस्व एवं राजकोषीय दोनों घाटे दबाव में थे और पूरे वर्ष के बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने के

सारणी 3: अप्रैल-नवम्बर के दौरान केन्द्रीय सरकार का व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(रुपये लाख करोड़ में)			बसंत प्राक्कलन का प्रतिशत		
कुल व्यय	11.42	12.87	14.79	64.3	65.0	68.9
राजस्व व्यय	9.83	11.44	12.95	64.0	66.1	70.5
पूंजीगत व्यय	1.59	1.42	1.84	65.8	57.7	59.5

स्रोत: सीजीए, भारत सरकार

सारणी 4: व्यय के मदों में वृद्धि (प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	अप्रैल-नवम्बर			
कुल व्यय	5.2	6.3	12.6	14.9
राजस्व व्यय	6.4	3.2	16.4	13.1
पूंजीगत व्यय	-3.2	30.8	-10.4	29.3

स्रोत: सीजीए, भारत सरकार

सारणी 5: अप्रैल-नवंबर के दौरान केन्द्रीय सरकार के घाटे के संकेतक

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(लाख करोड़ रु.)			बजट प्राक्कलन का प्रतिशत		
राजस्व घाटा	3.45	3.48	4.90	87.5	98.6	124.9
राजकोषीय घाटा	4.84	4.58	6.12	87.0	85.8	112.0

स्रोत: सीसीए, भारत सरकार

चालू वर्ष के किसी भी मध्यवर्ती बिन्दु पर बजट प्राक्लन के प्रतिशत और इसकी वृद्धि दरों, दोनों ही मामले में व्यय संबंधी प्रवृत्तियों की पूर्ववर्त्ती वर्षों की प्रवृत्तियों से तुलना नहीं हो सकती (सारणी 3 एवं 4)।

लिए चिह्नित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2.7 राजस्व व्यय में संचलनों को, ब्याज संदाय देयताओं और सब्सिडी संदायों में परिवर्तनों द्वारा व्यापक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है (सारणी 6) अप्रैल-नवंबर, 2017 के दौरान ब्याज संबंधी देयताओं में संयत रूप में वृद्धि हुई है और इसका संभावित कारण नोटबंदी के बाद अत्यधिक तरलता को कम करने के लिए जारी बाजार स्थिरीकरण बॉण्ड्स की व्यवस्था संबंधी निर्गमों का होना है। खाद्य सब्सिडी में केवल मध्यम वृद्धि हुई है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के यथोचित प्रबंधन तथा खाद्यान्नों के प्रबंधन (उठाई-धराई) संबंधी आर्थिक लागत को नियंत्रित रखे जाने के कारण संम्भव हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से होने वाली हानि के साथ, पेट्रोलियम सब्सिडी को सुदृढ़ किया गया है। समग्र रूप में विभिन्न तरह की सब्सिडी प्राय: नियंत्रण में और लक्ष्य के भीतर हैं। सातवें वेतन आयोग के तहत वर्धित भुगतानों को परिलक्षित करने वाले, प्रथम आठ माह के दौरान पेंशन पर होने वाले व्यय में अत्याधिक वृद्धि हुई है।

राज्य और केन्द्र सरकार

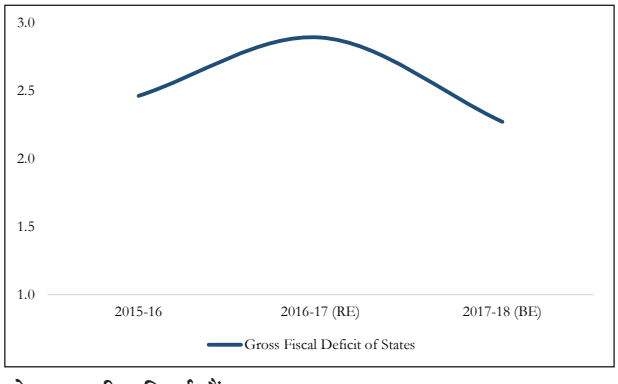
2.8 चित्र 4 और सारणी 7 दर्शाता है कि राज्य सरकारों ने, पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान अपने राजकोषीय संतुलनों में

सारणी 6: राजस्व व्यय के कुछ मुख्य घटक

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	अप्रैल-नवम्बर (बजट आकलन का प्रतिशत)			अप्रैल-नवम्बर (प्रतिशत वृद्धि)		
ब्याज भुगतान	55.4	54.1	59.2	8.6	5.6	16.2
खाद्य सब्सिडी	81.4	91.3	93.1	11.1	21.6	9.9
उर्वरक सब्सिडी	85.4	79.7	70.5	7.6	-10.5	-11.5
पेट्रोलियम सब्सिडी	82.6	65.2	85.7	-46.6	-23.8	13.3
प्रमुख सब्सिडी	82.9	85.3	85.7	-3.6	5.0	4.2
वेतन एवं पेंशन	52.9	52.5	61.6	3.2	28.5	22.5

स्रोत : सीजीए, भारत सरकार

चित्र 4: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों(*) का राजकोषीय घाटा:



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक;
***टिप्पणी: घाटे से संबंधित आंकड़े केवल 26 राज्यों के हैं: आरई=संशोधित आकलन; बीई=बजट आकलन**

'उदय' (यूडीएआई) के कारण होने वाले विपथन के बाद, चालू वर्ष में समेकन को लक्षित किया है। उदय बॉण्ड्स का वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में राज्य घाटे पर क्रमश: जीडीपी के 0.5 और 0.6 प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है।

2.9 21 राज्य सरकारों जिनकी भागीदारी कुल जीएसडीपी का लगभग 86 प्रतिशत है और जिनके लिए तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध हैं की स्थिति दर्शाती है कि वृद्धि और समनुरूपी बजट प्राक्लन के मामले में उनकी राजस्व प्राप्तियों का तालमेल विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के अनुरूप है। इसके अलावा, समनुरूपी बजट प्राक्लन (चित्र 5) के प्रतिशत के रूप में 23 राज्यों के राजस्व और वित्तीय दोनों ही घाटों के आँकड़े दर्शाते हैं कि विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के आँकड़ों का प्रतिशत कम है (चित्र 6)।

2.10 चालू और विगत वर्ष की अप्रैल-दिसम्बर की अवधि

तालिका 7: केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था (जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17 (सं. आकलन)	2017-18 (बजट आकलन)
कर प्राप्तियां	8.3	8.6	8.9
राज्यों के अपने कर राजस्व	5.3	5.5	5.6
गैर-कर प्राप्तियां	2.9	3.7	3.7
पूंजीगत प्राप्तियां	14.3	15.9	16.0
राजस्व संविरण	11.3	12.6	12.5
पूंजी संविरण	3.0	3.3	3.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

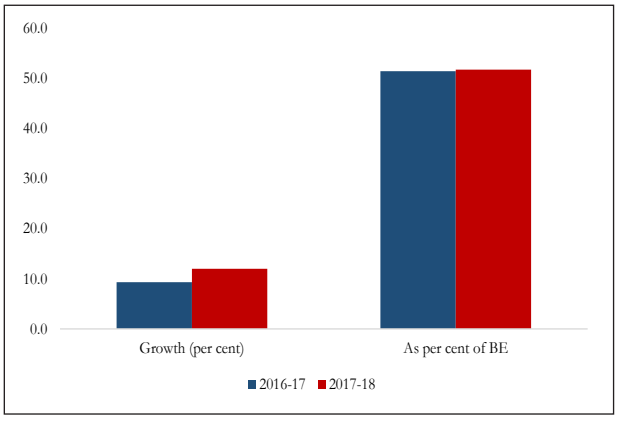
टिप्पणी: आर.ई.: संशोधित प्राकलन; बीई: बजट प्राकलन; आंकड़े 26 राज्यों के हैं।

के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई रिपोर्ट (5 जनवरी, 2018 की प्रैस विज्ञप्ति) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया उधार जीडीपी के 2.1 प्रतिशत के बराबर है (प्रत्येक का क्रमश: उधार 2493. 0 बिलियन और 2351.6 बिलियन)। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी द्वारा बाज़ार से उधार की प्रमात्रा चौथी तिमाही के दौरान 1,262.0 बिलियन और 1382.0 बिलियन के बीच होने की संभावना है। इसका अभिप्राय यह है कि ये 2017-18 के लिए एक साथ लाए गए राज्य जी.डी.पी. के राजकोषीय घाटे (चित्र 4) के लक्षित स्तर के निकट होगा, यदि चतुर्थ तिमाही में ऋण की योजना का पालन किया जाता है यदि वित्तपोषण के किसी अन्य साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

2.11 जीडीपी को 0.3 प्रतिशत प्वाइंट कम करते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के वर्ष 2017-18 (चित्र 4) के लक्ष्य के साथ युग्मित, इसका यह अभिप्राय है कि राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में मध्यम सुधार में दबाव के कारण संवर्धित चालू वर्ष में इसकी राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार करना केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य है। (चित्र 7 तथा सारणी 8)

2.12 कुल मिलाकर, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि

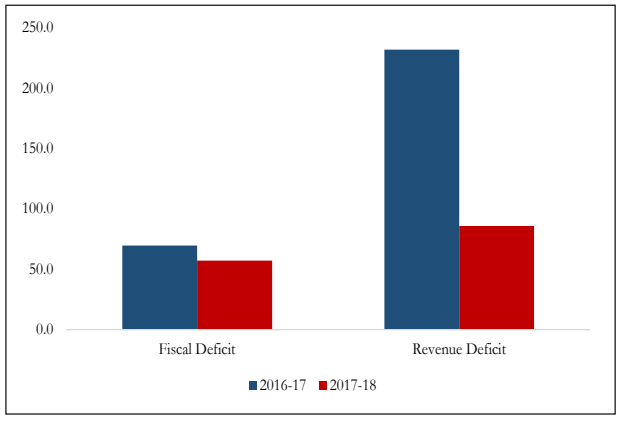
चित्र 5: अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ



स्रोत: सी.ए.सी.

नोट : सूचना 21 राज्यों से संबंधित है

चित्र 6: अप्रैल-नवंबर के दौरान बजट अनुमान के % के रूप में घाटे



स्रोत: सी.ए.सी.

नोट : सूचना 23 राज्यों से संबंधित है

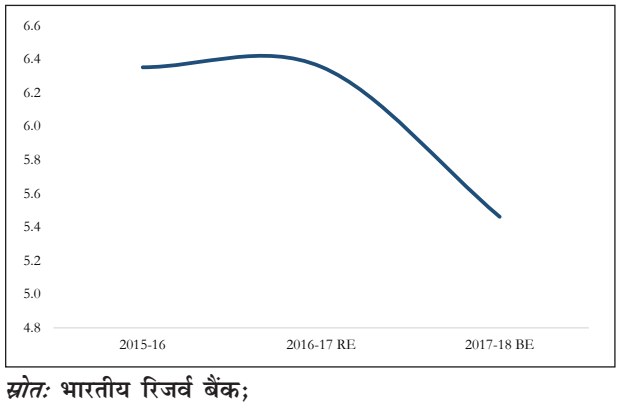
सारणी 8: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संविवरण (जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17 (RE)	2017-18 (BE)
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	18.3	20.5	20.6
कर राजस्व	15.2	15.9	16.1
गैर कर राजस्व	2.7	4.3	3.8
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.4	0.4	0.7
कुल संवितरण	24.7	26.9	26.1
राजस्व	20.5	22.5	21.7
पूंजी (*)	4.2	4.4	4.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय बजट 2017-18

नोट : आर.ई.: संशोधित प्राक्कलन, बीई: बजट प्राकलन, डाटा अनंतिम है और 26 राज्यों (*) के बजट से संबंधित है। पूंजी संवितरणों में सार्वजनिक लेखा शामिल नहीं हैं, किन्तु इसमें ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चित्र 7: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार(*) का राजकोषीय घाटा:



***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक;**
****टिप्पणी:* घाटे से संबंधित आंकड़े केवल 26 राज्यों के हैं: आरई=संशोधित आकलन; बीई=बजट आकलन**

जी.एस.टी. से सरकार को कितने अनुमानित राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, बजट अनुमान की तुलना में राजकोषीय जमाशेष चतुर्थ तिमाही में राजस्व व्यय के उभरते हुए स्वरूप और बैंकों के पुन: पूंजीकरण में सरकार की देयताओं पर निर्भर करेगा। जी.एस.टी. लागू करने से संबंधित जटिलताओं पर विचार करते हुए यह प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रारंभिक चरण को उचित रूप से शुरू कर रही है। कई अंशाकन के उपायों, जिसमें कर की दरों में संशोधन करना शामिल है, के माध्यम से करदाताओं के विभिन्न वर्गों की कठिनाइयों का निवारण किया जा रहा है, जिसकी चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है।

परिशिष्ट 1

वर्ष 2017-18 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां

क. 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन

- तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ओ क्जाइलीन वनस्पति चर्म शोधन सार, निकल, मध्यम गुणवत्ता के टेरेप्थैलिक अम्ल और क्वालीफाइड टेरेप्थैलिक अम्ल, कुछ खास विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रयोग के लिए हॉट रोलित कोइलों, पोलि कार्बोक्सीलेट ईथर के निर्माण के लिए विनाइल पोलिथिलेन ग्लाइकोल, विनिर्दिष्ट प्रिन्टरों के निर्माण के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियों, स्याही कारट्रिज, स्याही स्प्रे नॉजल, सेलूलर मोबाइल फोनों और बेस स्टेशनों, सोलर शेलों/पैनलों/मापांकों के निर्माण के लिए सोलर मंदित शीशा, विनिर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए रेसिन एवं उत्प्रेरक, एलईडी लैम्प सहित एलईडी लाइटों या स्थिरकों के निर्माण के लिए सभी पुर्जों आदि जैसे आदानों और कच्ची सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क को कम किया गया था।
- मूल सीमा शुल्क महत्वपूर्ण मात्रा में स्थानीय रूप से निर्मित विनिर्दिष्ट सामग्रियों पर बढ़ाया गया था जिनमें मानव निर्मित फाइबरों पर फैब्रिक्स की 298 मदों पर मूल्यानुसार घटक, विनिर्दिष्ट दूरसंचार ग्रेड ऑप्टीकल फाइबर केबिलों के निर्माण के लिए को-पोलिमर कोटित एमएस स्टील टेप/स्टेनलैस स्टील टेप, विनिर्दिष्ट प्रिंटर, स्याही कारट्रिज, स्याही स्प्रे नॉजल, सेलूलर मोबाइल फोन और उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे, बेस स्टेशन, माइक्रोवेव, ओवन, टेलीविजन, एलईडी लैम्प, विनिर्दिष्ट लैम्प और लाइट फिटिंग, वीडियो रिकार्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग उपकरण, विद्युत मीटर, टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर, एलसीडी, एलईडी अथवा टेलीविजन के निर्माण के लिए ओएलईडी पैनल, घरेलू किस्म के फिल्टरों के लिए आरओ झिल्ली तत्व, काजू आदि भी शामिल हैं।
- अन्य एल्यूमीनियम अयस्कों, लेटराइट सहित, पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया था।
- किसानों और कृषि उत्पादों के स्थानीय उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए, खाद्य ग्रेड के कच्चे और परिष्कृत ताड़ के तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, खाद्य ग्रेड के परिष्कृत सूरजमुखी तेल, कच्चे एवं परिष्कृत सोयाबीन तेल, कैनोला तेल, सरसों तेल और कोल्जा तेल सहित कच्चा और परिष्कृत रेपसीड तेल पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की गई थी।

ख. जीएसटी की शुरूआत

ऐतिहासिक कर सुधार में, लगभग सभी मुख्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट (वीएटी), सीएसटी, मनोरंजन कर, चुंगी विलास कर, उपकरों/उपप्रभारों की बड़ी संख्या और माल और सेवाओं पर विविध अन्य राज्य और केंद्रीय उदग्रहणों को सम्मिलित करते हुए पहली जुलाई, 2017 से माल और सेवाकर लागू किया गया।

क. जीएसटी के तहत समस्याओं को दूर करना

व्यापार प्रक्रियाओं (यथा प्रवास, पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना और पार्टल पर धन की वापसी) जीएसटी दरों, अनुपालन में एमएसएमई सेक्टर के समक्ष आने वाली समस्याओं, धन वापसी में विलंब के कारण निर्यातकों के नकद प्रवाह मुद्दों से सम्बद्ध हितधारकों द्वारा प्रश्न उठाए गए। आईटी मुद्दों पर परामर्श करने के लिए, जीओएम (मंत्रियों का समूह) का गठन किया गया जिसने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। अन्य जीओएम ने एमएसएमई के मुद्दों पर विचार किया। निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान के लिए निर्यात से संबंधित समिति का गठन किया गया। दरों में महत्वपूर्ण यौक्तिकरण की जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसा की गई है। कर ढ़ांचे को सरल और कारगर बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता का एकल इंटरफेस (या तो केंद्रीय अथवा राज्य कर प्राधिकरण) हो, इसके लिए गहन कवायद की गई। अधिकारियों की समितियों ने विधिक और कार्यवाही तथा हस्तकला जैसे क्षेत्रीय मुद्दों की जांच की। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए बहुत से प्रकार्यात्मक परिवर्तन किए गए हैं। करदाताओं को शिक्षित करने और, जानकारी की भागेदारी के माध्यम से सुविधाएं देने के लिए, सूचना के प्रसार और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हुए गहन प्रयास किए गए। इन प्रयासों के कारण जीएसटी कार्यान्वयन सरल हुआ है और इसे और अधिक सरल बनाने के लिए आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. जीएसटी को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदम

I. **माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद संस्थाओं के छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार करना आसान हुआ है।** 20 लाख रुपये तक की कुल कारोबार की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्यत: संयोजन के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये (जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए रुपए 75 लाख) कर दिया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से संबंधित अन्य सुधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

* ऐसे सेवा प्रदाता जिनका कुल वार्षिक कारोबार रु. 20 लाख (जम्मू-कश्मीर के अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए रु. 10 लाख) से कम है, को पंजीकरण से छूट प्रदान की गई थी। यदि सेवा प्रदाता सेवाओं का अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति कर रहा है, तो भी उक्त छूट रु. 20 लाख के कारोबार पर जारी रहेगी। इस उपाय से लघु सेवा प्रदाताओं की अनुपालन लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

---

* इस परिशिष्ट में उल्लिखित उपाय और दर परिवर्तन का उल्लेख सामान्य पाठकों के लिए ही है और करदाताओं के लिए इनकी कोई उपादेयता नहीं होगी।

* 1.5 करोड़ रुपये तक का कुल वार्षिक कारोबार करने वाले लघु और मध्यम कारोबारियों को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। (अन्य करदाताओं को मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी)

* सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के भाग 9 के उप-भाग (4) के अधीन और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के भाग 5 के उप-भाग (4) के अधीन प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) को 31.3.2018 तक निलंबित कर दिया गया।

* प्राप्त किए गए अग्रिमों पर जीएसटी भुगतान से संबंधित अनिवार्यता लघु डीलरों और विनिर्माताओं के लिए बोझिल सिद्ध हो रही थी। इस मद में उनकी असुविधा को कम करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि रुपये 1.5 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति के मद में प्राप्त हुए अग्रिमों पर जीएसटी भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

ii माल के लिए जीएसटी दर संरचना को तर्क संगत बनाना:-

जीएसटी के लागू होने के बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए दरों को तर्क संगत बनाया गया। जीएसटीएससी परिषद ने 10 नवम्बर, 2017 को अपनी एक बैठक में प्रमुख निर्णय लिए जो इस प्रकार हैं:-

28% से 18%:- 28% जीएसटी निर्धारित माल (वस्तुओं) के 228 टैरिफ शीर्षकों की सूची में पर्याप्त कमी करते हुए (4 डिजिट के कुल टैरिफ शीर्षकों का लगभग 18.5%) केवल 50 टैरिफ शीर्षक रखे गए, जिनपर कर को 18% (4-डिजिट के कुल टैरिफ शीर्षकों का लगभग 4%) तक कम किया गया। जिन मदों के संबंध में शुल्कों में कमी की गई वे हैं:- तार, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेट्रिकल कनेक्टर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, पैनल, कंसोल, विद्युत नियंत्रण या वितरण के लिए कैबिनेट आदि, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड और प्लाईवुड, लकड़ी का सामान, काष्ठ फ्रेम, खड़ंजा लगाने वाले ब्लॉक, फर्नीचर, मैट्रेस, बेडिंग एवं बेडिंग संबंधी अन्य फर्नीशिंग, ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, ब्रीफकेस, ट्रेवलिंग बैग व अन्य हैंड बैग, आवरण (केस); डिटरजेंट, वाशिंग एवं क्लीनिंग निर्मितियां, त्वचा की सफाई के लिए लिक्विड या क्रीम, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाई (नैचुरल, हर्बल या सिंथेटिक) एवं इस तरह की अन्य चीजें, हिना पाउडर या पेस्ट जिसमें कोई अन्य अवयव न मिला हो, प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव निर्मितियां, पर्सनल डियोड्रेंट, बाथ प्रीपेयरेशंस, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक या टॉयलेट निर्मितियां, रूम डियोड्राइजर्स, परफ्यूम और टॉयलेट वाटर्स, ब्यूटी या मेक-अप निर्मितियां, फैन, पंप, कम्प्रेसर, लैम्प और लाइटफिटिंग; प्राइमरी सेल एवं प्राइमरी बैटरियां, सैनिट्रीवेयर एवं इसके सभी प्रकार के पार्ट्स, प्लास्टिक की वस्तुएं, फ्लोर कवरिंग, बाथ, शॉवर, सिंक, वाशबेसिन, सीट्स, प्लास्टिक का सेनेट्री वेयर, मार्बल एवं ग्रेनाइट के स्लैब, मार्बल व ग्रेनाइट की वस्तुएं जैसे कि टाइलें आदि, सभी प्रकार की सिरेमिक टाइलें, चॉकलेट, च्युइंगम/बबलगम

18% से 12%:- वर्गीकरण संबंधी विवादों के न्यूनीकरण के लिए, निम्नलिखित माल पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया:-कंडेंस्ड मिल्क, रिफाइंड शुगर व शुगर क्यूब्स, पास्ता, करी पेस्ट, मेयोनीज एवं सलाद ड्रेसिंग, मिक्स्ड कंडीमेंट्स और मिक्स्ड सीजनिंग, डायबिटिक फूड, औषधीय श्रेणी की ऑक्सीजन, मुद्रण स्याही, जूट और कॉटन के हैंड बैग और शॉपिंग बैग, हैट/टोपियां (बुनी हुई या क्रोशेटेड), कृषि, बागवानी, वानिकी, हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीनरी के विनिर्दिष्ट पुरजे, सिलाई मशीन के विनिर्दिष्ट पुरजे, चश्मे के फ्रेम, बांस या केन से पूर्णत: निर्मित फर्नीचर।

18% से 5%:- अरवा चावल की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, रेवड़ी, तिल रेवड़ी, खाजा, कजौली, मूंगफली का मीठा गट्टा, कुलिया, ब्रांड नाम वाले यूनिट कंटेनर में बंद आलू का आटा, चटनी पाउडर, फ्लाई ऐश, कच्चे माल के शोधन में प्रयुक्त गंधक, कुल 90 प्रतिशत अथवा अधिक फ्लाई ऐश युक्त फ्लाई ऐश समग्र।

12% से 5%:- सूखा नारियल, सूती निवाड़ सहित बारीक बुना कपड़ा (प्रयुक्त न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी नहीं) इडली-डोसा घोल, शोधित चमड़ा, सांभर चर्म तथा मिश्रित चमड़ा, जूट के जहाजी रस्से तथा रस्सियां, जूट की सुतली, जूट के उत्पाद, मछली पकड़ने का जाल तथा कांटे, पुराने कपड़े, फ्लाई ऐश की ईंटें।

5% से शून्य:- ग्वार भोजन, होप भुट्टा (बिना पिसा, चूर्ण अथवा गोलियों से भिन्न), कतिपय सूखी सब्जियां जैसेकि शकरकंद, गूदे रहित नारियल का खोपड़ा, फ्रोजन अथवा सूखी मछली (ब्रांड नाम वाले डिब्बे में न रखी गई हो), खांडसारी बूरा खांड।

वस्तु एवं सेवाकर दरों में अन्य उल्लेखनीय तार्किक उपाय: धूपबत्ती, धूप, संभरणी तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवाकर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5% किया गया, खादी वस्त्रों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की दुकानों के माध्यम से की गई खरीद और ऐसी ही अन्य मदों पर वस्तु एवं सेवाकर को 5% से घटाकर शून्य किया गया, हस्त शिल्प पर सेवा एवं वस्तुकर को 28 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत किया गया, सिंथेटिक धागे पर सेवा एवं वस्तुकर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया, प्लास्टिक, काँच, कागज अथवा रबर स्क्रैप पर वस्तु एवं सेवाकर को 18% से घटाकर 5% किया गया; ई-कचरे पर वस्तु एवं सेवाकर को 18% से घटाकर 5% किया गया।

iii सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवाकर दर की तर्क संगतता।

18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत:-निर्माण कार्य संविदा सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति: (क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा निर्माण अथवा उत्थापन, स्थापना, संस्थापना, पूर्णता, फिटिंग, मरम्मत, अनुरक्षण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन संबंधी कार्य करने वाली सरकारी संस्था; (ख) ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल अथवा राष्ट्रीय महत्व के खंडहर, पुरातात्विक खुदाई, अथवा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं खंडहर अधिनियम 1958 (1958 का संख्यांक 24) के अन्तर्गत विहित प्राचीन धरोहर; (ग) नहर बांध अथवा अन्य सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य; (घ) (i) जलापूर्ति (ii) जलशोधन अथवा गंदे पानी के शोधन अथवा निपटान के लिए पाइप लाइन अथवा कंड्यूट

पाइप अथवा संयंत्र; (ङ) मुख्यत: वाणिज्य, उद्योग अथवा किसी अन्य व्यवसाय अथवा पेशे से भिन्न उपयोग के लिए सिविल ढांचे अथवा किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य; (च) मुख्यत: शैक्षिक, क्लिनिकल अथवा कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना संबंधी ढांचा; (छ) मुख्यत: मृदा संबंधी कार्य जिसमें भू निर्माणकार्य संविदा के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक है;

(क) सड़क-पुल, सुरंग अथवा आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सड़क परिवहन के लिए टर्मिनल; (ख) किसी कारखाने के भाग के रूप में स्थित व्यवस्था को छोड़कर कोई प्रदूषण नियंत्रण अथवा अपशिष्ट शोधन संयंत्र; अथवा– (ग) श्मशान, कब्रिस्तान अथवा अंतिम संस्कार संबंधी भवन के निर्माण, उत्थापन, शुरू करने/स्थापित करने, पूरा करने, फिटिंग करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, जीर्णोद्धार करने अथवा परिवर्तन करने के लिए आपूर्ति।

(क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो के अलावा; (ख) कृषि उत्पादों के लिए कटाई पश्चात् भंडारण जिसमें ऐसे प्रयोजनार्थ कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है; (ग) शराब के अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में कृषि उत्पाद संबंधी प्रसंस्करण इकाईयों के लिए मशीनीकृत अनाज हैण्डलिंग प्रणाली, मशीनरी अथवा उपकरण से संबंधित निर्माण कार्य, उत्थापन, शुरू करने अथवा मूल निर्माणकार्य की स्थापना करने के लिए आपूर्ति।

तटीय आधार रेखा के निकटतम बिन्दु से 12 समुद्री मील से आगे के अपतटीय क्षेत्र में तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एवं पी) के लिए अपतटीय निर्माण कार्य संविदा से संबंधित संगत सेवाएं।

- छाता विनिर्माण से संबंधित सेवा कार्य के तौर पर प्रदत्त सेवाएं; अध्याय 48 या 49 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे समस्त माल का मुद्रण, जिसमें @ 6% सी.जी.एस.टी. लगाया जा सकता है।
- यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए मोटर वाहन द्वारा किए जाने वाले परिवहन में, जहां ईंधन की लागत सेवा प्रापण से लिए जाने वाले प्रभारित शुल्क में शामिल है।
- यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए मोटर वाहनों को किराये पर लेने में, जहां ईंधन की लागत सेवा प्रापण से लिए जाने वाले प्रभारित शुल्क में शामिल है।
- पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैसों का परिवहन।
- वस्तुओं के परिवहन से संबंधित वस्तु परिवहन एजेंसी (जी.टी.ए.) के द्वारा की जाने वाली सेवा (जो आगे के प्रचार के लिए जी.टी.ए. के विकल्प को स्वीकार करते हैं)।

12 प्रतिशत की प्रभावी दर को 8 प्रतिशत तक घटा देना: भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्सों में संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्य सेवा की संयुक्त आपूर्ति।

- (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना के अधीन योजनाओं से संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य; (ख) केवल बस्तियों के मौजूदा निवासियों के संबंध में सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करके बस्तियों के मौजूदा निवासियों के स्वस्थानी पुनर्वास'' से संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य; (ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''लाभार्थी आधारित वैयक्तिक गृह निर्माण/संवृद्धि'' में संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य के निर्माण, परिनिर्माण, कंडीशनिंग, अधिष्ठापन, फिलिंग, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन से संबंधित आपूर्ति।

(क) आवासीय परिसर के एक भाग के रूप के अलावा एक एकल आवासीय यूनिट (ख) भारत सरकार के आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित 'वहनीय आवासन साझेदारी स्कीम' के अधीन अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन परियोजना में 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया तक प्रति आवास के निम्न लागत वाले मकान (1) सभी (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवासन के घटक ''वहनीय आवासन साझेदारी'' (2) राज्य सरकार के किसी आवासन स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन योजना में प्रति आवास 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया तक निम्न लागत वाले मकान से संबंधित निर्माण, अभिभाव, चालू करने अथवा अधिष्ठापन के रूप में आपूर्ति की गई संविदा से सेवाएं।

- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की अनुसूची III के पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट स्वयं के इस्तेमाल और इनके कर्मचारियों के इस्तेमाल अथवा अन्य व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट आवासीय परिसर के निर्माण, अभिभाव, चालू करने; अधिष्ठापन, पूर्तिकरण फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण अथवा परिवर्तन के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था के लिए।

18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना

- सीटीए की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अधीन आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद, अध्याय 48 अथवा 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 2.5 प्रतिशत अथवा शून्य की दर से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर लगता है, सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद,

सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद के संबंध में ठेके के काम कार्य के रूप में अन्य सेवाएं इसमें उक्त अध्याय के टैरिफ मद 23091000 के अधीन आने वाले फुटकर बिक्री के लिए कुत्ते और बिल्लियों के खाद्य पदार्थ, सीटीए के प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 69010010 के अधीन आने वाले मिट्टी की ईंटों का निर्माण, हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण शामिल नहीं है।

- **आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत से आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत तक कमी :** ऐसे रेस्टोरेंट द्वारा सेवा की आपूर्ति, जो होटल, जिसमें 7500 रुपए से अधिक घोषित टैरिफ के साथ आवास की यूनिट है, के परिसर में स्थित नहीं है, पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन।

कारोबार की उसी लाइन में आईटीसी की अनुमति निम्नलिखित को दी गई: यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए किसी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों के परिवहन जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रभार में शामिल है; यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए किसी मोटर वाहन को किराए पर देना जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रभार में शामिल है;

जीएसटी की दरों को अन्य रूप में सरल एवं कारगर बनाना: 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदे गए और पट्टे पर लिए गए मोटर वाहनों को पट्टे पर लिए जाने के संबंध में जीएसटी की दर को सामाग्रियों की हकदारी के अन्तरण से संबंधित जैसी सामाग्रियों की आपूर्ति पर यथा लागू केन्द्रीय कर की दर को घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया।

जीएसटी लगाने से छूट

- भारत में मेजबानी किए गए फीफा अण्डर 17 विश्व कप के किसी भी क्रियाकलापों से संबंधित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबाल एसोसिएशन (फीफा) द्वारा और उसको प्रदान की गई सेवाएं।
- नेपाल और भूटान (भूमि से घिरा देश) को (ट्रांजिट कार्गो) से संबंद्ध सेवाओं की आपूर्ति।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण से अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि में से सरकारी संस्था द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा आपूर्ति।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र को उचित दर के दुकानों द्वारा कमीशन या मार्जिन के रूप में प्रतिलाभ के बदले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि की बिक्री के रूप में दी जाने वाली सेवा।
- माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी अपंजीकृत व्यक्ति जिसमें निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं से इतर अपंजीकृत नेमित्तिक कर योग्य व्यक्ति भी शामिल है, द्वारा दी जाने वाले सेवाएं, यथा; कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) द्वारा शासित अथवा इसके तहत पंजीकृत कोई कारखाना; अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत भारत के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत कोई सोसाइटी; अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत अथवा उसके द्वारा स्थापित कोई कॉरपोरेट निकाय; अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम अथवा समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, अथवा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई नैमित्तिक कर योग्य व्यक्ति।
- वर्षिकी के भुगतान पर किसी सड़क या पुल तक पहुँच देने के रूप में दी जाने वाली सेवा।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य अधिनियम के तहत इस प्रकार संरक्षित के रूप में घोषित स्मारक में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा
- फीफा, अंडर-17 विश्व कप-17 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी गई सेवा।
- 18 जनवरी, 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में माल और सेवाओं पर जीएसटी की दरों के संबंध में अनेक राहत उपायों की घोषणा की गई तथा कुछ माल और सेवाओं की जीएसटी की दरों और कर योग्यता संबंधी विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण दिए गए।

  परिषद द्वारा संस्तुत माल की दर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- विशेषरूप से बायो ईंधन से चलने वाली बसों पर 28% से 18%
- ड्रिप सिचाई पर 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत इसमें लेटरल (एचएस कोड 8424), स्प्रिंकलर (एचएस कोड 8424), मैकेनीकल स्प्रेयर (एचएस कोड 8424), 12 विनिर्दिष्ट जैव कीटनाशक (एचएस कोड 3808), बैम्बू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी (एचएस कोड 4418), फर्टिलाइजर ग्रेड फास्फोरिक एसिड (एचएस कोड 2809), जैव डीजल, 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पेय जल (एचएस कोड 2201), शामिल है।
- हीरों और बहुमूल्य रत्नों पर 3% से 0.25%
- अपरिष्कृत हीरों और बहुमूल्य रत्नों पर यह पहले ही 0.25% है।
- ऐसे वाहनों के आपूर्तिकार के मार्जिन पर प्रयुक्त मोटर वाहनों पर (मध्यम और बड़ी कारों तथा एसयूवी के अलावा) 28% जीएसटी एवं लागू

उपकर से 12%, इस शर्त के अधीन कि इन पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धित कर या जीएसटी का कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है।

- प्रयुक्त मध्यम और बड़ी कारों तथा एसयूबी पर ऐसे वाहनों के आपूर्तिकारों के मार्जन पर 28% जीएसटी एवं लागू उपकर से 18%, इस शर्त के अधीन कि इन पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धित कर या जीएसटी का कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है।
- वेलवेट फैब्रिक (एचएस कोड 58013720), अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापसी के बिना, 12% से 5% सेवाओं की दर में संस्तुत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है:
- मैट्रो और मोनोरेल परियोजनाओं के निर्माण (निर्माण, उन्निर्माण, प्रवर्तन या मूल कार्य का अधिष्ठापन) जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% की गई।
- पेट्रोलियम, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (एमएस, एचएसडी एटीएफ) के परिवहन पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5%, आईटीसी के बिना तथा 12% आईटीसी के साथ।
- अधिसूचना संख्या 12/2017 – सीटी (दर) की क्रम सं. 35 और 36 के अधीन छूट प्राप्त बीमा स्कीमों के संबंध में दुबारा बीमा सेवाओं को छूट (यह अपेक्षित है कि भावी बीमा के संबंध में सरकार बीमित व्यक्ति से निर्धारित प्रीमियम राशि कम कर दी गई है)
- पेट्रोलियम, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संबंधी खुदाई और इसका पता लगाने संबंधी सेवाओं के संबंध में और उक्त माल के संबंध में खुदाई की सेवाओं के लिए जीएसटी को घटाकर 12% किया गया।
- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग 1/मध्यम आय वर्ग 2 के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अधीन निर्मित/अर्जित मकानों पर और उस आवासीय परियोजना में, जिसे उसी रियायती दर के अधीन अवसंरचना की हैसियत प्रदान की गई है, 60 वर्ग मी. प्रति मकान के कार्पेट क्षेत्र तक के कम लागत वाले मकानों पर जीएसटी की रियायती दर को विस्तारित किया गया है।

बजट 2017-18 में और उसके बाद प्रत्यक्ष करों पर की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां

- वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये या इससे कम रुपये के टर्नओवर या सकल प्राप्तियों वाली घरेलू कंपनियों पर कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना।
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली करना।
- कम नकदी अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए और डिजिटल माध्यमों से सक्रियता से भुगतान स्वीकार करने के लिए छोटे व्यापारियों/कारोबारों को प्रोत्साहन देने के लिए, अधिनियम की धारा 44 एडी के तहत 8 प्रतिशत की मान्य मौजूदा लाभ दर को वित्त वर्ष 2016-17 और परवर्ती वर्षों के लिए बैंकिंग चैनलों/डिजिटल साधनों के माध्यम से प्राप्त कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियों की राशि के लिए घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।
- यह स्पष्टीकरण देना कि कुछ खास विदेशी संस्थागत निवेशकों और सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बनाए गए सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम के तहत श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रूप में पंजीकृत निवेशकों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरणों के कर निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
- यह स्पष्ट करना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क में उपबंधित 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम निधि (कोर्पस) के मासिक औसत को बनाए रखने की शर्त उस विगत वर्ष के लिए लागू नहीं होगी जिसमें निधि को समाप्त किया जा रहा है।
- अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री राहत निधि के लिए दी गई छूट मुख्यमंत्री की राहत निधि अथवा उपराज्यपाल की राहत निधि के लिए भी प्रदान की गई।
- यह स्पष्टीकरण देना कि धर्मार्थ संस्थाओं को छूट देने के लिए कोर्पस चंदा को आय के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- अधिसूचित की जाने वाली शर्तों के अधीन, किसी करार या व्यवस्था की समाप्ति के बाद भारत में सुविधा से, कच्चे तेल, यदि कुछ हो, के छोड़े गए स्टॉक की बिक्री के निमित्त किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूतया उससे उत्पन्न आय के लिए प्रदत्त कर वसूली से छूट।
- अधिनियम की धारा 12क को संशोधित किया गया जिसके अनुसार किसी ऐसे न्यास अथवा संस्था के लिए, जिसे अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, ऐसे उद्देश्यों को ग्रहण करने अथवा उनमें संशोधित करने पर कि आशोधित उद्देश्य पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, नए पंजीकरण के लिए अनुरोध करना अनिवार्य है।

- छूट वाली न्यासों अथवा संस्थाओं के संबंध में, आयकर के लिए प्रभार्य आय करने वाले व्यक्ति द्वारा नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल करने की अतिरिक्त शर्त का प्रावधान किया गया।
- अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी विवादों को कम करने, करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने के लिए, सुरक्षित बंदरगाह मार्जिनों को उद्योग मानकों के अनुसार करने और सुरक्षित बंदरगाह लेन-देनों के क्षेत्र को वृहद करने के लिए 1 अप्रैल, 2017 से लीन वर्ष के लिए एक नई सुरक्षित बन्दरगाह व्यवस्था अधिसूचित की गई है।
- मास्टर फाइल में बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी प्रलेखन के रखरखाव और प्रस्तुतीकरण के लिए नियमों और प्रत्येक देश की रिपोर्ट को अधिसूचित किया गया था।
- यदि संयुक्त आय एवं उस पर भुगतान किए गए करों की संगणना के लिए संपत्ति को लेखा में लिया गया है तो पूंजी लब्धि प्रयोजन के लिए अर्जन की लागत हेतु परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य।
- ऋण करार के तहत अथवा 30.06.2020 तक विस्तारित दीर्घकालिक अवसंरचना बाँड सहित किसी दीर्घकालिक बाँड के निर्गम के तरीके द्वारा भारत से बाहर के स्रोतों से विदेशी मुद्रा में किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए उधार पर उस कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को देय ब्याज के संबंध में 5 प्रतिशत कर कटौती की निम्न दर का लाभ।
- द्वितीयक धारकों के संबंध में भी किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित बाँड में कमी के समय पूंजी लाभ गणना के लिए रुपए के विनिमय मूल्य की वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- किसी एक अनिवासी भारतीय द्वारा किसी दूसरे अनिवासी भारतीय को भारत के बाहर भारतीय कंपनी द्वारा जारी रुपयांकित बाँड देने के कारण पूंजी परिसंपत्ति के अंतरण को अंतरण नहीं समझा जाएगा।
- सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बाँडों में अंकित किए गए रुपये में निवेश किए गए एफआईआई और क्यूएफआई पर देय ब्याज के संदर्भ में धारित लाभ का पांच प्रतिशत की न्यून दर, अधिसूचित दर की ब्याज-दर से अधिक नहीं होगी। यह दर 30.06.2020 तक लागू होगी।
- हाउसिंग क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अचल सम्पत्ति के मामले में दीर्घ अवधि की पूंजीगत लाभ की संगणना के लिए धारण अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है।
- यदि निश्चित शर्तों के अधीन प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2019 से पहले हाउसिंग परियोजना को अनुमोदित किया जाता है, तो निर्धारिती डेवलपिंग और बिल्डिंग संबंधी वहनीय हाउसिंग परियोजना को लाभ में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किए गए लैंड पूलिंग के तहत एकल व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को पूंजीगत लाभ से छूट प्रदान की जाती है।
- पूँजीगत लाभ से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 54ईसी के अधीन बांड निवेश की श्रेणियों का विस्तार किया गया है।
- संयुक्त विकास करार ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के मामले में कर की प्रभार्यता की जटिलताओं को दूर करने के लिए यह उपबंधित किया गया कि पूँजीगत लाभ को, उस वर्ष जिस में परियोजना पूरी की गई है,से पूर्ववर्ती वर्ष की आय के रूप में आयकर पर प्रभारित किया जाएगा।
- उचित बाजार मूल्य और लागत स्फीति सूची के लिए आधार वर्ष को 1981 की जगह 2001 कर दिया गया है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के संबंध में उपलब्ध टैक्स क्रेडिट की अवधि को वर्तमान 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।
- किसी एक कंपनी के एक्विटि शेयरों को उस कंपनी के ईक्विटी शेयरों में बदलने पर टैक्स न्यूट्रीलिटी उपलब्ध करायी गई है।
- टैक्स न्यूट्रल की स्थिति में प्राप्त किसी भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी के अर्जन की लागत को परिणामी विदेशी कंपनी के हाथों में अर्जन की लागत माना जाएगा।
- पात्र स्टार्ट-अप्स द्वारा किए जाने वाले लाभ-सम्बद्ध कटौती के दावे की अवधि को बढ़ाकर 5 में से 3 वर्ष से लेकर 7 में से 3 वर्ष तक कर दिया गया है तथा शेयरधारण में परिवर्तन के मामले में ऐसे स्टार्ट-अप की हानि को अग्रेनीत करने की शर्तों में छूट दी गई।
- अधिनियम की धारा 80छ के अधीन नकद दान की सीमा को कम करके 10,000 रु. से 2,000 रु, कर दिया गया है।
- स्वनियोजित व्यक्ति 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास' में किए गए अंशदान के संबंध में अपनी समग्र कुल आय के 20 प्रतिशत तक की कटौती के लिए पात्र होगा। नई पेंशन स्कीम के अंशदाता द्वारा की गई आंशिक निकासी पर कराधान से छूट प्रदान की गई है।

- अधिनियम की धारा 56 के दायरे को और व्यापक बनाया गया है और इसमें, कतिपय शर्तों एवं अपवादों के अध्यधीन, किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल के साथ प्राप्त की गई किसी भी धनराशि, अचल सम्पत्ति या विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति को भी शामिल किया गया है।
- अधिनियम की धारा 50गक में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के मामले में, यदि प्राप्त किया गया प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम है तो इस प्रकार से विनिर्धारित निष्पक्ष बाजार मूल्य को, पूंजीगत लाभों की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रतिफल का मूल्य माना जाएगा।
- सूचीबद्ध शेयरों के हस्तांतरण के मामले में दीर्घकालिक पूंजी लाभ से छूट प्रदान करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि यह छूट ऐसे शेयरों के मामले तक सीमित है जहाँ इनका अर्जन कतिपय शर्तों के अध्यधीन 1 अक्टूबर, 2004 के बाद किया गया है।
- 5 लाख रुपए तक की आय के स्लैब में आने वाले व्यक्तियों को कर की दरों में कटौती करने की दृष्टि से आयकर में छूट की राशि को कम करके 5000/- रु. से 2,500/- रु. कर दिया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि यह छूट 3.5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगी।
- यदि अधिनियम की धारा 115 जेबी अथवा 115 जेसी के अन्तर्गत भुगतानित कर के लिए विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) की राशि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में मूल्यांकित आय पर देय कर के लिए अनुमेय एफटीसी की राशि से अधिक हो तो ऐसी अतिरिक्त राशि की उपेक्षा अधिनियम की धारा 115जेएए अथवा धारा 115जेडी के अन्तर्गत क्रेडिट राशि की गणना करते समय कर दी जाएगी।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने के लिए अंकित लाभ की गणना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि उन्हें भारतीय लेखांकन मानदण्डों (इंड-एएस) के संगत लाया जा सके।
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंतरण के लिए कर की रियायती दर के संबंध में वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा किए गए संशोधन, निधरिण वर्ष 2013-14 से पश्चगामी प्रभाव से लागू होंगे।
- अधिनियम की धारा 10एए में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि उसमें संदर्भित कटौती की राशि इस धारा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में गणना की गई कुल आय से अनुमत की जाएगी और यह कि कटौती कुल आय से अधिक नहीं होगी।
- समेकित योजना में यूनिट के स्थान पर प्राप्त म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकित योजना की यूनिट के मामले में वास्तविक लागत और धारण की अवधि समेकित योजना में यूनिट की लागत और धारण की अवधि होगी।
- लाभांशों पर कर की देयता के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अधिनियम की धारा 115 बीबीडीए में संशोधन किया गया है।
- नकदी में राजस्व व्यय संबंधी ''बिजनेस अथवा प्रोफेशन के लाभ से आय'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का दावा करने संबंधी अनुमेय सीमा अधिनियम की धारा 40ए में संशोधन करके 20,000/- रु. से 10,000/- रु. कर दिया गया है।
- राजनीतिक दलों को चन्दे के स्रोत में पारदर्शिता लाने के लिए अधिनियम की धारा 12ए में आयकर से छूट के लाभ को प्राप्त करने संबंधी अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए संशोधन किया गया: (क) 2000/- रु. अथवा इससे अधिक का कोई चन्दा बैंक में आहरित एकाउंट पेयी चेक अथवा एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक एकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा इलैक्ट्रोलर बॉड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा; और (ख) अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत देय तारीख को या उससे पूर्व अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4बी) के प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व वर्ष के लिए आय का विवरण राजनीतिक दल प्रस्तुत करेगा।
- 10,000/- रु. से अधिक की नकदी में कोई पूंजी व्यय मूल्य ह्रास के दावे अथवा निवेश लिंक्ड कटौती के दावे को अयोग्य करार देने के लिए अधिनियम की धारा 32 और 35एडी के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
- यह व्यवस्था करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 94बी जोड़ी गई है कि किसी संस्था द्वारा अपने संबद्ध उपक्रमों द्वारा दावित ब्याज व्यय को ब्याज, कर, मूल्य ह्रास और अमोर्टाईजेशन (ईबीआईटीडीए) अथवा भुगतानित अथवा संबद्ध उपक्रम को देय ब्याज से पूर्व इसकी आय के 30 प्रतिशत अथवा जो भी कम हो तक सीमित कर दिया जाएगा। अननुमत ब्याज व्यय को आगे ले जाए जाने की अनुमति उस निर्धारण वर्ष के तत्काल अनुवर्ती 8 निर्धारित वर्षों तक अनुमत किया जाएगा जिसके लिए पहले अनुमति नहीं दी गई थी और अधिकतम अनुमेय ब्याज व्यय की सीमा तक ''व्यवसाय अथवा प्राफेशन के लाभ से आय'' शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति कटौती की गई थी।
- यह व्यवस्था करने के लिए 01 अप्रैल 2018 से अधिनियम में एक नई धारा 92सीई जोड़ी गई है ताकि प्राथमिक अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजन के संगत निधियों का वास्तविक आवंटन करने के लिए सम्बद्ध उपक्रम के पास पड़ी अतिरिक्त धनराशि से होने वाली आय के द्वारा द्वितीयक समायोजन किया जा सके। यह प्रावधान वर्ष 2017-18 से आगे के निर्धारण वर्ष के संबंध में एक करोड़ रुपए से अधिक प्राथमिक समायोजन पर लागू होंगे।

- पैन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 206सीसी जोड़ी गई थी जिसका उद्देश्य पैन (परमानेंट एकाउंट नम्बर) का उल्लेख न करने वाले मामलों में स्रोत पर 20 प्रतिशत की उच्च दर पर कर का संग्रहण किया जा सके।

- अधिनियम में स्रोत पर कटौती के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक नई धारा 194 आईबी जोड़ी गई थी ताकि प्रतिमाह अथवा पूर्व वर्ष के किसी माह के भाग के दौरान 50,000/- रु. से अधिक के किराए के द्वारा किसी मकान मालिक को हुई आय के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत शामिल होने वालों को छोड़कर) ऐसी आय पर कर के रूप में 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती कर सकें।

- 01.04.2017 से धारा 143 (आई.डी.) को हटा दिया गया है। लेकिन संदिग्ध मामलों में राजस्व की वसूली की सूचना के दिए जाने के संबंध में एक नई धारा 241(क) को अंर्तविष्ट किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि कुछ मामलों में उस नीति से धन अदायगी को रोका जाएगा जिस की व्यवस्था कथित धारा में की गई है और ऐसा उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन से किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2017 को अथवा इसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर लागू होगा।

- कोई भी निर्धारती, जो अधिनियम की धारा 44कघक के अन्तर्गत प्रकलिपत कराधान व्यवस्था के अनुसार अपने लाभ और प्राप्तियों की घोषणा करता है, वह अब 15 मार्च को अथवा इससे पहले एक किश्त में अग्रिम कर का भुगतान करेगा। इसके अलावा, ऐसे निर्धारती पर अधिनियम की धारा 234ग के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित किया जाएगा, यदि 15 मार्च को अथवा इससे पूर्व प्रदत्त अग्रिम कर रिटर्न में देय कर से कम है।

- यदि अग्रिम कर के भुगतान में कमी आयकर अव-प्राक्लन अथवा प्राक्कलन में त्रुटि के कारण है, जो अधिनियम की धारा 115 खख घक में निर्दिष्ट स्वरूप की है तो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन अधिनियम की धारा 234ग के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा।

- यह उपबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा 244क में संशोधन किया गया था कि यदि कटौतीकर्ता की ओर कोई भी धन वापसी देय होती है तो वह ऐसी धन वापसी पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

- यह उपबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा 155 में संशोधन किया गया था कि जहां संदत्त विदेशी करों के लिए इस आधार पर संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था कि ऐसे विदेशी कर का भुगतान विवादित था, कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 149(1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर निर्धारण आदेश अथवा सूचना में आशोधन करेगा।

- आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए उन्नत शासन व्यवस्था के लिए प्राधिकरण के विलय को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम के अध्याय XIX-ख में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

- धारा 253 के क्षेत्र में विस्तार देने के लिए, अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) अथवा (v) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों को अपील अधिकरण के समक्ष अपीलीय बनाया गया है।

- धारा 271ग अथवा 271गक के अंतर्गत शास्ति के उदग्रहण के लिए स्रोत पर कर की कटौती और संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन वास्तिविक कठिनाइयों को कम करने के लिए, कथित धारा के संदर्भ की धारा 119(2) (क) के अंतर्गत उपबंध किया गया है, ताकि उक्त धाराओं के संबंध में निर्देश या अनुदेश जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सक्षम बनाया जा सके।

- अधिनियम की धारा 153 और 153ख में वर्णित किए गए मामलों में निर्धारण, पुनर्निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा को कम करने के लिए इन धाराओं के उपबंधों में संशोधन किए गए थे। इसी प्रकार, आशोधित रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय-सीमा को कम करने के लिए धारा 139(5) में संशोधन किया गया था। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 को प्रभावी होंगे और वर्ष 2018-19 और उत्तरवर्ती वर्षों के कर निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

- 2 लाख या इससे अधिक की नकद राशि की प्राप्ति को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम में नई धारा 269 एसटी अंतर्विष्ट की गई थी।

- फर्जी/बहु पेन (स्थायी लेखा संख्या) की समस्या के निवारण के लिए, अधिनियम में एक नई धारा 139कक अंतर्विष्ट की गई थी, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ आधार और पेन (स्थायी लेखा खाता संख्या) डाटा बेस के साथ संयोजन को अनिवार्य बनाती है।

- सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए सामान्य आवेदन फॉर्म के माध्यम से पेन और टेन (PAN और TAN) के आवंटन को सक्षम बनाने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114 और नियम 115 संशोधित किए गए हैं।

- आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिक उद्देश्यपरक और करदाताओं के लिए सरल बनाने के लिए युक्तियुक्त बनाया गया है। वेतन से 50 लाख रु. तक की आय वाले तथा जिनके पास एक ही गृह संपत्ति है, करदाताओं के लिए वर्ष 2017-18 के करनिर्धारण के लिए एक पृष्ठ का आईटी आर-1 (सहज) अधिसूचित किया गया है।

परिशिष्ट-2

सीपीएसईएस में निवेश प्रबंधन के सम्बंध में नीतिगत पहलें

- वर्तमान में सरकार का मुख्य जोर, सतत् दीर्घकालिक नीतियों तथा साथ-ही संसाधनों के दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी नियतन के माध्यम से उच्चतर आर्थिक विकास की प्राप्ति पर समग्र फोकस के साथ, सीपीएसई में इसके निवेश के दक्षतापूर्ण प्रबंधन पर है।

- इस सिद्धान्त के आधार पर, वर्ष 2016-17 के बजट में सीपीएसई के संदर्भ में 'विनिवेश आधारित दृष्टिकोण' को छोड़कर 'निवेश आधारित दृष्टिकाण' अपनाने पर बल दिया गया है। तदनुसार, विस्तारित अधिदेश के साथ 'डीआईपीएएम' के रूप में विभाग का पुन:नामकरण सीपीएसई में सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु सरकार की कार्यनीति पर इसकी विचार-प्रक्रिया में एक निदर्शातमक बदलाव को रेखांकित करता है।

- घोषणा के अनुसार, विभाग ने विभिन्न पहलुओं, जैसेकि लाभांश का भुगतान, शेयरों की पुन:खरीद, बोनस शेयरों के मुद्दे और शेयरों का विभाजन, आदि का समाधान करते हुए, सीपीएसई में सरकारी निवेश के दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु, मई, 2016 में 'सीपीएसई की पूंजीगत पुनर्रचना' पर व्यापक दिशानिर्देश भी विहित किए हैं।

- एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सीपीएसई के सूचीकरण (लिस्टिंग) से संबंधित प्रतिबद्धता पर फोकस किया गया है जोकि सरकार द्वारा जारी सुधार पहलूओं का एक अनिवार्य अंग है। सरकार ने बजट 20117-18 में इससे संबंधित घोषणाएं की हैं। सरकार ने इस घोषणा के अनुसरण में दिनांक 17 फरवरी, 2017 को सीपी एसई की सूचीकरण (लिस्टिंग) के लिए एक तंत्र/प्रक्रिया सामने रखी है जिसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों से समय-सीमा प्रक्रिया का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है जिसका उद्देश्य वर्तमान अधिनियम नियमों एवं विनियमों के अनुसार चिन्हित सीपी एसई का समयबद्ध तरीके से सूचीकरण (लिस्टिंग) करना है।

- सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंज में 14 सीपी एसई (2 बीमा कम्पनियों सहित) के सूचीकरण को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 4 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को सफलतापूर्वक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है।

- सीपीएसई ''माइनोरिटी स्टेक सेल'' (49% तक) के माध्यम से सरकारी शेयर होल्डिंग का विनिवेश करते समय पोस्ट लिस्टिंग मौजूदा नीति के अनुसार की गई है। कंपनी में दक्षता और प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक उपक्रमों के लिए आर्थिक संभावनाओं के अवसरों को बढ़ाने के लिए गैर रणनीतिक व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए सरकार का रणनीतिक विनिवेश संबंधी ध्यान राजकीय दृष्टिकोण अपनाने का है।

- इसके अंतर्निहित लाभों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2017 के प्रारंभ में भारत सरकार ने भारत में पेंशन निधियों और रिटेल निवेशकों को सीपी एसई में निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए ईटीएफ पर आधारित सूचकांक का प्रयोग प्रारंभ किया था और इस संबंध में बजट में की गई घोषणा का अनुपालन करते हुए अगस्त 2017 में भारत 22 नाम के एक नए ईटीएफ की घोषणा की गई थी। नवंबर 2017 में शुरू किए गए भारत 22 के नई निधि पेशकश में पूंजी निवेशकों के सभी वर्गों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और सरकार ने पेशकश के ईश्यू आकार में वृद्धि करके ओवरसब्सक्रिप्शन के अंश को रोकर रख लिया है।

मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता

03
अध्याय

वर्ष 2017-18 के दौरान (जनवरी तक), मौद्रिक नीति स्थिर बनी रही जिसमें अगस्त में केवल एक पॉलिसी दर में कटौती की गई। जैसे-जैसे नोटबंदी का वर्षानुवर्ष प्रभाव घटता गया, सं. चलन में मुद्रा और एम 0 दोनों की वृद्धि दरें तेज़ी से सकारात्मक हो गईं। लेकिन बैंक ऋण विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण की वृद्धि में मन्दी व्याप्त रही। इस बीच, 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की आय में सितंबर 2017 से स्थिरता आई है। वर्ष 2017-18 में शोधनअक्षमता और दिवालियापन की नई प्रक्रिया के लिए अर्थतंत्र बना। बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए आईबीसी तंत्र का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है। स्टाक बाज़ार भी इस वित्त वर्ष में रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचे।

वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.1 वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति 5 अगस्त, 2016 से लागू संशोधित सांविधिक फ्रेमवर्क के तहत संचालित की गई। इस लेख को लिखते समय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं (जनवरी, 2018 तक)। अगस्त 2017 में जारी वर्ष 2017-18 के लिए तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति विवरण में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करके उसे 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। अक्तूबर में तथा दिसंबर में हुई अपनी हालिया बैठकों में एमपीसी ने इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तदनुसार, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत बनी रही (सारणी-1)।

सारणी 1 : पॉलिसी दरों में संशोधन

लागू होने की तारीख	बैंक दर/ एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित निधि अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	सांविधिक नकदी अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
05/04/16	7	6.5	6	4	21.25
09/08/16	7	6.5	6	4	21
04/10/16	6.75	6.25	5.75	4	20.75
08/02/17	6.75	6.25	5.75	4	20.5
06/04/17	6.5	6.25	6	4	20.5
07/06/17	6.5	6.25	6	4	20.5
02/08/17	6.25	6	5.75	4	20
14/08/17	6.25	6	5.75	4	19.5
04/10/17	6.25	6	5.75	4	19.5
06/12/17	6.25	6	5.75	4	19.5

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी*: 13 फरवरी, 2012 से बैंक दर को एमएसएफ दर के समान कर दिया गया है। एनडीटीएल-निवल मांग तथा मियादी देयताएं है।

1 # ब्योरे हेतु आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अध्याय-3 का संदर्भ लें।

सारणी 2: मौद्रिक समुच्चयों में वर्षानुवर्ष वृद्धि (मार्चांत, %)

क्र. सं.	मद	2011	2012	2013	2014	2015	2016	दिसंबर 2016#	2017	दिसंबर 2017*
1	परिचलन में मुद्रा	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9	-40.2	-19.7	80.4
2	बैंकों में नकदी	18	15.2	14.6	10.7	12.4	6.6	124.3	4.2	-48.3
3	जनता के पास मुद्रा	18.8	12.3	11.5	9.2	11.3	15.2	-47.6	-20.8	105.6
4	आरबीआई में बैंकों की जमाराशि	20.2	-15.9	-10	34	8.3	7.8	10.8	8.4	8.1
5	मांग जमा	0.7	-1.7	6	7.8	9.8	11	26.4	18.4	6.4
6	मियादी जमा	18.3	16.1	15	14.9	10.7	9.2	13.2	10.2	3.5
7	आरक्षित निधि (एम 0)	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3	13.1	-28.9	-12.9	55.9
8	संकीर्ण मुद्रा (एम 1)	10	6	9.2	8.5	11.3	13.5	-18.9	-3.9	45.8
9	विस्तृत मुद्रा (एम 3)	16.1	13.5	13.6	13.4	10.9	10.1	6.2	6.9	10.5

स्रोत: आरबीआई

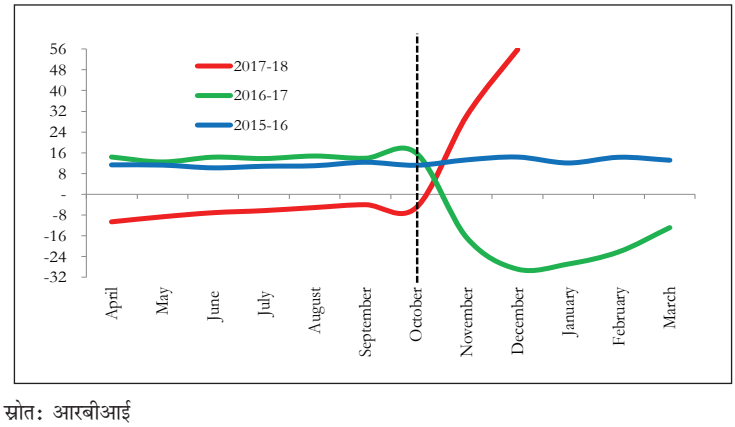
टिप्पणी#: मद संख्या 1, 4 और 7 से संबंधित आंकड़े 30 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार हैं; शेष मदों से संबंधित आंकड़े 23 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार हैं।

*मद संख्या 1, 4 और 7 से संबंधित आंकड़े 29 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार हैं; शेष मदों से संबंधित आंकड़े 22 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार हैं।

3.2 पुन:मौद्रीकरण प्रक्रिया के अनुरूप वित्त वर्ष 2017-18 में 10 नवंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान आरक्षित निधि (एम0) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर में आनुक्रमिक वृद्धि हुई किंतु यह ऋणात्मक बनी रही तथा पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम स्तर पर बनी रही जिससे विमुद्रीकरण का प्रभाव सुस्त तथा अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर क्षीण होता हुआ दिखाई दिया (चित्र 1)। 17 नवंबर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव प्रारंभ हुआ तथा परिचलन में मुद्रा (सीआईसी) तथा आरक्षित निधि (एम0) में तेजी से बदलाव हुआ तथा ये धनात्मक स्तर पर पहुंच गई तथा पिछले वर्ष की संगत वृद्धि दर की तुलना में उच्च स्तर पर आ गई। 29 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार एम0 में 55.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसा मुख्य रूप से परिचालन में स्थित मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि (80.4 प्रतिशत, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 40.2 प्रतिशत की कमी आई थी) के कारण हुआ (सारणी 2); परिचलन में मुद्रा विमुद्रीकरण के पूर्व की स्थिति तुलना में 94.19 प्रतिशत दर्ज की गई (चित्र 2)।

3.3 स्रोत पक्ष से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एम0 में वृद्धि एलएएफ रिवर्स रेपो (निवल) में कमी द्वारा तथा आरबीआई की निवल विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि द्वारा प्रेरित हुई है। तथापि, सरकार को आरबीआई द्वारा दिए गए निवल ऋण में खुले बाजार में निवल बिक्री तथा साथ ही सरकारी जमा में वृद्धि के कारण कमी आई है।

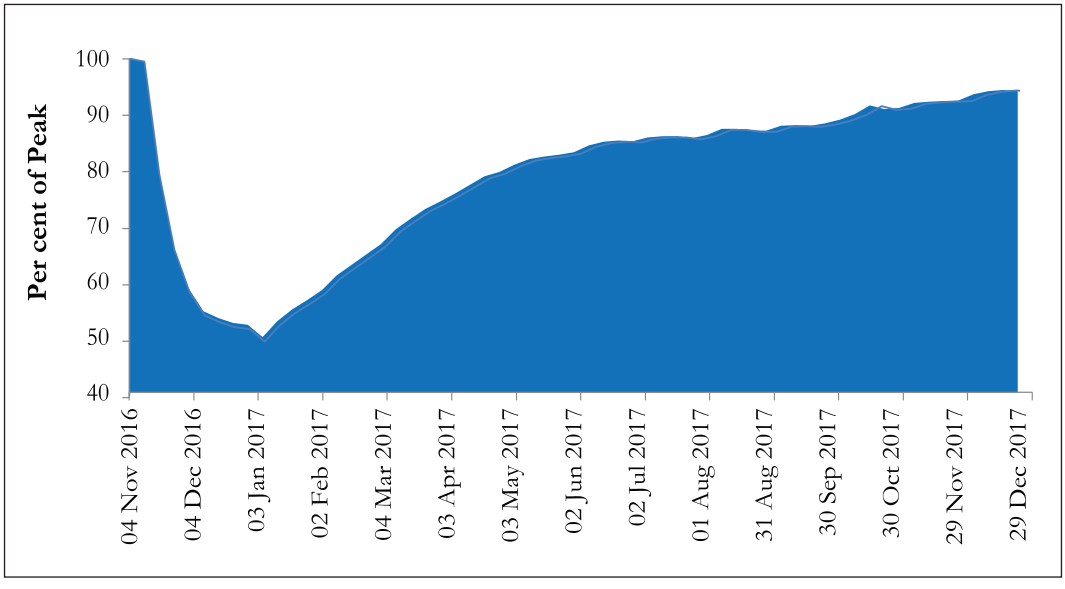
चित्र 1: आरक्षित निधि में वर्षानुवर्ष वृद्धि (%)-मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

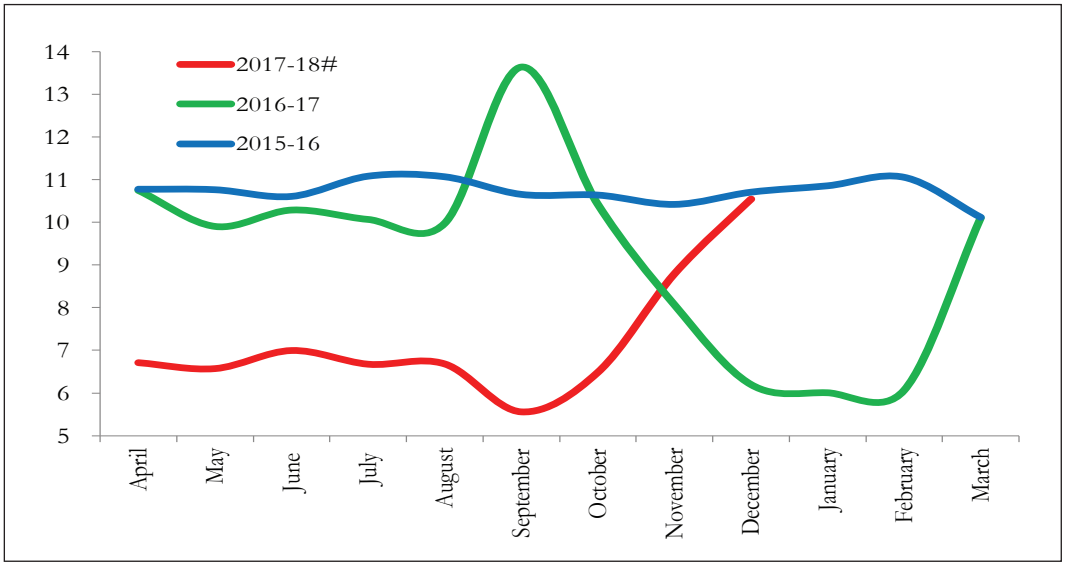
3.4 एम 3 में विमुद्रीकरण के बाद वर्षानुवर्ष वृद्धि की दर मंद हुई है किंतु एम0 में हुई कमी की तुलना में यह धनात्मक स्तर पर है। इसका कारण यह है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में आई कमी सकल जमा राशि में वृद्धि द्वारा अंशत: संतुलित हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान विस्तृत मुद्रा (एम 3) में वर्षानुवर्ष वृद्धि में तेजी आई, जिसकी मुख्य रूप से सितंबर अंत, 2017 से शुरुआत हुई तथा पहली बार 24 नवंबर 2017 को इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई जो अनुकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है (चित्र 3)। इसी तारीख को सीआईसी और एम 3 का अनुपात 12.6 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.8 प्रतिशत था। स्रोत पक्ष से, हालांकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में धीमी गति से हुई वृद्धि 2017-18 से अब तक की अवधि के दौरान एम 3 में वृद्धि हुई है।

चित्र 2: चरम स्थिति के प्रतिशत के रूप में परिचलन में स्थित मुद्रा (सीआईसी)



स्रोत: आरबीआई

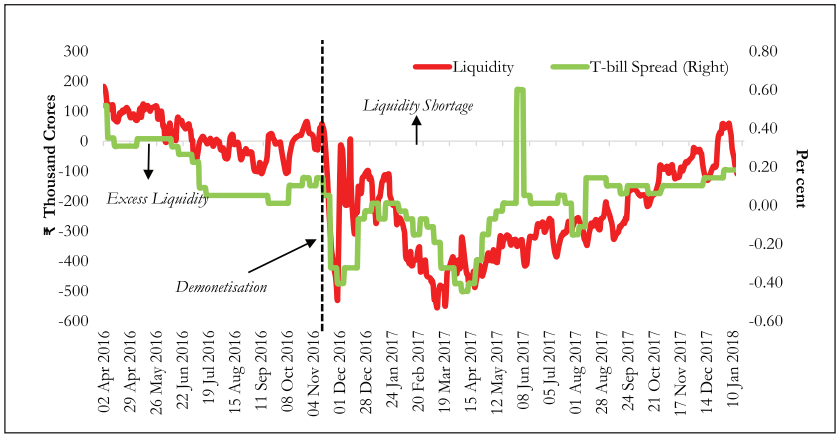
चित्र 3: विस्तृत मुद्रा में वर्षानुवर्ष वृद्धि(%) - मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी*: दिसंबर से संबंधित आंकड़े 22 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार हैं।

चित्र 4: दैनिक नकदी प्रबंधन और टी बिल विस्तार*



स्रोत: आरबीआई

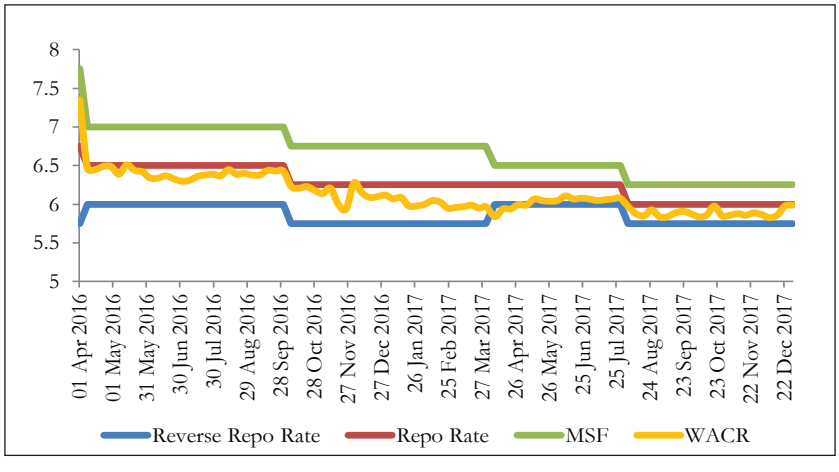
*टिप्पणी **:* टी बिल विस्तार=रेपो दर घटा 91-डे ट्रेजरी बिल (प्राथमिक) उपार्जन।

नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन

3.5 नवंबर 2016 के आरंभ में विमुद्रीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों लिखतों का प्रयोग करके अपनी नकदी आमेलन संक्रियाओं में वृद्धि कर दी। नकदी की स्थिति अधिशेष रूप से बनी रही हालांकि उत्तरोत्तर पुन: मुद्रीकरण के कारण इसकी उपलब्धता स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती गई। एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल नकदी अवशोषण दर मार्च 2017 के 419 हजार करोड़ रु. से उत्तरोत्तर घट कर नवंबर 2017 में 66 हजार करोड़ रु. के स्तर पर पहुंच गई। एलएएफ के अतिरिक्त, ₹ 100 हजार करोड़ की अतिरिक्त नकदी को अप्रैल-मई 2017 के दौरान बाजार बिक्री योजना (एमएसएस) के तहत ट्रेजरी बिल (टीबी) जारी करते हुए आमेलित किया गया था। अतिरिक्त नकदी की चिरस्थाई दशाओं के फलस्वरूप जुलाई से नवंबर, 2017 के दौरान ₹ 90 हजार करोड़ की ओएमओ बिक्री हुई, जिसमें जुलाई-अक्तूबर, 2017 के दौरान प्रतिमाह प्रत्येक में ₹ 10 हजार करोड़ की दो ओएमओ बिक्री नीलामियां तथा नवंबर 2017 में एक ओएमओ बिक्री नीलामी हुई। इन उपायों के परिणामस्वरूप, निवल नकदी 31मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 3.1 लाख करोड़ के आधिक्य से घटकर 11 जनवरी, 2018 को ₹ 47.8 हजार करोड़ रह गई (चित्र 4)।

3.6 वर्ष 2017-18 के पूर्वार्द्ध के लिए, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) रिवर्स रेपो दर के करीब थी, परंतु हाल ही के महीनों में यह नीति की घट-बढ़ सीमा (कोरीडोर) के मध्य में पहुंच गई। (चित्र 5)

चित्र 5: नीति की घट-बढ़ सीमा और काल दर (प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई

सरकारी प्रतिभूति (जी-सिक्यु.) बाजार में परिवर्तन

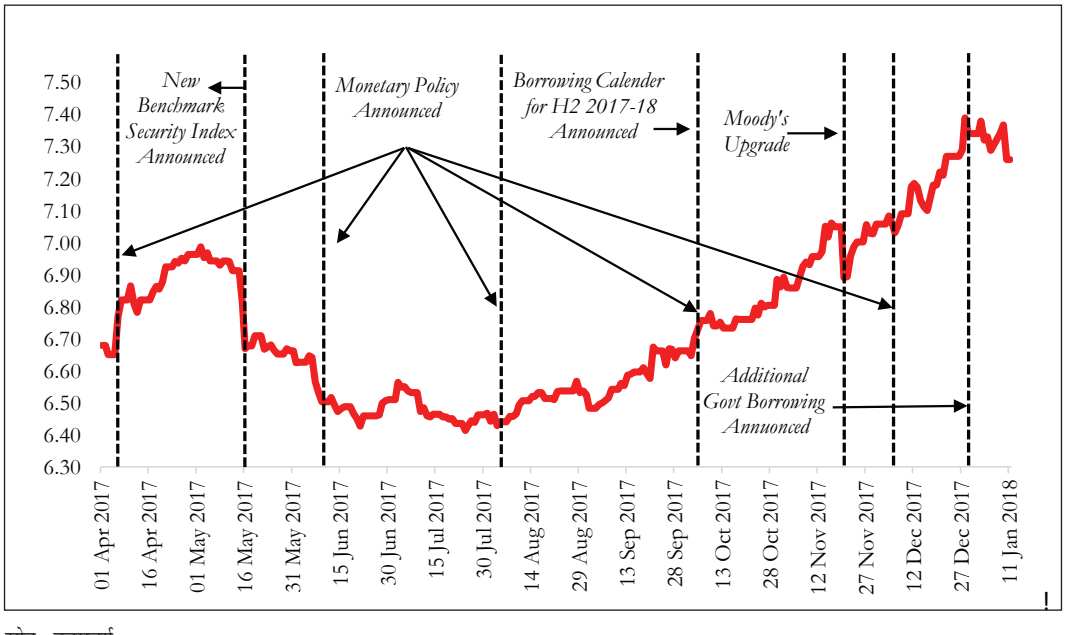
3.7 2017-18 के दौरान (11 जनवरी 2018 तक), 10-वर्षीय सामान्य जी-सिक्यु. उपार्जन की गति की दिशा काफी बदली है (चित्र 6)। अप्रैल 2017 में, मौद्रिक नीति समिति की 20 अप्रैल, 2017 की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के बाद, जिसमें कि मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया था और जिसे बाजार ने बहुत अति उत्साहपूर्ण माना था, जी-सिक्यु. में मध्यम परंतु सख्ती के रुझान के साथ व्यापार देखने में आया। तथापि, जी-सिक्यु. उपार्जन 12 मई, 2017 के बाद एकदम कम हो गया जो मुख्य रूप से नए बेंचमार्क की प्रतिभूति की नीलामी के कारण और अप्रैल 2017 में मुद्रास्फीति के अपेक्षित दर से भी कम होने के कारण हुआ। मई 2017 और जुलाई 2017 के बीच, आर्थिक आंकड़ों नामत: निम्न मुद्रास्फीति, मानसून का सकारात्मक पूर्वानुमान और जून, 2017 में मौद्रिक नीति के शांत रवैये आदि के उम्मीद से बेहतर होने के कारण जी-सिक्यु. में व्यापार नरम रुझान के साथ हुआ। उपार्जन में नरमी को एफपीआई के सुदृढ़ आगमन से और अधिक सहारा मिला।

3.8 बाद में, मध्य जुलाई से 17 नवंबर 2017 तक, उत्पादन की लय मुख्यत: वैश्विक कारकों पर निर्भर रही और इसमें अमरीका में सख्त रुझान देखने में आया। इसके अतिरिक्त, घरेलू कारकों जैसेकि उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति, ओएमओ बिक्री के माध्यम से प्रतिभूतियों की अतिरिक्त आपूर्ति, तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ते सरकारी उधारों ने उपार्जन को बढ़ाने में विशेष बल प्रदान किया। तथापि मूडी द्वारा भारत की स्वदेशी रेटिंग को प्रोन्नत करने के कारण, 10-वर्षीय जी-सिक्यु. उपार्जन कुछ समय के लिए घट कर 20 नवंबर 2017 को 7.10 प्रतिशत रह गया, परंतु यह बाद में बढ़ गया। 11 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार जी-सिक्यु. उपार्जन 7.26 प्रतिशत पर आ गया।

बैंकिंग क्षेत्र

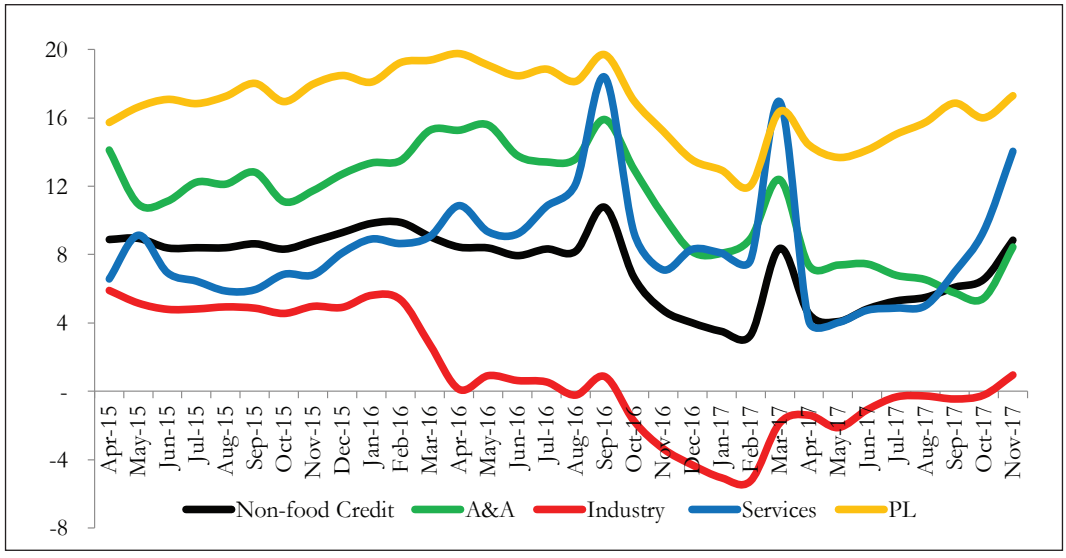
3.9 बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन वर्तमान वित्त वर्ष में निरंतर हल्का बना रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया, जबकि उनका पुन:संरचित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात 2.5 प्रतिशत से घटकर 2.0 प्रतिशत रह गया। स्ट्रेस्ड (जोखिमपूर्ण) अग्रिम अनुपात इसी अवधि में 12.1 प्र. तिशत से थोड़ बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च और सितंबर 2017 के बीच 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों

चित्र 6: 10 वर्ष का जी-सिक्यु. उपार्जन (प्रतिशत)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चित्र 7: बैंक क्रेडिट वृद्धि (%) का क्षेत्रवार विवरण-मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: ए एंड ए: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, पीएल: वैयक्तिक ऋण

का स्ट्रेस्ड (जोखिमपूर्ण) अग्रिम अनुपात इसी अवधि में 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया।

3.10 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम-भारित आस्ति के बीच का अनुपात (सीआरएआर) मार्च, 2017 और सितंबर 2017 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में हुआ सुधार था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको का आस्तियों पर प्रतिफल (लाभ) (आरओए) मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा जबकि इक्विटी पर उनका प्रतिफल (रिटर्न) 4.3 प्रतिशत से घटकर 4.2 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभपरक अनुपात दर्ज किए हैं।

ऋण (क्रेडिट) वृद्धि

3.11 नवंबर 2017 में गैर खाद्य क्रेडिट (एनएफसी) में पिछले वर्ष नवंबर 2016 के 4.75% की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 8.85 प्रतिशत वृद्धि हुई। सेवाओं और निजी ऋण (पीएल) खंड को बैंक क्रेडिट उधार, समग्र एनएफसी वृद्धि में निरंतर बड़े भागीदार बने रहे। (चित्र 7) क्रेडिट (ऋण) वृद्धि अक्तूबर 2016 से अक्तूबर 2017 तक लगातार ऋणात्मक रहने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में अंततोगत्वा काफी बढ़ गई। तथापि, मध्यम उद्योगों को क्रेडिट की वृद्धि जून 2015 से ऋणात्मक रही है। (सारणी 3)

सारणी 3: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	नवंबर 2017
उद्योग	20.7	15.1	12.8	5.6	2.6	-1.9	0.1
सूक्ष्म एवं लघु	12.6	20.2	23.6	8.2	-2.3	-0.5	4.6
मध्यम	7.1	-0.1	-2.7	2.6	-7.8	-8.7	-8.3
वस्त्र	9.9	15.1	10.2	-0.2	1.9	-4.6	4.6
अवसंरचना	20.8	15.9	14.6	10.5	4.4	-6.1	-2.3

स्रोत: आरबीआई

बॉक्स 3.1 नई शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन व्यवस्था

शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) मई, 2016 में पारित की गई थी। पिछली आर्थिक समीक्षा जारी होने के समय यह नई व्यवस्था अपने शुरूआती दिनों में ही थी। यह विनियामक हाल ही में नियुक्त किया गया था तथा कंपनी शोधन-अक्षमता/परिसमापन विनियामक नियमों तथा शोधन अक्षमता पेशेवरों, जो ऐसे कारोबार का संचालन कर सकते थे, के प्रमाणन सहित आधारभूत पारिस्थितिक-तंत्र को नए सिरे से सृजित किया गया था।

तब से लेकर इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है-कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का संपूर्ण कार्यतंत्र तैयार किया गया है। संबंधित कार्य की प्रक्रिया हेतु आवश्यक संस्थाओं तथा पेशेवरों के सृजन के लिए कई नियम एवं विनियम अधिसूचित किए गए हैं। बहुत से मामले इस दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं तथा कुछ ही इस प्रक्रिया से बाहर भी निकल चुके हैं।

1300 से अधिक शोधन-अक्षमता पेशेवर पंजीकृत हुए (तीन शोधन-अक्षमता पेशेवर ऐजेंसियों के अधीन) हैं। पहली सूचना उपयोगिता ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। सभी राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) बैंचों[1] में कंपनी शोधन-अक्षमता के 525 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। साथ थी 108 स्वेच्छयां परिसमापन प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हुई है। (सारणी 1 और सारणी 2 देखें)

सारणी 1: कंपनी शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया हेतु दर्ज हुए मामलों की स्थिति

क्र.सं.	मामले की स्थिति		मामलों की संख्या
1	सीआईआरपी जारी है		442
		30 दिन से कम समय से	33
		30 से 150 दिन से	225
		150-180 दिन से	67
		180 दिन से अधिक से	117
2	समाधान योजना अनुमोदित		10
3	परिसमापन किया जा रहा है		30
4	दर्ज होने के पश्चात् निरस्त किए गए		36
	कुल		525

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी*: कुछ कंपनियों के लिए, अभी आदेश प्रतीक्षित हैं, अत: कुल योग सटीक नहीं हो सकते।

सारणी-2: आईबीसी, 2016 के अंतर्गत दर्ज मामलों का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	अशोधित राशि (करोड़ रु.)	कंपनियों की संख्या				
			सीआईआरपी प्रगति पर	समाधान योजनाएं स्वीकृत	समापन आदेश पारित	अपील/समीक्षा के बाद	कुल
1	इस्पात	57,001	39	2	3	1	45
2	खुदरा (रिटेल)	12,719	12				12
3	व्यापार (ट्रेडिंग)	4,785	14		2	1	17
4	वस्त्र	4,679	29		3	1	33
5	व्यापार (ट्रेडिंग)	4,560	30	3	4	2	39
6	रसायन संबंधी (कैमिकल्स)	4,433	18			1	19
7	पूंजीगत वस्तुएं-वैद्युत उपकरण	4,292	2				2
8	निर्माण	4,004	35		1	4	40
9	कम्प्यूटर शिक्षा	2,909	1				1
10	खनन एवं खनिज उत्पाद	2,700	10	1	1	1	13
11	अन्य (अवसंरचना, ऊर्जा आदि)	26,727	261	4	16	23	304
	कुल	**1,28,810**	**451**	**10**	**30**	**34**	**525**

स्रोत: आईबीबीआई

[1] यह ब्यौरा 31 दिसंबर 2017 तक की याचिकाओं के लिए एनसीएलटी की वेबसाइट पर 6 जनवरी या उससे पूर्व अपलोड किए गए आंकड़ों से प्राप्त किया गया है।

सारणी-3: ऐसी कंपनियां, जिन्होंने आईबीसी के अतंर्गत संकल्प किया है

कर्जदार कंपनी का नाम पंजीकृत	क्या बीआइ.एफआर के पास पंजीकृत थे	दिवालियापन प्रारंभ होने की तिथि	एनसीएलटी समाधान स्वीकृति	किस द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई	एफसी के कुल दावे	दिवालिया.पन की मूल्य राशि	समाधान की राशि एफसी	एफसी के लिए वसूली %	शोधन दिवा.लिया राशि का %
साइनेर्जीज ड्रूट ऑटोमोटिव लि.	हां	23-जन-17	02-अग.-17	सीडी	972.2	8.2	54.7	6%	669%
श्री मेटालिक लि.	उपलब्ध नहीं	30-जन-17	07-नवंबर-17	एफसी	1,287.20	283	607.3	47%	215%
कामिनेनी स्टील एंड पावर इंडिया प्रा.लि.	हां	10-फर.-17	27-नवंबर-17	सीडी	1,508.90	761	600	40%	79%
छपरिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	हां	24-फर.-17	22-सितं.-17	सीडी	49.8	17.2	20.6	41%	120%
जेक्पल प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	17-मार्च-17	15-दिसं.-17	सीडी	599	222.1	162	27%	73%
होटल गौडावन प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	31-मार्च-17	13-दिसं.-17	एफसी	76.7	36.1	44.2	58%	122%
प्रोवेस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	20-अप-17	17-अक्टू.-17	ओसी	3.4	उपलब्ध नहीं	3.4	100%	उपलब्ध नहीं
वैस्ट बंगाल एस्सेंशियल कोमो. डिटीज़	उपलब्ध नहीं	29-मई-17	20-नवंबर-17	एफसी	359.2	उपलब्ध नहीं	185.8	52%	उपलब्ध नहीं
शिरड़ी इन्डस्ट्रीज लि.	हां	18-मई-17	12-दिसं-17	सीडी	673.9	103.1	175	26%	170%
नंदन होटल्स लि.	उपलब्ध नहीं	17-अग.-17	14-दिसं-17	ओसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणियां: सभी राशियां करोड़ रु. में हैं। एफसी: वित्तीय देनदार
इन समाधान आदेशों को एनसीएलएटी ने निरस्त कर दिया है की पहचान की है।

नई संहिता (नियम) के प्रभावोत्पादक होने का प्रमुख पहलू न्याय व्यवस्था का न्याय-निर्णय रहा है। इस संहिता में इसके अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। पूरे भारत में एनसीएलटी बैंचों को भेजे गए मामलों की अधिक संख्या होने के बावजदू, ये बैंचें केवल कुछ विलंब के साथ सीआईआरपी में दर्ज करने के लिए आवेदनों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने में सक्षम रही हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय सहित अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलों का त्वरित तथा निर्णयात्मक रूप से निपटान किया है। इस प्रक्रिया में मामलों से संबंधित एक पुष्ट कानून विकसित हुआ है जिसमें भावी कानूनी अनिश्चितता में कमी आई है।

13 जून, 2017 को आरबीआई ने ऐसे स्थानों, जहां शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) आरंभ की गई थी, वहां 12 बड़े ऋण चूककर्ताओं की पहचान की है। नवंबर, 2017 तक इन 12 चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति, नीचे तालिका 4 में दर्शाई गई है:

सारणी 4: आरबीआई द्वारा यथा अधिसूचित पहले 12 चूककर्ता

क्र.सं.	कंपनी	क्षेत्र	दर्ज दावे (करोड रु)	180 दिवसीय अवधि अवधिं	सीआईआरपी की स्थिति
1	आलोक इंडस्ट्रीज लि.	वस्त्र	29,912	14-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
2	एमटेक ऑटो लि.	ऑटो कंपोनेंट	12,586	20-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
3	एबीजी शिपयार्ड लि.	शिप बिल्डिंग	18,539	28-01-2018	सीओसी में 90 दिन के विस्तार को अनुमोदित कर दिया
4	भूषण स्टील लि.	स्टील (इस्पात)	55,989	22-01-2018	प्रक्रिया में है
5	भूषण पॉवर एंड स्टील लि.	इस्पात एवं विद्युत निर्माण	48,524	22-01-2018	22 अप्रैल तक विस्तार
6	इलैक्ट्रोस्टील स्टील	इस्पात (स्टील)	13,302	16-01-2018	17 अप्रैल तक विस्तार
7	एस्सार स्टील लि.	इस्पात (स्टील)	50,778	29-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
8	ज्योति स्ट्रक्चर लि.	विद्युत निर्माण	8,078	31-12-2018	31 मार्च 2018 तक विस्तार
9	जेपी इंफ्राटेक लि.	अवसंरचना निर्माण	13,322	04-02-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
10	लांको इंफ्राटेक लि.	विद्यत निर्माण	51,505	03-02-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
11	मोनेट इसपैट एंड एनर्जी लि.	इस्पात	10,412	13-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
	कुल		**3,12,947**		

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी ईरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि. को सीआरआरपी द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है।

बाक्स 3.2: शोधन अक्षमता और दीवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017

लोकसभा ने दिसंबर 29, 2017 को शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित किया और राज्य सभा ने इसे जनवरी 2, 2018 को स्वीकार किया है। यह नवंबर 23, 2017 को जारी आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2017 विषयक अध्यादेश का स्थान ले रहा है।

कंपनी शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में, लेनदारों की समिति (सीओसी) समाधान में अग्रणी आवेदकों से समाधान योजनाएं आमंत्रित करती है तथा वे इनमें से एक योजना का चयन कर सकते हैं। यह संहिता समाधान आवेदकों पर कोई पाबंदी विनिर्दिष्ट नहीं करती है। इस अध्यादेश में कुछ व्यक्तियों के समाधान आवेदक बनने पर पाबंदी लगाई गई है:

(i) कोई अमुक्त दिवालिया

(ii) कोई ''जानबूझकर चूक करने वाला''

(iii) एक ऐसा उधारकर्ता जिसके खाते को एक वर्ष से अधिक समय के लिए एक अनर्जक आस्ति के रूप में चिन्हित किया गया है; और जिसने योजना प्रस्तुत करते समय तक देनदारी नहीं चुकाई है।

(iv) कोई व्यक्ति जिसे दो अथवा दो से अधिक वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय किसी अपराध का दोषी माना गया है;

(v) कोई व्यक्ति जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक निदेशक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है;

(vi) कोई व्यक्ति जिसे प्रतिभूतियों में व्यापार से प्रतिबंधित किया गया हो;

(vii) कोई व्यक्ति जो अवमूल्यित अथवा कार्य करने वाली कंपनी का संस्थापक/प्रबंधक रहा हो।

(viii) कोई व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जो समाधान प्रक्रियारत किसी चूककर्ता का लेनदार हो, के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय गारंटी कार्यान्वित की है;

(ix) ऊपर उल्लिखित किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति।

(x) कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर इनमें से किसी गतिविधि में शामिल हो।

इस विधेयक का प्रमुख आग्रह विभिन्न प्रकार के अवांछनीय व्यक्तियों को देनदार (ऋणी) के लिए बोली लगाने से रोकना है। यह अध्यादेश, प्रवर्तकों को उनकी स्वयं की फर्मों के लिए बोली लगाने से रोक सकता है। एक समाधान योजना में वित्तीय तथा परिचालनात्मक लेनदारों (ऋणदाताओं) पर उल्लेखनीय कटौतियां विशिष्ट रूप से शामिल होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी पाबंदी के किसी प्रवर्तक को बोली की अनुमति देने का आशय होगा कि एक ऐसी स्थिति का समर्थन करना जहां कोई मालिक, जिसने किसी फर्म को दिवालिया बना दिया हो, अब वह छूट प्राप्त कर पुन: इसे वापस खरीदने में सक्षम हो गया हो। यह नैतिक संकट को एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकती है जहां अक्षम अथवा धोखेबाज प्रवर्तकों को अपनी कंपनी के नियंत्रण के साथ प्रभावी रूप से परितोषित किया जाता है और लेनदारों ऋणदाताओं को अपने ऋण बट्टे खाते में डालने के लिए छोड़ दिया जाता है।

इस प्रकार इस बिल में एक संतुलित दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया गया, जिससे सीओसी सभी आवेदकों में से सर्वोत्तम समाधान योजना का चयन करने की अपनी स्वतंत्रता रखते हुए भी अविवेकपूर्ण संव्यवहारों से बच सकें।

गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

3.12 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) वित्तीय क्षेत्र में विविधता और कार्य दक्षता लाती हैं और इसे ग्राहकों की जरूरतों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाती है। पीयर टु पीयर (पी2पी) और अकाउंट अग्रीगेटर एनबीएफसी की नई श्रेणियां हैं जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया है। छोटे ऋणदाताओं और छोटे उधारकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष सहक्रिया के जरिए वित्तीय समावेशन को बढावा देने और उपभोक्ता संरक्षण के सहबद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-पी-टु-पी (एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफार्म) नामक गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी की नई श्रेणी शुरू की है, जिसमें साधारण स्तर का विनियमन है तथा पर्याप्त प्रकटनों पर जोर दिया गया है।

3.13 समग्र तौर पर एनबीएफसी क्षेत्र के पास 30 सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक आस्तियों का 17% और बैंक जमा राशियों का 0.26% जमा था। एनबीएफसी क्षेत्र के समेकित तुलनपत्र के आकार में 5% वृद्धि हुई (मार्च 2017 की तुलना में सितम्बर 2017) और यह 20.7 लाख करोड़ के स्तर पर जा पहुंची, जबकि मार्च 2016 और मार्च, 2017 के बीच 14.2% वृद्धि हुई थी। एनबीएफसी अपने तुलनपत्रों के वित्तपोषण के लिए मुख्यत: जनता की निधियों पर निर्भर करते हैं। सितम्बर अंत 2017 की स्थिति के अनुसार गैर परिर्वतनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के जरिए लिए गए उधारों में 3.1% वृद्धि देखी गई जबकि 2016-17 में 19.8% वृद्धि हुई थी, वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में बैंक उधारों में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जहां (मार्च 2017 से सितम्बर 2017) 2016-17 के दौरान 7.0% की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। आस्तियों के संबंध में, 2017-18 के पूर्वार्ध में ऋणों एवं अग्रिमों में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि यह आंकड़ा 2016-17 के दौरान 12.7% था।

3.14 एनबीएफसी क्षेत्र के पूंजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में मामूली गिरावट हुई, जो 31 मार्च, 2017 के 22.8% से कम हो कर सितम्बर अंत 2017 को 22.5% के स्तर पर आ गया। एनबीएफसी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिमों का %) 31 मार्च 2017 के 6.1% से कम होकर सितम्बर, अंत 2017 को 5.5% के स्तर पर आ गया। निवल एनपीए (निवल अग्रिमों का अनुपात) भी 31 मार्च 2017 के 4.1% से कम होकर सितम्बर 2017 में 3.4% के स्तर पर आ गया। इस क्षेत्र की आस्तियों पर आय (आरओए) मार्च अंत 2017 के 1.6% की तुलना में बढ़कर सितम्बर अंत 2017 को 2.0% के स्तर पर आ गई। इक्विटी पर आय (आरओई) मार्च अंत 2017 के 7.0% के स्तर से काफी अधिक बढ़कर सितम्बर अंत 2017 को 9.0% (वार्षिकीकृत) के स्तर पर पहुंच गई।

पूंजी बाजार में घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

3.15 वर्ष 2017-18 (अप्रैल से नवम्बर) में पिछले वित्त वर्ष की तद्नुरूप अवधि की तुलना में प्राथमिक बाजार खंड में संसाधन जुटाए जाने में लगातार वृद्धि देखी गई। वर्ष (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 134 कंपनियों ने प्राथमिक बाजार के जरिए 70,316 करोड रु. जुटाए, (जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की तदनुरूप अवधि में 80 निर्गमों के माध्यम से 48,325 करोड़ रु. जुटाए गए थे) जो पिछले वर्ष की तुलना 45.5% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 122 सार्वजनिक निर्गमों से 66,641 करोड रु. जुटाए गए और 12 राईट्स निर्गमों से 3,675 करोड़ रु. जुटाए गए (सारणी-4)।

सारणी 4. सार्वजनिक और राइटस निर्गम के माध्यम से प्राथमिक बाजार से संसाधन संग्रहण (रु. करोड़)

निर्गम के प्रकार	2016-17#		2017-18#	
	निर्गमों की सं.	राशि	निर्गमों की सं.	राशि
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	65	23,134	118	62,745
राइट्स निर्गम (इक्विटी)	5	1,297	12	3,675
कुल (इक्विटी)	70	24,431	130	66,420
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	10	23,893	4	3,896
कुल	80	48,325	134	70,316

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: #संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल-नवंबर का संकेत करता है।

सारणी 5. म्युचूअल फण्डों के द्वारा बाजार संसाधन संग्रहण (रु. करोड़)

वित्तीय वर्ष	फोलिओ सं.	सकल संग्रहण	मोचन	निवल प्रवाह	अवधि की समाप्ति पर आस्तियां
2016-17	5,53,99,631	1,76,15,549	1,72,72,500	3,43,049	17,54,619
2017-18#	6,31,65,739	1,18,83,698	1,16,30,549	2,53,149	21,41,346

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: #31 अक्तूबर, 2017 तक

सारणी 6: कारपोरेट क्षेत्र द्वारा कुल संसाधन संग्रहण (रुपए करोड़)

वर्ष	इक्विटी निर्गम			डेब्ट निर्गम			कुल संसाधन संग्रहण (4+7)
	सार्वजनिक और राईट	प्राइवेट प्लेसमेंट	कुल इक्विटी	प्राइवेट	प्राइवेट प्लेसमेंट	ऋण कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल 2016-नवम्बर 16	24,429	31,319	55,748	23,901	4,19,387	4,43,288	4,99,036
अप्रैल 2017-नवम्बर 17	66,424	78,344	1,44,767	3,897	4,18,952	4,22,848	5,67,615

स्रोत: सेबी

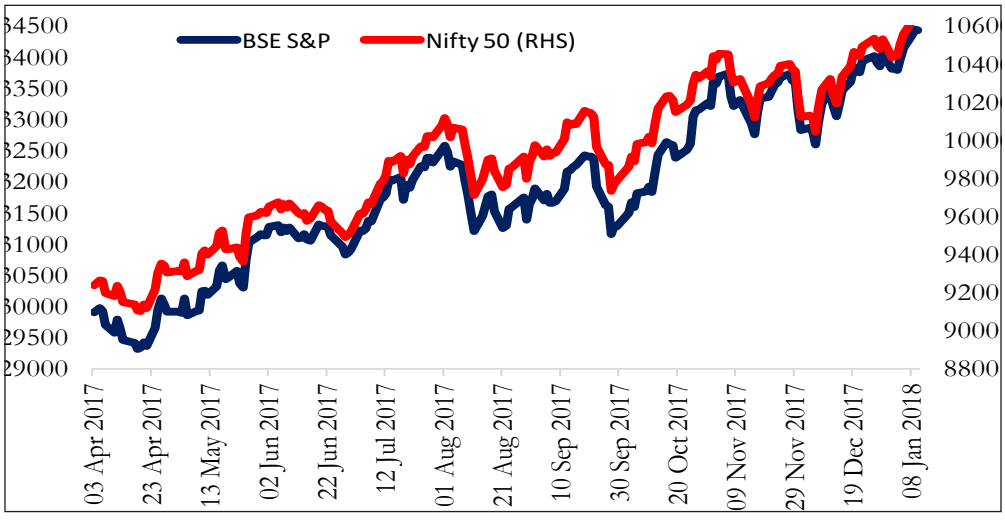
टिप्पणी*: 1. इक्विटी के किसी निर्गम में अधिमान आवंटन क्यूआईपी तथा आइपीपी के जरिए उगाही गई राशि शामिल है।

2. सरकारी इक्विटी निर्गम में आइपीओऔ (एफपीओ) दोनों शामिल हैं।

3.16 भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में भी अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। समग्र तौर पर अच्छी बाजार स्थितियों के परिणामस्वरूप नए निवेश के संदर्भ में और मौजूदा निवेशों के मूल्य के संदर्भ में म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम में सतत वृद्धि देखी गई (सारणी-5)

3.17 कोरपोरेट बांडों के निर्गमन (सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन) के जरिए संसाधन जुटाने में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई और 4.23 लाख करोड़ रु. जुटाए गए। कोरपोरेट बांड बाजार में निजी नियोजनों का प्रभुत्व बना रहा (सारणी-6) तथापि यह उल्लेखनीय है कि कोरपोरेट बांडों के सार्वजनिक और निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन बैंक ऋण के विकल्प नहीं है। बांड़ों की परिपक्वता अवधि बैंक ऋण की तुलना में कहीं छोटी होती है। साथ ही, यदि बैंक कारपोरेट बांड़ों का अभिदान करे तो इससे दोहरे लेखांकन की समस्या हो सकती है। इसलिए, बैंक ऋण से इस तरह संसाधन जुटाने की तुलना करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

चित्र 8: सूचकांक एवं निफ्टी का उतार चढ़ाव



स्रोत: बीएसई एवं एनएसई

अनुषंगी बाजार

3.18 10 जनवरी, 2018 को एसएण्डपी बीएसई संवेदी सूचकांक, बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक 34,433 बिन्दुओं पर बंद हो गया। इस प्रकार 31 मार्च 2017 की 29,621 बिन्दुओं पर बंदी से 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि के दौरान एसएण्डपीबीएसई सूचकांक ने 9 जनवरी, 2018 को 34,443 बिन्दुओं के अपने उच्चतम मान को छू लिया जबकि 18 अप्रैल 2017 को 29,319 बिन्दुओं पर इसका मूल्य न्यूनतम था। निफ्टी 50, एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक 10 जनवरी 2018 को 10,632 बिन्दुओं पर बंद हुआ, इससे 31 मार्च 2017 को 9174 बिंदुओं पर बंदी से 15.9 प्रतिशत की वृद्धि परिदृष्ट होती है। इस अवधि के दौरान निफ्टी 50 ने 9 जनवरी 2018 को 10,637 बिन्दुओं के उच्चतम मान को छू लिया, जबकि 19 अप्रैल 2017 को इसका न्यूनतम मान 9,105 बिन्दु था।

बीमा क्षेत्र

3.19 बीमा, वित्तीय क्षेत्र का अभिन्न अंग होने की वजह से, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन का आकलन दो पैरामीटरों अर्थात बीमा पहुंच व बीमा सघनता के आधार पर किया जाना चाहिए। बीमा की पहुंच को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमा सघनता को कुल जनसंख्या (अंतरराष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से अमरीकी डालर में मापित) से एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

3.20 बीमा पहुंच, जो 2001 में 2.71 प्रतिशत थी, बढ़कर 2016 में 3.49 प्रतिशत हो गई (जीवन 2.72 प्रतिशत तथा सामान्य 0.77 प्रतिशत) है। एशिया में कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात मलेशिया, थाइलैंड और चीन में उसी वर्ष अर्थात 2016 के दौरान बीमा पहुंच क्रमशः 4.77, 5.42 तथा 4.15 प्रतिशत थी। वैश्विक स्तर पर बीमा पहुंच एवं सघनता क्रमशः 2016 में जीवन खंड में 3.47 प्रतिशत एवं 353 अमरीकी डालर तथा गैर जीवन खंड के लिए 2.81 प्रतिशत तथा 285.3 अमरीकी डालर थी। भारत में बीमा सघनता, जो 2001 में 11.5 अमरीकी डालर थी, 2016 (जीवन 46.5 तथा सामान्य 13.2) में 59.7 अमरीकी डालर तक बढ़ गई है। मलेशिया, थाइलैंड तथा चीन के लिए इसी अवधि अर्थात 2016 के लिए तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 452.2 अमरीकी डालर, 323.4 अमरीकी डालर तथा 337.1 अमरीकी डालर थे।

3.21 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य बीमा (भारत में), सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी), 33 प्रतिशत की वृद्धि (2000-01 से उच्चतम) के साथ रु. 130.97 हजार करोड़ था। फसल बीमा, मोटर बिक्री, स्वास्थ्य बीमा आदि से इस उद्योग की वृद्धि में मदद मिली। जीवन बीमा उद्योग ने पूर्व वित्त वर्ष में 367 हजार करोड़ रु. की तुलना में रु. 418 हजार करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की, जो 14.04 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

04

अध्याय

कीमतें और मुद्रास्फीति

देश में मुद्रास्फीति का 2017-18 के दौरान कम होना जारी रहा। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत 3.3 प्रतिशत था, यह पिछले छह वित्तीय वर्ष में सबसे कम थी। खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर दालों और सब्जियों में बहुत अधिक कमी आने से सामान्य मुद्रास्फीति कम हुई। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई। इस अवधि के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति भी गिरी। वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में मुद्रास्फीति गिरावट देखी गई।

विषय प्रवेश

4.1 अर्थव्यवस्था में पिछले चार वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से धीरे-धीरे स्थिर कीमतों की ओर पारगमन हुआ है। लगातार चौथे वर्ष के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा मापी गई हेड लाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरूआत 3.0 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति दर से हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कीमतों में सामान्य सी वृद्धि हुई थी, इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति का स्तर नीचे रहा। हेड लाइन मुद्रास्फीति दर 2017 के जून महीने में 1.5 प्रतिशत पर अपनी श्रृंखला में कमतर आ गई। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 1.2 प्रतिशत पर नीचे गिर गई।

4.2 थोक कीमत सूचकांक की नई श्रृंखला (2011-12) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रही जबकि 2015-16 में (-)3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 1.2 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के लिए थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत रही। पिछले छह वर्षों के लिए कीमत सूचकांकों की प्रमुख श्रृंखलाओं पर आधारित मुद्रास्फीति सारणी-1 में दी गई है और अप्रैल 2014 से थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक में उतार-चढ़ाव चित्र-1 में दिये गए हैं।

चित्र 1: विभिन्न सूचकांकों के अनुसार सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-दिसं.)*
डब्ल्यूपीआई	6.9	5.2	1.2	- 3.7	1.7	2.9 (P)
सीपीआई (समिश्र)	10.2	9.5	5.9	4.9	4.5	3.3 (P)
सीपीआई (आईडब्ल्यू)	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	2.3#
सीपीआई (एएल)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.0#
सीपीआई (आरएल)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.1#

स्रोत: थोक कीमत सूचकांक के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सीपीआई (आईडब्ल्यू) सीपीआई (एएल) तथा सीपीआई (आरएल) के लिए श्रम ब्यूरो।

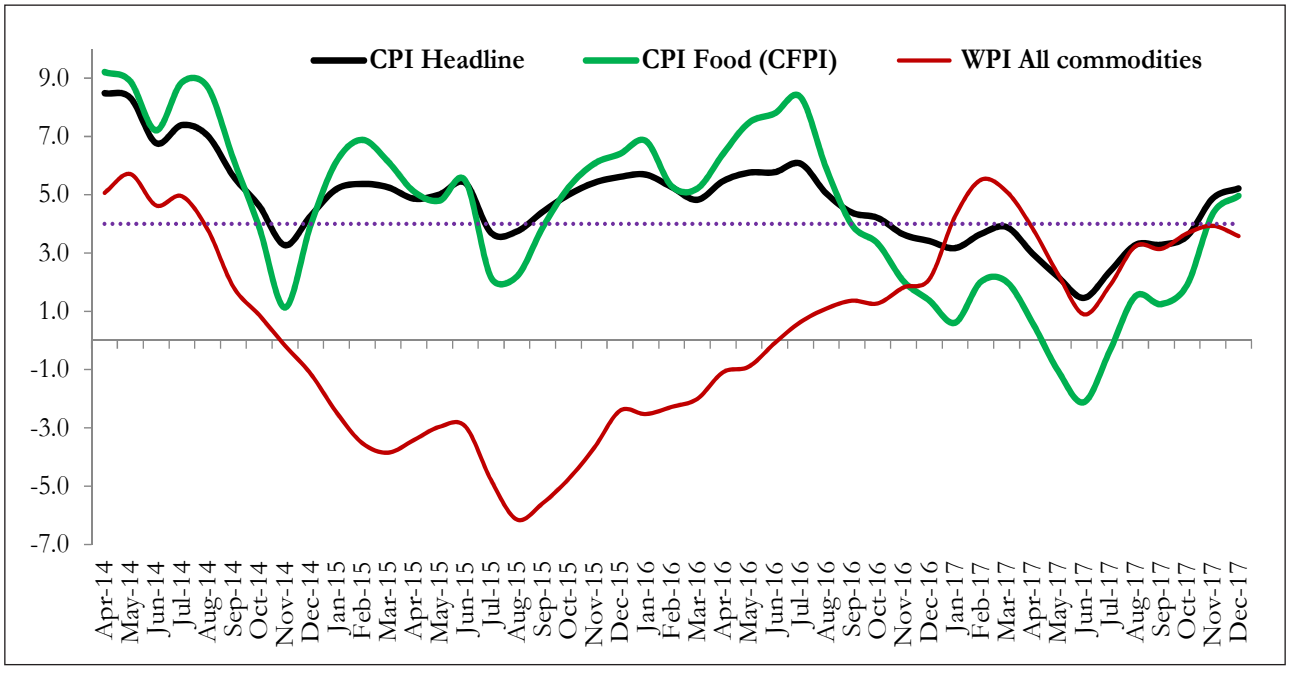
टिप्पणी: पुरानी श्रृंखला 2010=100 पर आधारित 2012-13 और 2014-15 के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) मुद्रास्फीति।

पी-अनंतिम आईडब्ल्यू का अर्थ है औद्योगिक कामगार एएल का अर्थ है कृषि श्रमिक और आरएल का अर्थ है ग्रामीण श्रमिक।

#2017-18 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिए

*अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रास्फीति, अप्रैल-दिसंबर 2016 से नौ महिनों के लिए मासिक सूचकांक के औसत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2017 से नौ महिनों के लिए मासिक सूचकांक के औसत में प्रतिशत परिवर्तन है।

चित्र 1: थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृतियां

4.3 औसत सीपीआई (समिश्रित) मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.5 प्रतिशत हो गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 में औसत मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसंबर) में 3.3 प्रतिशत थी, जो 4 प्रतिशत के आरंभिक स्तर से काफी कम थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति में गिरावट सौम्य, खाद्य मुद्रास्फीति संकेतक के कारण थी, जो-2.1 से 1.5 प्रतिशत के दायरे में रही। अक्तूबर 2017 तक सीधे 12 महीनों के लिए मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत से कम बनी रही (चित्र 1)। सीपीआई-समिश्र मुद्रास्फीति, दिसंबर 2016 में 3.4 प्रतिशत और नवंबर 2017 में 4.9 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर माह 2017 के लिए 5.2 प्रतिशत थी।

4.4 खाद्य मुद्रास्फीति: सरकार के लगातार कीमतों पर नजर रखने के साथ-साथ अच्छे कृषि उत्पादन से मुद्रास्फीति, खास तौर से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 2014-15 में 6.4 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.2 प्रतिशत हो गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति कम होकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई और दिसंबर 2017 में 5.0 प्रतिशत के स्तर पर रही। हाल के महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्यत: सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों के कारण है। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के आधार व्यापक हैं, इसमें प्रमुख कारक हैं मांस एवं मछली, तेल एवं चर्बी, मसाले सब्जियां और दालें एवं उत्पाद। सीपीआई-समिश्र में 2.4 भारांश वाले दालें एवं उत्पाद उप-समूह में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 22.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज हुई थी। समग्र सीपीआई-सी में 6.04 भारांश वाली सब्जियों में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 2.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

4.5 थोक कीमत सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई। यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 6.3 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.3 प्रतिशत के स्तर पर थी। पिछले वित्त वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों के थोक कीमत सूचकांक में भी गिरावट देखी गई है। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति नवम्बर 2016 में 6.3 प्रतिशत और नवंबर 2017 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2017 में 2.9 प्रतिशत थी।

सारणी 2: उपभोक्ता कीमत सूचकांक समिश्र के चुनिंदा समूहों में मुद्रास्फीति-आधार 2012 (प्रतिशत)

विवरण	भारांश	2016-17	2017-18 अप्रैल-दिसं.	दिसं.-16	नवं. 17	दिसं.-17 (पी)
सभी समूह	**100**	**4.5**	**3.3**	**3.4**	**4.9**	**5.2**
सीएफपीआई*	**39.1**	**4.2**	**1.2**	**1.4**	**4.4**	**5.0**
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	4.4	1.7	2.0	4.4	4.9
अनाज एवं उत्पाद	9.7	4.2	3.9	5.3	3.3	2.6
दूध एवं उत्पाद	6.6	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4
सब्जियां	6.0	-2.2	2.4	-14.6	22.5	29.1
दालें एवं उत्पाद	2.4	9.3	-22.1	-1.6	-23.6	-23.5
ईंधन एवं प्रकाश	6.8	3.3	6.0	3.8	8.2	7.9
सीपीआई खाद्य एवं ईंधन समूह को छोड़कर (प्रमुख)	47.3	4.8	4.5	4.9	4.9	5.2

स्रोत: सीएसओ पी: अनंतिम *उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक

सारणी 3: थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति आधार 2011-12 (प्रतिशत)

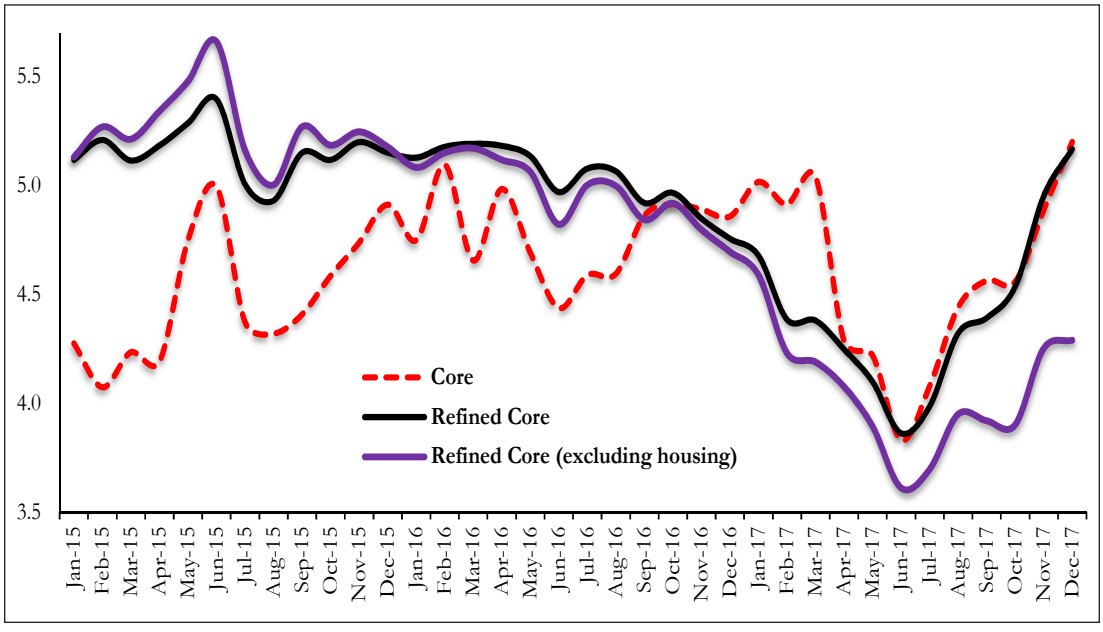
विवरण	भारांश	2016-17	2017-18 अप्रै.-दिसं.	दिसं. 16	नवं.-17 (पी)	दिसं.-17 (पी)
सभी वस्तुएं	**100**	**1.7**	**2.9**	**2.1**	**3.9**	**3.6**
खाद्य सूचकांक	**24.4**	**5.8**	**2.3**	**3.6**	**4.1**	**2.9**
खाद्य वस्तुएं	15.3	4.0	2.3	0.1	6.1	4.7
अनाज	2.8	8.7	0.9	9.9	-2.1	-3.0
दालें	0.6	17.6	-27.5	14.8	-35.5	-34.6
सब्जियां	1.9	-5.3	19.3	-26.9	59.8	56.5
फल	1.6	6.0	3.6	0.6	4.2	12.0
खाद्य उत्पाद	9.1	9.5	2.3	10.7	0.5	-0.2
ईंधन एवं विद्युत	13.2	-0.2	9.7	4.2	8.8	9.2
खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद (प्रमुख)	55.1	-0.1	2.6	1.0	3.0	3.2

स्रोत: डीआईपीपी पी: अंनतिम

4.6 मुख्य मुद्रास्फीति: जबकि हेडलाईन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान सीपीआई आधारित मुख्य[1] मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से अधिक रही। हालांकि यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.8 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.5 प्रतिशत रह गई और दिसंबर, 2017 में 5.2 प्रतिशत थी (चित्र 2)। वित्त वर्ष 2017-18 की शुरूआत से रिफाइन्ड कोर[2], कोर के बिलकुल आस-पास बढ़ रहा है, यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.0 से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.4 प्रतिशत हो गया। रिफाइण्ड कोर की घट-बढ़ (आवास को छोड़कर)[3] रिफाइण्ड कोर की प्रवृत्तियां दर्शा रही हैं। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए मकान किराया भत्ते के क्रियान्वयन के बाद दोनों के बीच अन्तर बढ़ा है। रिफाइण्ड कोर (आवास को छोड़कर) वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.9 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.0 प्रतिशत रह गया और नवम्बर 2017 में यह 4.3 प्रतिशत था।

1 सीपीआई में खाद्य एवं ईंधन समूह शामिल नहीं हैं।
2 सीपीआई खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल एवं डीजल को छोड़कर।
3 सीपीआई खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल एवं डीजल को छोड़कर।

चित्र 2: उपभोक्ता कीमत सूचकांक समिश्र आधारित मुख्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



बॉक्स 4.1: उत्पादक कीमत सूचकांक

सरकार ने भारत में उत्पादक कीमत सूचकांक की रचना प्रारंभ करने के लिए कार्य विधियां सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रो. बी.एन. गोलदार की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने 31.08.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उत्पादक कीमत सूचकांक पर कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) भारत में उत्पादक कीमत सूचकांक (पीपीआई) उच्चतर स्तर के भारांश के लिए सकल अंतिम प्रयोग कीमत का उपयोग करते हुए आपूर्ति उपयोग सारणी 2011-12 के आधार पर संकलित किया जा सकता है। आरंभ में वस्तुओं और सेवाओं के लिए सकल अंतिम प्रयोग भारांश पर आधारित सूचकाकों को अलग से संकलित किया जाना चाहिए। एक बार सेवा क्षेत्र के सूचकांक का कवरेज पर्याप्त ढंग से हो जाए और क्षेत्र-वार सूचकांक सुगठित और स्थिर हो पाएं, तब वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित सकल सूचकांक सुदृढ़ और स्थिर हैं।

(ii) आदान पीपीआई के दो अलग-अलग समूह संकलित किए जा सकते हैं-एक समूह में सेवा सम्मिलित होगी और दूसरे में नहीं।

(iii) प्रयोक्ताओं के लाभार्थ अंतिम मांग और मध्यवर्ती मांग ढांचे पर आधारित उत्पाद या निर्गत पीपीआई का अतिरिक्त समूह भी संकलित किया जा सकता है।

(iv) उत्पादक कीमत सूचकांकों का संकलन शुरूआत में प्रायोगिक आधार पर किया जाए और इस के स्थिर होने तथा पणधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही थोक कीमत सूचकांक से उत्पादक कीमत सूचकांक प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए।

(v) प्रायोगिक तौर पर उत्पादक कीमत सूचकांक के संकलन के लिए थोक कीमत सूचकांक की मौजूदा श्रृंखला से एकत्रित दरों को उपयोग में लाया जाए।

(vi) प्रायोगिक उत्पाद कीमत सूचकांक माहवार जारी किए जाएंगे। शुरूआत में उत्पादक कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 होगा।

(vii) शुरूआती दौर में कार्य दल ने उत्पादक कीमत सूचकांक समूह में 15 सेवाओं को शामिल करने की सिफारिश की थी। उत्पाद कीमत सूचकांक के प्रायोगिक चरणों के दौरान सेवा क्षेत्र का विस्तार तात्कालिक आधार पर सभी प्रमुख क्षेत्रों पर कर दिया जाना चाहिए।

उत्पादक कीमत सूचकांक माल और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। उनके उत्पादन स्थल से बाहर आने पर सूचक को उत्पादक कीमत सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। दूसरी ओर जब वे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, सूचक को आदान उत्पादक सूचकांक कहा जाता है। इस प्रकार उत्पादक उन सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन दर्शाता है, जो उत्पादकों को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आदान सूचकांक उन कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, जो उत्पादक अपने आदानों के लिए भुगतान करते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक की तुलना अन्य पैमानों से, जैसे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक से की जा सकती है जो खरीदारों अथवा उपभोक्ताओं की नजर से कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।

थोक कीमत सूचकांक समूह सभी मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों की प्रथम अवस्था में थोक लेनदेन की कीमतों पर नजर रखता है। मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों के समुचित पृथक्कीकरण के बिना थोक कीमत सूचकांक के सकल समूह के आंकलन में अंर्तविष्ट ख़ामी यह है कि इसमें बहुगणना हो जाती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति के आकलन में गड़बड़ी हो सकती है। बहुगणना तब होती है, जब किसी पण्य विशेष की कीमत और इसके उत्पादन के लिए आदान, दोनों को सकल सूचकांक में शामिल कर लिया जाता है।

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा संकलित आपूर्ति उपयोग सारिणी में से भार व्युत्पन्न करके बहुगणना करने से उत्पन्न विकृति को उत्पादक कीमत सूचकांक काफी हद तक कम करता है, इसके अलावा उत्पादक कीमत सूचकांक की परिधि में सेवाएं शामिल हैं, जो फिलहाल, थोक कीमत सूचकांक

के दायरे में नहीं आती। थोक कीमत सूचकांक से उत्पादक कीमत सूचकांक की ओर अग्रेषित करने के फायदे हैं: सभी माल एवं सेवाओं के थोक लेनदेन को शामिल करना, थोक कीमत सूचकांक में अंर्तनिहित दो बार गणना की प्रवृत्ति को समाप्त करना और सूचकांकों का संकलन, जो अपस्फायक के रूप में प्रयोग करने के लिए वैचारिक रूप से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के अनुकूल हो।

कार्य दल की पूरी रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार कार्यालय की वेबसाइट http://eaindustry.nic.in/pp/-final-report.pdj. पर देखी जा सकती है।

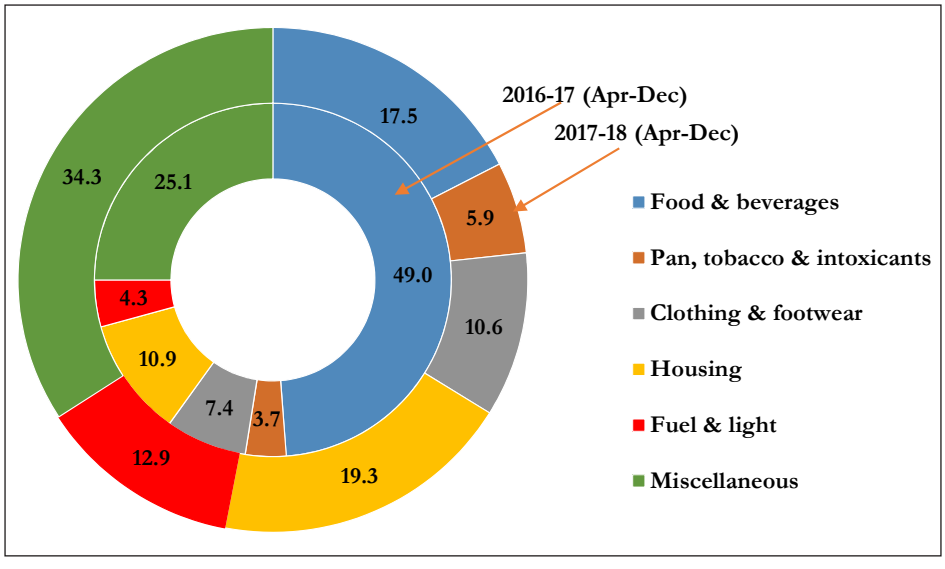
मुद्रास्फीति के कारक

4.7 अखिल भारत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिश्रित मुद्रास्फीति मुख्यत: खाद्यान्नों के कारण हुई। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) (चित्र-3) के दौरान विविध[4] समूह ने इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। जैसाकि चित्र 6 से देखा जा सकता है, वस्तु मुद्रास्फीति (उपभोक्ता कीमत सूचकांक-मिश्रित में 76.6% का भारांश) जून, 2017 से बढ़ रहा है, जबकि सेवाओं में मुद्रास्फीति (23.4% के भारांश सहित) लगभग 5% रही। 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में आवास समूह ने मुद्रास्फीति में दो गुना योगदान किया। आवास को छोड़कर सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2017-18 में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5% से कम होकर 3.8% हो गई। 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में ईंधन और बिजली समूह के उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में योगदान में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई।

4.8 यद्यपि 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में खाद्य उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण था, मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 'विविध समूह' ने मुद्रास्फीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ईंधन, बिजली, कपड़ा, जूते/चप्पल और पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ समूह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2017 में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में उछाल आया (चित्र 4 देखें)।

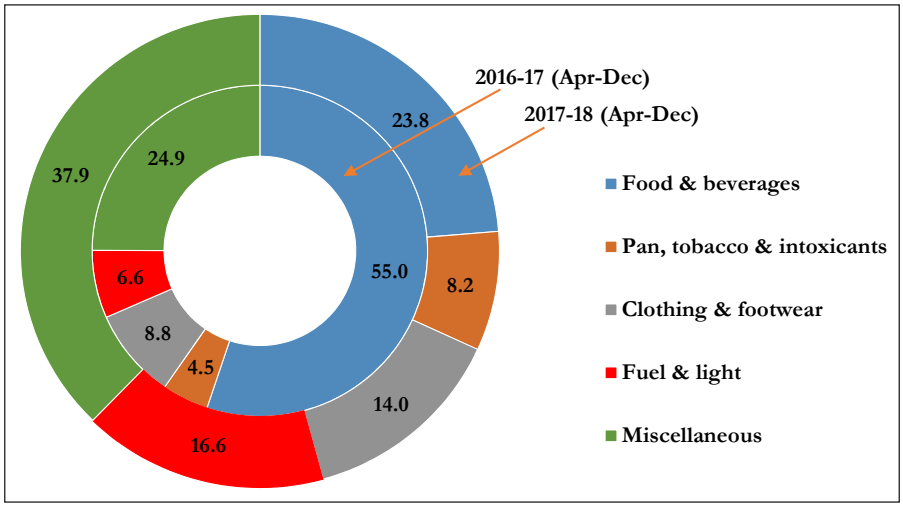
4.9 शहरी क्षेत्रों में पिछले वर्ष अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण खाद्यान्न था, लेकिन आवास क्षेत्र ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसके बाद विविध समूह का योगदान रहा (चित्र 5 देखें)।

चित्र 3: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) उपभोक्ता कीमत सूचकांक (मिश्रित) मुद्रास्फीति में योगदान

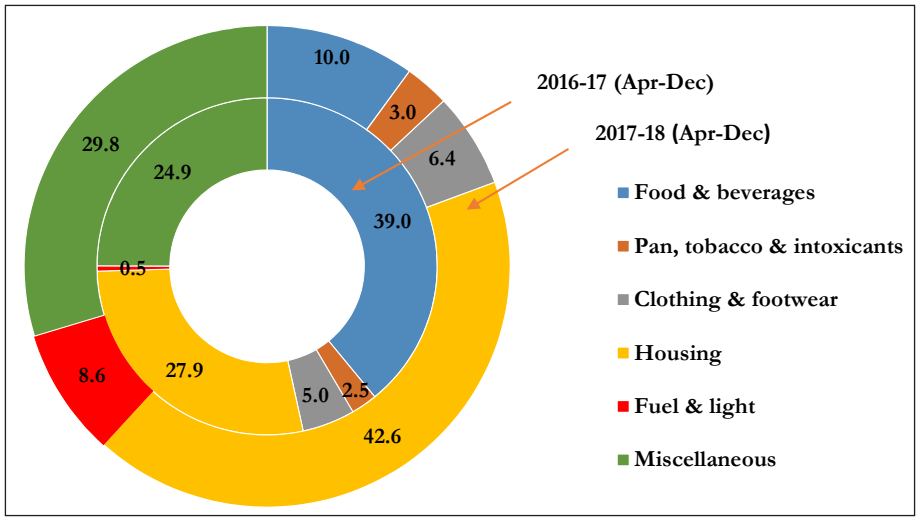


[4] विविध समूह (सीपीआइ-सी में 28.32%) के भारांश, में घरेलू वस्तुएं एवं सेवाए, स्वास्थ्य यातायात एवं संचार, मनोरंजन एवं मनोविनोद, शिक्षा और निजी देखभाल और प्रभाव।

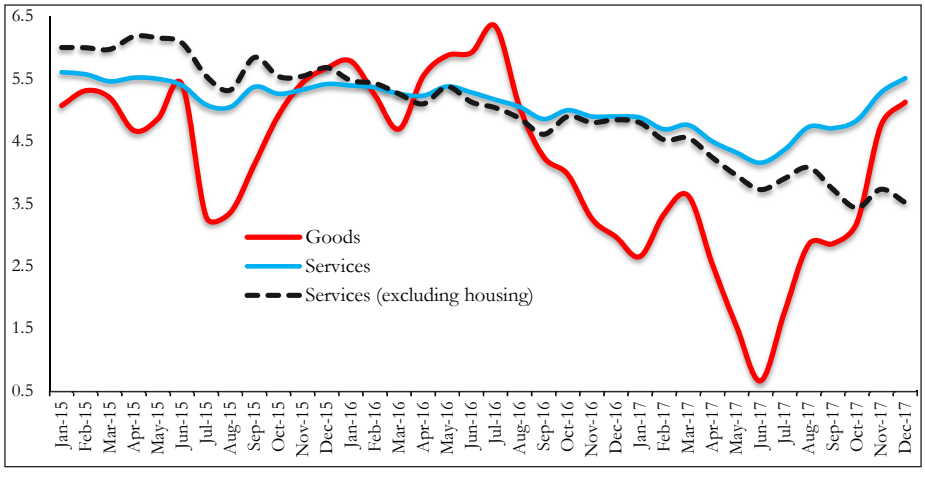
चित्र-4: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में योगदान



चित्र-5: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी)



चित्र-6: माल और सेवाओं में उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

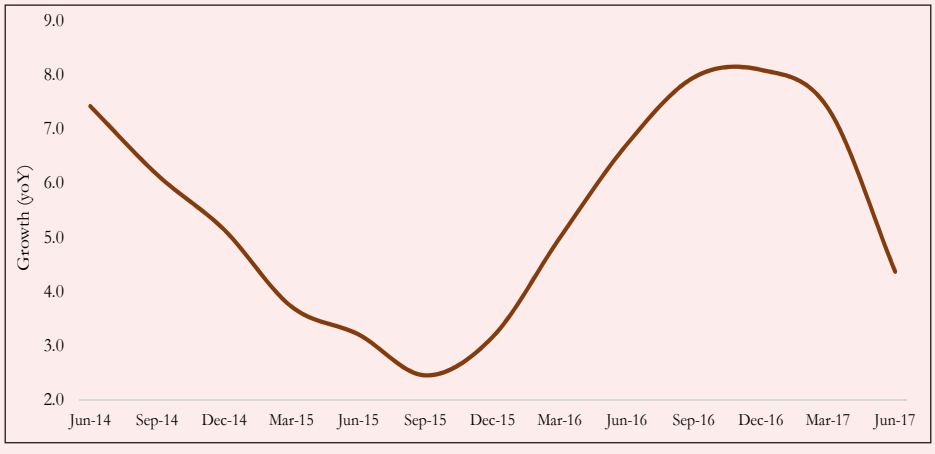


बॉक्स-4.2 : आवास कीमत सूचकांक

एक भौगौलिक सीमा के भीतर रिहायशी संपत्ति की कीमतों में उतार/चढ़ाव को मापने के लिए आवास कीमत सूचकांक एक व्यापक उपाय है। देश में प्रथम सरकारी आवासीय कीमत सूचकांक, जिसे ''एनएचबी-रेसिडेक्स'' की संज्ञा दी गई, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जुलाई 2007 में शुरू किया गया। कुछ समय बाद आधार वर्ष बदल कर वित्तीय वर्ष 2012-13 कर दिया गया ताकि अद्यतन सूचना प्राप्त हो सके और देश में मौजूदा आर्थिक स्थिति की वास्तविक छवि पेश की जा सके। इस समय राष्ट्रीय आवास बैंक वित्तीय वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानकर 50 शहरों के लिए त्रैमासिक एनएचबी रेसिडेक्स प्रकाशित कर रहा है। इन 50 शहरों में 18 राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानियां तथा 37 स्मार्ट सिटी शामिल हैं। इस समय राष्ट्रीय आवास बैंक समेकित अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक की गणना नहीं कर रहा है।

एनएचबी अभी तक समग्र स्तर पर अखिल भारतीय आवास कीमत सूचकों का आंकलन नहीं कर रहा। हमने आन्तरिक प्रयोग के लिए शहरी सूचकों की जनसंख्या भारित औसत का आंकलन कर उसे अखिल भारतीय सूचक माना है (चित्र 1)। चित्र से पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर मकानों की कीमतों में वृद्धि दर दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही से घटना शुरू हो गई थी। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 8% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में लगभग 4% हो गई है।

चित्र-1: आकलन कीमतों पर राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास कीमत सूचकांक पर आधारित आवास कीमत सूचकांक (प्रतिशत)

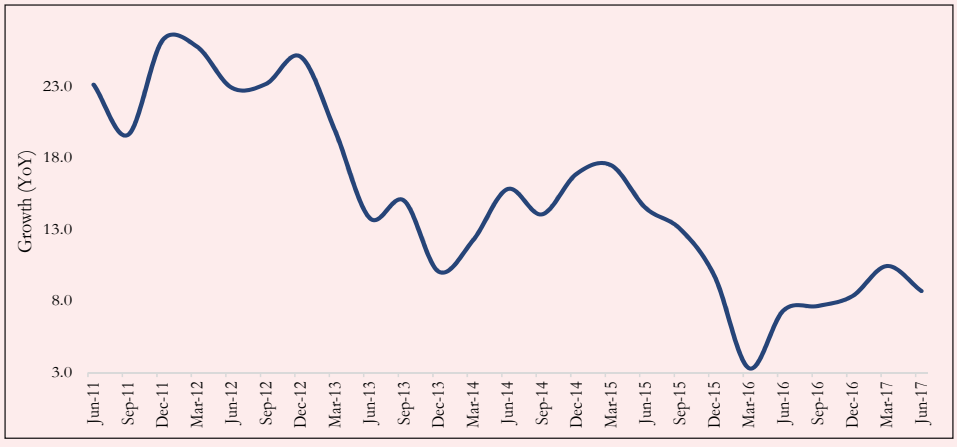


(टिप्पणी): राष्ट्रीय आवास बैंक बैंकों/आवासीय वित्तीय निगमों से तिमाही आधार पर प्राप्त कीमतांकन डाटा के मद्देनजर प्रत्येक 50 शहरों के आवास कीमत सूचकांकों की गणना करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई शहर के लिए (आधार 2002-03=100) तिमाही आवास कीमत सूचकांक के साथ 2007 में आवास कीमत सूच. कांक का संकलन शुरू किया। तबसे इसने अपना कार्य-क्षेत्र 9 और शहरों तक विस्तारित किया है, अपने आधार को बदल कर 2010-11=100 किया है और तिमाही मिश्रित अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक प्रकाशित करना शुरू किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का तिमाही आवास कीमत सूचकांक दस प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त लेन देन के आंकड़ों पर आधारित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक के अनुसार मकानों की कीमतों में वृद्धि मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में 3% के न्यून स्तर पर रही किन्तु इस में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ उछाल आया है। 2017-18 की प्रथम तिमाही (चित्र 8) में यह बढ़कर 8.7% हो गयी। (चित्र 2)

चित्र 2 : आरबीआई के अखिल भारतीय एचपीआई पर आधारित एचपीआई मुद्रास्फीति

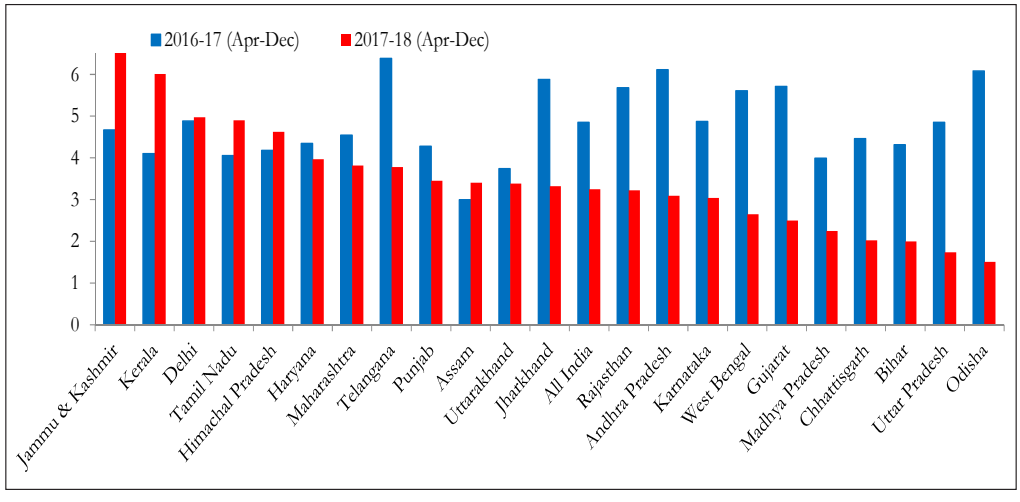


राज्यवार[5] मुद्रास्फीति

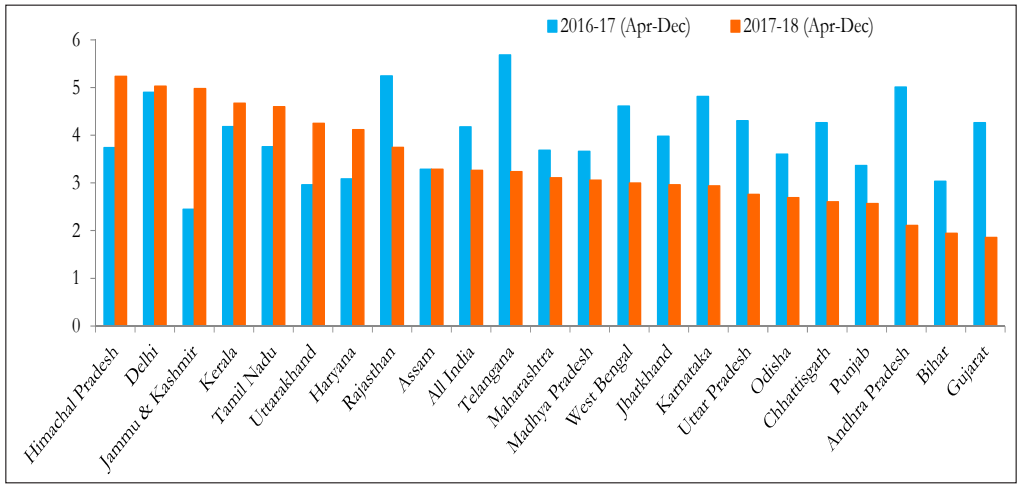
4.10 वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान अधिकतर राज्यों में उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में तेजी से कमी देखने को मिली है (चित्र 7)। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में सत्रह राज्यों में मुद्रास्फीति 4% से कम थी जबकि वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर में) केवल तीन राज्यों में ऐसी स्थिति थी। पांच राज्यों नामत: जम्मू और कश्मीर, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई जबकि उन्नीस राज्यों में वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से अधिक थी। दस राज्यों की मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) की अखिल भारतीय औसत दर से कम थी, जिनमें ओडिशा की मुद्रा स्फीति दर सबसे कम थी और इसके बाद क्रमश: उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मुद्रास्फीति दर थी।

4.11 पन्द्रह राज्यों के शहरी क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम थी जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह स्थिति बारह राज्यों में ही थी (चित्र 8)। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-ग्रामीण के मामले में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में पन्द्रह राज्यों की मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम थी, जबकि वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह केवल एक राज्य इस स्तर से कम रही थी (चित्र 9)।

चित्र 7: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



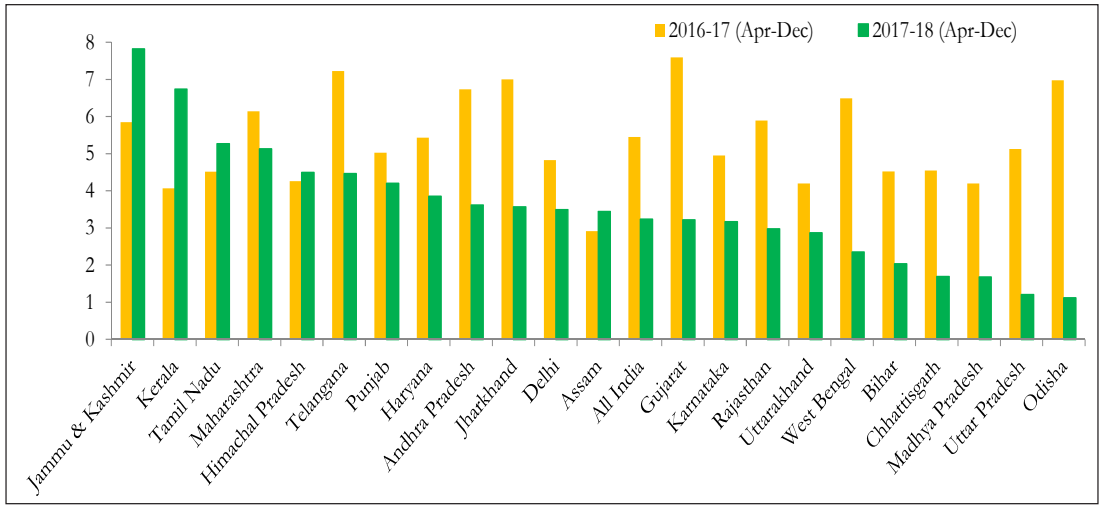
चित्र 8: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)



5. विश्लेषण दिल्ली सहित 22 राज्यों तक सीमित है

6. अप्रैल से दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर 2016 तक नो महीनों के औसत मासिक सूचकांक की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2017 तक नो महीनों औसत मासिक सूचकांक में प्रतिशतांक परिवर्तन है।

चित्र 9: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)



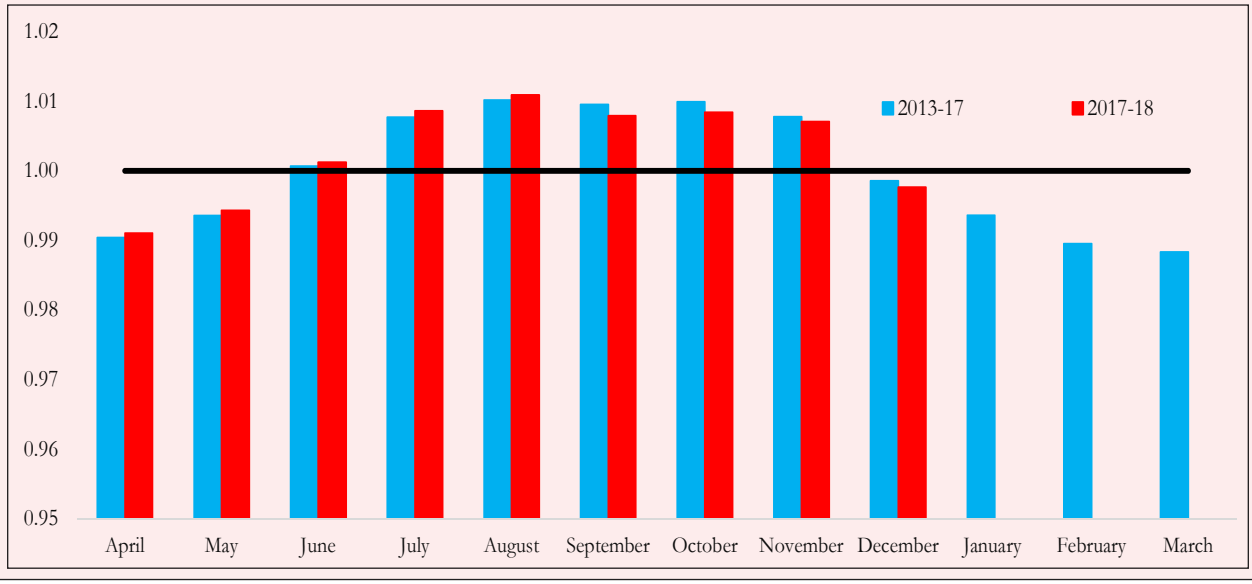
बाक्स-4.3: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र और इसके खाद्य घटकों में मौसमी उच्चावचन

वर्ष के दौरान कभी-कभी आपूर्ति की कमी होने से वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को मौसमी प्रकृति का माना जाता है। सामान्य (शीर्षक) मुद्रास्फीति स्थायी (कोर) की तुलना में अधिक अस्थिर होती है; आपूर्ति में कमी के कारण प्रभावित होने वाली खाद्य पदार्थों की सापेक्ष कीमत में बड़ा परिवर्तन होने के कारण इसमें घट-बढ़ होती है। खाद्य समूह, जिसका भारत में कीमत सूचकाक की श्रृंखला (विशेषकर उपभोक्ता कीमत सूचकांक) में विशेष महत्व होता है, पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता है। कीमत सूचकांक की श्रृंखला में, विशेषकर दालों, फल और सब्जियों के समूह में उनकी मौसमी प्रकृति के कारण काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं।

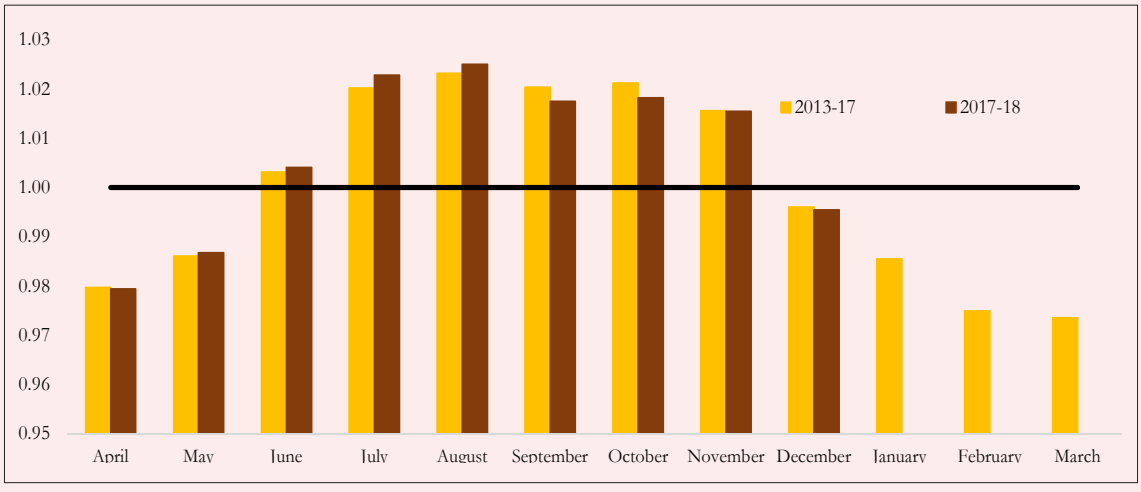
कीमत श्रृंखला की मौसमी प्रकृति की जांच के लिए प्रयास किया गया है ताकि मौसमी कारकों की सीमा और प्रकृति का आकलन किया जा सके। यह विश्लेषण, भारतीय रिजर्व बैंक की आंतरिक तकनीकी समूह की रिपोर्ट में अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। X-12 'अरीमा' पद्धति का प्रयोग कर कीमत श्रृंखला के मौसमी कारक प्राप्त किए जाते हैं। 1.00 से अधिक के मौसमी कारकों से उस अवधि की जानकारी मिलती है जब मौसमी कारणों से कुछ उर्ध्वमुखी परिवर्तन नजर आने की संभावना रहती है।

चित्र 1 से 3 क्रमशः उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के हेडलाइन, खाद्य समूह और सब्जी समूह के मौसमी कारक दर्शाते हैं। ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र (सभी समूह) के लिए जुलाई से शुरू होकर नवम्बर माह के अंत तक की मौसम की प्रकृति को दर्शाते हैं। सीएफपीआई और सब्जियों के लिए अगस्त माह में मौसमी कारक की अधिकतम सीमा देखने को मिलती है उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के खाद्य समूहों में मौसमी प्रकृति की मौजूदगी के विपरीत, इसके गैर-खाद्य समूहों में नगण्य मौसमी प्रकृति देखने को मिलती है।

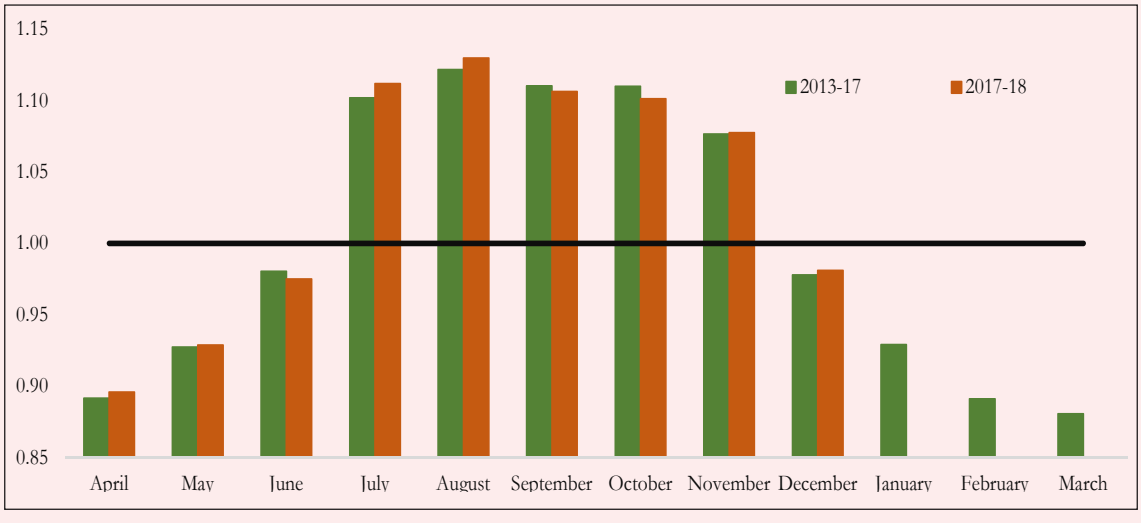
चित्र 1: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र सभी समूहों के मौसमी कारकों का उच्चावचन



चित्र 2: सीएफपीआई के मौसमी कारकों का संचलन



चित्र 3: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र सब्जियों के मौसमी कारकों का संचलन



किसी वर्ष विशेष और बाद के वर्षों के दौरान कीमत श्रृंखला में मौसमी कारकों की भिन्नता को देखने के लिए चार वर्षों अर्थात 2013-14 से 2016-17 की कीमत श्रृंखला के मौसमी कारकों के लिए विचलन के गुणांक (सीवी) की गणना की जाती है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि मौसमी कारकों की भिन्नता का स्तर सामान्य कीमत श्रृंखला की अपेक्षा खाद्यान्न के मामले में अधिक है। खाद्य कीमत श्रृंखला के भीतर सब्जियों का विचलन स्तर, दालों की भिन्नता स्तर से कई गुना अधिक होता है। इस अवधि के दौरान दालों के मौसमी कारकों के विचलन गुणांक (सीवी) में वृद्धि हुई है।

सारणी 1: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के प्रमुख समूहों/उप समूहों के लिए विचलन गुणांक

	सीपीआई.सी सभी समूह	सीएफपीआई	सीपीआई.सी (दालें एवं उत्पाद)	सीपीआई.सी (सब्जियां)	सीपीआई.सी (गैर सीएफपीआई)
2013-14	0.90	1.96	1.29	9.68	0.26
2014-15	0.88	1.97	1.50	9.68	0.20
2015-16	0.86	1.96	1.71	9.81	0.14
2016-17	0.84	1.95	1.90	9.82	0.11

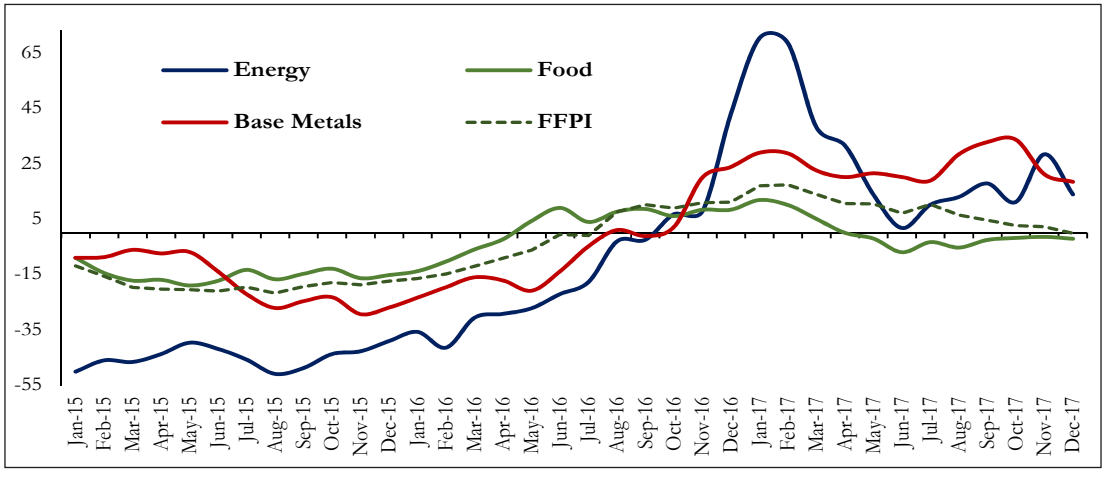
स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

*मुद्रास्फीति में मौसमी उतार-चढ़ाव पर आंतरिक तकनीकीय समूह, भा.रि.बैं. की रिपोर्ट मार्च 2008

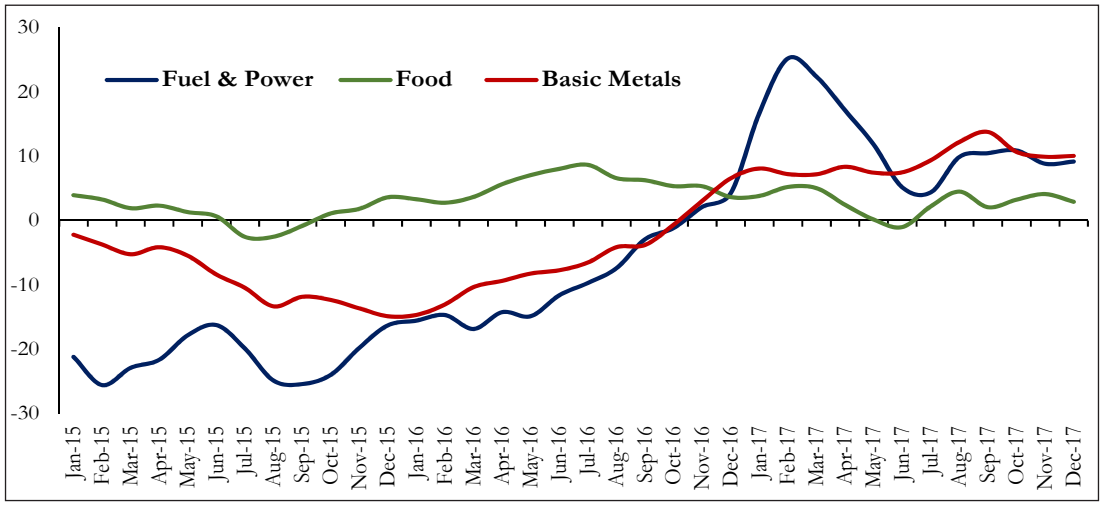
वैश्विक वस्तु कीमतों के रूझान

4.12 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वस्तु कीमतों के अनुसार ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) 15.3 प्र. तिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह (-) 8.0 प्रतिशत थी (चित्र 10)। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक पर आधारित ''ईंधन और ऊर्जा'' की मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव विश्व बैंक ऊर्जा कीमत सूचकांक का अनुगमन करता है और यह वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 9.7 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान यह वृद्धि (-) 6.5 प्रतिशत थी (चित्र 11)। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में विश्व बैंक खाद्य कीमतों में 3.0 प्रतिशत की कमी हुई परंतु पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि में इनमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत एफएओ की खाद्य कीमतों में वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.8 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई की बेस मेटल आधारित धातुओं की कीमतों ने भी विश्व बैंक के 'बेस मेटल' कीमत का अनुगमन किया है, हालांकि वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान विश्व बैंक की 'बेस मेटल' मुद्रास्फीति की 23.7 प्रतिशत की तुलना में डब्ल्यूपीआई के अनुसार 'बेसिक मेटल' की मुद्रास्फीति दर कम हो कर 9.9 प्रतिशत रह गई है।

चित्र 10: विश्व बैंक कीमत सूचकांक तथा एफएफपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)



चित्र 11: थोक कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)



7 एफएफपीआई-एफएओ खाद्यान्न कीमत सूचकांक/एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) खाद्य कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं की श्रृंखला की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का पैमाना है) इसमें पांच वस्तु समूह कीमत श्रृंखला के औसत शामिल होती है जो वर्ष 2002-2004 के लिए प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों से भारित होता है।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रयास

4.13 केन्द्रीय सरकार नियमित आधार पर कीमतों की स्थिति पर नजर रखती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिकता का क्षेत्र है। मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्यान्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवश्यक होने पर, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के लिए कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु अनुरूप अधिनियम, 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्शिकाएं जारी की जा रही हैं।
- कीमत और उपलब्धता स्तर के संबंध में शीर्षस्थ स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें सचिवों की समिति, अंतर मंत्रालयी समिति, कीमत स्थिरीकरण निधि प्रबंधक समिति तथा अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकों के स्तर पर की जाती है।
- खाद्य पदार्थों के लिए अधिकतम समर्थन कीमतें (एमएसपी) घोषित की गई हैं ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा कर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके जिससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
- दाल, प्याज आदि जैसी कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) नामक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सरकार ने दालों के सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) को 1.5 लाख मी॰ टन से बढ़ाकर 20 लाख मी0 टन करने को अनुमोदित कर दिया है ताकि खुदरा कीमतों को न बढ़ने देने के लिए कारगर बाजारी हस्तक्षेप किया जा सके। तद्नुसार घरेलू खरीद तथा आयात के मध्यम से कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत दालों का 20 लाख टन तक का गतिशील सुरक्षित भंड़ार तैयार किया गया है इसमें से 3.26 लाख मी॰ टन, बाजारी हस्क्षेप तथा बफर प्रबंधक के लिए बाजार में उतारा गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने, मध्याह्न भोजन योजना आदि के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालें दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सेना तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों की दाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सुरक्षित भंडार की दालों का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में यह निर्णय भी लिया गया है कि वे सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सुरक्षित भंडार की दालों का उपयोग करेंगे जिनकी पोषण घटक से जुड़ी योजनाएं या भोजन उपलब्ध करवाने/कैटरिंग (खान-पान)/अतिथ्य सरकार सेवा से जुड़ी योजनाए चल रही हैं।
- खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति केवल 5 किलों के ब्रॉडयुक्त कंज्यूमर पैक में दी गई थी जिसकी न्यूनतम निर्यात कीमत 900 रु॰ प्रति मी॰ टन अमेरिका डालर रखा गया था। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खजूर के तेल, सरसों के तेल और सूरजमुखी के तेल को छोड़कर तेल के निर्यात से यह प्रतिबंध हटा लिया गया है।
- सरकार ने अप्रैल, 2018 तक चीनी के स्टाक्सिटों/ डीलरों पर स्टॉक होल्डिग की सीमा तय कर दी है।
- सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% उत्पाद शुल्क लगाया ताकि उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और बढ़ती कीमत को कम किया जा सके।
- शून्य सीमा शुल्क पर 5 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई, इसके बाद 25% सीमा शुल्क पर अतिरिक्त 3 लाख टन के आयात की अनुमति प्रदान की गई।
- सभी प्रकार के प्याज के निर्यात की अनुमति साख-पत्र पर दी जाएगी जो 31 दिसंबर, 2017 तक 850 प्रति मी॰ टन न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) के अधीन होगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्याज की भंडार सीमा (स्टॉक सीमा) तय करने की सलाह दी गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि अपनी प्याज की मांग के बारे में सूचित करें ताकि उपलब्धता बढ़ाने और मौजूदा ऊंची दर में कमी लाने के लिए आवश्यक मात्र में आयात की कार्रवाई शुरू की जा सके।

निष्कर्ष

4.14 आवास एवं ईंधन तथा प्रकाश समूह को छोड़कर सभी बड़ी वस्तु समूहों में मुद्रास्फीति में व्यापक कमी आने से वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में 3.3 प्रतिशत रह गई। नवम्बर 2016 से अक्तूबर 2017 तक 12 माह तक मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन इनफ्लेशन) 4 प्रतिशत से कम रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति औसतन एक प्रतिशत के आस-पास रही है।

धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

05
अध्याय

भारत ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संपोषणीय कृषि, संपोषणीय पर्यावास, जल, वानिकी, हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणाली, और ज्ञान तथा क्षमता निर्माण से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है और प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यों से जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों को पूरा करने (और तदनुरूप परिवर्तन करने) और धारणीय विकास तथा ऊर्जा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की वचनद्धता प्रदर्शित होती है। भारत भी यह उम्मीद करता है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय समान और साझे सिद्धांतों परन्तु अपने-अपने दायित्वों का अनुपालन करने में उत्सुक होगा और वचनबद्धताओं को पूरा करेगा।

धारणीय विकास के लक्ष्य

5.1 सितंबर 2015 में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे व्यापक रूप से शामिल हैं जिन्हें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के आधार पर तैयार किया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि धारणीय विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार और सभी रूपों में व्याप्त गरीबी जिसमें चरम गरीबी भी शामिल है, को समाप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक करार शामिल है। कुल मिलाकर 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं जिनके 169 उद्देश्य है और उन्हें सन् 2030 तक प्राप्त करना है। भारत ने इन धारणीय विकास लक्ष्यों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5.2 सरकार के अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे धारणीय विकास लक्ष्य के एजेंडे को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष योगदान मिलेगा। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' (पीएमजेडीवाई) है जो विश्व का सर्वाधिक विशाल वित्तीय समावेशी कार्यक्रम है। जब हम आर्थिक ढांचागत विकास और औद्योगिकीकरण को लक्ष्य बनाते हैं तो यह देश की गरीबी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई मुख्यत: सामाजिक समावेशन और गरीबों के सशक्तीकरण पर केंद्रित हो जाती है। राष्ट्रीय विकास एजेंडे और धारणीय विकास लक्ष्यों से संबंधित भारत की वचनबद्धता को बल प्रदान करते हुए भारत की संसद में निर्धनता उन्मूलन, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति तैयार करने और कार्रवाई संबंधी परिप्रेक्ष्य के लिए अनेक मंच तैयार किए गए हैं। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) 2017 पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) में स्वैच्छिक रूप से भाग लिया था। भारत ने 19 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में धारणीय विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की थी। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों के अन्तर्गत की गई प्रगति के विश्लेषण पर आधाारित है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 7 धारणीय विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित है: 1-(गरीबी समाप्त); 2-(शून्य भुखमरी); 3-(अच्छा स्वास्थ्य); 5-(लैंगिक समानता); 9-उद्योग, नवोन्मेष और (बुनियादी सुविधाएं); 14-जलीय जीवन और 17-(उद्देश्यों के लिए भागीदारी);

राष्ट्रीय धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकेतक और आधाार रेखा

5.3 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा स्वीकृत

वैश्विक धारणीय विकास लक्ष्यों के आलोक में केंन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य विभिन्न हितार्थियों से प्राप्त सूचनाओं के आधाार पर सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रारूप राष्ट्रीय धारणीय विकास लक्ष्य संकेतक विकसित किए जा रहे हैं और ये इस समय अंतिम रूप प्रदान करने के अग्रिम चरण में है। कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक सतत् निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी और वर्ष 2016 को आधाार वर्ष मानते हुए धारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति संबंधी विश्वसनीय सूचना और साक्ष्य तैयार किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग की भूमिका विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिए धारणीय् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना को संग्रहित करने, देने और सर्वोत्तम व्यवहारों को दस्तावेजबद्ध करने की होगी। धारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन नियमित आधाार पर एक समेकित डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

शहरी भारत और सतत् विकास

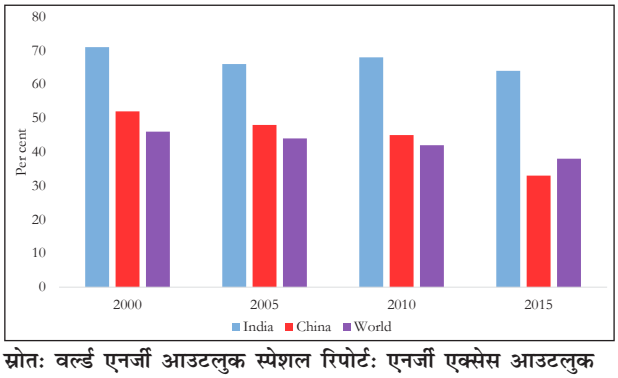
5.4 धारणीय विकास लक्ष्यों में 11 राज्यों के शहरों को समावेशी, सुरक्षित, रहने लायक और सातत्य प्रदान करना है। भारत बड़ी तेजी के साथ ग्रामीण से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। चूंकि शहर आर्थिक कार्यकलापों के केन्द्र होते हैं इसलिए कोई शहर धारणीय विकास के मार्ग पर प्रगति कर रहा है या नहीं इस बात का निर्धारण शहरों द्वारा प्रदान की जा रही बुनियादी सेवाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के धारणीय विकास के एजेंडे को कार्यरूप प्रदान करने वाले मानदण्डों को परिभाषित करने वाले प्राचलों में से एक शहरी भारत द्वारा चुना गया विकास पथ होगा।

5.5 विश्व आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2013 के अनुसार शहरों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए चार स्तंभों–सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन और प्रभावी शहरी शासन के बीच समन्वय पर टिका होता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शहर रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक 7 मेगासिटी होंगे जिनकी आबादी दस मिलियन से अधिक होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 377.1 मिलियन भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जो देश की जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत होता है। वर्ष 2031 तक भारत की शहरी आबादी के लगभग 600 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के शहर गरीबी, सुरक्षा उपाय और कूड़ा-करकट हटाने की चुनौतियों, गंदे पानी की निकासी, साफ-सफाई, रहने लायक आवास और सार्वजनिक परिवहन जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने शहरों के स्थायित्व में सुधाार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास नीति (2007), स्वच्छ, भारत मिशन (शहरी), और नगर पालिका मानव मल प्रबंधन (एमएसडब्ल्यू) आदि शामिल है। उसके बाद भी कई चुनौतियों का सामना करना शेष है। अवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के अनुसार अगले बीस वर्षों के दौरान शहरी बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए लगभग 39 लाख करोड़ रुपए (2009-2010 की कीमतों के आधार पर) की जरूरत पड़ेगी। इस में से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए (44 प्रतिशत) की जरूरत सड़कों के लिए थी और 08 लाख करोड़ रुपए (20 प्रतिशत) की जरूरत जलापूर्ति, जल-मल निकासी, मानव मल प्रबंधन और बरसाती पानी के नालों जैसी सेवाओं के लिए थी। इसके अलावा इसके प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अलग से जरूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों की आपूर्ति करना एक भारी चुनौती है। यदि हम पिछले अनुभवों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लागत वसूली का औसत 50 प्रतिशत से भी कम है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के सामने अगली चुनौती नगर पालिका बांड, पीपीपी, क्रेडिट रिस्क गारंटी आदि जैसे विभिन्न नवोन्मेषी वित्तीय लिखतों के माध्यम से संसाधान जुटाने को बढ़ावा देना है। भारत में ऐसे दस्तावेज का एक उदाहरण जिसे रेखांकित करना आवश्यक समझा गया है, वह म्युनिसिपल बांड का दस्तावेज है। भारत में म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए जुलाई, 2015 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नवीन विनियामक रूपरेखा नगरपालिका विनियमों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण अधिसूचित की। नये विनियमों में नगर निकायों या निगमित नगरीय संस्थाओं को प्राइवेट प्लेसमेंट या लोक निर्गम के माध्यम से म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। म्युनिसिपल बांड शहरी और अवसंरचना में व्यापक निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हांलाकि यूएलबी तथा राज्य सरकारों को शहरी परियोजनाओं में कार्यात्मक दक्षता और अर्थ क्षमता लानी होगी।

धारणीय ऊर्जा तक पहुंच

5.6 वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय, आधुनिक ऊर्जा का अन्य लक्ष्यों के साथ गहरा अंतरसंबंध होने के कारण समस्त अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तक सबकी पहुंच होना एक अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में इसका महत्व स्पष्ट है। फिर यह बेहतर स्वास्थ्य और लैंगिक समानता, उद्योग, नवीन प्रक्रिया और अवसंरचना, स्थायी शहरों और समुदायों जैसे अन्य धारणीय विकास लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा है। इसको समझने के लिए, ऊर्जा तक पहुंच और लैंगिक समानता के बीच संबंध का उदाहरण लिया जा सकता है। ऐसा कई चैनलों के माध्यम से हुआ है। भारत में ईंधन लकड़ी को एकत्र करने, जल भरने और भोजन पकाने का भार घरों में गैर आनुपातिक रूप से भारतीय महिलाओं के सर पर मढ़ा गया है। हालांकि साल दर साल भारत में घरों में स्वच्छ भोजन पकाने के लिए विकल्प साधनों के मामले में विचारणीय प्रगति हुई है, भारत में स्वच्छ भोजन पकाने के लिए जनसंख्या का अनुपात 2015 में 64% था जबकि विश्व में यह अनुपात औसतन 38% था और इसी वर्ष में चीन में यह अनुपात 33% दर्ज किया गया। (ओईसीडी/आईईए 2017, क) (चित्र)।

चित्र 1. स्वच्छ वातावरण में भोजन पकाने से वंचित जनसंख्या का हिस्सा



स्रोत: वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट: एनर्जी एक्सेस आउटलुक 2017, ओईसीडी/आईईए, 2017

5.7 ऐसी महिलाएं एवं बच्चे जो खाना बनाने में प्रत्यक्ष रूप से लगे हों अथवा अपना अधिक समय घर के भीतर व्यतीत करते हों उन पर आंतरिक वायु प्रदूषण का भी अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार (वाट्स आदि, 2017) ठोस ईंधन को जलाने से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 4.3 मिलियन लोग मरते हैं। अपरिष्कृत ईंधनों, जैसे लकड़ी और उपलों के प्रयोग से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, बल्कि उपर्युक्त ईंधनों को एकत्रित करने में पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ती है। एक आकलन के मुताबिक महिलाओं को भारत में जलावन (लकड़ी) को एकत्र करने में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 374 घंटे का समय व्यतीत करना पड़ता है (स्वच्छ चूल्हों हेतु वैश्विक सहयोग, 2014)। अत: आधुनिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच से ईंधन की लकड़ी एकत्र करने पर लगने वाले समय में कमी लाई जा सकती है और इससे बालिकाओं की शिक्षा व रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लॉसन (2008) के अनुसार आधारभूत परिदृश्य में तुलना करने पर वर्ष 2008-2017 की अवधि में भारत में लिंगानुसार अन्तर में आधे की कमी होने पर तथा वर्ष 2018-2027 की अवधि में लिंगानुसार अन्तर में पुन: आधे की कमी होने पर वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

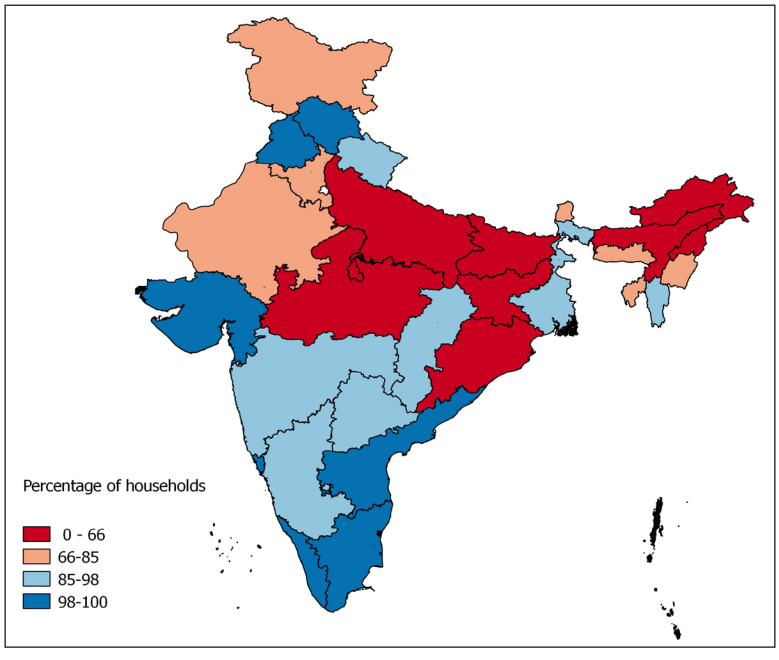
5.8 जैसाकि आर्थिक समीक्षा के पूर्व संस्करण में उल्लेख किया गया है, भारत सरकार ने मई, 2016 में ''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) लांच किया और मई 2020 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए इसे वर्धित किया गया। उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने अन्य योजनाएं जैसे ''उज्ज्वला प्लस'' की शुरूआत की है जिससे सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के अधीन नहीं आने वाले वंचित लोगों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं का समाधान होगा। वर्ष 2016-17 के दौरान 3.25 करोड़ नये एलपीजी कनेक्शन दिए गए जिसमें पीएमयूआई के अन्तर्गत दिए गए 2 करोड़ कनेक्शन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अपने सभी उपभोक्ताओं को वर्ष 2019 तक 24X7 विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) 2015 में लांच की गई थी जिसका उद्देश्य 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण को हासिल करना है, जबकि 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य स्कीम लांच की गई थी जिसका उद्देश्य देश के सुदूर क्षेत्रों के सभी लोगों तक विद्युत उपलब्ध कराना और देश में समान रूप से सभी परिवारों को विद्युतीकरण उपलब्ध कराने

1 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का ''सौभाग्य'' पोर्टल, 16 जनवरी, 2018 को दोहराया गया है।

के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष रह गए सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। देश के 18.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.2 करोड़ (78%) ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में विद्युतीकरण संबंधी अत्यधिक असमानता है (चित्र 2) केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, गुजरात और पंजाब ने परिवारों के विद्युतीकरण संबंधी 100 फीसदी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके विपरीत बिहार झारखंड और नागालैण्ड में 50 फीसदी से भी कम कार्य हुआ है।

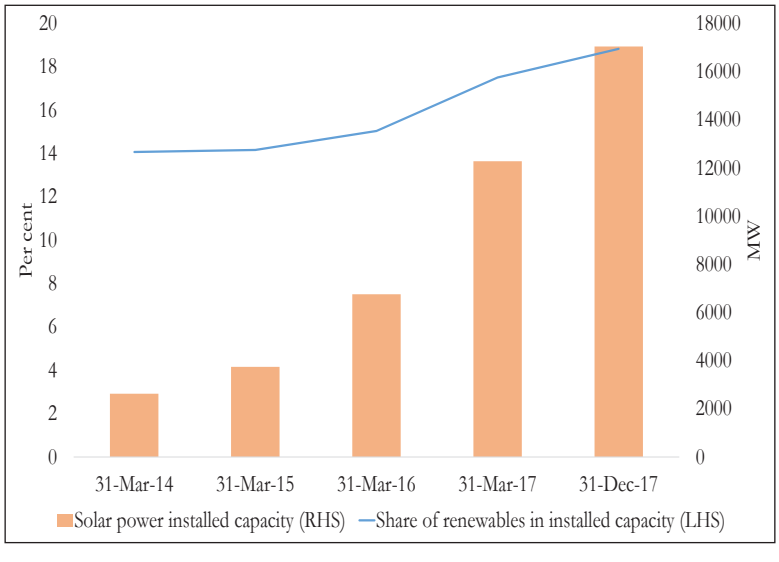
5.9 सरकार का फोकस न केवल आम आदमी को अच्छी, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने पर है, बल्कि वहनीय स्रोतों से उपर्युक्त विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी है। 30 नवंबर, 2017 को यथा स्थिति भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 330860.6 मेगावाट थी जिसमें से 18 प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतों

चित्र 2 : विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत



स्रोत : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का सौभाग्य पोर्टल

चित्र 3: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में की गई प्रगति



स्रोत : नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

बॉक्स 1: कुछ खास राज्यों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के पुन: परक्रामण के संबंध में चर्चा

विद्युत क्रय करार (पीपीए) विद्युत आपूर्ति के लिए शर्तें और कीमत नियत करके बिजली के थोक क्रेता और विद्युत के उत्पादक के बीच की गई संविदा है। पूर्व में, प्रशुल्क राज्य के विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किए गए थे जिनके आधार पर विद्युत उत्पादकों के साथ पीपीए किए गए थे। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में, राज्य विद्युत नियामक आयोग इन स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए फीड इन टैरिफ निधारित करता है। विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर कुछ वर्षों के लिए इन पूर्व निर्धारित कीमतों के आधार पर किए गए थे। विद्युत अधिनियम, 2003 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम की धारा 63 में यह विनिर्दिष्ट है कि धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपयुक्त आयोग यह प्रशुल्क तभी ग्रहण करेगा यदि उक्त प्रशुल्क का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया हो। प्रशुल्क आदेश, जब तक कि इसे संशोधित या रद्द नहीं किया गया हो, उस अवधि तक लागू रहेगा जिसे प्रशुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो। संशोधित टैरिफ संबंधी नीति (पॉलिसी) जनवरी, 2016 में प्रकाशित की गई थी। सोलर पावर प्रापण की मौजूदा कार्रवाई नीलामी के कारण अति निम्न प्रशुल्कों (चित्र) की नई व्यवस्था प्राप्त हुई है।

चित्र: सोलर प्रशुल्क



पवन आधारित विद्युत की पहली नीलामी फरवरी, 2017 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा की गई थी जिससे 3.46/रु०/यूनिट के प्रशुल्क दर प्राप्त हुई। यह 4.16 रु./यूनिट दर पर पवन के लिए नियत फीड इन टैरिफ से काफी कम है। दूसरी पवन नीलामी अक्टूबर 2017 में की गई थी जहां प्रशुल्क 2.64 रु० प्रति किलोवाट प्रतिघंटा के ऐतिहासिक निम्नस्तर पर पहुंच गया। नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अति निम्न प्रशुल्क की नई व्यवस्था, जोकि एक स्वागतयोग्य समाचार है, से पहले से हस्ताक्षरित पीपीए के पुन: परक्रामण की मांग को संभवत: सुदृढ़ ही किया है। कुछ डिस्काम ने मौजूदा बोलियों से उच्चतर प्रशुल्कों पर उनके द्वारा हस्ताक्षरित पीपीए के पुन: परक्रामण की संभावना का संकेत दिया है। क्रिसिल (CRISIL)[(2017)] के अनुसार प्रशुल्क के संबंध में पुन: परक्रामण करने के परिणाम स्वरूप 48000 करोड़ रुपए की निवेश कीमत का जोखिम हो सकता है।

पीपीए के पुन: परक्रामण का विकासकर्ताओं की ओर से कड़ा प्रतिरोध किए जाने की संभावना है और इससे कानूनी झगड़े उत्पन्न होने की भी संभावना है। इससे क्षेत्र और ऐसे बैंकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है जो पहले से ही एनपीए की समस्या का सामना कर रहे हैं और भविष्य में इन क्षेत्रों को उधार देने की प्रक्रिया में जोखिम उत्पन्न हो सकता है। ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें विकासकर्त्ताओं ने आगम की प्रत्याशित स्ट्रीम पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पहले ही भारी मात्रा में निवेश कर दिया होता है। सरकार से की जाने वाली मुख्य अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा पीपीए को लागू करने की है। यह सरकार के वर्ष 2022 तक 175 जी डब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर विचार करने के लिए विशेषरूप से महत्वपूर्ण है।

भावी पीपीए की अवधि को कम करना वांछनीय नहीं हो सकता है क्योंकि इससे अत्याधिक लाभ के बिना पूंजी की लागत में केवल वृद्धि ही हो सकती है। वहनीय वित्त व्यवस्था सतत् ऊर्जा परियोजनाओं को फाइनेंस करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। भुगतान गारंटी निधि अथवा विकासकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध विदेशी विनिमय निधि जैसे जोखिम शमन का अग्रगामी तरीका हो सकता है।

सरकार ने, अब तक, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन, पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी, वीजीफ, रियायती वित्त जैसे विविध प्रोत्साहन प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को ग्रहण करने को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा की है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिक क्षेत्र उधारकर्ता के तहत रखा गया है और सोलर रूफ टॉप सिस्टम के लिए बैंक ऋण को परवर्ती कर-लाभों के साथ आवास ऋण/आवास सुधार ऋण के हिस्से के रूप में समझा जाएगा। इस समय, स्तरीकृत प्रशुल्क ग्रिड एकरूपता के नजदीक पहुंच रहा है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी और प्रोत्साहनों को पुन: देखने का मामला है।

से प्राप्त होती है। जैसाकि चित्र 3 में दर्शाया गया है कि कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी उक्त वर्षों में बढ़ी है और वर्तमान हिस्सेदारी वर्ष 2007 की तुलना में लगभग 3 गुना है। चित्र 3 में भी हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के संस्थापनों में की गई प्रगति को दर्शाया गया है। सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता वर्ष मार्च 2016 और दिसंबर 2017 के मध्य लगभग 6.8 से बढ़कर 17.0 गीगा वाट हो गई है। हाल के वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रशुल्कों में लगातार कमी आ रही है। इससे विद्युत क्रय की लागत पर एक सकारात्मक असर पड़ा है। कुछ राज्यों द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के बारे में पुनः वार्ता करने संबंधी विचार-विमर्श की पहल भी की गई है (बाक्स 5.1)

5.10 ऊर्जा संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। दक्षतापूर्ण ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक कदम के रूप में वित्त मंत्रालय ने पूरे भारत में केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष उपकरण ों के संस्थापन हेतु आज्ञापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम की शुरूआत मई, 2017 में की गई थी जिसे ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020[2] तक 10,000 से अधिक सरकारी और प्राइवेट भवनों में लगभग एक करोड़ एलईडी लाइटें 15 लाख ऊर्जा दक्ष सीलिंग फैन और 1.5 लाख ऊर्जा दक्ष एसी रिट्रोफिट किए जाने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग (आईएसए) का प्रभावी होना

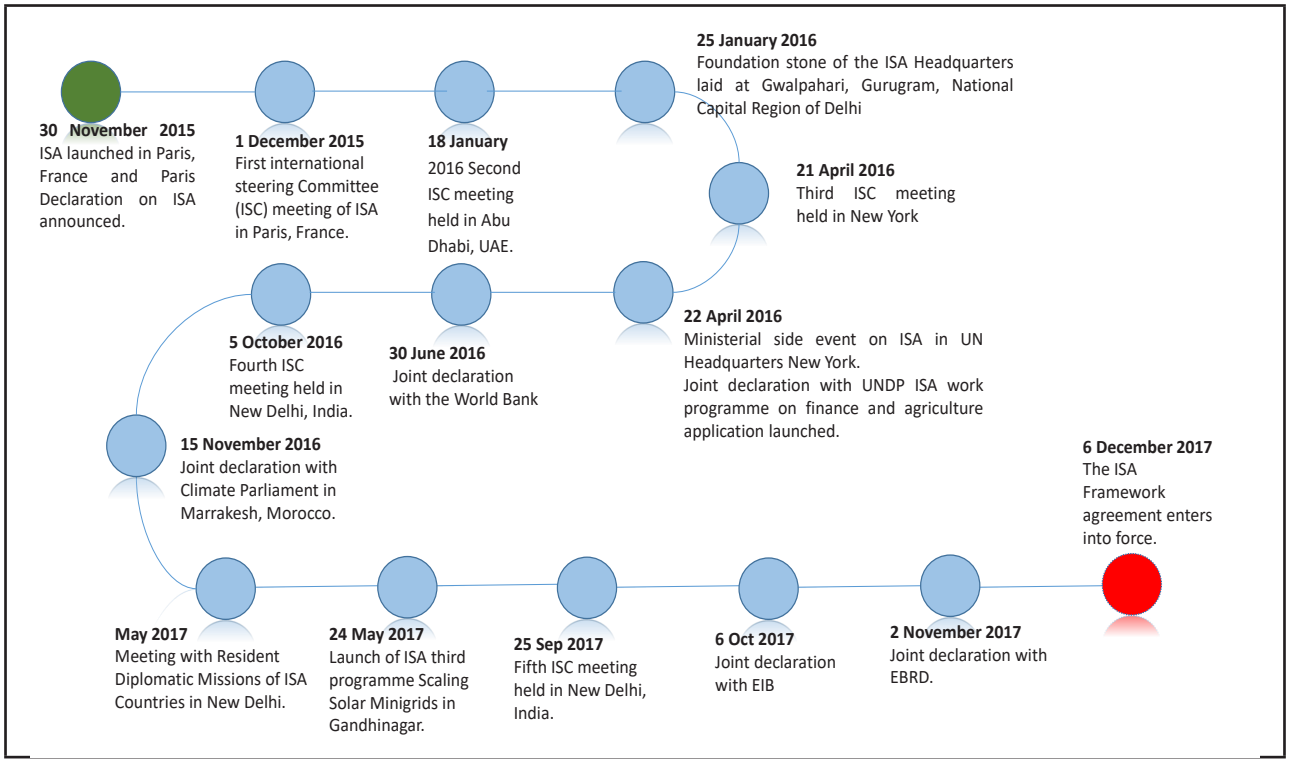
5.11 आईएसए जिसकी शुरूआत श्री नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और श्री फ्रांकोइस ओलांद, पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस द्वारा पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को की गई थी, 6 दिसम्बर 2017 को प्रभावी हुआ। इसके अनुच्छेद XIII (1) के अनुसार, आशोधान अभिस्वीकृति या अनुमोदन के पंद्रहवें दस्तावेज के जमा करने की तारीख से, तेरहवें दिन आईएसए रूपरेखा करार 6 दिसम्बर, 2017 को लागू किया गया। आईएसए रूपरेखा करार लागू करने के बाद, आईएसए विधितः संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया है। आईएसए प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत (गुरूग्राम, हरियाणा) में है। वर्तमान में, 46 देशों ने इस संगठन के संधि करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इन देशों में से 19 देशों ने आईएसए रूपरेखा करार का आशोधन किया है (चित्र 4)।

5.12 आईएसए सौर ऊर्जा के पर्याप्त संसाधनों वाले और पूर्णतः या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का संघ है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। आईएसए की स्थापना करते हुए पेरिस घोषणा में कहा गया है कि सोलर उत्पादन परिसंपत्तियों के तत्काल परिनियोजन के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने के लिए अभिनव और ठोस प्रयास करने के लिए देश सामूहिक महत्वाकांक्षा की भागीदारी करते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक भावी सदस्य देश की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 ट्रिलियन डालर से अधिक का निवेश जुटाकर भविष्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन, भण्डारण और बेहतर प्रौद्योगिकी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जिसकी वर्ष 2030 तक आवश्यकता होगी।

5.13 भारत सरकार ने आईएसए की आधारभूत निधि के लिए एक-कालिक निधि के रूप में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा, आईएसए के दिन प्रतिदिन के व्यय को और बाह्य आयोजनों आदि के खर्च को पूरा करने के लिए भारत द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए के अनुवर्त्ती व्यय अनुदान के लिए भी सहमति दी गई है। आईएसए के अनुरोध पर भारत सरकार ने भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएएस) के तहत अपने कुल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) में से अफ्रीकी देशों को सौर तथा सौर संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) नियत की है। साथ ही, आईएसए के संस्थापक सदस्य के रूप में फ्रांस सरकार ने भी एजेंस फ्रांसेज डि डेवलपमेंट के माध्यम से, आईएसए सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 300 मिलियन यूरो देने का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार, आईएसए वैश्विक स्तर पर सौर परियोजनाओं की स्थापना के प्रयोजन से अन्य देशों को सहमत करने का कार्य भी करेगा।

5.14 वर्तमान में आईएसए के तीन कार्यक्रम अंगीकृत हैं-कृषि उपयोगार्थ सौर अनुप्रयोगों का मापन, वहनीय

चित्र: 4–आईएसए की अब तक की प्रगति



वित्त का मापन तथा सौर लघु-ग्रिड संचालन का मापन। इसके अतिरिक्त, स्केलिंग सोलर रूफटॉप्स और स्केलिंग ई-मोबिलिटी एंड स्टोरेज नामक दो और कार्यक्रमों की शुरूआत करने की आईएसए की योजना है। आईएसए के अधिदेश का अनुपालन करने के लिए यूएनडीपी, विश्व बैंक, ईआईबी, ईबीआरडी और जलवायु संसद् के साथ कार्यनीतिक और वित्तीय साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके अंग आईएसए के कार्यनीतिक साझेदार हैं। सोलर परियोजनाओं के जोखिम को दूर करने और वित्तीय लागत को कम करने के लिए आईएसए द्वारा ''संयुक्त जोखिम न्यूनीकरण तंत्र'' (कॉमन रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म) का विकास भी किया जा रहा है। इस तंत्र की रूपरेखा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का समूह कार्य कर रहा है। आईएसए की अन्य मुख्य गतिविधियों में डिजिटल इन्फोपीडिया की स्थापना करना भी शामिल है जो एक दूसरे के साथ अंत: क्रिया, संपर्क, संचार और सहयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। आईएसए की सोलर अनुसंधान एवं विकास, अनुप्रयोग तथा सुधारात्मक वित्तपोषण के लिए वैश्विक अवार्ड जारी करने की भी योजना है। आईएसए के 121 सहयोगी सदस्य देशों में असाधारण कार्य करने वाली महिला वैज्ञानिकों के लिए, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कल्पना चावला सोलर अवार्ड की शुरूआत करने पर सहमति दे दी गई है। हरियाणा सरकार इस संबंध में एक नई दिशा देने वाली बन गई है और इस अवार्ड के लिए इसने 10 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की है।

5.15 सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आईएसए ट्रिलियन डॉलर का एक मूल्यवान अवसर है। आईएसए के 121 सदस्य देशों में उपलब्ध ऐसे व्यावसायिक अवसरों से अर्थव्यवस्था और उद्योग भी लाभ उठा सकते हैं।

भारत और जलवायु परिवर्तन

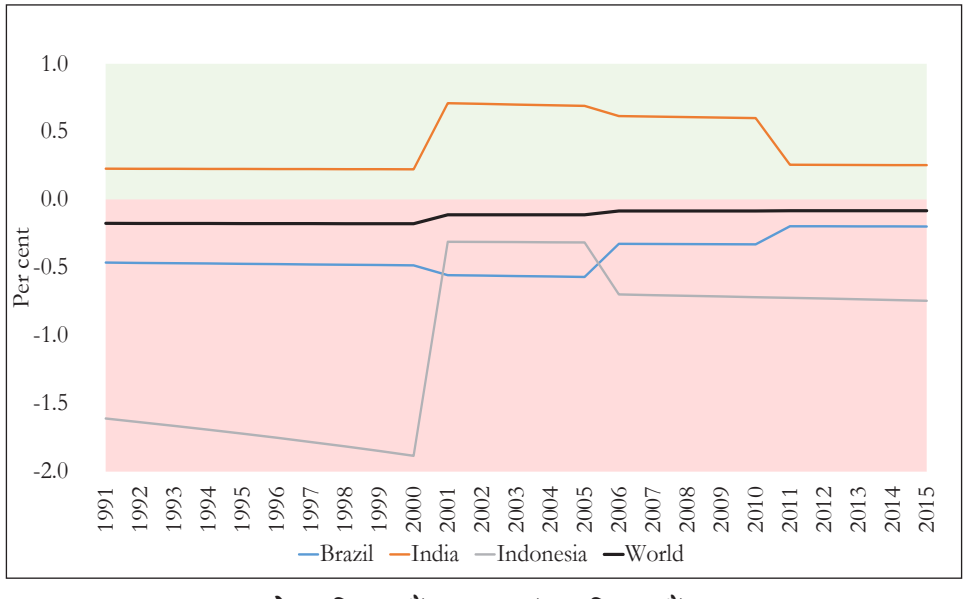
5.16 भारत की जलवायु एक समान न होकर यह महाद्वीपीय से लेकर तटीय तक, अत्यधिक गर्मी से लेकर अत्यधिक सर्दी तक अत्यधिक हवादार एवं नगण्य वर्षापात से लेकर अत्यधिक आर्द्रता एवं मूसलाधार वर्षा तक अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत में वर्षा की प्रवृत्ति अत्यधिक विविधता, असमान मौसमी एवं भौगोलिक वितरण तथा बारंबार सामान्य प्रवृत्ति से विचलन को दर्शाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान संबंधी भिन्नताएं भी उल्लेखनीय है। भारत के संदर्भ में वर्ष 1901 से 2010 की अवधि के दौरान वार्षिक तापमान का औसत (मध्यमान), अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रत्येक सौ वर्ष में क्रमश: 0.60^{o} से॰ 1.0^{o} से॰, और

0.18° से॰ की महत्वपूर्ण वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 1981-2010 की अवधि के संदर्भ में यह मध्यमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की वृद्धि प्रतिशत लगभग 0.2° से॰ की समान दर पर हुई है जोकि वर्ष 1901-2010 की अवधि के लिए प्रदर्शित प्रवृत्ति की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 1901-2004 की अवधि के दौरान दैनिक वर्षा संबंधी प्रेक्षण संकेत करते हैं कि अत्यधिक वर्षा की घटनाएं (वर्षा दर 100 मिमी. प्रतिदिन) की आवृत्ति प्रति दशक 6 प्रतिशत की महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवृत्ति रखती है। अत: कोई आश्चर्य नहीं कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती को गंभीरता से लेगा। भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत बहुपक्षीय स्तर पर सदैव ही रचनात्मक रूप से सहयोग किया है तथा भारत अब जलवायु परिवर्तन पर पेरिस करार के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

5.17 भारत ने घरेलू स्तर पर अपने कार्य का विकास करने के लिए कई नीतियां आरंभ की हैं और कई संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू कर रही है। इस योजना में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अन्य विभिन्न कदमों के अलावा सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, धारणीय वास, वानिकी, हिमालयी, पारि. स्थितिक तंत्र और जानकारी से संबंधित आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन कार्यों में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास निम्नलिखित हैं।

- जलवायु परिवर्तन से संबंधित अत्यावश्यक जानकारी के मिशन के एक भाग के रूप में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्यौगिकी, अग्रिम कोयला प्रोद्यौगिकी, परिवर्धित ऊर्जा दक्षता, हरित वन, धारणीय वास, जल, धारणीय कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में 8 वैश्विक प्रोद्यौगिकी जांच समूहों की स्थापना की है।
- केन्द्र सरकार की वृहद नीति पहलें उपराष्ट्रीय स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाई द्वारा अनुपूरित हैं। 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन के मामले को मुख्यधारा में लाने के लिए अपनी योजना की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना तैयार की है।
- केन्द्रीय और राज्य स्तर पर क्षमता सृजन और सहायता करने, जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने से सं. बंधित वैज्ञानिक और विश्लेषणातमक क्षमता को मजबूत करने, उपयुक्त संस्थानिक ढाचें को स्थापित करने और जलवायु से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 2014 में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया और रु॰ 132.4 करोड़ के बजट परिव्यय से इसे 2017-18 से 2019-20 तक बढ़ाया गया।

चित्र 5: वन छत्र में वार्षिक परिवर्तन



स्रोत: विश्व बैंक सूचकांक, विश्व बैंक

- 2015 में ऐसे ठोस अनुकूलन के कार्यों की सहायता के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि सृजित की गई थी जो राज्य और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अधीन चल रहे कार्यों के अन्तर्गत नहीं आते थे यह रु॰ 364 करोड़ की वित्तीय विवक्षा के साथ 31 मार्च 2020 तक जारी थे।
- भारत ऐसे कतिपय देशों में से एक हैं जहां निरंतर विकास के बावजूद, वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि हुई है, किन्तु वनों के संरक्षण और संपोषणीय प्रबंधन के कारण देश के निवल वन क्षेत्र में कमी आई है। वन क्षेत्र में भारत का विकास सकारात्मक क्षेत्र में रहा है जबकि इंडोनेशिया और ब्राजील के मामले, में जो कि पर्याप्त वन क्षेत्र वाले देश हैं, यह विकास इसी अवधि के दौरान नकारात्मक क्षेत्र में रहा है।
- सिंचाई सुविधा को बढ़ाने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' की कथन के अनुसार जल का प्रयोग करने की कुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से प्रधाानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है।
- जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, परिलक्षित और प्रत्याशित प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के विभिन्न संभावित उपायों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता फैलाने के लक्ष्य से विज्ञान अभिव्यक्ति जलवायु कार्य विशेष ट्रेन के द्वितीय चरण की शुरूआत की गई।
- शून्य प्रभाव, शून्य दोष, लघु और मध्यम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और संसाधन दक्षता को बढ़ाने की एक नीतिगत प्रयास है।
- स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (अभियान) के तहत 2,500 कि॰मी॰ लंबाई वाली इस नदी का पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- भारतीय वित्त बाजार भी हरित गतिविधियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेबी ने 30 मई 2017 को हरित ऋण प्रतिभूतियां जारी करने और उसे सूचीबद्ध करने के लिए प्रकटन की आवश्यकता पर एक परिपत्र जारी किया है। आंतरिक जांच प्रणाली और परियोजना से संबंधित निधियों के आबंटन और/या हरित ऋण प्रतिभूति से होने वाली आय को सत्यापित करने के लिए आय के प्रयोग को बाह्य लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से सत्यापित किया जाएगा।
- केन्द्रीय बजट, 2017 में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा को 2017-18 में 30 से 40 प्रतिशत तक तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकेत दिया है।
- फरवरी, 2017 में भारत ने विश्व का प्रथम अंतर-प्र. चालनीय त्वरित अनुक्रिया (क्यूआर) कोड स्वीकार्य समाधान शुरू किया है। यह एक ऐसा स्टीकर है जिसे व्यापारी की टेलर काउंटर दीवार पर लगाया जाता है और मुद्रित किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए स्वयं व्यापारी के संबंध में इसे गतिशील रूप में जनित किया जा सकता है। भारत क्यू.आर. विकल्प प्रदान करके भारत हरित और धारणीय भविष्य की दिशा में सही कदम बढ़ा रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताए

5.18 इस समय, बहुविधि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में मूलत: पेरिस करार लागू करने के लिए नियम और विनियम बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। पेरिस करार लागू करने के लिए नियम बनाने का कार्य वर्ष 2016 (सीओपी 22) में माराकेष, मोरोक्को में प्रारंभ हुआ था। दलों ने यह सहमति दी कि वे नियम-पुस्तक को दिसम्बर, 2018 (सीओपी 24) तक पूरा करके उसे अंतिम रूप दे देंगे। सीओपी 23, में दलों ने पेरिस करार के अंतर्गत कार्य प्रोग्राम को आगे बढ़ाया।

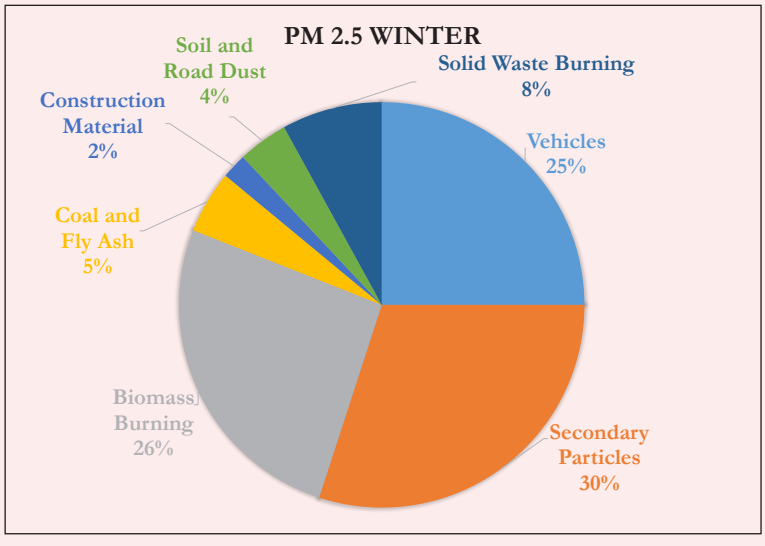
5.19 सीओपी 23 से भारत के लिए मुख्य निष्कर्ष ये रहे हैं कि पूर्व 2020 जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं और काया. न्वयन को पूर्व 2020 कार्रवाई एवं महत्वाकांक्षा संबंधी भावी कार्रवाई के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ निर्णय के रूप में सीओपी 23 के परिणाम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्नत पूर्व 2020 महत्वाकांक्षा से उन्नत पश्च 2020 महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ठोस आधार निर्धारित हो सकता है। भारत पेरिस करार कार्य प्रोग्राम के विविध घटकों/तत्वों पर अनौपचारिक नोट/पाठों में भिन्नताओं को संरक्षित करने में समर्थ रहा है जिसमें राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान संचार अनुकूलन, पारदर्शिता फ्रेमवर्क, वैश्विक स्टाकटेक, अनुपालन, पौद्योगिकी फ्रेमवर्क, नियमों के संबंध में आगे के कार्य के लिए वित्त एवं क्षमता सृजन, पेरिस करार के लिए साधन भी शामिल हैं।

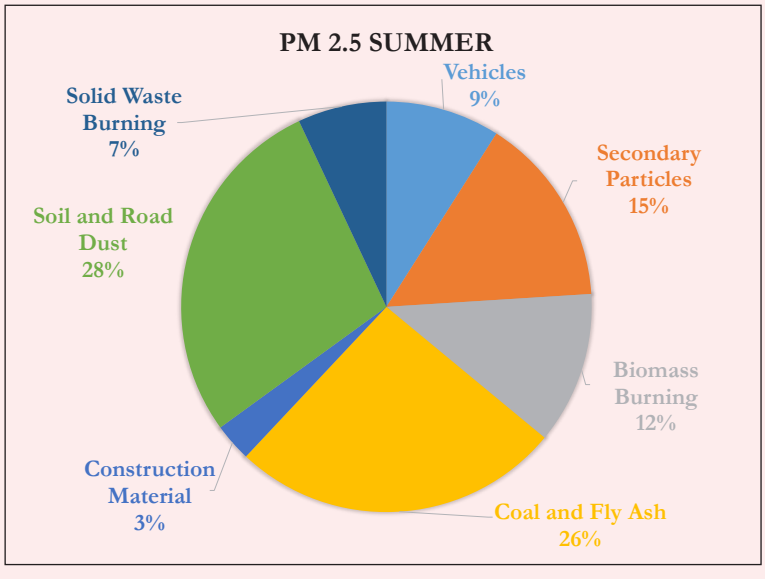
बॉक्स 5.2: दिल्ली में वायु प्रदूषण–संभावित समाधान

हाल ही के वर्षों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में चौंकाने वाली घटिया वायु गुणवत्ता की सर्दी प्रारंभ होने के साथ ही अनुभव किया गया है। मुख्य रूप से उत्तरी भारत के किसान फसल काटने के बाद अपने धान के खेतों को आग लगाकर अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। तथापि, आग से उत्पन्न धुआं हवा के साथ उड़कर दिल्ली और इससे आगे के सम्पूर्ण मार्ग में चला जाता है और इसमें विद्यमान रूके हुए कणिका तत्व (एसपीएम) और हानिकारक पदार्थ भी मिल जाते हैं जो फेंफड़ों को नुकसान पहुंचाते है और उससे लगभग सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

वस्तुत: इस भाग में सर्दी के मौसम में अवरूद्ध कणिका तत्व (पीएम 2.5, जो सबसे अधिक खतरनाक है) में व्यापक वृद्धि अनेक कारणों से होती है। वर्ष 2016 में, यह 1,000 –हधउ3 (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) को पार कर गया है जिससे दिल्ली वायु प्रदूषण के मामलों में विश्व में अस्वास्थ्यकर शहरों (आईआईटी मुम्बई, 2016 एवं अन्य) में एक बन गया है। सामान्यत: वार्षिक औसत पीएम 2.5 स्तर भी निर्धारित मानकों से लगभग तीन गुना उच्च रहता है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें आसपास के क्षेत्रों में फसल को जलाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और व्यापक और बढ़ते हुए राजधानी शहर के सघन शहरी क्षेत्र में, एक दूसरे के ऊपर पाइलिंग से यह क्षेत्र एक गंभीर जोखिमी राज्य बन जाता है। बार्कले अर्थ द्वारा किया गया अध्ययन दिल्ली के ऊपर केन्द्रित कणिका तत्व के अत्यंत संकेंद्रण को दर्शाता है। इसका क्या समाधान है? प्रत्येक स्रोत समस्या को एक-एक करके व्यवस्थित रूप से निपटाना, एजेंसियों और सरकारों में समन्वय करना, और सतत् नागरिक सहयोग (टीईआरआई, 2016), है जैसा कि मेक्सिको शहर 1980 के दशक (प्रोआयर पैकेज) से कर रहा है। लंदन में वर्ष 1952 में अत्यधिक धुंध (स्मॉग) के संबंध में वैसी ही कार्रवाई की गई थी और एक स्वच्छ वायु अधिनियम, 1956 बनाया गया था।

आईआईटी कानपुर ने दो सत्र के अध्ययन (गर्मी एवं सर्दी सत्र 2015) से पहले परिणामों की सूचना दी थी जिसकी स्रोत संबंधी अनुमानित विशेषताओं को नीचे दिए गए चित्रीय प्रस्तुती में बताया गया है।





स्रोत: आईआईटी कानपुर, 2015

दिल्ली की बेहद खतरनाक और बदतर होती हवा की गुणवक्ता, विशेषकर शीतकाल में, जिसके 4 आसन्न कारणों का समाधान करना अनिवार्य है जिसका लगभग 30-40: का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (फसल अवशेष, बायोमॉस, उद्योग और पावर संयंत्र) टीईआरआई, 2016 और सीपीसीबी 2017) के बाहर से आता है।

i) फसल अवशेष, बायोमॉस प्रज्वलन (26-29 प्रतिशत): तीन साथ लगे राज्यों (पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में लगभग 10 लाख मिलियन हैक्टेयर भूमि में लगभग 35 मिलियन टन पराली अक्तूबर माह के अंत में जलाई जाती है, और जिसका धुआँ पूर्व की ओर फैल जाता है, और दीपावली (उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017 में प्रतिबंधित, जिसमें सूचना योग्य अंशदायी घटक के तौर पर कमी देखने को मिली) के दौरान पटाखे जलाने सहित, अन्य स्रोत से मौसमी प्रभाव भी पड़ता है। फसली अवशेष प्रज्वलन एक परिपाटी है जो कम्बाइन हार्वेस्टर के उपयोग से अस्तित्व में आई है – (मशीन जो फसल कटाई का काम करती है जो भूसे से अनाज को अलग करती है)। एक एकड़ फसल की कटाई में कम्बाइन मशीन एक घंटा लेती है और इस पर 1000-1500 रु॰ का खर्च आता है। परम्परागत तरीके से इतनी ही फसल की कटाई और दराई करने में लगभग 10 व्यक्ति सारा दिन काम करेंगे और इसकी लागत 4500/- रु॰ या अधिक हो सकती है। किंतु कम्बाइन मशीन से कटाई के बाद पोधों के 14 से 15 इंच लम्बे ठूंठ रह जाते हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए किसानों को मार्ग तलाशने होते हैं।

क. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा वर्ष 2014 में किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2008-09 में देश में 620 मिलियन टन फसल खराब हो गई थी जिसमें से लगभग 16 प्रतिशत फसल को खेतों में जला दिया गया था। इसमें से 60 प्रतिशत धान की पुआल थी जबकि गेंहूं की पुआल मात्र 22 प्रतिशत थी। एक अनुमान के अनुसार अकेले पंजाब में 19-20 मिलियन टन धान की पुआल और लगभग 20 मिलियन टन गेंहू के भूसे का उत्पादन हुआ। लगभग इस धान की पुराली में से 85-90 प्रतिशत खेतों में ही जला दिया गया और उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अनुसार हाल ही के वर्षों में गेहूं की पुआल को भी दिनों दिन अधिक से अधिक जलाया जा रहा है।

ख. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि खेतों में फसल के अपशिष्ट को जलाने के मुख्य कारणों में श्रमिकों की अनुपलब्धता, अपशिष्ट को हटाने की अत्यधिक ऊंची लागत और चावल गेंहूं की संयुक्त फसल प्रणाली विशेषकर भारत के गांगेय मैदानी क्षेत्रों (आईजीपी) को उपयोग करना है। प्रमुखत: जिन फसलों के अपशिष्ट को जलाया जाता है उनमें चावल, गेहूं, कपास, मक्का, ज्वार, गन्ना, पटसन, सरसों और मूंगफली शामिल हैं। पश्चिमोत्तर भारत के किसान धान की पुराली के अधिकांश भाग को खेत में ही जला कर निपटान करते हैं। गेंहूं की फसल के अपशिष्ट को जलाने के मामले उन जिलों में बढ़ रहे हैं जहां सिंचाई की कोई समस्या नहीं है, फसल पैटर्न गहन है और अधिकांश खेती के लिए मशीनों का विकल्प पूरी तरह उपलब्ध है। सिंचाई संबंधी नेटवर्क के परिणामस्वरूप फसल की पैदावार बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप उसी अनुपात में अपशिष्ट को जलाने की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

ग. इस समस्या के पीछे संयुक्त फसल कटाई मशीनों का उपयोग प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है क्योंकि इनसे केवल दानों की कटाई होती है और पुआल (अथवा लगभग 40 सेमी॰ तक की पुआल) को छोड़ दिया जाता है। फसल अपशिष्ट (ठूँठ) को हाथ से या विशिष्ट मशीनों द्वारा हटाने के कार्य पर काफी लागत आती है। प्रत्येक 0.4 हेक्टेयर गेंहूं की फसल के लिए संयुक्त फसल कटाई मशीन को किराए पर लेने की लागत मात्र 800/- रुपए आती है। एक बार मशीन से कटाई कर लेने के बाद अपशिष्ट को हटाने की लागत 3500/- रुपए प्रति हेक्टेयर आती है इसलिए चारे की कीमत सस्ती हो जाती है क्योंकि किसान के लिए एक रुपए की माचिस खरीदकर पुआली को जलादेना अधिक सस्ता पड़ता है और खेत भी खाली हो जाता है।

10 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फसल के अपशिष्टों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन राज्यों के भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इससे पूर्व 2014 में केन्द्र सरकार ने फसल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति जारी की थी जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण को राज्यों द्वारा इसे कार्यान्वित कराने का निदेश दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को फसल अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगाने की कार्य योजना को तैयार करने पर बल दिया गया है जिसमें विभिन्न स्तर के लोगों–समुदायों से लेकर पंचायतें और पंचायतों से लेकर राज्य सरकारें तक शामिल हैं। इसमें एक ऐसे तंत्र की बात कही गई है जो फसल जलाने के मामलों की चेतावनी देता है इसके अलावा वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत फसल अपशिष्टों को जलाना एक दण्डनीय अपराध है।

(ii) वाहनों से होने वाला प्रदूषण (23-28 प्रतिशत) और सड़कों पर इधर-उधर उड़ने वाली धूल (20-27 प्रतिशत)। इसका कारण ट्रकों, बसों, कारों, तिपहियों और दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण, विशेषकर खतरनाक प्रदूषण, में विशेष रूप से जिम्मेदार डीजल-वाहन हैं।

(iii) भारी विनिर्माण कार्य, विद्युत संयंत्र, उद्योग, अन्य (19-35 प्रतिशत) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों में होने वाली विनिर्माण गतिविधियों से पैदा होने वाली धूल इसका कारण हैं। विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक प्रदूषण से यह और भी बढ़ जाती है।

(iv) सर्दी, तापमान इनवर्जन, आर्द्रता और पवन (की अनुपास्थिति) में हवा का तापमान गिरने और इनवर्जन से जमीन के नजदीक कण एकत्र हो जाते हैं और साथ ही तुलनात्मक रूप से हवा की गति कम हो जाती है केंन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचना दी है कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में मौसम की प्रतिकूल दशाएं देखने को मिली। नवंबर के शुरूआत में प्रदूषण अपने चरम पर था। तथापि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से पिछले वर्ष की तुलना में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट आई।

प्रभावी कार्रवाई के लिए कई सुझाव (राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निर्णय; टेरी 2016; इंडीकस फाउंडेशन, 2017, और अन्य) दिए गए हैं जिनमें से कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है: अल्पावधिक आपात योजना (जब 24 घंटे पीएम 2.5 300-400 –हधउ3 से अधिक हो जाता है): उपग्रह आधारित उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि अपशिष्ट को जलाने पर भारी दण्ड लगाकर कठोर कार्रवाई करना, आग का पता लगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोबाइल आधारित अप्लीकेशन्स लागू करना; और राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करना।

मध्यम और दीर्घावधि कार्य: एनसीआर में सभी वाहनों के लिए संकुलता कीमत निर्धारण का कार्यान्वयन निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने के लिए तथा मेट्रो एवं मेट्रो से इतर क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित करने के लिए सरकारी बसों की सेवा का तेजी से विस्तार एवं संवर्धन करना। पुराने वाहनों को चलन से बाहर करना। बीएस-टप मानक (पहले से अधिसूचित और 2020 से लागू होना प्रस्तावित) को अपनाने में गति लाना तथा आधुनिकीकृत बस बेड़ों का विस्तार करना।

कृषि अपशिष्टों को उपयोज्य संकेंद्रित चारा या बायो-फ्यूल में रूपांतरित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्राइवेट सेक्टर और समुदायों के साथ किए जाने वाले व्यावसायिक मॉडल का विकास एवं कार्यान्वयन करना तथा गैर-धान फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करना। दूसरे शब्दों में, फसल अवशिष्टों, जैसेकि, फर्टिलाइजर लागतों को कम करने बिजली बनाने आदि के लिए गोबर के उपयोग से जुड़े व्यावसायिक मामलों का अन्वेषण करना ताकि इनके आर्थिक मूल्य प्राप्त हो सकें। इस तरह का एक उदाहरण चावल और गेंहूं के बारे में पराली प्रबंधन प्रणाली का है। हैप्पी सीडर मशीन नामक प्रौद्योगिकी इसका एक संभावित प्रौद्योगिकीय समाधान हो सकता है। यह एक ऐसी मशीन है जो धान की पराली को हटाए बिना अगली फसल के बीजों को फैला देती और जब पराली प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खेत में पराली को समान रूप से फैला दिया जाता है तब यह अच्छी तरह से कार्य करती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए इस प्रौद्योगिकीय समाधन को इसके अर्थशास्त्र से जोड़े जाने तथा इसका कार्यान्वयन कृषि सहकारिता, स्थानीय निकायों, आदि के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता है।

प्रगति पथ

5.20 वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत को शीर्षस्थ छः सर्वाधिक सुभेद्य देशों में शामिल किया गया है। यह बताया गया है कि अत्यधिक गरीब आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जिनमें जलवायु के परिवर्तन की संभावना होती है और उनके व्यवसाय भी अत्यधिक जलवायु संवेदी होते हैं यथा मत्स्य पालन। इसलिए भावी जलवायु परिवर्तनों के जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में प्रकटन के स्तर और व्यक्तियों परिवारों तथा समुदायों की अंतर्निहित ग्रहण क्षमताओं के स्तर के अनुसार अत्यधिक भिन्नता होगी। धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के प्रयासों से अनेक सक्रिय परिणाम सुनिश्चित हुए हैं। प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए असीम वित्तीय अपेक्षाएं हैं। फिर भी जलवायु परिवर्तन को नीति निर्णयों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहां तक कि पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में जलवायु परिवर्तन को विचार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उल्लेख किया है।

5.21 बहु-पार्श्विक जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत दीर्घ-कालिक जलवायु वित्त के प्रावधान की बाध्यताओं को सार्थक रूप से पूरा नहीं किया गया है। आगामी वर्षों में वित्त व्यवस्था संबंधी ऐसी अनिश्चित्ताओं को कम करने के लिए, विकसित देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी एतिहासिक जिम्मेदारियों पर आधारित प्रतिबद्धताओं और समता के सिद्धांत तथा सामान्य किंतु विशिष्ट जिम्मेदारियों का अनुपालन करें। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने हिस्से की उचित जिम्मेदारियों पर कार्रवाई करने से हमारे नभ मंडल के लिए निम्न कार्बन जलवायु प्रति रोधी विकास का मार्ग मिलेगा।

References:

CRISIL, 2017, "Tariff cloud over Rs. 48000 crore renewable projects". https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2017/08/Tariff-cloud-over-`48000-crore-renewable-projects.html.

Global Alliance for Clean Cookstoves, 2014, "Gender and livelihoods Impacts of Clean Cookstoves in South Asia".

Lawson, S., 2008, "Women Hold Up Half the Sky", Goldman Sachs Global Economics Paper No. 164.

OECD/IEA, 2017, "World Energy Outlook Special Report: Energy Access Outlook 2017"

Watts, Nick et. al., 2017, "The Lancet Countdown: tracking progress on health and climate change", The Lancet, Vol 389, Issue 10074, 1151-1164

TERI, 2017, "SDG Footprints of Asian NDCs: Exploring Synergies between Domestic Policies and International Goals"

Box 2 Sources:

CPCB, DPCB, IIT Kanpur, IIT Mumbai, TERI, EPIC-India, Berkeley Earth, NASA and WHO;

Binamrata Borwankar citing IIT Mumbai study, 2016: Air pollution killed 81,000 in Delhi & Mumbai , cost ` 70,000 crore in 2015, *Times of India*;

Mridula Ramesh, Nov 25, 2017, Delhi air pollution: from data to civil engagement, five factors for overcoming the problem, *FirstPost*;

Mukesh Sharma and Onkar Dikshit, Jan 2016, Final Report (air pollution), Government of Delhi, IIT Kanpur;

Umair Irfan, Nov 25, 2017, How Delhi became the most polluted city in the world, *Vox*;

Robert Rohde and Richard Muller, 2016, Air Pollution in China: Mapping of Concentrations and Sources, *Berkeley Earth*;

Pierre-Marc Rene, 2016, How Mexico City slashed air pollution levels by half, *China Dialogue*;

Sarah Knapton, Jan 25, 2017, Air pollution passes levels in Beijing…and wood burners are making the problem worse, *The Telegraph*.

TERI, 2016, Ten-Point Emergency Response Plan for improving air quality in Delhi-NCR;

CPCB, Dec 15, 2017, Worse air pollution this year, although Diwali less polluting: *IANS* and *Zee News*;

Air this Diwali better than last year, Sowmiya Ashok, *Indian Express December 16, 2017*.

EPIC, Nov 27, 2017: Other Indian cities should be as worried about air pollution as Delhi, *Times of India*;

Indicus Foundation, 2017: Fixing air-borne pollution in Delhi;

Michael Greenstone, Janhavi Nilekani, Rohini Pande, Nicholas Ryan, Anant Sudarshan, Anish Sugathan, 2015, Lower Pollution, Longer Lives: Life Expectancy Gains if India Reduced Particulate Matter Pollution, *EPW*, Vol. L, No. 8, pp. 40-46.

06

अध्याय

वैदेशिक क्षेत्र

भारत का विदेशी (बाह्य) सेक्टर वर्ष 2017-18 में अब तक, काफी समुत्थानशील और सशक्त बना रहा। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही (एच-1) में भुगतान संतुलन के चालू लेखा घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत होने का सुखद अनुभव जारी है। वाणिज्य वस्तु के निर्यातों में अप्रैल-दिसंबर 2017 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल आया, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि रही, और वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निबल विदेशी निवेश बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया तथा विदेशी कर्ज के सूचकों में सुधार रहा 1 इन प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित करते समय प्रारंभिक चुनौतियों से उबरने में बजट में सहायक कार्रवाइयों, विदेशी व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा और जीएसटी से संबंधित सामयिक नीति परिवर्तनों से मदद मिली।

वैश्विक आर्थिक परिवेश

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

6.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और उम्मीद है कि इसकी संवृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 मे 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2018 में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो जाएगी जो आईएमएफ द्वारा दिए गए पूर्व प्रक्षेपणों के ऊर्ध्वगामी सुधार को दर्शाता है (सारणी 1) विश्व के विकास में यह ऊर्ध्वगामी सुधार यूरो क्षेत्र, जापान, उभरते हुए एशिया और रूस में वर्ष 2017 की प्रथम छमाही में आशा. न्वित परिणामों से बेहतर योगदान के कारण रहा है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यू के में अधोगामी परिवर्तन रहे हैं। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत होने और वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने की आशा है। उपयोगी वस्तुओं (तेल और गैर ईंधन) की कीमतों के भी पिछले वर्षों की गिरावट के

सारणी 1: वैश्विक उत्पादन और व्यापार (माल और सेवाएं) प्रक्षेपणों का सिंहावलोकन

	वास्तविक	प्रक्षेपण		डब्ल्यूईओ अंतर अंतर जुलाई, 2017 प्रक्षेपण	
	2016	2017	2018	2017	2018
विश्व उत्पादन	**3.2**	**3.6**	**3.7**	**0.1**	**0.1**
विश्व व्यापार परिमाण (माल और सेवाएं)	**2.4**	**4.2**	**4.0**	**0.2**	**0.1**
आयात					
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.7	4.0	3.8	0.0	0.2
ईएमडीईएस	2.0	4.4	4.9	0.1	0.2
निर्यात					
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	3.8	3.6	-0.1	0.2
ईएमडीईएस	2.5	4.8	4.5	1.0	0.0

स्रोत: **आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन, अक्टूबर 2017**

नोट: **ईएमडीईएस-उदीप्यमान बाजार और विकासशील, अर्थव्यवस्थाएं।**

प्रतिकूल बढ़ने की आशा की जाती है। आईएमएफ (अक्टूबर 2017) के अनुसार, वैश्विक समुत्थान अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, क्यों कि मुद्रास्फीति अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी लक्ष्य से नीचे है और उपयोगी वस्तुओं के निर्यातक, विशेषरूप से ईंधन निर्यातक तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विफल रहे हैं। यद्यपि अल्पकालिक जोखिम व्यापक रूप से सन्तुलित हैं, फिर भी मध्यावधिक जोखिम अभी भी अधोगामी दिशा में हैं।

भारत के भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति

भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

6.2 भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष 2013-14 से काफी अच्छी है और वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में चालू खाते के घाटे (सीएडी) में कुछ बढ़ोत्तरी होने के बावजूद तथा द्वितीय तिमाही में चालू खाते में अपेक्षाकृत कमी होने के साथ ही वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में भी भुगतान संतुलन की अच्छी स्थिति के जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में भारत के चालू खाते का घाटा 15.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) था जो वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही में तेजी से घटकर 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) पर आ गया है।' समग्र आधार पर वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में भारत के चालू खाते का घाटा 3.8 बिलियन अमेरिकी डालर (जीडीपी का 0.4%) से बढ़कर 2017-18 की इसी अवधि में 22.2 बिलियन अमेरिकी डालर (जीडीपी का 1.8% हो गया)। निर्यात की तुलना में व्यापारिक आयात में में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप मुख्यत: उच्चतर व्यापारिक घाटा (74.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कारण चालू खाते का घाटा बढ़ गया था। प्रथम तिमाही में जीएसटी कार्यान्वयन के बारे में अनिश्चितता के फलस्वरूप स्वर्णकारों द्वारा क्रय की फ्रंट लोडिंग के कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि, जिसकी मात्रा दुगने से भी अधिक थी, की वजह से आयातों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय बाजार) में वृद्धि होने के फलस्वरूप तेल के आयात संबंधी बिल बढ़ गए—इन तमाम कारणों से आयात में वृद्धि हुई है।

सारणी 2: व्यापार निष्पादन

	(मूल्य US$ बिलियन में)			प्रतिशत में वृद्धि दर (वाईओवाई)				
	2016-17	2016-17 (अप्रैल से दिस.)	2017-18 (अप्रैल से दिस.)	2016-17	2017-18 (अप्रैल से दिस.)	2016-17 एच-1	2016-17 एच-2	2017-18 एच-1
निर्यात	**275.9**	**199.5**	**223.5**	**5.2**	**12.1**	**-1.3**	**11.9**	**10.8**
पीओएल निर्यात	31.5	22.5	26.7	3.1	18.5	-15.0	25.7	16.3
गैर पीओएल निर्यात	244.3	177.0	196.8	5.4	11.2	0.7	10.3	10.1
गैर-पीओएल एंव गैर-रत्नाभूषण निर्यात	200.9	144.7	165.6	4.4	14.5	-1.9	10.8	13.4
आयात	**384.4**	**277.9**	**338.4**	**0.9**	**21.8**	**-13.3**	**16.9**	**25.9**
पोओएल आयात	87.0	61.3	76.1	4.8	24.2	-18.1	36.8	17.8
गैर-पीओएल आयात	297.4	216.6	262.2	-0.2	21.1	-11.8	12.2	28.2
स्वर्ण एवं चांदी का आयात	29.4	19.1	29.1	-17.3	52.0	-55.2	29.0	113.8
गैर-पोओएल एवं गैर स्वर्ण स्वर्ण और चांदी का आयात	268.0	197.5	233.2	2.1	18.1	-5.5	10.1	22.3
व्यापार संतुलन	**-108.5**	**-78.4**	**-114.9**	**-8.6**	**46.4**	**-36.7**	**29.9**	**71.8**

स्रोत: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर

चित्र 1: विश्व और बीआरआईसीएस देशों की गैर-ईंधन निर्यात मूल्य वृद्धि



स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र के आंकड़ों के आधार पर।

2017-18 की प्रथम छमाही में चालू खाता संबंधी प्रगति

व्यापारिक माल

6.3 बीओपी के अन्य चालू खाते के घटकों में मुख्य रूप से शुद्ध सेवाओं की कमाई और निजी हस्तांतरण की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में सेवाओं के आयात व निर्यात संबंधी कुल प्राप्तियां अधिक थीं। वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में व्यापार घाटा बढ़ गया है, अदृश्य संतुलन में मामूली सुधार होने और शुद्ध पूंजी प्रवाह में विदेशी निवेश और बैंकिंग पूंजी का वर्चस्व चालू खाते के घाटे संबंधी वित्त में पर्याप्त रहा जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि रकम में वृद्धि हुई।

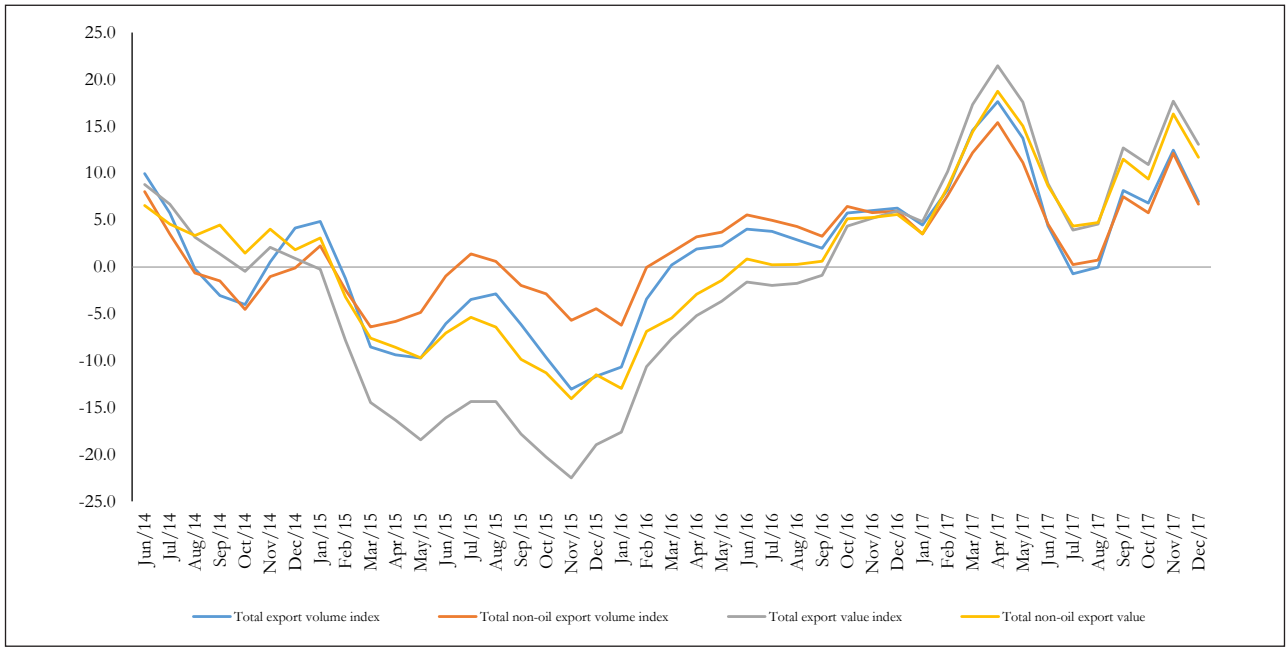
6.4 वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में वस्तुओं का आयात (भुगतान संतुलन के आधार पर) 22.1 प्रतिशत बढ़ गया जबकि उपर्युक्त की तुलना में निर्यात वृद्धि 11.3 प्रतिशत थी। सीमा शुल्क आधार पर यह वृद्धि क्रमश: 25.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत थी। सीमा शुल्क आयात के आधार पर पीओएल के आयात में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि और सोने तथा चांदी के आयात में 113.8 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण कुल आयात में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। (सारणी 2)

6.5 वर्ष 2013-14 में भारत का वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधार पर) 314.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। निर्यात वृद्धि में गिरावट के वैश्विक रुझान के फलस्वरूप वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में भारत की निर्यात वृद्धि में भी क्रमश: 1.3 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की गिरावट आई।

6.6 वर्ष 2016-17 की प्रथम छ:माही में -1.3 प्रतिशत की दर से भारतीय निर्यात की वृद्धि लगातार ऋणात्मक रही है। किंतु 2016-17 की दूसरी छ:माही में, भारतीय निर्यात में बेहतर परिणाम देने वाली 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिससे निर्यात बढ़कर 275.9 बिलियन ₹ हो गया है। 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में निर्यात में पुन: 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) जो सामान्यत: विश्व निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) की अपेक्षा उच्चतर रही है, वर्ष 2014 में ऋणात्मक हो गई थी और तब से विश्व निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) की अपेक्षा निम्न या इसके आस-पास ही रही। अन्य बीआरआईसीएस देशों की वृद्धि दर भी कमोबेश इसी प्रकार का रूझान दर्शाती है। (चित्र 1)

6.7 वर्ष 2016-17 में भारत की धनात्मक वृद्धि दर पी. ओएल और गैर-पीओएल दोनों प्रकार के निर्यातों में क्रमश: 3.2 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) निर्यातों में वृद्धि 12.1 प्रतिशत थी जिसके अंतर्गत पीओएल और गैर-पीओएल वृद्धि क्रमश: 18.5 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत रही है। भारत की निर्यात परिमाण वृद्धि (3 एमएमए) जोकि मार्च 2016 के बाद से धनात्मक स्थिति में आ गयी है, ने अप्रैल 2017 तक धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है किंतु यहां से इसमें कमी की शुरूआत होते देखी गई है, फिर भी यह धनात्मक स्थिति में ही बनी रही है। अगस्त, 2017 से इसमें बढ़ोत्तरी हुई है तथा निर्यात मूल्य वृद्धि में 29.2 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि के

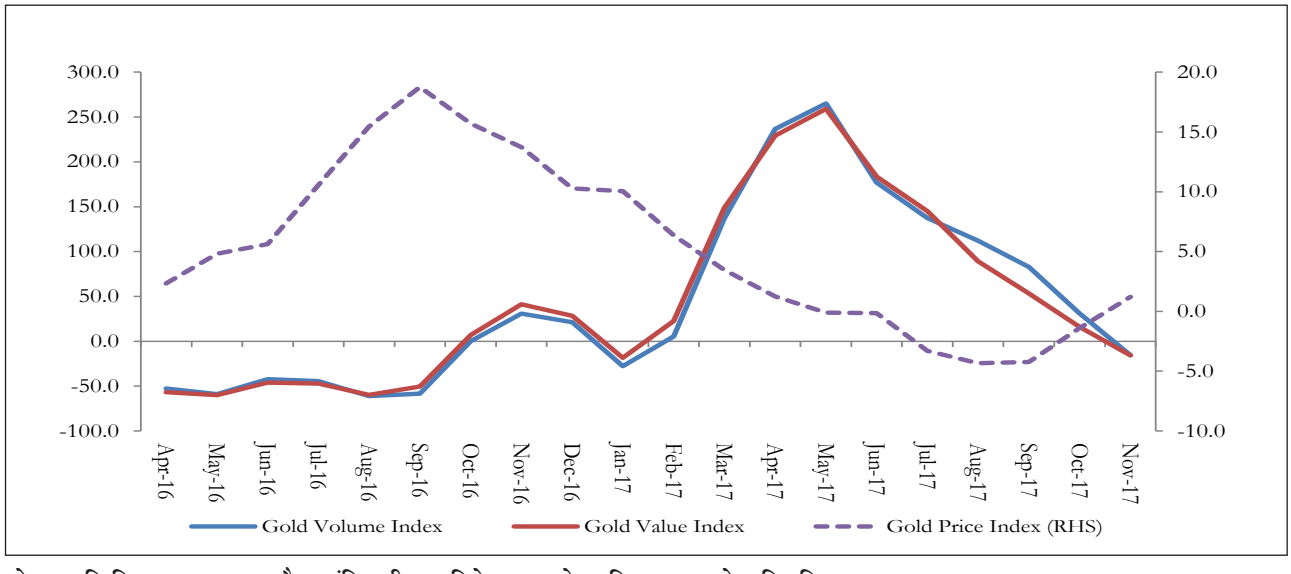
चित्र 2: निर्यातों के मूल्य/परिमाण सूचकांक में वृद्धि: 3 एमएमए (%) 2013-14=100



स्रोत: आंतरिक परिकलन/डीजीसीआई एंड एस के मासिक व्यापार संबंधी आंकड़े, अंतरराष्ट्रीय मूल्य सूचकांक के डॉलर में परिकलित करने हेतु विश्व बैंक की मासिक पिंक-शीट तथा थोक मूल्य सूचकांक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; रुपया सूचकांक को डॉलर सूचकांक में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर।

टिप्पणी: 3 एमएमए–माह के अंत में सूचित 3 माह का चल औसत।

चित्र 3: स्वर्ण परिमाण/मूल्य आयात और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि, 3 एमएमए (प्रतिशत) (2013-14=100)

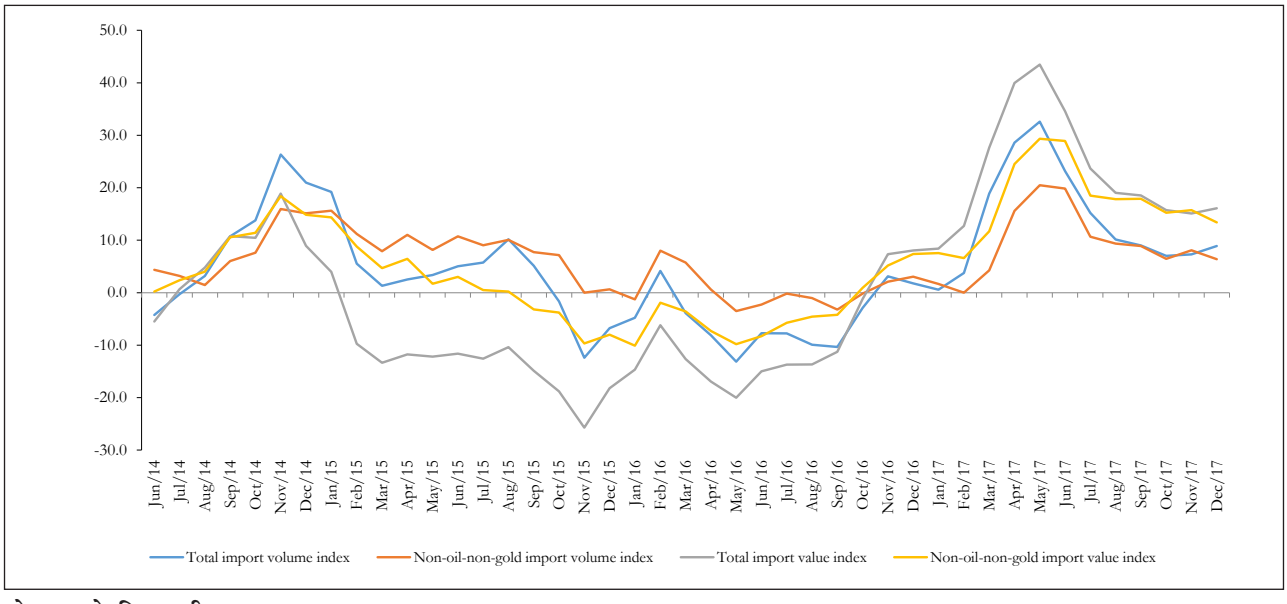


स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के मासिक डाटा से परिकलित

साथ, इसमें नवंबर, 2017 में 21.6 प्रतिशत उतार-चढ़ाव के साथ तीव्र वृद्धि हुई है। तथापि, दिसम्बर में निर्यात मात्रा की वृद्धि दर और मूल्य सूचकांकों में क्रमशः 4.7% और 12.4% की गिरावट दर्ज की गई। गैर-तेल निर्यात परिमाण सूचकांक में ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रही है। (चित्र 2)।

6.8 पण्यवस्तु आयातों में भी गिरावट आई है और वर्ष 2012-13 के 490.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च आयात की तुलना में वर्ष 2015-16 में 381.0 अमेरिकी डॉलर का ही आयात हुआ है और वर्ष 2016-17 में 0.9 प्रतिशत की हल्की वृद्धि के साथ 384.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का

चित्र 4: आयातों के मूल्य/परिमाण सूचकांक में वृद्धि 3 एमएमए (%) 2013-14=100



स्रोत: 2 के लिए वही

पण्यवस्तु आयात हुआ है। वर्ष 2016-17 में, स्वर्ण और रजत के आयातों में 17.3 प्रतिशत की कमी के बावजूद, आयातों के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण पीओएल आयातों में वृद्धि और गैर-पीओएल तथा गैर-स्वर्ण एवं गैर-रजत आयातों, जोकि वर्ष 2015-16 में गिर गए थे, में लघु वृद्धि थी। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में, आयातों में वृद्धि 24.2 प्रतिशत थी। पी. ओएल आयात वृद्धि 21.8 प्रतिशत थी जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि थी। स्वर्ण एवं रजत आयातों में 52.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण गैर-पीओएल आयातों ने 21.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि गैर-पीओएल और गैर-स्वर्ण एवं रजत आयातों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2017 से स्वर्ण आयात की परिमाण की वृद्धि में गिरावट के कारण सितंबर, 2017 से स्वर्ण आयात मूल्य वृद्धि में गिरावट आई है। स्वर्ण आयात मूल्य सूचकांक स्वर्ण परिमाण सूचकांक के साथ-साथ चल रहा है (चित्र 3)।

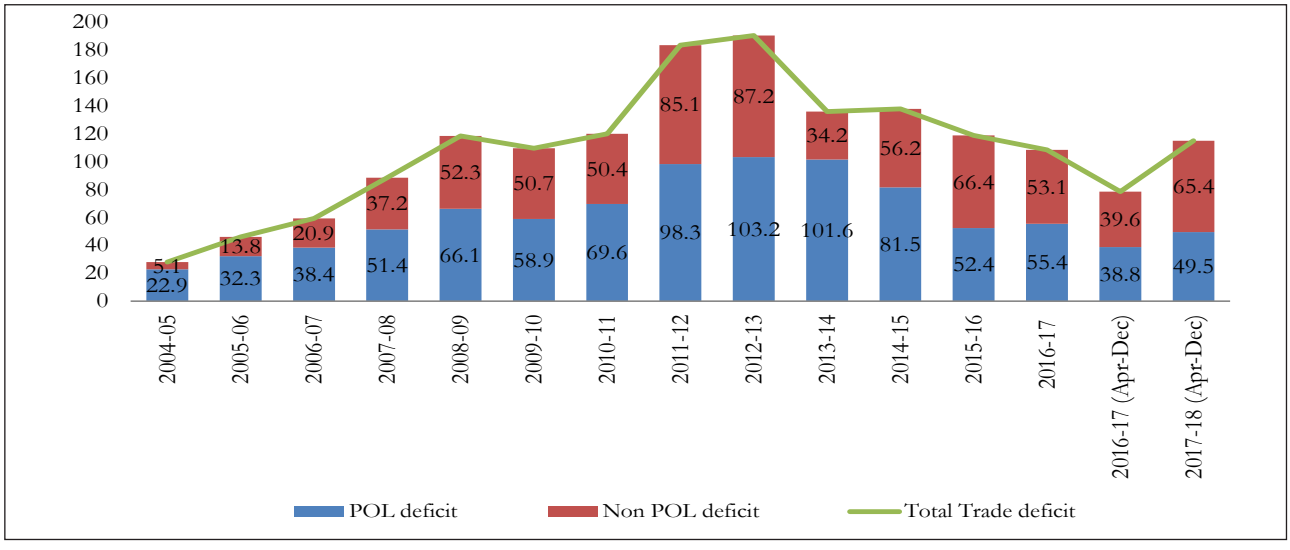
6.9 कुल आयात परिमाण सूचकांक और तेल से इतर स्वर्णेत्तर आयात परिमाण सूचकांक में वृद्धि (3 एमएमए), जिसमें जनवरी-फरवरी 2017 तक उछाल आया था उसमें मई 2017 से गिरावट आना प्रारंभ हुआ भले ही यह दिसम्बर 2017 तक सकारात्मक क्षेत्र में बनी रही (चित्र 4)

व्यापार घाटा

6.10 सीमा शुल्क आकलन के आधार पर भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2014-15 से लगातार गिरता जा रहा था। किन्तु वर्ष 2016-17 की पहली छ:माही में जो घाटा 43.4 बिलियन अमेरिकी डालर था वह वर्ष 2017-18 की पहली छ:माही में बढ़कर 74.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2016-17 में 108.5 बिलियन अमेरिकी डालर था और पीओएल घाटे तथा गैर पीओएल दोनों प्रकार के घाटों में कमी आई थी। वर्ष 2017-2018 (अप्रैल-दिसम्बर) में व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर) 46.4 प्रतिशत बढ़कर, पीओएल घाटे में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर पीओएल घाटे में 65.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ से 114.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया (चित्र 5)

6.11 भारत के व्यापारिक भागीदारों में से चीन, स्वीटज़रलैंड, सउदी अरब, ईराक और दक्षिण कोरिया वे शीर्ष 5 देश हैं जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक है जबकि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बंगला देश, नेपाल और यू.के. वे शीर्ष 5 देश है जिनके साथ भारत का व्याप. ार संतुलन अधिशेष है। चीन ऐसा मुख्य देश है जो भारत के कुल व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल व्यापार घाटे में चीन की भागीदारी वर्ष 2012-13 में 20.3 प्रतिशत की थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 47.1 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) (सारणी-3) में बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गई। चीन से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में टेलीफोन हो जिसमें मोबाइल ऑटोमे. टक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, डायोड तथा अन्य सेमी कंडक्टर डिवाइसें, इलेक्ट्रानिक डिवाइसें तथा रासायनिक उर्वरक आदि

चित्र 5: पीओएल और गैर पीओएल कुल घाटा (बिलियन अमेरिकी डालर)



स्रोत: वाणिज्य विभाग से प्राप्त आंकड़े के आधार पर

सारणी: द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष/घाटा (बिलियन अमेरिकी डालर)

		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 H1
देश जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष में है	अमेरिका	11.0	16.6	20.6	18.6	19.9	11.9
	संयुक्त अरब अमीरात	-2.8	1.5	6.9	10.8	9.7	4.0
	बंगला देश	4.5	5.7	5.8	5.3	6.1	3.3
	नेपाल	2.5	3.1	3.9	3.5	5.0	2.6
	यू.के.	2.3	3.7	4.3	3.6	4.9	2.2
देश जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा है	चीन	-38.7	-36.2	-48.5	-52.7	-51.1	-32.1
	स्विटरलैंड	-31.0	-17.5	-21.1	-18.3	-16.3	-9.2
	सऊदी अरब	-24.2	-24.2	-16.9	-13.9	-14.9	-7.3
	इराक	-18.0	-17.6	-13.4	-9.8	-10.6	-5.0
	द. कोरिया	-8.9	-8.3	-8.9	-9.5	-8.3	-6.7
	कुल व्यापार घाटा	**-190.3**	**-135.8**	**-137.6**	**-118.7**	**-108.5**	**-74.3**

स्रोत: वाणिज्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना

शामिल हैं। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य वस्तुएं सूती धागा, तांबा, शुद्धिकृत और अशुद्धिकृत तांबा, पीओएल वस्तुएं, ग्रेनाइट, एल्यूमिनियम अयस्क, अन्य निर्धारित सब्जियां और तेल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कपास, पोलीमर और लौह अयस्क आदि है। स्विटजरलैंड के मामले में व्यापार घाटे का मुख्य कारण सोने का आयात है। पिछले दो वर्षों के दौरान घाटे में गिरावट आयी है इसके अतिरिक्त इसके एक भाग को निर्यात में प्रयोग किया जाता है। सऊदी अरब और ईराक के मामले में घाटे का कारण कच्चे तेल का आयात करना है जबकि द. कोरिया के मामले में इसका कारण विद्युत उपकरणों एवं मशीनों तथा लोहा और इस्पात का आयात है।

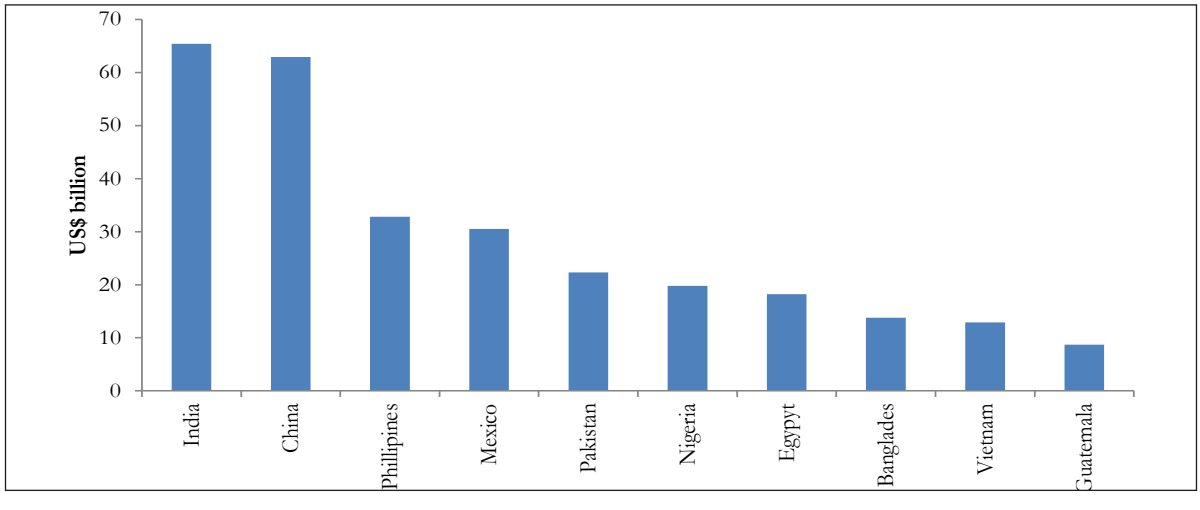
अदृश्य मदें (इनविजिबल्स)

6.12 वर्ष 2014-15 में जो कुल अदृश्य अधिशेष 118.1 बिलियन अमेरिकी डालर था जो वर्ष 2015-16 में गिरकर 107.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया और वर्ष 2016-17 में गिरकर 97.1 बिलियन अमेरिकी डालर पर आ गया। कुल सेवाओं और कुल निजी अंतरणों में वृद्धि के साथ जो कुलअदृश्य अधिशेष वर्ष 2016-17 की पहली छ:माही में 45.6 बिलियन अमेरिकी डालर था वह वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बढ़कर 52.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया।

6.13 मुख्यत: यात्रा और दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई कुल आय में वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 की पहली छ:माही के दौरान वाई-ओ-वाई आधार पर कुल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 की पहली छ:माही के दौरान विदेशी पर्यटकों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, के कारण कुल यात्रा प्राप्तियों में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। अमेरिकी वीजा नीतियों के कठोर होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अनिश्चितताओं के बावजूद वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निजी अंतरण प्राप्तियां जो मुख्यत: विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशि को दर्शाती है, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 33.5 बिलियन अमेरिकी डालर से इन निजी अंतरण प्राप्तियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

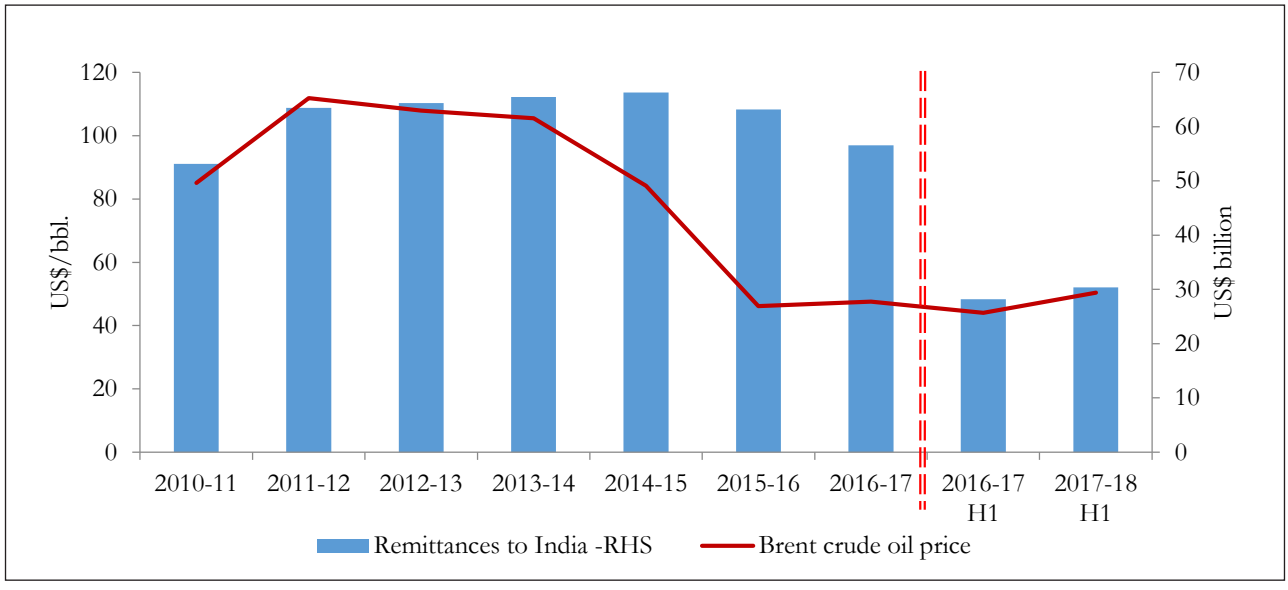
6.14 भारत एक प्रमुख सीमा-पार प्रेषित धन प्राप्तकर्त्ता रहा है और विश्व बैंक (अक्तूबर 2017) के अनुसार, 2017 में भारत प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना रहेगा तथा इसके बाद प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देशों में चीन, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों का नाम है। हालांकि, भारत के निजी (कुल) अंतरण अंतर्वाह में गिरावट आई है। 2015-16 में 6.1 प्रतिशत तथा 2016-17 में 6.5 प्रतिशत तक इसमें गिरावट आ गई है। इस गिरावट का एक मुख्य कारण स्रोत देशों, विशेषकर जी.सी.सी. (खाड़ी सहकारिता परिषद) के देशों में मुख्यत: अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण श्रम बाजार का सीमित हो जाना है। 2014-15 में कुल निजी अंतरण 69.8 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो 2015-16 और 2016-17 में क्रमश: 65.6 मिलियन अमेरिकी डालर और 61.3 बिलियन अमेरिकी डालर तक नीचे गिर गया। विश्व बैंक, (अक्तूबर, 2017) के अनुसार, सऊदी अरब (भारत का तृतीय सबसे बड़ा प्रेषित धन भेजने वाला देश) को प्रवास गमन करने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या जो 2015 में 3.0 लाख थी वह 2016 में घट कर 1.6 लाख ही रह गई और संयुक्त अरब अमीरत (जहां से भारत में अधि कतम अंतरणों का अंतर्वाह होता है) में यह संख्या 2015 की 2.2 लाख से घटकर 2016 में 1.6 लाख रह गई। 2015 में भारतीय श्रमिकों का कुल बाह्य-प्रवाह 7.8 लाख था जो 2016 में घटकर 5.1 लाख हो गया है। यू.एस.ए. में विदेशी श्रमिकों को किराए पर लिए जाने के प्रतिमानों को कठोर कर देने, जी.सी.सी. देशों में श्रम बाजार का समायोजन करने तथा प्रवास-विरोधी भावना उत्पन्न होने जैसे संरचनात्मक कारणों के कारण बहुत से स्रोत देशों में काफी नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो गई है।

चित्र-6: 2017 में प्रेषित धन प्राप्तकर्ता



स्रोत: **प्रवास और धन-प्रेषण पर विश्व बैंक रिपोर्ट, अक्तुबर 2017**
टिप्पणी: **ये 2017 का अनंतिम प्राक्कलन है।**

चित्र 7 : ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत की तुलना में भारत को किया गया प्रेषण



Source : **World Bank Pink Sheet data for Brent Crude oil price and RBI for Net Remittances**

6.15 भुगतान-शेष आंकड़ों के अनुसार, कुल निजी अंतरण अंतर्वाह में सामान्य वृद्धि रही है जो 2016-17 के भ1 में 30.4 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2017-18 के भ1में 33.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इसके आगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्थान के कारण प्रेषित धन का प्रवाह जो 2016 में 62.7 बिलियन अमेरिकी डालर था, वह 2017 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 65.0 बिलियन अमेरिकी डालर हो जाने का अनुमान है। (विश्व बैंक, अक्टूबर 2017)। चूंकि इनमें साथ-साथ उतार चढ़ाव आते है, इसलिए कच्चे तेल की कीमत में होने वाली सामान्य वृद्धि भी धन प्रेषण को बढ़ा सकती है। (चित्र 7)

6.16 निवल निवेश आय के आधार पर बाहिर्वाह जो विगत दो वर्षों में संवर्धित होता रहा है, का बाहिर्वाह स्तर 2016-17 की प्रथम छ:माही में 14.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहा है, और यह 2017-18 की प्रथम छमाही में बढ़कर 15.3 अमेरीकी डालर हो गया।

भुगतान शेष का पूंजी/वित्त खाता, 2017-18 का प्रथम छमाही

6.17 2017-18 की प्रथम छ:माही में एफडीआई के अंतर्वाह में गिरावट के होते हुए भी, भारत में पोर्टफोलियो निवेश में त्वरित उत्थान के कारण निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में एफडीआई के मध्यम प्रवाह के कारण 2017-18 के प्रथम छ:माही में वर्ष 2016-17 की प्रथम छ:माही की अपेक्षा एफडीआई प्रवाह में 6.3 प्रतिशत का संचयी ह्रास हुआ है। किंतु, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में 78.0 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यहां 2016-17 की प्रथम छ:माही में 8.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2017-18 की प्रथम छ:माही में 14.5 बिलियन अमेरिकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई जो घरेलू अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। पूंजीगत प्रवाहों के अन्य प्ररूपों में मध्य विदेशी ऋण और बैंकों द्वारा विदेशी परिसंपत्तियों के परिसमापन से 6.3 बिलियन अमेरिकी डालर की निवल बैंकिंग पूंजी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के निवल भुगतान के कारण 2017-18 की प्रथम छ:माही में 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर का बाहिर्वाह दर्ज किया गया। सीएडी की अपेक्षा उच्चतर शेष निवल पूंजीगत प्रवाह सहित भारतीय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (बीओपी के आधार पर) में वर्ष 2016-17 की प्रथम छ:माही में दर्ज की गई 15.5 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की प्रथम छ:माही में 20.9 बिलियन अमेरिकी डालर की निवल अनुवृद्धि हुई। (सारणी 4)।

व्यापार विन्यास

6.18 2016-17 में निर्यात वृद्धि वस्त्र और संबद्ध उत्पादों और चर्म एवं चर्म-विनिर्माताओं के सिवाय प्रमुख श्रेणियों में सकारात्मक वृद्धि के साथ काफी व्यापक थी। 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में, प्रमुख सेक्टरों के बीच, इंजीनियरी वस्तुओं

सारणी 4: भुगतान शेष, अमेरिकी डालर मिलियन

(US$ million)

क्रम सं.	मद	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 प्रथम छ:माही	2017-18 प्रथम छ:माही
1	2	3	4	5	6	7	8
I	चालू लेखा						
1	निर्यात	3,06,581	3,16,545	2,66,365	2,80,138	1,34,029	1,49,211
2	आयात	5,02,237	4,61,484	3,96,444	3,92,580	1,83,476	2,24,003
3	व्यापार शेष (1-2)	-1,95,656	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-49,448	-74,792
4	अदृश्य (निवल)	1,07,493	1,18,081	1,07,928	97,147	45,580	52,548
	(क) सेवा	64,915	76,529	69,676	67,455	32,040	36,706
	(ख) आय	-21,455	-24,140	-24,375	-26,291	-14,363	-14,257
	(ब) अन्तरण	64,034	65,692	62,627	55,983	27,903	30,098
5	माल और सेवाएं शेष	-1,30,741	-68,411	-60,402	-44,987	-17,408	-38,086
6	चालू खाता शेष (3+4)	-88,163	-26,859	-22,151	-15,296	-3,868	-22,244
II	पूंजीगत लेखा						
	पूंजीगत लेखा शेष	89,300	89,286	41,128	36,482	20,016	42,141
	i. विदेशी सहायता[1] (निवल)	982	1,725	1,505	2,013	605	691
	ii. बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल)	8,485	1,570	-4,529	-6,102	-3,402	-1,514
	iii. अल्पकालीन उधार	21,657	-111	-1,610	6,467	-493	4,575
	iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें	16,570	11,618	10,630	-16,616	-6,754	6,340
	अनिवासी जमा (निवल)	14,842	14,057	16,052	-12,367	3,465	1,948
	v. विदेशी निवेश (निवल)जिसमें	46,711	73,456	31,891	43,224	29,035	34,088
	(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवल निवल)	19,819	31,251	36,021	35,612	20,881	19,570
	(ख) निवेश सूची (निवल)	26,891	42,205	-4,130	7,612	8,154	14,518
	vi. अन्य प्रवाह (निवल)	-5,105	1,028	3,242	7,495	1,026	-2,038
III	भूल-चूक	2,689	-1,021	-1,073	364	-668	1007
IV	संपूर्ण शेष	3,826	61,406	17,905	21,550	15,481	20,903
V	आरक्षित परिवर्तन	-3,826	-61,406	-17,905	-21,550	-15,481	-20,903
	[वृद्धि (-)/कमी (+)]						

***स्रोत:* भारतीय रिज़र्व बैंक**

पी-प्रारंभिक

और पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं उत्पादों में अच्छी निर्यात वृद्धि, रासायनिक और संबंधित उत्पादों तथा वस्त्र एवं संबद्ध उत्पादों में मामूली वृद्धि परन्तु रत्नों एवं आभूषण में नकारात्मक वृद्धि रही (सारणी 5)

6.19 क्षेत्र (दृष्टि से) वार, 2014-15 और 2015-16 में एकाएक गिरावट के बाद 2015-16 में 46.2 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से 2016-17 में 47.6 अमेरिकी डालर प्रति बैरल और 2017-18 में 53.6 अमेरिकी डालर प्रति बैरल तक अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बाजार) बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थों के आयात में 2016-17 में 4.8 प्रतिशत और 2017-18 में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 में अन्य महत्वपूर्ण आयात मदों के बीच, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, अयस्क और खनिज पदार्थ और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों को छोड़कर इनमें से अधिकांश उत्पादों में निम्न अथवा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। पूंजीगत माल के आयात में मामूली वृद्धि हुई यद्यपि परिवहन उपस्कर उप-श्रेणी के मामले में उच्च वृद्धि

सारणी 5: निर्यातों का क्षेत्रवार अंश और वृद्धि दर

क्रम		शेयर (प्रतिशत)			वृद्धिदर (प्रतिशत)		
		2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)	2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)
1	इंजीनियरी संबंधी वस्तुएं	23.1	24.4	25.9	-17.0	11.1	22.4
2	रत्न और आभूषण	15.0	15.7	14.4	-4.8	10.5	-3.8
3	रासायनिक और संबंधित उत्पाद **	14.7	14.2	14.5	0.6	1.6	11.9
	जिसमें						
	मादक और औषधीय शामिल है	6.2	5.8	5.4	9.9	-1.2	-0.7
4	कपड़ा और संबद्ध उत्पाद	13.7	13.0	11.8	-3.2	-0.5	3.8
	जिसमें						
	कपड़ा	5.6	5.2	4.9	-8.5	-2.3	5.9
	परिधान	8.1	7.8	6.9	0.8	0.7	2.4
5	पेट्रोलियम अपशिष्ट और उत्पाद	11.7	11.4	11.8	-46.2	3.1	17.6
6	कृषि और संबद्ध उत्पाद *	9.9	9.5	9.7	-17.6	0.3	15.0
7	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	2.2	2.1	2.0	-5.3	0.0	4.5
8	समुद्री उत्पाद	1.8	2.1	2.7	-13.5	23.8	29.5
9	अयस्क और खनिज	0.8	1.2	1.0	-16.4	61.6	12.9
10	चर्म और चर्म उत्पाद	2.1	1.9	1.9	-10.3	-4.4	0.9
	अन्य निर्यातों सहित कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	-15.5	5.2	11.2

स्रोत: **वाणिज्य विभाग के डाटाबेस से परिकलित पी. अनंतिम**
टिप्पणियां: **पौधरोपण सहित प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों सहित**

दर्ज की गई (तालिका 6) 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में सभी बड़े सेक्टरों में भी वृद्धि हुई, यहां तक कि पूंजीगत माल के आयात में भी वृद्धि हुई जिनकी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता भी है और यह वृद्धि 11.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

व्यापार नीति

6.20 व्यापार नीति में दो महत्वपूर्ण विकास विदेश व्यापार नीति पटल (एफटीपी) की मध्यावधिक समीक्षा और दिसम्बर 2017 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की नवीन बहुपार्श्विक वार्ताएं रही हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें व्यापार संभारतंत्र और प्रतिपाटन (एंटी डम्पिंग) कार्रवाइयों से संबंधित कुछ परिवर्तन भी हैं।

विदेश व्यापार नीति मध्यावधिक समीक्षा और परवर्ती व्यापार से संबद्ध नीतियां

6.21 5 दिसम्बर, 2017 को जारी की गई विदेश व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा में भारत के व्यापार सेक्टर

सारणी 6: आयातों की क्षेत्रवार अंश और वृद्धि दर

क्रम	क्षेत्र (सेक्टर)	शेयर (प्रतिशत)			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)	2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)
1	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थ	21.8	22.6	22.0	-40.0	4.8	21.9
2	पूंजीगत वस्तुएं	21.1	20.9	19.2	-2.5	0.1	11.3
	मशीनरी	8.7	8.5	8.3	3.7	-1.4	16.8
	आधार धातुएं	6.5	5.6	6.0	-8.7	-12.8	26.5
	परिवहन उपस्कर	4.0	5.1	3.3	0.7	27.1	-18.3
3	रत्न और आभूषण	14.8	14.0	16.8	-9.4	-4.9	53.6
	जिसमें						
	सोना	8.3	7.2	7.8	-7.7	-13.4	46.4
	मोती और अर्ध कीमती पत्थर	5.3	6.2	7.6	-11.2	18.6	47.7
	चांदी	1.0	0.5	0.8	-17.3	-50.9	90.0
4	रासायनिक और संबंधित उत्पाद**	13.3	12.4	12.7	-4.2	-5.8	16.3
	जिसमें						
	जैव रसायन	2.5	2.6	2.6	-15.2	2.7	23.8
	उर्वरक	2.1	1.3	1.3	9.1	-37.8	-5.0
5	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	10.5	10.9	11.4	8.6	4.8	29.7
6	कृषि और सम्बद्ध उत्पाद*	5.7	6.3	5.6	7.7	11.4	11.4
7	अयस्क और खनिज पदार्थ	5.4	5.6	6.6	-23.2	4.6	55.6
	जिसमें						
	कोयला, कोक और संपीडित खंड आदि	3.6	4.1	4.8	-23.2	15.3	58.1
	अन्य आयातों सहित कुल आयात	100.0	100.0	100.0	-15.0	0.9	22.4

स्रोत: वाणिज्य विभाग के डाटाबेस से परिकलित पी: अनंतिम

*** समुद्री उत्पादों और पौधरोपण सहित ** प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों सहित**

बॉक्स 1: विदेश व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा की महत्वपूर्ण बातें (हाईलाइट)/नीतियां

- कपड़ों के दो उपक्षेत्रों अर्थात रेडीमेड गार्मेन्ट और मेड अप गारमेंट के लिए एमईआईएस (भारत से वाणिज्यिक वस्तु निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन को 2743 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि लगाकर 2% से बढ़ाकर 4% किया गया।
- निर्यातों के लिए एमएसएमईएस/श्रम गहन उद्योगों द्वारा 4576 करोड़ रुपये की मौजूदा एमईआईएस प्रोत्साहन राशि में 2% की वृद्धि की गई।
- सेवा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन राशि को व्यापार, विधिक, लेखाकरण, वास्तुशास्त्रीय इंजीनियरी शिक्षा, अस्पताल, होटलों और रेस्तराओं जैसी अधिसूचित सेवाओं के लिए 2% वृद्धि की गई है जिसकी रकम 1140 करोड़ रुपये है।
- ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की वैधता अवधि का 18 माह से बढ़ाकर 24 माह की गई है जिससे कि जीएसटी ढ़ाचे में उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सके। स्क्रिप्स के अंतरण/बिक्री पर जीएसटी दर को घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो पहले 12% थी।
- स्व घोषणा से शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क रहित आगतों की अनुमति देने के लिए विश्वास आधारित नई अनुसमर्थन स्कीम लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले आदानों के लिए मानक समिति का अनुसमर्थन प्राप्त करने के बजाय, निर्यातक शुल्क रहित कच्ची सामग्रियों/इनपुट की आवश्यकता को स्वत: प्रमाणित करेंगे और डीजीएफटी से प्रमाणीकरण लेंगे। यह स्कीम प्रारंभिक तौर पर प्राधिकृत आर्थिक आपरेटरों के लिए उपलब्ध होगी।
- शिकायत निपटान के लिए contact @ DGFT सेवा: विदेशी व्यापार से संबंधित सभी मामलों के समाधान के लिए निर्यातकों और आयातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क प्वाइंट के तौर पर डीजीएफटी का वेबसाइट (www. dgft.gov.in) को सक्रिय किया गया है।
- निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमापार व्यापार में सुधार पर ध्यान देने के लिए उनके निर्यात से संबंधित समस्याओं, निर्यात बाजार में पैठ बनाने के लिए और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक व्यावसायिक टीम बनाई गई है।
- पॉलिसियों में परिवर्तन करते हुए, मौजूदा कार्यवाहियों में सुधार करते हुए, अवरोधों और अंतरालों और इस सेक्टर में प्रौद्योगिकी उपयोग द्वारा संभारिकी के एकीकृत विकास के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के विकास और समन्वय के लिए वाणिज्य विभाग में नया संभारिकी प्रभाग बनाया गया है।
- स्पष्टता के लिए पूंजीगत माल की एक नकारात्मक सूची जारी की गई है जिसको ईपीसीजी (पूंजीगत माल पर निर्यात प्रोत्साहन) स्कीम के अंतर्गत अनुमत नहीं किया गया है।
- रियायती और पूर्ण शुल्क पर निर्यात उन्मुख इकाई (ई.ओ.यू.) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) में बिक्री की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए डी.टी.ए. की हकदारी की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मोटर कारों, मादक द्रव्यों, पुस्तकों और चाय की डी.टी.ए. बिक्री पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
- मरम्मत/नवीकरण/पुन: कंडीशनिंग या पुन: इंजीनियरी के उद्देश्य से आयात किए जाने वाले पुराने मालों को नि:शुल्क कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप मरम्मत सेवा के क्षेत्र में रोजगार का सृजन सहज हो जाएगा।
- निवेशों पर जी.एस.टी. के अग्रिम भुगतान के प्रावधान के कारण निर्यातकों के कार्यशील पूंजी को अवरूद्ध कर दिए जाने के मामले का निपटारा किया जा चुका है। पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.सी.) योजना के अग्रिम प्राधिकार के तहत ई.ओ.यू. के 100% निर्यातकों के लिए जी.एस.टी. का अग्रिम भुगतान किए बिना विदेशी और अपने देश के प्रदायकों से निर्यात के लिए निवेशों/पूंजीगत मालों को प्राप्त करने के लाभ को विस्तृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2018 से इन योजनाओं को प्रचालन योग्य बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2018 से ई-वैलेट शुरू की जाएगी।
- 15 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है। इस पैकेज के अन्तर्गत 2600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय से 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों में ''भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम'' की केंद्रीय योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना से चमड़े के क्षेत्र के लिए अधिसंरचना का विकास होगा, चमड़े के क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान होगा, अतिरिक्त निवेश कर पाना सुविधाजनक हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण के क्षेत्र में 3 वर्षों में 3.24 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने और संचयी प्रभाव से 2 लाख रोजगार सुलभ कराने में सहायता करने की क्षमता इस विशेष पैकेज में है।

स्रोत: **वाणिज्य विभाग की निविष्टियों पर आधारित।**

की सहायता करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्रवाइयां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 15 दिसम्बर, 2017 को चमड़ा एवं फुटवियर सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज का सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया था, उससे भी इस से. क्टर के निर्यातकों को मदद मिलने की आशा है (बॉक्स-1)

बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएं

6.22 विश्व व्यापार संघ का ग्यारहवाँ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन बिना किसी मंत्रीय घोषणा अथवा ठोस परिणाम के ही समाप्त हो गया, फिर भी सभी का यह मत था कि इसे पूर्ण स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ बहुत ही अच्छी तरह से संचालित किया गया और इस प्रक्रिया में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

6.23 एम.सी-11 से पहले खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी अन्य मुद्दों के संबध में स्थायी समाधान के निर्णयों की उम्मीद की जा रही थी। दुर्भाग्यवश मौजूदा डब्ल्यू.टी.ओ. अधिदेश और नियमों पर आधारित कृषि सुधारों के विरूद्ध एक सदस्य के द्वारा किए गए प्रबल विरोध के कारण कृषि के संबंध में ऐसा गतिरोध हुआ कि बिना किसी परिणाम के, यहां तक कि अगले दो वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम बनाए बिना ही यह सम्मेलन समाप्त हो गया। तथापि, मौजूदा अधिदेश और निर्णय यह सुनिश्चित करते हैं कि यह कार्य आगे चलता रहेगा और सदस्य खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडार संबंधी स्थायी समाधान, कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा और कृषि संबंधी घरेलू सहायता जैसे मुद्दों पर कार्य करते रहेंगे। लिए गए कुछ निर्णयों में सब्सिडी संबंधी विषयों पर कार्यक्रम शामिल था, जिसका उद्देश्य एम.सी.-12 तक निर्णय पर पहुँचना था। ई-कॉमर्स संबंधी मौजूदा कार्यक्रम के गैर-वार्ताकारी अधिदेश को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। निवेश को सुसाध्य बनाने, एम.एस.एम.ई., महिला संबंधी मुद्दों एवं व्यापार जैसे नए मुद्दे, जिनके लिए अधिदेश या सर्वसम्मिति का अभाव है, के संबंध में मंत्री-स्तरीय निर्णयों को आगे नहीं ले जाया गया।

6.24 मंत्री सम्मेलन (एमसी 11) के दौरान भारत डब्ल्यू टी ओ के मूल सिद्धांतों सहित बहुपक्षीय नियम आधारित परस्पर सहमति से निर्णय लेने, एक स्वतंत्र एवं विश्वसनीय विवाद समाधान और अपीलीय प्रक्रिया और विकास की केंद्रीयता पर अडिग रहा जिसमें दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) और सभी विकासशील देशों के लिए विशेष और विविध स्तरीय व्यवहार संबंधी व्यवस्था भी निहित है।

व्यापार संबंधित संभार तंत्र

6.25 एक अनुमान के मुताबिक भारतीय संभार तंत्र उद्योग वर्ष 2016-17 में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का रहा होगा तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान यह उद्योग 7.8% की वार्षिक चक्रवर्धी वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के प्रभाव पर विचार करते हुए भारतीय संभार तन्त्र बाजार के वर्ष 2019-20 में वार्षिक वृद्धि दर 10.5% के हिसाब से लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डालर पहुँचने की उम्मीद है। निर्यात में वृद्धि तभी संभव है जब संभार व्यवस्था उन्नत हो अर्थात् यदि अप्रत्यक्ष संभार लागत में 10% की कमी कर दी जाए तो निर्यात में लगभग 5-8% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। भारत ने ''संभार कार्य निष्पादन सूचकांक'' में अपनी रैंकिंग में सुध ार किया है। भारत 2014 में 54 स्थान पर था जबकि 2016 में छलांग लगाते हुए 35 स्थान पर पहुँच गया (सारणी 7) हाँलाकि सिंगापुर (रैंक 5), दक्षिण अफ्रीका (20), ताइवान

सारणी 7: संभार कार्य-निष्पादन सूचकांक: भारत की रैंकिंग

	2007	201 0	2012	2014	2016
समग्र एलपीआई रैंकिग	**39**	**47**	**46**	**54**	**35**
सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन की दक्षता	47	52	52	6 5	38
व्यापार और परिवहन अवसंरचना की गुणवत्ता	42	47	56	58	36
प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर शिपमेंट की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना	40	46	54	44	39
संभार सेवाओं की सक्षमता और गुणवता	31	40	38	52	32
परेषणों को ट्रैक एवं ट्रेस करने की योग्यता	42	52	54	57	33
समय पर सुपुर्दगी	4 7	56	44	51	42

स्रोत: **विश्व बैंक एलपीआई सांख्यिकी (2016)**

बॉक्स 2: संभार तंत्र: चुनौतियां और सुझाई गई कार्य योजना

कुछ प्रमुख चुनौतियां

संभार तंत्र की उच्च लागत घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव

- अननुकूल परिवहन मिश्र (रोडवेज 60% रेलवे 30%) और अदक्षतापूर्ण वाहन मिश्र
- अविकसित सामग्री संभाल अवसंरचना तथा खण्डित भण्डारण
- बोझिल एवं दोहरी प्रक्रियाओं सहित विभिन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं वाले अनेक विनियामक/नीति निर्माता निकाय
- उच्च ठहराव समय तथा विभिन्न परिवहन स्वरूपों के बीच माल के निर्बाध संचलन का अभाव

सुझाई गई कार्य-योजना

- संभरण कार्यों में उच्च पारदर्शिता लाने व दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत संभारतंत्र नीति तैयार करना
- संभरण संबंधी समस्त मामलों के लिए एक एकल केंद्र के रूप में एकीकृत आईटी प्लेटफार्म का विकास करना। यह पोर्टल रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, नागरिक उड्डयन, सीबीईसी, राज्य परिवहन विभागों आदि के साथ जुड़ा होगा तथा एक संभरण विपणन-स्थल के रूप में कार्य करेगा।
- प्रलेखन में सरलता, तीव्रतर क्लीयरेंस, डिजिटाइजेशन, करना।
- वर्ष 2022 तक, संभार लागत को जीडीपी के 10% से कम करना
- बहु वाहन मिश्र आधारित संभार पार्क (एमएमएलपी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) और इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) जैसी संभारतंत्र अवसंरचना की स्थापना के लिए तेजी से स्वीकृति देना
- सेवा प्रदाताओं के लिए पेशेवर मानकों एवं प्रमाणन का प्रारंभ करना
- उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना जैसे उच्च तकनीकी स्कैनिंग उपस्कर, आरएफआईडी, जीपीएस, ईडीआई, संपूर्ण संभार नेटवर्क में ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का प्रयोग आदि।
- देश में संभार कौशल विकास का संवर्धन करना तथा संभार सेक्टर में वर्ष 2022 तक 40 मिलियन तक नौकरियां बढ़ाना है।

***स्रोत:* संभारिकी प्रभाग, वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित।**

(25) और चीन (27) जैसे देशों की तुलना में भारत को अभी काफी आगे तक जाना है।

डंपिंग-रोधी उपाय

6.26 वैश्विक मंदी के बाद के विश्लेषण में डंपिंग की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। देश में माल की डंपिंग के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों, घरेलू उद्योग को इससे होने वाली क्षति तथा डंपिंग और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच अनुषंगी संबंध के आधार पर भारत सरकार डंपिंग रोधी अन्वेषण कराती है। वर्ष 2016 में, भारत सहित समस्त देशों द्वारा 300 डंपिंग रोधी अन्वेषण प्रारंम्भ कराए गए जिनमें से भारत के सर्वाधिक 69 अन्वेषण थे और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (37) और अर्जेंटीना (25) थे (सारणी 8)।

6.27 वर्ष 2017-18 (दिसंबर के अंत तक) के दौरान डीजीएडी ने 24 उत्पादों के आयात के संबंध में एन्टी डंपिंग जांच शुरू की, 3 एन्टी डंपिंग जांचों में प्रारम्भिक निष्कर्ष जारी किए, 35 एंटी डंपिंग जांचों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए और एक एंटी डंपिंग शुल्क से बचने के प्रयास पर अंतिम निष्कर्ष जारी कर दिए हैं। जिन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू की गई है वे रसायन और पैट्रो रसायन के समूह के उत्पादों, इस्पात एवं अन्य धातुओं के उत्पादों और रबड़ अथवा प्लास्टिक उत्पादों के अन्तर्गत आते हैं। इन जांचों में चीन, ईरान, सउदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया, थाईलैंड, नार्वे, तुर्की, बंगला देश, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और ताइवान देश शामिल हैं। डंप किए गए सर्वाधिक उत्पादों की मात्रा चीन से आयी है।

विदेशी मुद्रा भंडार

6.28 दिसंबर 2017 के अन्त तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 409.4 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में दिसम्बर 2016 के अंत से (358.9 बिलियन अमेरिकी डालर) से दिसम्बर 2017 के अंत तक (409.4 बिलियन अमेरिकी डालर) वर्षानुगत आधार पर 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 17 के अंत (370.0 बिलियन अमेरिकी डालर)

से दिसम्बर 2017 के अंत तक 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्तियों के मूल्य परिवत. न के साथ-साथ बीओपी आधार पर भंडार में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। भुगतान शेष के आधार पर अर्थात् मूल्य निर्धारण के प्रभावों, को छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान 15.5 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की पहली छमाही के दौरान 20.9 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्य निर्धारण प्रभावों रहित) में 30.3 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई थी। मूल्य निर्धारण प्राप्तियों में बड़ी मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डालर में ह्रास दिखाता है। वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान 9.3 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि की कमी आई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 3.7 बिलियन अमेरिकी डालर का घाटा हुआ था (सारणी 9)। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आयात कवर मार्च अंत 2017 में 11.3 माह की तुलना में नवंबर 2017 के अंत में 11.1 माह था। समान था। चालू खाते पर घाटे वाली रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे विशाल है और विश्व के सभी देशों में छठा विशालतम है।

मुद्रा विनिमय दर

6.29 वर्ष 2017-18 (दिसंबर 17 तक) के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में वृद्धि होती रही है, हां सितंबर 17 के दौरान बीच-बीच में गिरावट भी दर्ज की गई है1 दिसंबर 2017 के दौरान रुपया 2.5 प्रतिशत सुदृढ़ होकर 64.24 रुपए प्रति अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जबकि विदेशी पोर्ट फोलियो प्रवाह और एफडीआई दोनों के उल्लेखनीय पूंजी प्रवाह की सहायता से मार्च 2017 में रुपया 65.88 रुपए प्रति डालर के स्तर पर था। उत्प्लावक पूंजी प्रवाह के लिए मुख्यत: भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के साथ-साथ संवर्धित व्यापक आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं। इस अवधि के दौरान न्यूनतम अस्थिर ई-एम मुद्राओं में से एक रुपया रहा और प्रति डालर 63.63 से लेकर 65.76 के बीच लेन देन होता रहा।

6.30 औसतन अमेरिकी डालर (अप्रैल-दिसंबर 2017) के साथ साथ अन्य सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई। गत राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (चित्र 8) अप्रैल-दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान रुपए में पाउंड स्टर्लिंग मुकाबले लगभग 6.0 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 0.2 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी 8 : डंपिंग-रोधी उपायों के कुछ मुख्य प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अन्वेषण

Country	India	USA	EU	Brazil	Argentina	Australia	China	All Countries including others
2009	31	20	15	9	28	9	17	217
2010	41	3	15	37	14	7	8	173
2011	19	15	17	16	7	18	5	165
2012	21	11	13	47	12	12	9	208
2013	29	39	4	54	19	20	11	287
2014	38	19	14	35	6	22	7	236
2015	30	42	12	23	6	10	11	229
2016	69	37	14	11	25	17	5	300
1995-2016	839	606	493	403	348	316	234	5286

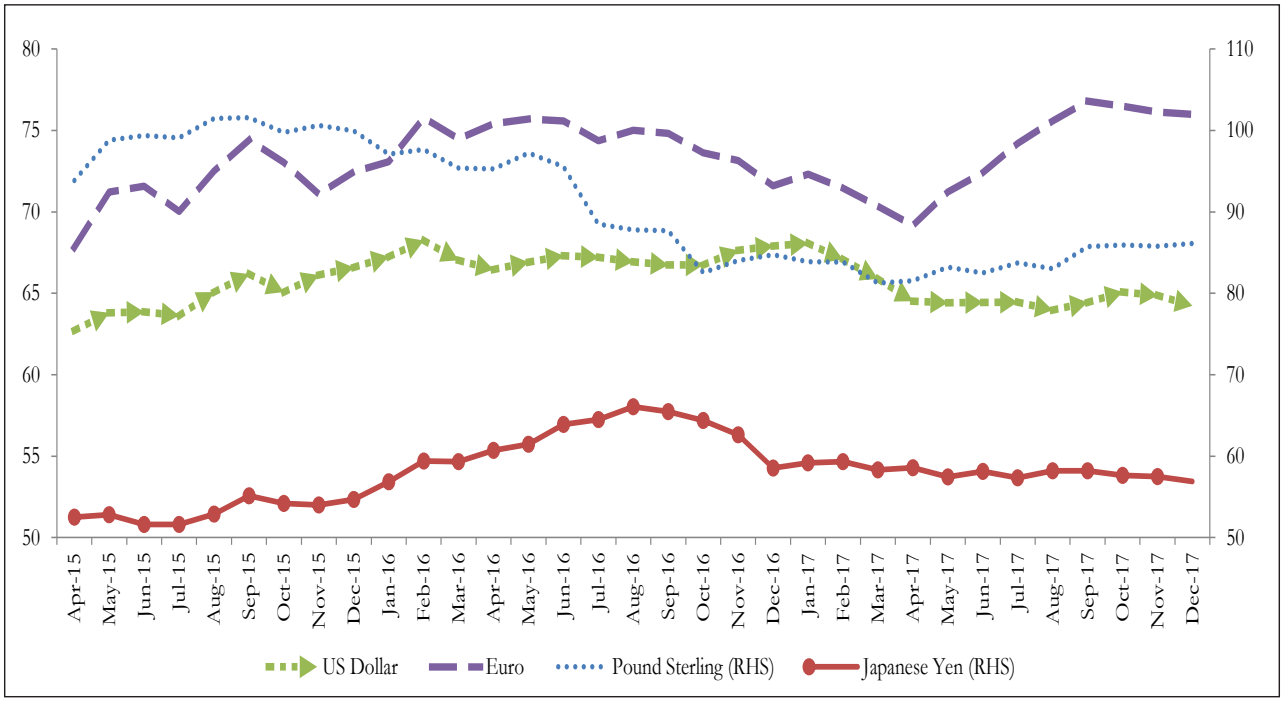
Source: **WTO**

सारणी 9 : विदेशी मुद्रा भंडारों में परिवर्तन का सारांश (बिलियन अमेरिकी डालर)

वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च के अंत में) विदेशी मुद्रा भंडार	मुद्रा भंडार में कुल वृद्धि (+)/ गिरावट (-)	बीओपी के आधार पर भंडार में वृद्धि (+) गिरावट (-)	मूल्य निर्धारण प्रभाव के कारण भंडार में वृद्धि/गिरावट
2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
2010-11	304.8	25.8	13.1	12.7
2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8
2016-17 (H1)	372.0*	11.8	15.5	-3.7
2017-18 (H1)	400.2*	30.3	20.9	9.3

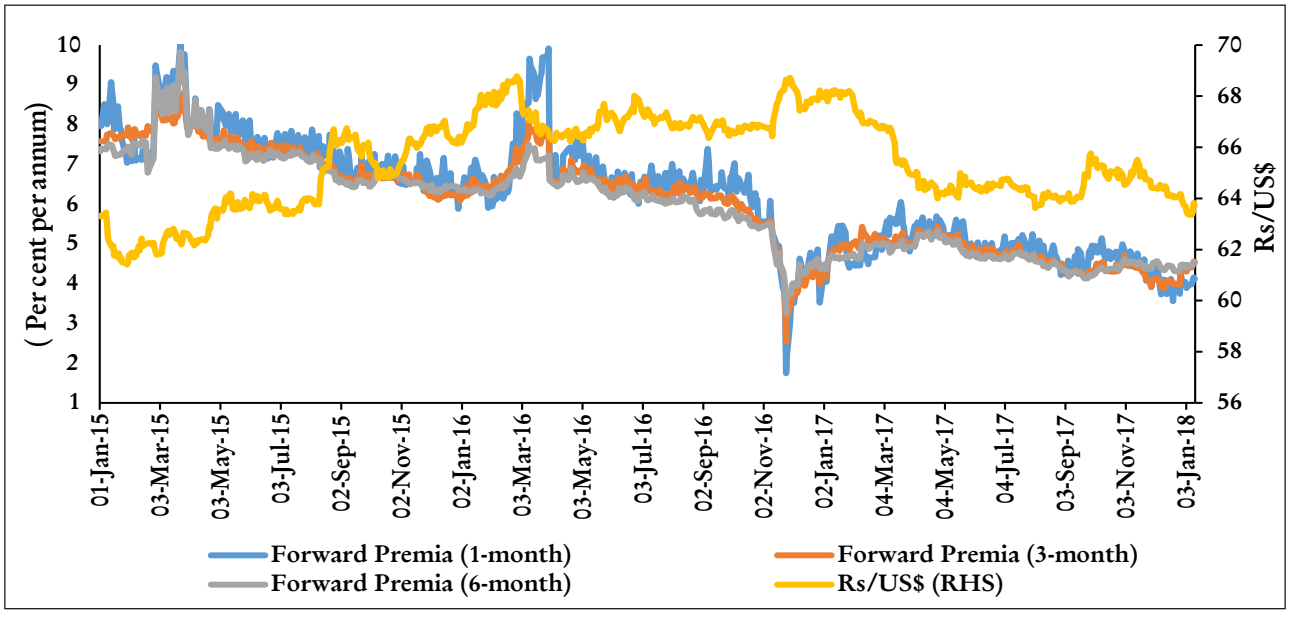
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई H1 अप्रैल से सितंबर)

चित्र 8 : अमेरिकी डालर यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन के मुकाबले रुपए में उतार-चढ़ाव



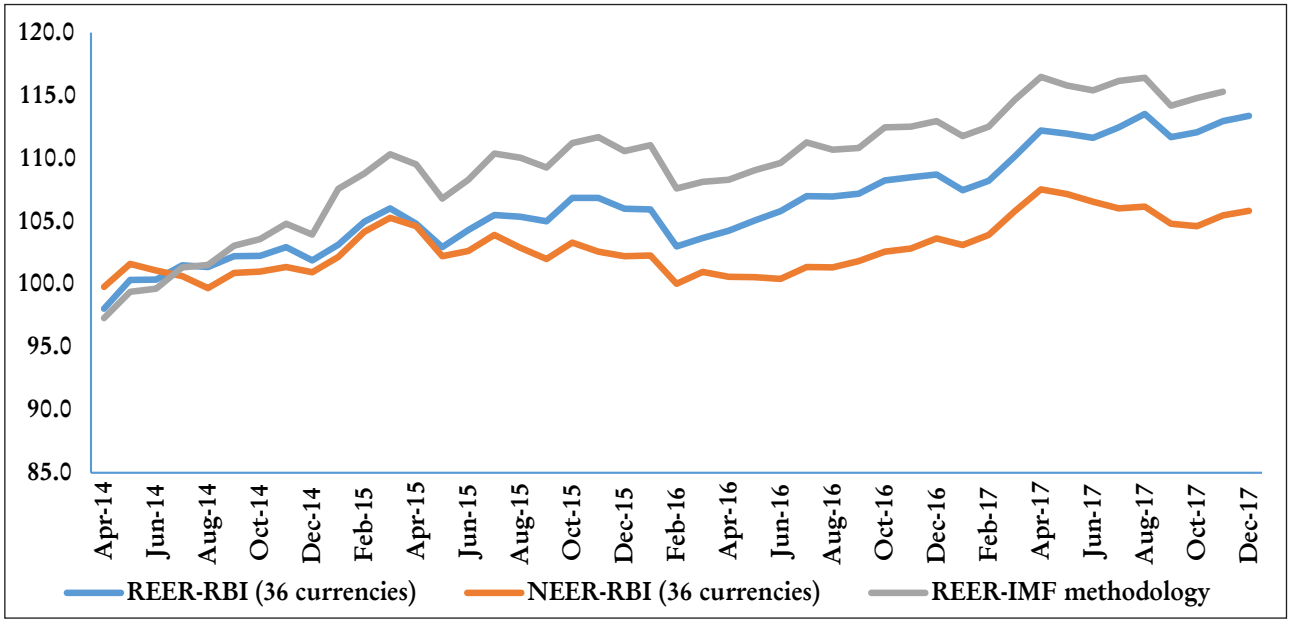
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा पर आधारित

चित्र 9: फॉरवर्ड प्रीमिया का रूझान और संदर्भ दर (स्पॉट)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

चित्र 10: आरईईआर में संकेतों में उतार चढ़ाव, एनईईआर: (2014 = 100)



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: आरईईआर आईएमएफ का परिकलन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई गई पद्धति से किया जाता है।

6.31 फॉरवर्ड प्रीमिया में सामान्यत: वर्ष 2017-18 के दौरान (11 जनवरी, 2018 तक), सितम्बर, 2017 और जनवरी, 2018 में कुछ सख्ती को छोड़कर, मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति दर में कटौती के ठीक बाद भारत और अमेरीका के बीच ब्याज दर अंतर के सीमित होने और यू एस फेड की ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण रूझान में नरमी दिखाई दी। 6 माह का फॉरवर्ड प्रीमिया, जो मार्च, 2017 के अंत में 4.9 प्रतिशत पर था, 11 जनवरी 2018 को गिरकर 4.5 प्रतिशत रह गया और इस अवधि के दौरान 4.2 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत की रेंज में चला गया (चित्र 9)।

6.32 36 और 6 मुद्रा समूहों में से मौद्रिक प्रभावी वि. निमय दर (व्यापार-मूल्यांकन) के संदर्भ में, रुपये के मूल्य

सारणी 10 : भारत के महत्वपूर्ण विदेशी ऋण सूचक (प्रतिशत)

वर्ष	विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डालर	विदेशी ऋण में वृद्धि (%)	सकल घरेलू उत्पाद से कुल विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण सेवा अनुपात	कुल विदेशी ऋण से लिए रियायती ऋण का अनुपात	कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी वि. निमय रिजर्व	विदेशी विनिमय रिजर्व के लिए अल्पावधिक विदेशी ऋण	कुल ऋण पर अल्पावधिक विदेशी ऋण	कुल ऋण पर अल्पावधिक ऋण (शेष भुगतान तिथि)	विदेशी वि. निमय प्रारक्षित निधि के लिए अल्पावधिक ऋण (शेष भुगतान तिथि)
2012-13	409.4	13.5	22.4	5.9	11.1	71.3	33.1	23.6	42.1	59.0
2013-14	446.2	9.0	23.9	5.9	10.4	68.2	30.1	20.5	39.7	58.2
2014-15	474.7	6.4	23.9	7.6	8.8	72.0	25.0	18.0	38.5	53.5
2015-16	485.1	2.2	23.5	8.8	9.0	74.3	23.1	17.2	42.7	57.4
2016- 17 R	471.8	-(2.7)	20.2	8.3	9.3	78.4	23.8	18.6	41.5	52.9
End-September2017 P	495.7	5.1	*	*	9.1	80.7	23.2	18.7	41.7	51.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट : R = रिजर्ण्ड, = P प्रोविजनल अल्पावधिक ऋण मूल भुगतान तिथि पर आधारित होता है।

ऋण सेवा अनुपात चालू खाता प्राप्तियों (सरकारी अन्तरणों का निवल) के लिए सकल ऋण सर्विस भुगतानों का अनुपात होता है।

में अप्रैल-दिसम्बर 2017-18 में क्रमश: 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांलांकि इसमें दिसम्बर, 2017 में, मार्च 2017 में इसके औसत स्तर से क्रमश: 2.0 प्रतिशत और 0.03 प्रतिशत वृद्धि भी दिखाई दी है।

6.33 36 मुद्राओं के एक समूह के संदर्भ में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार भारित) के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 2017 में रुपए में वर्ष 2016-17 की संगत अवधि की तुलना में 5.2 प्रतिशत की कीमत वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरईईआर पद्धति के अनुसरण से, अप्रैल-नवम्बर 2017 के दौरान 4.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। यद्यपि इस दौरान रुपया व्यापक रूप से स्थिर बना रहा तथापि आरईईआर की मूल्यवृद्धि संकेत करती है कि भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में हल्की सी कमी आ गई है। (चित्र 10)।

विदेशी ऋण

6.34 भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2017 के अंत से सितंबर 2017 के अंत तक 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 495.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया, जबकि जून, 2017 के अंत से इसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 2017 की तुलना में सितंबर 2017 के अंत में प्रमुख दीर्घावधि ऋण में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है हालांकि, इसका भाग 81.3 प्रतिशत रहा जोकि 81.4 प्रतिशत की मौजूदा स्थिति की तुलना में कमोवेश समान ही है। दीर्घावधि ऋण में वृद्धि प्राथमिक तौर पर घरेलू पूंजी बाजार (जिसमें वाणिज्यिक उधारियां भी शामिल हैं) के ऋण खण्ड के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। लघु अवधि ऋण में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार संबंधी क्रेडिट में वृद्धि के कारण हुई। कुल ऋण में सरकारी (संप्रभु) ऋण की हिस्सेदारी में मार्च 2017 के अंत में 19.4 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2017 के अंत में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलिया के बढ़ते स्तर को दर्शाने वाले अन्य सरकारी विदेशी ऋण अवयव के कारण हुई।

6.35 कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा कवर में मार्च, 2017 के अंत में 78.4 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2017 के अंत में 80.7 प्रतिशत हो गया। मूल परिपक्कवता के अल्पकालिक ऋणों का विदेशी मुद्रा भंडार के साथ अनुपात मार्च अंत 2014 के 23.8 प्रतिशत से घट कर सितंबर अंत 2017 में 23.2 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों की अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा फलित लघु अवधि ऋण का अनुपात 52.9 प्रतिशत से गिरकर 51.7 प्रतिशत आ गया। वर्ष के दौरान सेवा संविदागत देयताओं के लिए नकदी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी कुल विदेशी ऋण पर शेष भुगतान तिथि के अनुसार अल्पावधिक ऋण का अनुपात मार्च 2017 के अंत में 41.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2017 के अंत में कुल मिलाकर कमोवेश 41.7 प्रतिशत था (सारणी 10)। मार्च 2017 की अपेक्षा सितम्बर 2017 में अन्य मुद्राओं के मुकाबले यूएस डालर में मूल्य ह्रास होने के कारण मूल्यांकन हानि 1.4 बिलियन अमेरिकी डालर थी जिसका निहितार्थ यह है कि मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर विदेशी ऋण 495.7 बिलियन अमेरिकी

डालर के बजाय 494.3 बिलियन अमेरिकी डालर ही रहा होगा।

6.36 विश्व बैंक के डेटा पर आधारित विदेशी ऋण स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि वर्ष 2016 में 20 शीर्ष विकासशील ऋणी देशों में भारत की सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में 20.4 प्रतिशत विदेशी ऋण स्टॉक अनुपात चीन के 12.8 प्रतिशत अनुपात के बाद दूसरा सबसे कम अनुपात था। विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में, भारत की स्थिति पांचवीं सबसे बडी और भारत की ऋण सर्विस दर आठवीं सबसे कम दर हैं। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, यद्यपि भारत विकासशील देशों में तीसरा सबसे बडा ऋणी देश (चीन और ब्राजील के बाद) है, और कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण का भारत का हिस्सा वर्ष 2017 की पहली तिमाही (मार्च को समाप्त) और 2017 की दूसरी तिमाही (जून को समाप्त) में चीन के क्रमशः 59.0 प्रतिशत और 60.1 प्रतिशत की तुलना में केवल 18.6 प्रतिशत और 18.3 प्रतिशत ही है। भारत विश्व के शीर्ष ऋणी देशों (विकसित और विकासशील देश सहित) में नहीं है और जून 2017 के अंत में यह छब्बीसवें स्थान पर है।

निष्कर्ष

6.37 इस वर्ष में और आने वाले वर्ष में भारत के विदेशी क्षेत्र के लिए संभावनाएं विश्व व्यापार वर्ष 2016, में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत होने से उज्वल प्रतीत होती हैं, प्रमुख भागीदार (पार्टनर) देशों का व्यापार सुधर रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की निर्यात वृद्धि भी उच्चतर होती जा रही है। तेल की कीमतों में वृद्धि के जोखिम नकारात्मक पहलू है जिन पर कुछ बढोत्तरी के बाद नियंत्रण कर लिया गया है। तथापि इसके कारण धन प्रेषणों का उच्चतर अंतरप्रवाह भी हो सकता है जिसका बढ़ना आरंभ हो चुका है। सरकार को जीएसटी, संभार तांत्रिकी और व्यापार सुगमता जैसी सहायक नीतियों से और भी मदद मिल सकेगी।

07

अध्याय

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

कृषि केवल फसल का उत्पादन नहीं है जैसाकि आमतौर पर समझा जाता है– यह विश्व की भूमि और जल से रोटी और कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, स्टॉक बाजार, बैंक, विश्वविद्यालय, चर्च या सेना का अस्तित्व संभव नहीं है। कृषि किसी भी सभ्यता और स्थिर अर्थव्यवस्था की बुनियाद है।

एलन सेवरी

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी कम करने और विकास को बनाए रखने में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में उत्पादकता में सुधार लाने में सिंचाई, बीज, उर्वरक और मशीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण साधनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कृषि विकास के गतिशील घटक फसल क्षेत्र के हिस्से में गिरावट और कृषि उपक्षेत्रों के हिस्से में वृद्धि परिलिक्षित कर रहे हैं। चूंकि कृषि क्षेत्र उत्पादन, मौसम, कीमतों और नीति से जुड़े जोखिमों से ग्रस्त रहता है, इसलिए आय सृजित करने वाले कार्यकलापों में विविधता लाकर कृषि क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों से लाभ उठाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में विकास की गति बनाए रखी जा सकती है।

7.1 भारत जैसे विकासशील देश में, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास की यह प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ-साथ, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि के गिरते हिस्से में परिणत होती है, जो भारत में भी देखी जा रही है। फिर भी, यह गिरता हिस्सा रोजगार, आजीविका और खाद्य सु. रक्षा के लिए इस क्षेत्र के महत्व को कम नहीं कर देता। कृषि में संरचनागत परिवर्तनों के चलते, उत्पादकता में सुधार लाने और सतत विकास के अवसरों के लिए कृषि से संबंधित कार्यकलापों को व्यापक बनाने की बड़ी गुंजाइश है।

कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों पर एक नजर

7.2 कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की विकास दरों में उतार चढ़ाव होता रहा है जो 2012-13 में 1.5 प्रतिशत, 2013-14 में 5.6 प्रतिशत, 2014-15 में (-) 0.2 प्रतिशत, 2015-16 में 0.7 प्रतिशत और 2016-17 में 4.9 प्रतिशत रहा (सारणी 1)। कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं की वजह यह तथ्य है कि भारत में 50 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आश्रित है जो उत्पादन संबंधी जोखिमों को और बढ़ा देता है।

सारणी-1 कृषि क्षेत्र-मुख्य संकेतक

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 अ.अ
2011-12 मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि (प्रतिशत में)	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9
चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल जीवीए में हिस्सा (प्रतिशत में)	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4
वर्तमान मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल सकल पूँजी निर्माण में हिस्सा* (प्रतिशत में)	7.7	9.0	8.3	7.8	उ०न०
फसलों का हिस्सा*	6.5	7.7	6.9	6.5	उ०न०
पशुधन का हिस्सा*	0.8	0.9	0.8	0.8	उ०न०
वानिकी एवं लागिंग का हिस्सा	0.1	0.1	0.1	0.1	उ०न०
मात्स्यिकी का हिस्सा	0.4	0.5	0.5	0.5	उ०न०

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

*परिकलन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017 पर आधारित किये गये हैं। उ०न० = उपलब्ध नहीं

कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

7.3 इस क्षेत्र में जीवीए के संदर्भ में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है जो 2011-12 के 18.2 प्रतिशत से 2015-16 में 16.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 2)। कुल जीसीएफ के अनुपात के रूप में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के सकल पूंजी निर्माण में गिरावट देखी गई जो 2014-15 के 8.3 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015-16 में 7.8 प्रतिशत रह गया।

सारणी 2. कृषि क्षेत्र-मुख्य संकेतक

अवधि	2011-12 मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीसीएफ (करोड़ रू.)			कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए (करोड़ रु. में)	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के प्रतिशत के रूप में क्षेत्र में जीसीएफ सार्वजनिक निजी कुल		
	सरकारी	निजी	जोड़		सरकारी	निजी	जोड़
2011-12	35696	238175	273870	1501947	2.4	15.9	18.2
2012-13	36019	215075	251094	1524288	2.4	14.1	16.5
2013-14	33925	250499	284424	1609198	2.1	15.6	17.7
2014-15	36714	240701	277415	1606140	2.3	15	17.3
2015-16*	44957	220081	265038	1617208	2.8	13.6	16.4

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

* वार्षिक राष्ट्रीय आय 2016-17 के अनंतिम अनुमानों तथा 31 मई, 2017 को जारी की गई (नवीनतम उपलब्ध) 2016-17 की चौथी (तिमाही) के लिए जीडीपी के तिमाही अनुमानों के अनुसार

फसल उत्पादन 2016-17

7.4 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश ने 275.7 मिलियन टन के स्तर पर खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हासिल किया जो 2013-14 के खाद्यान्न के पिछले रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 10.6 मिलियन टन अधिक है। 2016-17 के दौरान चावल का उत्पादन 110.2 मिलियन टन के स्तर पर होने का अनुमान है और यह भी एक नया रिकार्ड है। इसी प्रकार, 98.4 मिलियन टन के स्तर पर गेहूं का उत्पादन 2013-14 में हासिल किए गए पिछले रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दालों के उत्पादन में हासिल की गई है जो 2016-17 के दौरान 23.0 मिलियन टन होने का अनुमान है और यह 2013-14 के दौरान हासिल पिछले रिकार्ड उत्पादन के मुकाबले 3.7 मिलियन टन अधिक है। तिलहनों और कपास के उत्पादन में वर्ष 2016-17 में क्रमशः 27 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खाद्यान्नों और अन्य फसलों के उत्पादन में हुई यह वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2016-17 के मानसून के दौरान हुई बहुत अच्छी वर्षा और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के कारण हुई है। क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का ब्यौरा सारणी 3 में सारबद्ध किया गया है।

खरीफ उत्पादन 2017-18

7.5 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017-18 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 134.67 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2016-17 के 138.5 मिलियन टन के उत्पादन की

सारणी 3. क्षेत्र, उत्पादन एवं उपज (2016-17*)

समूह/वस्तु	क्षेत्र (मिलियन हे.)	क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)	उत्पादन (मिलियन टन में)	उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)	उपज (किग्रा/हे.)	प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में)
खाद्यान्न[क]	128.0	3.9	275.68	9.6	2153	5.5
चावल	43.2	-0.7	110.15	5.5	2550	6.3
गेहूं	30.6	0.6	98.38	6.6	3216	6.0
ज्वार	5.1	-15.4	4.57	7.9	889	27.5
मक्का	9.9	12.0	26.26	16.4	2664	3.9
बाजरा	7.5	4.8	9.80	21.5	1311	15.9
दालें	29.5	18.3	22.95	40.4	779	18.7
चना	9.6	14.1	9.33	32.1	973	15.8
तुअर	5.4	36.3	4.78	86.6	885	36.9
तिलहन	26.2	0.5	32.10	27.1	1225	26.5
मूंगफली	5.3	15.6	7.56	12.4	1424	-2.8
रेपसीड एवं सरसों	6.0	4.8	7.98	17.4	1324	12.0
कपास[ख]	10.8	-11.8	33.09	10.3	519	25.0
गन्ना	4.4	-10.9	306.72	-12.0	70#	-1.2

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
नोटः चौथा अग्रिम अनुमान; टन/हेक्ट., 'क' अनाज एवं दालों सहित; 'ख' 170 किग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें।

तुलना में 3.9 मिलियन टन कम होने की संभावना है। वर्ष 2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 2016-17 के 96.4 मिलियन टन की तुलना में 94.5 मिलियन टन के स्तर पर अनुमानित है। वर्ष 2017-18 के दौरान दालों का उत्पादन 8.7 मिलियन टन, गन्ना 337.7 मिलियन टन, तिलहन 20.7 मिलियन टन तथा कपास प्रत्येक 170 किलोग्राम की 32.3 मिलियन गांठें होने का अनुमान है।

रबी फसलों की बुआई 2017-18

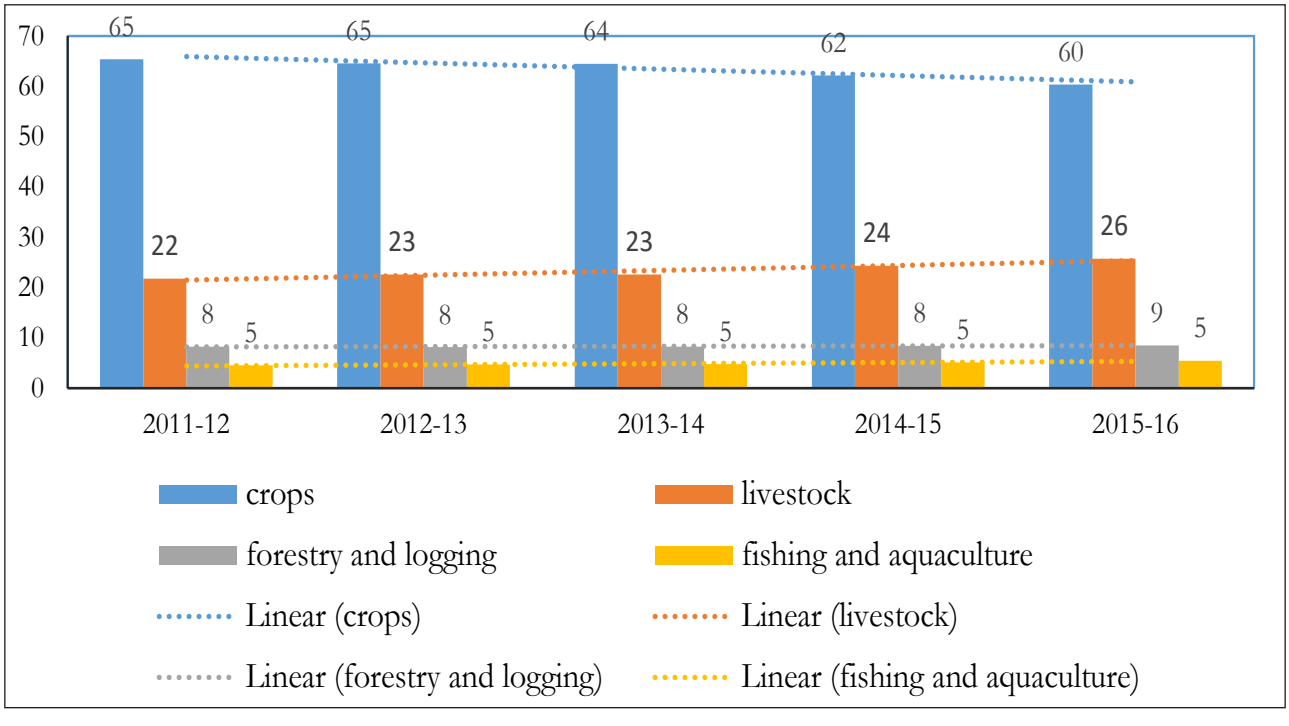
7.6 रबी फसलों की बुआई चल रही है। राज्यों से फसलों की बुआई के संबंध में प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, 19 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2017-18 में रबी फसलों के अंतर्गत 617.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया है। रबी फसलों के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के 98 प्रतिशत से अधिक है। रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का ब्यौरा सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी-4: दिनांक 19.01.2018 की स्थिति के अनुसार रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

फसल	बोया गया क्षेत्र 2017-18 (लाख हे.)	बोया गया क्षेत्र 2016-17 (लाख हे.)	2016-17 की तुलना में प्रतिशत बदलाव
गेहूं	298.7	311.2	-4.0
चावल	22.3	16.0	39.6
दलहन	163.1	155.8	4.7
मोटे अनाज	54.6	56.0	-2.5
तिलहन	79.1	82.1	-3.6
कुल	617.8	621.0	-0.5

स्रोत: फसल प्रभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
टिप्पणी: सभी आंकड़े राज्यों के अनंतिम तथा प्रथम दृष्ट्या अनुमान है।

चित्र 1: सकल मूल्य वर्धन में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत में)



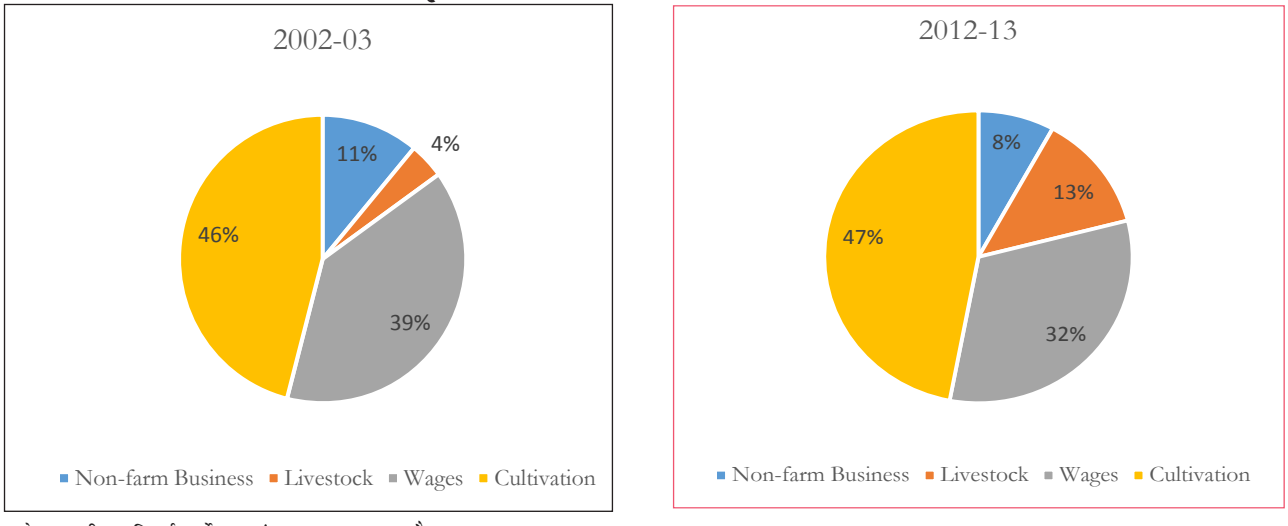
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017

कृषि विकास के गतिशील घटक

7.7 भारत में कृषि विकास में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं क्योंकि भारत में कृषि का 50 प्रतिशत से अधिक वर्षा पर निर्भर है जैसा कि सिंहावलोकन में कहा जा चुका है। फिर भी इस क्षेत्र में हालिया वर्षों में धीरे-धीरे ढांचागत परिवर्तन देखे गए हैं। कृषि के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में पशुधन का हिस्सा से धीरे-धीरे बढ़ रहा है और सकल मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 के 65 प्रतिशत से गिरकर 2015-16 में 60 प्रतिशत रह गया है। (चित्र-1)

7.8 भारत में कृषि क्षेत्र में देखे जा रहे ढांचागत परिवर्तन, संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेयरी, लैंगिक-विशिष्ट हस्तक्षेपों सहित पशुधन विकास पर ध्यान देते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को नई दिशा देना जरूरी बना देते हैं। (बाक्स. 7.1) ये ढांचागत परिवर्तन परिवारों की खेती से होने वाली आय में भी दिखाई देते हैं।

चित्र 2: कृषि आय के स्रोत, 2002-2003 और 2012-13



स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 2002-03 और 2012-2013

बाक्स 7.1. महिला किसानों हेतु नीति

महिलाओं की प्रमुख फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी, फसल-पश्च कार्य, कृषि/सामाजिक वानिकी, मत्स्यपालन, आदि सहित कृषि विकास और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है और यह ऐसा तथ्य है जिसे लंबे समय से उचित महत्व नहीं दिया गया है। (एनसीडब्ल्यु, 2001)। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। जनगणना-2011 के अनुसार, कुल महिला प्रमुख कामगारों में से 55 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 24 प्रतिशत खेतीहर थीं। हालांकि, प्रचालन. रत जोत क्षेत्रों में मात्र 12.8 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास था जो कृषि में जोत क्षेत्रों के स्वामित्व में लैंगिक असमानता प्रतिबिंबित करता है (सारणी 1)। इससे भी बढ़कर सीमांतक और छोटी जोत क्षेत्र वाली श्रेणियों में महिलाओं द्वारा प्रचालनरत जोत क्षेत्रों में केन्द्रीकरण है (25.7 प्रतिशत)।

सारणी 1: महिलाओं के स्वामित्वाधीन प्रचालनरत जोतक्षेत्र का प्रतिशत

आकार समूह	2000-01	2005-06	2010-11
सीमांत (1.00 हेक्टे से नीचे)	11.8	12.6	13.6
लघु (1.00-2.00 है)	10.3	11.1	12.2
अर्धमध्यम (2.00-4.00 हे)	8.7	9.6	10.5
मध्यम	6.9	7.8	8.5
बड़े	5.2	6.0	6.8
सभी आकार समूह	10.8	11.7	12.8

स्रोत कृषि जनगणना, 2010-11

पुरूषों द्वारा ग्रामीण से हटकर शहरी प्रवसन बढ़ने के चलते खेतीहरों, उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में बहुविध भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से कृषि क्षेत्र का 'नारीकरण' हो गया है। वैश्विक रूप से, अनुभवसिद्ध साक्ष्य हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय कृषि-जैवविविधता बनाए रखने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है। एकीकृत प्रबंधन और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में विविध प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का श्रेय ग्रामीण महिलाओं को जाता है (एफएओ 2011)। यह आवश्यक हो जाता है कि महिला कृषकों की भूमि, जल, ऋण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण जैसे संसाधनों तक वर्द्धित पहुंच हो जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण विश्लेषण का औचित्य प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त, महिला किसानों की हकदारियां कृषि उत्पादन में सुधार लाने की कुंजी होगी। भूमि, ऋण, जल, बीज और मंडियों जैसे संसाधनों तक महिलाओं की विशिष्ट पहुंच का समाधान करने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जो महिला कृषकों की हकदारियों में सुधार लाने में सहायक होंगी जो इस क्षेत्र में विद्यमान नीतिगत अतंरालों को पाटने में लाभदायक सिद्ध होंगी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विकास कार्यकलापों में महिला लाभार्थियों हेतु बजट आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत अलग से रखना।
- महिलाओं तक विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम/योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए महिला केन्द्रक कार्यकलाप आरंभ करना।
- महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) पर ध्यान देना ताकि क्षमता निर्माण कार्यकलाप के जरिए उन्हें सूक्ष्म-ऋण के साथ जोड़ा जा सके और सूचना प्रदान करना और विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए महिलाओं के कृषि मूल्य कड़ी के-उत्पादन, फसल पूर्व, कटाई पश्च प्रसंस्करण पैकेजिंग, विपणन से सभी स्तरों पर आधिपत्य होने के चलते महिला विशिष्ट हस्तक्षेप अनिवार्य हैं। छोटी खेत जोत क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण कायाकल्प में सक्रिय एजेंटों के रूप में महिलाओं को जोड़ना और लैंगिक विशेषज्ञता के चलते विस्तार सेवाओं में पुरूषों व महिलाओं को लगाने के लिए 'समावेशी परिवर्तनकारी कृषि नीति' महिला विशिष्ट हस्तक्षेपों' पर लक्षित होनी चाहिए।

7.9 कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल सकल मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र के हिस्से में हुई गिरावट ने खेती करने वाले परिवारों की आय के स्रोतों को प्रभावित किया है। जैसा कि चित्र. 2 में देखा जा सकता है, 2002-03 में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा मात्र 4 प्रतिशत था जो बढ़कर 2012-13 तक 13 प्रतिशत हो गया।

7.10 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों के महत्व और योगदान का अगस्त 2017 में जारी आर्थिक समीक्षा 2016-17, खंड-II के अध्याय-7 में विशेष उल्लेख किया गया है।

भारतीय कृषि में फसल लगाने की पद्धति

7.11 यूएसजीएस, 2017 के अनुसार निवल कृषिभूमि क्षेत्र का 179.8 मिलियन हेक्टेयर (वैश्विक निवल कृषि भूमि क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत) होने के चलते भारत का स्थान प्रथम है। फसल लगाने की पद्धति विभिन्न कारकों, जैसे कृषि-जलवायु परिस्थितियों, खेत का आकार, कीमत, लाभप्रदता और सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित होती है। विविध फसल पद्धति कीमत के झटकों और उत्पादन/पैदावार से जुड़ी हानियों के संदर्भ में किसानों द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को समाप्त करने में मदद करेगी। वैश्विक निवल फसल भूमि क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत रखने के चलते भारत के पास फसल विविधीकरण और खेतीबाड़ी को सतत और लाभदायक आर्थिक कार्यकलाप बनाने की प्रचुर संभावना है। निम्नलिखित अनुच्छेद में यह जांच की गई है कि क्या कुछ समय से भारत में समुचित फसल विविधीकरण हुआ है।

7.12 यह जांच करने के लिए कि क्या सभी राज्यों में फसल पद्धतियों में बड़े परिवर्तन हुए हैं, प्रमुख राज्यों और अखिल भारत हेतु फसल विविधीकरण सूचकांक[1]

[1] गिब्स और मार्टिन के फसल विविधीकरण के सीमांकन की विधि फसल विविधीकरण के सूचकांक को परिकलित करने के लिए प्रयुक्त की गई है। फसल विविधीकरण सूचकांक $= 1-[\sum x^2/(\sum x)^2]$. जहां x किसी फसल के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र का प्रतिशत है।

संगणित किया गया है। इस सूचकांक का मूल्य 0 और 1 के बीच है और मूल्य जितना अधिक तो विविधीकरण उतना अधिक। सारणी-5 से स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फसल विविधीकरण में अंतर-कालिक व्यवहार में गिरावट देखी गई है। इन राज्यों में, ओडिशा के सूचकांक में तीव्र गिरावट हुई है। इस राज्य का सूचकांक 1994-95 के 0.740 से गिरकर 2005-06 में 0.703 हो गया। इस राज्य के

सारणी 5: फसल विविधीकरण सूचकांक

फसल विविधीकरण सूचकांक				
राज्य	1994-95	2005-06	2010-11	2014-15
आंध्रप्रदेश	0.870	0.870	0.852	0.864
बिहार	0.700	0.719	0.743	0.726
छत्तीसगढ़	उ. न.	0.531	0.503	0.491
गोवा	0.770	0.771	0.762	0.769
गुजरात	0.910	0.908	0.899	0.900
हरियाणा	0.830	0.808	0.788	0.774
हिमाचल प्रदेश	0.740	0.743	0.741	0.754
जम्मू एवं कश्मीर	0.800	0.797	0.801	0.798
झारखंड	उ. न.	0.473	0.537	0.578
कर्नाटक	0.920	0.932	0.937	0.938
केरल	0.850	0.856	0.852	0.845
मध्यप्रदेश	0.880	0.871	0.859	0.835
महाराष्ट्र	0.890	0.905	0.904	0.903
ओडिशा	0.740	0.703	0.380	0.340
पंजाब	0.710	0.682	0.664	0.658
राजस्थान	0.870	0.874	0.891	0.884
तमिलनाडु	0.860	0.853	0.859	0.870
उत्तरप्रदेश	0.810	0.794	0.786	0.782
उत्तराखण्ड	उ. न.	0.820	0.814	0.819
पश्चिम बंगाल	0.550	0.613	0.663	0.654
संपूर्ण भारत	0.905	0.907	0.907	0.899

स्रोत: इन हाऊस कम्प्यूटेशन भू उपयोग सांख्यिकी से आंकड़ों पर आधारित है।

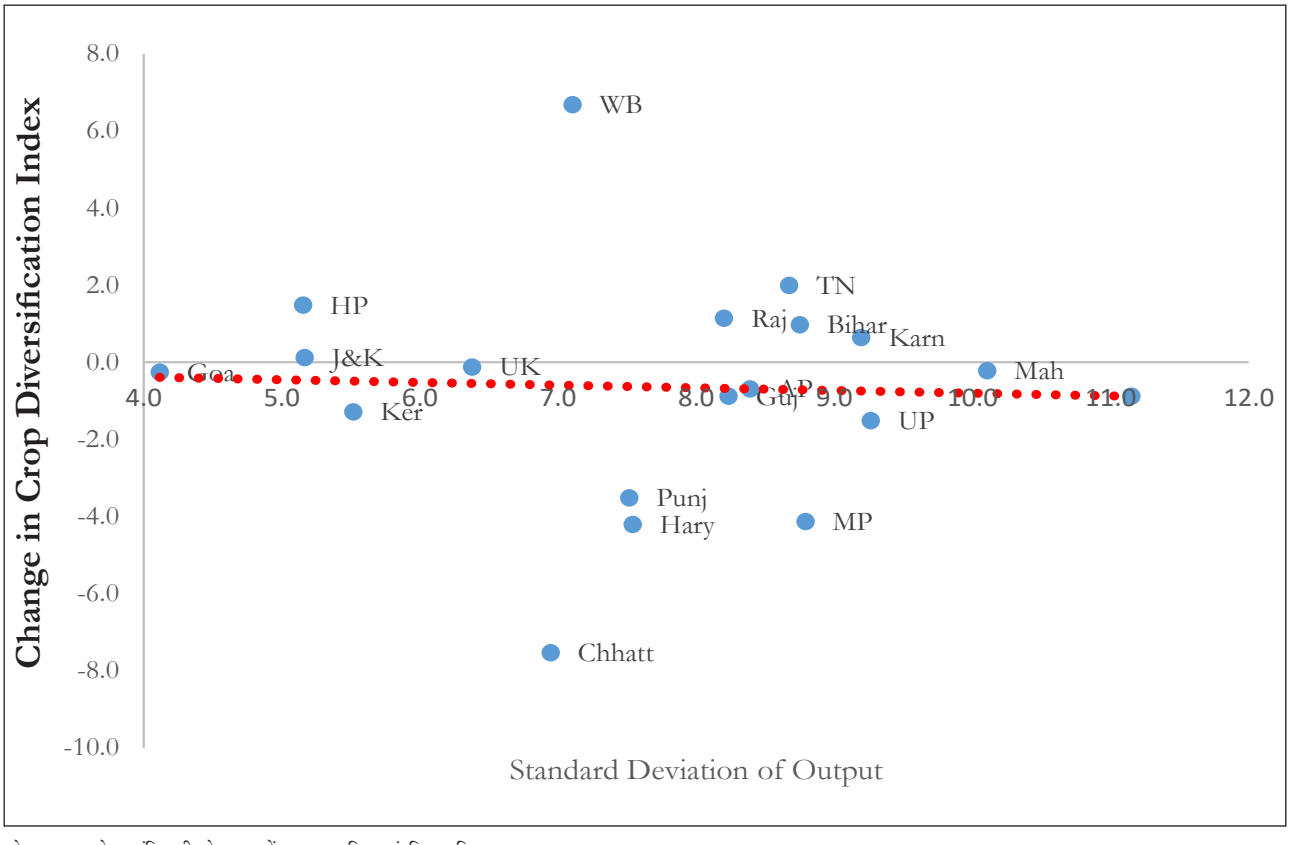
सूचकांक में 2010-11 में तीव्रतर गिरावट देखी गई जब यह गिरकर 0.380 हो गया और तदनंतर 2014-15 में 0.340 हो गया। दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और झारखंड सहित ने फसल विविधीकरण में वृद्धिकारी मूल्य दर्शाए हैं। कुल मिलाकर भारत का फसल विविधीकरण परिदृश्य इन अवधियों में लगभग स्थिर प्रतीत होता है।

7.13 ओडिशा में 2014-15 तक, 80 प्रतिशत फसली क्षेत्र चावल के अंतर्गत, लगभग 10 प्रतिशत अन्य दलहनों के अंतर्गत और लगभग 4 प्रतिशत अन्य खाद्य फसलों के अंतर्गत रहा है। पंजाब में भी गेहूं और धान इस राज्य में खेती योग्य क्षेत्र का 83 प्रतिशत कवर करते हैं। ओडिशा और पंजाब में देखे गए एक ही फसल की खेती से संबंधित मुद्दे ये हैं- गिरती उत्पादकता, उर्वरक अनुक्रिया के अनुपात में कमी, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और खेती की कम होती लाभप्रदता।

7.14 मृदा स्वास्थ्य, उत्पादकता में सुधार करने के लिए फसल विविधता को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके द्वारा खेती को लाभप्रद बनाया जा सकता है। फसल विविधता सूचकांक तथा उत्पादन की परिवर्तनशीलता में बदलाव के बीच प्रतिलोम संबंध चित्र-3 में राज्यों के चित्रण (ओडिशा एवं झारखंड जैसे अलग रहने वालों को छोड़कर) में देखा जा सकता है।

7.15 उच्च मूल्य की फसलों तथा बागवानी फसलों में विविधता लाने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं। सरकार द्वारा मूल रूप से हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान के क्षेत्र को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, कृषि वानिकी की ओर ले जाने के लिए तथा तम्बाकू उत्पादक राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात,

चित्र 3: फसल विविधीकरण में परिवर्तन और उत्पादन की परिवर्तनशीलता (प्रतिशत) (ओडिशा और झारखंड को छोड़कर)



स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी से आकड़ों पर आधारित आंतरिक परिकलन

कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में तम्बाकू किसानों को वैकल्पिक फसल/फसल तंत्र की ओर जाने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

कृषि में आगत प्रबंधन

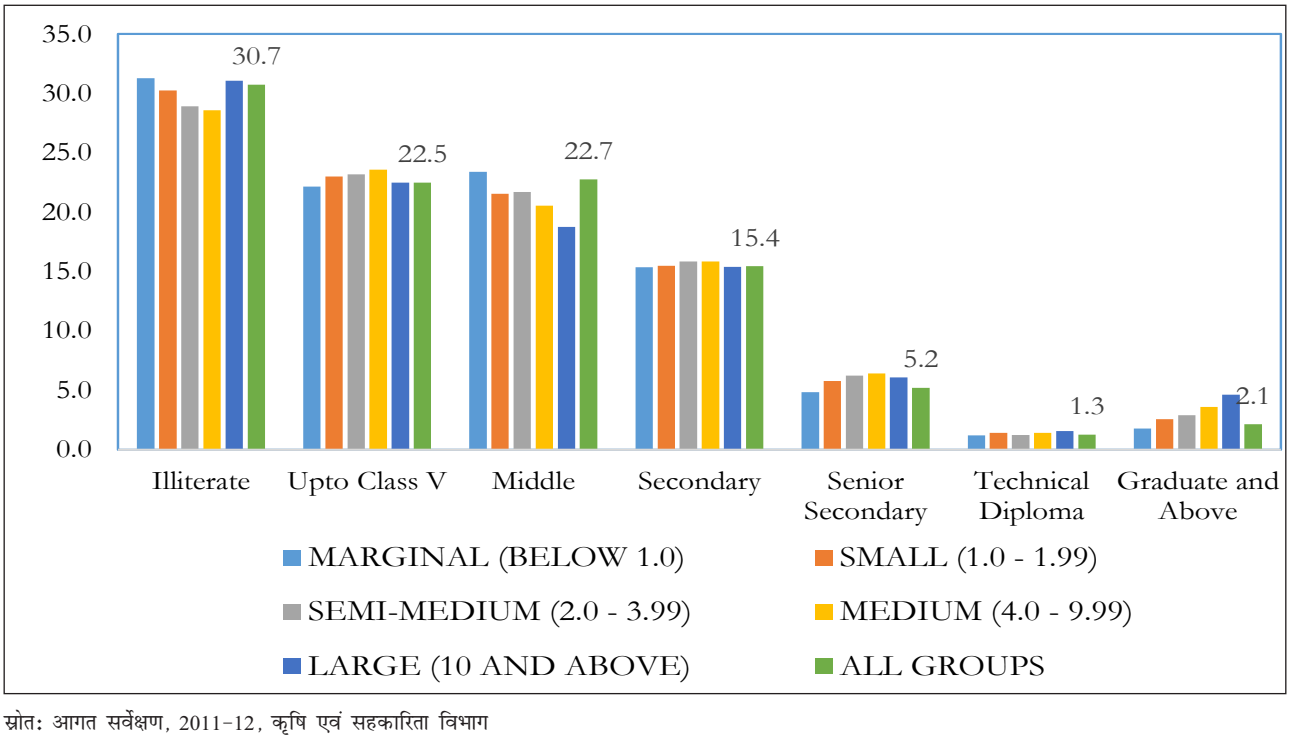
7.16 कृषि उत्पादकता महत्वपूर्ण आगतों के उपयुक्त उपयोग जैसे सिंचाई, बीज, उर्वरक, ऋण, मशीन, प्रौद्योगिकी तथा विस्तार सेवाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में हरित क्रांति जो उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग, उर्वरकों तथा सिंचाई के गहन उपयोग द्वारा प्रेरित थी, ने खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता दिलाई थी। विशेष फसल के लिए आगतों का उपयुक्त संयोजन में प्रबंधन करना मृदा की उर्वरता खोए बिना तथा पर्यावरण क्षति पहुंच. ाये बिना कृषि में उत्पादकता को सुधार सकता है। इस संदर्भ में, उत्पादकता सुधार करने के लिए नये नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकियों तथा आगतों को अपनाने के लिए विस्तार सेवाओं की महत्ता तथा किसानों की क्षमता प्रासंगिक बन गई थी।

शैक्षणिक स्थिति के अनुसार प्रचालनरत जोत क्षेत्र

7.17 जैसाकि ऊपर इंगित किया गया है, किसानों के शैक्षणिक स्तर का खेती की नई पद्धतियों तथा आगत प्रबंधन को अपनाने तथा अन्तर्विष्ट करने के लिए किसानों की क्षमता पर महत्वपूर्ण असर होता है। शैक्षणिक स्थिति द्वारा प्रत्येक आकार समूहों में प्रचालनरत जोत क्षेत्र का प्रतिशत वितरण चित्र 4 में दिया गया है।

7.18 आगत सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार (अनुमानित 138.11 मिलियन प्रचालनरत जोतदारों में), लगभग 69.3 प्रतिशत अशिक्षित, 22.5 प्रतिशत पांचवीं कक्षा तक, 22.7 प्रतिशत माध्यमिक कक्षा तक, 15.4 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक, 5.2 प्रतिशत वरिष्ठ माध्यमिक तक, 1.3 प्रतिशत डिग्री स्तर के नीचे तकनीकी डिप्लोमा धारक तथा बाकी के 2.1 प्रतिशत स्नातक तथा इसके ऊपर तक पढ़े हुए थे। तथापि, सीमांत तथा छोटे किसानों में से 30 प्रतिशत अशिक्षित थे। लघु तथा सीमांत खेत जोत क्षेत्र की प्रधानता से प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु उनकी क्षमता बढाने के लिए तथा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अपनाने के लिए कृषकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना आवश्यक है।

चित्र 4: शैक्षणिक स्थिति के अनुसार प्रचालनरत जोत क्षेत्र का प्रतिशत

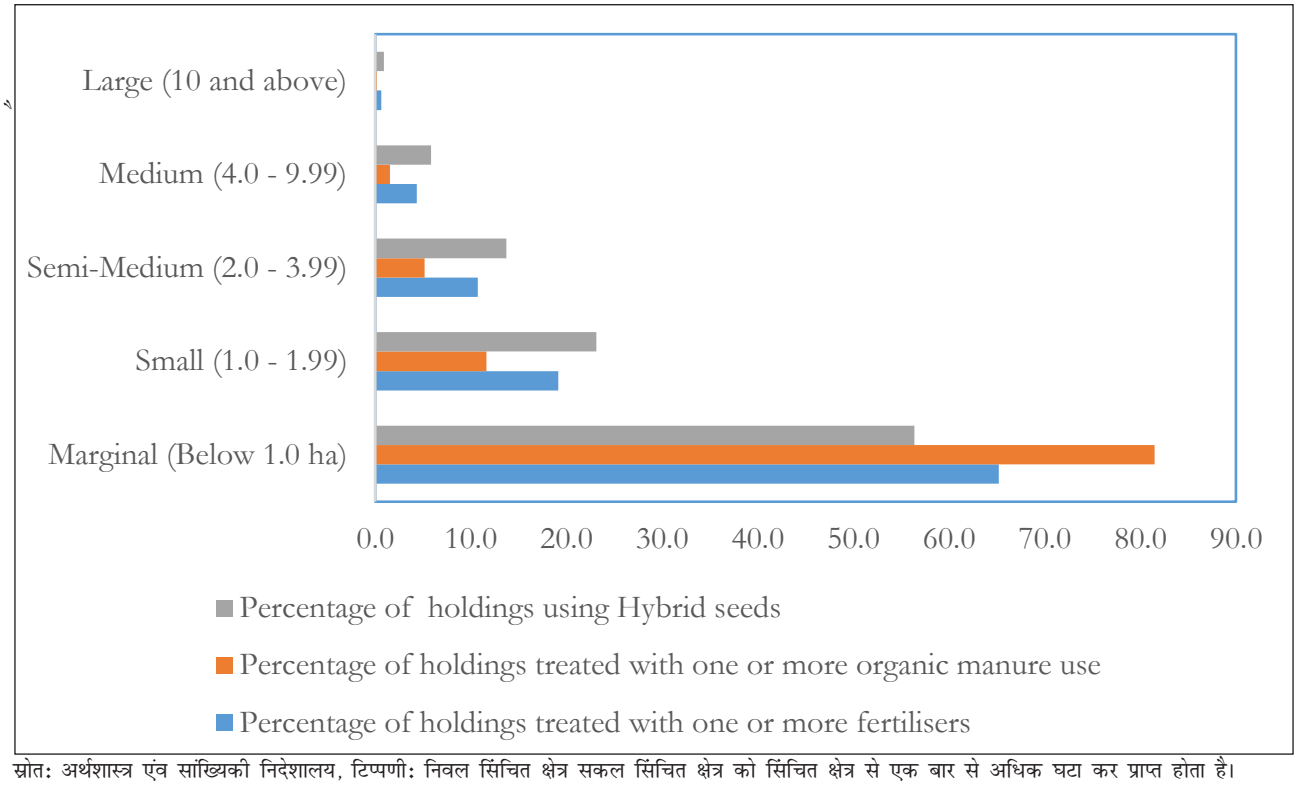


स्रोत: आगत सर्वेक्षण, 2011-12, कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि जोत क्षेत्रों के अनुसार आगतों का उपयोग

7.19 उर्वरकों, हाईब्रिड बीजों तथा जैविक खाद जैसी आगतों का उपयोग कृषि में उत्पादकता बढाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आगत सर्वेक्षण में सूचित किया गया है, कुल प्रचालनरत जोत क्षेत्र में से 9.4 प्रतिशत ने प्रमाणित बीज जबकि 27 प्रतिशत ने अधिसूचित किस्म के उपयोग किये हुए बीजों को तथा केवल 9.8 प्रतिशत ने संकर बीजों का उपयोग किया था। यह चित्र 5 में देखा जा सकता है कि छोटे तथा सीमांत किसान इन आगतों

चित्र 5: आकार के अनुसार कृषि जोतों द्वारा आगतों का अखिल भारतीय उपयोग



स्रोत: अर्थशास्त्र एंव सांख्यिकी निदेशालय, टिप्पणी: निवल सिंचित क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र से एक बार से अधिक घटा कर प्राप्त होता है।

बॉक्स 7.2 उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 से प्रायोगिक आधार पर उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष हित लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली शुरू की है। प्रस्तावित उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत, विभिन्न उर्वरक स्तरों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी लाभार्थी को खुदरा विक्रेता द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को जारी की जाएगी। किसानों/खरीदारों को सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा दुकानों पर स्थापित बिक्री स्थल (पीओएस) उपकरण के जरिए की जाएगी तथा लाभार्थियों की आधार कार्ड, केसीसी, वोटर पहचान पत्र, इत्यादि के जरिए पहचान की जाएगी।

डीबीटी योजना के कार्यान्वयन में विक्रय लेनदेन करने से पहले प्रत्येक खुदरा दुकान पर पीओएस उपकरण के विकास, पीओएस उपकरण का उपयोग करने के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण खुदरा केन्द्र पर वास्तविक भंडार का सत्यापन करने के पश्चात पीओएस उपकरण में स्टॉक आरंभीकरण करने की आवश्यकता होती है। फिलहाल, डीबीटी योजना 17 प्रायोगिक जिलों में कार्यान्वयनाधीन है। विभिन्न राज्यों में पीओएस उपकरण लगाना राज्य सरकार की तत्परता, अग्रणी उर्वरक आपूर्तिकर्ता/उर्वरक कंपनियों के आधार पर विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों में डीबीटी योजना का विस्तार करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई है। 22 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, 14 राज्यों/संघ क्षेत्रों को डीबीटी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है।

डीबीटी योजना के लाभ: (क) प्रस्तावित डीबीटी ढांचा लाभार्थियों को दिया जाने वाला सब्सिडी भुगतान तंत्र है जिसे कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जा रहा है। (ख) यह लाभार्थी का आधार आधारित डाटा बेस सृजित करता है तथा खरीददार के स्तर पर लेनदेन पारदर्शिता प्रदान करता है। (ग) सब्सिडी भुगतान को वास्तविक बिक्री से जोड़कर मूल्य श्रृंखला के साथ निधि अर्थात् विनिर्माता से लाभार्थी को अधिक पारदर्शी तथा तीव्र पता लगाने को सुगम बनाती है। (घ) उर्वरकों का विपथन कम होना अनुमानित है।

को उपयोग करते हैं, और जैविक खाद का उपयोग सीमांत आकार श्रेणी में कृषि जोत क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक में होता है जिससे मृदा उर्वरता बढ़ती है।

7.20 लघु जोतक्षेत्र, जो संकर बीजों तथा उर्वरकों का उपयोग करते हैं, का प्रतिशत सीमांत जोत क्षेत्र की तुलना में भी कम है। फसल उत्पादन में बीज की गुणवत्ता में सुधार की अहमियत को जानते हुए सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं।

7.21 वर्ष 2016-17 के दौरान खेती की फसलों में कुल प्रजनक बीज उत्पाद 121989 क्विंटल रहा जिसमें 70093 क्विंटल अनाज फसलें, 20578 क्विंटल दलहन तथा 30288 क्विंटल तिलहन, 131 क्विंटल रेशा फसलें तथा 898 क्विंटल चारा फसलें शामिल हैं। बीज बदलाव दर (एसआरआर) तथा ऊर्ध्वाधर बदलाव दर (वीआरआर) को प्रोत्साहन देने के लिए ''कृषि फसलों में बीज उत्पादन'' शीर्षक वाली बीज परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान सभी वर्गों के गुणवत्ता वाले बीजों का कुल उत्पादन 462404 क्विंटल के लक्ष्य की तुलना में 620743 क्विंटल था। इसके अतिरिक्त, 239 लाख रोपण सामग्री तथा 1.9 लाख ऊतक संवर्धन पौधे भी उत्पादित किये गये।

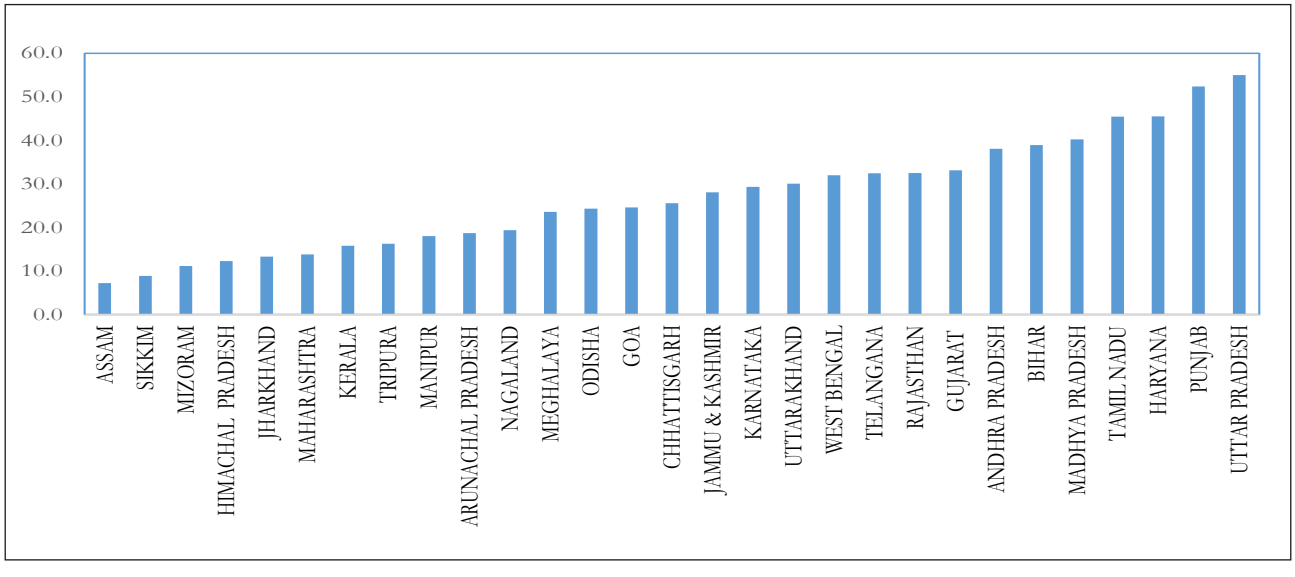
7.22 तथापि, उर्वरक तथा संकर बीजों का उपयोग तभी अच्छी उपज पैदा कर सकता है, यदि सिंचाई की पर्याप्त कवरेज हो क्योंकि भारत में कृषि प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर है।

सिंचाई

7.23 कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का अखिल भारतीय प्रतिशत 34.5 प्रतिशत था जो खेती के बड़े क्षेत्र को वर्षा पर निर्भर छोड़ देता है। वर्ष 2014-15 (चित्र 6) में कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का राज्यवार प्रतिशत वितरण यह दर्शाता है कि केवल दो राज्य पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र 50 प्रतिशत से अधिक है तथा केवल सात राज्यों में 34 प्रतिशत से अधिक है।

7.24 उस सिंचित क्षेत्र के कवरेज को बढाने के लिए जबर्दस्त संभावना है जिसके लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की है कि पीएमकेएसवाई देश भर में कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के

चित्र 6: कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत



स्रोत: डीएआई/आईसीएआर, सिंह, 2016

टिप्पणी: निवत सिंचित क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र में से सिंचित क्षेत्र एक बार से अधिक घटाकर प्राप्त किया गया है।

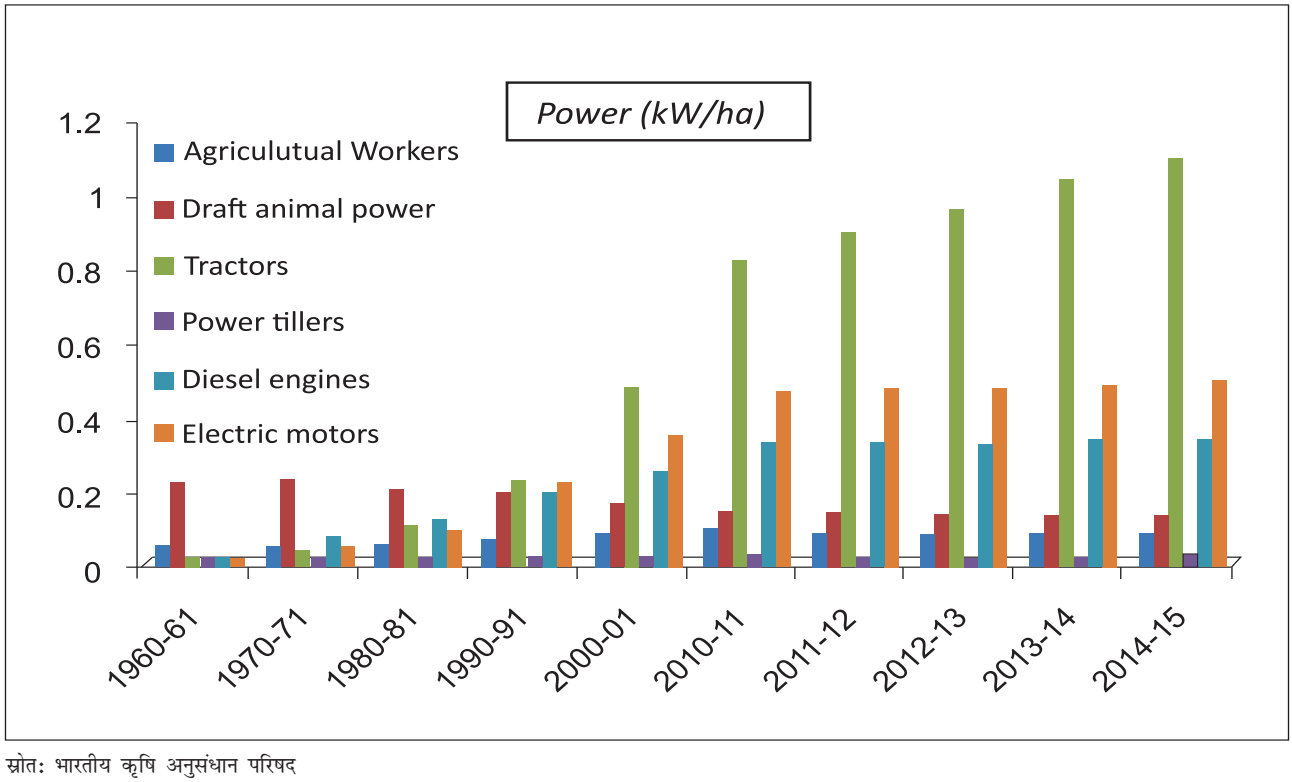
लिए 1991.2 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और जो वर्ष 2015-16 में 1,556.7 करोड़ रुपये पर 28 प्र. तिशत अधिक है। वर्ष 2015-16 में, सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया था जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 8.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया था जो अभी तक का अधिकतम स्तर है। वर्ष 2017-18 के लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना के लिए 3400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और सितंबर तक, 1601.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। पीएमकेएसवाई योजना दिसंबर, 2019 तक चरणबद्ध रूप में 76.0 लाख हेक्टेयर कवर करने वाली 99 मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कमांड क्षेत्र विकास की सहायता से मिशन के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि मशीनीकरण

7.25 फार्म मशीनीकरण और फसल उत्पादकता का सीधा सहसंबंध है क्योंकि फार्म मशीनीकरण समय और श्रम बचाता है, कड़ी मजदूरी को कम करता है, आगे चलकर उत्पादन लागत को कम करता है, फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करता है तथा फसल की उपज और खेती की आय को बढ़ाता है। उन्नत उपकरणों के प्रयोग से 30 प्रतिशत तक उत्पादकता बढ़ती है और खेती की लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आती है। फिलहाल, भारतीय किसान फार्म मशीनीकरण को विगत समय की तुलना में तेजी से अपना रहे हैं। यद्यपि, भारत में ट्रैक्टरों की बिक्री को फार्म मशीनीकरण का एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता किंतु अधिक सीमा तक यह मशीनीकरण के स्तर को प्रदर्शित करता है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़े ट्रैक्टर उद्योग के रूप में उभरा है और कुल वैश्विक ट्रैक्टर उत्पादन का लगभग एक तिहाई उत्पादन भारत करता है।

7.26 विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी हो जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल कार्य बल में कृषि

चित्र 7: भारतीय खेतों पर विभिन्न विद्युत स्रोतों से उपलब्ध विद्युत

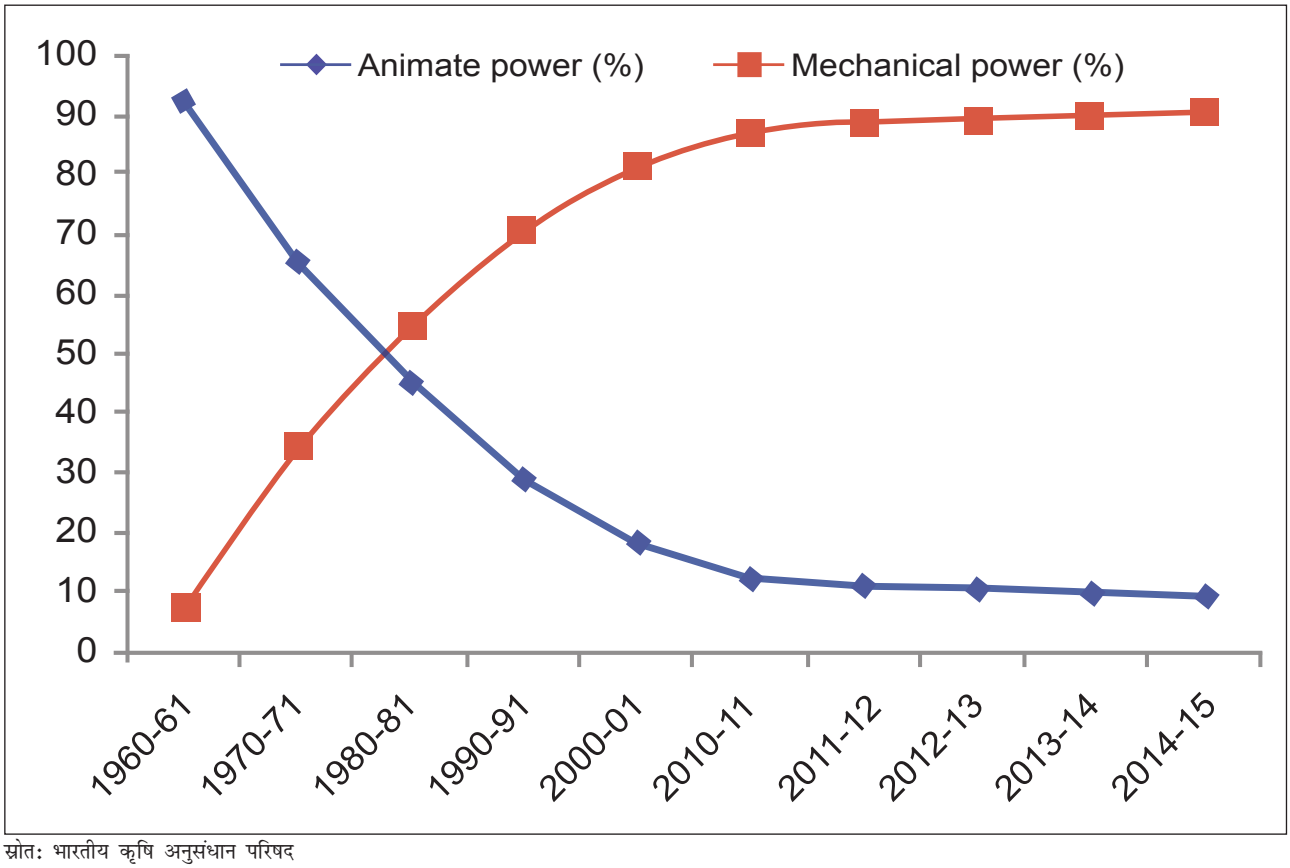


स्रोत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कामगारों का प्रतिशत 2001 में 58.2 प्रतिशत से घटकर 2050 तक 25.7 प्रतिशत हो जाएगा। अंत:, देश में फार्म मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। विभिन्न फार्म प्रक्रियाओं में श्रम की अधिक भागीदारी के कारण, बहुत सी फसलों के उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा है।

7.28 भारतीय कृषि में छोटी प्रचालनरत जोत क्षेत्रों की प्रधानता है। इसलिए कृषि मशीनीकरण का लाभ उठाने के लिए भूमि जोत क्षेत्रों को समेकित करने की जरूरत है। प्रचालन की लागत को कम करने के लिए कंबा. ईन हारवेस्टर, शूगरकेन हारवेस्टर, पोटेटो कंबाईन, पैडी

चित्र 8: भारतीय कृषि में सजीव और यांत्रिक विद्युत परिदृश्य



स्रोत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि में मानव शक्ति की उपलब्धता भी 1960-61 में लगभग 0.043 केडब्ल्यू/हेक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में लगभग 0.077 केडब्ल्यू/हेक्टेयर हो गयी है (चित्र 7)। तथापि, ट्रैक्टरों में बढ़ोतरी की तुलना में, कृषि में मानव शक्ति की बढ़ोतरी काफी कम है।

7.27 वर्षों से, शक्ति के यांत्रिक और विद्युत स्रोतों के प्रयोग की ओर अन्तरण चल रहा है। वर्ष 1960-61 में, लग. भग 93 प्रतिशत फार्म शक्ति सजीव स्रोतों से आ रही थी, जो घटकर 2014-15 में लगभग 10 प्रतिशत हो गयी (चित्र 8)। दूसरी ओर, शक्ति के यांत्रिक और विद्युत स्रोत इस अवधि में 7 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 90 प्रतिशत हो गये हैं।

ट्रांस प्लांटर, लेसर गाइडिड लैंड लेवलर, रोटावेटर आदि जैसी उच्च लागत वाली फार्म मशीनरी के लिए संस्थाबद्ध उपयोग सेवा और किराये पर देने को अभिनव बनाने की जरूरत है और इसे मुख्य उत्पादन केंद्रों में निजी भागीदारियों अथवा राज्य अथवा केन्द्रीय संगठनों द्वारा चलाया जा सकता है।

कृषि में जोखिमों को कम करना: फसल बीमा और फसल हानि

7.29 एनएसएसओ रिपोर्ट (जुलाई 2012-जून 2013) ने इंगित किया था कि फसल उत्पादन गतिविधियों में संलग्न कृषि परिवारों का बहुत छोटा हिस्सा अपनी फसलों का

सारणी 6: बीमा न करवाने के कारणों से फसलों का बीमा न करवाने वाले कृषि परिवारों का हिस्सा

		कृषि परिवारों द्वारा बीमा न कराए जाने के कारण (जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012) (% में)		
	बीमा न कराए जाने	धान	अरहर	मूंगफली
1.	फसल बीमा के बारे में जागरूक न होना	43	41	49
2.	सुविधा की उपलब्धता के बारे में जागरूक न होना	19	16	18
3.	बीमा करवाने में रूचि न होना/बीमा करवाने की जरूरत महसेस न करना	20	18	19
4.	बीमा सुविधा उपलब्ध न होना	6	9	5
5.	प्रीमियम भुगतान के लिए संसाधनों की कमी	4	6	3
6.	जटिल प्रक्रियाएं	3	2	1
7.	दावा भुगतान में विलंब	0.9	0.7	0.2

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट सं. 573, Some aspects of farming in India, 2012-13.

बीमा करवा रहा था। गेहूं और धान के मामले में, जो देश में सर्वाधिक उगाए जाने वाले अनाज हैं, 5 प्रतिशत से कम खेती करने वाले कृषि परिवार अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। कपास, मूंगफली और सोयाबीन के मामले में फसल बीमा का चुनाव करने वाले परिवारों का हिस्सा कृषि वर्ष जुलाई 2012–जून, 2013 की दो छमाहियों के दौरान काटी गई अन्य चयनित फसलों की तुलना में थोड़ा अधिक था।

7.30 चयनित फसलों का बीमा न करने के कारण, सारणी 6 में दर्शाए गए हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि *'फसल बीमा के बारे में जागरूक न होना'* कृषि वर्ष जुलाई 2012–जून 2013 की दो छमाहियों के दौरान अपनी फसलों का बीमा न करवाने के लिए खेती करने वाले कृषि परिवारों द्वारा सूचित मुख्य कारण था। काटी गई फसल के लिए सुविधा की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी फसलों का बीमा न करवाने के लिए सूचित किया गया दूसरा सबसे बड़ा कारण था। इन 20 प्रतिशत परिवारों को छोड़ते हुए, जो या तो अपनी फसलों का बीमा करवाने में इच्छुक नहीं थे अथवा उन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाने की जरूरत नहीं समझी, अधिकांश कृषि परिवारों में जागरूकता की कमी, अपर्याप्त कवरेज और पहुंच तथा जटिल प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी आदि के कारण अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया था। कृषि परिवारों के बीच कवरेज और फसल बीमा की दर बढ़ाने के लिए, वर्धित भौगोलिक कवरेज और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ उपयुक्त जागरूकता उत्पन्न किए जाने की जरूरत है।

7.31 इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ष 2016 में शुरू की गईप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उपज सूचकांक आधारित फसल बीमा योजना है, पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में अधिक मूल कवरेज के साथ इसने पर्याप्त प्रगति की है। खरीफ 2016 मौसम के दौरान 23 राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की है तथा रबी 2016–17 के दौरान, 25 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की है।

7.32 वर्ष 2016–17 के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए देश में सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) के 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया है। वर्ष 2016–17 में, 22,004 करोड़ रुपये की सकल प्रीमियम के लिए, समग्र कवरेज 571 लाख किसान आवेदन थे तथा 554 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20,2145 करोड़ रुपये की राशि का बीमा किया गया था। दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 116 लाख किसान (आवेदनों) के लिए 13,292 करोड़ रुपये का कुल दावा अनुमोदित किया गया है तथा 12,020 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। ऋणग्राही और गैर–ऋणग्राही कवरेज क्रमशः 435 लाख तथा 136 लाख थी। वर्ष 2015–16 की तुलना में, योजना के अंतर्गत किसान आवेदनों में लगभग 18.3 प्रतिशत, बीमा

किए गए क्षेत्र में 10.8 प्रतिशत तथा बीमा की गई राशि में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-ऋणग्राही किसानों की कवरेज भी पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान 123.5 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2017-18 के लिए जीसीए के 40 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2017 के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7.33 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक गैर-निवारक जोखिमों के विरुद्ध बुवाई के पहले से फसल काटने के बाद तक जोखिमों के व्यापक कवरेज की व्यवस्था है। बीमा प्रीमियम की बीमांकिकी आधार पर कंपनियों को भुगतान किया जाना है, तथापि, बहुत कम किसानों द्वारा पूरे देश में एकसमान आधार पर भुग. तान किया जाना है। खाद्य और तिलहन फसलों के लिए खरीफ और रबी मौसमों हेतु क्रमशः 2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक/उद्यान फसलों के लिए 5 प्रतिशत तथा शेष प्रीमियम का भुगतान अपफ्रंट किया जाएगा और उसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आपस में समान रूप से बांटा जाएगा। यह बीमित राशि के संदर्भ में किसानों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी जिसे वित्तपोषण के पैमाने के बराबर बनाया गया है।

फसलों की हानि के कारण

7.34 उन कृषि परिवारों के बीच, जिन्होंने कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 की दो छमाहियों के दौरान फसलों की हानि का अनुभव किया है, फसलों की हानि के कारण तथा परिवारों द्वारा सूचित प्रत्येक मुख्य फसल की हानि तथा औसत कुल हानि का पता लगाया गया है। कृषि वर्ष की पहली छमाही के दौरान नारियल और उड़द के सिवाय सभी चयनित फसलों के लिए अपर्याप्त वर्षा/सूखा फसलों की हानि का सर्वाधिक सूचित कारण था। नारियल और उड़द के बारे में, इस अवधि के दौरान ''बीमारी/कीट/जानवर'' फसलों की हानि के लिए सर्वाधिक सूचित एकल कारण था। जुलाई 2012-दिसंबर, 2012 के दौरान कपास के लिए सर्वाधिक औसत कुल हानि (43046 रुपए) सूचित की गई थी जिसके बाद गन्ने (42887 रुपए) तथा मूंगफली (28721 रुपए) का स्थान था।

7.35 एक कृषि वर्ष के भीतर, वर्षा सिंचित खेती में फसलों की हानि के कारण पूरी तरह से अलग होंगे जो फसलों की खेती-बाड़ी के लिए मौसम की स्थिति पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। जुलाई 2012-दिसंबर 2012 की अवधि की तुलना में, जनवरी 2013-जून 2013 की अवधि के दौरान बहुत सी फसलों के लिए ''बीमारी/कीट/जानवर'' फसलों की हानि हेतु सर्वाधिक सूचित कारण था। अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी उन परिवारों द्वारा सूचित मुख्य कारणों में से एक रही हैं जिन्होंने इस अवधि के दौ. रान चना/आलू; रेपसीड/सरसों जैसी फसलों की हानि का अनुभव किया है। जनवरी-जून, 2013 की अवधि के दौ. रान, उन कृषि परिवारों ने जिन्होंने गन्ने की खेती की थी, सर्वाधिक औसत कुल हानि (36290 रुपए) उठाए जाने की सूचना दी है उसके बाद कपास (22,785 रुपए) तथा प्याज (18,860 रुपए) का स्थान है।

बॉक्स 7.3 : जलवायु अनुकूल कृषि (सीएसए)

कृषि के संबंध में जलवायु परिवर्तन घटना तापमान और वर्षा में वर्धित परिवर्तनशीलता के रूप में हो सकते हैं तथा प्रचंड मौसम संबंधी घटनाओं जैसे सूखा और बाढ़ की तीव्रता ने अंततः कृषि-अर्थ तंत्र में व्यवधान पैदा करके किसानों और कृषि समुदायों पर प्रभाव डाला है। यह समेकित ढंग से अनुकूलन और ग्रामीण विकास को सुलझाने की जरूरत को अनिवार्य बना देता है, ताकि जलवायु संबंधी लचीले विकास को हासिल किया जा सके। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह जलवायु अनुकूल कृषि (सीएसए) की संकल्पना और महत्ता का प्रादुर्भाव है।

जलवायु स्मार्ट कृषि (सी.ए.एस.ए.)

जलवायु स्मार्ट कृषि (सी.एस.ए.) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बदलते जलवायु में प्रभावकारी रूप से विकास को समर्थन देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में कृषि प्रणालियों को बदलने और पुनः नया बनाने के लिए आवश्यक कृत्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। सी.एस.ए. का उद्देश्य, तीन मुख्य लक्ष्यों को पूरा करना है; कृषि उत्पादकता और आय को सतत् रूप से बढ़ाना; जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में अनुकुलता को अंगीकार करना और इसका निर्माण करना; और जहां कहीं सम्भव हो, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को कम करना/समाप्त करना।

सी.एस.ए. कृषि रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक दृष्टिकोण हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत सतत खाद्य सुरक्षा लाई जा सके। सी. एस.ए., पण धारियों को उनकी स्थानीय दशाओं के उपयुक्त कृषि रणनीतियों की पहचान करने के उपाय प्रदान करती है।

सी.एस.ए. को मुख्य धारा में लाना

सी.एस.ए. को मुख्य धारा में लाना और जलवायु परिवर्तन अनुकुलन नीतियां, भारत में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। जलवायु विभिन्नता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को समाप्त करने के लिए जलवायु अनुकुलन प्रोद्योगिकी को, ''जलवायु अनुकुलन कृषि सम्बन्धी अनुकुलन प्रौद्योगिकी नवाच. ार'' के अन्तर्गत 23 राज्यों को शामिल करते हुए के.वी.के. के अन्तर्गत 153 माडल गाँवों में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब तक 623 आकस्मिता योजनाएं तैयार की गई है तथा इन्हें आई.सी.ए.आर./डी.ए.सी. की वेबसाइट **(http://farmer.gov.in/http://agricoop.nic.in/acp.html, http://crida.in)** पर रखा गया है, ताकि मौसम के विभिन्न विपथनों का प्रबन्ध किया जा सके जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, ओलाव. ृष्टि, लू और शीत लहर। मौसम के विपथन और प्रचण्ड मौसम के हालात में कृषि उत्पादन की सततता के क्रम में तैयारी और वास्तविक समय में कार्यान्वयन के लिए आकस्मिकता योजनाएं उपयोगी हैं।

7.36 जलवायु परिवर्तन कारकों के कारण होने वाले पर्यावरण संबंधी तीव्र परिवर्तनों को सहन करने वाली कृषि अपनाने का महत्व बढ़ रहा है (बॉक्स 7.3)।

कृषि क्रेडिट और विपणन सम्बन्धी पहलें

7.37 कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादकता और समग्र उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट एक महत्वपूर्ण आगत है। लघु अवधि फसल ऋण पर किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से उत्पन्न हाने वाली विभिन्न देयताओं को पूरा करने के लिए 2018 में भारत सरकार द्वारा 20339 करोड़ रुपसे की धनराशि अुनमोदित की गई है, इसके साथ ही फसल-कटाई के पश्चात भण्डारण सम्बन्धी ऋण, देश में किसानों की एक महत्वपूर्ण आगत अपेक्षा को पूरा करता है (ब्याज सहायता योजना पर बाक्स 7.4) विशेषतया छोटे और सीमान्त किसान, जोकि मुख्य उधार लेने वालों में से है। (सारणी 7)। यह संस्थागत क्रेडिट, किसानों को क्रेडिट के गैर-संस्थागत स्रोत से अलग करने में सहायता करेगा, जहां पर वे ब्याज की ऊंची दरों पर उधार लेने के लिए मजबूर होते हैं। चूंकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, फसल बीमा, फसलों के ऋण लेने से जुड़ा है, अत: किसान, फसल ऋणों का फायदा उठाते हुए सरकार की दोनों किसानोन्मुखी पहलों से लाभ ले सकेंगे।

7.38 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि किसान बाजार में अपने उत्पादन के संबंध में लाभदायक कीमतों का लाभ उठाएं, सरकार बाजार सुधार कर रही है। इलैक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जो सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में आरम्भ किया गया था, का उद्देश्य इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से बिखरे हुए एपीएमसी को एकीकृत करना और किसानों के लाभ के लिए प्रतियोगी तरीके से कीमत खोज को संभव बनाना। जबकि किसानों को ऑनलाइन व्यापार करने की सलाह दी जाती है, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे मान्यता प्राप्त गोदामों में अपने उत्पादन का भण्डारण करके फसल की कटाई के पश्चात् के ऋण का फायदा उठायें। यह ऋण ऐसे छोटे व सीमान्त किसानों जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, को 6 माह की अवधि के सम्बन्ध में ऐसे भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता पर सुलभ हैं। इससे किसानों को बाजार में उछाल आने के समय अपनी बिक्री करने और मन्दी के दौरान बिक्री से बचने में मदद मिलेगी। अत: छोटे और सीमान्त किसानों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी केसीसी को बनाए रखें।

सारणी 7: पिछले तीन वर्ष में कृषि ग्राउंड स्तर क्रेडिट प्रवाह में छोटे और सीमान्त किसानों का शामिल होना।

जी.एल.सी. के लिए खातों की संख्या	2013-14	2014-15	2015-16
खातों की कुल संख्या (सभी किसान) (करोड़)	8.05	8.53	8.99
एस.एम.एफ. के खातों की संख्या (करोड़)	5.05	4.86	5.40
एस.एम.एफ. को शामिल किए जाने का %	62.7	57.0	60.1

स्रोत: कृषि संबंधी स्थाई समिति, मार्च 2017

7.39 सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने

बाक्स 7.4: ब्याज सहायता योजना

ब्याज सहायता योजना 2006-07 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत किसान 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक रियायती फसल ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अग्रिम धनराशि लिए जाने के एक वर्ष के भीतर तत्काल पुन: भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त 3% की सहायता का प्रावधान भी है। 2017-18 की योजना, किसानों को लघु अवधि फसल ऋण लेने की सुविधा का लाभ उठाने में मददगार होगी तथा यह ऋण 3 लाख रुपये तक लिया जा सकता है तथा एक वर्ष के भीतर अदा किए जाने पर इस पर केवल चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

मंदी के दौरान की जाने वाली बिक्री को रोकने के उपाय के रूप में, पराक्रम्य वेयर हाऊस प्राप्ति की एवज में मान्यता प्राप्त वेयर हाऊसों में भण्डारण के लिए फसल की कटाई के पश्चात के ऋण, ऐसे लघु और सीमान्त किसानों के लिए छ: माह के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास के.सी.सी. हैं। ब्याज सहायता योजना एक वर्ष के लिए जारी रहेगी तथा इसका कार्यान्वयन नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

ब्याज सहायता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, गैर-सरकारी बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी-अपनी निधियों का प्रयोग किए जाने पर तथा नाबार्ड को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पुन: वित्तपोषण किए जाने पर दी जाएगी। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं-

- केन्द्र सरकार, किसानों को उनके द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 3 लाख रुपये तक के एक वर्ष के ऋण के लिए लघु अवधि फसल ऋण के सम्बन्ध में त्वरित भुगतान कर्ता किसानों को 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगी। अत: किसानों को प्रभावकारी रूप से केवल ब्याज के रूप में 4% ही अदा करना होगा। यदि किसान लघु अवधि फसल ऋण को समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो वे उपर्युक्त उपलब्ध 5% की बजाय, 2% की ब्याज सहायता के ही पात्र होंगे।
- केन्द्र सरकार, वर्ष 2017-18 के सम्बन्ध में ब्याज सहायता के रूप में लगभग 20339 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
- ऐसे छोटे और सीमान्त किसान जिन्हें अपने उत्पादन पश्चात् के फसल भण्डारण के लिए 9% की दर पर ऋण लेना पड़ता है, को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने छ: माह तक के ऋण के लिए 2% की ब्याज सहायता अर्थात 7% के प्रभावकारी ब्याज दर की मंजूरी दे दी है।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, पुन:संरचित धनराशि पर प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में बैंकों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि किसान समय पर लघु अवधि फसल ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो वे उपर्युक्त उपलब्ध सहायता के स्थान पर 2% की ब्याज सहायता के ही पात्र होंगे।

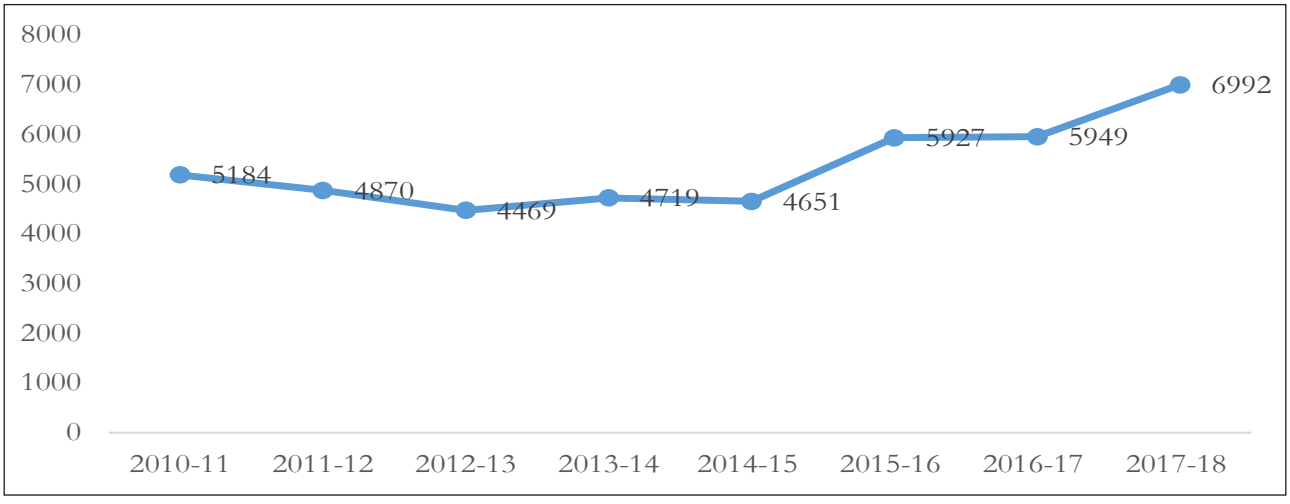
आई.एस.एस. का अभिप्राय, जमीनी स्तर पर किफायती दर पर लघु अवधि फसल ऋण के सम्बन्ध में कृषि क्रेडिट देना है ताकि देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन का बढ़ावा दिया जा सके।

के प्रति सचेत है तथा उसने इसके लिए कई नई पहलें शुरू की है जिसमें बीज से लेकर विपणन तक के क्रियाकलाप शामिल है। संस्थागत स्रोतों से क्रेडिट, इस तरह की सरकार की सभी पहलों को अनूपुरक बनाएगा जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आगत प्रबन्धन, प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना के अन्तर्गत प्रति बूंद अधिक फसल, पीएमएफडी/वाई, ई-नाम इत्यादि।

कृषि अनुसन्धान और विकास

7.40 कृषि अनुसन्धान और विकास, नवाचार का मुख्य स्रोत है जो दीर्धावधि में सतत कृषि उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है (एफ.ए.ओ., 2012)। डी.ए.आर.ई/आई.सी.ए.आर. का वास्तविक व्यय, 2010-11 के 5393 करोड़ रुपये (ब.अ.) से बढ़कर 2017-18 के दौरान 6800 करोड़ रुपये (ब.अ.) हो गया है। व्यय की चक्रवद्धि वार्षिक वृद्धि दर पिछले कुछ वर्षो में 4.2% रही है और हाल ही के वर्षो में व्यय अधिक रहा है (चित्र 9)। चालू वर्ष (2017-18) के दौरान, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के निवेश ने, भारतीय पेटेन्ट आफिस में 45 पेटेन्ट आवेदन दायर करके, नए कृषि नवचारों का संरक्षण किया है तथा संचयी पेटेन्ट आवेदनों की संख्या अब बढ़ कर 1025 हो गई है। आई.सी.ए.आर. द्वारा उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए 10 कापीराइट और 12 ट्रेड मार्क आवे. दन दायर किए गए। चूंकि पादप किस्म संरक्षण और किसान अधिकार संरक्षण ने नई प्रजाति अधिसूचित की है, रजिस्ट्री में 135 किस्मों के लिए आवेदन दर्ज किए गए और वर्ष

चित्र 9 : डी.ए.आर.ई./आई.सी.एफ.आर. का वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)



स्रोत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
टिप्पणी:-वर्ष 2017-18 के आंकड़े बजट अनुमान है, वर्ष 2016-17 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

2016 के दौरान देश में विभिन्न कृषि पर्या क्षेत्रों में खेती के लिए अनाज की 155 उच्च पैदावार की किस्में/संकर नस्लें जारी की गई।

7.41 अनाज, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक और चारा फसलों के लिए कुल 209 नई किस्में/संकर नस्लें विकसित की गई हैं जोकि बढ़ी हुई गुणवत्ता के साथ विभिन्न जैविक और गैर-जैविक दबावों को सहन कर सकती है।

7.42 **अनाज:**-वर्ष 2017 के दौरान देश के विभिन्न कृषि पर्यावरणों में खेती के लिए 117 उच्च पैदावार किस्में/संकर किस्में जारी की गई जिनमें शामिल है-चावल की 65 किस्में, गेहूं की 14, मक्का की 24, रागी की 5, बाजारा की 3, ज्वार, जई, कंगनी, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और प्रोसो मिलेट की एक-एक किस्म।

7.43 **तिलहन:**-विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के सम्बन्ध में 28 उच्च पैदावार वाली तिलहन की किस्में जारी की गई जिनमें 8 सफेद सरसों की, 5 सोयाबीन की, 4 मूंगफली और अलसी की, 3 सूरजमुखी की, 2 अरण्डी की और नाइजर की।

7.44 **दलहन:**-विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के सम्बन्ध में दलहन की 32 उच्च पैदावार की किस्में जारी की गई लोबिया की 10, दाल की 6, मूंग की 3, अरहर, चना और फील्ड पी की 2-2, उड़द, राजमां और फाबाबीन की एक-एक।

7.45 **वाणिज्यिक फसलें:**-विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक फसलों की 24 उच्च पैदावार की किस्में जारी की गई जिनमें शामिल हैं-कपास की 13, गन्ने की 8 और जूट की 3 ।

7.46 **चारा फसलें:**-विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में खेती के लिए चारे की 8 उच्च पैदावार की किस्में/संकर किस्में जारी की गई जिनमें शामिल है-जई की 3, बाजरा, नेपियर संकर, चारा ज्वार, ग्रेन अमारन्यस, चारा चना और मारवल ग्रास की एक-एक किस्म।

खाद्य प्रबन्धन

7.47 भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबन्धन, केन्द्र और राज्यों के बीच आपस में सम्मेलित संगठनात्मक ढांचे द्वारा किया जाता है जिसमें मूल्य समर्थन प्रक्रिया के माध्यम से खाद्यानों का केन्द्रीयकृत और विकेन्द्रीकृत रूप से प्रापण, टी.पी.डी.एस. (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से उपभोक्ताओं/लाभग्राहियों को युक्तिसंगत कीमतों पर खाद्यानों का आबंटन और वितरण, और कीमत स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक का रखरखाव। किसानों को उचित कीमत प्रदान करने, कम आय वाले उपभोक्ताओं को किफायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, बफर स्टॉक का रख-रखाव करके आकस्मि. कता/कमी के लिए खाद्यान्न को स्टॉक करने और खाद्य कीमत अस्थिरता को कम करने के क्रम में, भारत में यथा क्रियान्वित प्रापण क्रियाकलापों की प्रणाली के माध्यम से

विविध उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं।

7.48 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, बिना किसी सीमा के है, जबकि वितरण का अधिशासन आबंटन की मात्रा तथा लाभग्राहियों द्वारा इसके उठाव द्वारा होता है। खाद्यान्नों का उठाव, प्राथमिकत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत होता है। वित्त वर्ष 2017-18 (27.11.2017 तक) के दौरान खाद्यानों की अन्तर्राज्यीय आवाजाही और उचित दर दुकान डीलर मार्जिन पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को 2785 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी की गई खाद्य आर्थिक सहायता की धनराशि सारणी-8 में दी गई है।

7.49 टी.डी.पी.एस. के अन्तर्गत खाद्यानों की प्राप्ति को एक कानूनी अधिकार बनाने के आशय से भारत सरकार ने एनएफएसए अधिनियमित किया जो 5 जुलाई, 2013 से लागू हो गया। इस अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक व्यक्तियों तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक व्यक्तियों को इसके दायरे में शामिल करने का प्रावधान है। अत: जन. संख्या का लगभग दो तिहाई हिस्सा इसके दायरे में आता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए पात्र व्यक्ति, चावल/गेहूं/न्यूट्री-ग्रेन्स (मोटा अनाज) के सम्बन्ध में 3/2/1 रुपये प्रति कि.ग्रा. के आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न पाने के हकदार हैं। मौजूदा अन्तोदय अन्न योजना के परिवार जो निर्धन से निर्धन श्रेणी के हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यन्न प्राप्त करते रहेंगे। एक नवम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार एन.एफ.एस.ए. को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है और वे एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्य अनाज का मासिक आबंटन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत-सरकार ने सारणी 9 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि के लिए 606.43 लाख टन खाद्य अनाज आबंटित किए है।

सारणी 8: सरकार द्वारा जारी खाद्य आर्थिक सहायता की धनराशि

वर्ष	खाद्य आर्थिक सहायता (रुपये करोड़ में)	वार्षिक बढ़ोतरी (प्रतिशत)
2010-11	62929.56	8.1
2011-12	72370.90	15.0
2012-13	84554.00	16.8
2013-14	89740.02	6.1
2014-15	113171.16	26.1
2015-16	134919.00	19.2
2016-17	105672.96	-21.7
2017-18*	134988.83	

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी : आंकड़े 28.11.2017 की स्थिति के अनुसार

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न की आर्थिक लागत

7.50 खाद्य अनाजों की आर्थिक लागत में तीन घटक शामिल हैं अर्थात् अनाज की सम्मिलित लागत, प्रापण आकस्मिक व्यय और वितरण की लागत। खाद्य अनाजों की सम्मिलित लागत, आर्थिक लागत की गणना करते समय एफसीआई के पास उपलब्ध खाद्य अनाजों के स्टॉक का भारित एमएसपी है।

7.51 गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमएसपी में वृद्धि और आकस्मिक व्यय में (चित्र 10 और चित्र 11) में समानुपातिक बढ़ोत्तरी के कारण पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

खुली बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू)

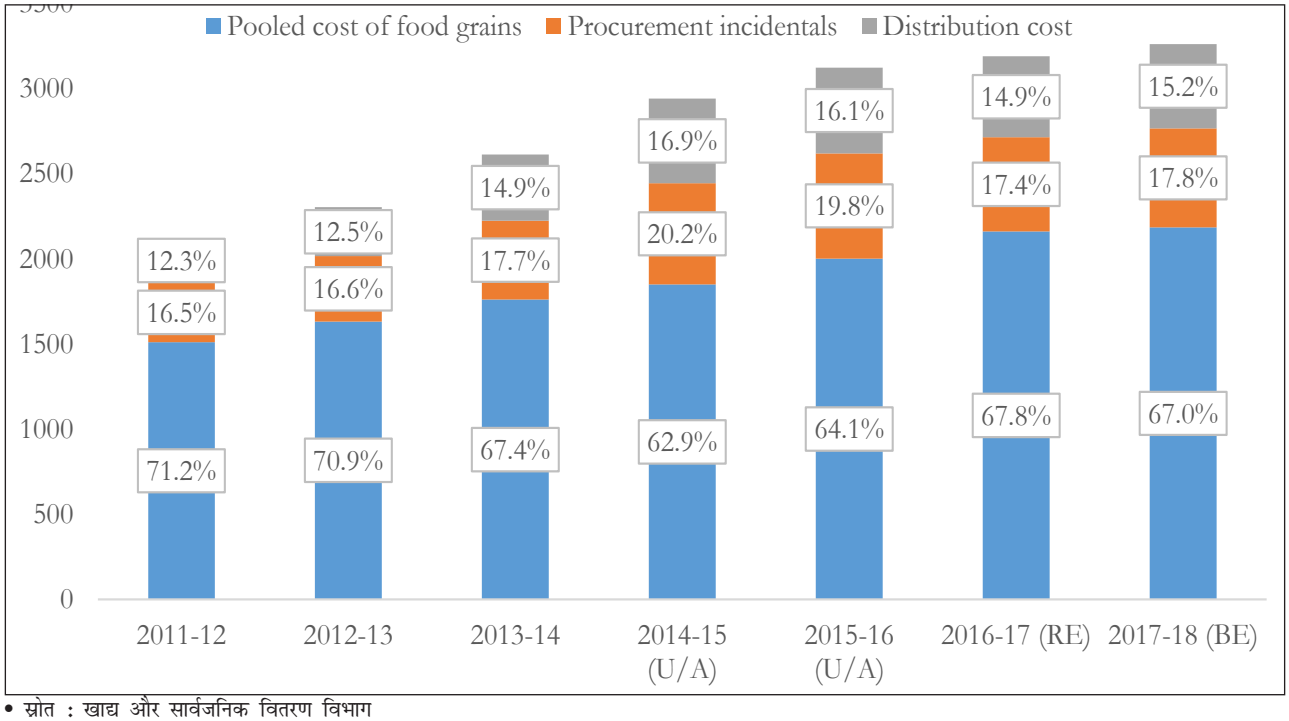
7.52 बफर स्टॉक का रखरखाव करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक

सारणी 9: एन.एफ.एस.ए./गैर एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्य अनाज का आबंटन (2017-18)

क्र.सं.	श्रेणी	मात्रा (लाख टन में)
1	एन.एफ.एस.ए.	552.86
2	त्यौहार आपदा इत्यादि	4.48
3	अन्य कल्याणकारी योजनांए	49.09
	कुल	606.43

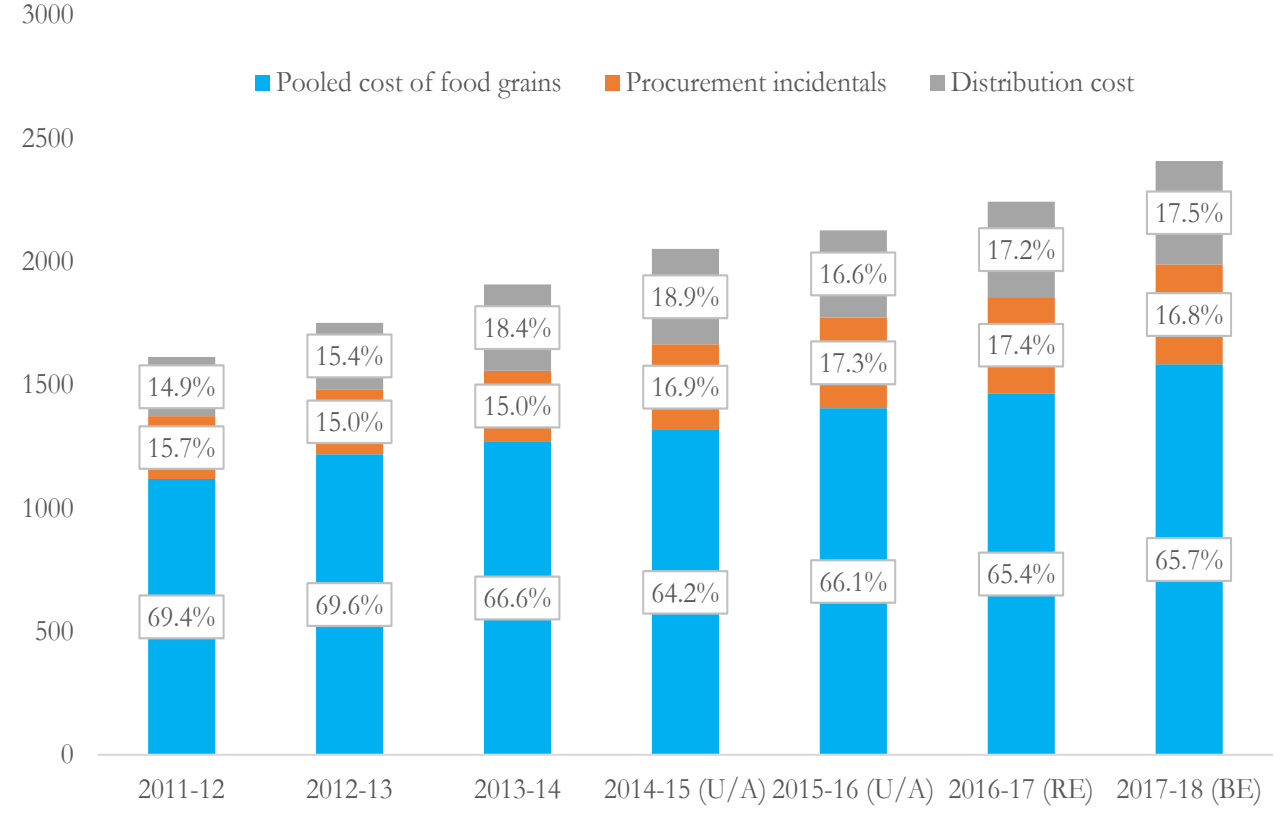
स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

चित्र 10: चावल की घटकवार आर्थिक लागत (रुपये/क्विंटल)



• स्रोत : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

चित्र 11: गेहूं की घटकवार आर्थिक लागत (रुपये/क्विंटल)



• स्रोत : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

प्रावधान बनाने के अतिरिक्त, एफसीआई सरकार के अनुदेशों पर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित कीमतों पर समय-समय पर खुले बाजार में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से केन्द्रीय पूल के अतिरेक स्टॉक में से बिक्री करता है:-

- खराब मौसम और घाटे के बजट वाले क्षेत्रों में खाद्य अनाजों की आपूर्ति को बढ़ाना।
- खुली बाज़ार कीमतों को सरल बनाना।
- अतिरेक स्टॉक से छुटकारा पाना।
- खाद्य अनाजों की वहन लागत को कम करना।

वर्ष 2017-18 के दौरान ओएमएसएस (घरेलू) के अन्तर्गत गेहूं और चावल की बिक्री

7.53 वर्ष 2017-18 के दौरान ओएमएसएस (डी.) के अन्तर्गत खुले बाज़ार में केन्द्रीय पूल में से एफसीआई द्वारा बिक्री के लिए गेहूं के 53 लाख मीट्रिक टन और 'ए' ग्रेड चावल के 20 लाख मीट्रिक टन की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017-18 में ओएमएसएस (डी.) के अन्तर्गत गैर-सरकारी थोक क्रेताओं/व्यापारियों को गेहूं की थोक बिक्री का आरक्षित मूल्य 1790/- रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसमें समर्थित आवाजाही सहित सभी प्रकार की बिक्री के संबंध में लोडिंग और हैन्डलिंग प्रभार शामिल है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में ओएमएसएस (डी.) के अन्तर्गत गेहूं की बिक्री के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य 1790/- रुपये प्रति क्विंटल हैं। ओएमएसएस (डी.) ग्रेड 'ए' चावल की बिक्री का समग्र आरक्षित मूल्य वर्ष 2017-18 के सम्बन्ध में 2500/- रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले पांच वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ओएमएसएस (डी.) के बिक्री किए गए गेहूं और चावल की मात्रा सारणी 10 में दी गई है।

भावी योजना

7.54 भारत में कृषि क्षेत्र, संरचनात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है जो नई चुनौतियां और अवसर

सारणी 10: ओ.एम.एस.एस. (डी) के अन्तर्गत बेचे गए गेंहू और चावल की मात्रा

मात्रा लाख मीट्रिक टन में

वर्ष	गेंहू	चावल
2012-13	68.7	1.0
2013-14	61.2	1.7
2014-15	42.4	शून्य*
2015-16	70.8	1.1
2016-17	45.7	1.8
2017-18**	5.7	2.6

स्रोत : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
टिप्पणी: *वर्ष 2014-15 में चावल की बिक्री नहीं की गई''
**नवम्बर 2017 के चौथे सप्ताह तक।

खोल रहा है। सरकार ने कृषि विपणन के क्षेत्र में कई सुधार शुरू किए हैं, कृषि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है तथा छोटे और सीमान्त किसानों को विस्तार सेवाएं, क्रेडिट और अन्य आगतों की समय-पूर्व सुपुर्दगी के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण का तरीका अंगीकार किया है। सरकार की केन्द्रीय प्राथमिकता पशुधन और मत्स्य पालन जैसे कृषि उप-क्षेत्रों के विकास को सुगम बनाते हुए विभिन्न जोखिमों को कम करने के क्रम में अपनी आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसानों को अवसर प्रदान करना होगी।

7.55 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का रूपान्तरण, मूल्य, व्यापार, जलवायु स्मार्ट कृषि का अंगीकरण, छोटे, सीमान्त और महिला किसानों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने सम्बन्धी समुचित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से स्पष्ट है। तथापि जीवीए में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है, भारत में समावेशी आर्थिक विकास की खोज में कृषि क्षेत्र, व्यापक आधार वाले विकास का इंजन बना रहेगा जोकि असमानताओं को कम करेगा तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा।

08

अध्याय

उद्योग और अवसंरचना

प्रतिष्ठित, विकासोन्मुखी उद्योगों को सहायता देने के साथ-साथ ऐसी कर नीतियां अपनाना जिनसे छोटे कारोबार का विकास हो और निवेश को बढ़ावा मिले, यही एक ऐसा ज़बर्दस्त फार्मूला है जो हमारे समस्त प्रशासन का आधार है।

–लैरी होगन

हमें यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि अवसंरचना एक आर्थिक संचालक है, बल्कि इसे कार्यनी. ति के रूप में देखना शुरू कर देना चाहिए। आर्थिक संचालक ऐसे सेतुओं का निर्माण करते हैं जो आपको कहीं नहीं पहुंचाते। अवसंरचना में कार्यनीतिक निवेश से दीर्घकालिक विकास की बुनियाद का निर्माण होता है।

–रोजर मैकनमी

समावेशी रोजगार प्रधान उद्योग को बढ़ावा देना और समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण आर्थिक संवृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। सरकार इस दिशा में अनेक क्षेत्र-विशिष्ट उपाय कर रही है। कारोबार करने में आसानी को सुकर बनाने के लिए माल और सेवा कर, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता जैसे ढांचागत सुधारों के अलावा सरकार ने इस्पात, वस्त्र, चमड़ा और विद्युत क्षेत्र में अनेक विशिष्ट सुधार किये हैं ताकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के साथ जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों जैसे कि मूडी'ज़ इन्वेस्टर सर्विस द्वारा स्वीकारा गया है और विश्व बैंक रिपोर्ट 2018 के 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत का स्थान उन्नत किया गया है। इस अध्याय में उद्योग और अवसंरचना में व्याप्त मौजूदा रूझानों के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण उपायों और उपलब्धियों की चर्चा की गई है। सड़क, रेलवे, मेट्रो रेल, पोत परिवहन, नागर, विमानन, विद्युत, संभारिकी अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे अल्पावधि में वृद्धि के गति पकड़ने की संभावना है। सड़क क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप से संबंधित भाग में सड़क क्षेत्र में रुकी हुई परियोजनाओं और अनर्जक आस्तियों जैसी समस्याओं; राष्ट्रीय राजमार्गों का और अधिक निर्माण करने के लिए और राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरित करने के लिए किए गये उपायों; तथा अधिक जिला सड़कों का विकास करने से संबंधित व्यापक नीति की जरूरत पर चर्चा की गई है।

उद्योग

8.1 वर्ष 2014 से सरकार द्वारा की गई कई उद्योग विशिष्ट सुधार पहलों ने देश में समग्र कारोबारी माहौल को महत्वपूर्ण रूप से सुधारा है। सुधार प्रक्रिया केन्द्र और राज्य सरकारों को कवर करते हुए उपयोगिता और कवरेज की दृष्टि से व्यापक रही है। परिणामस्वरूप, भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनैस रिपोर्ट 2018 में अपने पिछले 130वें रैंक से 30 रैंक की उछाल लगाई है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडी'ज इनवेस्टर्स सर्विस ने भारत की रेटिंग बीएए3 के न्यूनतम निवेश ग्रेड से बढ़ाकर बीएए2 कर दी है (ब्यौरा बॉक्स 1 में दिया गया है)।

8.2 यह सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण संभव हुआ है जिसमें वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रणाली और घोषणा तथा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण की शुरूआत शामिल है। कारोबार को आसान बनाने में सुगमता लाने के अन्य उपायों में औद्योगिक लाइसेंस

सारणी 1. क्षेत्रीय सकल मूल्यवर्धन में वृद्धि (%)

	जीवीए* में हिस्सा	2015-16	2016-17	2017-18	
				ति.1	ति.2
खनन और खदान	3.0	10.5	1.8	-0.7	5.5
विनिर्माण	18.1	10.8	7.9	1.2	7.0
बिजली, गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	2.2	5.0	7.2	7.0	7.6
निर्माण	8.0	5.0	1.7	2.0	2.6
उद्योग	**31.2**	**8.8**	**5.6**	**1.6**	**5.8**

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
नोट: *जीवीए में हिस्सा जोकि 2016-17 में है। (स्थिर मूल्यों पर)

और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ और सरलीकरण, इ-बिज पोर्टल के साथ बीस सेवाओं को जोड़ना, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों की स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए सिंगल पोर्टल विंडो के रूप में कार्य करता है, डीजीएफटी द्वारा निर्यात और आयात के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या को तीन तक सीमित करना शामिल है।

8.3 सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम तिमाही अनुमानों के अनुसार, समग्र औद्योगिक क्षेत्र संवृद्धि 2017-18 की पहली तिमाही में 1.6 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत के महत्वपूर्ण रूप से उच्च स्तर पर थी। यह मुख्यत: 2017-18 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 7.0 प्रतिशत के ठोस विकास के कारण हुआ है। जैसाकि सारणी 1 में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार समग्र औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि 4.4 प्रतिशत है तथा निर्माण वृद्धि 4.6 प्रतिशत है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

8.4 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक निष्पादन का दूसरा पैमाना है जो केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मई, 2017 में आईआईपी के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004-05 से 2011-12 कर दिया है। आधार वर्ष 2011-12 के साथ नवीनतम श्रृंखलाएं औद्योगिक क्षेत्र की चालू संरचना का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं। सारणी-2 पिछले दो वर्षों तथा चालू राजकोषीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय तथा उपभोग आधारित संवृद्धि दरें दर्शाती है।

सारणी 2. औद्योगिक उत्पादन सूचंकाक (आईआईपी) की विकास दर

	भार	2015-16	2016-17	2017-18 अप्रैल-नवम्बर
सामान्य सूचकांक	**100**	**3.3**	**4.6**	**3.2**
क्षेत्रीय वर्गीकरण				
खनन	14.4	4.3	5.3	3.0
विनिर्माण	77.6	2.8	4.4	3.1
बिजली	8.0	5.7	5.8	5.2
उपयोग आधारित वर्गीकरण				
प्राथमिक वस्तुएं	34.0	5	4.9	3.4
पूंजीगत वस्तुएं	8.2	3	3.2	2.1
मध्यवर्ती वस्तुएं	17.2	1.5	3.3	0.9
अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं	12.3	2.8	3.9	3.8
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.8	3.4	2.9	-1.4
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	15.3	2.6	7.9	9.4

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सारणी 3. आठ मुख्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि (%)

क्षेत्र	भार	2015-16	2016-17	अप्रैल-नवम्बर 2017-18
कोयला	10.3	4.8	3.2	1.5
कच्चा तेल	9.0	-1.4	-2.5	-0.2
प्राकृतिक गैस	6.9	-4.7	-1.0	4.4
रिफाइनरी उत्पाद	28.0	4.9	4.9	3.6
उर्वरक	2.6	7	0.2	-1.1
इस्पात	17.9	-1.3	10.7	7.2
सीमेंट	5.4	4.6	-1.2	0.6
बिजली	19.9	5.7	5.8	4.9
समग्र सूचकांक	**100**	**3.0**	**4.8**	**3.9**

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

8.5 आईआईपी ने 8.4 प्रतिशत की 25 माह की उच्च वृद्धि दर्ज की है जहां नवम्बर, 2017 में विनिर्माण की संवृद्धि 10.2 प्रतिशत रही है। पूंजी वस्तुएं, अवसंरचना निर्माण और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं ने महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अप्रैल-नवम्बर, 2017 की अवधि के लिए 3.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की है। मुख्य उद्योग समूह, जिन्होंने इस अवधि के दौरान विकास में सकारात्मक रूप से योगदान दिया है,- वे हैं, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद; भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद; बुनियादी धातुएं; कम्प्यूटर; इलेक्ट्रानिक और ऑप्टीकल उत्पाद तथा मोटर वाहन, ट्रेलर्स और सेमी-ट्रेलर्स नकारात्मक योगदान देने वाले उद्योग समूह हैं-तम्बाकू उत्पाद, परिधान; रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद; अन्य धातु-भिन्न खनिज उत्पाद और बिजली के उपस्कर हैं।

8.6 आईआईपी के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं ने संगति दिखायी है और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान, मुख्यत: खनन क्षेत्र और मोटर स्पिरिट उद्योग के इष्टतम से न्यून निष्पादन के कारण प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक में विकास दर ने कमी दर्शायी है जो तुलनात्मक रूप से 3.4 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में अवसंरचना/निर्माण सामग्री में सीमेंट क्षेत्र के घटिया प्रदर्शन के कारण पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.0 प्रतिशत की तुलना में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पूंजीगत वस्तुओं का निष्पादन मुख्य रूप से 2017-18 की प्रथम तिमाही में जीएसटी की घोषणा के बाद भंडार कम करने के कारण बहुत धीमा रहा है।

आठ मुख्य उद्योग

8.7 आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के निष्पादन को आँकता है। आईआईपी में आधार वर्ष परिवर्तन के अनुसार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने इन आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। ये उद्योग आईआईपी में 40 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

8.8 आठ मुख्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा नीचे सारणी 3 में दिया गया है। वर्ष 2016-17 में, इन उद्योगों में 2015-16 में 3 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और बिजली के उत्पादन ने धनात्मक वृद्धि दर्ज की है जबकि इस्पात ने 10.7 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की है (यह सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक उपायों के कारण हो सका है जैसे फरवरी, 2016 में इस्पात आयात पर एमआईपी, डंपिंग रोधी शुल्क आदि का आरोपण)। दूसरी ओर, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल-नवम्बर, 2017-18 की अवधि में सूचकांक ने 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

सारणी 4. बिक्री और लाभ में वृद्धि तथा कारपोरेट क्षेत्र के लिए क्षमता उपयोग (प्रतिशत)

	2016-17				2017-18	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
बिक्री	-1.0	3.7	4.9	10.2	8.9	9.5
लाभ	28.8	27.5	57.5	22.2	-33.6	-4.0
क्षमता उपयोग	71.7	72.0	71.0	74.6	71.2	---

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: 1700 विनिर्माण कंपनियों की बिक्री और लाभ तथा 805 विनिर्माण कंपनियों के प्रतिदर्श के आधार पर क्षमता उपयोग

है। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन ने इस अवधि के दौरान धनात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कॉरपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

8.9 वर्ष 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में 1700 से अधिक गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में वृद्धि (वर्षानुवर्ष) 2017-18 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 9.5 प्रतिशत थी (सारणी 4)। यह विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत लौह और इस्पात तथा मोटर वाहन एवं अन्य परिवहन उपस्कर जैसे उद्योगों के उन्नत निष्पादन के कारण रही है। वर्ष 2016-17 में लाभ के अर्थ में निष्पादन उच्च स्तर पर बना रहा। वर्ष 2017-18 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान मुख्यत: जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित उत्पादन के स्थगन के कारण लाभ में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में क्षमता उपयोग 2016-17 की चौथी तिमाही के 74.6 प्रतिशत की तुलना में घट कर 71.2 प्रतिशत हो गया है।

8.10 उद्योगों में सांकेतिक ऋण वृद्धि अक्टूबर 2016 से ऋणात्मक वृद्धि देखने के पश्चात् पहली बार नवम्बर 2017 में धनात्मक होकर 1 प्रतिशत हो गई। ऋण की कम आपूर्ति अधिक अनर्जक आस्तियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अपसामान्य तुलन पत्रों के कारण हो सकती है। परंतु यह ऋण की कम मांग को भी प्रदर्शित कर सकती थी। सरकार ने हाल ही में 2.11 लाख करोड़ रुपए के बैंक पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों को स्वस्थ बनाना, उनके तुलनपत्रों को दुरूस्त बनाने के लिए शर्त रखना है ताकि बैंकों को ऋण संवितरण की गति को तेज करने में सहायता मिल सके।

8.11 भारतीय फर्मों द्वारा धनराशि की मांग, ऋण मंदी को ध्यान में रखते हुए, विदेशी वाणिज्यिक उधार और वाणिज्यिक पत्र जैसे वैकल्पिक स्रोतों से पूरी की गई है। जिसे सारणी 5 में देखा जा सकता है।

सारणी 5. ऋण का प्रवाह और उद्योग में वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत

(बिलियन रुपये)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-दिसंबर)
गैर खाद्य ऋण	5464	7024	3882	2427
वृद्धि (प्रतिशत)	---	*28.6*	*-44.7*	*257.2*
वैकल्पिक स्रोत				
कारपोरेट बांड्स	1364	1513	2159	981
वाणिज्यिक पत्र	558	517	1002	900
विदेशी वाणिज्यिक उधार/एफसीसीबी	14	-388	-509	-79.0
कुल वैकल्पिक स्रोत	1936	1642	2652	1801.7
वृद्धि (प्रतिशत)	---	*-15.2*	*61.5*	*-1.5*

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, सारणी II.6

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

8.12 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। वर्ष 2016 में घोषित एफडीआई नीति सुधार एक छोटी सी ऋणात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत ले आए हैं। कुल एफडीआई अंतर्वाह पिछले वर्ष के 55.56 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 8 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 60.08 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। किसी भी वित्त वर्ष के लिए यह अब तक सर्वाधिक स्तर है। वर्ष 2017-18 में, सितंबर तक, कुल एफडीआई का अंतर्वाह 33.75 बिलियन अमरीकी डालर था।

8.13 एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में, अंश की दृष्टि से, मारीशस, सिंगापुर और जापान, तीन देश भारत में शीर्ष निवेशक रहे हैं, जिन्होंने 2016-17 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का क्रमश: 36.17 प्रतिशत, 20.03 प्रतिशत तथा 10.83 प्रतिशत अंशदान किया है। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में, सेवाएँ (वित्त, बैंकिंग, बीमा आदि), दूरसंचार और कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर तीन शीर्ष क्षेत्र रहे हैं, जिनके हिस्से क्रमश: 19.97 प्रतिशत, 12.80 प्रतिशत और 8.40 प्रतिशत हैं।

औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलें

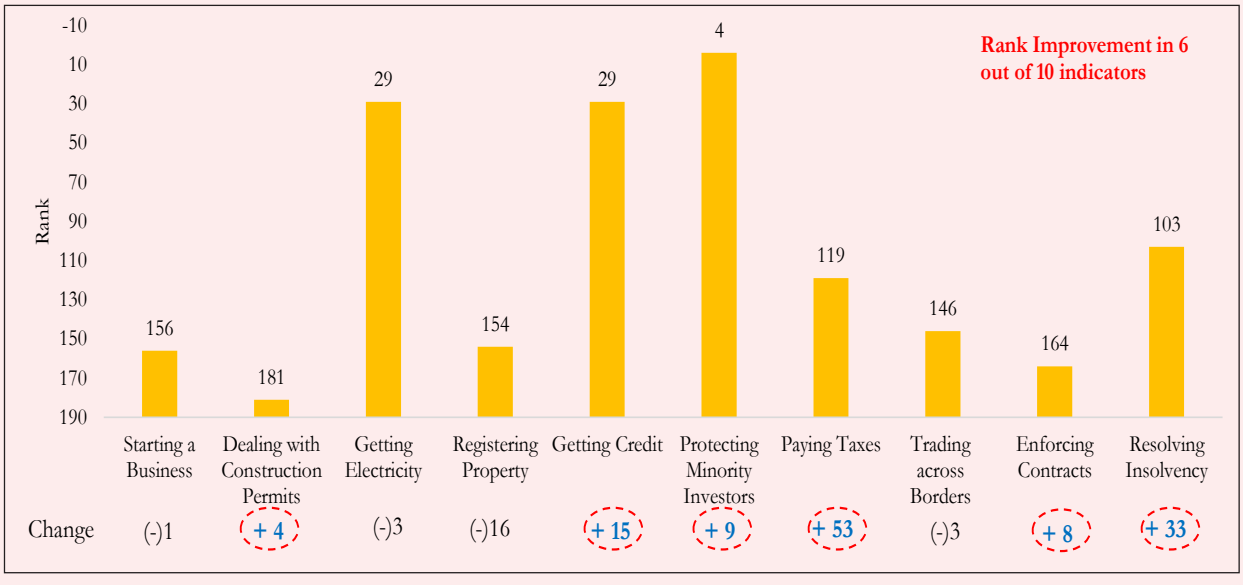
8.14 सरकार ने बहुत से आर्थिक और संस्थागत सुधार शुरू किए हैं, जिससे विश्व बैंक रिपोर्ट, 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है) (बॉक्स 8.1)।

बॉक्स 8.1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

वर्ष 2017-18 उदीयमान निवेश संभावना स्थल के रूप में भारत की वैश्विक छवि के लिए उल्लेखनीय रहा है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों को मान्यता देते हुए, मूडी'ज इंवेस्टर सर्विस ने भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग को 13 वर्ष की अवधि के बाद बीएए3 के न्यूनतमम निवेश ग्रेड से बढ़ाकर बीएए2 कर दिया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनैस रिपोर्ट, 2018 में डूइंग बिजनैस टीम द्वारा आंके गए 190 देशों में भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनैस रिपोर्ट 2017 में इसके 130वें रैंक से 30 रैंक सुधरकर 100 हो गया है। भारत ने दस संकेतकों में से छ:, नामत:-निर्माण परमिटों पर संव्यवहार, क्रेडिट लेना, छोटे निवेशकों का संरक्षण, कर भुगतान, संविदा प्रर्वतन और शोधन अक्षमता का समाधान करने में सुधार दर्शाया है (चित्र 1)।

(चित्र 1) कारोबार करने से संबंधित विषयों की रैंकिंग



स्रोत: विश्व बैंक

रैंकिंग में ये प्रगति सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार उपायों का परिणाम है जिनमें संरचनागत और गहन सुधार शामिल हैं जैसेकि माल और सेवा कर (जीएसटी) और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईवीसी), भारत की संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लक्ष्य वाले सुधार-विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को लक्षित करता तंत्र; आधार नामांकन में हुई प्रगति और लाभों की लक्षित सुपुर्दगी में इसका प्रयोग तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकारी निर्णय की घोषणा।

इन बेहतर रेटिंग्स का आर्थिक संकेतकों पर तत्काल सकारात्मक असर पड़ा। इसका तत्काल प्रभाव दैनिक सेंसेक्स के संदर्भ में देखा गया जो कुछ ही दिनों में लगभग 700 बिंदु बढ़ गया (चित्र 2)। इसका तत्काल प्रभाव रुपये की विनिमय मूल्यवृद्धि के संदर्भ में भी देखा गया जो बेहतर निवेश के संवेगों और संभावनाओं को परिलक्षित करता है (चित्र 3)। रेटिंग के इस उन्नयन से भारत सरकार के लिए उधार की लागत कम होने की भी संभावना है।

Figure 2. Sensex (Daily)

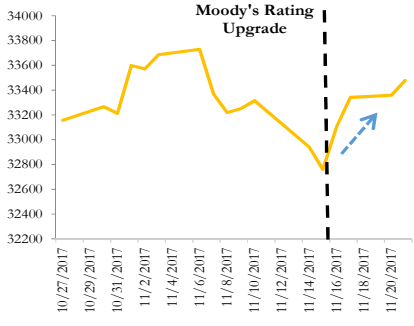
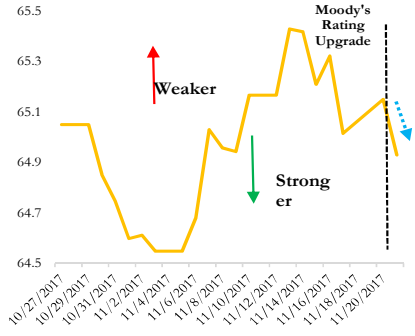


Figure 3. Currency (Daily)



स्रोत: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं भारतीय रिजर्व बैंक

तथापि, ऐसे कई सुधार और सरलीकृत कार्य हैं जो पहले ही पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनैस टीम द्वारा स्वीकारा जाना शेष है। इनमें से कुछ इस प्रकार है:-

निर्माण परमिट:-मुंबई और दिल्ली में नगर निगमों ने प्रक्रियाओं की संख्या घटाकर 8 कर दी है। इसी प्रकार किसी इमारत के निर्माण चक्र के दौरान अनुमोदनों के लिए समय-सीमा घटाकर 60 दिन कर दी गई है।

शोधन अक्षमता का समाधान:-शोधन अक्षमता अर्थतंत्र, नामत: राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एलसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), शोधन अक्षमता संबंधी पेशेवर व्यक्ति (आईपी), शोधन अक्षमता संबंधी पेशेवर एजेंसी (आईपीए), शोधन अक्षमता संबंधी पेशेवर निकाय (आईपीके) और भारतीय शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड के माध्यम से कारपोरेट कर्जदारों के लिए प्रक्रिया पुनर्व्यवस्थित की गई है।

सीमापार व्यापार:-व्यापार को आसान बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं:-

कृषि वस्तुओं की आयात संबंधी स्वीकृति के लिए संदेशों को ऑनलाइन भेजे जाने की प्रणाली, आयात और निर्यात के लिए दस्तावेजों की संख्या को 3 तक सीमित करना, आयातों के संबंध में भुगतान करने और कारगर निगरानी के लिए डाटा प्रोसेसिंग हेतु 'आयात डाटा प्रोसेसिंग और प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस)' की स्थापना और निर्यात कंटेनरों के लिए 'गेट इन' समयावधि को 5 दिन से घटाकर 4 दिन किया जाना।

संविदाओं को लागू करना:-संविदाओं को लागू करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक प्रभाग पीठ और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग पीठ स्थापित की हैं।

क्रेडिट लेना:- संशोधित सारफेइस्ट अधिनियम 2002 में प्रतिभूत ऋणदाताओं को प्राथमिकता दी गई है जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को देय अन्य सभी ऋणों एवं समान राजस्व, कर, उपकर और अन्य दरों की तुलना में पहले भुगतान किए जाने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

कर भुगतान:-सरकार ने कर आधार को व्यापक बनाने के लक्ष्य से रैपिड नामक परियोजना शुरू की है। जिसमें कर अनुपालन को अधिक करदाता अनुकूल बनाने, पारदर्शी बनाने की दृष्टि से कर-सुधार करने के लिए ''राजस्व, जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना, डिजीटलीकरण'' को महत्व दिया जाएगा।

मेक इन इंडिया

8.15 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान और नव प्रवर्तन का वैश्विक केन्द्र तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। सरकार ने दस ''वैश्विक क्षेत्रों'' का पता लगाया है जिनमें वैश्विक चैम्पियन बनने, विनिर्माण में दो अंकों में वृद्धि करने तथा रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। मेक इन इंडिया संस्करण 2.0 के अंतर्गत नए सिरे से ध्यान देने के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों में पूंजीगत वस्तुएँ, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के पुर्जे, रक्षा और वातांतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, भेषजी और चिकित्सा उपकरण, रसायन, इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), चमड़ा और फुटवियर, वस्त्र और परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, पोत परिवहन और रेलवे शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति

8.16 मई, 2016 में सरकार ने पहली बार बौद्धिक संपदा हेतु भविष्य का खाका तैयार करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को अंगीकार किया। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा पारितन्त्र को सुधारना है। इसमें आशा की गई है कि देश में अभिनव परिवर्तनों का अभियान जन्म लेगा तथा उम्मीद है कि हम ''रचनात्मक भारत; अभिनव भारत'' की दिशा में अग्रसर होंगे। इस नीति के अनुमोदन और बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) के सृजन के बाद, आईपीआर और पेटेंट संबंधी कार्रवाइयों में पर्याप्त सुधार हुआ है। अप्रैल-अक्टूबर, 2017 में 45449 पेटेंट तथा 15627 कापीराइट दायर किए गए थे, जबकि 9847 पेटेंट तथा 3541 कापीराइट प्रदान किए गए थे।

स्टार्ट-अप इंडिया

8.17 देश के उद्यमी युवाओं के बीच अभिनव परिवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2015) को 'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य उस पारितन्त्र को सृजित करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के अनुकूल हो। स्टार्ट-अप इंडिया के लिए 19 कार्रवाई बिंदुओं वाली कार्य योजना 16 जनवरी, 2016 को प्रारंभ की गई थी। सरकार ने स्टार्ट-अप पर विनियमकारी बोझ कम करने की जरूरत को स्वीकार किया है और उन्हें 3 श्रम कानूनों और 6 पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत स्वयं-प्रमाणित अनुपालन की अनुमति प्रदान की है।

8.18 यह पहल स्टार्ट-अप को अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और अनुपालन लागत कम रखने में मदद देती है। स्टार्ट-अप इंडिया केंद्र-समस्त स्टार्ट-अप पारितन्त्र के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में विकसित किया गया है और यह ज्ञान के आदान-प्रदान के साथ-साथ निधियों की सुलभता निश्चित करता है। वित्तपोषण संबंधी सहायता और प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की संचित निधि के साथ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (एफएफएस) का गठन हुआ है और इसकी प्रबंध व्यवस्था सिडबी द्वारा की जा रही है। उद्योग-शिक्षण समाज की भागीदारी तथा इंक्यूबेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जैव-उद्यमिता, जैव क्लस्टर, जैव-इंक्यूबेटर को बढ़ावा देने और सुसाध्य बनाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यालय (टीटीओ) और जैव संपर्क कार्यालय देश भर के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्ट-अप को प्रारंभिक पूंजी और इक्विटी वित्तपोषण की सहायता भी दी जा रही है।

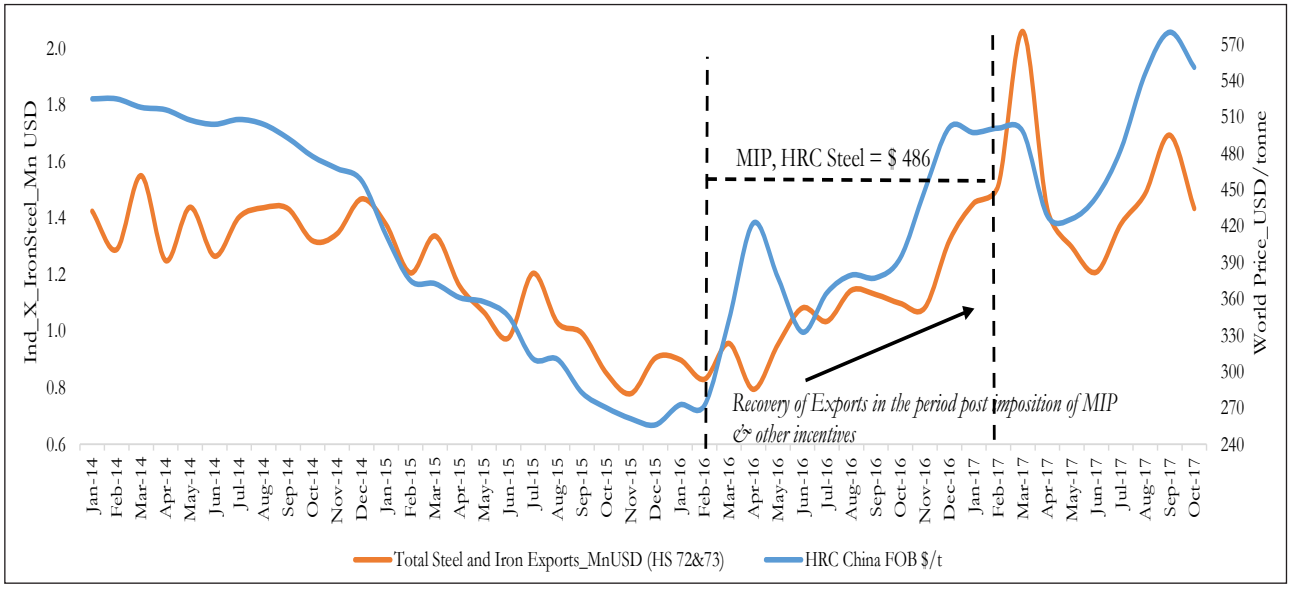
क्षेत्रवार मुद्दे और पहलें

इस्पात क्षेत्र

8.19 विश्व अर्थव्यवस्था में मंदन और इस्पात के उत्पादन में अधिक क्षमता की पृष्ठभूमि में भारत ने 2014-15 के प्रारंभ से ही चीन, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों से भारतीय बाजारों में कम कीमत पर सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि दर्शायी है। सस्ते इस्पात के आयात की इस डंपिंग ने घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसको दूर करने के लिए, बढ़ते हुए सीमा शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क के आरोपण के अलावा, बहुत सी मदों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) (एक वर्ष की समाप्ति अवधि के साथ) फरवरी, 2016 में शुरू किया गया था। इन उपायों ने घरेलू उत्पादकों की मदद की तथा फरवरी, 2016 से मार्च, 2017 तक निर्यात में सुधार हुआ। तत्पश्चात, निर्यात दोबारा कम होना शुरू हो गया (जैसाकि चित्र 1 में देखा जा सकता है)। सरकार ने फरवरी, 2017 में विभिन्न इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्कों तथा समतुल्य शुल्कों को अधिसूचित किया है, जो निम्नलिखित हैं:-

1. चीन में उत्पन्न तथा वहां से निर्यातित सीमलैस ट्यूब्स, लौहे के पाइप्स और मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के खोखले प्रोफाइल्स आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए गए हैं। सरकार ने एचआर कॉयल्स, एचआर प्लेट्स, सीआर उत्पादों, वायर रॉड और कलर कोटिड इस्पात पर भी एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।
2. सरकार ने चीन, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से सभी श्रेणियों/श्रृंखलाओं के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाया है।

चित्र 1. इस्पात का वैश्विक मूल्य, न्यूनतम आयात मूल्य तथा निर्यात



स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

8.20 विशेषकर जून, 2017 के बाद इसी समय पर चीन की इस्पात उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण कटौती के कारण इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। सरकार ने मई, 2017 में नई इस्पात नीति प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त, मई 2017 से घरेलू विनिर्मित चयनित लौह एवं इस्पात उत्पादन को वरीयता देने की नीति भी लागू की गई है। इस्पात की कीमतों की वैश्विक प्रवृत्तियों (जून, 2017 के बाद) के साथ सरकार द्वारा किये गये उपायों ने अप्रैल-दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान इस्पात के निर्यात में 52.9 प्रतिशत की वृद्धि की जबकि आयात केवल 10.9 प्रतिशत बढ़ा है (सारणी 6)।

सारणी 6 : इस्पात उत्पादन, आयात, निर्यात तथा उपभोग (अप्रैल-दिसंबर 2017)

तैयार इस्पात	मात्रा (मिलियन टन)*	वर्षानुवर्ष %
उत्पादन	79.3	5.6
आयात	6.1	10.9
निर्यात	7.6	52.9
उपयोग	64.9	5.2

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

एमएसएमई क्षेत्र

* अनंतिम

एमएसएमई क्षेत्र

8.21 देश के सकल मूल्यवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा लगभग 32 प्रतिशत है। भारत में एमएसएमई बड़े उद्योगों की अपेक्षा कम पूंजी लागत पर व्यापक पैमाने में रोजगार प्रदान करके तथा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्ष 2015-16 की अवधि में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार देश में 633.8 लाख असमायोजित गैर-कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं जिनके द्वारा 11.10 करोड़ कामगारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

8.22 एमएसएमई क्षेत्र व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऋण पाने के संबंध में एक प्रमुख समस्या का सामना करता है। बैंकों द्वारा संवितरित किये गये ऋण पर नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि नवंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार 26041 बिलियन रुपये के कुल बकाया ऋण में से 82.6 प्रतिशत की राशि बड़े उद्योगों को उधार दी गई थी। एमएसएमई ने कुल ऋण बकाया में से केवल 17.4 प्रतिशत प्राप्त किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण की वृद्धि 4.6 प्रतिशत बढ़ी जबकि मध्यम उद्योगों में यह ऋण 8.3 प्रतिशत कम हो गया (सारणी 7)।

सारणी 7. उद्योगों को बकाया ऋण (बिलियन रु.)

	नवम्बर 2016 के अंत में	नवम्बर 2017 के अंत में	वृद्धि दर %
उद्योग	**25,793**	**26,041**	**1.0**
किस्में			
सूक्ष्म और लघु	3,435	3,592	4.6
मध्यम	1,033	947	-8.3
बड़े	2,1325	21,502	0.8

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का उद्देश्य पारंपरिक दस्तकारों तथा बेरोजगार युवाओं को मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में संपार्श्विक रहित ऋण सुविधा (टर्म ऋण तथा/अथवा कार्यशील पूंजी) शामिल है जोकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)सहित अर्ह उधारदाता संस्थानों द्वारा नये तथा विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को उधार लेने वाली प्रति इकाई को 200 लाख रुपए तक कर दी गई है।

iii. क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है।

iv. सरकार ने सूक्ष्म उद्योग इकाइयों से संबंधित गतिविधियों के विकास और पुन: वित्तपोषण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाईनेसिंग एजेंसी (मुद्रा) का उद्देश्य गैर-कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करना है। सरकार ने मुद्रा बैंक भी स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 2016-17 के दौरान दिए गये ऋण ने 1.8 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। इस राशि में 1.23 लाख करोड़ रुपए बैंकों द्वारा उधार दिए गए जबकि लगभग 57,000 करोड़ रुपए गैर-बैंकिंग संस्थाओं ने उधार दिए। दिसंबर, 2017 में उधारकर्ताओं की कुल संख्या 10.1 करोड़ थी जिसमें से 7.6 करोड़ से अधिक महिला उधारकर्त्ता थीं।

वस्त्र और परिधान

8.23 वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निर्यात और रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, में वृद्धि के लिए जबर्दस्त संभावना है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक अवसरों का गवाह रहा है जिसमें चीन श्रम लागत बढने के कारण कपड़ा निर्यात में अपना बाजार हिस्सा गंवा रहा है। तथापि, भारत के प्रतियोगियों अर्थात् बांग्लादेश, वियतनाम, इथोपिया जिनका ईयू तथा यूएसए के बाजारों में शुल्क मुक्त प्रवेश है; मानव निर्मित रेशे की तुलना में कपास रेशे पर उच्च घरेलू कर, कड़े श्रम कानून; तथा उच्च संभार लागत (जैसा आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड 1, अध्याय 7 में चर्चा की गई है) होने के कारण भारत इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

8.24 इस समस्या से निपटने के लिए मंत्रिमंडल ने 22 जून 2016 को परिधान क्षेत्र के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के प्रमुख घटकों में 15% से 25% तक मशीनरी (फर्मों के अपेक्षित रोजगार उत्पन्न करने की शर्त पर) के रियायती आयात के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सब्सिडी; राज्य लेवी, जो पहले शुल्क वापसी के जरिए धन वापसी नहीं की गई थी, के लिए निर्यात पर राज्य लेवी की छूट का कार्यान्वयन; नये कामगारों के लिए नियोक्ता के पूरे इपीएफएस योगदान, 12 प्रतिशत का सरकार द्वारा वहन; आईएलओ मानदण्ड की तर्ज पर समयोपरि सीमा में बढ़ोत्तरी; तथा नियतकालिक रोजगार की शुरूआत करना शामिल था।

8.25 यह योजना नवंबर, 2016 से कार्यान्वित की गई। शुल्क वापसी के लिए वस्त्र मंत्रालय से केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को मार्च, 2017 में 400 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की गई जबकि 1554 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त मई, 2017 में जारी की गई।

8.26 सरकार ने दिसंबर, 2017 में वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना अनुमोदित की है। यह योजना 2017-18 से 2019-20 तक 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से लागू होगी। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

(एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानदण्ड के अनुसार वित्तपोषण से राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा।

8.27 निर्यात के संवर्धन हेतु पैकेज का प्रभाव अन्तर में भिन्नता तकनीक का उपयोग करके जांचा गया है, जैसाकि आर्थिक समीक्षा 2017-18, खंड 1, अध्याय 1, में चर्चा की गई। यह देखा गया था कि जून, 2016 में इसके कार्यान्वयन से पैकेज का मानवनिर्मित रेशे के बने बनाए परिधान (आरएमजी) के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जबकि ऊन को छोड़कर, अन्य प्राकृतिक रेशों के बने बनाये परिधानों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। पैकेज का प्रभाव समय के साथ-साथ बढ़ता गया है और इसमें कमी का कोई लक्षण नहीं देखा गया है।

चमड़ा क्षेत्र

8.28 कपड़ा क्षेत्र की तरह ही चमड़ा क्षेत्र भी उच्च रोजगार प्रधान क्षेत्र (जैसाकि आर्थिक समीक्षा 2016-17, खंड 1, अध्याय 7 में चर्चा की गई थी) है। वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह फुटवियर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अनुकुल समय है। तथापि, चुनौतियां विद्यमान हैं। फुटवियर की वैश्विक मांग गैर-चमड़ा फुटवियर की ओर बढ़ रही है जबकि भारतीय कर नीति चमड़ा फुटवियर उत्पादन का समर्थन करती है। भारत चमड़ा सामग्री तथा गैर-चमड़ा फुटवियर पर बहुत से विकसित देशों में उच्च सीमा टैरिफ का भी सामना करता है। श्रम और रोजगार के मुद्दों को भी हाल ही में सुलझाया गया है।

8.29 वस्त्र क्षेत्र के समान ही चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए एक योजना अनुमोदित की गई है जिसमें पूरे तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 में 2600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास, विशिष्ट रूप से चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण चिंताओं को सुलझाना, अतिरिक्त निवेश को सुगम बनाना, रोजगार सृजन तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी सम्मिलित हैं। बढ़ा हुआ कर प्रोत्साहन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा। इस क्षेत्र की मौसमी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार बड़े पैमाने की मितव्ययता पाने में सहायता करेगा। यह विशेष पैकेज 3 वर्षों में 3.24 लाख नये रोजगार सृजित करने तथा फुटवियर चमड़ा और सहायक क्षेत्र में संचयी प्रभाव के रूप में 2 लाख रोजगार के औपचारीकरण में सहायता करने की क्षमता रखता है। इस योजना में बेरोजगार व्यक्तियों को प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए सहायता प्रदान करना, नये संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन; विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण; कामन इफेल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का उन्नयन/संस्थापना के लिए सहायता; ब्रांड संवर्धन, तथा कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अभिदान करना, इत्यादि प्रस्तावित हैं।

रत्न और आभूषण

8.30 भारत रत्न और आभूषण के सबसे बडे निर्यातकों में से एक है। यह उद्योग देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है तथा यह निर्यात केन्द्रित तथा गहन रोजगार वाला क्षेत्र है। एनएसएसओ के 68वें दौर के अनुसार 2011-12 में 20.8 लाख व्यक्ति इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त हैं। इस क्षेत्र का निर्यात 2014-15 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 12.8 प्रतिशत हो गया है।

8.31 स्वर्णकार औजारों पर आयात शुल्क 30.15 प्रतिशत है। स्वर्ण आभूषण में शुल्क वापसी की दर आभूषण में सोने की मौजूदगी का 246.5 प्रतिशत है।

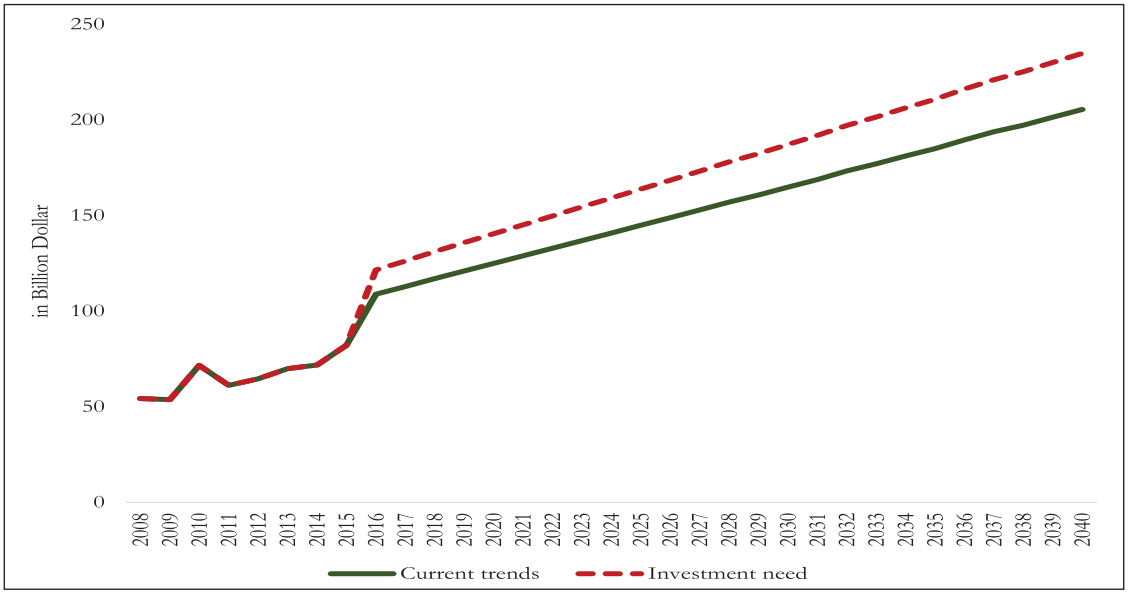
8.32 रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में जबर्दस्त गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लिये जा सकते हैं:

- आभूषण डिजाइनिंग में प्रशिक्षण के लिए सरकारी निजी भागीदारी प्रतिमान में संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आभूषण प्रशिक्षण संस्थान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र कौशल परिषद से संबद्ध किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आभूषण विर्निर्माण प्रोत्साहित करने के लिए रिफाइनरी, हालमार्किंग केन्द्र इत्यादि जैसी अवसरंचना स्थापित करना।
- बहुस्तरीय आभूषण पार्कों की स्थापना (निर्माताओं, साझा सेवाओं, परीक्षण, बैंकिंग, लाजिस्टिक सहायता इत्यादि को समायोजित करना) जिससे कि अधिक संगठित माहौल में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके।

अवसंरचना क्षेत्र

8.33 उच्च एवं धारणीय संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन, ऊर्जा, संचार, आवास एवं स्वच्छता तथा शहरी अवसंरचना में निवेश अच्छी तरह से आगे आ रहा है। अवसंरचना क्षेत्र में बढा हुआ निवेश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार सृजन करने में निश्चित

चित्र 2: अवसंरचना निवेश पूर्वानुमान



स्रोत: ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक, जी 20

रूप से मदद करेगा। जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 (खंड-II, अध्याय-8) में रेखांकित किया गया है, भारत उच्चस्तरीय परिवहन संबंधित अवसंरचना प्रदान करने के संबंध में बहुत सी उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में बहुत आगे है। तथापि, ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक यह दर्शाता है कि बढ़ रहा आय स्तर तथा आर्थिक सम्पन्नता से आने वाले 25 वर्षों में भारत में अवसंरचना निवेश के लिए मांग और बढ़ने की संभावना है। आर्थिक विकास तथा जन-समुदाय के क्षेम को सुधारने के लिए भारत में 2040 तक अवसंरचना विकास करने के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत 4.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अवसंरचना निवेश में से लगभग 3.9 ट्रिलियन अमरीकी डालर पूरा कर सकता है। वर्ष 2040 तक भारत के अवसंरचना निवेश अंतराल के लिए संचयी आंकड़ा लगभग 526 बिलियन अमरीकी डालर होगा।

8.34 चित्र-2 ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक तथा भारत में वर्तमान निवेश प्रवृत्ति द्वारा अनुमान लगाये गये वर्षानुवर्ष अवसंरचना निवेश की आवश्यकता को दर्शाता है। ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक दर्शाता है कि अपेक्षित अवसंरचना निवेश और निवेश की वर्तमान प्रवृत्ति के बीच आगामी वर्षों में यह अंतराल बढ़ने की उम्मीद है।

8.35 हाल ही में अवसंरचना पर अधिक निवेश करने पर ध्यान केन्द्रित करने से पहले तो अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में भारी कमी थी। निवेश में कमी के पीछे के कारणों में विशेषकर विद्युत और दूरसंचार परियोजनाओं में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) का ढह जाना; निजी कंपनियों के भारग्रस्त तुलनपत्र; भूमि और वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दे थे। इस समय की जरूरत निजी निवेश से वित्तपोषण, राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश बैंक (एनआईआईबी) जैसे अवसंरचना वित्तपोषण समर्पित संस्थानों तथा वैश्विक संस्थानों जैसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईजी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (पूर्ववर्ती ब्रिक्स बैंक), जो सतत विकास परियोजनाओं या अवसंरचना परियोजनाओं में अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, द्वारा अवसंरचना निवेश अंतराल पाटने की है।

सड़क क्षेत्र में नीतिगत उपाय

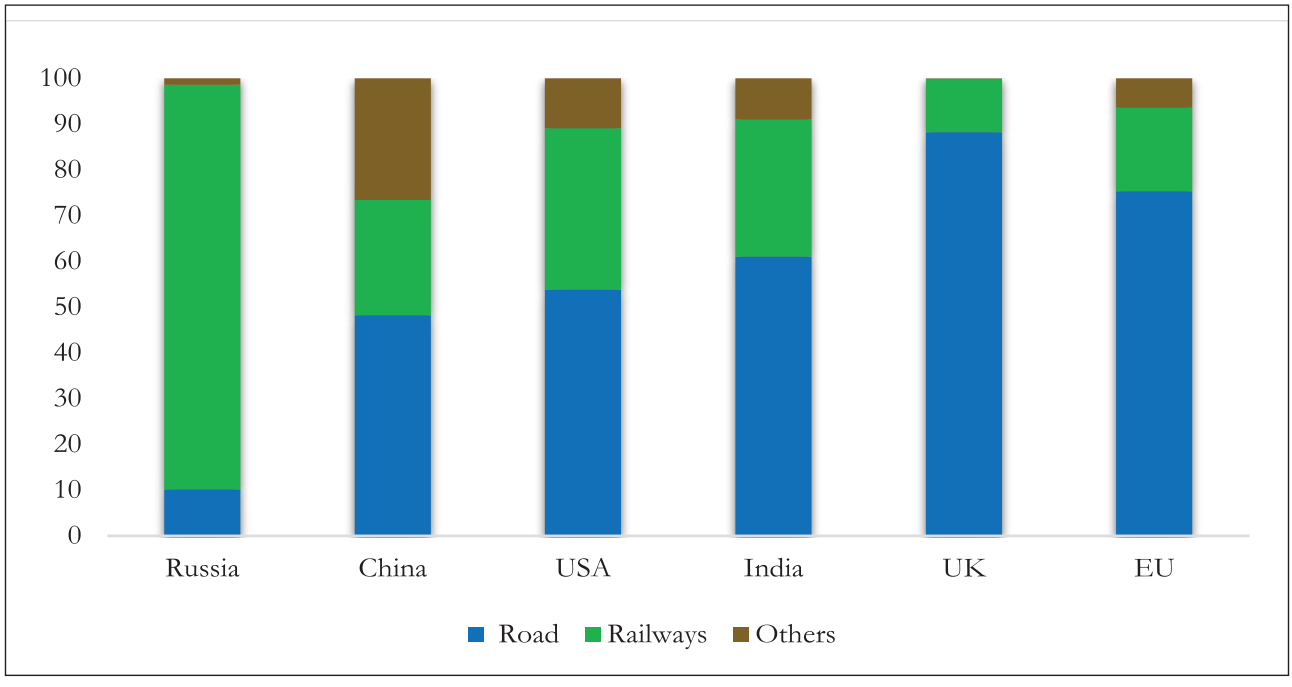
8.36 सड़क परिवहन यातायात हिस्से तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दोनों के संदर्भ में भारत में परिवहन की प्रमुख प्रणाली है। माल तथा यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास का संवर्धन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़क परिवहन ने यात्री तथा माल ढुलाई, दोनों में इसकी सुगम पहुंच, प्रचालन का लचीलापन, द्वार सेवा तथा विश्वसनीयता से अपनी महत्ती उपयोगिता बनाई है। भारत का 56.17 लाख कि.मी. से अधिक का एक सबसे बड़ा सड़क

सारणी 8: राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों की लंबाई

सड़क नेटवर्क	लंबाई
राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे	1,15,530
राज्य राजमार्ग *	1,76,166
अन्य सड़कें *	53,26,166
कुल	56,17,812

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
टिप्पणी: *2015-16 के अनुसार

चित्र 3: अंतर्देशीय माल ढुलाई में सड़क परिवहन मॉडल का हिस्सा



स्रोत: विश्व सड़क सांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ

नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार सारणी 8 सड़क मार्गों की लंबाई का वितरण दर्शाती है।

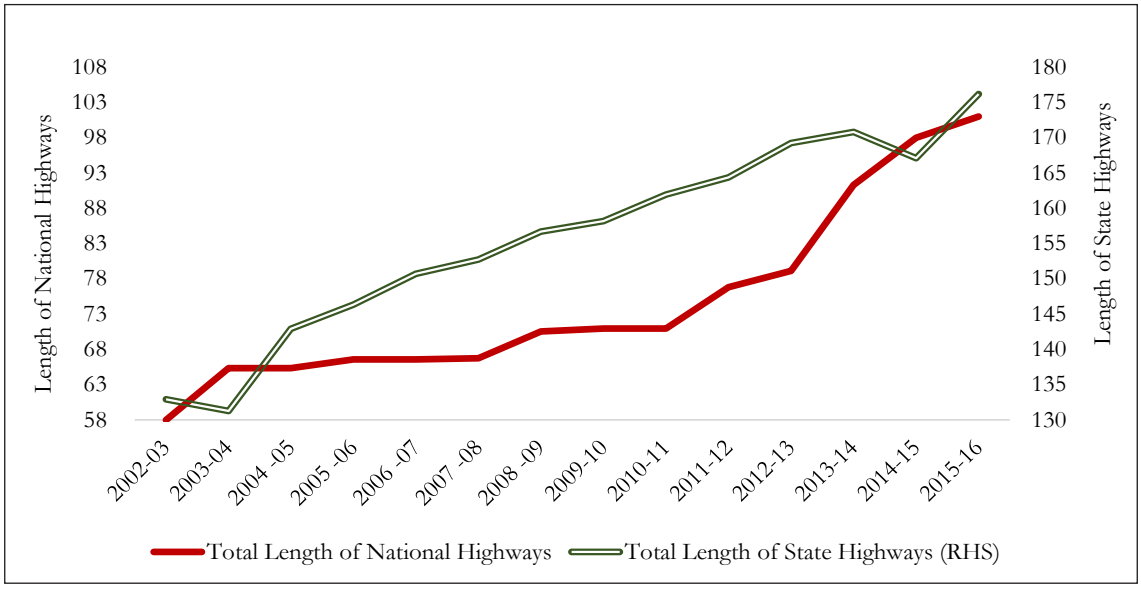
8.37 अंतर्देशीय माल ढुलाई के मामले में सड़क परिवहन का हिस्सा भारत में रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा रूस, चीन और सं.रा. अमेरीका से कहीं अधिक है (चित्र 3)।

8.38 वर्ष 2001 में सड़कों की कुल लंबाई 33,73,520 कि.मी. थी जिन पर 55 मिलियन वाहन थे। वर्ष 2016 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 56,17,812 कि.मी. हो गई जबकि मोटर वाहनों की कुल संख्या चार गुणा बढ़कर 229 मिलियन हो गई। वाहनों का संघटन यह दर्शाता है कि भारतीय सड़कों पर दुपहिया और सवारी कार, जीप और टैक्सी का हिस्सा बढ़ा है जबकि सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस और माल वाहकों का हिस्सा इस अवधि के दौरान कम हो गया है।

राज्य राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन

8.39 भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई का 2.06 प्रतिशत हैं। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तीव्र गति से बढ़ा है। हालांकि

चित्र 4: राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग की लंबाई (हजार कि.मी. में)



स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सारणी 9: राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित की गई राज्य सड़कों का ब्यौरा

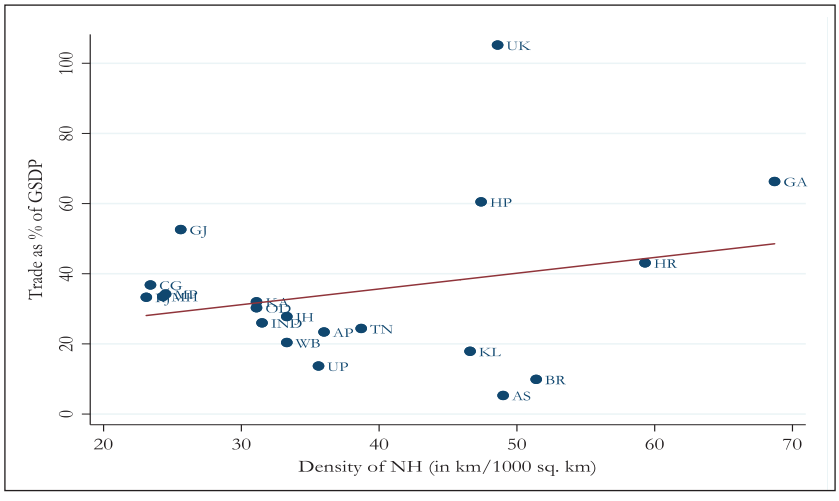
क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबाई (किमी. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	676
2.	असम	9
3.	बिहार	160
4.	हरियाणा	395
5.	हिमाचल प्रदेश	176
6.	जम्मू और कश्मीर	8
7.	कर्नाटक	70
8.	मध्य प्रदेश	9
9.	महाराष्ट्र	387
10.	ओडिशा	193
11.	पंजाब	530
12.	राजस्थान	20
13.	सिक्किम	154
14.	त्रिपुरा	228
15.	तेलंगाना	119
16.	पश्चिम बंगाल	46

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दर बढ़ रही है जबकि राज्य राजमार्गों की निर्माण दर गिर रही है (चित्र 4)।

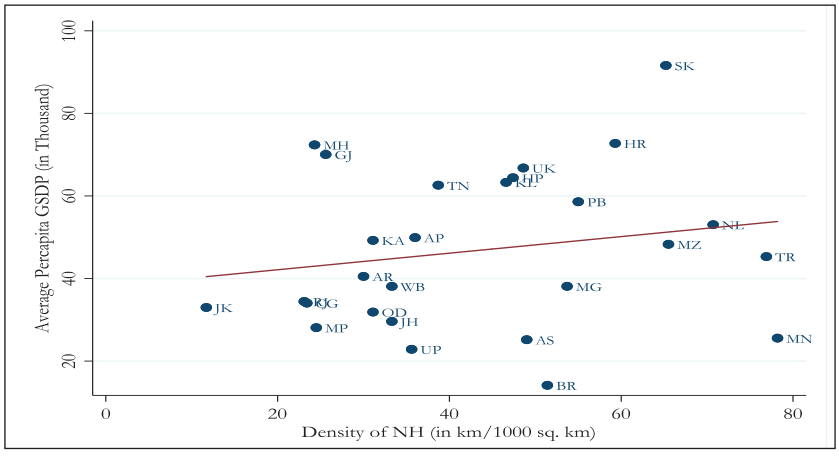
8.40 सरकार ने विभिन्न राज्यों से 64,000 कि.मी. से अधिक की राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त किये हैं जिसमें से मंत्रालय ने लगभग 10,000 कि.मी. के सड़क/मार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया है। अभी तक राज्य राजमार्ग के 3180 कि.मी. को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य सड़कों के राष्ट्रीय राजमार्ग में राज्यवार परिवर्तन सारणी 9 में दिखाए गए हैं।

चित्र 5: जीएसडीपी प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग के घनत्व तथा व्यापार का संबंध



स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

चित्र 6: राष्ट्रीय राजमार्ग के घनत्व तथा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के बीच संबंध



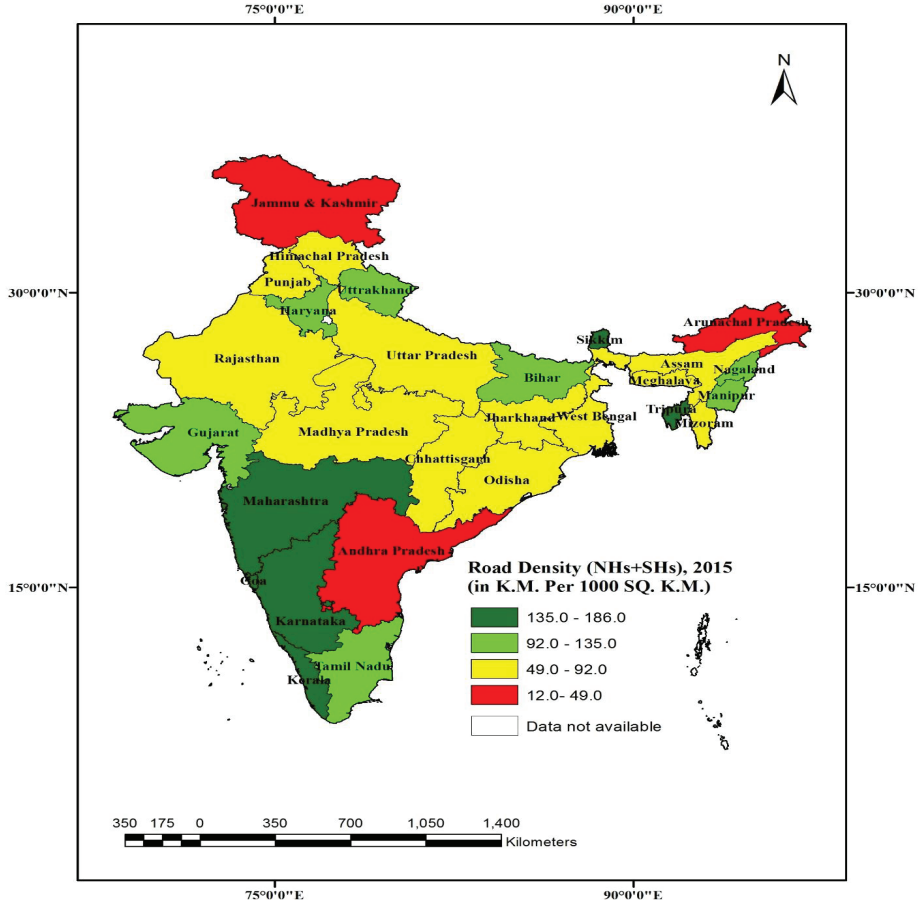
स्रोत: **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**

8.41 भारत की सड़क घनता, क्षेत्रफल के 1.66 कि.मी./वर्ग कि.मी. पर जापान (0.91 कि.मी./वर्ग कि.मी.) यू. एस.ए. (0.67 कि.मी./वर्ग कि.मी.), चीन (0.46 कि.मी./वर्ग कि.मी.), ब्राजील (0.18 कि.मी./वर्ग कि.मी.) तथा रूसी संघ (0.08 कि.मी./वर्ग कि.मी.) से बहुत अधिक थी। भारत में पक्की डामर वाली सड़कों की लंबाई, कुल सड़कों की लंबाई का 61 प्रतिशत थी जो कि यूनाइटेड किंगडम (100 प्रतिशत), कोरिया (83 प्रतिशत), रूस (71 प्रतिशत) तथा चीन (68 प्रतिशत) से बहुत कम थी। सरकार का भारतीय राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने से व्यापार और प्रति व्यक्ति आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दो रोचक संबंध निम्नानुसार स्थापित किये जा सकते हैं।

- भारतीय राज्यों में जितना अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व होगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में अंतर्राज्यीय व्यापार (निर्यात+आयात) उतना ही अधिक होगा (चित्र 5)[1]।
- भारतीय राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के घनत्व और प्रति व्यक्ति आय के बीच सकारात्मक संबंध है। जितना अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व उतनी अधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (चित्र 6)[2]।

1. यहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार घनत्व राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार आर्थिक समीक्षा 2016-17, खंड I से लिया गया है। इस चित्र में समीक्षा में राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और व्यापार के बीच संबंध दर्शाया गया है।
2. चित्र 6 राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य वार घनत्व और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादों के बीच संबंध दर्शाता है।

मानचित्र 1: भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) तथा राज्य राजमार्ग (एसएच) का घनत्व (क्षेत्रफल के कि.मी. प्रति हजार वर्ग कि.मी. में)



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

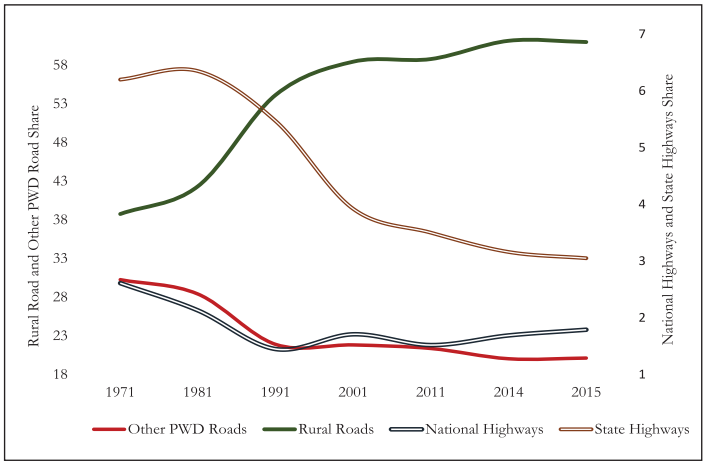
8.42 राष्ट्रीय राजमार्ग देश भर में मध्यम और लंबी दूरी के अंतर शहर यात्रियों और माल के यातायात को सुसाध्य बनाते हैं जबकि राज्यों के राजमार्ग राज्य के भीतर प्रमुख केन्द्रों के बीच यातायात के लिए आशयित हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा जैसे अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजमार्गों का घनत्व अधिक है। इनके बाद गुजरात, तमिलनाडू, बिहार, हरियाणा और अनेक पर्वतीय राज्यों का अनुक्रम आता है (मानचित्र-1)।

लोक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों, विशेषतया जिले की सड़कों के निर्माण की नीति

8.43 लोक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई और रखरखाव की गई जिले की सड़कें व ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। ये सड़कें विद्यालयों और चिकित्सा केन्द्रों तक पहुंच के साथ गांवों के कृषि व अन्य उत्पादों को आसपास के शहरों तक ढुलाई की पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। लोक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों, जो अंतरा-जिला आवागमन हेतु मुख्य सड़कों के रूप में कार्य करती हैं, का हिस्सा विगत समय में कम हुआ है (चित्र 7)। भारत में सड़क नेटवर्क में सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण सड़कों (61 प्रतिशत) का है। वर्ष 2015 में लोक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों का हिस्सा दूसरा सबसे बड़ा (20 प्रतिशत), शहरी सड़कें (9 प्रतिशत), परियोजनागत सड़कें (5 प्रतिशत), राज्यों के राजमार्ग (3 प्रतिशत) और राष्ट्रीय राजमार्ग (2 प्रतिशत) बैठता है।

8.44 सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बस्तियों को ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जोड़ रही है

चित्र 7: श्रेणियों के अनुसार सड़क नेटवर्क (प्रतिशत)

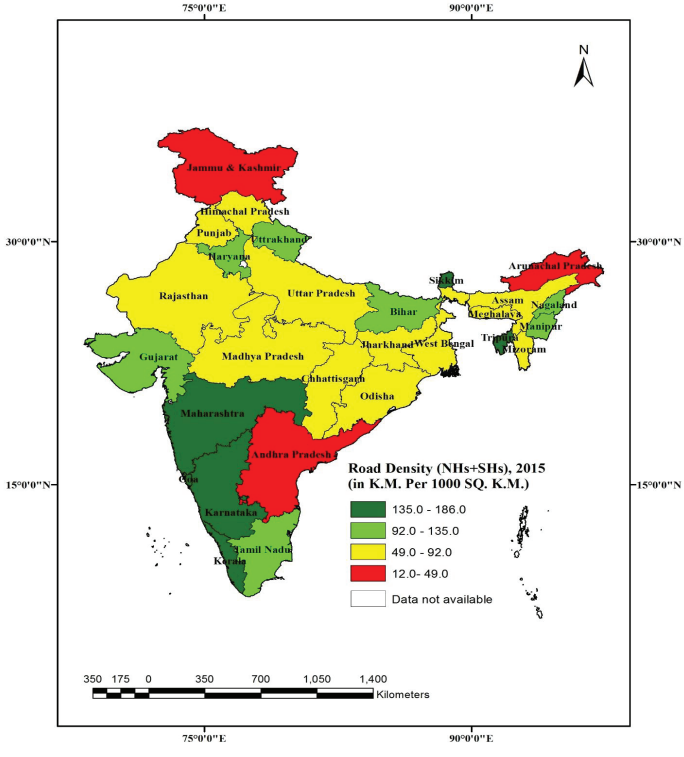


स्रोत: स्टेस्टिकल ईयर बुक, 2017, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। जिले की सड़कें प्रमुख सड़कों और ग्रामीण सड़कों के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मानचित्र-2 भारतीय राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का घनत्व दर्शाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का घनत्व बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अधिक है; जबकि यह घनत्व जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल और अरूणाचल प्रदेश में कम है। गुजरात, केरल जैसे तुलनात्मक विकसित राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों का घनत्व अधिक है, जबकि इन राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों का घनत्व कम है।

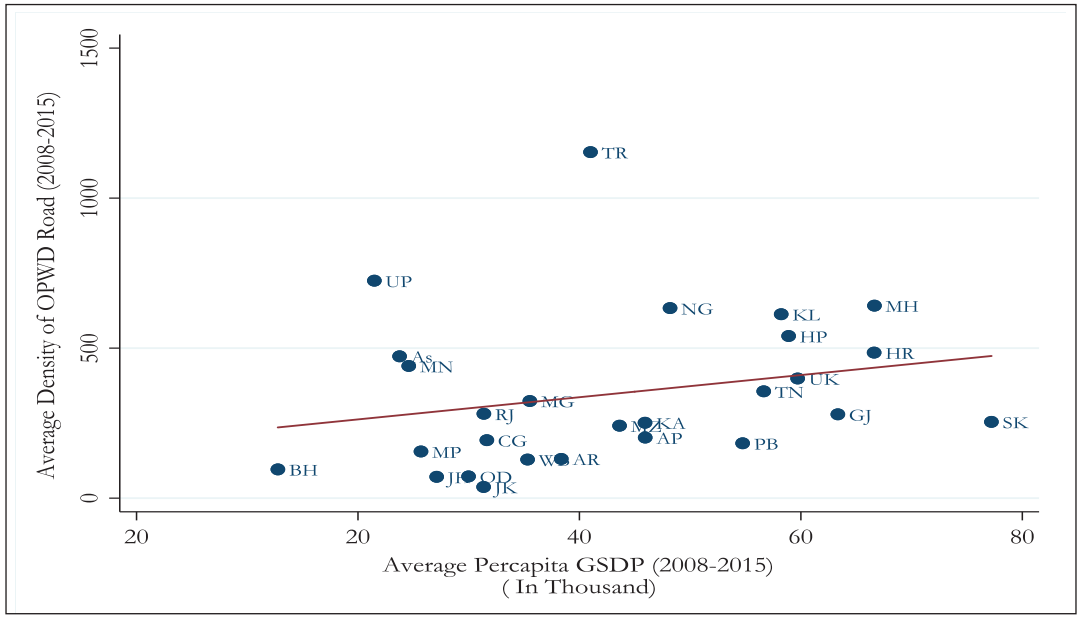
8.45 भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और

मानचित्र 2: भारत में पीएमजीएसवाई सड़क का घनत्व (क्षेत्रफल के कि.मी. प्रति हजार वर्ग कि.मी. में)



***स्रोत:* सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

चित्र 8: प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तथा ओपीडब्ल्यू की सड़क के घनत्व के बीच संबंध



स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

ओपीडब्ल्यूडी सड़कों के घनत्व के बीच सकारात्मक संबंध है (चित्र 8)। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे कई निम्न प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले अल्प विकसित राज्यों में ओपीडब्ल्यूडी/जिला सड़कों का घनत्व बहुत कम है। असल में, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर के कई राज्यों में यह घनत्व अधिक है। जिला मुख्यालय और मंडियों आदि तक पहुंच की व्यवस्था करने और आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए राज्यों के राजमार्गों को संपर्क सुसाध्य बनाने के लिए विशेष परियोजनाओं के जरिए जिले की सड़कों सहित ओपीडब्ल्यूडी सड़कें बनाने की जरूरत है।

सड़क क्षेत्र में रुकी हुई परियोजनाएं और एनपीए की स्थिति

8.46 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रों में कुल 1263 चालू निगरानीगत परियोजनाओं में से 3,17,373.9 करोड़ रुपए की (मूल) लागत वाली 482 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्गों की हैं। इनमें से 43 परियोजनाएं लागत वृद्धि और 74 परियोजनाएं निर्माण काल में वृद्धि का सामना कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में चल रही कुछ परियोजनाएं मुख्यतया, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं में बदलाव, ठेकदारों का घटिया प्रदर्शन, पर्यावरण/वन/वन्यजीव स्वीकृतियों, रेलवे के साथ सड़क ऊपरीगामी पुलों (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुलों (आरयूबी) के मुद्दे, अतिरिक्त सुविधाओं हेतु जनता के आंदोलन और ठेकेदारों के साथ विवाचन/संविदात्मक विवाद, आदि की समस्याओं के कारण हैं।

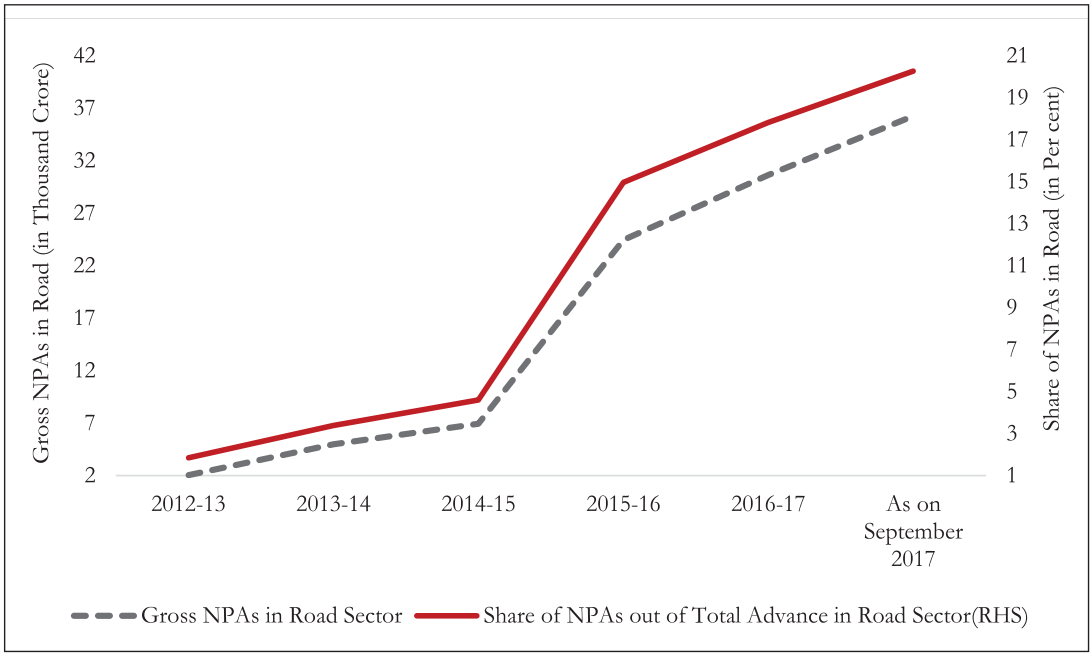
8.47 वर्ष 2012-13 के दौरान सड़क क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 1,27,430 करोड़ रुपए था जो सितंबर 2017-18 में बढ़कर 1,80,277 करोड़ रुपए हो गया है। सड़क क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण में से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) का हिस्सा 2012-13 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2017-18 में 20.3 प्रतिशत हो गया है (चित्र 9)।

राष्ट्रीय राजमार्गों की रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु किए गए उपाय

8.48 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रूकी हुई परियोजनाओं की मानीटरिंग कर रहे हैं। जहां कहीं वास्तविक कार्य पूर्ण होना तय हो गया है वहां रूकी हुई परियोजनाओं के पुनरूद्धार हेतु एनएचएआई द्वारा एकबारगी निधियों का निवेश किया जाता है। इन निधियों की व्यवस्था सड़कों के विकास हेतु एनएचएआई के पास रखी सांझी निधि से की जाती है।

8.49 इसके अतिरिक्त, विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने

चित्र 9 : सड़क क्षेत्र में कुल अग्रिम राशि में से एनपीए का हिस्सा



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

में तेजी लाने के लिए परियोजना निर्माताओं, राज्य सरकारों व ठेकेदारों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृतियों को सरल व कारगर बनाने, इक्विटी निवेशकों की निकासी, प्रीमियम का पुन: निर्धारण, विवाद निपटान तंत्र में सुधार और विभिन्न स्तरों पर बार-बार पुनरीक्षा करने के अनेक उपाय किए गए हैं।

8.50 परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुसाध्य बनाने के लिए इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) की बजाय संकर वार्षिकी मॉडल (एचएएम) अपनाया गया है। एचएएम के अंतर्गत पूंजी व्यय आस्थगित कर दिया जाता है (बॉक्स 8.2) और इससे ईपीसी मोड में परियोजनाओं की तुलना में निर्माण के वर्षों के दौरान निधियों की कम राशि की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त, टोल-संचलन-अंतरण (टीओटी) माडल, टोल राजस्व का प्रतिभूतिकरण, 'अवसंरचना निवेश न्यास' मार्ग अपनाकर जीवन बीमा निगम, दीर्घावधिक पेंशन निधियों आदि सहित अन्य नवीन वित्त पोषण विकल्पों के जरिए परियोजनाओं के मुद्रीकरण जैसी पहलें की गई हैं ताकि पहले से प्रचालनरत परियोजनाओं के बल पर बाजार से नई पूंजी आकर्षित की जा सके। अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेपों के चलते लगभग 88 प्रतिशत परियोजनाएं ठीक रास्ते पर आ गई है अथवा समुचित रूप से पुन: तैयार और पुन: संरचित की गई हैं। रूकी हुई परियोजनाओं की कुल संख्या घटकर तीन रह गई है।

भारत माला परियोजना

8.51 भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए नया सर्वसमाहक (अंब्रेला) कार्यक्रम है जो आर्थिक कारीडोर, अंतर कारीडोर और फीडर मार्गों के निर्माण, राष्ट्रीय कारीडोर दक्षता सुधार, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें तथा ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के जरिए महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरों को पाटते हुए देश भर में माल और यात्री आवागमन की दक्षता इष्टतम करने पर केंद्रित होगी। चरण-1 में कुल लगभग 24,800 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चरण-1 में एनएचडीपी के अंतर्गत 10,000 किलोमीटर के शेष सड़क निर्माण कार्य भी शामिल हैं। चरण-1 के लिए अनुमानित परिव्यय 5,35,000 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र राजमार्ग निर्माण/सुधार कार्यक्रम हेतु अधिकतम संसाधन आवंटन प्राप्त करना है।

रेलवे

8.52 सरकार परिवहन के अन्य साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विभिन्न परिवर्तनकारी उपायों की

बॉक्स 8.2. संकर वार्षिकी मॉडल (हैम)

संकर वार्षिकी मॉडल (हैम) दो मॉडलों अर्थात ईपीसी (इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण) मॉडल और बोट-वार्षिकी (बनाओं, चलाओ, अंतरण) मॉडल का संगम है। ईपीसी मॉडल के अंतर्गत निजी निर्माता सड़कों का निर्माण करते हैं और इनकी सड़कों के स्वामित्व, टोल संग्रहण अथवा रखरखाव में कोई भूमिका नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निजी निर्माताओं को सड़क के निर्माण हेतु भुगतान करता है। सरकार इस सड़क के पूर्ण स्वामित्व के चलते टोल संग्रहण की पूरी देख भाल और सड़क का रखरखाव करती है।

बीओटी मॉडल के अंतर्गत निजी निर्माताओं की सड़क निर्माण, प्रचालन और सड़क के रखरखाव की करार के अनुसार निर्दिष्ट वर्षों तक सक्रिय भूमिका होती है। प्रचालन के वर्ष पूरे होने पर निजी निर्माता यह परिसंपत्ति सरकार को लौटा देते हैं। बीओटी के अंतर्गत सहमति के अनुसार निजी निर्माता टोल राजस्व (बीओटी टोल मॉडल) अथवा सरकार से वार्षिकी फीस (बीओटी वार्षिकी मॉडल), का संग्रहण करके परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण की सारी व्यवस्था करते हैं। बीओटी वार्षिकी मॉडल में टोल राजस्व जोखिम सरकार द्वारा उठाया जाता है। सरकार निजी निर्माताओं को सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए पूर्व निर्धारित वार्षिकी देती है।

हैम ईपीसी (40 प्रतिशत) और बीओटी-वार्षिकी (60 प्रतिशत) मॉडल से मिलकर बना है। सरकार की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत मीलस्टोन से जुड़ी पांच किस्तों में जारी करता है। शेष 60 प्रतिशत की व्यवस्था निर्माता द्वारा स्वयं की जाती है। निर्माता सामान्यतया परियोजना लागत के 20-25 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करता है बल्कि शेष ऋण से जुटाता है।

बीओटी टोल माडल में निजी निर्माता निवेश की अपनी इच्छा नहीं दर्शाते थे क्योंकि उन्हें या तो इक्विटी अंशदान अथवा ऋण के जरिए समूचे वित्तपोषण की पूर्ण व्यवस्था करनी होती थी। एनपीए से जूझ रहे बैंक इन परियोजनाओं हेतु उधार देने के अनिच्छुक होते थे। चूंकि वार्षिकी जैसे क्षतिपूर्ति ढांचे की व्यवस्था नहीं थी, इन निर्माताओं को निम्न यातायात वाली परियोजनाओं में पूरा जोखिम लेना होता था। हैम माडल की बात बेहतर वित्तीय तंत्र की जरूरत के कारण उत्पन्न हुई, जहां जोखिम निर्माताओं और सरकार के बीच रहेगा।

पहल कर रही है ताकि रेलवे को सही मार्ग पर बनाए रखा जा सके। ये उपाय महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर, हाई स्पीड रेल, उच्च क्षमता का चल स्टाक, अंतिम छोर तक रेल संपर्क, पत्तन संपर्क में निवेशों को प्राथमिकता देना और निजी व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित हैं। वर्ष 2017-18 (सितंबर 2017 तक) के दौरान भारतीय रेलवे ने राजस्व अर्जन के 2016-17 (सितंबर 2016 तक) 531.23 मिलियन टन की तुलना में 558.10 मिलियन टन की ढुलाई की है। यहां 5.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

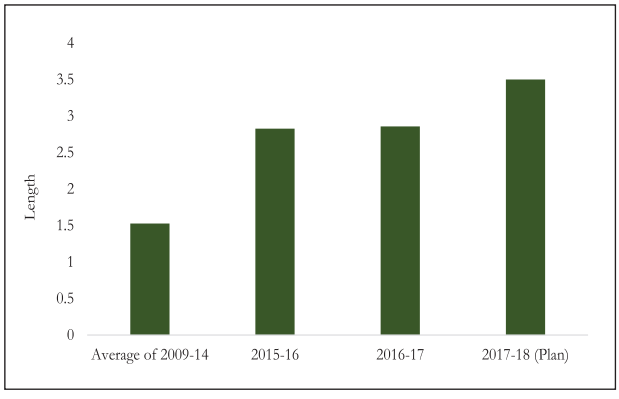
8.53 माल ढुलाई में भारतीय रेलवे का हिस्सा विगत अवधि में गिरता रहा है जो मुख्यतया गैर-प्रतिस्पर्धी टैरिफ संरचना के कारण है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्री किराया कमोबेस बराबर बना हुआ है जबकि माल भाड़े में तीव्र वृद्धि हुई है। रेलवे परिवहन को आकर्षक बनाने और रेलवे के हिस्से में अधोगामी प्रवृत्ति रोकने के लिए 2016-17 में अनेक पहलें की गई थी जिनमें टैरिफ यौक्तिकरण, नई वस्तुओं का वर्गीकरण, स्टेशन-दर-स्टेशन की दरों हेतु नए नीतिगत मार्गनिर्देश, आधानीकरण के जरिए माल भाड़ा समूह का विस्तार, लौह अयस्क के निर्यात हेतु दोहरी मालभाड़ा नीति वापिस लेना, कोयला टैरिफ का यौक्तिकरण, मेरी गो राउंड (एमजीआर) प्रणाली के नीतिगत मार्ग निर्देश, खुले व समतल वैगनों में बोराबंद सामान की लदाई में छूट, रोल-आन, रोल-आफ (रो-रो) सेवाओं जैसे वितरण के नए माडल, अल्प सीमा रियायत की पुनः शुरूआत और प्रभार हेतु न्यूनतम दूरी में कमी, मालभाड़ा व्यवसाय में डिजीटल भुगतान, दीर्घावधिक टैरिफ संविदा नीति (जो ग्राहकों को टैरिफ स्थायित्व और आकर्षक छूट की व्यवस्था करेगी) और खाली प्रवाह वाली दिशा में लदे हुए यातायात हेतु उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा छूट योजना, आदि शामिल हैं।

8.54 उपर्युक्त पहलों के अतिरिक्त, सरकार ने रेलवे के अवसंरचना विकास पर बल दिया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान ब्राड ग्रेज लाइनें चालू करने और विद्युतीकरण पूरा करने की गति बढ़ाई गई है (चित्र 10)। पिछले तीन वर्ष के दौरान पूंजी निवेश भी बढ़ाया गया है (चित्र 11)।

स्टेशनों के पुनर्विकास संबंधी अवसंरचना की स्थिति

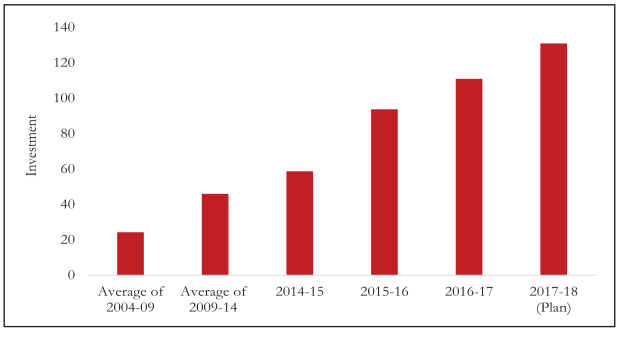
8.55 'स्टेशनों का पुनर्विकास' देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु यात्री-किराया राजस्व सृजित नहीं करने वाली सबसे बड़ी परियोजना है और इसे अवसंरचना उप-क्षेत्रों की

चित्र 10: शुरू हो चुकी ब्राड गेज लाइन (हजार कि.मी.)



स्रोत: रेल मंत्रालय

चित्र 11: पूंजी निवेश (हजार करोड़ रु. में)



स्रोत: रेल मंत्रालय

सुमेलित सूची में शामिल किया गया है। स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम में स्टेशनों की खाली हो सकने वाली जगहों के अंदर और उनके आसपास रेलवे की भूमि का वाणिज्यिक विकास किए जाने की परिकल्पना की गई है। पुनर्विकसित किए जाने वाले स्टेशन यात्रियों को विश्वस्तर की सुविधाएं व सेवाएं मुहैया कराएंगे। स्टेशन पुन: विकास विभिन्न तरीकों के माध्यम से किया गया है, जैसे जोनल रेलवे, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कारपोरेशन लि., जे.वी. और स्मार्ट सिटी एस.पी.वी., रेलवे पी.एस.यू. तथा राज्य सरकारों के सहयोग से।

8.56 इससे भी बढ़कर, स्टेशनों के आसपास किया गये वाणिज्यिक विकास उस शहर के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएंगे और वाणिज्यिक व अतिथ्य विकास गुणवत्तापूर्ण खुदरा, की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त, पुनर्विकसित स्टेशन डिजीटल साइन बोर्ड, एस्केलेटर/एलीवेटर, सेल्फ टिकेटिंग काउंटर, एक्जीक्यूटिव लाउंज, सामान की स्क्रीनिंग की मशीनें, वॉक वे, यात्रियों को रोके रखने की सुविधाएं, छतों और फर्शों की भव्य एवं विशिष्ट रचनाएं तथा भुगतान पर एवं निशुल्क वाइ-फाई जैसी व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे। स्मार्ट शहरों के रूप में पहचाने गए शहरों में स्टेशन पुन: विकास परियोजनाओं के समेकित नियोजन के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी कार्य मन्त्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण एन.वी.सी.सी. (इंडिया) लि. द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना के अन्तर्गत पुन: विकास के लिए 10 स्टेशनों को चुना गया है।

मेट्रो रेल तंत्र

8.57 तेजी से होते शहरीकरण ने जन सुविधाओं और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढ़ांचे की मांग में बढ़ोतरी की है। अधिक क्षमता वाली रेल आधारित जन परिवहन प्रणाली, जिसे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, को शहरी परिवहन की समस्या के समाधान के रूप में देश भर में तेजी से स्वीकारा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद, अनेक शहरों में मेट्रो रेल तंत्र को कार्यान्वित किया गया है अथवा वहां इसकी योजना बना रही है। भारत सरकार मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित जन परिवहन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहरों को वित्तीय सहायता दे रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और कोच्ची जैसे शहरों में इस समय 425 कि॰मी॰ लम्बा मेट्रो रेल तंत्र प्रचालित है और विभिन्न शहरों में दिसम्बर 2017 तक लगभग और 684 कि॰मी॰ अभी निर्माणाधीन है।

8.58 चूंकि मेट्रो रेल परियोजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगती है इसलिए केवल सरकारी खजाने से मेट्रो रेल परियोजनाओं को वित्त पोषित करना कठिन है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने देश में मेट्रो रेल के विस्तार के लिए एक पारितन्त्र स्थापित करने की दृष्टि से मेट्रो रेल नीति 2017 अधिसूचित की है। इस नीति में अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से लिए गए सबक शामिल हैं और यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने में व्याप्त अंतराल को पाटती है।

नागर विमानन

8.59 भारत बेची गई घरेलू टिकटों के संदर्भ में विश्वभर में तीसरा सबसे बड़ा और सर्वाधिक तेजी से बढ़ता घरेलू विमानन बाजार है। वर्ष 2016-17 में घरेलू यात्री प्रस्थान में

वार्षिक वृद्धि 23.5 प्रतिशत थी जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में यह वृद्धि 3.3 प्रतिशत और चीन में 10.7 प्रतिशत थी।

8.60 घरेलू यात्री यातायात में 2007-08 से 2016-17 के दौरान 9.89 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) में, घरेलू एयरलाइनों में 57.5 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। अनुसूचित भारतीय और विदेशी कैरियरों ने भारत आने-जाने वाले 29.2 मिलियन यात्रियों की यात्रा सुसाध्य बनाई और इस में पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। इस अवधि में, ढुलाई किया गया घरेलू हवाई कार्गो 0.61 मिलियन मी. टन रहा जो पिछले वर्ष की तद्नुरूप समयावधि की तुलना में 10.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो 1.07 मिलियन मी॰ टन रहा जो 19.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए हालिया उपाय निम्नानुसार हैं:

क्षेत्रीय संपर्क योजना–'उड़े देश का आम नागरिक' (आरसीएस-उड़ान)

8.61 क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में जनता के लिए विमान सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए अक्टूबर, 2016 में आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की गई। यह योजना बाजार आधारित क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने की विश्वस्तर की अपने किस्म की पहली योजना है। 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने आरसीएस-उड़ान के तहत केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए हैं। निजी क्षेत्र की अनेक एयरलाइनें इस योजना में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

विमानपत्तन विकास

8.62 50 असेवित और अल्पसेवित विमान पत्तनों/एयरस्ट्रिप के पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की बजटीय सहायता से किया गया है और यह कार्य दिसंबर, 2018 तक पूरा किया जाएगा। एयरस्ट्रिप/विमान पत्तनों का पुनरुद्धार ''मांग प्रेरित'' होगा, जो एयरलाइन प्रचालकों तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई दृढ़ वचनबद्धता पर निर्भर करेगा।

8.63 सरकार ने देश में 18 ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया है। इनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, हसन और शिमोगा, केरल में कन्नूर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, मध्यप्रदेश में डाबरा, सिक्किम में पाकयोंग, पुदुच्चेरी में कराईकाल, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गुजरात में धोलरा और आंध्र प्रदेश में डगधरती मेंडल, भोगपुरम और ओरवाकल्लू शामिल हैं। सरकार ने इन 5 ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के लिए ''स्थल संबंधी स्वीकृति'' दे दी है: पंजाब में मछीवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, झारखंड में जमशेदपुर, राजस्थान में अलवर और तेलंगाना में कोठागुडम।

विमान सेवाओं का उदारीकरण

8.64 भारत-अफगानिस्तान विमान माल ढुलाई गलियारा: अफगानिस्तान और भारत के बीच हवाई भाड़ा गलियारा स्थापित करने से संबंधित निर्णय सितंबर, 2016 में लिया गया था। यह गलियारा अफगानिस्तान को, जो भूमि से घिरा एक देश है, विशेषकर जल्दी नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं के लिए भारत में बाजार उपलब्ध कराएगा और अफगान व्यापारियों को भारत के आर्थिक विकास और व्यापार नेटवर्कों से अपने लाभार्थ फायदा उठाने का अवसर देगा।

8.65 भारत और सर्बिया के बीच वायु सेवा करार: दिनांक 31.01.2003 को हस्ताक्षरित करार को और उदार बनाया गया है और मई, 2017 में इसे अद्यतन रूप दिया गया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और बढ़ावा दिया जा सके। यह करार अधिक सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करते हुए दोनों देशों की वायु कैरियर सेवाओं के लिए अधिक संपर्क सुविधा और वाणिज्यिक अवसरों का समर्थकारी माहौल देगा।

पोत परिवहन

8.66 पोत परिवहन किसी भी देश के वस्तु व्यापार का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। मात्रा के संदर्भ में भारत के व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 68 प्रतिशत व्यापार का परिवहन समुद्र के जरिए होता है। 31 अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, भारत के पास 18.59 मिलियन (12.23 मिलियन जीटी) के डेड वेट टनेज वाला 1,359 पोत बेड़ा है जिसमें भारतीय नियंत्रणाधीन टनेज भी शामिल है और इसमें भारतीय पोत परिवहन निगम लगभग 34 प्रतिशत, अधिकतम हिस्सा है। इसमें से 16.98 मिलियन डीडब्ल्यूटी (10.77 मिलियन जीटी) के लगभग 437 पोत भारत के महासागरीय व्यापार को संचालित करते हैं और शेष पोत तटीय व्यापार से जुड़े कार्य करते हैं।

8.67 भारतीय टनेज की वृद्धि के लिए और भारतीय व्यापार में भारतीय जहाजों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के

लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें भारतीय ध्वज वाले जहाजों में इस्तेमाल किए गए बंकर फ्यूल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है; विदेशी ध्वज वाले जहाजों की तुलना में भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर रोजगाररत भारतीय नाविकों की कर-व्यवस्था में भी समता लाई गई है; भारतीय नियंत्रणाधीन टनेज (आईसीटी) योजना के बाधारहित कार्यान्वयन हेतु मौजूद अड़चनों को हटाया गया है जो भारतीय कंपनियों को विदेशी ध्वज वाले जहाजों के स्वामित्व की अनुमति देती है; और पोत के पंजीकरण, चार्टरिंग की अनुमति प्राप्त करने और चार्टरिंग फीस को ऑनलाइन अदा करने जैसी प्रक्रियात्मक अनुपालन संबंधी कार्यों को आसान बनाया गया है।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग के लिए गुंजाइश

8.68 पोत निर्माण एक विनिर्माण उद्योग है जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लगभग 65 प्रतिशत मूल्यवर्धन अन्य प्रौद्योगिकीय/सहायक उद्योगों से आता है। भारत में 27 शिपयार्ड हैं जिनमें 6 केंद्र सरकारी क्षेत्र, 2 राज्य सरकारों के अंतर्गत और 19 शिपयार्ड निजी क्षेत्र उपक्रमों के तहत हैं। पोत निर्माण उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। लेकिन, पिछले वर्षों में इस उद्योग ने अपने आसपास बड़ी संख्या में सहायक यूनिटों और उन संविदाकारों का विकास किया है जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं।

8.69 वैश्विक स्तर पर, पोत निर्माण उद्योग में तीन देशों का प्रभुत्व है नामत: दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, जो मिलकर पोत निर्माण उद्योग के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर अधिकार रखते हैं। पोत निर्माण से जुड़े प्रमुख राष्ट्र प्रत्यक्ष वित्तपोषण और राजकोषीय प्रोत्साहन देकर अपने उद्योग को सहायता देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर बहुत अनुकूल स्थिति में अवस्थित है, जहां यह व्यापार मार्ग पर पश्चिम से पूर्व को आ रहे जहाजों को अपनी पोत-मरम्मत गतिविधि के लिए आकर्षित कर सकता है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल अवस्थिति, श्रम बल की प्रचुरता और कार्य की गुणवत्ता पोत मरम्मत के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण आधार है। पोत निर्माण उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है जिससे लाभ उठाया जा सकता है, जो न सिर्फ मजबूत विनिर्माण आधार का निर्माण करेगी बल्कि लाखों नौकरियां भी सृजित करेगी।

पत्तन विकास

8.70 वर्ष 2016-17 में, भारतीय पत्तनों पर कार्गो ट्रैफिक में 5.9 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई जहां प्रमुख पत्तनों पर 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और गौण पत्तनों पर 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 में (31.10.2017 तक) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो ट्रैफिक 382.91 मिलियन टन रहा जबकि वर्ष 2016-17 की तदनुरूप अवधि में यह आंकड़ा 370.81 मिलियन टन रहा था। वर्ष 2017-18 में, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 80 एमएमटीपीए की क्षमता वर्धन वाली परियोजनाएं अभी निर्माण हेतु सौंपी जानी हैं। इनमें से, लगभग 2050 करोड़ रुपए के निवेश वाली और 18 एमएमटीपीए क्षमता वर्धन की 12 परियोजनाएं पहले ही निर्माणाधीन हैं (31.10.2017 की स्थिति के अनुसार)।

8.71 इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रमुख पत्तनों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क. प्रमुख पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है और 116 कार्यों की पहचान की गई जिसमें से 86 कार्य लागू किए जा चुके हैं और शेष वर्ष 2019 तक कार्यान्वित कर दिए जाएंगे।

ख. प्रमुख पत्तनों के संस्थागत ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 दिनांक 16.12.2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। बाद में इसे विभागीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया जिसने जुलाई, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

ग. जहाजों के रुकने के समय को कम करने, कार्य सम्पादन के समय को कम करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए 9 प्रमुख पत्तनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (आरएफआईडी) प्रचालित किए गए हैं। शेष प्रमुख पत्तनों पर आरएफआईडी प्रचालित करने की प्रक्रिया चल रही है जो मार्च, 2018 तक पूरी हो जाएगी।

घ. एग्जिम कंटेनरों के लिए प्रमुख पत्तनों पर प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी और प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश की सुविधा शुरू की गई है।

सागरमाला कार्यक्रम

8.72 सागरमाला कार्यक्रम देश में पत्तन प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभाव्य रूप से परिवहन योग्य जलमार्ग और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अनुकूल अवस्थिति का लाभ उठाया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम से कम अवसंरचना निवेश करते हुए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के लिए संभारिकी

लागत को कम करना है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, अगले 20 वर्षों में लागू किए जाने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संभावित निवेश की 508 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 2.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 289 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों पर हैं। ये परियोजनाएं मुख्यत: निजी अथवा पीपीपी मोड के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। सागरमाला के बजट शीर्ष के तहत, वर्ष 2017-18 के लिए 945.74 करोड़ रुपए की कुल राशि मंजूर की गई है और 49 परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए 644.96 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

8.73 फिर भी, वर्ष 2025 तक, 2500 एमएमटीपीए के संभावित यातायात की व्यवस्था करने के लिए भारतीय पत्तन क्षमता को बढ़ाकर 3000+ एमएमटीपीए करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है। सभी 12 प्रमुख पत्तनों के लिए, मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। पत्तन मास्टर प्लान में, अगले 20 वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए 85,346 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से पत्तन क्षमता विस्तार वाली 131 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी)

8.74 गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग-I (एनडब्ल्यू-I) संबधित जलमार्ग विकास परियोजना, जो एक बड़ी समेकित आईडब्ल्यूटी परियोजना है, 5369 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वाराणसी और हाल्दिया के बीच प्रारंभ की गई है जो 1380 कि.मी. की दूरी को कवर करती है। एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) में, धुबरी तथा हात्सिंगीमारी के बीच जुलाई 2017 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के पोत पर आरओ-आरओ सेवा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत, 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है। तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के आधार पर, वर्ष 2017-18 में आठ नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जा रहा है। इनमें एनडब्ल्यू-16 (बराक नदी); गोवा में तीन एनडब्ल्यू अर्थात एनडब्ल्यू-27; (कुम्बरजुआ), एनडब्ल्यू-68 (मंडोली), एनडब्ल्यू-111 (जुआरी); एनडब्ल्यू-86(रुपनारायण नदी); एनडब्ल्यू-97 (सुंदरबन), एनडब्ल्यू-9 (एलाप्पुझा-कोट्टयम-अतीरामपुझा नहर) और एनडब्ल्यू-37 (गंडक नदी) शामिल हैं। कार्गो की संभार लागत को कम करने तथा पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8.75 संस्थागत वित्तपोषण प्रदान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 2.5 प्रतिशत प्राप्तियाँ आवंटित करने का प्रस्ताव किया हैं। वर्ष 2017-18 में, आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए 'भारत सरकार के पूर्णतया मोचित बाँड्स' जारी करके बाजार से 660 करोड़ रु. की राशि जुटाई है।

दूरसंचार क्षेत्र

8.76 पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय विकास देखा गया है। ये सुधार थे-स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट कार्यक्रम और ''डिजिटल इंडिया'' जैसी अंब्रेला स्कीमें ताकि भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में और ज्ञान आधारित समाज में रूपांतरित किया जा सके। सितंबर-अंत 2017 में, कुल अभिदाताओं की संख्या 1207.04 मिलियन थी जिनमें से 501.99 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में और 705.05 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे। सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, सभी कनेक्शनों में वायरलेस टेलीफोन अब 98.04 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलीफोन अब 1.96 प्रतिशत पर हैं। भारत में समग्र टेलीघनत्व 93.42 प्रतिशत था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 56.78 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 172.86 प्रतिशत था (सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार)। इस समय भारत में मोबाइल उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 मिलियन से अधिक लोग रोजगाररत हैं।

8.77 लेकिन यह उल्लेखनीय है कि दूरसंचार क्षेत्र बढ़ते घाटों, ऋण भार, कीमत युद्ध, घटी हुई आमदनी और अतार्किक स्पेक्ट्रम लागतों के चलते दबाव की स्थिति से गुजर रहा है जिसे आर्थिक समीक्षा 2016-17 (खंड II) के अध्याय 8 में भी रेखांकित किया गया था। एक नए प्रवेशकर्त्ता ने बाजार में सस्ती डाटा सेवाओं की सुविधा देकर परिवर्तन ला दिया है और पहले के भागीदारों की आमदनी कम हो गई है। इस संकट ने इन टेलीकॉम कंपनियों के निवेशकों, ऋणदाताओं, भागीदारों और विक्रेताओं पर भी बड़ा असर डाला है।

8.78 विविध अवरोधों के बावजूद, सरकार दूरवर्ती और देहाती गांवों में टेलिकॉम नेटवर्क की सुविधा प्रदान करने और सभी पणधारकों की सहायता से डिजीटल खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार फ्लैगशिप ''भारत नेट'' परियोजना लागू (दो चरणों में) कर रही है ताकि प्रत्येक चरण में 2.5 लाख भारतीय ग्राम पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सके। यह विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी ग्रामीण संयोजकता परियोजना है, और डिजीटल भारत कार्यक्रम का प्रथम स्तम्भ है। इससे भविष्य में विविध

इलेक्ट्रॉनिक ई-सेवाएं प्रदान करना और अनुप्रयोग सुविधाजनक होगा जिसमें ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-शासन और ई-वाणिज्य शामिल है। इस परियोजना के चरण-I का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर चल रहा है। नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, ऑप्टीकल फाइबर केबल की 2,38,677 कि॰मी॰ लम्बी लाइन बिछाकर, यह फाइबर 1,03,275 ग्राम पंचायतों तक पहुंच गया है। सरकार ने भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण को 30,920 करोड़ रुपए के परिव्यय से 13 नवम्बर, 2017 को प्रवर्तित किया है। चरण-II के मार्च, 2019 तक पूरा होने की संभावना है जिससे उच्च गति के ब्रॉडबैंड के माध्यम से 1.5 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी।

8.79 सरकार नई टेलिकॉम पॉलिसी बना रही है, जिसे वर्ष 2018 में, विविध पणधारियों के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श करने के बाद, जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य विषय, जिनको नई टेलिकॉम पॉलिसी में संबोधित करने का प्रयास किया जाएगा, उनमें सेक्टर पर प्रभाव डालने वाले नियामक एवं लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी फ्रेमवर्क, सभी के लिए संयोजनता, सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार करने और नई प्रौद्योगिकियों के आमेलन की सुविधा तथा 5जी एवं 'वस्तुओं के इंटरनेट' भी शामिल हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने भी ''नेट न्यूट्रैलिटी'' संबंधी नई नीति की सिफारिश की है जिसके अनुसार डाटा सेवाओं के लिए पृथक प्रशुल्क प्रतिबंधित होता है। इस नीति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को किसी व्यक्ति, चाहे वह वास्तविक व्यक्ति हो या कानूनी व्यक्ति हो, के साथ जो संतुष्टि, प्रेषक अथवा प्रापक, प्रोटोकोल अथवा प्रयोक्ता उपस्कर पर आधारित पक्षपात पूर्ण व्यवहार पूर्ण, कोई व्यवस्था, करार, अथवा संविदा करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

विद्युत

8.80 अखिल भारतीय अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है और 30, नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार यह क्षमता बढ़कर 330860.6 मेगावाट हो गई है। चरम समयावधि मांग की तुलना में चरम अभाव अर्थात चरम विद्युत आपूर्ति में प्रतिशत कमी वर्ष 2012-13 में लगभग 9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 के दौरान 1.6 प्रतिशत हो गई है, यद्यपि यह अप्रैल-सितम्बर, 2017-18 के दौरान लगभग 2 प्रतिशत रही है।

8.81 विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की इन उपलब्धियों के बावजूद, विद्युत आपूर्ति के वितरण में अवरोध जारी हैं, जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, खंड II, अध्याय 8 में चर्चा की गई है। वितरक कंपनियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है ताकि वर्ष 2019 तक हर घर में बिजली देने की महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाया जा सके।

8.82 राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 18542 थी। 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 15183 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न कर दिया गया है और 1052 ग्रामों को निवास शून्य पाया गया है। शेष 2217 ग्रामों को संभवत: मई, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा।

8.83 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिसम्बर, 2014 में प्रारंभ की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, मीटर लगाने सहित, वितरण अवसंरचना को सशक्त करने और संवर्धन के लिए वितरक कंपनियों (डिस्कॉम) को पूंजी व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के लिए आकलित परिव्यय 43033 करोड़ है। इसके अलावा, पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के 39275 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय को इस स्कीम में अग्रेषित किया गया है। ''सामान्य श्रेणी'' वाले राज्यों में 60 प्रतिशत और ''विशेष श्रेणी'' वाले राज्यों में 85 प्रतिशत के केंद्रीय सरकार के सहयोग से राज्यों और उनके डिस्कॉमों द्वारा इस स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

8.84 नई स्कीम, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली लगवाने की इच्छा रखने वाले सभी बचे हुए घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सितम्बर, 2017 में शुरू की गई थी, जिसका परिव्यय 16320 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में मार्च, 2019 तक जिन लगभग 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं पहुंची है, के विद्युतीकरण का विचार किया गया है। दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में स्थित विद्युतीकरण से वंचित घरों के लिए बैटरी बैक-अप सहित 200-300 वाट् के पावर पैक सहित, सोलर फोटो वोल्टैक आधारित एकल सिस्टम्स की व्यवस्था की जानी है, जिसमें पांच वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव सहित 5 एलईडी लाइटों, एक डीसी फंखे और एक डीसी पावर प्लॅग स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना का उपयोग करते हुए भावी लाभार्थी घरों की पहचान की जाएगी।

8.85 भारत सरकार की ओर से 25354 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 32612 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ नवम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना का अनुमोदन किया गया था। नवम्बर, 2017 के अंत तक 3616 शहरों को शामिल करते हुए 26930 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले से स्वीकृत की गई हैं और राज्य प्रतिष्ठान निर्माण कार्यों का आबंटन कर रहे हैं।

सारणी 10. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की प्रगति

	उजाला	एसएलएनपी
एलईडी बल्बों की संख्या	28.07 करोड़	41.79 लाख
वितरित/स्ट्रीट लाइटों का प्रतिष्ठापन	36.45 बिलियन	2.80 बिलियन
प्रतिवर्ष बचत की गई बिजली की औसत	7299 मेगावाट	467 मेगावाट
चरम मांग से बचाव	29.53 मिलियन टन Co_2	1.93 मिलियन टन Co_2

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

8.86 भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के साथ भारत में स्मार्ट ग्रिड क्रियाकलापों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्लान और मॉनिटरी के लिए विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना का भी अनुमोदन किया है।

8.87 जैसाकि आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड-II में विस्तृत चर्चा की गई है, सरकार ने, लाभ संबंधित दबाव, विद्युत की लागत और सकल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में कमी करने के बारे में विचार करते हुए नवम्बर, 2015 में उज्जवल डिसकॉम (डीआईएससीओएम) आश्वासन योजना (यूडीएवाई) शुरू की है। 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले से ही यूडीएवाई के अंतर्गत आ गए हैं। मुख्य ध्यान डीआईएससीओएमएस के बिल बनाने और संग्रहण दक्षता पर दिया गया है जो वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया है। शुल्क दरों में संशोधनों के माध्यम से राज्यों द्वारा उनकी तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों (एटीएनसी) को कम करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्राकलन सौर ऊर्जा कीमत प्रति केडब्ल्यूएच 2.5 रुपए और पवन ऊर्जा की 3.4 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच दर्शाता है।

ऊर्जा संरक्षण

8.88 विद्युत की संवर्धित उपलब्धता पर लक्षित उपर्युक्त विकास के आयामों के अलावा, ऊर्जा दक्षता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकाश की व्यवस्था करने पर ही भारत में कुल विद्युत खपत का लगभग 20 प्रतिशत खर्च हो जाता है। निम्नलिखित को शामिल करते हुए देश में वाणिज्यिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से अभिक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

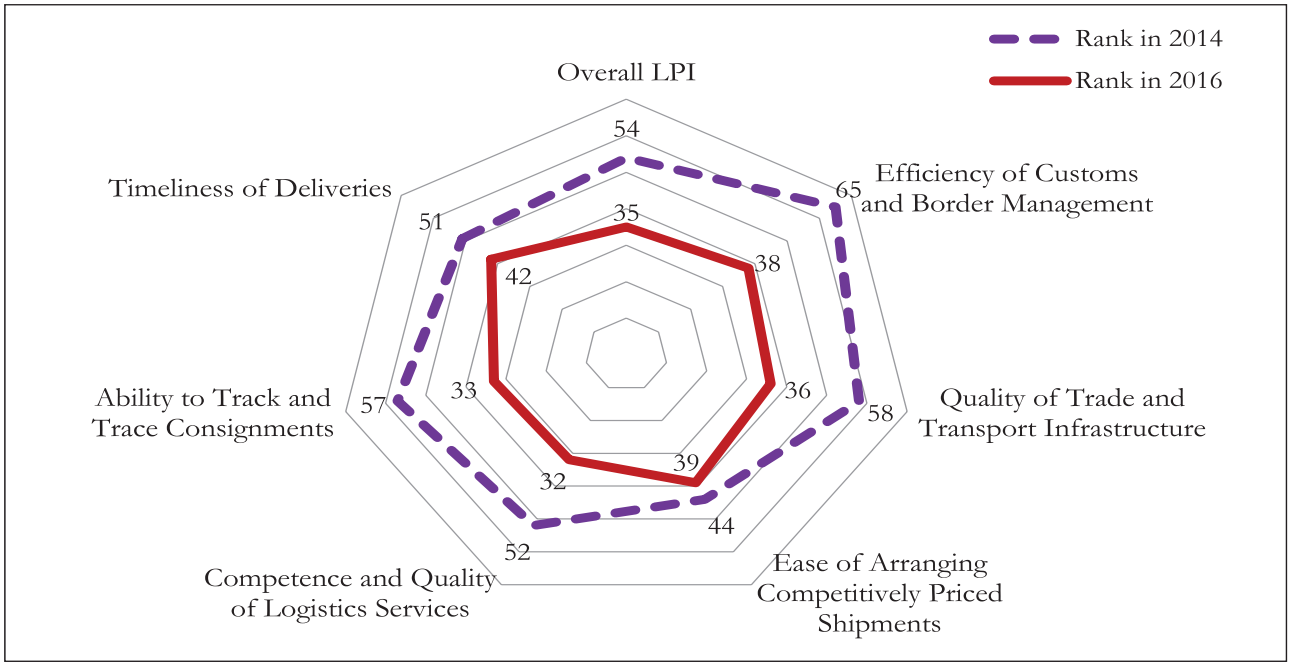
- राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम: खर्च वहन करने योग्य दरों पर सर्वाधिक सफल प्रकाश की व्यवस्था करने वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2015 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में (क) 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करते हुए सभी के लिए (उजाला) सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति और (ख) मार्च, 2019 तक 1.34 करोड़ परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एवं ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (एसएलएनपी) है। दिनांक 5 जनवरी, 2015 से शुरू करके 18 दिसंबर, 2017 तक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है (सारणी 10):
- इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम साथ-साथ चला रहा है जिसमें उपकरणों, भवनों, यात्री कारों और भारी वाहनों आदि का मानकीकरण करना और उनकी लेबलिंग करना शामिल हैं।

संभार तंत्र क्षेत्र: नई खोज

8.89 संभार तंत्र में परिवहन, भण्डार प्रबंधन, वेयर हाउसिंग, सामग्री संबंधी साज-संभाल और पैकेजिंग और सूचना का समेकन शामिल हैं जो वस्तुओं के मूल स्थान तथा खपत के स्थान के बीच के प्रवाह के प्रबंधन से संबंधित है। भारत में संभार तंत्र अभी तक काफी हद तक असंगठित क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि घरेलू और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डालने वाले संभार तंत्र की अत्यधिक लागत, अविकसित सामग्री संभाल संबंधी बुनियादी सुविधाएं, खंडित वेयर-हाउसिंग, बहुविध विनियामक/नीति निर्माता निकाय, विभिन्न पद्धतियों से सामान को लाने-ले जाने की निर्बाध सेवा का अभाव समेकित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना/आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव आदि। इस क्षेत्र को समेकित ढंग से विकसित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी, संवर्धित निवेश, दक्षता, बाधाओं को दूर करने, अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन संवर्धन, स्वायत्तता, क्लीयरेंस देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली और प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

8.90 पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय संभार तंत्र उद्योग 7.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास (दर सीएजीआर) से बढ़ते हुए लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य

चित्र 12: संभारिक तंत्र निष्पादन सूचकांक (एलपीआई): भारत की रैंकिंग



स्रोत: विश्व बैंक

के बराबर हो गया है। संभार तंत्र क्षेत्र 22 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बढ़ते संभार तंत्र क्षेत्र ने निर्यात पर बहुत भारी दबाव डाला है और यह अनुमानित रूप से इतना है कि अप्रत्यक्ष संभार तंत्र लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी से निर्यात में 5-8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से भारतीय संभार तंत्र बाजार के 10.5 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2020 में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डालर पर पहुंचने की संभावना है। संभार तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र के विकास और समेकित विकास के समन्वय हेतु मौजूदा प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, बाधाओं और अन्तर की पहचान करने और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित दखल की शुरूआत करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नया संभार तंत्र प्रभाग सृजित किया गया है।

8.91 विश्व बैंक की 2016 की वैश्विक रैंकिंग में संभार तंत्र कार्य निष्पादन सूचकांक दर्शाता है कि भारत वर्ष 2014 में 54वें रैंक से उछल कर समग्र संभार तंत्र निष्पादन के संदर्भ में वर्ष 2016 में 35वें रैंक पर आ गया है। संभार तंत्र में बढ़ते व्यापार और बेहतर निष्पादन के अलावा मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम का विस्तार होगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण अंग बन सकेगा। भारत ने संभार तंत्र निष्पादन सूचकांक के सभी छः अंगों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया है (चित्र 12)।

8.92 इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए और अक्षमताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने संभार तंत्र क्षेत्र को अवसंरचना उपक्षेत्र की सुमेलित मास्टर सूची में शामिल किया है।

8.93 अवसंरचना, उप क्षेत्र की सुमेलित मास्टर सूची में संभार तंत्र सेक्टर के समावेश से इस क्षेत्र को अनेक प्रकार से निम्नानुसार लाभ होगा:

i. यह दीर्घावधि और युक्तिसंगत ब्याज दरों से इस सेक्टर में क्रेडिट प्रवाह को सुगम बनाने में मददगार होगा।

ii. अवसंरचना स्थिति से बहुरूपी संभार तंत्र (पार्क) सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा जिसमें भण्डारण और परिवहन अवसंरचना दोनों शामिल हैं।

iii. इससे नियामक प्राधिकरण के माध्यम से बाजार जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ऋण की सहायता से तथा पेंशन निधि से मान्यता प्राप्त परियोजनाओं में निवेश करना आकर्षित होगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

8.94 वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 21.85 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था जिसके तहत वास्तविक उत्पादन 21.06 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था जिससे केवल 96.38

प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा होता है। उत्पादन में कमी मुख्यत: पुराने और सीमांतक फील्डों से घटते हुए उत्पादन, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब, कुंओं को गैर-योजनाबद्ध तरीके से बंद करने, प्लेटफार्म/ संयंत्रों और पाइपलाइन का काम अपूर्ण रहने के कारण था। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन लक्ष्य 20.26 बीसीएम था जिसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन 19.22 बीसीएम हुआ जोकि लक्ष्य का 94.87% है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट पुराने एवं सीमांत गैस क्षेत्रों से उत्पादन में कमी, कुओं के कार्यनिष्पादन में कमी, विविध स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, भूमि अर्जन, उपयोग का अधिकार (आरओयू) अनुमति संबंधी मुद्दों के कारण और विकास परियोजनाओं के लिए स्थानीय समूहों के प्रतिरोध तथा कुओं को प्रसंस्करण प्लेटफॉर्मों/ संयंत्रों व पाइपलाइनों को अनियोजित तरीके से बंद किए जाने के कारण हुई है।

8.95 भारत में हाइड्रोकार्बन सेक्टर के कायांतरण के लिए कुछ नए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार है:-

अवसादी जल क्षेत्रों की संपूर्ण मैपिंग

8.96 भारत के पास 26 अवसादी जल क्षेत्र हैं जिनका कुलक्षेत्रफल 3.14 मिलियन वर्ग किमी है जोकि तटीय, सतही जल और गहरे जल में फैला हुआ है। लगभग 1.502 मिलियन वर्ग किमी का क्षेत्र, यानी कुल अवसादी क्षेत्र के 48% के संबंध में पर्याप्त भू-वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भावी अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए आधार के रूप में समस्त अनाकलित क्षेत्रों का आकलन करने का अनुमोदन किया जा चुका है और यह तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने में मददगार होगा। यह परियोजना 2932.99 करोड़ रुपए की लागत पर ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

परिशोधन क्षमता

8.97 भारत, परिशोधन के मामले में एशिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अब मांग से अधिक परिशोधन क्षमता के साथ एक रिफाइनरी हब के रूप में उभर रहा है। देश की परिशोधन क्षमता, वर्ष 2016-17 में 230.06 एमएमटीपीए थी, अब बढ़कर 237.06 एमएमटीपीए हो गई है, जिसके तहत एचपीसीएल, मुंबई में 1 एमएमटीपीए क्षमता की वृद्धि हुई है तथा बीपीसीएल, कोच्चि की क्षमता का 9.5 एमएमटीपीए से 15.5 एमएमटीपीए तक विस्तार हुआ है।

राष्ट्रीय गैस-ग्रिड

8.98 देश में राष्ट्रीय गैस-ग्रिड की रचना करने के लिए अतिरिक्त 15000 किमी लंबा पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने की सरकार की योजना है। पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के नाम से लोकप्रिय, 2650 किमी. की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धमरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) नामक प्राकृतिक गैस-पाइपलाइन परियोजना के निर्माण कार्य हेतु सरकार ने गेल को सितंबर, 2016 में 5,176 करोड़ रु. (12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत का 40%) का आंशिक पूंजी अनुदान अनुमोदित किया है। यह परियोजना राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को देश के पूर्वी भाग से जोड़ेगी तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और परिवहन सेक्टर को स्वच्छ एवं पर्यावरणानुकूल ईंधन एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ये पाइपलाइन परियोजनाएं इन परियोजनाओं के मार्ग में पड़ने वाले गोरखपुर (उ०प्र०), बरौनी (बिहार) और सिंद्री (झारखंड) स्थित 3 उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार में भी सहायता प्रदान करेंगी।

प्रत्यक्ष हितलाभ अन्तरण के अंतर्गत परिवार

8.99 सरकार ने प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) के माध्यम से एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली की शुरूआत की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह था कि सब्सिडी लीकेज को समाप्त करने की संकल्पना के आधार पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाए और स्वत: ही सब्सिडी प्राप्त कर लेने की प्रचलित व्यवस्था को बदला जाए। दिनांक 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार लगभग 19.05 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता 'पहल' योजना में शामिल हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रत्यक्ष हितलाभ अन्तरण (डीबीटी) स्कीम होने के चलते 'पहल' को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब तक, 57,196 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को उपभोक्ताओं के खातों में सीधे तौर पर हस्तांतरित किया जा चुका है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन-प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

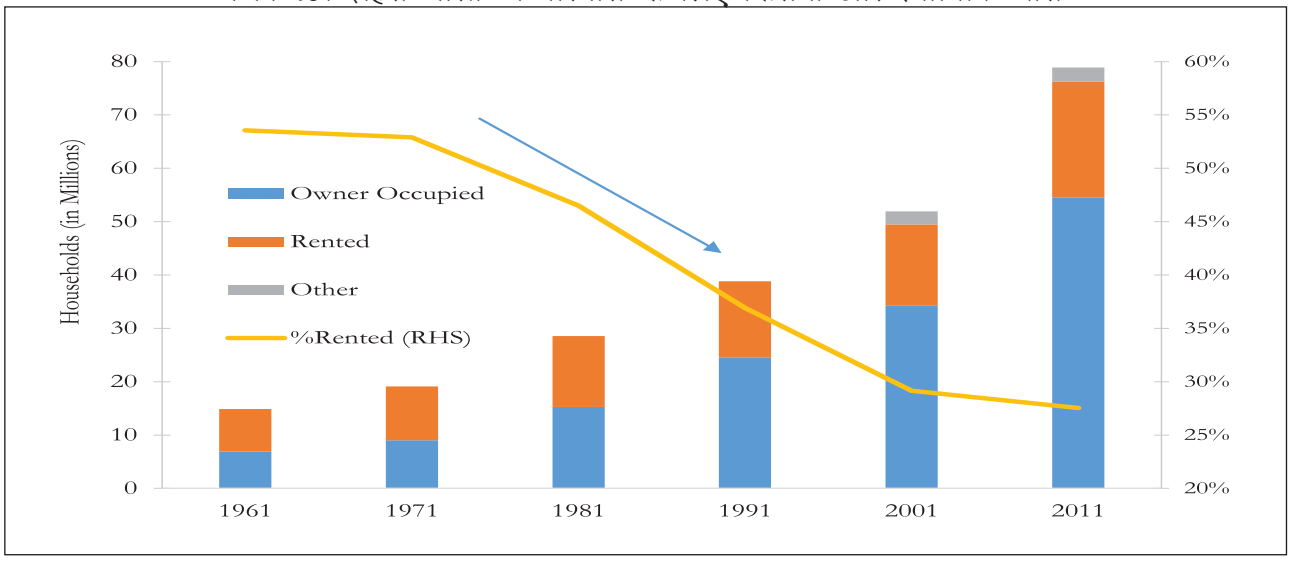
8.100 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के अधीन वर्ष 2018-19 तक 1600/- रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता के साथ से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में अधिकांशत: प्रयोग होने वाले अपरिष्कृत कुकिंग ईंधन को स्वच्छ एवं अधिक परिष्कृत एलपीजी (लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस) द्वारा प्रतिस्थापित करना है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अधीन अप्रैल-अक्टूबर, 2017 के दौरान 1.05 करोड़ कनेक्शनों सहित कुल लगभग 1.86 करोड़ नये एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं जिससे निर्धारित 1.5

करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 70 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। जब से यह योजना लांच हुई है, तब से लेकर 31.10.2017 तक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अधीन कुल मिलाकर 3.05 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं।

सभी के लिए आवास–कुछ मुद्दे

8.101 सरकार की एक प्रमुख नीति प्राथमिकता के आधार पर सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित नीतियों में इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एक सफल आवास नीति वह है जो रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ क्षैतिज या स्थानिक आवागमन यानी विभिन्न शहरों के बीच एवं उनके भीतर आवागमन की सुविधाओं में भी वृद्धि करे। आवासीय नीति में ऊर्ध्वाधर आवागमन की भी सुविधा

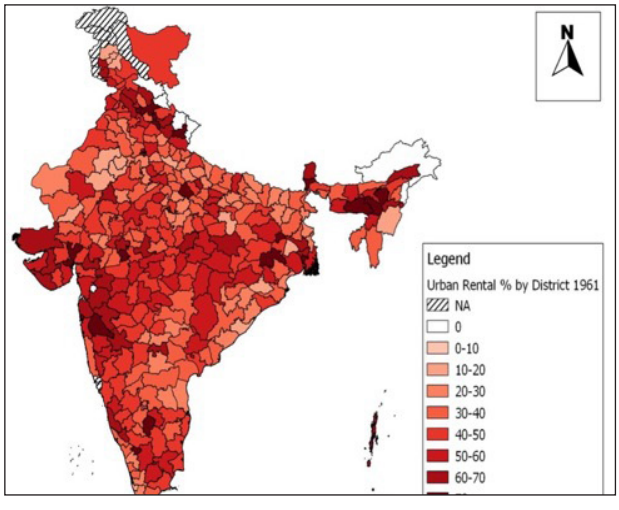
चित्र 13: शहरी भारत[3] में परिवारों के लिए किराया और स्वामित्व ब्यौरा



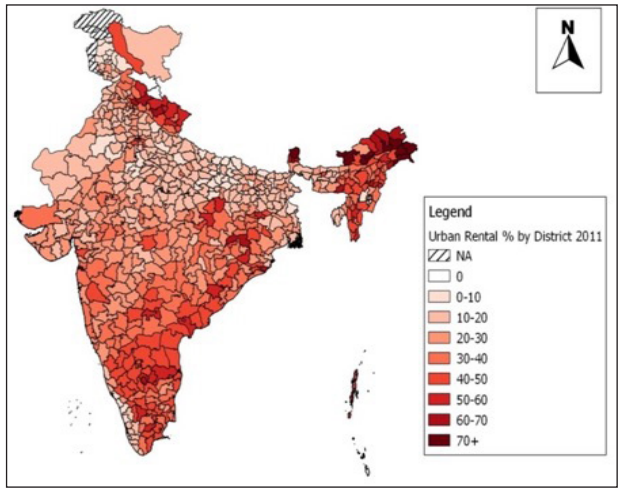
स्रोत: वर्ष 1981 से 2011 के लिए -हरीश (2015), वर्ष 1971 और 1961 के लिए-भारत की जनगणना

चित्र 14: शहरी भारत में किराए के मकान

क. 1961



ख. 2011



स्रोत: टेंडेल, वी., पटेल,एस., गांधी,एस.,पेथे, ए., एवं अग्रवाल, के. (2016), भारत में किराए के मकानों की कमी: मुम्बई का मामला। पर्यावरण एवं शहरीकरण।

3. टिप्पणी: 'अन्य' वर्ष 2001 में शुरू की गई श्रेणी थी और इसमें नियोक्ताओं द्वारा किराया मुक्त आवास अथवा अप्राधिकृत स्लम/निर्माण के मामालों में जहां परिवार न तो स्वामित्व रखता है न ही किराया देता है, शामिल थे। इसके अलावा 1961 की जनगणना 20 प्रतिशत के प्रतिदर्श पर आधारित है और यह सूचित किये गये आंकड़े प्रतिदर्श के जनसंख्या संबंधी अनुमान हैं।

होनी चाहिए ताकि भारी आबादी सामाजिक-आर्थिक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ सके। उपर्युक्त नीतियों में इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें शहरी डिजाइन से लेकर उप बाजार में लेन-देन की लागत इत्यादि समाहित हैं। इस संदर्भ में इस खण्ड में दो क्षेत्रों, प्रथम किरायेदारी और द्वितीय स्वामित्व के लिए उपलब्ध मकानों पर विचार किया गया है।

किरायेदारी आवासन का महत्व

8.102 किरायेदारी आवासन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे लोगों को मकान क्रय किए बगैर रहने के लिए उचित मकान पाने में सहूलियत होती है। शहर में आने वाले नए लोगों के लिए जबतक वे अपने स्वयं के घर का चयन न कर लें या स्वयं का घर खरीद पाने में सक्षम न हो जाएं, चाहे लोगों की आय कुछ भी क्यों न हों, किराये का मकान आवासीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आधार है। यह विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले ही काफी कमजोर होती है, के लिए शहरी क्षेत्र में रहने का आश्रय प्रदान करता है। तुलनात्मक रूप से किसी परिसम्पत्ति को क्रय करने की बजाय किरायेदारी आवासन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कम लागत में ही लोगों को रहने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि परिसम्पत्ति के क्रय में स्थानीय बाजार के जोखिम भी निश्चित होते हैं।

8.103 तथापि, आजादी के समय से ही भारतीय शहरों में किरायेदारी आवासन की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है। यह वर्ष 1961 में 54 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 28 प्रतिशत रह गई (चित्र 13 देखें)। यद्यपि देश के अधिकांश हिस्सों में किरायेदारी की हिस्सेदारी में जो गिरावट आई है, वह एक समान नहीं है। चित्र 14 में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के मध्य जिला स्तर पर शहरी मकानों के किराये की हिस्सेदारी का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। नक्शे में दर्शाया गया है कि उत्तर भारत के राज्यों (हिमालयी राज्यों को छोड़कर) में उक्त गिरावट तेजी से आई है।

8.104 सभी आवासों के अनुपात के रूप में, किराए के आवास ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक हैं। वर्ष, 2011 की जनगणना के अनुसार, किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 5 प्रतिशत था, किन्तु शहरी क्षेत्रों में यह 31 प्रतिशत था। राज्य वार चित्र भी यह दर्शाता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे अधिक शहरीकृत राज्यों में किराए के मकानों (हरीश, 2016) का प्रतिशत उच्चतर है। इसी प्रकार से, अपेक्षाकृत बड़े शहरों में किराए के मकानों का हिस्सा अधिक था जो छोटे नगरों में 28 प्रतिशत से मध्यम आकार के नगरों में 36 प्रतिशत तक और बड़े शहरों (कुमार, 2016) में किराए के कुल मकानों का 40 प्रतिशत था।

8.105 भारत सहित बहुत से देशों में सामाजिक-आर्थिक नीति के तहत गृह-स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है। यद्यपि गृह-स्वामित्व को बढ़ावा देने के पीछे उचित कारण हैं, फिर भी, यह ज्ञात होना चाहिए कि किराए का बाजार भी शहरी आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही के कुछ दशकों में, किराया नियंत्रण, अस्पष्ट संपत्ति का अधिकार और संविदा लागू करने से संबंधित कठिनाइयों के कारण भारत में यह बाजार संकुचित हो गया है। क्षैतिज और लम्बवत गतिशीलता प्रदान करने के क्रम में इन समस्याओं का तथा साथ ही साथ तत्संबंधी एक अन्य मुद्दे-उच्च रिक्ति दरों-का समाधान करने की आवश्यकता है।

खाली मकानों की समस्या

8.106 भारत के शहरों में आवास की कमी होने के बावजूद (2012 में 18 मिलियन से अधिक परिवार) (एमएचयूपीए, 2016) खाली मकानों की संख्या में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है: वर्ष 2001 में 6.5 मिलियन से बढ़ कर वर्ष 2011 में 11.1 मिलियन। राष्ट्रीय जनगणना (कुमार, 2016) के अनुसार, कुल शहरी आवास का लगभग 12 प्रतिशत मकान खाली पड़े हुए हैं (सारणी 11)[4]

8.107 देश के पश्चिमी अर्ध में खाली पड़े हुए मकानों के जिलावार वितरण से खाली पड़े मकानों की, इस क्षेत्र में बहुलता स्पष्ट होती है। प्रमुख राज्यों के शहरी भागों में खाली पड़े हुए मकानों की संख्या और हिस्से को चित्र 15 में दर्शाया गया है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में (2 मिलियन से थोड़ा अधिक) संख्या में मकान खाली पड़े हुए हैं, इसके बाद गुजरात का स्थान आता (जहां लगभग 1.2 मिलियन खाली पड़े हुए मकान हैं)। गुजरात में कुल आवासीय स्टॉक में सबसे ज्यादा अंश (18.5 प्रतिशत) खाली पड़े हुए मकानों का है, इसके बाद राजस्थान में (17.3 प्रतिशत) और महाराष्ट्र में (16.39 प्रतिशत) मकान खाली पड़े हुए हैं।

8.108 चित्र 16 भारत में 19 प्रमुख शहरों में जनगणना के दौरान खाली पाए गए मकानों की संख्या और अनुपात (शेयर) दर्शाता है। इन शहरों में मुंबई में कुल खाली मकानों की अत्यधिक संख्या (0.48 मिलियन) है, इसके बाद

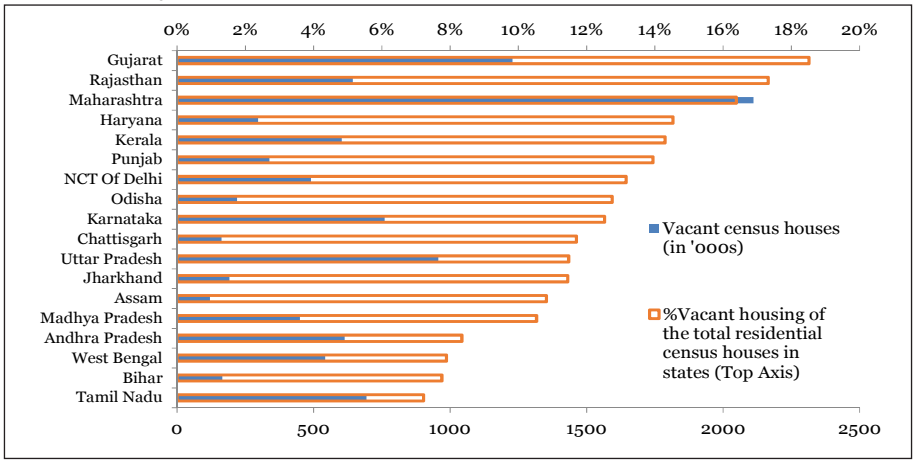
4. जनगणना आवास सूचीयन हेतु अनुदेश पुस्तिका में खाली मकानों के वर्गीकरण के अनुदेश हैं; यदि आवास सूचीयन के दौरान कोई जनगणना घर खाली मिलता है अर्थात् इसमें कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है और इसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं हो रहा है तो इसे 'खाली लिखें। (http://www.censusindia.gov.in/2011-Documents/Houselistingper cent20English.pdf यह भी ध्यान दें कि अमरीका में खाली आवासों के तुलनीय आंकड़े 3 प्रतिशत से कम हैं (यूएस सैंसस ब्यूरो, 2016)।

सारणी 11: भारत के शहरी क्षेत्रों में मकानों और खाली पड़े मकानों का ब्यौरा[5]

प्रकार	मिलियन
खाली मकानों की कुल सं॰ [1]	11.09
आवास-के लिए उपलब्ध मकानों की कुल सं. [2]	76.13
'आवास सह अन्य प्रयोग' के लिए उपलब्ध मकानों की कुल संख्या	2.35
कुल आवासीय स्टॉक [1+2+3=4]	89.58
कुल आवसीय स्टॉक की तुलना में खाली पड़े हुए मकानों का प्रतिशत [1÷4]	12.38 प्रतिशत

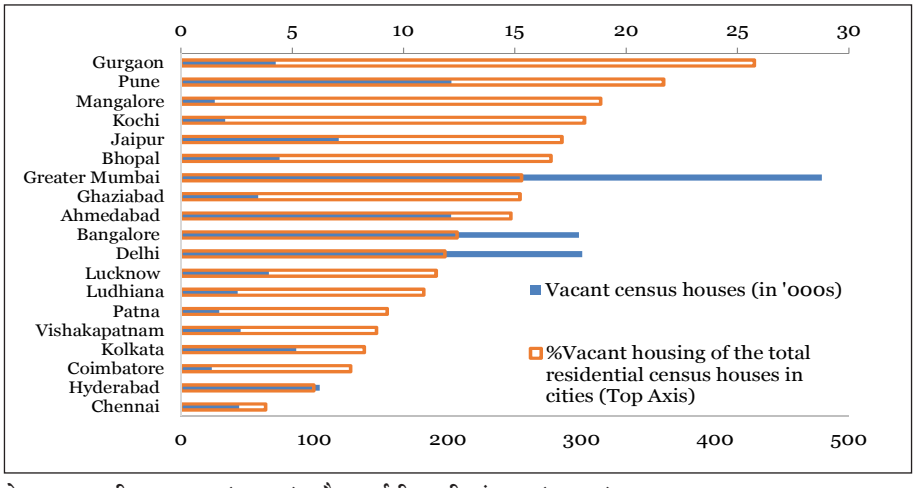
स्रोत: भारत की जनगणना (2011) और आईडीएफसी संस्थान (2017)

चित्र-15: प्रमुख राज्यों (शहरी) में जनगणना के दौरान खाली पाए गए मकान



स्रोत: भारत की जनगणना (2011) और आईडीएफसी संस्थान (2017)

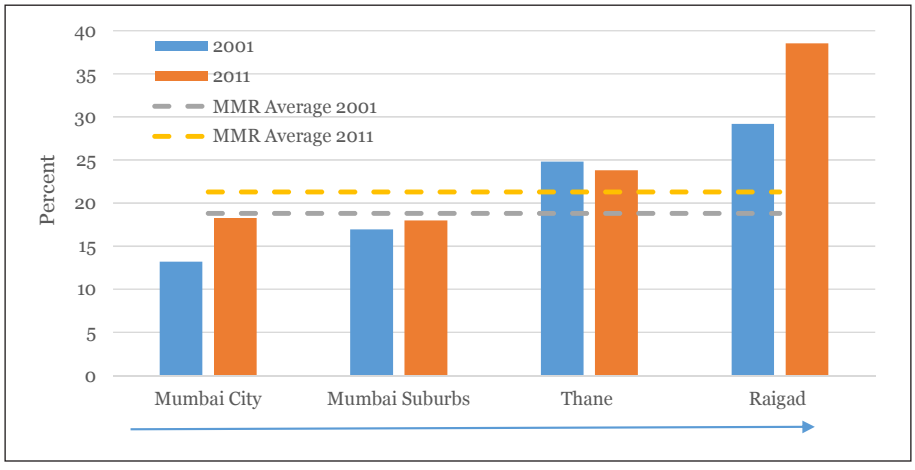
चित्र-16: भारत के कछ शहरों में जनगणना के दौरान खाली पाए गए मकान



स्रोत: भारत की जनगणना (2011) और आईडीएफसी संस्थान (2017)

5. जनगणना वाले घरों के आवासीय, विद्यालय, अस्पताल आदि जैसे अनेक प्रयोग हैं। सभी खाली जनगणना वाले घर आवासीय प्रयोग के लिए हैं।

चित्र 17: मुंबई महानगर क्षेत्र-2001 और 2011 में जनगणना के दौरान कुल शहरी आवास स्टॉक के प्रतिशत के रूप में खाली शहरी मकान



स्रोत: जनगणना 2001 और 2011 तथा आईडीएफसी संस्थान (2017)

दिल्ली में (0.3 मिलियन) और बैंगलुरु में (लगभग 0.3 मिलियन) है। कुल आवासीय स्टॉक में खाली मकानों के अनुपात के अनुसार, गुड़गांव का स्थान सबसे ऊपर (26%) है। उच्च खाली दरों की इस अद्भुत घटना को पूरी तरह से नहीं समझा गया परन्तु अस्पष्ट सम्पत्ति अधिकार, कमजोर संविदा प्रबलन और निम्न किराया लब्धि महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। नए रीयल इस्टेट का स्थानिक वितरण भी एक मुद्दा हो सकता है क्योंकि रिक्ति दरों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक घनी शहरी क्षेत्रों से पलायन के साथ-साथ वृद्धि होती है। चित्र 17 मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की यह प्रवृत्ति दर्शाता है जहां रिक्ति दरें अत्यधिक घनी ''आइलैण्ड सिटी'' और उपनगरों की अपेक्षा थाणे और रायगढ़ के जिले में उच्चतर है।

8.109 भारत की आवास संबंधी अपेक्षाएं जटिल हैं किन्तु अभी तक नीतियों के अंतर्गत अधिक मकान बनाने और मकानों के स्वामित्व पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। उपर्युक्त डाटा यह सुझाव देता है कि हमें ऐसा आदर्श दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें किरायों और रिक्तता दरों को ध्यान में रखा जाए। इसके बाद, इसके लिए नीति निर्माताओं को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये संविदा प्रवर्तन, सम्पत्ति अधिकार और आवास आपूर्ति के स्थानिक वितरण बनाम मांग पर अत्यधिक ध्यान दें।

REFERENCES:

1. Harish, S. (2016). "Public Social Rental Housing in India", Economic & Political Weekly, 51(5), 49.
2. Kumar A., (2016). "India's Residential Rental Housing", Economic and Political Weekly, 51(24), 112-120.
3. Kumar (2016) op.cit.
4. G20 (2017). "Global Infrastructure Outlook".
5. Government of India (2011). "Census of India".
6. Government of India (2012). "Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation Report".
7. Government of India (2017). "Economic Survey 2016-17, Volume I & II".
8. Government of India (2017). "Joint Plant Committee, Secretary's DO Report, December 2017".
9. Government of India (2017). "Statistical Year Book".
10. International Road Federation (2016). "World Road Statistics".
11. Reserve Bank of India (2017). "Annual Report, 2016-17".
12. World Bank (2016). "Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy".

APPENDIX 1

राज्य संकेताक्षर की सूची

Abbreviation	States/UT
AP	Andhra Pradesh
AR	Arunachal Pradesh
AS	Assam
BR	Bihar
CG	Chhattisgarh
GA	Goa
GJ	Gujrat
HR	Haryana
HP	Himachal Pradesh
JK	Jammu and Kashmir
JH	Jharkhand
KA	Karnataka
KL	Kerala
MP	Madhya Pradesh
MH	Maharashtra
MN	Manipur
ML	Meghalaya
MZ	Mizoram
NL	Nagaland
OD	Odisha
PB	Punjab
RJ	Rajasthan
SK	Sikkim
TN	Tamil Nadu
TR	Tripura
UK	Uttarakhand
UP	Uttar Pradesh
WB	West Bengal
TN	Tamil Nadu
AN	Andaman and Nicobar Islands
CH	Chandigarh
DH	Dadra and Nagar Haveli
DD	Daman and Diu
DL	Delhi
LD	Lakshadweep

09

अध्याय

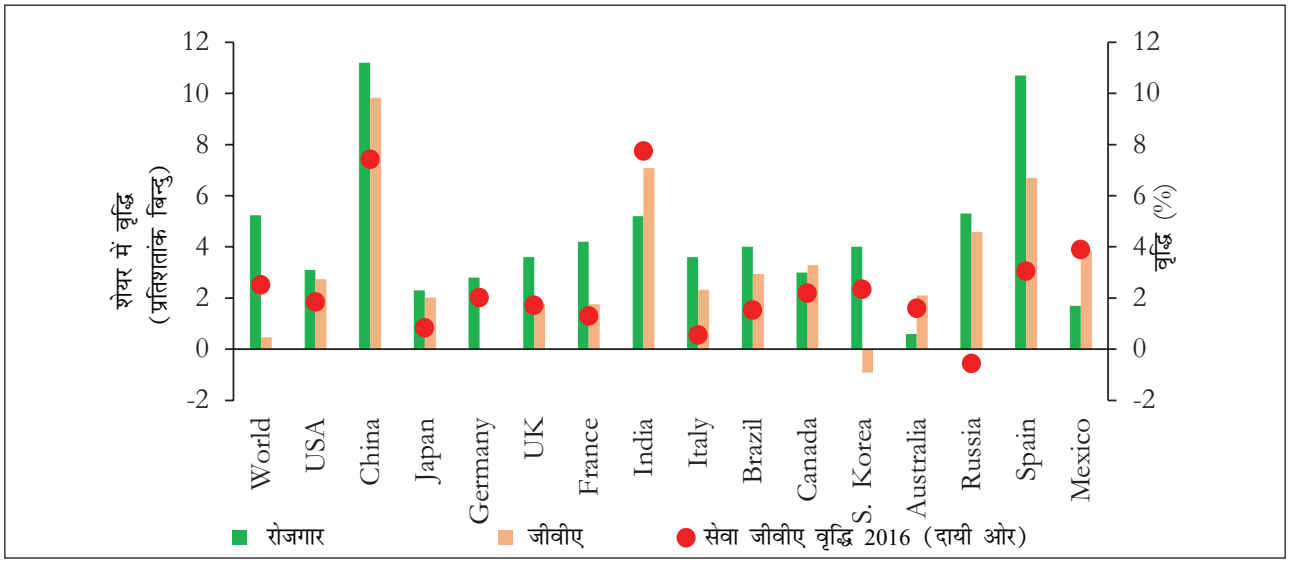
सेवा क्षेत्र

भारत के सकल मूल्य वर्धन में 55.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है और 2017-18 में सकल मूल्यवर्धन वृद्धि में लगभग 72.5 प्रतिशत का योगदान रहा। यद्यपि इस क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, 2017-18 के पूर्वार्ध में सेवा निर्यात और निवल सेवाओं में वृद्धि क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत के सुदृढ़ स्तर पर रही। सरकार ने विभिन्न सेवाओं में बहुत सी पहलें की हैं जिनमें डिजीटलीकरण, ई-वीसा, संभारतंत्र को अवसंरचना का दर्जा देना, स्टार्ट-अप-इंडिया, आवास क्षेत्र के लिए स्कीमें आदि शामिल हैं, जिनसे इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं

9.1 संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार, विश्व के 15 बड़े देशों में समग्र जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान 2006 में 14वें स्थान से सुधरकर 2016 में 7वें पर आ गया, इन शीर्ष 15 देशों में, चीन ने (9.8 पीपी) 2006-16 के दौरान सकल मूल्यवर्धन में सेवाओं की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, इसके बाद भारत (7.1 पीपी) और स्पेन (7.0 पीपी) का स्थान आता है। वर्ष 2016 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी, इसके बाद चीन की 7.4 प्रतिशत पर थी। आईएलओ अनुमानों के अनुसार 2016 में शीर्ष 15 देशों में, भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश में कुल रोजगार के दो तिहाई से भी अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र का था, भारत का हिस्सा 30.6 प्रतिशत पर सबसे कम था। जबकि 2006 से 2016 की अवधि के दौरान चीन के सेवा रोजगार के हिस्से में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी (10.2 पीपी) भारत में यह वृद्धि केवल 5.2 पीपी थी (चित्र 1)।

चित्र 1: 2006-16 के दौरान रोजगार और जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि



स्रोत: जीवीए के लिए यूएन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों और रोजगार के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों से संगणित।

9.2 सेवा निर्यात वृद्धि, विश्व और भारत दोनों के लिए, 2009 से 6 वर्ष के अंतराल के बाद 2015 में गिरकर ऋणात्मक हो गई थी, 2016 में घनात्मक स्थिति में आ गई। विश्व व्यापार संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 2017 की पहली छमाही के लिए विश्व के लिए सेवा निर्यात वृद्धि 4.3 प्रतिशत (पहली और दूसरी तिमाही का औसत) और भारत के लिए 9.9 प्रतिशत पर थी, फिर भी रूस द्वारा 18.4 प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। चीन की वृद्धि 0.2 प्रतिशत थी। (चित्र 2)

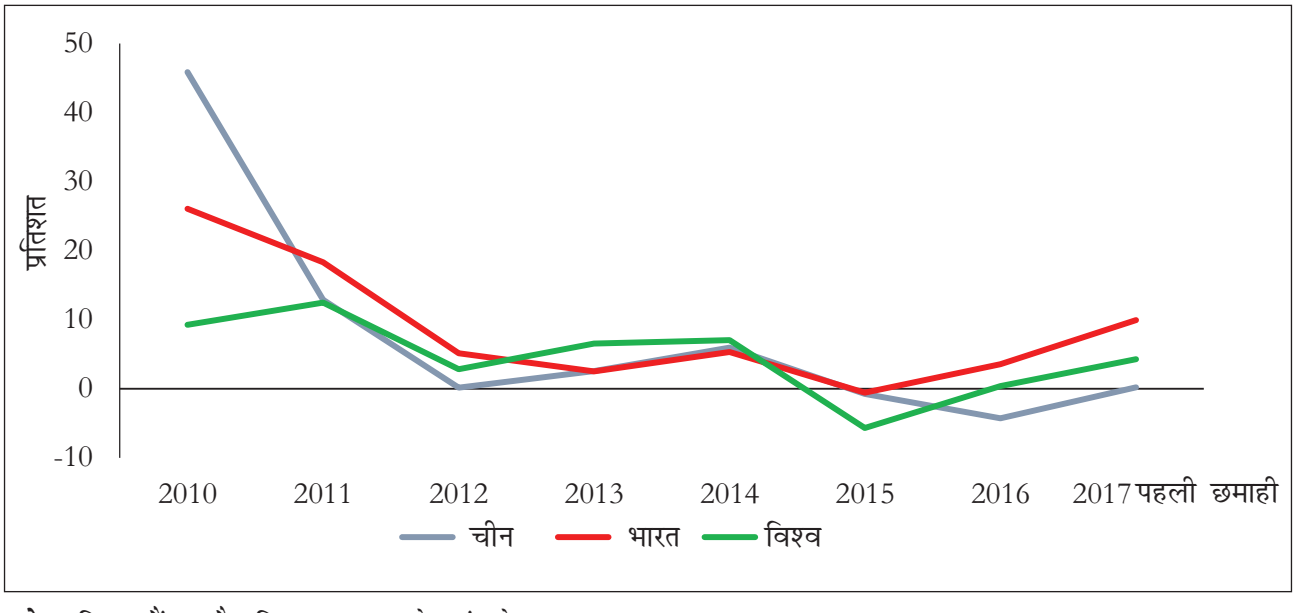
9.3 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2017 के अनुसार, 2015 में विदेशी निवेश में तेजी आने के कारण वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2016 में कमजोर आर्थिक विकास की दशा में 2 प्रतिशत घटकर 1.75 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर आ गया। 2017 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह के लगभग 5 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान है। 2015 में, सेवा क्षेत्र का योगदान वैश्विक एफडीआई स्टॉक का दो तिहाई था, यद्यपि इसका एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण बहुराष्ट्रीय उद्यमों के संबद्ध शाखाओं से संबंधित है जो सेवा जैसे क्रियाकलाप करते हैं और सामान्य श्रेणी के रूप में सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। कुल घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के कुल मूल्य में सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्ष 54.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 58.2 प्रतिशत हो गया।

भारत का सेवा क्षेत्र

सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन

9.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि (जीवीए स्थिर (2011-12) कीमतों पर) 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2016-17 में हुई 7.7 प्रतिशत से अधिक है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण श्रेणी से संबंधित सेवाओं में वर्ष 2017-18 के दौरान 8.7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है जबकि 2016-17 में 7.8 प्रतिशत में की वृद्धि हुई थी। वित्तीय, वर्ष के दौरान स्थावर संपदा और व्यवसायिक सेवाओं की श्रेणी में वृद्धि दर 2016-17 के 5.7 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2017-18 में 7.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' श्रेणी में 2015-16 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 के दौरान 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के चलते सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी और वेतन के अधिक भुगतान के कारण रहा। वर्ष 2017-18 में वृद्धि में 9.3 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है जो वर्ष 2016-17 के कुछ आधार पर है (सारणी 1)।

चित्र 2: वर्षानुवर्ष वाणिज्यिक सेवा निर्यात वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: विश्व बैंक और विश्व व्यापार के आंकड़े

टिप्पणी: एच 1 = विश्व के लिए पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का औसत।

सारणी 1: भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और विकास (आधार मूल्य पर जीवीए)

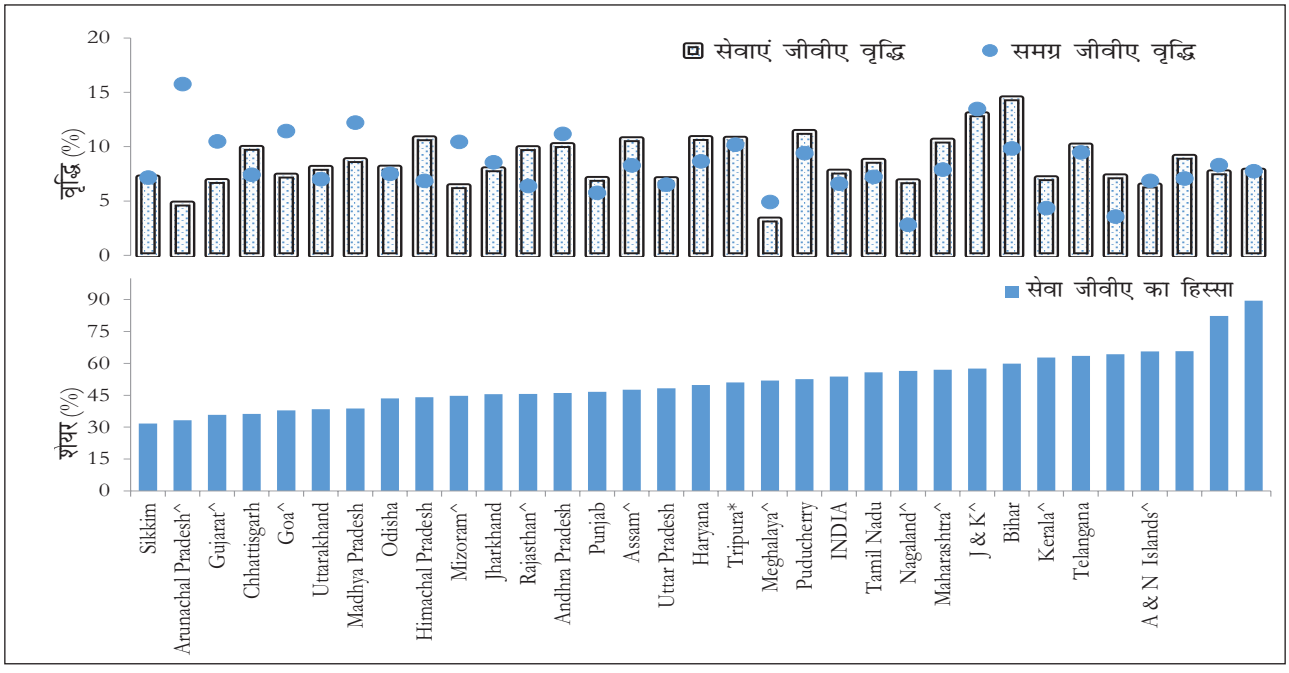
	शेयर (प्रतिशत)	वृद्धि (प्रतिशत)		
	2015-16	2015-16	2016-17@	2017-18#
सभी सेवाएं	**52.9**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	11.4	11.2	7.8*	8.7*
व्यापार और मरम्मत सेवाएं	10.4	10.9	--	--
होटल और रेस्तरां	1.0	14.4	--	--
परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	7.0	9.3	--	--
रेलवे	0.8	7.0	--	--
सड़क परिवहन	3.2	6.7	--	--
हवाई परिवहन	0.2	16.8	--	--
वित्तीय सेवाएं	5.8	6.8	5.7^	7.3^
स्थावर सम्पदा, रिहायशों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	15.3	12.5	--	--
लोक प्रशासन और रक्षा एवं अन्य निर्माण	13.4	6.9	11.3	9.4
कुल सेवा (निर्माण सहित)	8.1	5.0	1.7	3.6
कुल जीवीए/आधार कीमतों पर	**61.0**	**9.1**	**6.9**	**7.7**
जीडीपी बाजार कीमतें (स्थिर कीमतों पर) वर्षानुवर्ष	**100.0**	**7.9**	**6.6**	**6.1**
		8.0	**7.1**	**6.5**

स्रोत: **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से संगणित**
टिप्पणी: **अंश वर्तमान कीमतों पर और वृद्धि स्थिर 2011-12 कीमतों पर हैं,**
@2016-17 के लिए अनंतिम अनुमान; #पहले अग्रिम अनुमान;
***इसमें परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं;**
^इसमें स्थावर सम्पदा, रिहायशों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

सेवाओं की राज्य-वार तुलना

9.5 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नई आधार 2011-12 श्रृंखला हेतु आंकड़े जारी किए गए हैं, सेवा क्षेत्र का 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्चस्व है जिसका, सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधे से भी अधिक योगदान है। अधिकांश राज्यों में मुख्य सेवाएं व्यापार, होटल और रेस्तरां हैं, इसके बाद स्थावर सम्पदा, रिहायशी मकानों का स्वामित्व और कारोबार सेवाओं का स्थान आता है। तथापि, सेवा जीएसवीए की हिस्सेदारी और वृद्धि के संदर्भ में व्यापक भिन्नता भी है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए 2016-17 के आंकड़े उपलब्ध हैं (या अद्यतन वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं), सेवा जीएसवीए हिस्सेदारी के संदर्भ में दिल्ली और चंडीगढ़ शीर्ष पर हैं, जिनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है जबकि सिक्किम 31.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निचले पायदान पर है। सेवा जीएसवीए वृद्धि के अर्थ में बिहार शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर 2016-17 में क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत वृद्धि दरें रही हैं। (चित्र 3)

चित्र 3: राज्यों में सेवाओं की हिस्सेदारी और वृद्धि 2016-17)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से संगणित।

टिप्पणी: *2014-15, ^2015-16, हिस्सेदारी वर्तमान कीमतों और वृद्धि स्थिर कीमतों (2011-12) पर।

भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

9.6 यद्यपि सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वर्गीकरण में अस्पष्टता है, यह शीर्ष 10 सेवा क्षेत्रों की संयुक्त एफडीआई हिस्सेदारी है जैसाकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की सेवा क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं; तथा दूरसंचार; व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर; निर्माण, होटल, पर्यटन, अस्पताल और नैदानिक केन्द्र, परामर्शी सेवाएं, समुद्री, परिवहन और सूचना तथा प्रसारण जिन्हें सेवा एफडीआई के सर्वोत्तम अनुमान के रूप में लिया जा सकता है।, तथापि इनमें कुछ गैर सेवा तत्व शामिल हो सकते हैं। इन सेवाओं की हिस्सेदारी अप्रैल 2000-अक्तूबर 2017 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 56.6 प्रतिशत है और 2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 65.8 प्रतिशत है। यदि अन्य 5 सेवाओं की या सेवा से संबंधित क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, कृषि सेवाएं, शिक्षा, पुस्तक मुद्रण और हवाई परिवहन के हिस्से शामिल किए जाएं तब सेवा क्षेत्र के लिए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की कुल हिस्सेदारी उपर्युक्त दो अवधियों के लिए बढ़कर क्रमश 58.5 प्रतिशत तथा 69.6 प्रतिशत हो जाएगी। वर्ष 2016-17 में सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 क्षेत्रों) में एफडीआई अन्तर्वाहों में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई ये 26.4 अमरीकी डालर बिलियन के रहे हालांकि एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाहों में समग्र रूप से 8.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि वर्ष 2017-18 के दौरान (अप्रैल-अक्तूबर) कुल एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाहों में 0.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यत: दो क्षेत्रों अर्थात दूरसंचार और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपेक्षाकृत अधिक एफडीआई के कारण थी (सारणी-2)।

9.7 पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत निवेश के लिए उत्तरोत्तर रूप से आकर्षक स्थान बना रहे। जिसमें राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नीति (आइपीआर) की घोषणा, वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए किए गए सुधार जिसके परिणामस्वरूप भारत का स्थान 30वें रैंक पर पहुंच गया, शामिल है। इन सुधारों के स्तर का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस अवधि के दौरान, सेवा कार्यकलापों को भी शामिल करते हुए 25 क्षेत्रों और एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करते हुए सुधार किए गए हैं। निर्माण विकास, प्रसारण, खुदरा व्यापार, हवाई यातायात, बीमा और पेंशन जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति प्रावधानों में व्यापक सुधार किए गए थे। वर्तमान में, 90 प्रतिशत से भी अधिक एफडीआई अन्तर्वाह स्वत: मार्ग के जरिए आते हैं।

सारणी 2. सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	मूल्य (बिलियन यूएस $ में)		कुल का प्रतिशत (%) हिस्सा	वृद्धि दर %	
		2016-17	2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर)	अप्रैल 2000 - अक्तूबर 2017	2016-17	2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर)
1	सेवा क्षेत्र*	8.7	3.4	17.6	26.0	-45.8
2	निर्माण#	2.0	1.4	9.9	-57.5	22.0
3	दूरसंचार	5.6	6.1	8.4	320.1	115.9
4	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर	3.7	3.3	7.8	-38.2	116.0
5	कारोबार	2.3	1.6	4.4	-39.2	-1.2
6	होटल और पर्यटन	0.9	0.6	3.0	-31.3	-4.1
7	सूचना और प्रसारण	1.5	0.5	2.0	50.3	-48.9
8	अस्पताल और निदान केंद्र	0.7	0.6	1.4	0.7	6.9
9	परामर्शी सेवाएं	0.3	0.4	1.1	-49.5	137.6
10	समुद्री यातायात	0.7	0.6	0.9	71.2	71.1
	शीर्ष 10 सेवा श्रेणियां (1-10)	**26.4**	**18.4**	**56.6**	**-0.9**	**15.0**
	शीर्ष 15 सेवाएं	**27.2**	**19.5**	**58.5**	**-1.7**	**17.5**
	कुल एफडीआई	**43.5**	**28.0**	**100.0**	**8.7**	**0.8**

स्रोत: **औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों पर आधारित।**

टिप्पणी: ***वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण;**

#अवसंरचना कार्यकलापों और टाउनशिप, आवासीय, तैयार अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं को मिलाकर।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई आवेदनों की आनलाइन प्रक्रिया इ-फाइलिंग के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद सरकार ने वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में एफआईपीबी को समाप्त करने की घोषणा की थी। हाल ही में 10 जनवरी 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधनों को अनुमोदित किया जिनके जरिए एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। विदेशी एयरलाइनों को भी एयर इंडिया में 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।

भारत का सेवा व्यापार

9.8 भारत विश्वभर में वर्ष 2016 (डब्ल्यूटीओ 2017) में 3.4 प्रतिशत के हिस्से के साथ वाणिज्यिक सेवाओं का आठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है जो भारत के पण्य निर्यात के 1.7 प्रतिशत हिस्से से दोगुना है। इसके अलावा भारत के निर्यातों में सेवा क्षेत्र की बढ़ती महत्ता को दर्शाते हुए सेवा निर्यात और पण्य निर्यात का अनुपात 2000-01 में 35.8 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 58.2 प्रतिशत हो गया है जबकि भारत के सेवा निर्यातों ने 2006-07 से 2016-17 के दौरान 8.3 प्रतिशत सीएजीआर दर्ज की थी, 2015-16 में इसने (-) 2.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। 2016-17 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सेवा क्षेत्र की निर्यात वृद्धि सकारात्मक वृद्धि में बदल गई। यात्रा और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में कारोबार के साथ अप्रैल-सितम्बर 2017-18 के दौरान सेवा निर्यात ने 16.2 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की थी (सारणी 3)। विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यात्रा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की पहली छमाही में 27.7 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। पारम्परिक सेवाओं के कीमत दबावों और चुनौतीपूर्ण कारोबार के वैश्विक माहौल का सामना करने के बावजूद घरेलू साफ्टवेयर कम्पनियों, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों में 2.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो पिछली अवधि की तुलना में मामूली सा सुधार है।

9.9 अप्रैल-सितम्बर 2017-18 में भारत के सेवा निर्या. तों ने 17.4 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त कर लिया चूंकि यातायात क्षेत्र के भुगतानों में 15.0 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई। अन्य प्रमुख सेवा आयातों में यात्रा में 12 प्रतिशत तक और व्यवसाय सेवाओं में 11.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई (सारणी 3)। व्यवसाय सेवा भुगतानों में वृद्धि मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास सेवाओं, व्यवसायिक और प्रबंधन संबंधी परामर्शी सेवाओं और तकनीकी व्यापार संबंधी तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के आयात के लिए उच्चतर भुगतानों के कारण हुई। हालांकि साफ्टवेयर सेवा आयातों का हिस्सा केवल 4.3 प्रतिशत था, इसकी वृद्धि लगभग 47.6 प्रतिशत के आस-पास थी।

9.10 2015-16 और 2016-17 में आयातों की तुलना में सेवा निर्यातों में कम वृद्धि से निवल सेवा प्राप्तियों में गिरावट आई। अप्रैल-सितम्बर 2017-18 के दौरान निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई। सेवा क्षेत्र में निवल अधिशेष ने 2017-18 के पूर्वार्द्ध में भारत के लगभग 49 प्रतिशत पण्य घाटे को वित्तपोषित किया था और चालू खाता घाटे के आघात को झेलने में मदद की थी।

9.11 सेवा निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की अपनी मध्यवार्षिक समीक्षा में भारतीय सेवा निर्यात स्कीम (एसइआईएस) के अन्तर्गत 1,140 करोड़ रु. के अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन जिससे होटल एवं रेस्त्रां, हॉस्पीटल, शैक्षणिक सेवाओं आदि सहित सेवा निर्यातों में मदद मिल सकती है, के प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। यद्यपि वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार परिमाण में 2018 में तेजी आने का पूर्वानुमान है, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और अधिक कड़े प्रवासी नियम भारत के सेवा निर्यातों की रूप रेखा में प्रमुख कारक बनेंगीं।

प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन

9.12 सीएमआईई आंकड़ों (सारणी 5) के साथ वर्ष 2016-17 (सारणी 4) भारत में विभिन्न सेवाओं के कतिपय उपलब्ध संकेतक पर्यटन, विमानन और दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय अच्छे निष्पादन को दर्शाते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध सीमित आंकड़े भी इन तीन क्षेत्रों में अच्छे निष्पादन की ओर संकेत करते है।

सारणी 3: भारत की मुख्य सेवाओं का व्यापार निष्पादन

	मूल्य (बिलियन यूएस $ में)	शेयर (%)	वृद्धि (%)			
	2016-17	2016-17	2015-16	2016-17	2016-17 H1	2017-18 H1
सेवा निर्यात	**163.1**	**100.0**	**-2.4**	**5.7**	**4.2**	**16.2**
यात्रा	23.2	14.2	4.6	9.3	7.6	27.7
यातायात	15.9	9.7	-19.9	13.2	9.6	6.9
विविध	121.2	74.3	-0.9	4.1	3.1	15.6
सॉफ्टवेयर सेवाएं	73.7	45.2	1.4	-0.7	0.0	2.3
व्यवसाय सेवाएं	32.9	20.2	2.0	13.6	8.4	7.6
वित्तीय सेवाएं	5.1	3.1	-12.7	3.1	-4.1	-13.4
सेवा आयात	**95.7**	**100.0**	**3.7**	**13.0**	**16.5**	**17.4**
यात्रा	16.4	17.2	-3.4	11.1	15.7	12.0
यातायात	14.1	14.8	-6.8	-6.3	-10.0	15.0
विविध	63.0	65.9	9.8	19.5	26.5	19.3
सॉफ्टवेयर सेवाएं	3.6	3.7	-0.3	32.9	25.9	47.6
व्यवसाय सेवाएं	32.3	33.7	12.5	3.7	8.3	11.3
वित्तीय सेवाएं	5.9	6.1	-12.4	86.7	69.3	-0.2
निवल सेवा निर्यात	**67.5**	**100.0**	**-9.0**	**-3.2**	**-10.0**	**14.6**

स्रोत: आरबीआई के भुगतान शेष (बीओपी) डाटा (बीपीएम-5) पर आधारित।

9.13 व्यापार और जहाजरानी सेवा की मजबूती दर्शाने वाली माल भाड़ा सूची और अच्छे निष्पादन का एक मुख्य सूचक दि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 20 मई, 2008 को 11,793 के शीर्ष से 8 दिसंबर, 2008 को गिरकर 663 के निम्न स्तर पर आ गया था। और यह 11 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार 290 पर खतरे की स्थिति में रहा, और इसमें तबसे कुछ सुधार हुआ है और यह 17 जनवरी, 2018 को 1,164 पर था (चित्र 4)।

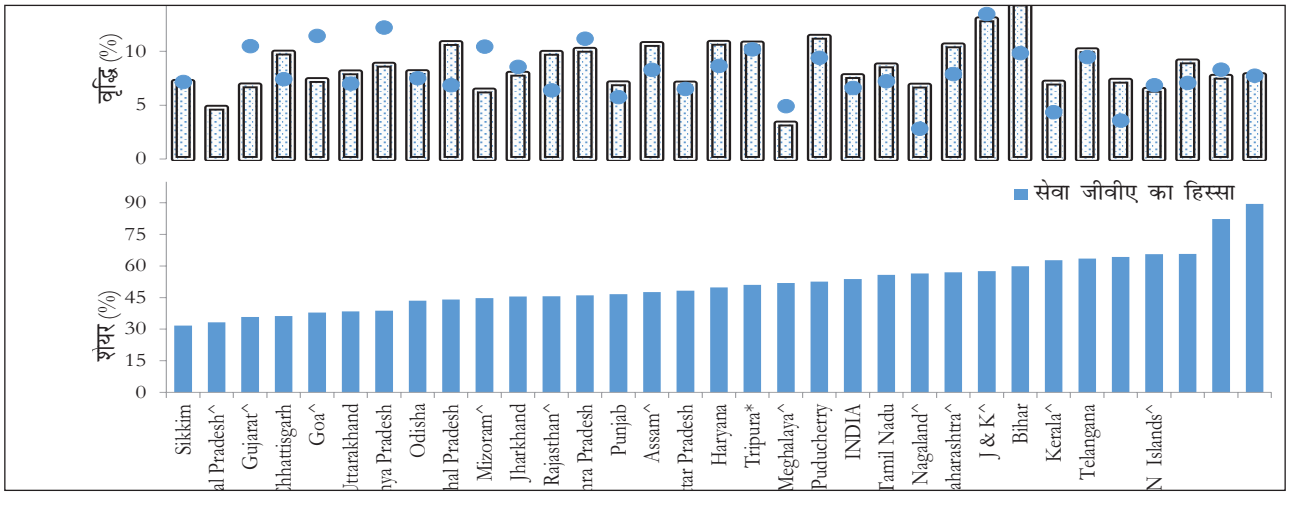
सारणी 4: भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	यूनिट	अवधि			
			2009-10	2015-16	2016-17	2017-18
आईटी- बीपीएम*	आईटी-बीपीएम सेवा आगम	यूएस $ बिलियन	64.0	129.4	139.9	150-152[P]
	निर्यात	यूएस $ बिलियन	49.7	107.8	116.1	124-125[P]
	घरेलू	यूएस $ बिलियन	14.3	21.6	23.8	26-26.5[P]
विमानन*	एयरलाइन यात्री (कुल)	मिलियन	77.4	135.0	158.4	(76.1)86.7[#]
	घरेलू	मिलियन	45.3	85.2	103.7	(49.5)57.5[#]
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	32.1	49.8	54.7	(26.6)29.2[#]
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन	बिलियन	0.6	1.0	1.2	(1.1)1.2
	(वायरलाइन और वायरलैस)[ख]	मिलियन	5.2	8.0	8.8	10.2
	विदेशी पर्यटक आगमन[क]	यूएस $ बिलियन	11.1	21.1	22.9	27.7
पर्यटन	पर्यटन से विदेशी	मिलियन	9.6	10.9	11.6	12.7[@]
	मुद्रा आय[क]	यूएस $ बिलियन	998	1273	1316	1374[@]
जहारानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टन भार[ख]	मिलियन जीटी	850.0	1071.9	1133.1	574.7[#]
	जहाजों की संख्या[ख]	संख्या				
पत्तन	पत्तन यायायात	मिलियन टन				

स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, एनएएसएससीओएम से संकलित।

टिप्पणी: [क]कलैंडर वर्ष, उदाहरणार्थ 2009-10 के लिए 2009; [ख]आगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार; @30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार डाटा, #डाटा अप्रैल-सितम्बर 2017 के लिए है; ~डाटा अक्तूबर 2017 की स्थिति के अनुसार है; ^डाटा जनवरी से नवम्बर 2017 के लिए है जीटी=सकल टनभार; एमटी=मैट्रिक टन हार्डवेयर को छोड़कर; 2017-18 के लिए पूर्वानुमानित दायरा। *घरेलू यात्रियों का आवागमन केवल अनुसूचित घरेलू सेवाओं पर अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा हुआ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन भारतीय राज्य-क्षेत्र में और से अनुसूचित भारतीय एवं विदेशी वाहकों द्वारा हुआ; कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि के है।

चित्र 4: बाल्टिक ड्राई इंडेक्स



स्रोत: https://in.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data

सारणी 5: चुनिंदा सेवाओं की निवल बिक्री में वृद्धि: कंपनी आधारित डाटा निवल बिक्री

सेवा	निवल बिक्री							
	2015-16	2016-17	2016-17				2017-18	
			ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
यातायात संभारतंत्र	1.0	7.3	4.9	6.7	9.8	7.7	6.6	4.3
जहाजरानी	-1.6	-18.7	-25.2	-29.2	-12.8	-4.7	5.1	4.4
विमानन	6.7	9.1	6.0	14.1	9.5	34.6	18.7	12.6
खुदरा	23.0	19.5	29.7	29.5	0.8	23.7	24.4	9.6
कारोबार	15.4	12.8	12.1	14.4	13.6	11.2	10.8	10.5
स्वास्थ्य सेवाएं	8.1	2.7	2.0	4.3	3.9	0.8	4.8	-2.6
होटल एवं रेस्तंरा	17.8	9.5	18.8	8.2	7.1	5.2	5.2	0.7
आईटीईएस	11.2	7.2	10.7	6.8	7.3	4.5	3.0	4.7
सॉफ्टवेयर	7.6	-1.9	4.9	-6.5	-3.5	-1.9	7.4	-3.6
निर्माण एवं रियल एस्टेट								

स्रोत: एक्जिम बैंक रिसर्च (सीएमआईई से प्राप्त डाटा)

टिप्पणी: वार्षिक आंकड़े, सकल बिक्री को संदर्भित करते हैं।

9.14 पिछली कुछ तिमाहियों में सेवा क्षेत्र की फर्मों के बिक्री के परिणामों का विश्लेषन दर्शाता है कि केवल वे क्षेत्र जो दबाव का संकेत दे रहे है वे क्षेत्र निर्माण और रीयल एस्टेट है। 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में दूसरी तिमाही में होटल एवं रेस्तंरा और निर्माण एवं रीयल एस्टेट को छोड़कर सभी क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

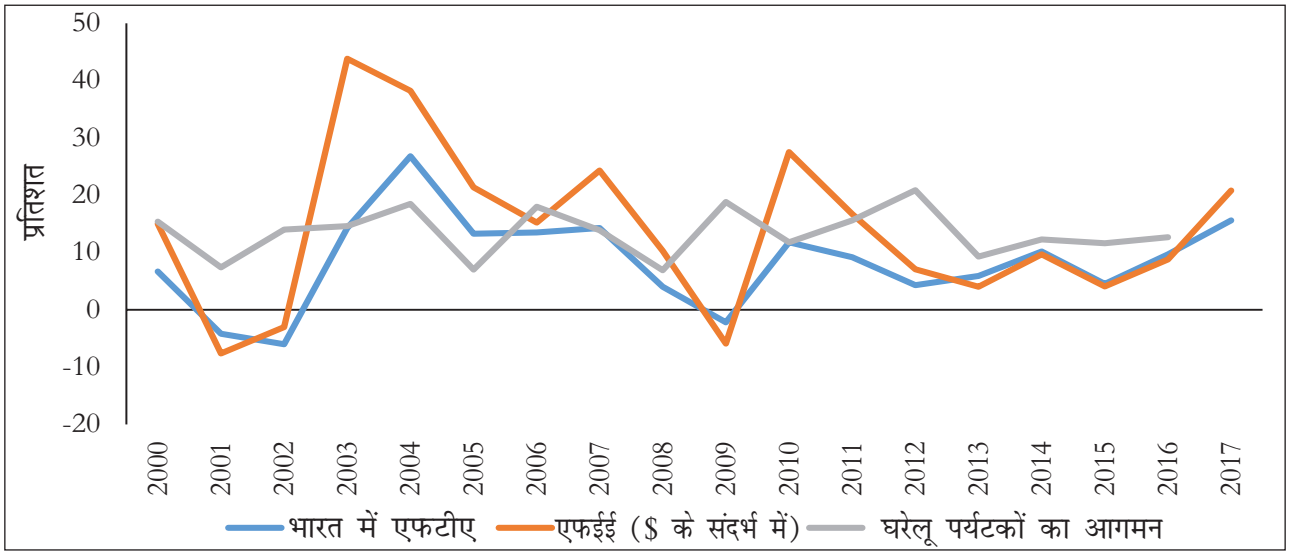
प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां

9.15 इस खंड में भारत के लिए जरूरी कुछ सेवाओं को जीडीपी/जीवीए, रोजगार, निर्यात और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनके महत्व के आधार पर वर्णित किया गया है। दूसरे अध्यायों में उल्लिखित कुछ जरूरी सेवाएं दोहराव से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं की गई हैं।

पर्यटन

9.16 संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (दिसम्बर, 2017 प्रकाशन) के नवीनतम वैश्विक पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, 2016 में अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल मिलाकर 1.2 बिलियन तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 मिलियन अधिक था, हालांकि 3.9 प्रतिशत की यह वृद्धि दर 2015 (4.6 प्रतिशत) की तुलना में मामूली सी कम थी। भारत में, 2016 में 8.8 मिलियन विदेशी पर्यटक आए (9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई) और 22.9 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जन (8.8 प्रतिशत की वृद्धि) के साथ पर्यटन क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2017 के दौरान 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन, विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ जबकि 2016 की तुलना में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27.7 बिलियन, अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी (चित्र 5)।

चित्र 5: विदेशी पर्यटक आगन्तुकों, विदेशी मुद्रा राजस्व और देशी पर्यटकों में वृद्धि



स्रोत: पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

9.17 हाल के वर्षों में विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है भारत से बाहर जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 7.3% की दर से बढ़ रही है, और यह 2015 में 20.4 मिलियन से बढ़कर 2016 में 21.9 मिलियन थी। यह भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या से दो गुनी है। 2016 के दौरान देशी पर्यटकों की संख्या में 12.7% की दर से वृद्धि हुई और यह 2015 में 1,432 मिलियन से बढ़कर 2016 में, 1,614 मिलियन थी। 2016 में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक थे, जिन्होंने 2016 के दौरान कुल देशी पर्यटकों की संख्या में 61.3% योगदान दिया। केंद्रीय संरक्षित टिकटवाले स्मारकों में देशी पर्यटकों के लिए 2016 में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखा गया स्मारक ताजमहल था, उसके बाद कुतुब मीनार तथा लाल किला का नंबर आता है। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा पर्यटन स्मारक ताजमहल था। इसके बाद आगरा फोर्ट तथा कुतुब मीनार का नंबर आता है।

9.18 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों में 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटकों, मेडिकल एवं बिजिनेस की तीन श्रेणियों के अंतर्गत ई-वीसा की सुविधा शुरू की गई विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए ग्लोबल मीडिया अभियान की शुरूआत, भारत में विश्व धरोहर स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए ''दि हेरिटेज ट्रेल''; भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ''देखो अपना देश'' नाम से 3 घटकों वाले ''पर्यटन पर्व'' का अनुष्ठान, देश के सभी राज्यों के स्थल विशेष में पर्यटन समारोह ''पर्यटन, सभी के लिए'' का आयोजन; और विभिन्न मसलों पर पणधारकों के साथ ''पर्यटन एवं शासन'' पर संवाद पत्र एवं कार्यशाला का आयोजन इत्यादि। ई-पर्यटक वीसा के जरिए विदेशी पर्यटकों की संख्या में 143 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 2016 के 10.8 लाख से बढ़कर 2017 के दौरान 17.0 लाख हो गई। इसमें 57.2 प्रतिशत तक बढ़त हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम सेवाएं

9.19 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम में 8.1% की दर से वृद्धि हुई और नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में 129.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 में 139.9 बिलियन अमरीकी डालर (ई-कामर्स तथा हार्डवेयर को छोड़कर) हो गया। आईटी-बीपीएम निर्यातों में 7.6% वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान यह 107.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 116.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2016-17 में ई-कामर्स बाजार में 19.1% वृद्धि दर के साथ व्यापार तकरीबन 33 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। बहरहाल, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, साफ्टवेयर निर्यातों में वर्ष 2016-17 में (-) 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2017-18 की पहली छमाही में इसमें 2.3% का इज़ाफा हुआ। अमरीका, इग्लैंड और यूरोपियन यूनियन देशों का आईटी-आईटीईएस निर्यातों में तकरीबन 90% योगदान है। यद्यपि इन पारंपरिक देशों में नई चुनौतियां उभर कर आ रही है, एपैक, लेटिन अमरीका, और मिडिल ईस्ट एशियाई देशों से मांग बढ़ रही है और यूरोप महाद्वीप, जापान, चीन और अफ्रीका में विस्तारण के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

9.20 कुल मिलाकर 2016-17 में आईटी-बीपीएम उद्योग में तकरीबन 3.9 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, जोकि 2015-16 की तुलना में 173,000 व्यक्ति अधिक हैं। इस उद्योग-जगत में 16,000 से अधिक फर्में है, जो 4,750 स्टार्ट-अप्स सहित संपूर्ण सेवाएं मुहैया करती हैं। दशक (2006-2016 के दौरान) भारत के कुल सेवा निर्यातों में आईसीटी के हिस्से में कुछ गिरावट आई है, जबकि चीन, ब्राजील, रूस, फिलीपीन्स, इज़राइल और यूक्रेन जैसे देशों में कुल सेवा निर्यातों में आईसीटी के हिस्से में वृद्धि हुई है, जोकि भारत के लिए इन देशों से टक्कर की प्रतिस्पर्धा दर्शाता है (चित्र: 6)।

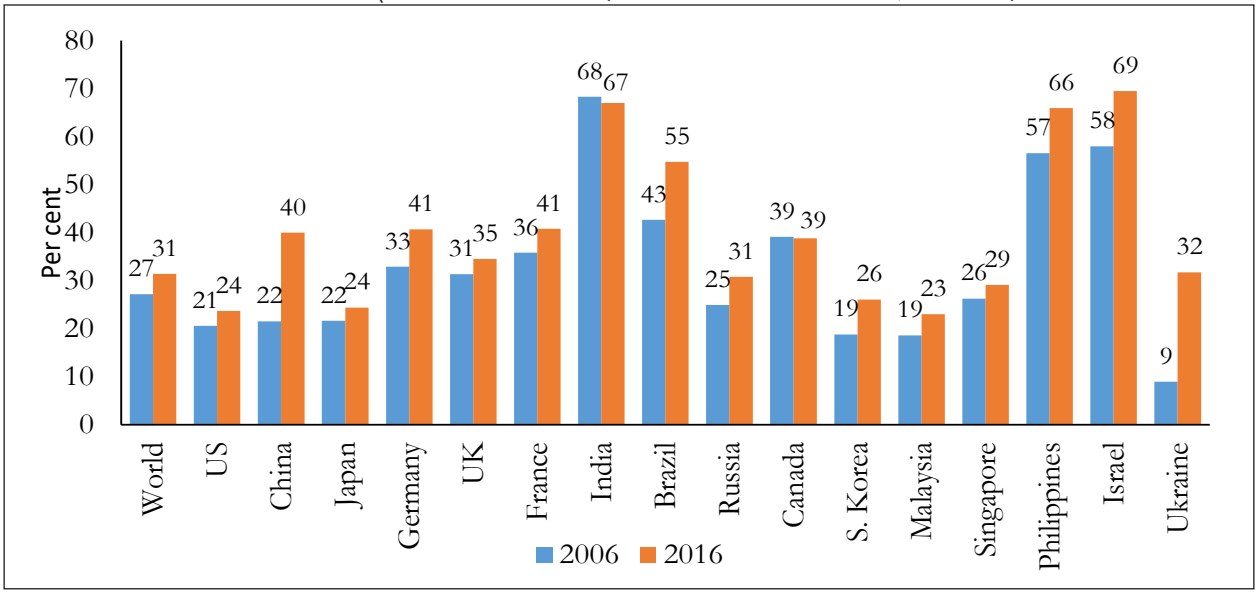
9.21 इस सेक्टर को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें डिजिटल समावेशन सृजित करने में सहायता करना, समतापूर्ण वृद्धि हासिल करना और 1.45 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए, ज्यादातर छोटे शहरों में बीपीओ संवर्धन एवं साझा सेवा केन्द्रों को स्थापित करना; 5000 सीटों वाली पृथक पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना, जिसके तहत 15,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकता है, की स्थापना, खुली डाटा संरक्षण नीति कानून के प्रारूप को तैयार करने के अलावा, दीर्घ कालिक शुरूआतें जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी ई-गवर्नेंस, कौशल भारत के जरिए डिजिटल प्रतिभा को प्रोत्साहन, नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर पलायन और स्टार्ट-अप इंडिया के जरिए अभिनव परिवर्तन को जागृत करने के प्रयास आदि शामिल हैं।

स्थावर संपदा और आवासन

9.22 स्थावर संपदा क्षेत्र का हिस्सा, जिसमें मकानों का स्वामित्व भी शामिल है, 2015-16 में भारत की समग्र जीवीए का 7.7 प्रतिशत था। पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि में कमी आई है, जोकि 2013-14 में 7.5 प्रतिशत से कम हो कर 2014-15 में 6.6 प्रतिशत हो गई और यह 2015-16 में और घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई। ऐसा मुख्यत: रिहायशी क्षेत्र के स्वामित्व में वृद्धि के कारण हुआ जोकि समग्र जीवीए का 6.8 प्रतिशत था, जो 2013-14 में 7.1 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 3.2 प्रतिशत हो गया। निर्माण क्षेत्र, जिसमें इमारतें, बांध, सड़क, पुल इत्यादि शामिल हैं, की वृद्धि में कमी आई, जो 2015-16 में 5.0 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रह गई।

9.23 2017 के पहली छमाही के दौरान 14 प्रमुख शहरों में आवासीय योजनाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम रही, जो राष्ट्रीय स्थावर संपदा विकास परिषद के अनुसार 58,000 इकाई थी। इसी तरह नए मकानों की बिक्री भी इसी अवधि के दौरान 5 वर्षों में न्यूनतम रही, जोकि लगभग 101,850 इकाई थी। यद्यपि 2016 की पहली छमाही की तुलना में 2017 की पहली छमाही में बिक्री में 38 प्रतिशत

चित्र 6: आईसीटी सेवा निर्यात (सेवा निर्यात का प्रतिशत, बीओपी)



स्रोत: विश्व बैंक डाटा

टिप्पणी: आईसीटी-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातों में कम्प्यूटर और संचार सेवाएं (दूरसंचार और डाक और कोरियर सेवाएं) और सूचना संबंधी सेवाएं शमिल हैं (कम्प्यूटर डाटा और समाचार संबंधी सेवाओं के लेन-देन)

कमी आई, इसी अवधि के दौरान नई इकाइयों को शुरू करने में 56 प्रतिशत कमी आई। यद्यपि कुछ हाल के सुधारों से भले ही कुछ समय के लिए आवासीय बाजारों पर प्रभाव पड़ा हो इन सुधारों से अनबिक मांग सूची स्तर जो अप्रैल, 2016 में 888,373 थी में कमी होकर अक्तूबर, 2017 में 807,903 यूनिट रह गई। स्थावर संपदा क्षेत्र में निजी इक्विटी के निवेश में भागीदारी 2013 में 0.9 बिलियन अमरीकी डालर बढकर 2016 में 5.9 बिलियन डालर थी जो इस अवधि के दौरान छह गुणा से अधिक दर्ज की गई। 2016 में 5.9 प्रतिशत बिलियन डॉलर थी जोकि इस अवधि के दौरान 5 गुणा वृद्धि दर्शाता है। भारतीय स्थावर संपदा में वर्ष 2017 में पिछले एक दशक की तुलना में उच्चतम सालाना निवेश होने की संभावना है और लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की धनराशि जनवरी से जून 2017 के बीच निवेशित की जा चुकी है। सशक्त भारतीय अर्थव्यवस्था और कई वृद्धि समर्पित सुधारों को आरंभ करने के साथ जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि स्थावर संपदा क्षेत्र में उच्चतर निवेश आकर्षित हो रहा है। 2016 की शुरूआत से भारतीय स्थावर संपदा ने 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक धनराशि का संस्थागत निवेश (वाणिज्यिक स्थावर संपदा को छोड़कर) आकर्षित किया है, जोकि 2013 से कुल निवेश का आधा है, या इससे अधिक ही है। निर्माण विकास क्षेत्र में एफडीआई पांच वर्ष में सबसे कम होकर वर्ष 2016 में 107 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। पांच वर्षों में एफडीआई निवेश में उल्लेखनीय और सतत कमी का कारण यह था कि अपतट निवेशक अपनी अधि कतर निधियाँ ऋण या स्तरित ऋण के माध्यम से निवेश कर रहे थे। विकासकर्ताओं को दिए ऋण पर निश्चित प्रतिफल देने के कारण उनके निवेशों की रक्षा होती है और साथ ही निवेशों का खतरा कम हो जाता है। तथापि इसमें सुधार के लक्षण आने लगे हैं उसी वर्ष 2017 की पहली छमाही में 257 मिलियन अमेरिकी डालर का कुल एफडीआई और वर्ष 2016 के पूरे वर्ष के कुल एफडीआई के दोगुने से अधिक है। कुल सकारात्मक भावना का श्रेय अनेक कारकों, जैसे विनियामक माहौल, अवसंरचना में वृद्धि और स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) को दिया गया था। इन नीतिगत पहलों से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही आने तथा सेक्टर को बेहतर ढंग से संगठित और स्तरित करने और उसके जरिए निवेश बढ़ाने की संभावना है। मांग पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) के अलग-अलग आवास ऋण वितरण में 2015-16 की तुलना में 2016-17 में लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि, पीएसबी और एचएफसी के अलग-अलग आवासीय गृह ऋण विभागों की बढ़ती गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां चिंता का विषय है।

9.24 एनएचबी रेजीडेक्स के अनुसार अप्रैल-जून 2017 के दौरान 50 प्रमुख शहरों में से 36 शहरों में गृह मूल्य सूचकांक में बढ़ती वार्षिक प्रवृत्ति देखने को मिली हैं। इनमें विशाखापट्टनम की वृद्धि सबसे अधिक 15.7 प्रतिशत, दिल्ली की 8.1 प्रतिशत और नोएडा की वृद्धि सबसे कम 0.9 प्रतिशत थी। सूचकांक में कमी दर्शाने वाले 13 शहरों में सबसे अधिक कमी भिवाड़ी (-10.6 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद कोयम्बतूर (-6.6 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (-5.9) प्रतिशत का स्थान रहा।

9.25 गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के बढ़ने, स्थावर संपदा सेक्टर को जोखिमपूर्ण बताने और स्थावर संपदा सेक्टर में लाभ कम होने से बैंक इस सेक्टर को ऋण देने के प्रति अनिच्छुक हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थावर संपदा को संगठित निधीयन में वर्ष 2013 में 68 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2016 में 17 प्रतिशत की कमी आई है। रोचक बात यह है कि प्राइवेट इक्विटी (पीई) निधियों और वित्तीय संस्थाओं जैसे पेंशन निधियों और संप्रभु धन निधियों ने इस सेक्टर के सबसे बड़े स्रोत के रूप में बैंकों का स्थान ले लिया है। स्थावर संपदा के क्षेत्र में निजी सम्पदा (पीई) निधियों और इन संस्थाओं का अंश वर्ष 2013 में 14 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में 82 प्रतिशत से अधिक हो गया है। 2013-16 की अवधि के लिए संचयी आधार पर पीई निधियां, निधियन की सबसे बड़ी स्रोत रही हैं जिनकी हिस्सेदारी (शेयर) 57 प्रतिशत थी, इसके बाद बैंकों की ऋण देनदारी थी जो 34 प्रतिशत थी। जबकि शेष 9 प्रतिशत का निधियन एफडीआई से आने वाले धन से किया जाता है।

9.26 स्थावर संपदा और निर्माण दोनों मिल कर देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस क्षेत्र ने वर्ष 2013 में 40 मिलियन जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाया और अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017 तक लगभग 52 मिलियन और वर्ष 2022 तक लगभग 67 मिलियन जनशक्ति को इस क्षेत्र द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने की आशा है। इससे स्पष्ट है कि अगले 5 वर्षों में यह क्षेत्र 15 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा करेगा, जो प्रति वर्ष तीन मिलियन रोजगार के रूप में परिवर्तित होगा।

स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र में नियोजित लगभग 90 प्रतिशत जनशक्ति भवनों के निर्माण कार्य में संलग्न है। शेष 10 प्रतिशत जनशक्ति निर्माण कार्य को पूरा करने, अंतिम रूप देने, वैद्युत, प्लंबिंग, अन्य संस्थापन सेवाओं, विध्वंस (तोड़-फोड़) और स्थल को तैयार करने जैसे कार्यों में संलग्न रहती है। स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत रोजगार अल्प कुशल जनशक्ति के लिए होते हैं जबकि कुशल जनशक्ति का अंश 9 प्रतिशत होता है और शेष क्लर्क, तकनीशियन और इंजीनियर वर्गों तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के अनुसार वर्ष 2022 तक स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र के लिए लगभग 66 मिलियन लोगों की जरूरत होगी जो सभी क्षेत्रों (सेक्टरों) में सबसे बड़ा है।

9.27 स्थावर संपदा क्षेत्र में कुछ हालिया सुधारों और नी. तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शामिल है जिसमें सरकार ने नवंबर, 2017 तक शहरी क्षेत्रें में वहनीय आवासीय खंड के लिए 3.1 मिलियन आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है इनमें से, 1.6 मिलियन आवासों का नीवं खड़े किए गए हैं और निर्माण के विभिन्न चरण पर हैं और इस मिशन के अंतर्गत लगभग 0.4 मिलियन आवासों का निर्माण किए गए हैं। वहनीय आवासीय खंडों के लिए 21 सितंबर, 2017 को पीपीपी नीति भी घोषित की गई थी ताकि ''वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास'' नामक महात्वाकांक्षी मिशन को और बल दिया जा सके। पीएमएवाई के अंतर्गत उधार से जुड़ी सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) मध्यम आय वर्ग (एमआईपी) खंड तक विस्तारित की गई जिसे 1 जनवरी, 2017 से स्कीम में शामिल किया गया। स्थावर संपदा (वि. नियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का अधिनियमन हो जाने पर अनुमान है कि जवाबदेही से स्थावर संपदा मूल्य श्रृंखला में उच्च वृद्धि होगी जबकि अनिवार्य प्रकटनों और पंजीकरणों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अनुसंधान और विकास

9.28 सीएसओ की नई पद्धति के अनुसार, अनुसंधान और विकास (आर ऐंड डी) के लिए अलग से शीर्ष नहीं है जो व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों का भाग होता है। इन सेवाओं में क्रमशः 2014-15 और 2015-16 में 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत स्थित आरएंडडी सेवा कंपनियों में लगभग 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वैश्विक बाजार का 22 प्रतिशत है। तथापि, अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय काफी कम अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में वैश्विक नवाचारी सूचकांक (जीआईआई) 2017 में भारत का रैंक 127 में से 60वां है, हालांकि वर्ष 2016 में 66वां रैंक से इसमें सुधार हुआ है। ब्रिक्स देशों में केवल दक्षिण अफ्रीका ही अनुसंधान और विकास व्यय रैंक में भारत से पीछे है।

सारणी 6: कुछ चुनिंदा कंपनियों का वैश्विक नवाचारी सूचकांक

	वैश्विक नवचारी		मानव पूंजी और अनुसंधान		अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)		अनुसंधानकर्ता		अनुसंधान और विकास	
देश	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)
ब्राजील	69	33.1	50	35.9	29	37.2	55	8.3	32	26.9
चीन	22	52.5	25	49.2	17	58.5	45	14.1	17	48.5
भारत	**60**	**35.5**	**64**	**32.3**	**32**	**35.9**	**81**	**1.8**	**43**	**19.1**
दक्षिण कोरिया	11	57.7	2	66.2	1	88.2	3	85.8	2	98.4
रूस	45	38.8	23	50	25	41.5	29	37.8	34	26.1
दक्षिण अफ्रीका	57	35.8	60	32.8	39	27.1	65	5.2	48	16.6
यूनाइटेड किंगडम	5	60.9	6	63.3	10	69.5	18	54.1	21	39.5
संयुकत राज्य अमेरिका	4	61.4	13	57.2	4	78.8	20	51.2	10	65

स्रोत: वैश्विक नवचारी सूचकांक, 2017

9.29 वर्ष 2016 के लिए इंजीनियरी अनुसंधान और विकास खंड में सेवा प्रदाताओं की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार विश्व भर में अनुसंधान और विकास पर खर्च करने वाले 500 शीर्षस्थ लोगों द्वारा अनुसंधान और विकास पर खर्च में पिछले दो वर्षों की तुलना में लगातार 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिनमें डिजिटल दृष्टि से प्रथम अनुसंधान और विकास संगठन बनाने पर बल रहा है। वर्ष 2016 में कुल अनुसंधान और विकास वैश्वीकरण और सेवा अवसरों का 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान था और वर्ष 2021 तक इसके 289 बिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। अंतस्थापित (इम्बेडेड) और साफ्टवेअर इंजीनियरी अनुसंधान और विकास आउटसोर्सिंग बाजार का 76 प्रतिशत होता है। भौगोलिक विस्तार में भारत, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का 75 प्रतिशत, वैश्विक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास सेवा बाजार पर कब्जा है। भारत का इंजीनियर अनुसंधान और विकास (ईआर एंड डी) वैश्वीकरण और सेवा बाजार, जो वर्तमान में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, उनके 2020 तक 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की आशा है।

9.30 तथापि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार भारत की नवाचार क्षमता, अमेरिका यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया की नवाचार क्षमता से कम है परंतु चीन की क्षमता से अधिक है। अनुसंधान और विकास पर विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग की दृष्टि से भारत की रैंक सभी ब्रिक्स देशों से बेहतर है और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की उपलब्धता की दृष्टि से यह चीन को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों से बेहतर स्थिति में है। तथापि प्रति-मिलियन जनसंख्या पर पेटेंट के आवेदनों की दृष्टि से भारत अन्य ब्रिक्स देशों से काफी पीछे है और अनुसंधान और विकास पर कंपनी के व्यय की दृष्टि से भारत चीन से कुछ नीचे है (सारणी 7)

9.31 सरकार ने भारत में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) क्षेत्र के विकास के लिए अनेक पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत रूपांतरण राष्ट्रीय संस्थान (नीति) आयोग में अटल नवाचारी मिशन (एआईएम) स्थापित करना शामिल है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में भारत और इजरायल के बीच करार में अगले दो वर्षों में प्रत्येक पक्ष से 01 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रावधान है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल और साइबर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर आंकड़ा विश्लेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा सके। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ईएफसीसी) ने वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी) जैसी प्रशीतक गैसों के विकल्प के रूप में अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक प्रशीतक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के

सारणी 7: वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक: अनुसंधान और विकास नवाचार

देश समग्र नवाचार	नवाचार की क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता		अनुसंधान और विकास पर कंपनी का खर्च		आर ऐंड डी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदत्त पीटीसी पेटेंट/मिलियन जनसंख्या			
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
संयुक्त रजाज्य अमेरिका	6.0	2	6.0	5	5.9	2	5.7	2	5.7	2	176.5	10	5.8	2
यूनाइटेड किंगडम	5.5	11	6.3	2	5.1	14	5.4	6	4.9	17	99.1	18	5.1	12
दक्षिण कोरिया	4.7	35	4.8	32	4.4	28	4.4	27	4.5	38	249.5	5	4.8	18
भारत	**4.5**	**42**	**4.7**	**35**	**4.5**	**23**	**4.4**	**26**	**4.6**	**32**	**1.7**	**63**	**4.1**	**29**
चीन	4.5	44	4.6	36	4.6	21	4.4	28	4.7	29	17.7	30	4.1	28
दक्षिण अफ्रीका	4.9	30	4.4	42	4.3	32	4.4	29	3.5	100	5.8	49	3.8	39
रूस	4.2	65	4.4	41	3.5	54	3.9	42	4.3	50	7.8	46	3.5	49
ब्राजील	4.1	73	3.7	77	3.4	62	3.4	70	3.6	90	3.4	53	3.2	85

स्रोत: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2017-18, वैश्विक आर्थिक मंच
टिप्पणी: पीसीटी-पेटेंट सहयोग संधि

लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पहल की है ताकि ओजोन की परत और जलवायु पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का उद्देश्य लंबित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के आवेदनों को अनुमति देने में लगने वाले समय को कम करना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (डीएमआ. ईआर), कारपोरेट उद्योग द्वारा स्थापित आंतरिक अनुसंधान और विकास यूनिटों जैसी नई प्रोद्योगिकियों डिजाइन और इंजीनियरी का विकास, प्रक्रिया/उत्पाद/डिजाइन सुधार, विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धतियां विकसित करने, पूंजी उपस्कर, सामग्री और ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, बहि:स्राव शोधन, कचरे के पुन:चक्रण आदि को मान्यता प्रदान करने/ पंजीकृत करने की एक स्कीम चला रहा है। 31 दिसंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार डीएसआईआर द्वारा 1900 फर्मों की आंतरिक आर एंड इकाइयों को मान्यता प्रदान की गई। इनमें से लगभग 60 कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, विद्युत, इंजीनियरी, जैव प्रौद्यो. गिकी, रक्षा आदि के क्षत्र में अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान कर रही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् डीएसआईआर की एक स्वायत्त निकाय है, जो विभिन्न विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में इसके आधुनिक अनुसंधान और विकास संबंधी ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है और अपनी 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से पैन इंडिया की उपस्थिति देता है जोकि मूल और प्रयोगिक अनुसंधान पर केंद्रित है। सीएसआईआर ने 39 आउटरीच केंद्रों और 3 नवोन्मेष परिसरों की भी स्थापना की है। सीएसआईआर की अनुसंधान और विकास संबंधी विशेषज्ञता और अनुभव लगभग 3700 सक्रिय वैज्ञानिकों में निहित है जिन्हें लगभग 6000 वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों द्वारा सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) जो डीएसआईआर का लोक क्षेत्र उद्यम है प्रौद्योगिकियों के लाइसेंसिंग और उद्योगों को जानकारी देने हेतु समग्र तकनीकी अंतरण सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्य अनुसंधान व विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा एनआरडीसी को सौंपे जाते हैं।

9.32 सरकार की सहायता से मिले बल से भारत में अनुसंधान और विकास क्षेत्र में आगामी वर्षों में जबर्दस्त वृद्धि रही है। प्रबंधन परामर्शी फर्म जिनोव द्वारा एक अध्ययन के अनुसार, भारत में इंजिनियरिंग आर एण्ड डी बाजार के 14 प्रतिशत की चक्रवर्धी दर से बढ़ने का अनुमान है जोकि 2020 तक 42 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच जाएगा। भारत कृषि और भेषजीय क्षेत्र में मजबूत वृद्धि होने का भी अनुमान है क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हेतु समर्पित अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने के लिए बड़ी राशि निवेश कर रही है। भारतीय आईटी उद्योग के भी आर एण्ड डी क्षेत्र के विकास में योगदान करने की उम्मीद है।

अंतरिक्ष सेवाएं

9.33 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें सामाजिक विकास और कार्यनीतिक अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए संचार, नौसंचालन तथा भू-प्रक्षेपण शामिल हैं, की अनुप्रयोज्यता के जरिए राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं ऐसे दो क्षेत्र है जहां भारत अपनी धाक जमा रहा है-ये क्षेत्र भविष्य में बहुत संभावनाओं से भरे हुए भी हैं। उपग्रह मानचित्रण में, हालिया वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जन में गिरावट आई है, यह मुख्यतया कई उपग्रह एजेंसियों द्व ारा अपनाई गई नि:शुल्क और खुली डाटा नीति के कारण रहा है। भारत संविदाओं के नवीकरण के लिए उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स (रिसोर्ससेट-2 और ओशियन सेट-2 से) आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए म्यांमार सहित आसियान सदस्यों को सहायता प्रदान करने और आसियान सदस्य देशों के लाभार्थ अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोज्यताओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी एक परियोजना को चला रहा है। एंट्रिक्स, फिलहाल, इंडियन रिमोट सेंसिंग (आईआरएस) उपग्रहों से सीधे संकेत प्राप्त करने और डाटा के प्रोसेसिंग को समर्थ बनाता है खासकर अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशनों/भारत के बाहर प्रोसेसिंग सुविधाओं पर रिसोर्स सैट-2, ओसन सेट-2 और कार्टो सैट-II निर्यात हेतु काफी संभावना है और एंट्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन (आईजीएस) को बढ़ाने पर कार्य कर रही है और इस संबंध में वार्ताएं अगले चरण पर है। वर्ष 2017-18 के दौरान, एंट्रिक्स, आईआरएस डाटा के वितरण हेतु पूरे विश्व में विभिन्न विक्रेताओं के साथ कार्य कर रहा है जिसमें यूरोप, यूएसए, लैटिन अमरीका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी देश शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, इन प्रयासों को मजबूत किया जा सकेगा। इसरो द्वारा जारी नए उत्पादों और सेवाओं को एंट्रिक्स द्वारा विपणन किया जा सकेगा।

9.34 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, उपग्रह प्रेक्षण के क्षेत्र में, पीएसएलवी ने 254 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं। इनमें 37 राष्ट्रीय उपग्रह, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक

संस्थानों द्वारा निर्मित 8 विद्यार्थी उपग्रह, एक पुनः प्रविष्टि मिशन और 29 देशों के 209 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में 2014–15 में 149 करोड़ रुपए से 2015–16 और 2016–17 में 394 करोड़ रुपए और 275 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत की हिस्सेदारी 2014–15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 1.1 प्रतिशत हो गई। 2015–16 में विदेशी मुद्रा अर्जन, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दो समर्पित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के कारण अधिक रहा, जबकि 2016–17 में, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह मिशनों के लिए सह-यात्रियों के रूप में केवल अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। एंट्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनी निचली पृथ्वी कक्ष (एलईओ) उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी-एमके III प्रक्षेपण सेवाओं के काफी अधिक उपयोग की संभावनाएं दिखाई देती हैं।

निष्कर्ष

9.35 भारत का सेवा क्षेत्र वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में बढ़ने की संभावना है। यह सुधार निक्की/आईएचएस मार्किट सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में भी प्रतिबिम्बित होता है जो नवम्बर, 2017 में 48.5 रहा लेकिन दिसम्बर, 2017 में यह सुधर कर 50.9 हो गया। पयर्टन, विमानन और दूरसंचार जैसे उप क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन के साथ उज्ज्वल संभावनाएं दिखाई देती हैं। सेवा कारोबार के बेहतरीन निष्पादन से सॉफ्टवेयर जैसी प्रमुख सेवाओं का विकास भी सकारात्मक रूख पर है। तथापि, सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं के लिए वैदेशिक माहौल में ह्रास का जोखिम बना रहता है।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

10

अध्याय

अर्थशास्त्रियों को बहुत पहले से ही ज्ञात है कि लोग राष्ट्रों की संपदा के जरूरी घटक हैं।

–टी.डब्ल्यू. शल्ट्ज

भारत में समावेशी और सतत् विकास लाने के लिए, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सरकार मानव संसाधन पर व्यय भी बढ़ाती रही है और साथ ही योजनाओं का विलय करके व्यय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उपाय भी करती रही है। रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कार्यरत जनता को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किए जा रहे हैं। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आमदनी में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों को पाटना और समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को कम करना मानव सामर्थ्य को संवर्धित करने की विकासपरक कार्यनीति के मूल लक्ष्य रहे हैं।

10.1 मानव संसाधन में निवेश राष्ट्र-निर्माण करने वाली स्वस्थ और उत्पादक जनता के लिए पूर्व अपेक्षा है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने की पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश नहीं है। तथापि, सीमित संसाधनों को देखते हुए, सरकार ने जनता की शैक्षिक और स्वास्थ्य-विषयक स्थिति के सुदृढ़ीकरण को लगातार प्राथमिकता दी है। चूंकि भारत ज्ञान की अग्रणी अर्थव्यवस्थायों में से एक के रूप में उभरने की स्थिति में है अत: शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य जैसे मामले सरकार की प्राथमिकताएं बने रहेंगे।

सामाजिक क्षेत्रक व्यय की प्रवृत्तियां

10.2 स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समाजिक अवसंरचना में सरकारी निवेश किसी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण रहते हैं। तथापि, केन्द्र और राज्यों द्वारा समाज-सेवाओं पर व्यय जीडीपी के अनुपात के रूप में 2012-13 से 2014-15 के दौरान 6 प्रतिशत के दायरे में बना रहा है। 2015-16 में 5.8 प्रतिशत के साथ इसमें मामूली गिरावट हुई है, जो 2016-17 के लिए (ब.अ.), यह बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गया है (सारणी 1)। *स्टेट फाइनेन्सेज: अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2016-17 (आरबीआई)* से प्राप्त 29 राज्यों के आंकड़ों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सामाजिक सेवाओं संबंधी व्यय (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) में 6.0 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत की बढ़ती गति दर्शायी है।

सर्वजन शिक्षा

10.3 भारत सरकार ''समाज की सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने'' के मामले में 2030 तक शिक्षा के लिए धारणीय विकासपरक लक्ष्य (एसडीजी-4) प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक शिक्षा के व्यापकीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से, 2010 में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था जो न्यायोचित विधिक रूपरेखा का प्रावधान करता है और 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुफ्त और अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षापूर्णता का हक देता है। यह बच्चों को समता और

सारणी 1. सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा व्यय की प्रवृत्तियां

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 सं.अ.	2017-18 ब.अ.
						(₹ लाख करोड़)
कुल व्यय	26.95	30.00	32.85	33.78	40.60	43.96
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.58	7.46	7.68	7.90	9.84	10.94
i) शिक्षा	3.13	3.48	3.54	3.31	3.95	4.41
ii) स्वास्थ्य	1.26	1.39	1.49	1.52	2.26	2.25
iii) अन्य	2.20	2.59	2.65	3.07	3.63	4.27
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
कुल व्यय	27.1	26.7	26.4	24.7	26.7	26.4
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.6	6.6	6.2	5.8	6.5	6.6
i) शिक्षा	3.1	3.1	2.8	2.4	2.6	2.7
ii) स्वास्थ्य	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.4
iii) अन्य	2.2	2.3	2.1	2.2	2.4	2.6
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	24.4	24.9	23.4	23.4	24.2	24.9
i) शिक्षा	11.6	11.6	10.8	9.8	9.7	10.0
ii) स्वास्थ्य	4.7	4.6	4.5	4.5	5.6	5.1
iii) अन्य	8.2	8.6	8.1	9.1	8.9	9.7
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में						
i) शिक्षा	47.5	46.7	46.1	41.9	40.2	40.3
ii) स्वास्थ्य	19.1	18.7	19.4	19.2	22.9	20.6
iii) अन्य	33.4	34.7	34.6	38.9	36.9	39.1

स्रोत: केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बजट प्रपत्र।

टिप्पणी: 1. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल (क्रीड़ा), कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण, श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्य आदि संबंधी विषय आ जाते हैं।

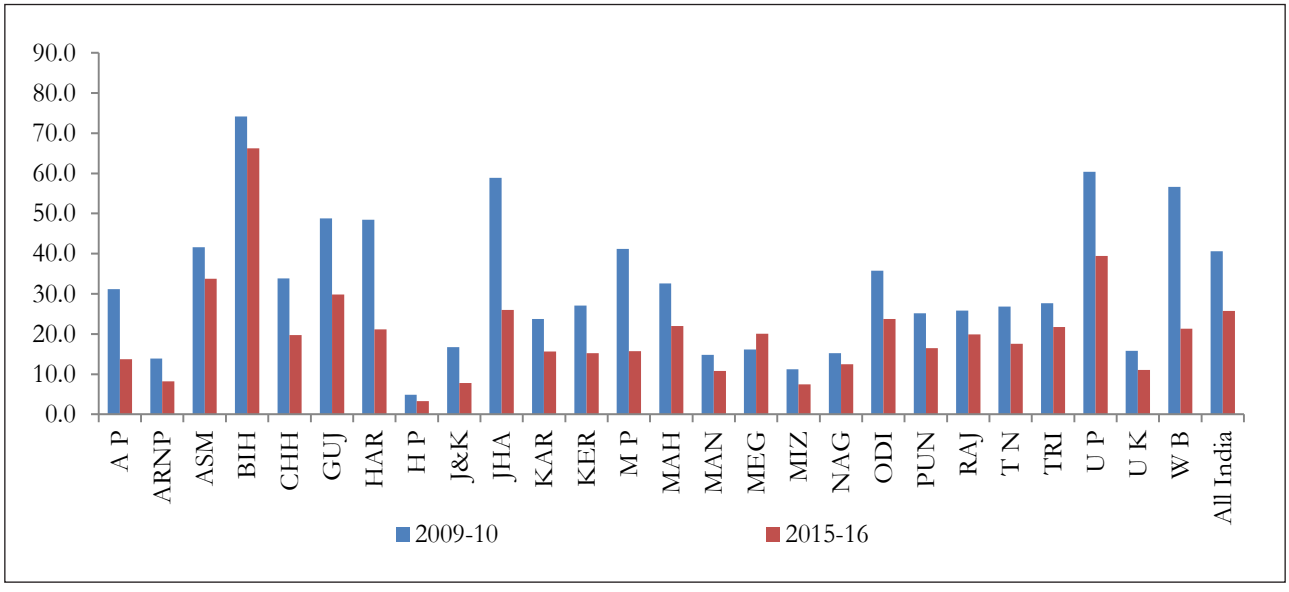
2. 'शिक्षा' पर व्यय का संबंध शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर व्यय से है।

3. ''स्वास्थ्य'' पर व्यय के अंतर्गत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर किया जाने वाला व्यय शामिल है।

4. 2011-12 से जी.डी.पी. आंकड़े नए आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार हैं। 2016-17 तथा 2017-18 के लिए जीडीपी के क्रमशः अनंतिम अनुमान और अग्रिम अनुमान हैं।

5. आंकड़े केंद्रीय सरकार एवं 26 राज्यों से संबंधित हैं।

चित्र 1. छात्र कक्षा अनुपात >30 वाले राज्य-वार प्राथमिक विद्यालय (प्रतिशत)



स्रोत: भारत में प्रारंभिक शिक्षा और फ्लैश सांख्यिकी (यूडीआईएसई)

गैर-विभेदकारी सिद्धांतों के आधार पर उचित गुणवता की शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

10.4 भारत ने प्रारंभिक स्तर पर नामांकन स्तरों, समापन दरों और विद्यालय भवन/कक्षा, पेयजल सुविधाओं, शौचालय सुविधाओं जैसी अन्य भौतिक अवसंरचना तथा शिक्षकों की नियुक्ति आदि जैसे परिमाणात्मक सूचकांकों में महत्वूपर्ण प्रगति की है।

10.5 परिमाणात्मक संकेतकों के अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता का अनुवीक्षण और मूल्यांकन भी किए जाने की ज़रूरत है। अधिगम के परिणाम मूल्यांकन के ऐसे मानक हैं जो किसी कक्षा के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त करने योग्य शिक्षा के प्रत्याशित स्तर दर्शाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर अधिगम के परिणाम में सुधार लाने के लिए, आरटीई अधिनियम के तहत केंद्रीय नियमावली में परिभाषित कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम-परिणामों को सम्मिलित करने के लिए इसे फरवरी, 2017 में संशोधित किया गया है।

10.6 निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात, इमारत और अवसंरचना, विद्यालय कार्य दिवसों, शिक्षकों के कार्य घंटों से संबंधित मानक और मानदण्ड बनाए रखने हेतु मार्गनिर्देश निर्धारित करता है। अधिगम प्राप्ति संबंधी छात्र शिक्षक अनुपात के प्रभाव पर व्यापक विचार-विमर्श से संबंधित कुछ अध्ययनों में यह दावा किया गया है कि एससीआर और पीटीआर से स्कूल में भागीदारी और ग्रेड प्राप्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगामी भाग विद्यालय प्रणाली की प्रभाविता और समावेशिता का आकलन करने के लिए एससीआर, पीटीआर और लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) जैसे कुछ चुनिंदा सूचकांकों पर दृष्टिपात करता है।

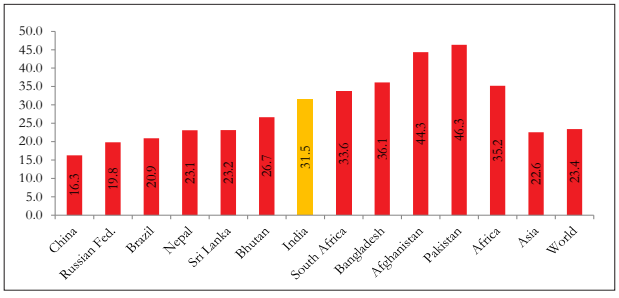
छात्र कक्षा अनुपात

10.7 किसी दिए गए विद्यालय-वर्ष में किसी विद्यालय में कक्षा अनुसार छात्रों (विद्यार्थियों) की औसत संख्या के रूप में एससीआर को परिभाषित किया गया है। आदर्श आकार 30 छात्र प्रति कक्षा होना चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर, 30 छात्रों से अधिक एससीआर वाले विद्यालयों का प्रतिशत 2009-10 में 43 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 25.7 प्रतिशत रह गया है। यद्यपि, एससीआर में लगभग सभी राज्यों में सुधार हुआ है, फिर भी राज्यों में सुधार में भिन्नता मौजूद है (चित्र 1)।

छात्र शिक्षक अनुपात

10.8 प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्रमश: 30:1 और 35:1 होना चाहिए। शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के अनुसार, वर्ष 2015-16 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक अनुपात 23:1 है। वैश्विक तौर पर, किसी कक्षा विशेष में पढ़ाए गए छात्रों की इष्टतम संख्या

चित्र 2: प्राथमिक शिक्षा में पीटीआर 2015



स्रोत: 18 जनवरी, 2018 को http://data.uis.unesco.org/से लिया गया डाटा।

टिप्पणी: भूटान, ब्राजील, रूसी परिसंघ और दक्षिण अफ्रीका के संबंध में 2014 का डाटा।

में अन्तर है इसलिए आंकड़े एकसमान रूप से तुलनीय नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में यूनेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ स्टेस्टिक्स से प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात समान सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले देशों के साथ तुलनात्मक है (चित्र 2)।

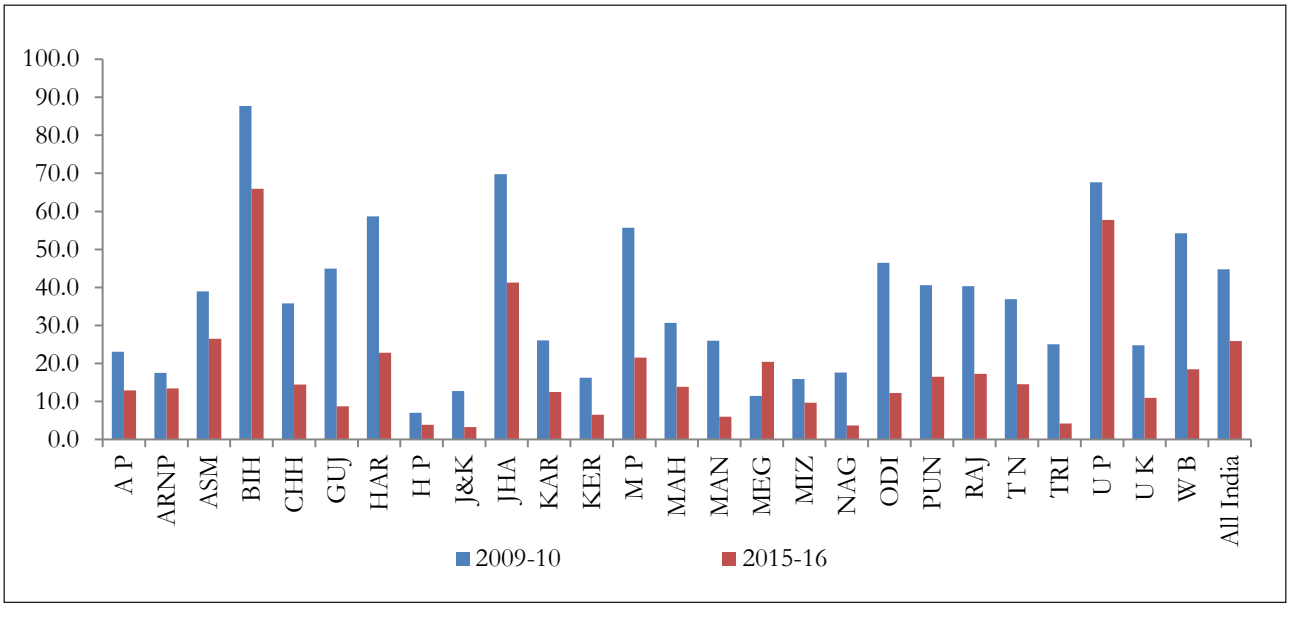
10.9 चित्र 3 यह दर्शाता है कि वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात मानक का अनुपालन करने वाले विद्यालयों में ज्यादातर राज्यों ने सुधार की सूचना दी है। तथापि, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीटीआर का अनुपालन करने वाले स्कूलों की संख्या में सुधार के बावजूद, यहां विद्यालयों का पीटीआर >30 प्रतिशत है। इस बात का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है कि क्या उपर्युक्त 4 राज्यों में पीटीआर >30 वाले विद्यालयों की उच्चतर संख्या का कारण शिक्षकों की कमी है या शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा है।

10.10 शिक्षकों की भर्ती, सेवा-शर्तें, और पुन: तैनाती मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार प्रारंभिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए-एकीकृत) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के ज़रिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त शिक्षकों के लिए सहायता प्रदान करती है ताकि समुचित पीटीआर को शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित विहित मानदंडों के अनुसार बनाए रखा जा सके। केंद्रीय सरकार शिक्षकों की शीघ्र भर्ती और पुनर्नियोजन के मामले का राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के साथ विभिन्न मंचों पर लगातार अनुशीलन करती रही है।

लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई)

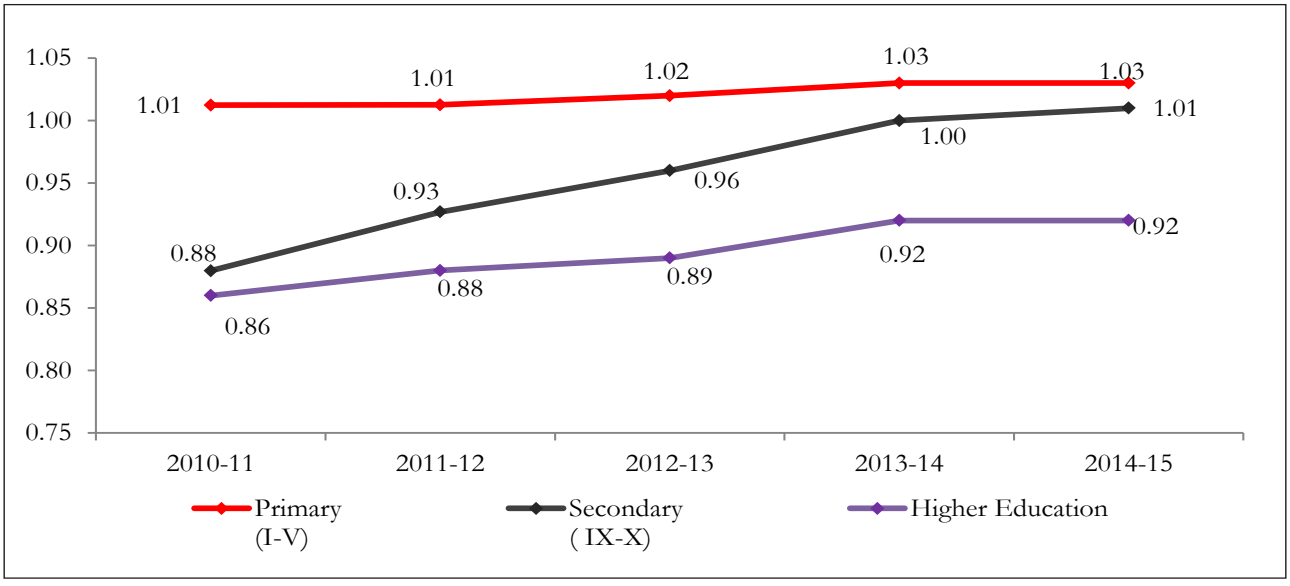
10.11 लैंगिक समानता सूचकांक विद्यालयी शिक्षा में ऐसा उपयोगी संकेतक है जो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उच्च शिक्षा

चित्र 3. छात्र कक्षा अनुपात >30 वाले राज्य-वार प्राथमिक विद्यालय (प्रतिशत)



स्रोत: भारत में प्रारंभिक शिक्षा और फ्लैश सांख्यिकी (यूडीआईएसई)

चित्र 4: नामांकन में लैंगिक समानता सूचकांक



स्रोत: शैक्षिक सांख्यिकी एक नजर में, 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (वेबसाइट: http://mhrd.gov.in/statist)
टिप्पणी: *विद्यालयी शिक्षा संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

में, नामांकन में लैंगिक विषमताएं अभी भी बनी हुई हैं जिनके बारे में सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की निवल प्रवेश दर को सुधारने का निरंतर प्रयत्न कर रही है। *बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ* जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए किए जाने वाले सरकार के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के नामांकन पर जीपीआई में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है (चित्र 4)।

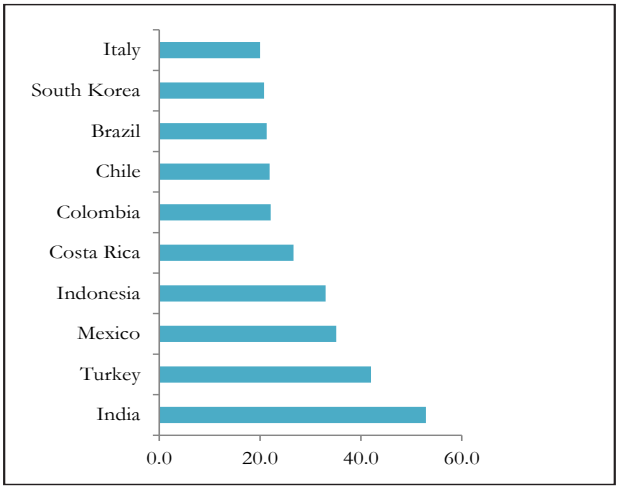
10.12 *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)* योजना बच्चियों के जीवन धारण, रक्षण और शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका मकसद मामले की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक मानसिकता बदलने पर लक्षित व्यापक अभियान के ज़रिए घटते शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) के मामले का निराकरण करना है। 2015 में शुरू की गई यह योजना महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास जैसे तीन मंत्रालयों का एकनिष्ठ प्रयत्न है जिसमें बालिका शिक्षा तथा गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन को समर्थ बनाते हुए चुनिंदा 161 जिलों में (100 जिले चरण-1 में और 61 जिले चरण-II में) जागरूकता और हिमायत अभियान कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहुक्षेत्रीय कार्य पर जोर दिया गया है। इस स्कीम को देश के सभी 640 जिलों में विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है।

श्रम सुधारों में प्रगति

10.13 सरकार 4 श्रम संहिताओं नामत: मजदूरी संहिता, सुरक्षा और कार्य दशाएं संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता में मौजूदा कानूनों के संगत उपबंध बनाकर 38 केन्द्रीय अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाने की कार्रवाई कर रही है। मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 का प्रारूप लोक सभा में अगस्त, 2017 में प्रस्तुत किया गया और उसे जांच हेतु श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। अन्य तीन संहिताएं पूर्व-विधायी परामर्श की अवस्था में हैं। श्रम विधियों के संहिताकरण से परिभाषाओं की बहुलता समाप्त होने और प्राधिकारियों द्वारा कामगारों के लिए मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुपालन को सुगम बनाने की आशा है।

10.14 सरकार ने अनेक प्रौद्योगिकी समर्थ कायाकल्प करने वाली पहलें यथा श्रम सुविधा पोर्टल, विभिन्न श्रम विधियों/नियमों के अंतर्गत रजिस्टर रखने के लिए अनुपालन को सुगम बनाना, प्रारम्भ की हैं। अनुपालन में जटिलता को कम करने और श्रम विधियों के बेहतर प्रवर्तन हेतु परदर्शिता

चित्र 5. श्रम बल भागीदारी दर 2015 में लिंग आधारित अंतर (प्रतिशतांक) (आयु 15-64 वर्ष)



स्रोत: द पर्सूट ऑफ जेंडर इक्विटी: एन अपहिल बैटल, ओईसीडी 2017।

और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक खाता संख्या प्रभावी की गई है। इसके अलावा, सरकार ने रोजगार तलाशने वालों के लिए रोजगारों के ऑनलाइन पंजीकरण और तैनाती को सुकर बनाने और कौशल विकास पाठ्यक्रमों तथा इंटर्नशिप के संबंध में कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, सूचना प्रदान करने के लिए देश के सभी रोजगार कार्यालयों को संबद्ध करके नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) प्रारम्भ किया।

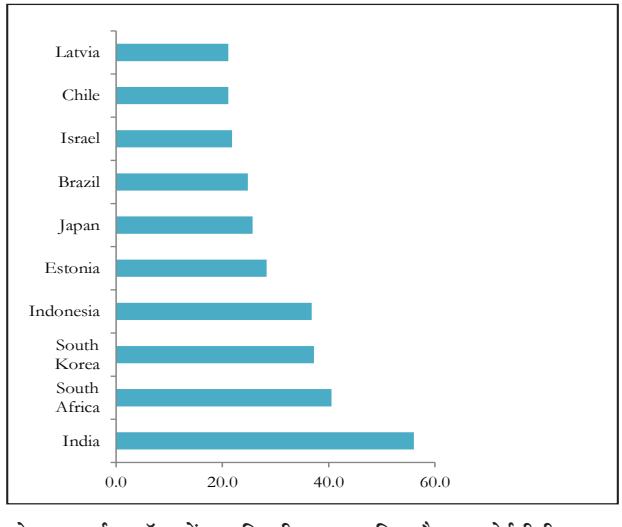
10.15 इसके अतिरिक्त, समस्त 325 पूर्ण जिलों तथा 93 जिला मुख्यालय क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) लागू कर दिया गया है। यह सकीम 85 जिलों के केन्द्रों में आंशिक रूप से उपलब्ध है। इस स्कीम को वर्ष 2022 तक पूरे देश में लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति रुग्णता, अस्थाई अशक्तता, स्थाई अशक्तता के कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में अनेक नकद लाभ, आश्रितजन लाभ, बेरोजगारी भत्ता, प्रसूति लाभ आदि के पात्र होते हैं। बीमित व्यक्तियों के परिजन चिकित्सा प्रसुविधा के भी हकदार होते हैं। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन शामिल किए गए बीमित व्यक्तियों की संख्या 3.19 करोड़ और कुल लाभार्थी उनके परिवारों सहित, 12.40 करोड़ हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के नेटवर्क में देश भर में 152 अस्पताल, 1467 औषधालयों, 628 शाखा कार्यालय और 62 क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।

श्रम बल भागीदारी दर और अर्जन में लिंग पर आधारित अंतर: वैश्विक तुलना

10.16 विकासशील देशों में श्रम बल भागीदारी दरों में लिंग अंतर मौजूद है, जिसे नीचे दिए गए चित्र 5 में देखा जा सकता है। भारत के मामले में, श्रम बल भागीदारी दर में लिंग अंतर 50 प्रतिशतांक से अधिक है। आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की कम भागीदारी से अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार, कामकाजी महिलाओं को सहायक सेवाएं प्रदान करने की स्कीमों द्वारा और मातृत्व प्रसुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विधायी उपायों के जरिए भी लाभकारी आर्थिक कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय करती रही है।

10.17 श्रम बाजार में महिला कामगार सबसे खराब स्थिति में है, क्योंकि, न्यून कौशल अनौपचारिक कामगार श्रेणी में इनका अनुपात काफी अधिक है और वे कम-उत्पादकता और अल्प मजदूरी वाले कार्यों में लगी हैं। इसके चलते, महिलाएं काफी कम मजदूरी अर्जित कर पाती हैं, जो उन्हें अत्यधिक असुरक्षित कार्यों से ज्यादातर नग दर पर प्राप्त होती है। वर्ष 2015 में, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे देशों के मुकाबले, भारत में पूर्णकालिक कर्मचारियों के औसत अर्जन में सबसे अधिक लिंग अंतर था, जैसाकि चित्र 6 में देखा जा सकता है।

चित्र 6: पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए औसत अर्जन 2015 में लिंग आधारित अंतर (प्रतिशत)



स्रोत: द पर्सूट ऑफ जेंडर इक्विटी: एन अपहिल बैटल, ओईसीडी 2017।

10.18 *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम* (मनरेगा) एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी निर्धारित करके आर्थिक कार्यकलाप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अधीन अभी तक का 48000 करोड़ रुपये का उच्चतम आबंटन किया गया है। 14 जनवरी, 2018 की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान, लगभग 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था, जिसका कुल योग 177.8 करोड़ व्यक्ति दिवस बैठता है। इसमें महिलाओं की 54 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 22 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 17 प्रतिशत भागीदारी थी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि कुल सृजित व्यक्ति दिवस में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही है। इसके अलावा, एडब्ल्यूसी के निर्माण हेतु यह योजना आईसीडीएस के साथ जोड़ दी गई है।

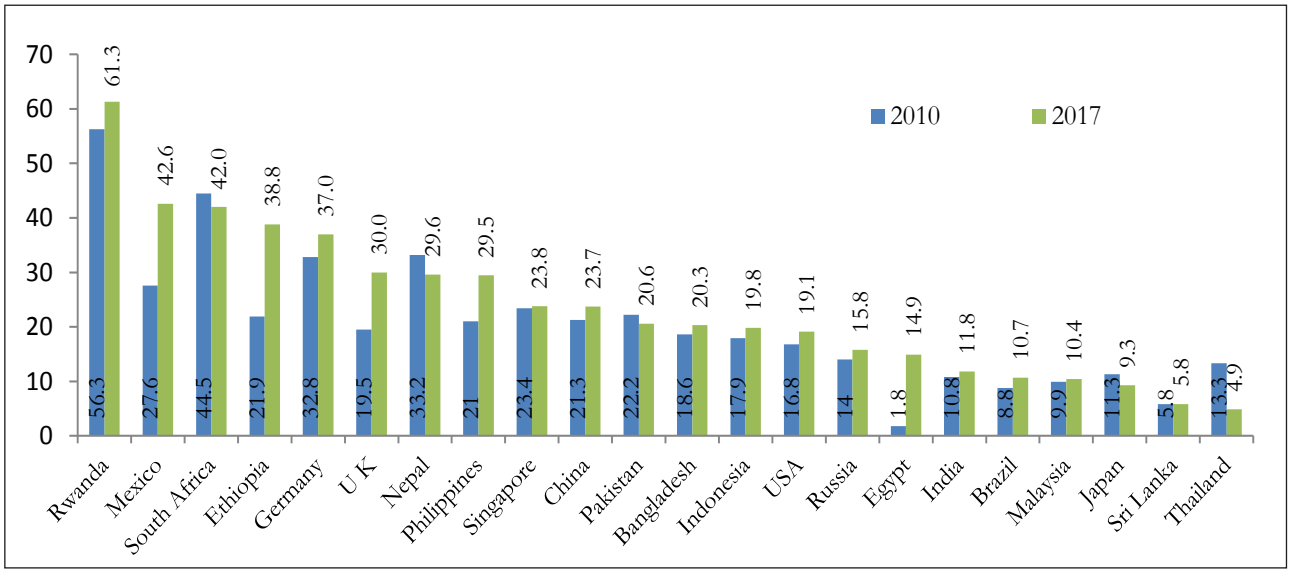
10.19 स्व-रोजगार उद्यमों के सृजन की भावना के संवर्धन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए, महिला उद्यमियों की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी करने के लिए *महिला ई-हाट* नामक एक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों/ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बेचे गए उत्पादों को दर्शाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा ई-विपणन प्लेटफार्म उपलब्ध करना है। इससे 26000 स्व-सहायता समूह और 3.75 लाख लाभार्थी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

10.20 *प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017* के अनुसार, किसी केन्द्रीय या राज्य विधि के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत महिलाएं 26 सप्ताह (6 माह) की अवधि तक बढ़ी हुई प्रसूति छुट्टी प्राप्त करने की पात्र हैं। 50 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एक निर्धारित दूरी के भीतर या तो अलग से या सामान्य सुविधाओं के साथ क्रेच सुविधा उपलब्ध करवाएं।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण

10.21 संसद और सार्वजनिक पटल पर निर्णायक भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्तीकरण के प्रमुख संकेतकों में से एक है। '*राजनीति में महिलाएं 2017 (आईपीयू एण्ड यूएन)*' नामक रिपोर्ट के अनुसार, लोक सभा में 64 (542 संसद सदस्यों का 11.8 प्रतिशत) और राज्य सभा में 27 (245 संसद सदस्यों का 11 प्रतिशत) महिला संसद सदस्य थीं। अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 4118 विधान सभा सदस्यों में से, केवल 9 प्रतिशत महिलाएं थीं। राज्य विधान सभाओं

चित्र 7: चुनिंदा देशों की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व



स्रोत: इंटर-पार्लियामेंट यूनियन (आईपीयू) और यूएन वूमन द्वारा प्रकाशित वूमन इन पॉलिटिक्स 2010 एंड 2017।

सारणी: 2 पुरुषों और महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने वाले शीर्ष 5 कारक

	महिलाओं के लिए अवरोधक	पुरुषों के लिए अवरोधक
1.	घरेलू जिम्मेदारियां	निर्वाचक वर्ग से समर्थन की कमी
2.	समाज में महिलाओं की भूमिका संबंधी प्रचलित सांस्कृतिक नज़रिया	वित्त की कमी
3.	परिवार से समर्थन की कमी	राजनैतिक दलों के समर्थन की कमी
4.	विश्वास की कमी	प्रतिनिधिक कार्यों, भाषण देने, निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में अनुभव की कमी
5.	वित्त की कमी	विश्वास की कमी

स्रोत: आईपीयू, इक्वेलिटी इन पॉलटिक्स: ए सर्वे ऑफ वूमन एंड मेन इन पॉलिटिक्स, 2008

में, महिलाओं का सर्वोच्च प्रतिशत 14 प्रतिशत के साथ बिहार, हरियाणा और राजस्थान से था इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 12 प्रतिशत के साथ पंजाब का स्थान था (वूमेन एन्ड मेन इन इंडिया)-2016 एमओएसपीआई)।

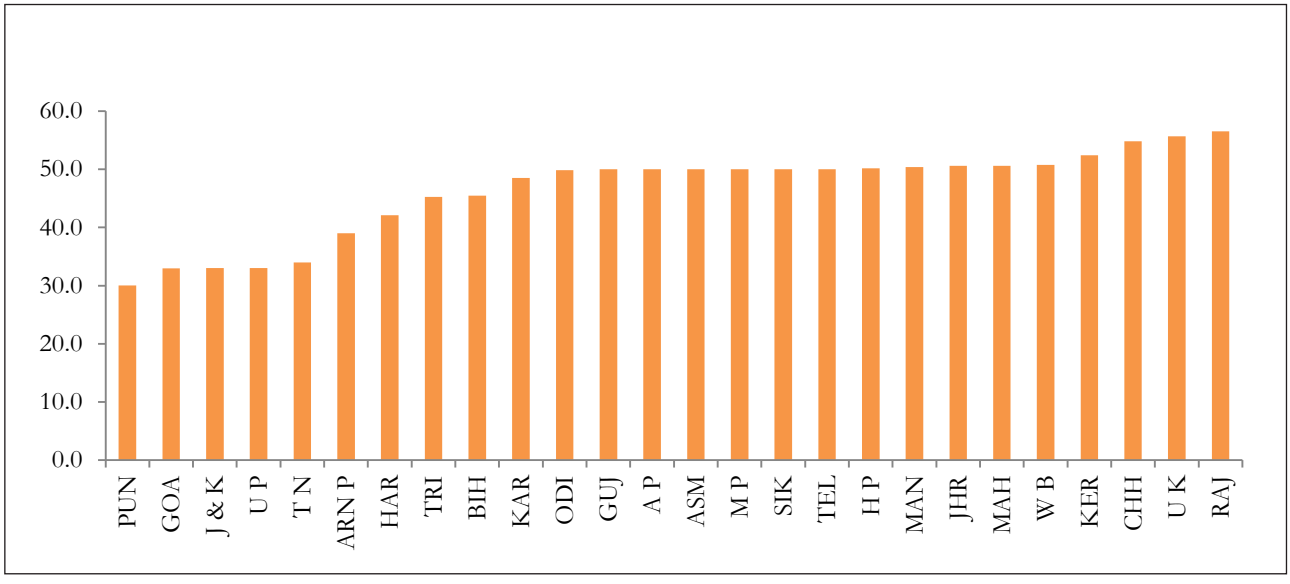
10.22 भारत में, वर्ष 2010 और 2017 के बीच निचले सदन में महिलाओं का हिस्सा 1 प्रतिशतांक बढ़ा (चित्र 7)। रवांडा जैसे विकासशील देश भी हैं जहां वर्ष 2017 में संसद में 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं जबकि मिस्र, भारत, ब्राजील, मलेशिया, जापान, श्रीलंका और थाइलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत है।

10.23 भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं की आबादी लगभग 49 प्रतिशत है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। विशेषकर पुरुष-प्रधान मानकों का अनुसरण करने वाले और पक्षपाती समाज में विभिन्न कारक लोक सेवा में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करते हैं। आईपीयू द्वारा किए गए महिलाओं और पुरुषों के सर्वेक्षण में महिलाओं और पुरुषों को राजनीति में आने से रोकने वाले कारकों में अंतरों को मुख्य रूप से दर्शाया गया था (सारणी 2)। समाज में महिलाओं की निर्णय लेने संबंधी भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए, सभी नागरिकों के बीच अवसरों की समानता के साथ प्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं की बृहतर भूमिका को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

10.24 चूंकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समानता संबंधी नीतियों के लिए व्यापक मायने हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ(3) में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से कम न होंगे। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ(4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों के 1/3 से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। स्थानीय शासन स्तरों पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है किन्तु यह राज्य दर राज्य भिन्न है (चित्र 8)। दिसम्बर, 2017 तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 13.72 लाख है जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 44.2 प्रतिशत बैठती है। देश भर में कुल ग्राम पंचायतों में 43 प्रतिशत महिला सरपंच होना स्थानीय शासन में महिलाओं के सक्रिय नेतृत्व को दर्शाता है (चित्र 9)।

10.25 इसके अतिरिक्त, नेतृत्व विकास और ग्राम स्तर पर महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम स्तर पर *महिला शक्ति केन्द्र स्कीम* प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम के तहत 300 हजार छात्र स्वयं-सेवक 115 अति पिछड़े जिलों में भेजे जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 640 जिलों में महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो महिलाओं से संबंधित सभी पहलों के लिए जिला स्तर पर कन्वर्जेंस प्रदान करेंगे। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लाभार्थ *नई रश्मि* नामक एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है।

चित्र 8: पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (प्रतिशत)



स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय (31.12.2007 की स्थिति के अनुसार)

चित्र 9: ग्राम पंचायतों में राज्य-वार महिला सरपंच (प्रतिशत)



स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार महिला सरपंचों की संख्या) और http://lgdirectory.gov.in (16.01.2018 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों में सक्रिय ग्राम पंचायतों की संख्या)

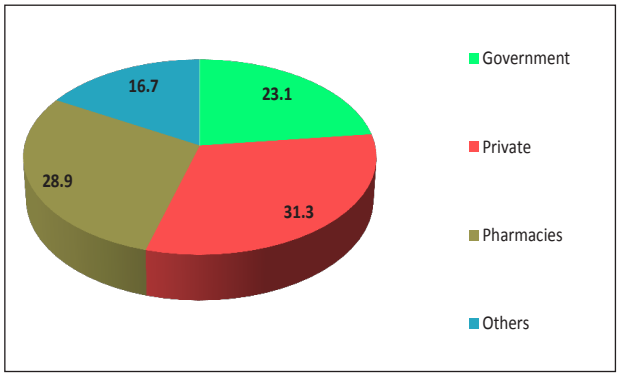
सर्वजन स्वास्थ्य

10.26 सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और स्वस्थता को बढ़ावा देना धारणीय विकास (एसडीजी-3) के लिए आवश्यक है। एसडीजी-3 के अंतर्गत लक्ष्यों, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुरूप भी हैं, को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने और सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य पर व्यय

10.27 चित्र 10 यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा-जोखा 2014-15 के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं द्वारा व्यय, चालू स्वास्थ्य व्यय (सीएचई)

चित्र 10. स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा किए गए वर्तमान स्वास्थ्य खर्च 2014-15 (प्रतिशत)



स्रोत: राष्ट्रीय भारतीय स्वास्थ्य लेखा, आकलन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणी: सरकारी व्यय में सामान्य और विशिष्टीकृत अस्पताल, परिवार कल्याण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल हैं। निजी व्यय में सामान्य और विशिष्टीकृत अस्पताल और क्लीनिक शामिल हैं।

का लगभग 23 प्रतिशत बैठता है जो यह प्रतिबिम्बित करता है कि स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं में निजी अस्पतालों और क्लिनिकों की प्रधानता है। दोनों ही स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं (सरकारी और निजी) द्वारा चालू स्वास्थ्य व्यय का 29 प्रतिशत फार्मेसियों पर बैठता है।

10.28 भारत जैसे विकासशील देश में, स्वास्थ्य पर जेब से खर्च (ओओपीई) का आवर्ती उच्चतर स्तर निर्धनतम वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे असमानताएं बढ़ती हैं। हालांकि स्वास्थ्य पर जेब से खर्च वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान लगभग 7 प्रतिशतांक घटा है। एनएचए 2014-15 के अनुसार इसका हिस्सा अभी भी 62 प्रतिशत है।

10.29 निदान स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जो उपचार और प्रबंधन से संबंधित स्वास्थ्य देख-रेख प्रावधान के बारे में सोच समझकर निर्णल लेने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सीमित सामर्थ्य और गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो रोग नियंत्रण और रोगी प्रबंधन के प्रति विलम्बित या अनुचित प्रतिक्रिया में योगदान कर रहे हैं। भारत में पारिवारिक स्वास्थ्य खर्च सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य पर जेब से खर्च का लगभग 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा निदान (पैकेज के भाग रूप में दवाओं और नैदानिक जांच सहित) पर खर्च किया गया था।

10.30 भारत के विभिन्न शहरों में नैदानिक जांच की कीमतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि न केवल नैदानिक जांचों की औसत कीमतों में काफी अंतर है अपितु कीमतों में काफी अंतर है (सारणी 3)। देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता और प्रत्यायन संबंधी आंकड़े भी अपर्याप्त हैं।

10.31 समुचित गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा और विनियामक तंत्र विकसित करके दरों के मानकीकरण को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, सरकार पहले ही

सारणी 3: भारत के संपूर्ण नगरों में नैदानिक जांचों के मूल्यों/औसत लागत की सीमा 2017

नैदानिक जांच का नाम	निदान की लागत (रु. में)		निदान की औसत लागत (रु. में)	
	न्यूनतम (सभी नगर)	अधिकतम (सभी नगर)	न्यूनतम (नगर में औसत मूल्य)	अधिकतम (नगर में औसत मूल्य)
लिपिड प्रोफाइल जांच (125)	90	7110	217	759
एएनसी जांच (74)	110	6500	389	2396
अल्बुमिन जांच (120)	20	1810	100	203
2 डी इको जांच (51)	500	5200	856	2412
इलेक्ट्रोलाइट जांच (121)	30	3000	245	627
लिवर फंक्शन जांच (117)	100	2500	210	1186
थॉयराइड जाँच (123)	100	3100	300	721
ईएसआर जांच (103)	10	1100	35	116
डेंगू आईजीजी जांच (114)	100	3600	314	1312

स्रोत: 12 दिसम्बर, 2017 को www.medifee.com से लिए गए।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े नगरों की संख्या है। ईएसआर (इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट)।

बॉक्स 1: औषधियों और निदानों की कीमतों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधीन, सरकार जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक निदान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए *राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा* जरिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने राज्यों को निशुल्क औषध पहल के क्रियान्वयन के लिए व्यापक संरचना उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2015 में मार्गनिदेश जारी किए हैं। जांचों की संख्या राज्य दर राज्य अलग-अलग है। 2017-18 में 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के अधीन निशुल्क निदान सेवा पहल के लिए 759 करोड़ रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई है।

- *राष्ट्रीय निशुल्क औषध पहल* के अधीन एनएचएम का उद्देश्य सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में निशुल्क औषध उपबंध की उपलब्धता का विस्तार करना है। यह पहल औषध की खरीद के लिए राज्यों को न केवल सहायता प्रदान करेगी परंतु राज्यों को खरीद की पारदर्शी प्रणाली और गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति प्रबंधन और संभार-तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए समर्थ बनाएगी, जिससे सुरक्षा का उच्चतम स्तर और औषधि की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। सभी राज्यों ने निशुल्क औषध नीति अधिसूचित की है। 25 से अधिक राज्य आईटी आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

- नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्रीय सरकार) नियमावली, 2012 के अधीन नैदानिक प्रतिष्ठान (ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां यह अधिनियम लागू हैं) राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों की रेंज में प्रत्येक प्रक्रिया और सेवा के लिए दर प्रभारित करेंगे। नैदानिक प्रतिष्ठापनों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरों को दर्शाना भी अपेक्षित होगा। नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय परिषद् ने चिकित्सीय प्रक्रियाओं की मानक और चिकित्सीय प्रक्रियाओं की कीमत के लिए मान सूचना-पत्र अनुमोदित किया है और इसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है।

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नीति) विनियमन, 2002 में तारीख 21.09.2016 की अधिसूचना के जरिए संशोधन किया है, जो यह निर्धारित करता है कि 'प्रत्येक चिकित्सक को साफ-साफ और तरजीही तौर पर स्पष्ट अक्षरों में जेनेरिक नामों के साथ औषध विहित करनी चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि औषध का औचित्यपूर्ण निर्धारण और प्रयोग हो।' भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (आईएमसी) अधिनियम के अधीन सभी पंजीकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सकों को उक्त उपबंधों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

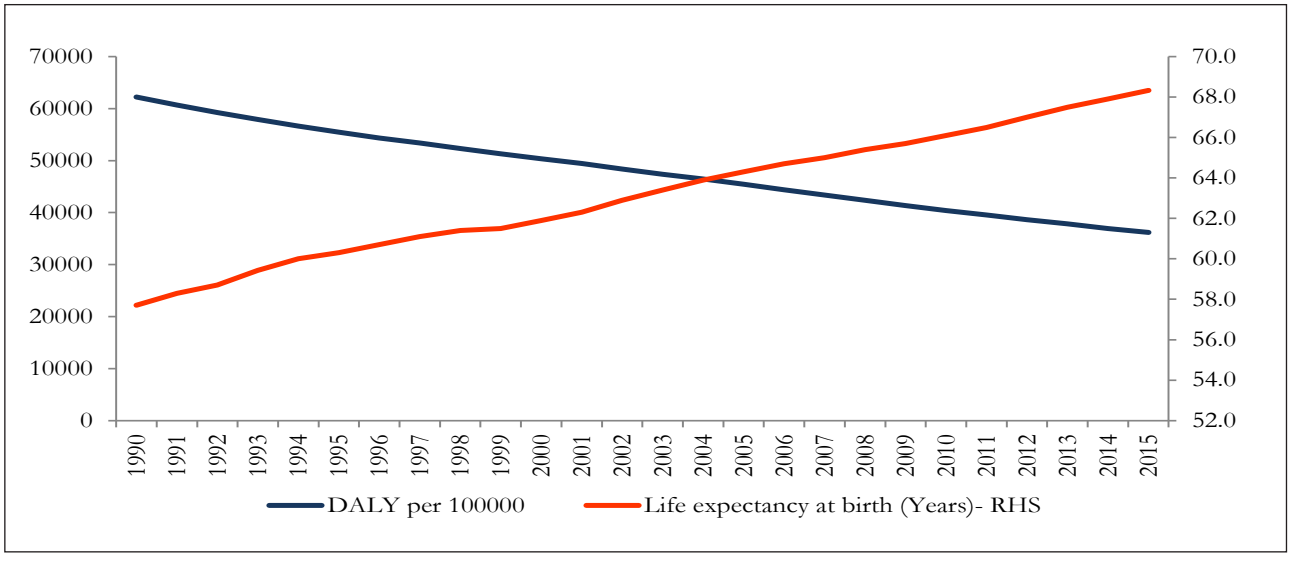
नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम को अधिनियमित और नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्रीय सरकार) नियमावली, 2012 को अधिसूचित कर चुकी है, ताकि देशभर के नैदानिक प्रतिष्ठानों को विनियमित किया जा सके, वर्तमान में, यह अधिनियम 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, बाकि राज्यों द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम और जेब खर्च को कम करने के लिए किए गए विभिन्न अन्य उपायों की विस्तृत जानकारी बॉक्स 1 में दी गई है।

रोगों का बोझः भारत और राज्य

10.32 'इण्डियाः हेल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स', 2017 की रिपोर्ट से 1990 से 2016 तक देश के सभी राज्यों के बीमारियों और जोखिम संबंधी कारकों के वितरण से संबंधित परिणामों का प्रथम व्यापक संग्रह प्राप्त होता है। समायोजित अशक्तता वाले जीवन वर्षों (डीएएलवाई)[1] की संकल्पना रोग बोझ और जोखिम कारकों का विश्लेषण करने के लिए संरचना का उपबंध करती है। डीएएलवाई समयपूर्व मृत्यु के कारण समाप्त संभावित जीवन के वर्षों और अशक्तता के चलते नष्ट उत्पादनकारी जीवन के वर्षों का योग है।

[1] डीएएलवाई किसी विशेष कारण से असमायिक मृत्यु एवं अशक्तता को व्यक्त करता है और यह दो घटकोंः जीवन वर्ष हानि (वाईएलएल) और अशक्तता के साथ यापित जीवन वर्ष (वाईएलडी) से बना है। जीवन वर्ष हानि हर समय ऐसे लोगों की मृत्यु का आंकलन करता है जिनकी अपनी आदर्श जीवन प्रत्याशा प्राप्त करने से पूर्व असामयिक मृत्यु हो जाती है। आदर्श जीवन प्रत्याशा उस व्यक्ति के आयु समूह के लिए मानी गई अधिकतम जीवन प्रत्याशा पर आधारित है। वाईएलडी जीवन के ऐसे वर्षों का आकलन करता है जिनमें लोग ऐसी अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य से वंचित रहता है। इनका आकलन समय की मात्रा (वर्षों में व्यक्त) का अशक्तता भार (एक संख्या जो किसी अशक्तता की गंभीरता को दर्शाती है) से गुणा करके किया जाता है। वाईएलएल और वाईएलडी दोनों को जोड़ने से डीएएलवाई प्राप्त होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में कुल स्वास्थ्य क्षति के मापन को दर्शाता है। उपर्युक्त पैरा 10.32 में उल्लिखित रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), पीएचएफआई और आईएचएमई, यूनिर्वसिटी आफ वांशिगंटन का संयुक्त प्रयास है।

चित्र 11: एल.ई.बी. और डीएएलवाई संबंधी अखिल भारतीय प्रवृत्तियां



स्रोत: http://thelancet.com, और महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत

एक डीएएलवाई पूर्ण रूप से स्वस्थ्य जीवन के एक वर्ष के समकक्ष हानि को दर्शाता है। डीएएलवाई का प्रयोग करके, ऐसे रोगों के बोझ की तुलना की जा सकती है, जो अशक्तता में कम और समयपूर्व मृत्यु में अधिक परिणामी होते हैं तथा जिनके कारण मृत्यु नहीं अपितु अशक्तता होती है। एकल, तुलनात्मक मानक से कैंसर और अवसाद जैसी अत्यंत भिन्न स्थितियों से उत्पन्न समस्या की शीघ्र तुलना करने के लिए रोग के बदलते स्वरूप बदलती प्रवृतियों की जानकारी और आंकडा आधार तथा डीएएलवाई का उपयोग निर्णय लेने, प्रभावी संसाधन आबंटित करने नीति निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं।

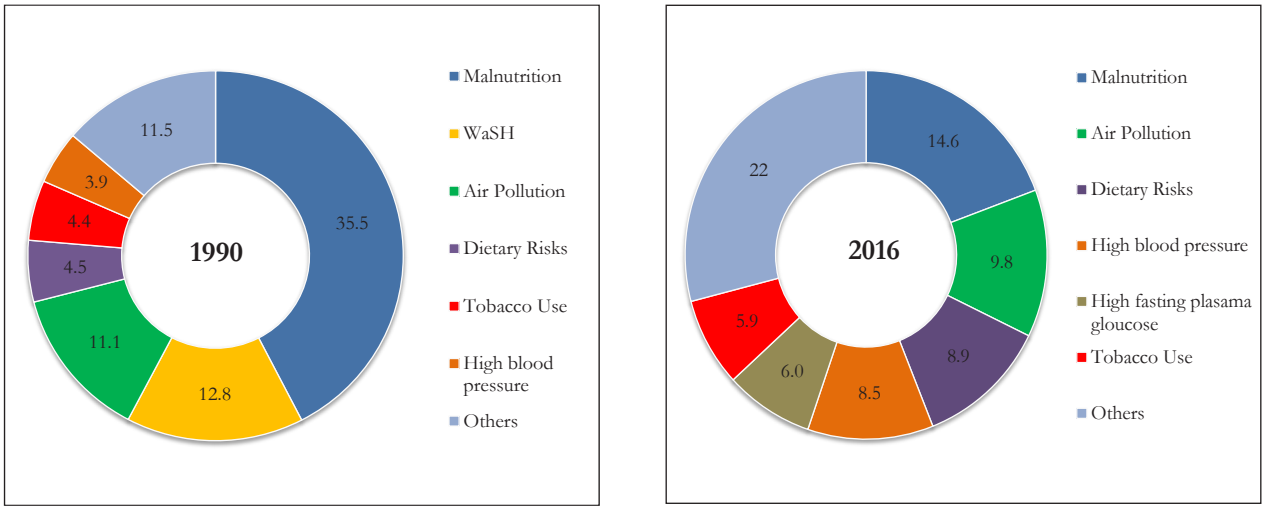
10.33 व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है क्योंकि वर्ष 1990 से 2015 की अवधि के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में लगभग 10 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नीति संकेतक के रूप में डीएएलवाई का महत्व जीवन प्रत्याशा तथा डीएएलवाई दर के बीच विपरीत संबंध के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष 1990 से 2015 की अवधि के दौरान एलईबी और डीएएलवाई में अखिल भारतीय प्रवृतियां इनके बीच विपरीत संबंध को अभिव्यक्त करती हैं। (चित्र 11)

10.34 डीएएलवाई दर के रूप में आकलित प्रति व्यक्ति रोग भार भारत में वर्ष 1990 से 2016 के दौरान जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तनों को समायोजित करने के पश्चात् 36 प्रतिशत कम हो गया है। डीएएलवाई के अनुसार आकलित, 1990 में भारत में कुल बीमारियों के बोझ का 61 प्रतिशत बीमारियां संक्रामक, मातृ संबंधी, नवजात शिशु संबंधी और पोषण संबंधी बीमारियों (सीएमएनएनडी) के कारण थी जो 2016 में गिरकर 33 प्रतिशत रह गई। असंक्रामक बीमारियों (एनसीडी) का तद्नुरूप योगदान जो 1990 में कुल बीमारी बोझ का 30 प्रतिशत था, 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया और आकस्मिक चोट का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया।

10.35 जोखिम संबंधी कारक ऐसी बीमारियों और जख्मों के संवाहक होते हैं जिनसे असामयिक मृत्यु और अशक्तता होती है। भारत में वर्ष 1990 और वर्ष 2016 के संबंध में स्वास्थ्य क्षति के प्रमुख जोखिम संबंधी कारकों (डीएएलवाई के प्रतिशत के रूप में) को चित्र 12 में देखा जा सकता है। बीमारी के बोझ पर नजर रखने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 द्वारा डीएएलवाई का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। भारत में बीमारियों के बोझ को काफी कम किया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य क्षति से संबंधित जोखिम संबंधी कारकों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।

10.36 वर्ष 2016 में, कुपोषण अभी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम संबंधी कारक (14.6 प्रतिशत) बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप देश में बीमारी का बोझ

चित्र 12: भारत में डीएएलवाई संख्या और जोखिम कारकों के चलते दर में परिवर्तन (प्रतिशत)



स्रोत: इंडिया: हेल्थ ऑफ नेशन्स स्टेट रिपोर्ट, 2017

टिप्पणी: 1. प्रत्येक जोखिम कारक के प्रति दिए गए आंकड़े कुल डीएलवाई में से उस जोखिम कारक के चलते डीएलवाई हैं।

2. डब्ल्यूएसएच अस्वच्छ जल, स्वच्छता और हाथ-धोने से संबंधित है। अन्य में व्यावसायिक जोखिम, उच्च कुल कॉलेस्ट्राल, एल्कोहल और ड्रग उपयोग, क्षीण किड्नी कार्यप्रणाली, उच्च बॉडी मास इंडेक्स, अन्य पर्यावरणीय, कम शारीरिक कार्यकलाप, असुरक्षित यौन-संबंध, कम अस्थि खनिज घनत्व, यौनाचार और हिंसा शामिल है।

बॉक्स 2: महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम

वर्तमान वित्त-वर्ष (2017-18) में अनेक मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार किया गया है और अनेक नए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ताकि देश में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को संपोषित किया जा सके। कुछ योजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस): आईसीडीएस योजना का लक्ष्य 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं का समग्र विकास करना और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं की पोषण विषयक जरूरतें पूरी करना है। हाल में 'एक छत के नीचे एकीकृत बाल विकास सेवा' योजना के तहत मंत्रालय की शिशु केंद्रित चार योजनाएं जैसे (क) आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस के स्थान पर); (ख) किशोरी कन्या योजना (एसएबीएलए) के स्थान पर; (ग) शिशु रक्षण सेवा (एकीकृत बाल रक्षण योजना के स्थान पर) और (घ) राष्ट्रीय शिशु सदन योजना (राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के स्थान पर) के औचित्य-स्थापन, पुनर्निर्माण एवं सातत्य का अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान से संगति बनाते हुए, पुनर्सृजित आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर शौचालय एवं स्वास्थ्यप्रद पेयजल सुविधा की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया है। यह योजना 7076 परियोजनाओं एवं 20,000 आंगनबाड़ियों की मांग सहित 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के संचयी अनुमोदन से व्यापक बनाई गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों का डिजिटिजेशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को स्मार्ट फोन/टेब्लेट प्रदान करने के जरिए योजनाओं के आईसीटी आधारित सामर्थ्यवान अनुवीक्षण से 8 राज्यों में पहले ही प्रारंभ हो गया है। एक नया वेब-पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एमआईएस डेटा प्रविष्टि को समर्थ बनाने के लिए सृजित किया गया है। मंत्रालय ने देश में महिलाओं एवं शिशुओं के बीच सूक्ष्म पोषक न्यूनताओं के निराकरणार्थ पहलकदमी ली है। इस संबंध में अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से खाद्य पदार्थों का पुष्टीकरण सरकारी निधि प्रदत्त पोषण विषयक योजनाओं में अनिवार्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई): पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करानेवाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के लिए पूर्ववर्ती मातृत्व लाभ कार्यक्रम का नाम जनवरी, 2017 में अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) रख दिया गया है जो नकदी प्रोत्साहन की दृष्टि से पगार नुकसान के कारण आंशिक क्षतिपूर्ति कराने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। इससे महिलाएं प्रथम संतान के प्रजनन से पूर्व और पश्च पर्याप्त आराम कर सकती हैं। प्रदत्त नकदी प्रोत्साहन की परिणति पीडब्ल्यू एंड एलएम के बीच बेहतर स्वास्थ्य अनुपालक रवैये में होगी। इस योजना में गर्भावस्था और स्तन-पान की अवधि में डीबीटी मोड में 5000/- रु॰ तक की नकदी प्रोत्साहन रकम प्रदान करने का उल्लेख है। मातृत्व लाभ हेतु 1000/- रु॰ का शेष नकदी प्रोत्साहन संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत प्रदान किया जाता है जिससे औसत रूप में कोई महिला 6,000/- रु॰ प्राप्त करेगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम): भारत सरकार ने 2017-18 से प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना करने का अनुमोदन किया है। एनएनएम, शीर्ष निकाय के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों के बीच पोषण विषयक पहल कदमियों का अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण करेगा, इनके लिए लक्ष्य तय करेगा, और मार्गदर्शन करेगा। लक्ष्यों पर चलने वाला यह कार्यक्रम अविकसित, कुपोषित, रक्ताल्पता-वाले और कम वजन के पैदा हुए शिशुओं का स्तर कम करने का प्रयत्न करता है। इससे सहक्रिया सृजित होगी, बेहतर अनुवीक्षण सुनिश्चित होगा, नियत लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामयिक कार्रवाई के प्रति चेतावनी जारी होगी।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई): यह योजना बीपीएल परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को 2016-17 से तीन वर्ष की अवधि में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं और उनकी संतानों के स्वास्थ्य को स्वच्छ रसोई ईंधन-एलपीजी-उपलब्ध करवाकर सुरक्षित रखना है ताकि उन्हें धुएंदार रसोई घर में स्वास्थ्य का नुकसान न हो या अस्वच्छ क्षेत्रों में ईंधन एकत्र करते हुए खाक न छाननी पड़े। अपनी प्रारंभिक अवधि से, लगभग 3.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 18.01.2018 तक की स्थिति के अनुसार पहले ही मुहैया करवा दिए गए हैं।

बढ़ता है, यद्यपि, इसके कारण भारत में 1990 से बीमारी का बोझ काफी कम हुआ है। नवजात बच्चों से संबंधित बीमारियों और पोषकतत्वों की कमी एवं अतिसार, निचला श्वस्न संक्रमण तथा अन्य सामान्य बीमारियां बाल एवं मातृ-कुपोषण को प्रदर्शित करती हैं। सरकार इनके लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए नए नीतिगत कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं। कुछ कार्यक्रम बॉक्स 2 में प्रदर्शित हैं।

10.37 वर्ष 1990 (11.1 प्रतिशत) और 2016 (9.8 प्रतिशत) की अवधि के बीच भारत में बीमारियों के बोझ में वायु प्रदूषण का हिस्सा उच्च बना रहा है। यह विश्व के उच्चतम भार स्तरों में से रहे हैं। यह बोझ गैर-संचारी और संक्रामक रोगों, मुख्य रूप से कार्डियोवेस्क्यूलर रोगों, पुराने श्वसन रोगों तथा निचले श्वसन तंत्र संक्रमणों जैसी विभिन्न बीमारियों के कारण होता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जैसी स्कीमों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप के जरिए रसोई ईंधन के लिए ठोस ईंधन के उपयोग से जुड़े घरेलू वायु प्रदूषण के बोझ का समाधान किया जा रहा है (बॉक्स 2)।

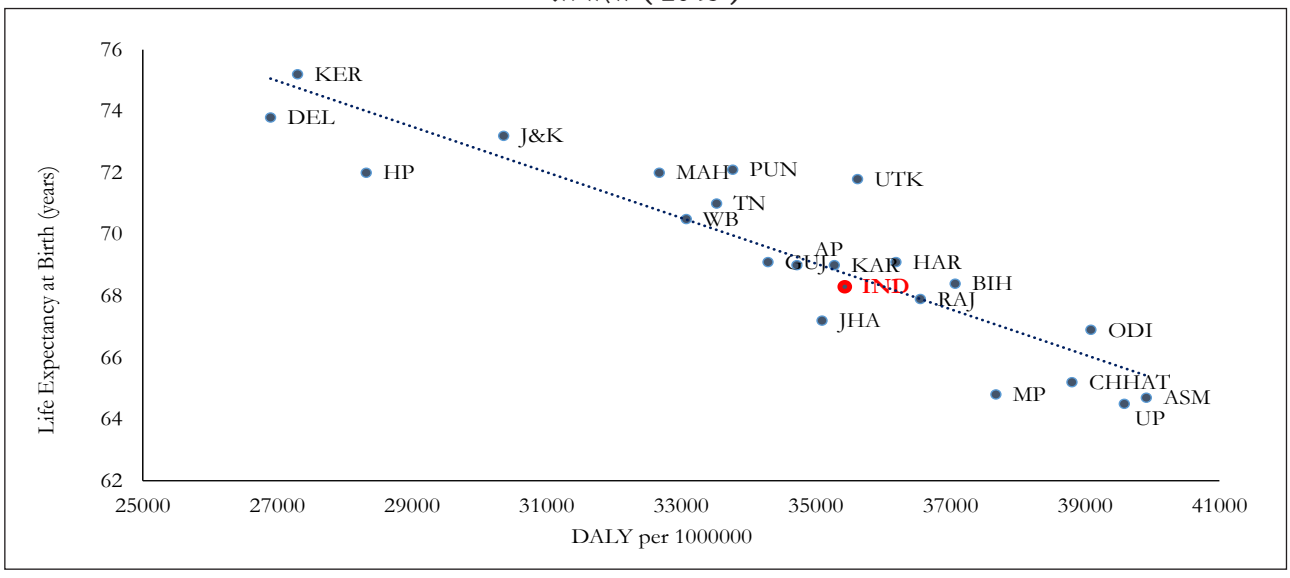
10.38 गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) संबंधी बढ़ते बोझ से जुड़े व्यवहारिक एवं मैटाबॉलिक जोखिम कारक भारत में काफी अधिक हो गए हैं। वर्ष 2016 में आहार संबंधी कारक भारत के जोखिम कारकों में तीसरा सबसे बड़ा अग्रणी कारक था जिसमें कम फलों, सब्जियों और साबुत अनाज लेकिन अधिक नमक और तेल वाले आहार शामिल है जिसके बाद उच्च रक्तचाप और उच्च रक्त मधुमेह (हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज) के कारक आते हैं।

10.39 पेयजल, स्वच्छता और हाथ धोने के प्रति सुरक्षा न बरतना 1990 में जोखिम का दूसरा अग्रणी कारण था लेकिन वर्ष 2016 में इसका स्थान घटकर सातवां रह गया है। स्वास्थ्य को होने वाली लगभग 5 प्रतिशत क्षति को अब भी इस कारक से जोड़ा जाता है जिसका सफलतापूर्वक निराकरण स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के माध्यम से सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके ब्यौरे एसबीएम खंड में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

(डीएएलवाई): एक राज्य स्तरीय विश्लेषण

10.40 चित्र 13 में, सभी राज्यों में एलईबी और डीएएलवाई के बीच इसी प्रकार का संबंध देखा जा सकता है। उच्च जीवन प्रत्याशा वाले राज्य निम्न डीएएलवाई दर दर्शा रहे हैं अर्थात् यहां बीमारियों की कम घटनाएं हैं जबकि दूसरी परिस्थिति में स्थिति इसके विपरीत है। यद्यपि सीएमएनएनडी में अप्रत्याशित गिरावट आई है, तथापि उच्च डीएएलवाई दर वाले राज्य एनसीडी में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्शा रहे हैं। अग्रणी एनसीडी राज्यों में, वर्ष 1990 से 2016 की अवधि के दौरान सबसे अधिक रोग संबंधी बोझ अथवा डीएएलवाई दर बढ़ोतरी मधुमेह के लिए 80 प्रतिशत तथा हृदय को रक्त प्रवाह की अल्पता के लिए 34 प्रतिशत देखी गई थी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम को छोड़कर जहां यह अपेक्षाकृत कम है, अधिकांश राज्यों में संक्रामक और इससे जुड़े रोगों की तुलना में गैर संचारी रोगों तथा चोटों की प्रमुखता अधिक है। वर्षो बाद भारत में समग्र जीवन प्रत्याशा में सुधार के बावजूद राज्यों के बीच असमानताओं का स्तर अभी भी मौजूद है। जहां

चित्र 13: राज्यों की अशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) दर (2016) तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2015)



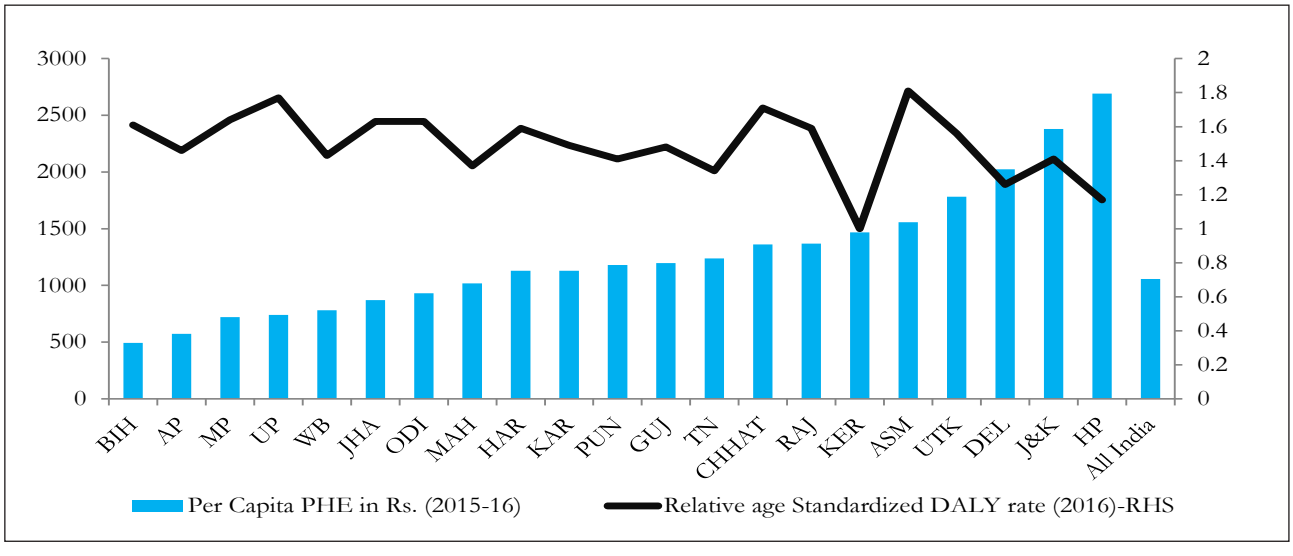
स्रोत: http://thelancet.com और महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त, भारत

वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में यह 64.5 वर्ष थी वहीं केरल में यह 75.2 वर्ष थी (चित्र 13)।

राज्यों द्वारा लोक स्वास्थ्य संबंधी व्यय और डीएएलवाई

10.41 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को वर्ष 2020 तक राज्य सरकार के बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। प्रमुख राज्यों में डीएएलवाई के निष्पादन पर सरकारी व्यय की सार्थकता को समझने एवं क्या राज्य द्वारा स्वास्थ्य पर उच्च व्यय करने से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसी बातों का जायजा लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने वाले राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य पर निम्न प्रति व्यक्ति व्यय करने वाले राज्यों में उच्च

चित्र 14: प्रमुख राज्यों में लोक स्वास्थ्य व्यय (पीएचई) और सापेक्ष आयु मानकीकृत डीएएलवाई दर 2016



स्रोत: केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का वित्तपोषण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

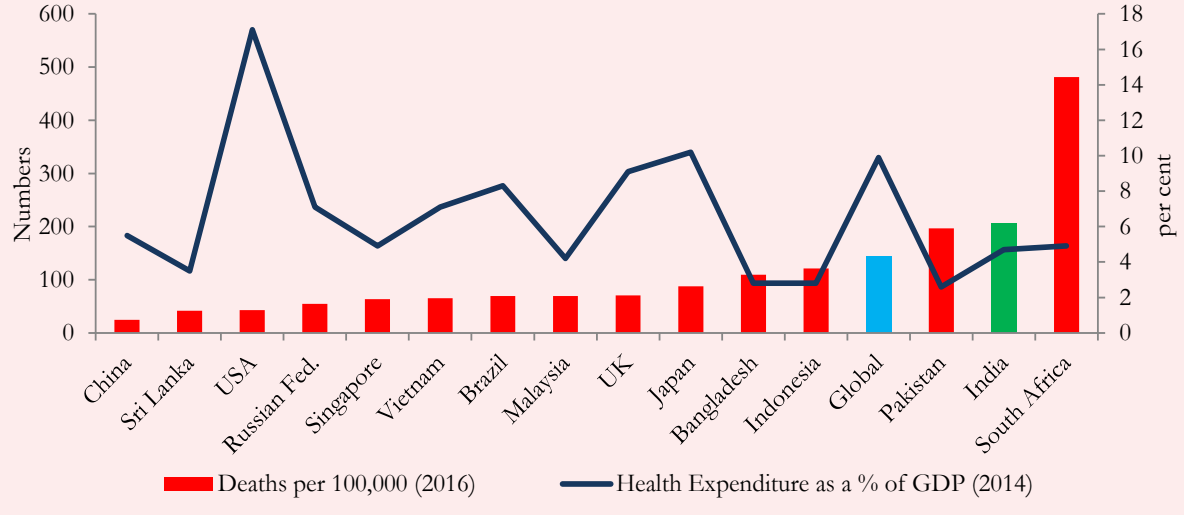
टिप्पणी: प्रति व्यक्ति लोक स्वास्थ्य व्यय (पीएचई) 2015-16 की गणना राज्य-वार लोक स्वास्थ्य व्यय 2015-16 और 2015 के अनुमानित जनगणना आंकड़ों का उपयोग करके की गई है।

बॉक्स 3 भारत में एंटीमाइक्रोबीयल प्रतिरोधकता (ए एम आर) की रोकथाम

एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोधकता (एएमआर) तब उत्पन्न होती है जब बैकटीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स जैसे सूक्ष्म जीवी अपने को इस प्रकार बदल लेते हैं कि उनके संक्रमण की रोकथाम करने वाली दवाएं उन पर निष्प्रभावी हो जाती हैं। यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है लेकिन दवाइयों के अनुचित उपयोग से इसमें मदद मिलती है, उदाहरण के लिए सर्दी अथवा फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना अथवा एंटीबायोटिक्स साझा करना। घटिया दवाइयां, दवाओं का गलत परामर्श तथा संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के घटिया उपाय भी दवा प्रतिरोधकता के विकास और फैलाव को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2014 में एएमआर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि यह किसी देश विशेष की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक चिंता का विषय है जो विश्व की स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।' भारत सहित उन विकासशील देशों में एएमआर चिन्ता का एक मुख्य विषय है जहां संक्रामक रोगों का बोझ उच्च है तथा स्वास्थ्य देखरेख पर व्यय निम्न है (चित्र 1)। हमारा देश विश्व के बैक्टीरिया जनित रोग के उच्च बोझ वाले देशों में से एक है। इसलिए, देश में रुग्णता दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है।

चित्र 1 चुनिंदा देशों में संक्रामक, मातृ, नवजात एवं पोषण संबंधी रोगों के कारण होने वाली मृत्यु की घटना (2016) तथा स्वास्थ्य पर व्यय (2014)



स्रोत: http://thelancet.com और विश्व बैंक डाटाबैंक से उद्घृत लैसेट मेडिकल जनरल में प्रकाशित द ग्लोबल बर्डन ऑफ डीसीज़ 2016 स्टडी ग्रुप रिपोर्ट

एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता की रोकथाम से जुडी चुनौतियां, विशेषकर भारत में अनेक और बहुआयामी हैं। एक तरफ जहां बहुत से जान को खतरे वाले मामलों में एंटीबायोटिक आवश्यक होते हैं वहीं दूसरी ओर एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग दीर्घावधि में भयावह हो सकता है। अत: एंटीबायोटिक के सूझबूझ से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है परन्तु इस लक्ष्य को हासिल करने और इस चुनौती से निपटने के लिए स्वीकार्य कार्यनीतियां तैयार करना आवश्यक है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाए जाने की जरूरत है।

वैश्विक लोक स्वास्थ्य के लिए एएमआर को एक गंभीर खतरा मानते हुए, भारत ने वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप एक व्यापक और बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है तथा ए एम आर से बचाव एवं रोकथाम के लिए यू एन, डब्ल्यू एच ओ, एफ ए ओ तथा अन्य यूएन एजेंसियों जैसे सभी भागीदारों को शामिल करके एक समग्र और सहयोगात्मक कार्यरीति अपनायी है। वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप विभिन्न भागीदारों के साथ राष्ट्र स्तरीय गहन परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया गया है जिसके उद्देश्य भारत में जागरूकता बढ़ाना, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना, एंटीबायोटिक के सूझबूझ भरे उपयोग को बढ़ावा देना, संक्रमण को घटाना तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, भारत का लक्ष्य संक्रामक रोगों के विरूद्ध साझा लडाई में पडोसी देशों को सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा कार्यों में एएमआर के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने सहित एक श्रृंखला की शुरूआत की है एंटीबायोटिक के विक्रय को विनियमित करने के लिए विनियमन (शेडयूल-एच-1) अधिनियमित किया है तथा एंटीबायोटिक के उपयोग हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को प्रकाशित किया है।

तथापि, हमारे देश के विशाल आकार, समस्या की गंभीरता और और इस तथ्य पर कि 'एक स्वास्थ्य कार्यरीति' के तहत एएमआर की व्यापक रूप से निराकरण करने की जरूरत है, ध्यान में रखते हुए और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक्स के उपयोग के संबंध में सभी स्तरों पर एक समन्वित दृष्टिकोण के जरिए इसका प्रभावी कार्यान्वयन अब मुख्य चुनौती है जिसके लिए सभी राज्य सरकारों को राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है।

डीएएलवाई की स्थिति है (चित्र 14)। तथापि, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति उच्च व्यय करने के बावजूद असम, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में डीएएलवाई उच्च है।

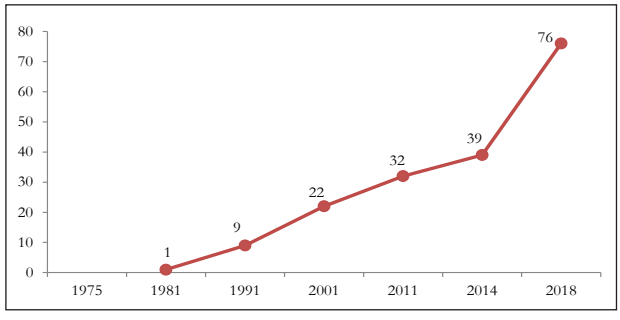
10.42 बढ़े हुए व्यय को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के उपायों सहित संसाधनों के उपयोग में कुशलता जरूरी है। इस संदर्भ में, भारत जैसे विकासशील देशों में जहां स्वास्थ्य देखरेख व्यय निम्न है, एंटीबायोटिक्स के उपयोग में वृद्धि चिंता का कारण है (बॉक्स 3)। इसके अलावा, लोगों का स्वास्थ्य, स्वच्छता की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल और ऐसे ही अन्य जीवन संकेतकों की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ा है जो लोगों के बीमारी संबंधी बोझ में गिरावट ला सकते हैं। इसलिए सरकार का स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के माध्यम से स्वच्छता उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए बल देना विशेष महत्व रखता है। स्वच्छ भारत मिशन के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों का विस्तृत ब्यौरा अगले भाग में दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

10.43 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, राष्ट्र का स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जीवन के अनुकूल वातावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। स्वस्थ जीवन जीने में स्वच्छता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा व्यापक स्वच्छता कवरेज को हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी।

10.44 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) द्वारा आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर, 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ थी जो वर्ष 2014 से पहले देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में काफी तेज गति से घटकर जनवरी, 2018 में 25 करोड़ रह गई। विगत समय में भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को **चित्र 15** में दर्शाया गया है। अब तक, सम्पूर्ण भारत में 296 जिलों और 307349 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के रूप में घोषित किया जा चुका है। आठ राज्य और दो संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, दमण एवं दीव, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ को पूर्णतः ओडीएफ घोषित किया जा चुका हैं। शौचालयों की सुविधा वाले लोगों द्वारा शौचालय के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ, 2016) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई, 2017) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में 2016 और 2017 में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग शौचालयों का प्रयोग कर रहे थे।

चित्र 15: पिछले कुछ वर्षों में भारत में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा (प्रतिशत)

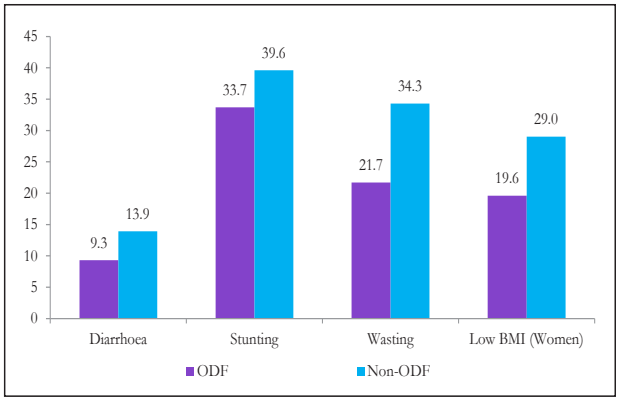


स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (10.01.2018 की स्थिति के अनुसार)

स्वच्छता के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभाव

10.45 सफाई और स्वच्छता की गुणवता का स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्षों को बेहतर बनाने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह एक सु-स्थापित तथ्य है। यूनिसेफ के अनुसार, स्वच्छता की कमी भारत में वार्षिक रूप से 100,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु और 48 प्रतिशत बच्चों के विकास में रूकावट के लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य की स्थिति पर

चित्र 16: चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतकों में ओडीएफ और ओडीएफ-भिन्न जिलों का निष्पादन (प्रतिशत)



स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा चुनिंदा ओडीएफ और ओडीएफ भिन्न जिलों में एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया था। बीएमजीएफ का अनुमान था कि भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों के परिवार महत्वपूर्ण रूप से बेहतर स्वास्थ्य संकेतक वाले हैं (चित्र 16)।

10.46 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 10 जिलों, नामत: उडुपी, चित्रदुर्ग (कर्नाटक), नदिया, वीरभूम (पश्चिम बंगाल), चुरू, अलवर (राजस्थान), हर्दा, देवास (मध्य प्रदेश) और शामली, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में 4000 परिवारों (2000 ओडीएफ और 2000 ओडीएफ भिन्न परिवार) को शामिल करके, मई 2017 से जून 2017 के सर्वेक्षण में सीएपीआई (कम्प्यूटर सहायित व्यक्तिगत साक्षात्कार) तकनीक के आधार पर प्रायोजित दूसरे प्रायोगिक अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। उनका सार नीचे सारणी 5 में दिया गया है।

10.47 ओडीएफ भिन्न जिलों में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के निम्न अनुपात डायरिया, कुपोषण से शारीरिक विकास में रूकावटों, अत्यधिक कमजोर और शारीरिक भार सूचकांक का उच्चतर स्तर प्रदर्शित होते हैं। तथापि, माध्यमिक स्तर तक शिक्षित लोगों के ज्यादा प्रतिशत वाले ओडीएफ क्षेत्रों में, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों (वीएचएससी) की व्यापक विद्यमानता और सकारात्मक कार्य की वजह से व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव का स्पष्ट साक्ष्य रहा है। ओडीएफ क्षेत्रों में सामान्य बीएमआई

सारणी 5: 15 मई, 2017 से 22 जून, 2017 के दौ. रान ओडीएफ और ओडीएफ भिन्न क्षेत्रों की तुलना

सूचकांक	ओडीएफ क्षेत्र	ओडीएफ भिन्न क्षेत्र
विगत एक माह पूर्व सर्वेक्षण में डायरिया फैलना	15.1	22.1
छोटे रह गए बच्चे (आयु से कम लंबाई-2एसडी विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक) वजन घटने वाले बच्चे (लंबाई की तुलना में कम वजन-2 एसडी विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक) कम वजन वाले बच्चे (आयु की तुलना में कम वजन-2 एसडी विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक)	28.3	41.2
महिलाएं जिनका शारीरिक भार सूचकांक (बीएमआई) सामान्य से कम है (शा. भा.सू. 18.5 कि.ग्रा./वर्ग मी.)	62.9	57.5
कोई शिक्षा नहीं माध्यमिक की पढ़ाई पूरी की	27.1	22.8

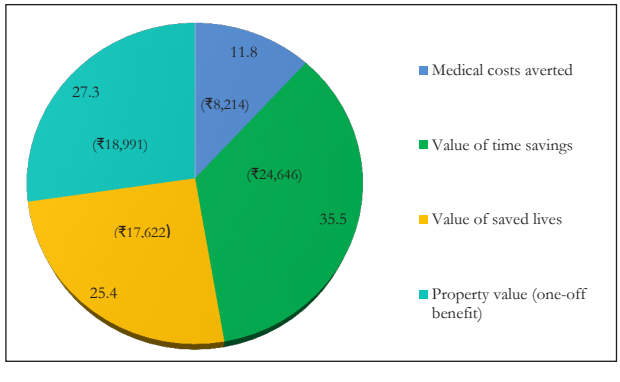
स्रोत: चुनिंदा ओडीएफ और ओडीएफ-भिन्न जिलों में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की समीक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययन

टिप्पणी: निर्दिष्ट तारीख (28 अप्रैल, 2017) से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के रूप में घोषित गांव को खुले में शौच मुक्त गांव के चयन के लिए शामिल किया गया था।

वाली माताओं का अनुपात 62.9% है जबकि ओडीएफ भिन्न क्षेत्रों में यह 57.50% है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे ही नहीं, माताएं भी ओडीएफ क्षेत्रों में अधिक स्वस्थ पाई गई हैं।

10.48 अध्ययनों में दर्शाया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी

चित्र 17 : 100 प्रतिशत शौचालय उपयोग के वार्षिक लाभ (प्रतिशत और रुपये में)



स्रोत: यूनिसेफ

प्रभावों के अतिरिक्त, ओडीएफ क्षेत्र बनने पर आर्थिक लाभ भी हैं। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की कमी की लागत भारत की जीडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक है। 'फायनेंशियल एंड इकोनोमिक इम्पेक्ट ऑफ एसबीएम इन इंडिया (2017)' नामक रिपोर्ट में यूनिसेफ ने यह आकलन किया था कि ग्रामीण भारत में एक ओडीएफ गांव में एक परिवार हर वर्ष 50,000/- रुपये (800 डॉलर) बचाता है (चित्र 17)।

भावी मार्ग

10.49 समावेशी विकास के लिए, भारत शैक्षणिक उपलब्धियों, स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्षों और रोजगार अवसरों में अंतरालों को पाटने के लिए महिलाओं और जनता के सीमांत वर्गों को शामिल करने हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। हालांकि समष्टि आर्थिक विकास और सक्षम बाजार आवश्यक हैं, परंतु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि विकास के लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हो सकें ताकि विकास को व्यापक आधार प्रदान किया जा सके।

10.50 *अंततः ''नीतिगत और संस्थागत पारिस्थिति समर्पित समावेशी विकास के सुदृढीकरण को देशों, चाहे वे मंद गति के विकास, उच्च असमानता का अनुभव कर रहे हों, या दोनों से गुजर रहे हों, के लिए सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए।* यह चौथी औद्योगिक क्रांति में उन्नति करने की चाह रखने वाले देशों के लिए अनिवार्य होना चाहिए (डब्ल्यूईएफ, 2017)''। भारत सरकार द्वारा अधिशासन का कायापलट करने के लिए डिजिटाईजेशन और वित्तीय समावेशन, जेंडर को मुख्य धारा में लाने और भारतीय समाज में अंतर्निहित समाजिक असमानताओं के सभी स्वरूपों में कमी लाने से संबंधित उपायों के माध्यम से सामाजिक समावेशन प्राप्त करने के रूप में समावेशी विकास के लिए उत्तरोत्तर नीतियां और संस्थागत प्रणालियां तैयार की जा रही हैं।

ECONOMIC SURVEY 2017-18
STATISTICAL APPENDIX

STATISTICAL APPENDIX : ECONOMIC SURVEY 2017-18

		PAGE
1	**National Income and Production**	
1.1	Gross National Income and Net National Income	A1-A2
1.2	Annual Growth Rates of Gross National Income and Net National Income	A3-A5
1.3 A	Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin	A6-A7
1.3 B	Real Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin	A8
1.4 A	Nominal Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin	A9-A10
1.4 B	Nominal Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin	A11
1.5 A	Annual Growth Rates of Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin	A12-A13
1.5 B	Annual Growth Rates of Real Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin	A14
1.6	Components of Gross Domestic Product at Current Prices	A15-A16
1.7	Components of Gross Domestic Product at Constant Prices	A17-A19
1.8	Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (at current prices)	A20-A23
1.9	Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (as per cent of GDP at current market prices)	A24-A27
1.10 A	Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)	A28
1.10 B	Growth of Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)	A29
1.11A	Per Capita Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)	A30
1.11 B	Growth of Per Capita Net State Domestic Product at Current Price (2011-12 Series)	A31
1.12	Index Numbers of Agricultural Production	A32
1.13	Index Numbers of Area Under Principal Crops	A33
1.14	Index Numbers of Yield of Principal Crops	A34
1.15	Production of Major Crops	A35
1.16	Gross Area Under Major Crops	A36
1.17	Yield per Hectare of Major Crops	A37
1.18	Production of Important Crops in Three Largest Producing States in 2016-17	A38
1.19	Per Capita Net Availability of Cereals and Pulses	A39
1.20	Net Availability, Procurement and Public Distribution of Foodgrains	A40
1.21	Per Capita Availability of Certain Important Articles of Consumption	A41
1.22	Production, Imports and Consumption of Fertilizers	A42
1.23	Production of Major Livestock Products and Fish	A43
1.24	Production of Coal and Lignite	A44
1.25	Progress of Electricity Supply (Utilities and Non-utilities)	
	A: Installed Plant Capacity	A45
	B: Energy Generated	A46
1.26	Operations of Indian Railways	A47
1.27	Revenue Earning Goods Traffic on Indian Railways	
	A: Traffic Originating	A48
	B: Goods Carried	A49
1.28	Operations of Road Transport	A50
1.29	Growth of Civil Aviation	A51-A52
1.30	Commodity Balance of Petroleum and Petroleum Products	A53
1.31	Index of Industrial Production (Base: 2011-12)	A54
2	**Budgetary Transactions**	
2.1	Budgetary Transactions of the Central and State Governments and Union Territories	A55
2.2	Total Expenditure of the Central Government	A56-A57
2.3	Financial Performance of Indian Railways	A58
2.4	Financial Performance of the Department of Posts	A58
2.5	Receipts and Expenditure of the Central Government (₹ crore)	A59
2.6	Receipts and Expenditure of the Central Government (As per cent to GDP)	A60
2.7	Outstanding liabilities of the Central Government	A61
2.8	Total Expenditure and Capital Formation by the Central Government and its Financing	A62
2.9	Receipts and Disbursements of State and Consolidated General Government (₹ crore)	A63
2.10	Receipts and Disbursements of State and Consolidated General Government (as per cent to GDP)	A64

STATISTICAL APPENDIX : ECONOMIC SURVEY 2017-18 PAGE

3.0	**Employment**	
3.1	Employment in Organised Sectors —Public and Private	A65
3.2	Performance of Central Public Sector Enterprises	A66
4.0	**Monetary Trends**	
4.1	Scheduled Commercial Banks: Seasonal Flow of Funds	A67
4.2	Scheduled Commercial Banks: Variations in Selected Items	A68
4.3	Number of Functioning Branches of Commercial Banks - Bank Group-wise	A69
4.4	Advances to Agriculture and other Priority Sectors by Public Sector Banks	A70-A71
4.5	State-wise Number of Reporting Bank-offices, Deposit and Bank Credit of SCBs and Percentage Share of Advances to Priority Sectors by PSBs	A72
5.0	**Prices**	
5.1	Index Numbers of Wholesale Prices	A73-A75
5.2	Index Numbers of Wholesale Prices - Selected Commodities and Commodity Groups	A76-A78
5.3	All India Consumer Price Index Numbers	A79-A80
5.4	Index Numbers of Wholesale Prices - Relative Prices of Manufactured and Agricultural Products	A81
5.5	Minimum Support Price/Procurement Price for Crops	A82-A83
6.0	**Balance of Payments**	
6.1A	Foreign Exchange Reserves (₹ crore)	A84-A86
6.1B	Foreign Exchange Reserves (US$ million)	A87-A88
6.2	Balance of Payments as per IMF Balance of Payments Manual 5	A89-A90
6.3A	Balance of Payments as per IMF Balance of Payments Manual 6 (₹ crore)	A91-A92
6.3B	Balance of Payments as per IMF Balance of Payments Manual 6 (US$ million)	A93-A94
6.4	Exchange Rate of Rupee vis-a-vis Selected Currencies of the World	A95-A96
6.5	Trends in Nominal and Real Effective Exchange Rate of Rupee	A97
7.0	**Foreign Trade**	
7.1A	Exports, Imports and Trade Balance (₹ crore)	A98-A99
7.1B	Exports, Imports and Trade Balance (US$ million)	A100-A101
7.2A	Principal Imports	A102-A104
7.2B	Share and Percentage Change of Major Imports	A105
7.3A	Principal Exports	A106-A108
7.3B	Share and Percentage Change of Major Exports	A109
7.4A	Direction of Imports : Imports by Regions and Countries	A110-A117
7.4B	Direction of Exports : Exports by Regions and Countries	A118-A125
7.5	India's Share in World Exports by Commodity Divisions and Groups (US$ million)	A126-A129
7.6	Index Numbers of Foreign Trade	A130
8.0	**External Assistance**	
8.1A	Overall External Assistance (₹ crore)	A131-A132
8.1B	Overall External Assistance (US$ million)	A133-A134
8.2A	Authorization of External Assistance by Source (₹ crore)	A135-A136
8.2B	Authorization of External Assistance by Source (US$ million)	A137-A138
8.3A	Utilization of External Assistance by Source (₹ crore)	A139-A141
8.3B	Utilization of External Assistance by Source (US$ million)	A142-A144
8.4A	India's External Debt Outstanding (₹ crore)	A145-A147
8.4B	India's External Debt Outstanding (US$ million)	A148-A150
9.0	**Human Development Indicators**	
9.1	Selected Indicators of Human Development for Major States	A151
9.2	Gross Enrolment Ratio 2015-16 (Provisional)	A152
9.3	Number of Recognised Educational Institutions in India 2015-16	A153-A154
9.4	State-wise Literacy Rates (1951-2011)	A155
9.5	Households with Access to Safe Drinking Water in India	A156
9.6	Population of India (1951-2011)	A157
9.7	Population under Different Age Groups and Child Sex Ratio in 2001 and 2011	A158-A159
9.8	Socio-Economic Profiles & Inter State Comparison of Selected Major States of India	A160-A163

Table 1.1. Gross National Income and Net National Income

Year	Gross national income (₹ crore)		Net national income (₹ crore)		Per capita net national income (₹)	
	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2004-05 Series			
1950-51	10360	292996	9829	269724	274	7513
1951-52	11019	302010	10443	279256	286	7651
1952-53	10825	310068	10241	287818	275	7737
1953-54	11791	329250	11235	307397	296	8111
1954-55	11141	344902	10635	326057	276	8447
1955-56	11361	356460	10819	337156	275	8579
1956-57	13530	376234	12944	356008	323	8878
1957-58	13931	374503	13277	353525	325	8644
1958-59	15516	402020	14802	379855	354	9087
1959-60	16327	412031	15564	389080	365	9133
1960-61	17870	434497	17062	411519	393	9482
1961-62	18912	450212	18016	426103	406	9597
1962-63	20321	463161	19350	437686	426	9641
1963-64	23350	491049	22266	464130	480	10003
1964-65	27222	527153	25982	498287	548	10512
1965-66	28693	512985	27300	482480	563	9948
1966-67	32439	512781	30806	480102	622	9699
1967-68	38003	552429	36136	517516	714	10228
1968-69	40257	571460	38259	534677	739	10322
1969-70	44334	608809	42035	569591	795	10767
1970-71	47354	640275	44550	596470	823	11025
1971-72	50708	650938	47630	605211	860	10924
1972-73	55912	647647	52487	600195	926	10585
1973-74	68095	669444	63983	619883	1103	10688
1974-75	80479	678151	75182	625455	1268	10547
1975-76	86452	740806	80189	685230	1321	11289
1976-77	93189	753348	86382	694149	1393	11196
1977-78	105615	808500	98287	746719	1550	11778
1978-79	114491	854867	106380	790566	1642	12200
1979-80	125882	811357	115995	743925	1747	11204
1980-81	149987	866338	138565	795193	2041	11711
1981-82	175845	917272	161924	842429	2340	12174
1982-83	196010	946491	179895	867337	2541	12251
1983-84	228077	1015342	210108	932241	2906	12894
1984-85	255187	1052643	234211	963767	3169	13041
1985-86	288095	1108266	262958	1013410	3483	13423
1986-87	322144	1160809	293806	1060195	3811	13751

Contd....

Table 1.1. Gross National Income and Net National Income

Year	Gross national income (₹ crore)		Net national income (₹ crore)		Per capita net national income (₹)	
	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 Series						
1987-88	365592	1204856	332400	1097111	4218	13923
1988-89	432397	1317940	393546	1204380	4889	14961
1989-90	496197	1396154	450949	1275833	5486	15521
1990-91	578667	1470766	526017	1342031	6270	15996
1991-92	663798	1485707	599171	1348043	7000	15748
1992-93	762900	1567944	688762	1422097	7899	16308
1993-94	879275	1644886	796418	1492864	8928	16736
1994-95	1032507	1755272	935759	1592980	10283	17505
1995-96	1213241	1888228	1100655	1715639	11861	18487
1996-97	1406195	2032837	1276347	1849226	13492	19548
1997-98	1559189	2118975	1411922	1920927	14646	19927
1998-99	1788410	2250012	1624669	2038124	16528	20734
1999-00	2007699	2448654	1821227	2220003	18194	22178
2000-01	2154680	2535911	1947788	2291795	19115	22491
2001-02	2335777	2661819	2106928	2401875	20259	23095
2002-03	2519637	2766298	2273456	2492931	21529	23607
2003-04	2820795	2983497	2548640	2692470	23775	25116
2004-05	3219835	3219835	2899944	2899944	26629	26629
2005-06	3667253	3518348	3303532	3167455	29869	28639
2006-07	4261472	3841974	3842743	3456274	34249	30805
2007-08	4966578	4233768	4481882	3806140	39384	33446
2008-09	5597140	4390966	5031943	3922062	43604	33987
2009-10	6439827	4763090	5780028	4241183	49402	36249
2010-11	7702308	5227739	6942089	4657438	58534	39270
2011-12	8932892	5586683	8052996	4958849	66997	41255
2011-12 Series						
2011-12	8659505	8659505	7742330	7742330	63462	63462
2012-13	9827250	9104662	8766345	8094001	70983	65538
2013-14	11093638	9679027	9897663	8578417	79118	68572
2014-15	12297698	10412280	10953761	9231556	86454	72862
2015-16	13522256	11246305	12076882	9982112	94130	77803
2016-17 (PE)	14994109	12034713	13408211	10686776	103219	82269
2017-18(FAE)	16438895	12835004	14710563	11404413	111782	86660

Source : Central Statistics Office

Notes :

PE : Provisional Estimates, FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011 12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

Table 1.2. Annual Growth Rates of Gross National Income and Net National Income

(per cent)

Year	Gross national income		Net national income		Per capita net national income	
	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2004-05 Series			
1951-52	6.4	3.1	6.2	3.5	4.5	1.8
1952-53	-1.8	2.7	-1.9	3.1	-3.8	1.1
1953-54	8.9	6.2	9.7	6.8	7.7	4.8
1954-55	-5.5	4.8	-5.3	6.1	-7.1	4.1
1955-56	2.0	3.4	1.7	3.4	-0.1	1.6
1956-57	19.1	5.5	19.6	5.6	17.3	3.5
1957-58	3.0	-0.5	2.6	-0.7	0.6	-2.6
1958-59	11.4	7.3	11.5	7.4	9.1	5.1
1959-60	5.2	2.5	5.1	2.4	3.2	0.5
1960-61	9.5	5.5	9.6	5.8	7.6	3.8
1961-62	5.8	3.6	5.6	3.5	3.2	1.2
1962-63	7.5	2.9	7.4	2.7	5.0	0.5
1963-64	14.9	6.0	15.1	6.0	12.6	3.8
1964-65	16.6	7.4	16.7	7.4	14.2	5.1
1965-66	5.4	-2.7	5.1	-3.2	2.7	-5.4
1966-67	13.1	0.0	12.8	-0.5	10.6	-2.5
1967-68	17.2	7.7	17.3	7.8	14.8	5.4
1968-69	5.9	3.4	5.9	3.3	3.4	0.9
1969-70	10.1	6.5	9.9	6.5	7.6	4.3
1970-71	6.8	5.2	6.0	4.7	3.6	2.4
1971-72	7.1	1.7	6.9	1.5	4.4	-0.9
1972-73	10.3	-0.5	10.2	-0.8	7.7	-3.1
1973-74	21.8	3.4	21.9	3.3	19.2	1.0
1974-75	18.2	1.3	17.5	0.9	14.9	-1.3
1975-76	7.4	9.2	6.7	9.6	4.2	7.0
1976-77	7.8	1.7	7.7	1.3	5.5	-0.8
1977-78	13.3	7.3	13.8	7.6	11.3	5.2

Contd....

Table 1.2. Annual Growth Rates of Gross National Income and Net National Income

(per cent)

Year	Gross national income		Net national income		Per capita net national income	
	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1978-79	8.4	5.7	8.2	5.9	5.9	3.6
1979-80	9.9	-5.1	9.0	-5.9	6.4	-8.2
1980-81	19.1	6.8	19.5	6.9	16.8	4.5
1981-82	17.2	5.9	16.9	5.9	14.7	3.9
1982-83	11.5	3.2	11.1	3.0	8.6	0.6
1983-84	16.4	7.3	16.8	7.5	14.4	5.3
1984-85	11.9	3.7	11.5	3.4	9.1	1.1
1985-86	12.9	5.3	12.3	5.2	9.9	2.9
1986-87	11.8	4.7	11.7	4.6	9.4	2.4
1987-88	13.5	3.8	13.1	3.5	10.7	1.2
1988-89	18.3	9.4	18.4	9.8	15.9	7.5
1989-90	14.8	5.9	14.6	5.9	12.2	3.7
1990-91	16.6	5.3	16.6	5.2	14.3	3.1
1991-92	14.7	1.0	13.9	0.4	11.6	-1.5
1992-93	14.9	5.5	15.0	5.5	12.8	3.6
1993-94	15.3	4.9	15.6	5.0	13.0	2.6
1994-95	17.4	6.7	17.5	6.7	15.2	4.6
1995-96	17.5	7.6	17.6	7.7	15.3	5.6
1996-97	15.9	7.7	16.0	7.8	13.8	5.7
1997-98	10.9	4.2	10.6	3.9	8.6	1.9
1998-99	14.7	6.2	15.1	6.1	12.8	4.1
1999-00	12.3	8.8	12.1	8.9	10.1	7.0
2000-01	7.3	3.6	6.9	3.2	5.1	1.4
2001-02	8.4	5.0	8.2	4.8	6.0	2.7
2002-03	7.9	3.9	7.9	3.8	6.3	2.2
2003-04	12.0	7.9	12.1	8.0	10.4	6.4
2004-05	14.1	7.9	13.8	7.7	12.0	6.0
2005-06	13.9	9.3	13.9	9.2	12.2	7.5
2006-07	16.2	9.2	16.3	9.1	14.7	7.6
2007-08	16.5	10.2	16.6	10.1	15.0	8.6

Contd....

Table 1.2. Annual Growth Rates of Gross National Income and Net National Income

(per cent)

Year	Gross national income		Net national income		Per capita net national income	
	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices	Current prices	Constant prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	12.7	3.7	12.3	3.0	10.7	1.6
2009-10	15.1	8.5	14.9	8.1	13.3	6.7
2010-11	19.6	9.8	20.1	9.8	18.5	8.3
2011-12	16.0	6.9	16.0	6.5	14.5	5.1
2011-12 Series						
2012-13	13.5	5.1	13.2	4.5	11.9	3.3
2013-14	12.9	6.3	12.9	6.0	11.5	4.6
2014-15	10.9	7.6	10.7	7.6	9.3	6.3
2015-16	10.0	8.0	10.3	8.1	8.9	6.8
2016-17 (PE)	10.9	7.0	11.0	7.1	9.7	5.7
2017-18 (FAE)	9.6	6.6	9.7	6.7	8.3	5.3

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates, FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

Table 1.3 A. Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(₹ crore)

At constant prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2004-05 series			
1950-51	150191	40138	30792	23325	28474	279618
1951-52	152987	41996	31608	23863	29329	286147
1952-53	157764	41834	32641	24863	29934	294267
1953-54	169547	44416	33861	25219	30860	312177
1954-55	174611	48325	36065	26140	31967	325431
1955-56	173255	53962	38700	27190	32955	333766
1956-57	182651	58809	41537	27635	34219	352766
1957-58	175180	57737	42831	28679	35765	348500
1958-59	192337	62009	44965	29492	37233	374948
1959-60	190851	66378	47779	30619	38834	383153
1960-61	204340	73555	51879	31252	40741	410279
1961-62	205014	78638	55259	32596	42656	423011
1962-63	202234	83517	58503	33693	45686	431960
1963-64	207030	92432	62650	34735	48684	453829
1964-65	225287	99250	66890	35688	51894	488247
1965-66	202906	102475	68079	36766	53950	470402
1966-67	200481	106304	69862	37412	56438	475190
1967-68	228813	109856	72852	38431	58659	513860
1968-69	228836	115422	76155	40305	61272	527270
1969-70	243347	124372	80275	41980	64655	561630
1970-71	258665	126356	84205	43735	68218	589787
1971-72	254395	129506	86121	45989	71264	595741
1972-73	243082	133917	87991	47767	73594	593843
1973-74	259751	134649	91686	48936	75541	620872
1974-75	256719	136045	97176	48779	79120	628079
1975-76	289695	144928	105980	52142	81914	684634
1976-77	274522	158354	110697	56277	84190	693191
1977-78	300873	170123	118084	59032	86450	744972
1978-79	307874	182590	127772	63203	90186	785965
1979-80	271096	176035	126751	63818	96779	745083
1980-81	305906	183970	133906	65041	101666	798506
1981-82	321876	197519	142057	70326	103842	843426
1982-83	323862	197833	149903	77029	111849	868092
1983-84	354720	214737	157545	84585	116027	936270

Contd....

Table 1.3 A. Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(₹ crore)

At constant prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2004-05 series			
1984-85	360230	224284	165037	90907	124065	973357
1985-86	362783	233818	178195	99783	131184	1013866
1986-87	364989	245385	188888	110295	141043	1057612
1987-88	360949	259641	198578	118383	151240	1094993
1988-89	417581	280863	210405	129934	160385	1206243
1989-90	425075	304461	226074	146088	173022	1280228
1990-91	444880	325450	237736	155165	180564	1347889
1991-92	438685	325150	243178	171956	185232	1367171
1992-93	465084	336716	256897	181320	196332	1440504
1993-94	479592	357237	274682	201568	205101	1522344
1994-95	504477	389903	301997	209401	209742	1619694
1995-96	504527	436863	342536	226348	225157	1737741
1996-97	549202	468146	370200	240354	243288	1876319
1997-98	542313	483585	398109	268495	263486	1957032
1998-99	574374	504485	428613	289440	289085	2087828
1999-00	590696	535730	477605	327111	323800	2254942
2000-01	592227	570571	508299	338661	338723	2348481
2001-02	624923	585971	552118	359684	352267	2474962
2002-03	594280	627374	597896	385661	365724	2570935
2003-04	643183	676833	664637	406098	384998	2775749
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	680628	824272	815407	492340	440426	3253073
2006-07	711768	928626	910084	561063	452823	3564364
2007-08	751077	1023998	1009520	628124	483917	3896636
2008-09	753744	1071681	1085125	703629	544497	4158676
2009-10	764817	1173089	1197891	771905	608369	4516071
2010-11	828431	1262722	1344024	849189	634167	4918533
2011-12	864557	1369932	1402261	945534	665246	5247530

Source: Central Statistics Office

Notes :

1. For the years prior to 1999-2000 totals under col. 7 may not add up to totals of individual item under col. 2 to col. 6 due to splicing technique applied independently at the level of each industry and at the total level.
2. Estimates for the years 2011-12 onwards (at base 2011-12) are available at basic prices only and are given in table 1.3B.

Table 1.3 B. Real Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin

(₹ crore)

	At constant prices					
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at basic prices (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2011-12 series			
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1786897	2458558	1551143	1680031	1069646	8546275
2013-14	1872305	2561081	1652062	1867407	1110794	9063649
2014-15	1899961	2741451	1800919	2075549	1201143	9719023
2015-16	1941948	2976344	1989161	2298798	1284263	10490514
2016-17 (PE)	2026660	3155185	2143956	2429638	1430002	11185440
2017-18 (FAE)	2072343	3298102	2329801	2606602	1564473	11871320

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates, FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

Table 1.4 A. Nominal Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(₹ crore)

At current prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 Series						
1950-51	5274	1346	968	1254	1115	10036
1951-52	5453	1505	1048	1349	1162	10596
1952-53	5316	1416	1055	1425	1201	10449
1953-54	5850	1559	1121	1537	1250	11378
1954-55	4993	1640	1151	1647	1283	10689
1955-56	4847	1760	1192	1768	1361	10861
1956-57	6152	2071	1378	1917	1430	12965
1957-58	6045	2148	1525	2054	1503	13255
1958-59	7002	2334	1667	2203	1597	14827
1959-60	7043	2616	1801	2364	1760	15574
1960-61	7434	3113	1985	2547	1989	17049
1961-62	7704	3398	2145	2602	2154	17992
1962-63	7899	3740	2348	2987	2343	19238
1963-64	9274	4274	2628	3231	2599	21986
1964-65	11291	4788	3084	3512	2945	25686
1965-66	11301	5199	3345	3796	3276	26895
1966-67	13123	5819	3890	4063	3665	30613
1967-68	16393	6380	4445	4458	4105	35976
1968-69	16912	6940	4732	4772	4422	37938
1969-70	18505	7944	5107	5120	4822	41722
1970-71	19086	8622	5627	5579	5315	44382
1971-72	19510	9538	6102	6117	5901	47221
1972-73	21448	10534	6730	6694	6456	51943
1973-74	28171	12230	8057	7465	7261	63658
1974-75	31062	15232	10642	8390	9142	74930
1975-76	31028	16571	12067	9511	10290	79582
1976-77	31833	18811	13066	10579	11311	85545
1977-78	37592	21270	14702	11540	12296	97633
1978-79	38717	23951	16119	12448	13529	104930
1979-80	40373	26774	18604	13576	15149	114500
1980-81	50760	30900	21968	15120	17537	136838
1981-82	58745	36090	26946	17835	19927	160214
1982-83	63985	39953	30749	20453	23134	178985

Contd....

Table 1.4 A. Nominal Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(₹ crore)

At current prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 Series						
1983-84	75982	47053	35716	23388	26345	209356
1984-85	82204	53656	41125	26907	30311	235113
1985-86	88083	60593	48022	30819	34284	262717
1986-87	95182	67754	54272	35337	39428	292924
1987-88	105358	77630	61963	40387	45700	332068
1988-89	130731	91163	73159	46926	52994	396295
1989-90	144461	108908	85630	55297	60741	456540
1990-91	168166	127079	100318	64598	70019	531814
1991-92	195454	140700	115570	78904	81366	613528
1992-93	219680	163887	136250	87495	94507	703723
1993-94	254876	188251	160990	105686	106090	817961
1994-95	293013	229365	192142	119442	118663	955386
1995-96	319243	280971	231175	143791	140190	1118586
1996-97	381142	318260	273135	158637	166469	1301788
1997-98	408521	348543	313093	180642	193188	1447613
1998-99	466446	393491	358538	210593	236123	1668739
1999-00	497027	426993	400650	260522	273013	1858205
2000-01	506476	474323	443169	282316	294459	2000743
2001-02	546674	497578	491952	321543	317513	2175260
2002-03	548062	550421	543691	360194	341496	2343864
2003-04	608788	618840	624394	402510	371288	2625819
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	732234	859410	846606	493102	459151	3390503
2006-07	829771	1033410	998379	586595	505121	3953276
2007-08	961330	1205458	1150044	691464	573790	4582086
2008-09	1083032	1360426	1310845	845369	703895	5303567
2009-10	1242818	1536492	1481623	964937	883033	6108903
2010-11	1524552	1763584	1779630	1165243	1015850	7248860
2011-12	1721814	2061650	2072272	1381524	1154431	8391691

Source: Central Statistics Office

Notes :

1. For the years prior to 1999-2000 totals under col. 7 may not add up to totals of individual item under col. 2 to col. 6 due to splicing technique applied independently at the level of each industry and at the total level.
2. Estimates for the years 2011-12 onwards (at base 2011-12) are also available at basic prices only and are given in table 1.4 B.

Table 1.4 B. Nominal Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin

(₹crore)

At current prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at basic prices (2 to 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 Series						
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1960949	2637551	1663986	1776632	1163574	9202692
2013-14	2222166	2895076	1874467	2069508	1301935	10363153
2014-15	2383135	3151061	2095121	2363250	1489226	11481794
2015-16	2471800	3392873	2294364	2631120	1668486	12458642
2016-17 (PE)	2674006	3641179	2519999	2889048	1945683	13669915
2017-18 (FAE)	2780389	3899978	2825708	3186115	2205463	14897653

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

Table 1.5 A. Annual Growth Rates of Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(per cent)

At Constant Prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 Series						
1951-52	1.9	4.6	2.6	2.3	3.0	2.3
1952-53	3.1	-0.4	3.3	4.2	2.1	2.8
1953-54	7.5	6.2	3.7	1.4	3.1	6.1
1954-55	3.0	8.8	6.5	3.7	3.6	4.2
1955-56	-0.8	11.7	7.3	4.0	3.1	2.6
1956-57	5.4	9.0	7.3	1.6	3.8	5.7
1957-58	-4.1	-1.8	3.1	3.8	4.5	-1.2
1958-59	9.8	7.4	5.0	2.8	4.1	7.6
1959-60	-0.8	7.0	6.3	3.8	4.3	2.2
1960-61	7.1	10.8	8.6	2.1	4.9	7.1
1961-62	0.3	6.9	6.5	4.3	4.7	3.1
1962-63	-1.4	6.2	5.9	3.4	7.1	2.1
1963-64	2.4	10.7	7.1	3.1	6.6	5.1
1964-65	8.8	7.4	6.8	2.7	6.6	7.6
1965-66	-9.9	3.2	1.8	3.0	4.0	-3.7
1966-67	-1.2	3.7	2.6	1.8	4.6	1.0
1967-68	14.1	3.3	4.3	2.7	3.9	8.1
1968-69	0.0	5.1	4.5	4.9	4.5	2.6
1969-70	6.3	7.8	5.4	4.2	5.5	6.5
1970-71	6.3	1.6	4.9	4.2	5.5	5.0
1971-72	-1.7	2.5	2.3	5.2	4.5	1.0
1972-73	-4.4	3.4	2.2	3.9	3.3	-0.3
1973-74	6.9	0.5	4.2	2.4	2.6	4.6
1974-75	-1.2	1.0	6.0	-0.3	4.7	1.2
1975-76	12.8	6.5	9.1	6.9	3.5	9.0
1976-77	-5.2	9.3	4.5	7.9	2.8	1.2
1977-78	9.6	7.4	6.7	4.9	2.7	7.5
1978-79	2.3	7.3	8.2	7.1	4.3	5.5
1979-80	-11.9	-3.6	-0.8	1.0	7.3	-5.2
1980-81	12.8	4.5	5.6	1.9	5.0	7.2

Contd....

Table 1.5 A. Annual Growth Rates of Real Gross Value Added at Factor Cost by Industry of Origin

(per cent)

At Constant Prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 Series						
1981-82	5.2	7.4	6.1	8.1	2.1	5.6
1982-83	0.6	0.2	5.5	9.5	7.7	2.9
1983-84	9.5	8.5	5.1	9.8	3.7	7.9
1984-85	1.6	4.4	4.8	7.5	6.9	4.0
1985-86	0.7	4.3	8.0	9.8	5.7	4.2
1986-87	0.6	4.9	6.0	10.5	7.5	4.3
1987-88	-1.1	5.8	5.1	7.3	7.2	3.5
1988-89	15.7	8.2	6.0	9.8	6.0	10.2
1989-90	1.8	8.4	7.4	12.4	7.9	6.1
1990-91	4.7	6.9	5.2	6.2	4.4	5.3
1991-92	-1.4	-0.1	2.3	10.8	2.6	1.4
1992-93	6.0	3.6	5.6	5.4	6.0	5.4
1993-94	3.1	6.1	6.9	11.2	4.5	5.7
1994-95	5.2	9.1	9.9	3.9	2.3	6.4
1995-96	0.0	12.0	13.4	8.1	7.3	7.3
1996-97	8.9	7.2	8.1	6.2	8.1	8.0
1997-98	-1.3	3.3	7.5	11.7	8.3	4.3
1998-99	5.9	4.3	7.7	7.8	9.7	6.7
1999-00	2.8	6.2	11.4	13.0	12.0	8.0
2000-01	0.3	6.5	6.4	3.5	4.6	4.1
2001-02	5.5	2.7	8.6	6.2	4.0	5.4
2002-03	-4.9	7.1	8.3	7.2	3.8	3.9
2003-04	8.2	7.9	11.2	5.3	5.3	8.0
2004-05	1.1	10.0	9.5	7.7	6.8	7.1
2005-06	4.6	10.7	12.0	12.6	7.1	9.5
2006-07	4.6	12.7	11.6	14.0	2.8	9.6
2007-08	5.5	10.3	10.9	12.0	6.9	9.3
2008-09	0.4	4.7	7.5	12.0	12.5	6.7
2009-10	1.5	9.5	10.4	9.7	11.7	8.6
2010-11	8.3	7.6	12.2	10.0	4.2	8.9
2011-12	4.4	8.5	4.3	11.3	4.9	6.7

Source: Central Statistics Office

Table 1.5 B. Annual Growth Rates of Real Gross Value Added at Basic Prices by Industry of Origin

(per cent)

At Constant Prices						
Year	Agriculture, forestry & fishing, mining and quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply	Trade, hotels, transport & communication	Financing, insurance, real estate and business services	Community social & personal services	Gross value added at factor cost
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 Series						
2012-13	1.4	3.6	9.8	9.7	4.3	5.4
2013-14	4.8	4.2	6.5	11.2	3.8	6.1
2014-15	1.5	7.0	9.0	11.1	8.1	7.2
2015-16	2.2	8.6	10.5	10.8	6.9	7.9
2016-17 (PE)	4.4	6.0	7.8	5.7	11.3	6.6
2017-18 (FAE)	2.3	4.5	8.7	7.3	9.4	6.1

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

Table 1.6. Components of Gross Domestic Product at Current Prices

(₹ crore)

Year	PFCE	GFCE	GFCF	CIS	Valu-ables	Export of goods and services	Import of goods and services	Discrep-ancies	GDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2004-05 Series					
1950-51	9394	608	968	165	na	736	711	-759	10401
1951-52	10307	638	1045	173	na	846	1038	-917	11054
1952-53	10284	661	974	40	na	715	702	-1122	10850
1953-54	11190	698	968	-67	na	644	652	-970	11810
1954-55	10414	728	1112	36	na	705	750	-1076	11170
1955-56	10417	780	1384	53	na	757	839	-1180	11371
1956-57	12286	860	1771	235	na	767	1174	-1198	13547
1957-58	12462	1005	1803	242	na	800	1304	-1057	13951
1958-59	14148	1078	1782	2	na	719	1104	-1074	15551
1959-60	14707	1136	2003	209	na	779	1010	-1440	16384
1960-61	15891	1240	2290	328	na	787	1205	-1389	17942
1961-62	16617	1377	2554	276	na	804	1113	-1506	19010
1962-63	17501	1670	2842	357	na	837	1211	-1567	20429
1963-64	19430	2146	3374	275	na	987	1362	-1387	23462
1964-65	22873	2313	3972	363	na	1002	1529	-1627	27367
1965-66	24144	2665	4420	316	na	938	1478	-2147	28857
1966-67	28119	2921	4866	514	na	1330	2142	-2939	32669
1967-68	33509	3265	5395	432	na	1517	2236	-3621	38261
1968-69	33524	3576	5672	96	na	1608	1968	-1996	40512
1969-70	36265	4008	6192	554	na	1628	1767	-2275	44605
1970-71	38474	4479	6488	809	na	1771	1816	-2568	47638
1971-72	41496	5185	7479	1066	na	1838	2006	-4059	50999
1972-73	45736	5514	8480	411	na	2225	2049	-4102	56214
1973-74	55135	6045	9675	1639	na	2830	3176	-3728	68420
1974-75	66799	7334	12080	2929	na	3835	4779	-7429	80770
1975-76	68314	8645	13895	2123	na	4812	5664	-5419	86707
1976-77	71024	9602	15546	1393	na	6139	5614	-4669	93422
1977-78	81788	10245	17835	1387	na	6640	6517	-5529	105848
1978-79	88950	11373	19719	3218	na	7115	7423	-8305	114647
1979-80	96590	13074	22564	3791	na	8340	10094	-8536	125729
1980-81	118068	15179	26815	188	na	9029	13596	-6041	149642
1981-82	135676	17785	32650	5753	na	10256	14809	-11506	175805
1982-83	149773	21022	38905	4451	na	11563	15736	-13334	196644
1983-84	175357	24288	44005	1787	na	13139	17675	-11880	229021
1984-85	194037	27927	50449	4820	na	15846	19484	-16984	256611
1985-86	214154	33257	59640	8314	na	14951	21754	-19038	289524
1986-87	240209	39322	69476	6532	na	16543	22359	-25774	323949
1987-88	266649	46160	81204	2019	na	20281	25259	-22843	368211
1988-89	310497	53280	95617	8543	na	25913	32010	-24947	436893
1989-90	346807	60997	113993	6014	na	34609	40212	-20279	501928
1990-91	398529	69525	139663	6355	na	40635	48698	-19797	586212

Contd....

Table 1.6. Components of Gross Domestic Product at Current Prices

(₹ crore)

Year	PFCE	GFCE	GFCF	CIS	Valu-ables	Export of goods and services	Import of goods and services	Discrep-ancies	GDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 Series									
1991-92	457735	78458	152466	-903	na	56254	56249	-13887	673875
1992-93	516118	88846	177929	9839	na	67312	73000	-12499	774545
1993-94	591308	103066	191456	-1719	na	86147	85999	7095	891355
1994-95	687154	114672	228442	14072	na	101607	104710	4354	1045590
1995-96	792015	135883	295046	24557	na	130733	144953	-6556	1226725
1996-97	928629	154089	328046	-14991	na	144854	161022	39672	1419277
1997-98	1018559	182245	372401	13044	na	165203	184333	5275	1572394
1998-99	1166300	225716	427069	-3023	na	195280	224745	16780	1803378
1999-2000	1312537	258868	484666	42497	15519	227697	265702	-52952	2023130
2000-01	1406661	273400	495196	15158	14724	278126	297523	-8329	2177413
2001-02	1531672	291189	590240	-1971	14187	290757	311050	-49179	2355845
2002-03	1620293	301573	601120	18200	13957	355556	379981	5608	2536327
2003-04	1771305	324783	697478	20667	24572	417425	436878	22151	2841503
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2152702	401619	1120292	104389	41392	712087	813466	-25647	3693369
2006-07	2476667	443477	1343774	147101	49709	904872	1040535	-30359	4294706
2007-08	2840727	513021	1641673	201534	53592	1018907	1219109	-63255	4987090
2008-09	3249284	615333	1821099	106791	72213	1328765	1614040	50618	5630063
2009-10	3707566	771151	2055772	179171	116312	1298780	1647139	-3786	6477827
2010-11	4360323	890136	2407069	273509	162836	1710193	2050182	30230	7784115
2011-12	5141896	1025895	2861062	170596	246673	2150326	2721947	135220	9009722
2011-12 Series									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5614485	1062404	3324973	214524	273775	2439707	3108428	122573	9944013
2013-14	6475650	1156509	3515621	144621	161761	2856781	3191811	114389	11233522
2014-15	7232800	1298639	3783837	308697	209407	2863541	3235965	-15828	12445128
2015-16	7932331	1411460	4002781	301923	197256	2728643	3044917	152559	13682035
2016-17 (PE)	8927010	1769036	4117674	328198	166287	2911700	3133081	96886	15183709
2017-18 (FAE)	9774547	1976644	4383589	346238	253587	3116710	3525371	301640	16627585

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates FAE: First Advance Estimates

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.
2. PFCE: Private Final Consumption Expenditure
3. GFCE: Government Final Consumption Expenditure
4. GFCF: Gross Fixed Capital Formation
5. CIS: Change in Stocks
6. na: Not Available
7. GDP: Gross Domestic Product

Table 1.7. Components of Gross Domestic Product at Constant Prices

(₹ crore)

Year	PFCE	GFCE	GFCF	CIS	Valu-ables	Export of goods and services	Import of goods and services	Discrep-ancies	GDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2004-05 Series					
1950-51	244888	17979	40701	4205	na	20455	23085	-11206	293937
1951-52	260454	18166	39772	3949	na	22790	32667	-9865	302599
1952-53	270964	18187	37131	1046	na	20085	23038	-13831	310544
1953-54	287254	18415	38705	-2382	na	17625	20846	-9127	329643
1954-55	296678	18523	43546	1156	na	21411	26611	-9201	345503
1955-56	299514	19036	50947	1457	na	23206	30047	-7429	356684
1956-57	312764	20361	62224	4449	na	20817	37224	-6808	376582
1957-58	306585	22929	57579	7128	na	20981	39954	-215	375033
1958-59	334730	23742	56784	-480	na	18136	32533	2371	402749
1959-60	338538	24168	61613	4479	na	19117	28957	-5638	413320
1960-61	357795	25473	66760	6128	na	18891	33792	-5218	436037
1961-62	363895	27415	73110	5204	na	18856	30495	-5715	452270
1962-63	368636	33078	80082	4508	na	18747	31687	-7836	465527
1963-64	382349	40647	90736	3680	na	20322	32762	-11540	493432
1964-65	405190	42464	98565	6218	na	18999	33869	-7358	530207
1965-66	405548	46580	101821	4695	na	16365	30125	-28652	516232
1966-67	410819	47380	102257	6621	na	20593	38747	-32976	515947
1967-68	434061	48658	107340	5590	na	21614	37219	-23719	556324
1968-69	445463	51211	111372	1435	na	22292	31874	-24727	575172
1969-70	462008	56050	111724	7245	na	21860	27719	-18381	612787
1970-71	477697	61370	107541	8631	na	28759	32685	-6923	644390
1971-72	486992	67386	118995	11455	na	29062	38578	-20336	654976
1972-73	490254	68031	124912	3242	na	31456	37849	-28694	651352
1973-74	502285	67936	123058	11795	na	33017	40906	-24368	672818
1974-75	501907	65398	128951	14863	na	35724	35687	-30362	680793
1975-76	530409	71715	128683	2170	na	41600	36143	4652	743085
1976-77	540985	77084	141513	7607	na	49845	36829	-24763	755443
1977-78	585099	79719	158620	11260	na	48067	46918	-25597	810249
1978-79	620859	85618	165842	21755	na	51818	46941	-42416	856535

Contd....

Table 1.7. Components of Gross Domestic Product at Constant Prices

(₹ crore)

Year	PFCE	GFCE	GFCF	CIS	Valu-ables	Export of goods and services	Import of goods and services	Discrep-ancies	GDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2004-05 Series					
1979-80	606933	90975	165092	15528	na	57597	56011	-68448	811668
1980-81	661562	95196	178287	1004	na	60614	64051	-66273	866340
1981-82	690331	99203	185401	23590	na	60119	70474	-69795	918374
1982-83	697235	108747	197159	17857	na	63738	72909	-61533	950295
1983-84	751352	113612	209780	7483	na	63155	88937	-36884	1019561
1984-85	773009	122059	217283	17374	na	67764	76192	-62780	1058515
1985-86	805271	134924	229215	27276	na	63485	86761	-59276	1114133
1986-87	830682	147610	251020	21203	na	66934	101583	-48516	1167350
1987-88	859153	159705	266072	6009	na	75452	99889	-52862	1213640
1988-89	912779	168458	284466	24171	na	81091	109073	-31406	1330486
1989-90	958075	177460	306311	16060	na	90805	111346	-27749	1409615
1990-91	1000867	183488	347966	15063	na	100888	115094	-45562	1487615
1991-92	1022458	183180	328594	-1791	na	110637	115111	-24629	1503337
1992-93	1048825	189503	358162	18331	na	116050	139432	-5683	1585756
1993-94	1094417	200751	354848	-3816	na	132041	166297	49147	1661092
1994-95	1147607	203529	388410	21529	na	149265	203883	65246	1771702
1995-96	1217472	219412	451596	34275	na	196128	261227	48244	1905900
1996-97	1312114	229594	465355	-22555	na	208464	254853	111667	2049786
1997-98	1351342	255429	506706	16929	na	203610	288495	87279	2132799
1998-99	1439195	286572	555913	-5221	na	231880	348634	104995	2264700
1999-2000	1526689	320320	599973	52890	na	273617	373012	64553	2465029
2000-01	1579201	324727	591610	17320	na	323288	390132	113697	2559711
2001-02	1673209	332369	682143	-3481	na	337221	401619	63348	2683190
2002-03	1721238	331753	679170	20049	na	408324	449800	74525	2785258
2003-04	1823227	340962	750940	21668	na	447450	512250	132194	3004190
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2083309	386007	1081792	101511	40414	717424	829926	-37288	3543244
2006-07	2259892	400579	1231265	133556	45933	863459	1008198	-54998	3871489
2007-08	2471397	438919	1430764	175411	47263	914628	1110963	-116472	4250947

Contd....

Table 1.7. Components of Gross Domestic Product at Constant Prices

(₹ crore)

Year	PFCE	GFCE	GFCF	CIS	Valu-ables	Export of goods and services	Import of goods and services	Discrep-ancies	GDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 Series									
2008-09	2649610	484459	1480943	85290	59987	1048140	1363302	-28778	4416350
2009-10	2845303	551702	1594475	143052	94524	999030	1334180	-103059	4790847
2010-11	3092373	583544	1769792	206953	125191	1195003	1542428	-148042	5282386
2011-12	3378506	623574	1986645	117111	133454	1381129	1867249	-120120	5633050
2011-12 Series									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5179091	974263	3145793	201528	259949	2289836	2879079	41636	9213017
2013-14	5557329	979825	3194924	129758	148879	2468269	2644555	-33060	9801370
2014-15	5902386	1073894	3302173	270613	187957	2512176	2667658	-44556	10536984
2015-16	6262373	1109725	3518446	274447	180274	2378687	2510753	167803	11381002
2016-17 (PE)	6806624	1340086	3602041	291179	148700	2486007	2568680	83897	12189854
2017-18 (FAE)	7238252	1454468	3765058	301116	254795	2598033	2826793	200434	12985363

Source: Central Statistics Office

Notes:

PE : Provisional Estimates FAE: First Advance Estimates

1 Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017. Estimates of 2017-18 are as per Press Note dated 05.01.2018.

2. PFCE: Private Final Consumption Expenditure
3. GFCE: Government Final Consumption Expenditure
4. GFCF: Gross Fixed Capital Formation
5. CIS: Change in Stocks
6. na: Not Available
7. GDP: Gross Domestic Product

Table 1.8. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (at current prices)

(₹crore)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation						Gross domestic product
	Household sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	Valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted total (15+16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 series																	
1950-51	681	93	215	989	264	704	968	26	140	165	290	844	na	1133	-165	968	10401
1951-52	634	136	309	1079	304	741	1045	30	143	173	334	884	na	1218	44	1262	11054
1952-53	695	64	195	954	324	650	974	-18	59	40	306	709	na	1014	-95	920	10850
1953-54	672	90	181	943	381	587	968	-26	-42	-67	355	545	na	901	29	930	11810
1954-55	774	118	213	1105	453	659	1112	45	-9	36	498	650	na	1148	-28	1121	11170
1955-56	1041	134	247	1422	619	765	1384	-25	77	53	594	842	na	1437	24	1461	11371
1956-57	1222	155	318	1696	721	1050	1771	37	198	235	758	1248	na	2006	49	2056	13547
1957-58	1028	121	336	1485	752	1051	1803	139	103	242	891	1154	na	2045	-87	1958	13951
1958-59	986	140	325	1450	817	965	1782	83	-81	2	900	884	na	1784	42	1826	15551
1959-60	1267	185	351	1803	1045	958	2003	12	198	209	1057	1156	na	2212	-178	2034	16384
1960-61	1226	281	572	2079	1215	1075	2290	63	265	328	1278	1340	na	2618	-58	2560	17942
1961-62	1237	320	654	2211	1269	1285	2554	29	247	276	1298	1532	na	2830	-274	2556	19010
1962-63	1519	344	750	2613	1510	1332	2842	97	260	357	1607	1592	na	3199	-146	3053	20429
1963-64	1589	394	929	2912	1794	1580	3374	87	188	275	1881	1768	na	3649	-297	3352	23462
1964-65	1897	389	1072	3358	2106	1866	3972	90	272	363	2196	2138	na	4335	-377	3958	27367
1965-66	2596	405	1085	4086	2348	2072	4420	124	192	316	2472	2264	na	4736	-51	4685	28857
1966-67	3161	424	941	4526	2360	2506	4866	64	450	514	2424	2956	na	5380	69	5449	32669
1967-68	3275	410	944	4629	2320	3075	5395	233	199	432	2553	3274	na	5827	-361	5466	38261
1968-69	3277	439	1165	4881	2431	3241	5672	41	55	96	2472	3296	na	5768	-471	5297	40512

Contd....

Table 1.8. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (at current prices)

(₹crore)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation						Gross domestic product
	Household sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	Valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted total (15+16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 series																	
1969-70	4375	549	1361	6285	2525	3667	6192	50	504	554	2575	4171	na	6746	-220	6526	44605
1970-71	4531	672	1618	6821	2742	3746	6488	302	507	809	3044	4253	na	7297	-82	7215	47638
1971-72	5229	769	1689	7687	3245	4234	7479	356	710	1066	3601	4944	na	8545	-380	8165	50999
1972-73	5330	806	1816	7952	4185	4295	8480	88	322	411	4273	4617	na	8891	-641	8249	56214
1973-74	8020	1083	2363	11466	4631	5044	9675	541	1097	1639	5172	6141	na	11314	545	11858	68420
1974-75	8677	1465	3340	13482	4948	7132	12080	938	1992	2929	5886	9124	na	15009	-874	14135	80770
1975-76	9790	1083	4192	15066	6401	7494	13895	1447	676	2123	7848	8170	na	16018	-1070	14949	86707
1976-77	11206	1181	5195	17582	8051	7495	15546	1121	272	1393	9172	7767	na	16939	-666	16273	93422
1977-78	13679	1413	5253	20345	8792	9043	17835	109	1278	1387	8901	10321	na	19222	-341	18880	105848
1978-79	16482	1652	5976	24110	9638	10081	19719	1100	2118	3218	10738	12199	na	22937	1301	24238	114647
1979-80	16338	2398	6331	25068	11532	11032	22564	1346	2445	3791	12878	13477	na	26355	-707	25648	125729
1980-81	18116	2339	6135	26590	13656	13159	26815	71	116	188	13727	13275	na	27003	1682	28684	149642
1981-82	19013	2560	9120	30692	17376	15274	32650	2006	3747	5753	19382	19021	na	38403	-5100	33303	175805
1982-83	21972	2980	10004	34956	22276	16629	38905	1136	3315	4451	23412	19944	na	43356	-5833	37522	196644
1983-84	26955	3254	9030	39239	24225	19780	44005	337	1450	1787	24562	21230	na	45792	-4037	41756	229021
1984-85	32796	4040	8950	45786	27823	22626	50449	1676	3144	4820	29499	25770	na	55269	-6191	49078	256611
1985-86	36666	5426	11322	53414	32590	27050	59640	1932	6383	8314	34522	33433	na	67954	-8306	59648	289524
1986-87	42111	5336	11246	58693	39723	29753	69476	896	5636	6532	40619	35389	na	76008	-10960	65048	323949
1987-88	57304	5932	10471	73707	41211	39993	81204	-1515	3534	2019	39696	43527	na	83223	-2691	80532	368211

Contd....

Table 1.8. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (at current prices)

(₹crore)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation						Gross domestic product
	House-hold sector	Private corpo-rate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	Valu-ables	Total (12+13+14)	Errors & omis-sions	Adjust-ed total (15+16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								2004-05 series									
1988-89	67063	8486	11943	87492	47566	48051	95617	-493	9036	8543	47073	57087	na	104160	-4364	99796	436893
1989-90	82985	11845	11900	106730	52517	61476	113993	1690	4324	6014	54207	65800	na	120007	-998	119009	501928
1990-91	108603	15164	10641	134408	60013	79650	139663	1987	4368	6355	62000	84018	na	146018	6586	152604	586212
1991-92	105632	20304	17594	143530	70701	81765	152466	-2207	1304	-903	68494	83069	na	151563	-4656	146907	673875
1992-93	127943	19968	16709	164621	71197	106732	177929	2657	7182	9839	73854	113914	na	187768	-9331	178437	774545
1993-94	151454	29866	11674	192994	79309	112147	191456	1974	-3693	-1719	81283	108454	na	189737	8048	197785	891355
1994-95	187142	35260	24266	246668	102134	126308	228442	-604	14676	14072	101530	140984	na	242514	16047	258561	1045590
1995-96	198585	59153	31527	289265	105704	189342	295046	-613	25170	24557	105091	214512	na	319603	-9558	310045	1226725
1996-97	224653	62540	31194	318387	108750	219296	328046	1883	-16873	-14991	110633	202423	na	313055	23069	336125	1419277
1997-98	284127	66080	29583	379790	112814	259587	372401	3553	9491	13044	116367	269078	na	385445	16647	402092	1572394
1998-99	352114	69191	-3146	418159	128621	298448	427069	2277	-5300	-3023	130898	293148	na	424046	12475	436521	1803378
1999-00	438851	87234	-9238	516847	138611	346055	484666	15553	26944	42497	154164	372999	15519	542682	-3848	538834	2023130
2000-01	463750	81062	-29266	515545	145973	349223	495196	9326	5831	15158	155299	355054	14724	525078	3222	528299	2177413
2001-02	545288	76906	-36820	585374	160190	430050	590240	9079	-11050	-1971	169269	419000	14187	602456	-31310	571146	2355845
2002-03	564161	99217	-7148	656230	168143	432977	601120	-4740	22940	18200	163403	455917	13957	633277	-5534	627743	2536327
2003-04	657587	129816	36372	823775	190806	506672	697478	-3076	23743	20667	187730	530415	24572	742717	19699	762416	2841503
2004-05	763685	212519	74499	1050703	224108	706920	931028	16472	63678	80150	240580	770598	41054	1052231	11809	1064041	3242209
2005-06	868988	277208	88955	1235151	271342	848950	1120292	22008	82381	104389	293350	931331	41392	1266073	13681	1279754	3693369
2006-07	994396	338584	152929	1485909	339617	1004157	1343774	16939	130162	147101	356556	1134319	49709	1540583	-9151	1531433	4294706

Contd....

Table 1.8. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation (at current prices)

(₹crore)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation						Gross domestic product
	Household sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	Valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted total (15+16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 series																	
2007-08	1118347	469023	248962	1836332	401326	1240347	1641673	40597	160937	201534	441923	1401284	53592	1896799	3963	1900762	4987090
2008-09	1330873	417467	54280	1802620	480698	1340401	1821099	51032	55759	106791	531730	1396160	72213	2000103	-68723	1931380	5630063
2009-10	1630799	540955	10585	2182338	543883	1511889	2055772	48905	130266	179171	592788	1642155	116312	2351255	11878	2363132	6477827
2010-11	1800174	620300	201268	2621742	609189	1797881	2407069	47259	226250	273509	656448	2024131	162836	2843415	-1957	2841457	7784115
2011-12	2054737	658428	111295	2824459	639157	2221905	2861062	56678	113918	170596	695835	2335823	246673	3278331	-77698	3200633	9009722
2011-12 Series																	
2011-12	2065566	826805	134466	3026837	641260	2356472	2997733	17098	190885	207983	658358	2547358	253033	3458749	-55741	3403008	8736329
2012-13	2235280	994005	139917	3369202	698031	2626943	3324973	20618	193907	214524	718648	2820849	273775	3813272	33849	3847122	9944013
2013-14	2285301	1207187	115705	3608193	796950	2718671	3515621	-2019	146640	144621	794931	2865311	161761	3822003	-27868	3794135	11233522
2014-15	2555683	1455336	108746	4119766	833225	2950612	3783837	10305	298393	308697	843529	3249005	209407	4301941	-22353	4279587	12445128
2015-16	2621531	1621684	175704	4418919	1008535	2994247	4002781	20073	281850	301923	1028608	3276097	197256	4501960	57358	4559318	13682035

Source: Central Statistics Office

Notes:

1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as released through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to
incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017.
2. na: not available

Table 1.9. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation

(As per cent of GDP at current market prices)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation					
	House-hold sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted Total (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								2004-05 Series								
1950-51	6.5	0.9	2.1	9.5	2.5	6.8	9.3	0.2	1.3	1.6	2.8	8.1	na	10.9	-1.6	9.3
1951-52	5.7	1.2	2.8	9.8	2.8	6.7	9.5	0.3	1.3	1.6	3.0	8.0	na	11.0	0.4	11.4
1952-53	6.4	0.6	1.8	8.8	3.0	6.0	9.0	-0.2	0.5	0.4	2.8	6.5	na	9.3	-0.9	8.5
1953-54	5.7	0.8	1.5	8.0	3.2	5.0	8.2	-0.2	-0.4	-0.6	3.0	4.6	na	7.6	0.2	7.9
1954-55	6.9	1.1	1.9	9.9	4.1	5.9	10.0	0.4	-0.1	0.3	4.5	5.8	na	10.3	-0.2	10.0
1955-56	9.2	1.2	2.2	12.5	5.4	6.7	12.2	-0.2	0.7	0.5	5.2	7.4	na	12.6	0.2	12.8
1956-57	9.0	1.1	2.4	12.5	5.3	7.8	13.1	0.3	1.5	1.7	5.6	9.2	na	14.8	0.4	15.2
1957-58	7.4	0.9	2.4	10.6	5.4	7.5	12.9	1.0	0.7	1.7	6.4	8.3	na	14.7	-0.6	14.0
1958-59	6.3	0.9	2.1	9.3	5.3	6.2	11.5	0.5	-0.5	0.0	5.8	5.7	na	11.5	0.3	11.7
1959-60	7.7	1.1	2.1	11.0	6.4	5.8	12.2	0.1	1.2	1.3	6.4	7.1	na	13.5	-1.1	12.4
1960-61	6.8	1.6	3.2	11.6	6.8	6.0	12.8	0.4	1.5	1.8	7.1	7.5	na	14.6	-0.3	14.3
1961-62	6.5	1.7	3.4	11.6	6.7	6.8	13.4	0.2	1.3	1.5	6.8	8.1	na	14.9	-1.4	13.4
1962-63	7.4	1.7	3.7	12.8	7.4	6.5	13.9	0.5	1.3	1.7	7.9	7.8	na	15.7	-0.7	14.9
1963-64	6.8	1.7	4.0	12.4	7.6	6.7	14.4	0.4	0.8	1.2	8.0	7.5	na	15.6	-1.3	14.3
1964-65	6.9	1.4	3.9	12.3	7.7	6.8	14.5	0.3	1.0	1.3	8.0	7.8	na	15.8	-1.4	14.5
1965-66	9.0	1.4	3.8	14.2	8.1	7.2	15.3	0.4	0.7	1.1	8.6	7.8	na	16.4	-0.2	16.2
1966-67	9.7	1.3	2.9	13.9	7.2	7.7	14.9	0.2	1.4	1.6	7.4	9.0	na	16.5	0.2	16.7
1967-68	8.6	1.1	2.5	12.1	6.1	8.0	14.1	0.6	0.5	1.1	6.7	8.6	na	15.2	-0.9	14.3
1968-69	8.1	1.1	2.9	12.0	6.0	8.0	14.0	0.1	0.1	0.2	6.1	8.1	na	14.2	-1.2	13.1

Contd....

Table 1.9. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation

(As per cent of GDP at current market prices)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation					
	House-hold sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted Total (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							2004-05 Series									
1969-70	9.8	1.2	3.1	14.1	5.7	8.2	13.9	0.1	1.1	1.2	5.8	9.4	na	15.1	-0.5	14.6
1970-71	9.5	1.4	3.4	14.3	5.8	7.9	13.6	0.6	1.1	1.7	6.4	8.9	na	15.3	-0.2	15.1
1971-72	10.3	1.5	3.3	15.1	6.4	8.3	14.7	0.7	1.4	2.1	7.1	9.7	na	16.8	-0.7	16.0
1972-73	9.5	1.4	3.2	14.1	7.4	7.6	15.1	0.2	0.6	0.7	7.6	8.2	na	15.8	-1.1	14.7
1973-74	11.7	1.6	3.5	16.8	6.8	7.4	14.1	0.8	1.6	2.4	7.6	9.0	na	16.5	0.8	17.3
1974-75	10.7	1.8	4.1	16.7	6.1	8.8	15.0	1.2	2.5	3.6	7.3	11.3	na	18.6	-1.1	17.5
1975-76	11.3	1.2	4.8	17.4	7.4	8.6	16.0	1.7	0.8	2.4	9.1	9.4	na	18.5	-1.2	17.2
1976-77	12.0	1.3	5.6	18.8	8.6	8.0	16.6	1.2	0.3	1.5	9.8	8.3	na	18.1	-0.7	17.4
1977-78	12.9	1.3	5.0	19.2	8.3	8.5	16.8	0.1	1.2	1.3	8.4	9.8	na	18.2	-0.3	17.8
1978-79	14.4	1.4	5.2	21.0	8.4	8.8	17.2	1.0	1.8	2.8	9.4	10.6	na	20.0	1.1	21.1
1979-80	13.0	1.9	5.0	19.9	9.2	8.8	17.9	1.1	1.9	3.0	10.2	10.7	na	21.0	-0.6	20.4
1980-81	12.1	1.6	4.1	17.8	9.1	8.8	17.9	0.0	0.1	0.1	9.2	8.9	na	18.0	1.1	19.2
1981-82	10.8	1.5	5.2	17.5	9.9	8.7	18.6	1.1	2.1	3.3	11.0	10.8	na	21.8	-2.9	18.9
1982-83	11.2	1.5	5.1	17.8	11.3	8.5	19.8	0.6	1.7	2.3	11.9	10.1	na	22.0	-3.0	19.1
1983-84	11.8	1.4	3.9	17.1	10.6	8.6	19.2	0.1	0.6	0.8	10.7	9.3	na	20.0	-1.8	18.2
1984-85	12.8	1.6	3.5	17.8	10.8	8.8	19.7	0.7	1.2	1.9	11.5	10.0	na	21.5	-2.4	19.1
1985-86	12.7	1.9	3.9	18.4	11.3	9.3	20.6	0.7	2.2	2.9	11.9	11.5	na	23.5	-2.9	20.6
1986-87	13.0	1.6	3.5	18.1	12.3	9.2	21.4	0.3	1.7	2.0	12.5	10.9	na	23.5	-3.4	20.1
1987-88	15.6	1.6	2.8	20.0	11.2	10.9	22.1	-0.4	1.0	0.5	10.8	11.8	na	22.6	-0.7	21.9

Contd....

Table 1.9. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation

(As per cent of GDP at current market prices)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation					
	House-hold sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted Total (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							2004-05 Series									
1988-89	15.3	1.9	2.7	20.0	10.9	11.0	21.9	-0.1	2.1	2.0	10.8	13.1	na	23.8	-1.0	22.8
1989-90	16.5	2.4	2.4	21.3	10.5	12.2	22.7	0.3	0.9	1.2	10.8	13.1	na	23.9	-0.2	23.7
1990-91	18.5	2.6	1.8	22.9	10.2	13.6	23.8	0.3	0.7	1.1	10.6	14.3	na	24.9	1.1	26.0
1991-92	15.7	3.0	2.6	21.3	10.5	12.1	22.6	-0.3	0.2	-0.1	10.2	12.3	na	22.5	-0.7	21.8
1992-93	16.5	2.6	2.2	21.3	9.2	13.8	23.0	0.3	0.9	1.3	9.5	14.7	na	24.2	-1.2	23.0
1993-94	17.0	3.4	1.3	21.7	8.9	12.6	21.5	0.2	-0.4	-0.2	9.1	12.2	na	21.3	0.9	22.2
1994-95	17.9	3.4	2.3	23.6	9.8	12.1	21.8	-0.1	1.4	1.3	9.7	13.5	na	23.2	1.5	24.7
1995-96	16.2	4.8	2.6	23.6	8.6	15.4	24.1	-0.1	2.1	2.0	8.6	17.5	na	26.1	-0.8	25.3
1996-97	15.8	4.4	2.2	22.4	7.7	15.5	23.1	0.1	-1.2	-1.1	7.8	14.3	na	22.1	1.6	23.7
1997-98	18.1	4.2	1.9	24.2	7.2	16.5	23.7	0.2	0.6	0.8	7.4	17.1	na	24.5	1.1	25.6
1998-99	19.5	3.8	-0.2	23.2	7.1	16.5	23.7	0.1	-0.3	-0.2	7.3	16.3	na	23.5	0.7	24.2
1999-00	21.7	4.3	-0.5	25.5	6.9	17.1	24.0	0.8	1.3	2.1	7.6	18.4	0.8	26.8	-0.2	26.6
2000-01	21.3	3.7	-1.3	23.7	6.7	16.0	22.7	0.4	0.3	0.7	7.1	16.3	0.7	24.1	0.1	24.3
2001-02	23.1	3.3	-1.6	24.8	6.8	18.3	25.1	0.4	-0.5	-0.1	7.2	17.8	0.6	25.6	-1.3	24.2
2002-03	22.2	3.9	-0.3	25.9	6.6	17.1	23.7	-0.2	0.9	0.7	6.4	18.0	0.6	25.0	-0.2	24.8
2003-04	23.1	4.6	1.3	29.0	6.7	17.8	24.5	-0.1	0.8	0.7	6.6	18.7	0.9	26.1	0.7	26.8
2004-05	23.6	6.6	2.3	32.4	6.9	21.8	28.7	0.5	2.0	2.5	7.4	23.8	1.3	32.5	0.4	32.8
2005-06	23.5	7.5	2.4	33.4	7.3	23.0	30.3	0.6	2.2	2.8	7.9	25.2	1.1	34.3	0.4	34.7
2006-07	23.2	7.9	3.6	34.6	7.9	23.4	31.3	0.4	3.0	3.4	8.3	26.4	1.2	35.9	-0.2	35.7

Contd....

Table 1.9. Gross Domestic Saving and Gross Capital Formation

(As per cent of GDP at current market prices)

Year	Gross domestic saving				Gross fixed capital formation			Change in stocks			Gross capital formation					
	House-hold sector	Private corporate sector	Public sector	Total (2+3+4)	Public sector	Private sector	Total (6+7)	Public sector	Private sector	Total (9+10)	Public sector	Private sector	valuables	Total (12+13+14)	Errors & omissions	Adjusted Total (15+16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2004-05 Series																
2007-08	22.4	9.4	5.0	36.8	8.0	24.9	32.9	0.8	3.2	4.0	8.9	28.1	1.1	38.0	0.1	38.1
2008-09	23.6	7.4	1.0	32.0	8.5	23.8	32.3	0.9	1.0	1.9	9.4	24.8	1.3	35.5	-1.2	34.3
2009-10	25.2	8.4	0.2	33.7	8.4	23.3	31.7	0.8	2.0	2.8	9.2	25.4	1.8	36.3	0.2	36.5
2010-11	23.1	8.0	2.6	33.7	7.8	23.1	30.9	0.6	2.9	3.5	8.4	26.0	2.1	36.5	-0.0	36.5
2011-12	22.8	7.3	1.2	31.3	7.1	24.7	31.8	0.6	1.3	1.9	7.7	25.9	2.7	36.4	-0.9	35.5
2011-12 Series																
2011-12	23.6	9.5	1.5	34.6	7.3	27.0	34.3	0.2	2.2	2.4	7.5	29.2	2.9	39.6	-0.6	39.0
2012-13	22.5	10.0	1.4	33.9	7.0	26.4	33.4	0.2	1.9	2.2	7.2	28.4	2.8	38.3	0.3	38.7
2013-14	20.3	10.7	1.0	32.1	7.1	24.2	31.3	-0.0	1.3	1.3	7.1	25.5	1.4	34.0	-0.2	33.8
2014-15	20.5	11.7	0.9	33.1	6.7	23.7	30.4	0.1	2.4	2.5	6.8	26.1	1.7	34.6	-0.2	34.4
2015-16	19.2	11.9	1.3	32.3	7.4	21.9	29.3	0.1	2.1	2.2	7.5	23.9	1.4	32.9	0.4	33.3

Source: Central Statistics Office

Notes: 1. Estimates for the years 2011-12 to 2015-16, as rele ased through the Press Note dated 31.01.2017 on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Saving and Capital Formation have been updated due to incorporation of new series of IIP and WPI with base year 2011-12, released in May 2017.

2. na: Not Available

Table 1.10A. Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)

As on 23.08.2017

(₹ crore)

State\UT	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	339996	370196	413164	469909	545638	620974
Arunachal Pradesh	10229	11617	13377	16475	18566	na
Assam	129354	142039	160442	172849	200347	na
Bihar	228497	261327	292143	315732	351871	404438
Chhattisgarh	142273	159431	185939	211016	233023	256346
Goa	38009	34567	32043	43233	49222	na
Gujarat	532809	634572	707456	804764	908442	na
Haryana	271152	314353	363590	395890	438140	494090
Himachal Pradesh	60536	69432	80129	87510	96038	105450
Jammu & Kashmir	67274	73003	79692	81003	100341	na
Jharkhand	137383	160304	172030	200357	211905	234147
Karnataka	554952	635924	746569	824506	917472	1022008
Kerala	328021	371384	417265	460614	502689	na
Madhya Pradesh	282370	333936	391369	429896	483969	571934
Maharashtra	1122173	1277163	1445116	1551628	1748771	na
Manipur	11501	12193	14456	16420	17542	na
Meghalaya	18028	19653	20415	20697	23124	na
Mizoram	6404	7375	8989	12067	13651	na
Nagaland	10554	12318	14545	16104	17368	na
Odisha	201111	229888	256211	282322	300236	334067
Punjab	239227	267116	297908	316534	351198	384319
Rajasthan*	396710	447203	490951	542657	602648	na
Sikkim*	9742	10817	12203	13556	14973	16640
Tamil Nadu	674478	768946	859556	957447	1037488	1164311
Telangana	325139	364030	408282	456110	512282	583621
Tripura	17419	19631	23329	27484	na	na
Uttar Pradesh	645132	732995	833825	891798	991836	1129290
Uttarakhand	101960	117041	131814	143789	157456	174768
West Bengal[1]						
Andaman & Nicobar Islands	3404	3793	4288	4916	5248	na
Chandigarh	16930	19768	22522	23498	25941	na
Delhi	314619	357251	404664	447435	501104	565655
Puducherry	15160	16984	19778	20143	22212	25098
All-India NDP	7819154	8883108	10037547	11101191	12236662	13597811

Source: For States -- Directorate of Economics & Statistics (DES) of respective State Governments, and for All-India -- Central Statistics Office

Notes: 1. The estimates of West Bengal for new series with base year 2011-12 compiled by the DES, West Bengal are under examination

2. na: Not Available *: Provisional

Table 1.10B. Growth of Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)
As on 23.08.2017

(per cent)

State\UT	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	8.9	11.6	13.7	16.1	13.8
Arunachal Pradesh	13.6	15.1	23.2	12.7	na
Assam	9.8	13.0	7.7	15.9	na
Bihar	14.4	11.8	8.1	11.4	14.9
Chhattisgarh	12.1	16.6	13.5	10.4	10.0
Goa	-9.1	-7.3	34.9	13.9	na
Gujarat	19.1	11.5	13.8	12.9	na
Haryana	15.9	15.7	8.9	10.7	12.8
Himachal Pradesh	14.7	15.4	9.2	9.7	9.8
Jammu & Kashmir	8.5	9.2	1.6	23.9	na
Jharkhand	16.7	7.3	16.5	5.8	10.5
Karnataka	14.6	17.4	10.4	11.3	11.4
Kerala	13.2	12.4	10.4	9.1	na
Madhya Pradesh	18.3	17.2	9.8	12.6	18.2
Maharashtra	13.8	13.2	7.4	12.7	na
Manipur	6.0	18.6	13.6	6.8	na
Meghalaya	9.0	3.9	1.4	11.7	na
Mizoram	15.2	21.9	34.2	13.1	na
Nagaland	16.7	18.1	10.7	7.8	na
Odisha	14.3	11.5	10.2	6.3	11.3
Punjab	11.7	11.5	6.3	11.0	9.4
Rajasthan*	12.7	9.8	10.5	11.1	na
Sikkim*	11.0	12.8	11.1	10.5	11.1
Tamil Nadu	14.0	11.8	11.4	8.4	12.2
Telangana	12.0	12.2	11.7	12.3	13.9
Tripura	12.7	18.8	17.8	na	na
Uttar Pradesh	13.6	13.8	7.0	11.2	13.9
Uttarakhand	14.8	12.6	9.1	9.5	11.0
West Bengal[1]					
Andaman & Nicobar Islands	11.4	13.1	14.6	6.8	na
Chandigarh	16.8	13.9	4.3	10.4	na
Delhi	13.6	13.3	10.6	12.0	12.9
Puducherry	12.0	16.4	1.8	10.3	13.0
All-India NDP	13.6	13.0	10.6	10.2	11.1

Source: For States -- Directorate of Economics & Statistics (DES) of respective State Governments, and for All-India -- Central Statistics Office

Notes: 1. The estimates of West Bengal for new series with base year 2011-12 compiled by the DES, West Bengal are under examination.

2. na: Not Available *: Provisional

Table 1.11A. Per Capita Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)
As on 23.08.2017

(₹)

State\UT	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	69000	74687	82870	93699	108163	122376
Arunachal Pradesh	73068	81353	91809	110793	122466	na
Assam	41142	44599	49734	52895	60526	na
Bihar	21750	24487	26948	28671	31454	35590
Chhattisgarh	55177	60849	69839	78001	84767	91772
Goa	259444	234354	215776	289185	327059	na
Gujarat	87481	102826	113139	127017	141504	na
Haryana	106085	121269	138300	148485	162034	180174
Himachal Pradesh	87721	99730	114095	123532	134376	146073
Jammu & Kashmir	53173	56834	61108	61185	74653	na
Jharkhand	41254	47360	50006	57301	59628	64823
Karnataka	90263	102319	118829	129823	142906	157474
Kerala	97912	110314	123388	135537	147190	na
Madhya Pradesh	38550	44931	51897	56182	62334	72599
Maharashtra	99173	111542	124724	132341	147399	na
Manipur	39762	41246	47852	53187	55603	na
Meghalaya	60013	64036	65118	64638	70693	na
Mizoram	57654	65013	77581	103049	114524	na
Nagaland	53010	61225	71510	78367	83621	na
Odisha	47632	53900	59468	64869	68293	75223
Punjab	85577	94318	103831	108897	119261	128821
Rajasthan*	57391	63775	69018	75201	82325	na
Sikkim*	158667	174183	194624	214148	233954	257182
Tamil Nadu	92984	105031	116329	128385	137837	153263
Telangana	91121	101007	112162	124058	137955	155612
Tripura	47079	52434	61570	71666	na	na
Uttar Pradesh	32002	35812	40124	42267	46299	51920
Uttarakhand	100305	113610	126247	135881	146826	160795
West Bengal[1]						
Andaman & Nicobar Islands	88183	96032	106413	119312	124361	na
Chandigarh	159116	183039	205492	211313	229976	na
Delhi	185343	206503	229518	249004	273618	303073
Puducherry	119649	130548	148147	146921	157871	173687
All-India Per Capita NNI	63462	70983	79118	86454	94130	103219

Source: For States -- Directorate of Economics& Statistics (DES) of respective State Governments, and for All-India -- Central Statistics Office

Notes: 1. The estimates of West Bengal for new series with base year 2011-12 compiled by the DES, West Bengal are under examination.

2. na: Not Available *: Provisional

Table 1.11B. Growth of Per Capita Net State Domestic Product at Current Prices (2011-12 Series)
As on 23.08.2017

(per cent)

State\UT	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	8.2	11.0	13.1	15.4	13.1
Arunachal Pradesh	11.3	12.9	20.7	10.5	na
Assam	8.4	11.5	6.4	14.4	na
Bihar	12.6	10.1	6.4	9.7	13.1
Chhattisgarh	10.3	14.8	11.7	8.7	8.3
Goa	-9.7	-7.9	34.0	13.1	na
Gujarat	17.5	10.0	12.3	11.4	na
Haryana	14.3	14.0	7.4	9.1	11.2
Himachal Pradesh	13.7	14.4	8.3	8.8	8.7
Jammu & Kashmir	6.9	7.5	0.1	22.0	na
Jharkhand	14.8	5.6	14.6	4.1	8.7
Karnataka	13.4	16.1	9.3	10.1	10.2
Kerala	12.7	11.9	9.8	8.6	na
Madhya Pradesh	16.6	15.5	8.3	10.9	16.5
Maharashtra	12.5	11.8	6.1	11.4	na
Manipur	3.7	16.0	11.1	4.5	na
Meghalaya	6.7	1.7	-0.7	9.4	na
Mizoram	12.8	19.3	32.8	11.1	na
Nagaland	15.5	16.8	9.6	6.7	na
Odisha	13.2	10.3	9.1	5.3	10.1
Punjab	10.2	10.1	4.9	9.5	8.0
Rajasthan*	11.1	8.2	9.0	9.5	na
Sikkim*	9.8	11.7	10.0	9.2	9.9
Tamil Nadu	13.0	10.8	10.4	7.4	11.2
Telangana	10.8	11.0	10.6	11.2	12.8
Tripura	11.4	17.4	16.4	na	na
Uttar Pradesh	11.9	12.0	5.3	9.5	12.1
Uttarakhand	13.3	11.1	7.6	8.1	9.5
West Bengal[1]					
Andaman & Nicobar Islands	8.9	10.8	12.1	4.2	na
Chandigarh	15.0	12.3	2.8	8.8	na
Delhi	11.4	11.1	8.5	9.9	10.8
Puducherry	9.1	13.5	-0.8	7.5	10.0
All-India Per Capita NNI	11.9	11.5	9.3	8.9	9.7

Source: For States -- Directorate of Economics & Statistics (DES) of respective State Governments, and for All-India -- Central Statistics Office

Notes: 1. The estimates of West Bengal for new series with base year 2011-12 compiled by the DES, West Bengal are under examination

2. na: Not Available *: Provisional

Table 1.12. Index Numbers of Agricultural Production

(Base : Triennium ending 2007-08= 100)

	Weight	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. Foodgrains	50.7	105.4	106.5	100.6	114.3	119.5	119.4	123.3	115.9	115.7	131.0
(a) Cereals	41.7	105.5	107.4	100.2	111.1	119.1	117.3	120.7	114.6	115.5	124.0
Rice	16.9	102.9	105.6	94.8	102.2	112.1	112.0	113.5	112.3	111.1	117.2
Wheat	18.0	105.4	108.2	108.3	116.5	127.2	125.4	128.5	116.0	123.7	131.9
(b) Coarse Cereals[a]	6.9	112.1	110.0	92.3	118.9	114.8	109.2	118.0	116.7	104.6	120.0
Maize	2.9	116.6	121.4	102.9	133.7	133.9	136.9	149.3	148.7	138.8	161.6
(c) Pulses[b]	8.9	105.2	102.1	102.3	129.4	121.6	129.4	135.6	122.0	116.7	163.9
Gram	3.5	97.5	119.8	126.8	139.5	130.7	149.9	161.6	124.4	119.7	158.2
Tur	1.7	113.5	83.6	91.0	105.6	98.0	111.6	117.2	103.6	94.5	176.3
B. Non-foodgrains	49.3	108.6	107.6	105.0	128.0	129.6	129.0	136.4	132.2	126.1	130.2
(a) Oilseeds[c]	13.2	108.6	100.8	88.9	116.8	106.5	107.4	119.0	99.7	92.5	113.8
Groundnut	4.1	125.0	97.6	73.9	112.5	94.8	63.9	132.2	100.8	91.7	103.0
Rapeseed and Mustard	3.6	81.8	100.9	92.6	114.6	92.6	112.5	110.4	88.1	95.3	111.8
(b) Fibres											
Cotton	4.4	115.9	99.7	107.5	147.7	157.6	153.2	160.7	155.8	134.3	148.1
Jute	0.7	100.5	94.7	110.4	98.4	105.6	101.7	109.0	104.4	97.8	99.2
Mesta	0.0	105.5	77.9	62.5	65.1	70.6	62.8	64.6	54.1	62.1	54.5
(c) Plantation Crops											
Tea	0.3	101.5	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	124.4	123.2	126.9	na
Coffee	0.6	95.4	95.5	105.4	110.0	110.0	110.0	110.9	119.1	126.7	na
Rubber^	1.9	99.8	104.5	100.5	104.1	109.2	110.4	93.6	78.0	68.0	83.6
(d) Others											
Sugarcane	9.9	106.1	86.8	89.0	104.3	110.0	103.9	107.3	110.4	106.1	93.4
Tobacco	0.4	93.0	121.0	147.4	170.6	160.0	139.8	156.4	182.0	170.8	na
Potato#	3.6	114.6	138.4	147.2	170.4	187.4	182.5	167.2	193.2	174.7	194.1
C. All Commodities	100.0	107.0	107.0	102.8	121.1	124.5	124.2	129.8	124.0	120.8	130.6

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates ^ 2016-17 - Provisional # 2016-17 As per 3rd Advance Estimate of Horticultural Crops

a : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

b : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

c : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean.

na: Not Available

Table 1.13. Index Numbers of Area under Principal Crops

(Base : Triennium ending 2007-08= 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Foodgrains	101.2	100.9	100.0	104.4	104.1	102.0	105.6	105.4	103.9	107.9
(a) Cereals	100.9	101.6	99.5	101.8	103.3	101.6	104.0	105.7	102.9	103.5
Rice	100.3	104.0	95.7	97.9	100.5	97.6	100.8	100.7	99.3	98.6
Wheat	101.9	100.9	103.5	105.7	108.6	109.1	110.8	114.4	110.6	111.2
(b) Coarse Cereals[a]	99.9	97.9	98.5	101.2	96.4	92.1	94.4	95.0	91.3	95.3
Maize	103.2	103.9	105.0	108.7	111.6	110.2	115.3	116.8	111.9	125.3
(c) Pulses[b]	102.4	97.3	102.2	116.4	107.6	103.9	112.8	104.2	109.0	128.1
Gram	103.0	107.8	111.6	125.5	113.4	116.4	135.6	112.7	114.7	130.9
Tur	102.8	93.2	95.7	120.5	110.6	107.5	107.8	106.4	109.4	149.1
B. Non-foodgrains	103.0	106.0	104.2	113.9	116.0	116.0	119.2	118.5	119.5	111.4
(a) Oilseeds[c]	98.5	101.8	94.8	101.0	97.5	97.5	104.1	94.3	95.4	97.2
Groundnut	101.2	99.2	88.1	94.2	84.7	76.0	88.6	76.7	74.0	85.5
Rapeseed and Mustard	87.9	95.0	84.3	104.1	88.9	96.0	100.2	87.5	86.7	90.8
(b) Fibres										
Cotton	103.7	103.6	111.6	123.8	134.1	131.9	131.7	141.2	135.4	119.5
Jute	103.2	99.6	102.8	98.1	102.5	98.4	95.8	95.0	92.3	89.9
Mesta	102.9	81.1	66.3	69.4	67.3	60.4	57.4	42.2	38.0	40.2
(c) Plantation Crops										
Tea	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	99.9	99.9	99.9	99.9	na
Coffee	100.4	102.2	103.7	105.1	105.1	107.5	111.2	112.6	115.8	na
Rubber^	103.1	107.5	111.4	115.5	119.3	123.0	126.3	129.1	131.6	133.1
(d) Others										
Sugarcane	105.3	91.9	86.9	101.7	104.9	104.1	104.0	105.5	102.6	91.4
Tobacco	95.9	107.6	122.4	135.3	128.3	117.3	125.5	128.7	124.1	na
Potato#	105.0	123.6	124.0	125.9	127.6	134.6	133.3	140.3	143.1	145.4
C. All Commodities	102.1	103.4	102.1	109.1	110.0	108.9	112.3	111.9	111.6	109.6

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates ^ 2016-17 - Provisional # 2016-17 As per 3rd Advance Estimate of Horticultural Crops

a : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

b : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

c : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean.

na : Not Available

Table 1.14. Index Numbers of Yield of Principal Crops

(Base : Triennium ending 2007-08= 100)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Foodgrains	104.2	105.6	100.6	109.5	114.9	117.1	116.8	110.0	111.3	121.5
(a) Cereals	104.5	105.7	100.7	109.1	115.3	115.4	116.0	108.5	112.3	119.8
Rice	102.6	101.5	99.1	104.4	111.5	114.8	112.6	111.5	111.9	118.9
Wheat	103.4	107.2	104.7	110.2	117.2	115.0	116.0	101.4	111.9	118.6
(b) Coarse Cereals[a]	112.3	112.4	93.8	117.5	119.1	118.6	125.0	122.9	114.5	125.9
Maize	113.0	116.8	97.9	122.9	119.9	124.2	129.5	127.4	124.0	128.9
(c) Pulses[b]	102.8	104.9	100.1	111.2	113.1	124.6	120.2	117.0	107.0	127.9
Gram	94.7	111.1	113.7	111.2	115.3	128.7	119.2	110.4	104.4	120.9
Tur	110.4	89.7	95.1	87.6	88.6	103.8	108.7	97.4	86.4	118.3
B. Non-foodgrains	105.4	101.5	100.7	112.4	111.7	111.2	114.4	111.6	105.5	116.9
(a) Oilseeds[c]	110.3	99.0	93.8	115.7	109.3	110.1	114.3	105.7	97.0	117.1
Groundnut	123.5	98.4	83.8	119.4	111.9	84.1	149.3	131.3	123.9	120.5
Rapeseed and Mustard	93.1	106.3	109.9	110.2	104.1	117.3	110.2	100.7	109.9	123.1
(b) Fibres										
Cotton	111.7	96.2	96.4	119.4	117.5	116.1	122.0	110.3	99.2	124.0
Jute	97.4	95.1	107.4	100.4	103.0	103.3	113.7	109.9	105.9	110.3
Mesta	102.5	96.0	94.3	93.8	105.0	104.0	112.6	128.1	163.5	135.7
(c) Plantation Crops										
Tea	99.6	99.0	99.0	99.0	99.0	101.1	124.6	123.4	127.1	na
Coffee	95.0	93.4	101.7	104.6	104.6	102.3	99.7	105.7	109.4	na
Rubber^	96.8	97.3	90.2	90.2	91.6	89.8	74.1	60.4	51.6	62.8
(d) Others										
Sugarcane	100.8	94.4	102.4	102.5	104.8	99.8	103.2	104.6	103.5	102.2
Tobacco	97.0	112.5	120.4	126.1	124.6	119.2	124.6	141.4	137.6	na
Potato#	109.1	112.0	118.7	135.3	146.8	135.5	125.4	137.7	122.1	133.5
C. All Commodities	104.8	103.5	100.7	111.0	113.2	114.0	115.5	110.8	108.3	119.2

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates ^ 2016-17 - Provisional # 2016-17 As per 3rd Advance Estimate of Horticultural Crops

a : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

b : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

c : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean.

na : Not Available

Table 1.15. Production of Major Crops

(Million Tonnes)

Group/Commodity	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Foodgrains[a]	129.6	176.4	196.8	218.1	244.5	259.3	257.1	265.0	252.0	251.5	275.7
Kharif	77.7	99.4	102.1	104.0	120.9	131.3	128.1	128.7	128.1	125.1	138.5
Rabi	51.9	77.0	94.7	114.1	123.6	128.0	129.1	136.4	124.0	126.5	137.2
Cereals[b]	119.0	162.1	185.7	203.4	226.3	240.8	238.8	245.8	234.8	235.2	252.7
Kharif	73.9	94.0	97.6	99.7	113.8	125.2	122.2	122.7	122.3	119.6	129.1
Rabi	45.1	68.1	88.1	103.7	112.5	115.6	116.6	123.1	112.5	115.7	123.6
Coarse Cereals[c]	29.0	32.7	31.1	33.6	43.4	42.0	40.0	43.3	42.9	38.5	44.2
Kharif	23.8	27.7	24.9	23.8	33.1	32.4	29.8	31.2	30.9	28.2	32.7
Rabi	5.2	5.0	6.2	9.7	10.3	9.6	10.3	12.1	11.3	10.4	11.5
Pulses[d]	10.6	14.3	11.0	14.7	18.2	17.1	18.3	19.3	17.2	16.4	23
Kharif	3.8	5.4	4.4	4.2	7.1	6.1	5.9	6.0	5.7	5.5	9.4
Rabi	6.8	8.9	6.6	10.5	11.1	11.0	12.4	13.3	11.4	10.8	13.5
Rice	53.6	74.3	85.0	89.1	96.0	105.3	105.2	106.6	105.5	104.4	110.2
Kharif	50.1	66.3	72.8	75.9	80.7	92.8	92.4	91.5	91.4	91.4	96.4
Rabi	3.5	8.0	12.2	13.2	15.3	12.5	12.9	15.1	14.1	13.0	13.8
Wheat	36.3	55.1	69.7	80.8	86.9	93.5	93.5	95.8	86.5	92.3	98.4
Jowar	10.4	11.7	7.5	6.7	7.0	6.0	5.3	5.5	5.5	4.2	4.6
Kharif	7.5	8.3	4.5	2.8	3.4	3.3	2.8	2.4	2.3	1.8	1.9
Rabi	2.9	3.4	3.0	3.9	3.6	2.7	2.4	3.1	3.2	2.4	2.7
Maize	7.0	9.0	12.0	16.7	21.7	21.8	22.3	24.3	24.2	22.6	26.3
Bajra	5.3	6.9	6.8	6.5	10.4	10.3	8.7	9.3	9.2	8.1	9.8
Gram	4.3	5.4	3.9	7.5	8.2	7.7	8.8	9.5	7.3	7.1	9.3
Tur	2.0	2.4	2.2	2.5	2.9	2.7	3.0	3.2	2.8	2.6	4.8
Oilseeds[e]	9.4	18.6	18.4	24.9	32.5	29.8	30.9	32.7	27.5	25.3	32.1
Kharif	5.0	9.8	11.9	15.7	21.9	20.7	20.8	22.6	19.2	16.8	22.4
Rabi	4.4	8.8	6.5	9.2	10.6	9.1	10.2	10.1	8.3	8.6	9.7
Groundnut	5.0	7.5	6.4	5.4	8.3	7.0	4.7	9.7	7.4	6.7	7.6
Kharif	3.7	5.1	4.9	3.8	6.6	5.1	3.2	8.1	5.9	5.4	6.2
Rabi	1.3	2.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.3
Rapeseed and Mustard	2.3	5.2	4.2	6.6	8.2	6.6	8.0	7.9	6.3	6.8	8
Sugarcane	154.2	241.0	296.0	292.3	342.4	361.0	341.2	352.1	362.3	348.4	306.7
Cotton[f]	7.0	9.8	9.5	24.0	33.0	35.2	34.2	35.9	34.8	30.0	33.1
Jute and Mesta[g]	8.2	9.2	10.5	11.8	10.6	11.4	10.9	11.7	11.1	10.5	10.6
Jute	6.5	7.9	9.3	11.2	10.0	10.7	10.3	11.1	10.6	9.9	10.1
Mesta	1.7	1.3	1.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
Plantation Crops											
Tea	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	na
Coffee	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	na
Rubber	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
Potato	9.7	15.2	22.5	36.6	42.3	46.6	45.3	41.6	48.0	43.4	48.2

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notes:

*: 4th Advance Estimates

a : Includes cereals, coarse cereals and pulses

b : Includes rice, wheat and coarse cereals

c : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

d : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

e : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean

f : Bales of 170 Kg.

g : Bales of 180 Kg.

na : Not Available

Table 1.16. Gross Area Under Major Crops

(Million Hectares)

Group/Commodity	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Foodgrains[a]	126.7	127.8	121.0	121.3	126.7	124.8	120.8	125.0	124.3	123.2	128.0
Kharif	83.2	80.8	75.2	69.5	72.4	72.1	67.7	69.1	68.8	69.2	72.4
Rabi	43.5	47.0	45.8	51.8	54.3	52.7	53.1	56.0	55.5	54.0	55.6
Cereals[b]	104.2	103.2	100.7	98.0	100.3	100.3	97.5	99.8	100.7	98.3	98.6
Kharif	72.8	69.3	64.6	58.9	60.1	60.9	57.7	58.7	58.8	57.9	58.1
Rabi	31.4	33.9	36.1	39.1	40.2	39.4	39.8	41.1	42.0	40.4	40.5
Coarse Cereals[c]	41.8	36.3	30.3	27.7	28.3	26.4	24.8	25.2	25.2	24.4	24.8
Kharif	34.3	29.6	23.9	21.3	22.1	20.8	18.8	19.3	18.9	18.2	19.1
Rabi	7.4	6.7	6.4	6.4	6.3	5.7	5.9	5.9	6.2	6.2	5.7
Pulses[d]	22.5	24.7	20.3	23.3	26.4	24.5	23.3	25.2	23.6	24.9	29.5
Kharif	10.4	11.5	10.6	10.6	12.3	11.2	10.0	10.3	10.0	11.3	14.3
Rabi	12.1	13.2	9.7	12.7	14.1	13.3	13.3	14.9	13.6	13.6	15.1
Rice	40.1	42.7	44.7	41.9	42.9	44.0	42.8	44.1	44.1	43.5	43.2
Kharif	38.4	39.7	40.7	37.6	38.0	40.1	38.9	39.4	39.8	39.7	39.0
Rabi	1.7	3.0	4.0	4.3	4.8	3.9	3.8	4.7	4.3	3.8	4.2
Wheat	22.3	24.2	25.7	28.5	29.1	29.9	30.0	30.5	31.5	30.4	30.6
Jowar	15.8	14.4	9.9	7.7	7.4	7.4	6.2	5.8	6.2	6.1	5.1
Kharif	10.2	8.6	4.9	3.2	3.1	3.1	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9
Rabi	5.6	5.8	5.0	4.5	4.3	4.3	3.8	3.5	3.9	3.9	3.2
Maize	6.0	5.9	6.6	8.3	8.6	8.8	8.7	9.1	9.2	8.8	9.9
Bajra	11.7	10.5	9.8	8.9	9.6	8.8	7.3	7.8	7.3	7.1	7.5
Gram	6.6	7.5	5.2	8.2	9.2	8.3	8.5	9.9	8.3	8.4	9.6
Tur	2.8	3.6	3.6	3.5	4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	5.4
Oilseeds[e]	17.6	24.1	22.8	26.0	27.2	26.3	26.5	28.1	25.6	26.1	26.2
Kharif	10.2	14.0	15.8	18.0	18.2	18.4	18.3	19.7	18.2	18.9	18.9
Rabi	7.4	10.1	7.0	8.0	9.0	7.9	8.2	8.4	7.4	7.2	7.4
Groundnut	6.8	8.3	6.6	5.5	5.9	5.3	4.7	5.5	4.8	4.6	5.3
Kharif	5.9	6.8	5.7	4.6	5.0	4.3	3.9	4.6	4.0	3.8	4.6
Rabi	0.9	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
Rapeseed and Mustard	4.1	5.8	4.5	5.6	6.9	5.9	6.4	6.6	5.8	5.7	6.0
Sugarcane	2.7	3.7	4.3	4.2	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	4.4
Cotton[f]	7.8	7.4	8.6	10.1	11.2	12.2	12.0	12.0	12.8	12.3	10.8
Jute and Mesta[g]	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
Jute	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
Mesta	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Plantation crops											
Tea	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	na
Coffee (Plucked area)	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	na
Rubber (Tapped area)	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Potato	0.7	0.9	1.2	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates

a : Includes cereals, coarse cereals and pulses

b : Includes rice, wheat and coarse cereals

c : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

d : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

e : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean.

f : Bales of 170 Kgs.

g : Bales of 180 Kgs.

na: Not Available

Table 1.17. Yield Per Hectare of Major Crops

(Kg. / Hectare)

Group/Commodity	1980-81	1990-91	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Foodgrains[a]	1023	1380	1626	1798	1930	2078	2128	2120	2028	2042	2153
Kharif	933	1231	1357	1496	1669	1822	1892	1864	1862	1808	1913
Rabi	1195	1635	2067	2203	2278	2430	2431	2435	2232	2342	2467
Cereals[b]	1142	1571	1844	2076	2256	2415	2449	2462	2331	2393	2564
Kharif	1015	1357	1512	1693	1893	2057	2116	2089	2081	2065	2223
Rabi	1434	2010	2438	2649	2800	2968	2932	2995	2681	2862	3053
Coarse Cereals[c]	695	900	1027	1212	1531	1590	1617	1717	1703	1579	1784
Kharif	693	937	5298	1118	1500	1563	1583	1619	1633	1544	1710
Rabi	702	741	973	1526	1641	1689	1725	2034	1915	1686	2033
Pulses[d]	473	578	544	630	691	699	789	764	728	656	779
Kharif	361	471	417	397	578	541	594	580	573	489	657
Rabi	571	672	604	823	790	831	934	891	843	796	895
Rice	1336	1740	1901	2125	2239	2393	2462	2416	2391	2400	2550
Kharif	1303	1670	1788	2019	2121	2312	2374	2319	2295	2305	2475
Rabi	2071	2671	3042	3055	3173	3228	3353	3232	3291	3382	3242
Wheat	1630	2281	2708	2839	2989	3178	3117	3145	2750	3034	3216
Jowar	660	814	764	860	949	957	850	957	884	697	889
Kharif	737	969	938	853	1119	1257	1171	1050	1014	850	960
Rabi	520	582	594	865	827	746	644	896	808	615	847
Maize	1159	1518	1822	2024	2540	2478	2566	2676	2632	2563	2664
Bajra	458	658	688	731	1079	1171	1198	1184	1255	1132	1311
Gram	657	712	744	915	895	928	1036	960	889	840	973
Tur	689	673	618	711	655	662	776	813	729	646	885
Oilseeds[e]	532	771	810	958	1193	1133	1168	1168	1075	968	1225
Kharif	492	698	757	875	1203	1123	1135	1151	1055	884	1188
Rabi	588	872	929	1146	1174	1155	1244	1207	1125	1186	1318
Groundnut	736	904	977	991	1411	1323	995	1764	1552	1465	1424
Kharif	629	751	861	835	1335	1188	811	1735	1478	1399	1361
Rabi	1444	1611	1756	1830	1846	1938	1910	1926	1948	1801	1819
Rapeseed and Mustard	560	904	935	1183	1185	1121	1262	1185	1083	1183	1324
Sugarcane (tonnes/hect.)	58	65	69	70	70	72	68	71	71	71	69
Cotton[f]	152	225	190	403	499	491	486	510	462	415	519
Jute and Mesta[g]	1130	1634	1867	2349	2192	2268	2281	2512	2473	2421	2490
Jute	1245	1833	2026	2492	2329	2389	2396	2639	2549	2457	2560
Mesta	828	988	1078	1121	1115	1248	1237	1338	1525	1945	1615
Plantation Crops											
Tea	1491	1794	1673	1756	1712	1967	2037	2170	2170	2170	na
Coffee	624	759	959	725	746	766	766	727	766	766	na
Rubber	788	1076	1576	1211	1211	1230	1206	994	994	994	843
Potato[#]	13	16	18	20	23	22	23	21	22	21	22

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates

a : Includes cereals, coarse cereals and pulses

b : Includes rice, wheat and coarse cereals

c : Includes maize, jowar, ragi, bajra, small millets and barley

d : Includes tur, urad, moong, gram, lentils and other pulses

e : Includes groundnut, rapeseed & mustard, sesamum, linseed, castorseed, nigerseed, safflower, sunflower and soyabean.

f : Bales of 170 Kgs.

g : Bales of 180 Kgs.

na: Not Available

#: As per 3rd Advance Estimate of Horticultural Crops.

Table 1.18. Production of Important Crops in Three Largest Producing States in 2016-17*

(Production in Million Tonnes)

Crops/Groups of Crops		States	Production	Per cent Share of Production to All India	Cumulative per cent Share of Production
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Foodgrains				
	Rice	West Bengal	15.1	13.7	13.7
		Uttar Pradesh	12.9	11.8	25.5
		Punjab	11.0	10.0	35.5
	Wheat	Uttar Pradesh	30.1	30.6	30.6
		Madhya Pradesh	17.9	18.2	48.8
		Punjab	16.4	16.7	65.5
	Maize	Maharashtra	3.8	14.5	14.5
		Karnataka	3.3	12.4	26.9
		Madhya Pradesh	3.2	12.1	39.0
	Total Coarse Cereals	Maharashtra	7.0	15.8	15.8
		Rajasthan	6.8	15.3	31.1
		Karnataka	5.2	11.8	42.9
	Gram	Madhya Pradesh	3.5	37.0	37.0
		Maharashtra	1.7	17.6	54.6
		Rajasthan	1.4	14.5	69.1
	Tur	Maharashtra	1.5	27.0	27.0
		Karnataka	0.9	16.8	43.8
		Madhya Pradesh	0.8	14.5	58.3
	Total Pulses	Madhya Pradesh	6.3	27.2	27.2
		Maharashtra	3.8	16.6	43.8
		Rajasthan	3.1	13.3	57.2
	Total Foodgrains	Uttar Pradesh	49.1	17.8	17.8
		Madhya Pradesh	33.0	12.0	29.8
		Punjab	28.0	10.2	39.9
II.	Oilseeds				
	Groundnut	Gujarat	3.2	41.8	41.8
		Rajasthan	1.1	15.1	56.9
		Andhra Pradesh	0.7	9.4	66.3
	Rapeseed & Mustard	Rajasthan	3.7	46.5	46.5
		Madhya Pradesh	0.9	11.5	58.0
		Haryana	0.9	11.3	69.3
	Soyabean	Madhya Pradesh	7.1	51.3	51.3
		Maharashtra	4.8	34.6	85.9
		Rajasthan	1.1	8.2	94.1
	Sunflower	Karnataka	0.1	41.7	41.7
		Odisha	0.02	8.8	50.4
		Andhra Pradesh	0.02	8.3	58.8
	Total Oilseeds	Madhya Pradesh	8.7	27.0	27.0
		Rajasthan	6.3	19.7	46.7
		Maharashtra	5.3	16.4	63.1
III.	Other Cash Crops				
	Sugarcane	Uttar Pradesh	144.8	41.1	41.1
		Maharashtra	50.6	14.4	55.5
		Karnataka	23.5	6.7	62.2
	Cotton[a]	Maharashtra	10.6	32.1	32.1
		Gujarat	8.2	24.8	56.9
		Telangana	2.9	8.9	65.8
	Jute & Mesta[b]	West Bengal	7.9	75.1	75.1
		Bihar	1.7	16.1	91.2
		Assam	0.8	7.9	99.1

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Notes:

* : 4th Advance Estimates

a : Production in million bales of 170 kgs.

b : Production in million bales of 180 kgs.

Table 1.19. Per Capita Net Availability of Cereals and Pulses

Year	Population (million)	Cereals				Pulses Net availability (million tonnes)	Per capita net availability per day (grams)		
		Net production (million tonnes)	Net imports (million tonnes)	Change in Government stocks (million tonnes)	Net availability (Col. 3+4-5) (million tonnes)		Cereals	Pulses	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1951	363.2	40.1	4.1	(+)0.6	43.6	8.0	334.2	60.7	394.9
1961	442.4	60.9	3.5	(-)0.2	64.6	11.1	399.7	69.0	468.7
1971	551.3	84.5	2.0	(+)2.6	84.0	10.3	417.6	51.2	468.8
1981	688.5	104.1	0.5	(-)0.2	104.8	9.4	417.3	37.5	454.8
1991	851.7	141.9	(-)0.6	(-)4.4	145.7	12.9	468.5	41.6	510.1
2001	1033.2	162.5	(-)4.5	(+)12.3	145.6	11.3	386.2	30.0	416.2
2002	1050.6	174.5	(-)8.5	(-)9.9	175.9	13.6	458.7	35.4	494.1
2003	1068.2	143.2	(-)7.1	(-)23.2	159.3	11.3	408.5	29.1	437.6
2004	1085.6	173.5	(-)7.7	(-)3.3	169.1	14.2	426.9	35.8	462.7
2005	1102.8	162.1	(-)7.2	(-)2.4	157.3	12.7	390.9	31.5	422.4
2006	1119.8	170.8	(-)3.8	(-)1.8	168.8	13.3	412.8	32.5	445.3
2007	1136.6	177.7	(-)7.0	(+)1.7	169.0	14.7	407.4	35.5	442.8
2008	1153.1	197.3	(-)14.4	(+)17.0	165.9	17.6	394.2	41.8	436.0
2009	1169.4	192.4	(-)7.2	(+)11.5	173.7	15.8	407.0	37.0	444.0
2010	1185.8	178.0	(-)4.7	(-)0.5	173.8	15.3	401.7	35.4	437.1
2011	1201.9	198.0	(-)9.6	(+)8.3	180.1	18.9	410.6	43.0	453.6
2012	1213.4	211.9	(-)19.8	(+)11.2	181.0	18.4	408.6	41.7	463.8
2013	1228.8	208.9	(-)22.6	(-) 7.9	194.3	19.4	433.2	43.3	491.9
2014	1244.0	215.1	(-)20.0	(-)6.0	201.1	21.1	442.9	46.4	489.3
2015	1259.1	205.5	(-)12.4	(-)0.5	193.6	20.1	421.4	43.8	465.1
2016	1273.9	205.8	(-)8.7	(-)9.2	206.3	20.3	443.7	43.6	487.3
2017(P)	1288.5	221.1	(-)5.1	(+)3.6	212.4	25.6	451.7	54.4	506.1

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Notes:

P: Provisional

1. Population figure relates to mid year
2. The net availability of foodgrains is estimated to be gross production (-) seed, feed and wastage, (-) exports (+) imports (+/-) change in stocks.
3. The net availability of foodgrains divided by the population estimates for a particular year indicates per capita availability of foodgrains in terms of Kg / year.
4. Figures in respect of per capita net availability given above are not strictly reprensentative of actual level of consumption in the country especially as they do not take into account any change in stocks in possesssion of traders, procedures and consumers.
5. For calculation of per capita net availability of net imports from 1981 to 1994 are based on imports and exports on Government of India account only, Net imports from 1995 are, however, based on the total exports and imports (both Government as well as Private accounts).

Table 1.20. Net Availability, Procurement and Public Distribution of Foodgrains

(Million tonnes)

Year	Net production of foodgrains	Net imports	Net availability of foodgrains[a]	Procurement	Public distribution[b]	Col. 3 as per cent of Col. 4	Col. 5 as per cent of Col. 2	Col. 6 as per cent of Col. 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1951	48.1	4.8	52.4	3.8	8.0	9.2	7.9	15.3
1961	72.0	3.5	75.7	0.5	4.0	4.6	0.7	5.3
1971	94.9	2.0	94.3	8.9	7.8	2.1	9.3	8.3
1981	113.4	0.7	114.3	13.0	13.0	0.6	11.4	11.4
1991	154.3	(-)0.1	158.6	19.6	20.8	…	12.7	13.1
2001	172.2	(-)2.9	156.9	42.6	13.2	(-)1.8	24.7	8.4
2002	186.2	(-)6.7	189.5	40.3	18.2	(-)3.5	21.7	9.6
2003	152.9	(-)5.5	170.6	34.5	23.2	(-)2.8	22.6	13.2
2004	186.5	(-)6.5	183.3	41.1	28.3	(-) 3.5	22.0	15.5
2005	173.6	(-)6.0	170.0	41.5	31.0	(-) 3.5	23.9	18.2
2006	182.5	(-)2.3	181.9	37.0	31.8	(-) 1.3	20.3	17.5
2007	190.1	(-)4.7	183.7	35.8	32.8	(-) 2.6	18.8	17.8
2008	210.2	(-) 9.7	183.5	54.2	34.7	(-) 5.3	25.8	18.9
2009	205.2	(-) 4.1	189.5	60.5	41.3	(-) 2.2	29.5	21.8
2010	190.8	(-) 2.2	189.2	56.1	43.7	(-) 1.2	29.4	23.1
2011	213.9	(-) 2.9	203.1	64.5	47.9	(-) 1.4	30.1	23.6
2012	232.9	(-)16.3	205.4	73.4	44.9	(-) 7.9	na	na
2013	231.9	(-) 19.2	220.6	58.9	44.5	(-) 8.7	na	na
2014	231.9	(-) 15.8	222.2	59.8	43.5	(-) 7.1	na	na
2015	220.5	(-) .3	213.8	65.0	na	(-) 0.1	na	na
2016	220.1	(-) 2.7	226.6	60.8	na	(-) 1.2	na	na
2017	241.2	2.0	238.0	40.2*	na	0.8	na	na

Sources: 1. Department of Food and Public Distribution

2. Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare.

Notes:

na: Not Available ... Negligible P: Provisional * : as on 09.05.2017

a : Net availability = Net production + Net Imports - changes in Government stocks.

b : Includes quantities released under the Food for Work Programme during the year 1978 to 1990.

1. Figures for procurement and public distribution relate to calender years.
2. For calculation of per capita net availability, the figure of net imports from 1981 to 1994 are based on imports and exports on Government of India account only.

   Net import from 1995 are, however, based on the total exports and imports (both Government as well as Private accounts).
3. Net Imports are total Imports minus Exports of the Country.

Table 1.21. Per Capita Availability of Certain Important Articles of Consumption

Year	Edible oil[a] (Kg.)	Vanaspati[b] (Kg.)	Sugar[c] (Nov.-Oct.) (Kg.)	Cloth[d]			Tea (Gram.)	Coffee[f] (Gram.)	Electricity Domestic (KWH)
				Cotton[e] (metres)	Man-made (metres)	Total (metres)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1960-61	3.2	0.8	4.8	13.8	1.2	15.0	296.0	80.0	3.4
1970-71	3.5	1.0	7.4	13.6	2.0	15.6	401.0	65.0	7.0
1980-81	3.8	1.2	7.3	12.9	4.4	17.3	511.0	79.0	13.5
1990-91	5.5	1.0	12.7	15.1	9.0	24.1	612.0	59.0	38.2
2000-01	8.2	1.3	15.8	14.2	16.5	30.7	631.0	58.0	75.2
2001-02	8.8	1.4	16.0	14.8	17.2	32.0	650.0	67.0	76.8
2002-03	7.2	1.4	16.3	14.4	17.0	31.4	623.0	67.0	79.0
2003-04	9.9	1.2	16.1	13.4	17.6	31.0	662.0	70.0	83.6
2004-05	10.2	1.1	15.5	14.1	19.4	33.5	663.0	72.0	87.8
2005-06	10.6	1.1	16.3	16.4	19.7	36.1	687.0	75.0	90.4
2006-07	11.1	1.2	16.8	18.0	21.6	39.6	687.0	77.0	98.8
2007-08	11.4	1.3	17.8	19.0	22.8	41.9	701.0	80.0	106.0
2008-09	12.7	1.2	18.8	17.9	21.1	39.0	704.0	82.0	112.7
2009-10	13.1	1.1	18.6	19.7	23.4	43.1	709.0	86.0	121.2
2010-11	13.0	1.0	17.0	21.4	22.6	44.0	715.0	90.0	130.9
2011-12	13.8	1.0	18.7	19.8	20.7	40.5	728.0	95.0	142.4
2012-13	15.8	0.7	18.7	19.9	18.6	38.5	779.0	97.0	150.9
2013-14	16.8	0.8	19.5	19.9	16.4	36.2	744.0	100.0	162.0
2014-15	18.3	0.8	20.3	23.6	17.0	40.6	752.0	100.0	174.2
2015-16	17.7	0.8	19.4(p)	24.6	15.9	40.5	758.0	100.0	189.1(P)

Sources: 1. Directorate of Sugar & Vegetable Oils, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
2. Tea Board
3. Coffee Board
4. Ministry of Textiles
5. Central Electricity Authority, Ministry of Power

Notes:

na : Not Available P : Provisional

a : Includes groundnut oils, rapeseed and mustard oil, sesamum oil, nigerseed oil, soyabean oil and sunflower oil but excludes oil for manufacture of vanaspati.

b : Relates to calendar year.

c : Relates to actual releases for domestic consumption, sugar season/year commencing from November to October of following year as opposed to financial year.

d : The data of cloth; prior to 1980-81 is calender year wise; in meters upto 1984-85; in square meter from 1985-86 onwards.

e : Figures for blended/mixed fabrics were not separately available prior to 1969. These have been included under man-made fibre fabrics after 1969.

f : Figures up to 1971-72 relate to coffee season and are thereafter on calendar year basis.

Table 1.22. Production, Imports and Consumption of Fertilizers

(Thousand tonnes of nutrients)

	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)
A. Nitrogenous fertilizers															
Production	830	2164	6993	11004	10900	10870	11900	12157	12259	12194	12378	12394	13416	13331	7641
Imports	477	1510	414	154	3707	3751	3447	4493	5240	4801	3920	4766	5068	3385	2378
Consumption	1487	3678	7997	10920	14419	15090	15580	16558	17300	16821	16750	16946	17372	na	na
B. Phosphatic fertilizers															
Production	229	842	2052	3748	3807	3464	4321	4223	4368	3830	3960	4121	4394	4567	2873
Imports	32	452	1311	396	1391	3067	2756	3802	4427	2797	1588	1832	2888	2130	1637
Consumption	462	1214	3221	4215	5515	6506	7274	8050	7914	6653	5633	6098	6979	na	na
C. Potassic fertilizers															
Imports	120	797	1328	1541	2653	3403	2945	4069	3335	1559	1926	2537	2053	2325	1698
Consumption	228	624	1328	1567	2636	3313	3632	3514	2576	2062	2099	2532	2402	na	na
D. All fertilizers (NPK)															
Production	1059	3006	9045	14752	14707	14334	16221	16380	16627	16024	16338	16515	17810	17898	10514
Imports	629	2759	2758	2090	7750	10221	9148	12364	13002	9157	7434	9135	10009	7840	5713
Consumption	2177	5516	12546	19702	22570	24909	26486	28122	27790	25534	24482	25576	26753	na	na

Source: Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers

Note: * Upto October, 2017

na : Not Available

Table 1.23. Production of Major Livestock Products and Fish

Year	Milk (Million tonnes)	Eggs (Million Nos.)	Fish (Thousand tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)
1950-51	17.0	1832	752
1960-61	20.0	2881	1160
1970-71	22.0	6172	1756
1980-81	31.6	10060	2442
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69730	9040
2013-14	137.7	74752	9572
2014-15	146.3	78484	10164
2015-16	155.5	82929	10795

Source: Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries.

Table 1.24. Production of Coal and Lignite

(Million tonnes)

Year	Coal				Lignite	Total coal and lignite (5)+(6)
	Coking		Non-coking	Total		
	Metallurgical	Non-Metallurgical				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51	na	na	na	32.3	na	na
1960-61	17.0	na	38.2	na	na	na
1970-71	17.8	na	55.1	na	3.4	na
1980-81	24.6	8.0	81.3	113.9	5.1	119.0
1981-82	26.9	9.2	88.1	124.2	6.3	130.5
1982-83	30.1	7.5	92.9	130.5	6.9	137.4
1983-84	30.1	6.2	101.9	138.2	7.3	145.5
1984-85	30.6	6.0	110.8	147.4	7.8	155.2
1985-86	29.1	6.6	118.6	154.2	8.1	162.3
1986-87	27.9	11.6	126.2	165.8	9.4	175.2
1987-88	26.3	14.7	138.7	179.7	11.2	190.9
1988-89	25.2	17.6	151.9	194.6	12.4	207.0
1989-90	24.5	19.9	156.5	200.9	12.8	213.7
1990-91	24.1	21.2	166.4	211.7	13.8	225.5
1991-92	26.3	20.0	183.0	229.3	14.6	243.8
1992-93	25.7	19.6	192.9	238.3	16.6	254.9
1993-94	26.0	19.1	201.0	246.0	18.1	264.1
1994-95	24.5	19.7	209.6	253.8	19.3	273.1
1995-96	23.5	16.6	230.0	270.1	22.1	292.3
1996-97	22.6	17.9	245.1	285.7	22.5	308.2
1997-98	24.2	19.3	252.4	295.9	23.1	319.0
1998-99	23.8	15.4	253.1	292.3	23.4	315.7
1999-2000	21.2	12.0	266.7	300.0	22.1	322.1
2000-01	19.3	11.8	278.6	309.6	23.0	332.6
2001-02[a]	18.0	10.7	299.1	327.8	24.8	352.6
2002-03[a]	18.4	11.8	311.1	341.3	26.0	367.3
2003-2004	18.3	11.1	331.9	361.3	28.0	389.3
2004-2005	18.2	12.0	352.4	382.6	30.3	413.0
2005-2006	17.0	14.5	375.5	407.0	30.1	437.1
2006-2007	17.2	14.9	398.7	430.8	31.3	462.1
2007-08	18.1	16.4	422.6	457.1	34.0	491.0
2008-09	17.3	17.5	458.0	492.8	32.4	525.2
2009-10	17.7	26.7	487.6	532.0	34.1	566.1
2010-11	17.7	31.9	483.2	532.7	37.7	570.4
2011-12	16.2	35.4	488.3	540.0	42.3	582.3
2012-13	14.6	37.0	504.8	556.4	46.5	602.9
2013-14	15.1	41.7	509.0	565.8	44.3	610.0
2014-15	13.8	43.7	551.7	609.2	48.3	657.4
2015-16	14.3	46.5	578.3	639.2	43.8	683.0
2016-17 (P)	14.5	47.2	597.5	659.3	45.1	704.4

Source : Ministry of Coal

Notes:

na: Not Available a : Including Meghalaya Coal.

P : Provisional

Table 1.25. Progress of Electricity Supply (Utilities & Non-Utilities)
A : Installed Plant Capacity

(Thousand MW)

Year	Utilities				Non-Utilities	Total [5+6]
	Hydro	Thermal +RES	Nuclear	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51[a]	0.6	1.1	0	1.7	0.6	2.3
1960-61	1.9	2.7	0	4.6	1.0	5.6
1970-71	6.4	7.9	0.4	14.7	1 . 6	16.3
1980-81	11.8	17.6	0.9	30.3	3 . 1	33.4
1981-82	12.2	19.3	0.9	32.4	3 . 4	35.8
1982-83	13.1	21.4	0.9	35.4	3 . 9	39.3
1983-84	13.9	24.4	1.1	39.4	4 . 4	43.8
1984-85	14.5	27	1.1	42.6	5 . 1	47.7
1985-86	15.5	30	1.3	46.8	5 . 5	52.3
1986-87	16.2	31.8	1.3	49.3	5 . 7	55
1987-88	17.3	35.6	1.3	54.2	6 . 3	60.5
1988-89	17.8	39.7	1.5	59	7 . 5	66.5
1989-90	18.3	43.8	1.5	63.6	8 . 2	71.8
1990-91	18.8	45.8	1.5	66.1	8 . 6	74.7
1991-92	19.2	48.1	1.8	69.1	9 . 3	78.4
1992-93	19.6	50.7	2.0	72.3	10.1	82.4
1993-94	20.4	54.4	2.0	76.8	10.7	87.5
1994-95	20.8	58.1	2.2	81.1	11.2	92.3
1995-96	21	60.1	2.2	83.3	11.8	95.1
1996-97	21.7	61.9	2.2	85.8	12.1	97.9
1997-98	21.9	65	2.2	89.1	13.2	102.3
1998-99	22.4	68.7	2.2	93.3	14.1	107.4
1999-00	23.9	71.3	2.7	97.9	14.7	112.6
2000-01	25.1	73.6	2.9	101.6	16.2	117.8
2001-02	26.3	76	2.7	105	17.1	122.1
2002-03	26.8	78.4	2.7	107.9	18.3	126.2
2003-04	29.5	80.5	2.7	112.7	18.7	131.4
2004-05	30.9	84.7	2.8	118.4	19.1	137.5
2005-06	32.3	88.6	3.4	124.3	21.3	145.6
2006-07	34.7	93.7	3.9	132.3	22.3	154.6
2007-08	35.9	103	4.1	143	25	168
2008-09	36.9	107	4.1	148	27	175
2009-10	36.9	118	4.6	159.4	31.5	190.9
2010-11	37.6	131.3	4.8	173.7	34.4	208.1
2011-12	39	156.1	4.8	199.9	36.5	236.4
2012-13	39.5	179.1	4.8	223.4	40.7	264.1
2013-14	40.5	203.2	4.8	248.5	42.3	290.8
2014-15	41.3	227.9	5.8	275.0	44.7	319.6
2015-16	42.8	256.6	5.8	305.2	48.3	353.4
2016-17	44.5	275.6	6.8	326.8	50.3($)	377.1

Source : Ministry of Power

Notes:

$: Estimated RES : Renewable Energy Source

a : Calender Year

Table 1.25. Progress of Electricity Supply (Utilities & Non-Utilities)
B : Energy Generated

(Billion KWH)

Year	Utilities				Non-Utilities	Total (5+6)
	Hydro	Thermal +RES	Nuclear	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51[a]	2.5	2.6	….	5.1	1.5	6.6
1960-61	7.8	9.1	….	16.9	3 . 2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2 . 4	55.8	5 . 4	61.2
1975-76	33.3	43.3	2 . 6	79.2	6 . 7	85.9
1977-78	38	51.1	2 . 3	91.4	7 . 6	99
1978-79	47.1	52.6	2 . 8	102.5	7 . 6	110.1
1979-80	45.5	56.3	2 . 9	104.7	8 . 2	112.9
1980-81	56.5	61.3	3 . 0	120.8	8 . 4	129.2
1981-82	49.6	69.5	3 . 0	122.1	9 . 0	131.1
1982-83	48.4	79.9	2 . 0	130.3	10	140.3
1983-84	50	86.7	3 . 5	140.2	10.8	151
1984-85	53.9	98.8	4 . 1	156.8	12.3	169.1
1985-86	51	114.4	5 . 0	170.4	13	183.4
1986-87	53.8	128.9	5 . 0	187.7	13.6	201.3
1987-88	47.5	149.6	5 . 0	202.1	16.9	219
1988-89	57.9	157.7	5 . 8	221.4	19.9	241.3
1989-90	62.1	178.7	4 . 6	245.4	23	268.4
1990-91	71.7	186.5	6 . 1	264.3	25.1	289.4
1991-92	72.8	208.7	5 . 5	287	28.6	315.6
1992-93	69.9	224.8	6 . 7	301.4	31.3	332.7
1993-94	70.4	248.2	5 . 4	324	32.3	356.3
1994-95	82.7	262.1	5 . 6	350.4	35.1	385.5
1995-96	72.6	299.3	8 . 0	380	38.2	418.1
1996-97	68.9	317.9	9 . 1	395.9	40.8	436.7
1997-98	74.6	337	10.1	421.7	44.1	465.8
1998-99	82.9	353.7	11.9	448.5	48.4	496.9
1999-00	80.6	386.8	13.3	480.7	51.5	532.2
2000-01	74.5	408.1	16.9	499.5	55	554.5
2001-02	73.5	424.4	19.5	517.4	61.7	579.1
2002-03	64	449.3	19.4	532.7	63.8	596.5
2003-04	75.2	472.1	17.8	565.1	68.2	633.3
2004-05	84.6	492.8	17	594.4	71.4	665.8
2005-06	101.5	506	17.3	623.8	73.6	697.4
2006-07	113.5	538.4	18.8	670.7	81.8	752.5
2007-08	120.4	585.3	16.9	723	90.5	813.1
2008-09	110.1	616.2	14.9	741.2	99.7	840.9
2009-10	104.1	677.1	18.6	799.8	106.1	906
2010-11	114.4	704.3	26.3	844.8	120.9	965.7
2011-12	130.5	759.4	32.3	922.5	134.4	1056.8
2012-13	113.7	817.9	32.9	964.5	144.0	1108.5
2013-14	134.9	857.6	34.2	1026.6	149.0	1175.6
2014-15	129.2	939.7	36.1	1105.1	162.1	1267.1
2015-16	121.4	1008.8	37.4	1167.6	168.4	1336.0
2016-17	122.4	1076.1	37.9	1236.4	197.0 ($)	1433.4

Source : Ministry of Power

Notes:

$: Estimated RES : Renewable Energy Resource

a : Calender Year

Table 1.26. Operations of Indian Railways

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17(P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Route Kilometres (000's)													
Electrified	0.4	0.8	3.7	5.4	10.0	14.9	19.6	20.3[b]	20.9[b]	21.6[b]	22.2[b]	23.6[b]	25.4[b]
Total	53.6	56.2	59.8	61.2	62.4	63.0	64.4	64.6[b]	65.4[b]	65.8[b]	66.0[b]	66.7[b]	67.4[b]
2. Originating traffic (million tonnes)													
Revenue Earning	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	921.7[a]	969.1[a]	1008.1[a]	1051.6[a]	1095.3[a]	1101.5[a]	1106.15[a]
Total Traffic	93.0	156.2	196.5	220.0	341.4	504.2	926.4[a]	975.2[a]	1014.2[a]	1058.8[a]	1101.1[a]	1108.6[a]	1110.95[a]
3. Goods carried (billion tonne km.)													
Revenue Earning	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	625.7[a]	667.6	691.7[a]	665.8[a]	681.7[a]	654.5[a]	620.18[a]
Total Traffic	44.1	87.7	127.4	158.5	242.7	315.5	626.5[a]	668.6	692.6[a]	666.7[a]	682.6[a]	655.6[a]	620.86[a]
4. Earnings from goods carried (Rs. Crores)	139.3	280.5	600.7	1550.9	8247.0	23045.4	60687.1[a]	67761.4[a]	83478.8[a]	91570.9[a]	103015.2[a]	106940.6[a]	102027[a]
5. Average Lead: all goods traffic (Km)	470	561	648	720	711	626	676	686	683	630	620	591	559
6. Average rate/tonne km. (paise)	3.2	3.9	5.4	10.5	35.0	73.8	97.0	101.5	120.7	137.5	151.2	163.4	164.51
7. Passengers Originating (million)	1284	1594	2431	3613	3858	4833	7651.1	8224.4[b]	8420.7[b]	8397.1[b]	8224.1[b]	8107.3[b]	8116.1[b]
8. Passengers kilometres (billion)	66.5	77.7	118.1	208.6	295.6	457	978.5	1046.5[b]	1098.1[b]	1158.7[b]	1147.2[b]	1143.0[b]	1149.83[b]
9. Passengers Earnings (Rs. Crores)	98.2	131.6	295.5	827.5	3144.7	10515.1[b]	25792.6[b]	28246.4[b]	31322.8[b]	36532.3[b]	42189.6[b]	44283.3[b]	46280.4[b]
10. Average lead : passenger traffic (km)	51.8	48.7	48.6	57.7	76.6	94.6	127.9	127.2[b]	130.4[b]	135.8[b]	139.5[b]	141.0[b]	141.7[b]
11. Average rate per passenger - kilometre (paise)	1.5	1.7	2.5	4.0	10.6	22.9	26.3	27.0[b]	28.5[b]	31.5[b]	36.8[b]	38.7[b]	40.3[b]

Source : Ministry of Railways

Notes:

P: Provisional a: Excluding Konkan Railways Corporation Limited Loading b: Includes Metro Railway/Kolkata.

Table 1.27. Revenue Earning Goods Traffic on Indian Railways
A : Traffic Originating

(Million tonnes)

Commodity	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11[a]	2011-12[a]	2012-13[a]	2013-14[a]	2014-15P[a]	2015-16[a]	2016-17[a](P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Coal	20.2	30.9	47.9	64.1	135.2	223.7	420.4	455.8	496.4	508.1	545.8	551.8	532.8
2. Raw materials for Steel Plant except iron ore	na	10.5	16.1	20.2	25.9	38.8	13.3	14.5	15.6	17.3	18.3	20.3	22.7
3. Pig iron & finished steel													
i) steel plants	na	3.8	6.2	7.5	10.0	11.8	24.1	25.7	26.0	27.8	28.3	29.6	38.4
ii) from other points	na	na	na	na	na	na	8.8	9.5	9.4	11.1	14.6	15.2	14.0
iii) Total	na	na	na	na	na	na	32.8	35.2	35.3	39.0	42.9	44.8	52.4
4. Iron ore													
i) for export	na	2.6	9.8	11.1	13.1	14.6	25.7	8.4	5.5	6.6	2.5	2.1	10.6
ii) for steel plants	na	na	na	na	na	na	44.7	54.7	61.6	66.8	69.4	78.6	83.7
iii) for other domestic users	na	na	na	na	na	na	48.1	40.3	44.4	50.9	40.9	36.2	43.3
iv) Total	na	na	na	na	na	na	118.5	103.4	111.4	124.3	112.8	116.9	137.5
5. Cement	2.5	6.5	11.0	9.6	28.9	42.9	99.1	107.7	105.9	109.8	109.8	105.4	103.3
6. Foodgrains	7.8	12.7	15.1	18.3	25.4	26.7	43.5	46.3	49.0	55.1	55.5	45.7	44.9
7. Fertilizers	na	1.4	4.7	8.1	18.4	27.1	48.2	52.7	46.2	44.7	47.4	52.2	48.3
8. POL	2.7	4.7	8.9	15.0	25.0	36.3	39.3	39.8	40.6	41.2	41.1	43.2	42.4
9. Container Service -													
i) Domestic container	na	na	na	na	na	na	11.0	9.5	9.4	10.9	10.5	9.0	10.3
ii) EXIM containers	na	na	na	na	na	na	26.6	28.5	31.7	32.6	37.9	36.8	37.0
iii) Total	na	na	na	na	na	na	37.6	38.0	41.0	43.5	48.4	45.8	47.3
10. Balance (other goods)	40.0	46.7	48.2	42.1	36.6	51.8	69.2	75.7	66.6	68.8	73.4	75.3	74.3
11.Total revenue earning freight traffic	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	921.7	969.1	1008.1	1051.6	1095.3	1101.5	1106.1

Source: Ministry of Railways

Notes:

na: Not Available a: Excluding Konkan Railways Corporation Limited loading

P: Provisional POL: Petroleum, Oil & Lubricants

Figures from 2007-08 reflects the revised commodity group as modified from October 2007.

Table 1.27. Revenue Earning Goods Traffic on Indian Railways
B : Goods Carried

(Billion tonne km.)

Commodity	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11[a]	2011-12[a]	2012-13[a]	2013-14[a]	2014-15P[a]	2015-16[a]	2016-17[a](P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Coal	11.3	20.5	27.8	36.4	85.9	133.4	268.3	291.5	303.4	271.9	301.5	280.7	249.6
2. Raw materials for Steel Plant except iron ore	na	2.0	2.7	4.3	7.5	13.5	9.8	10.3	10.2	10.1	11.0	11.7	12.5
3. Pig iron & finished steel													
i) steel plants	na	3.3	6.2	8.6	11.6	12.1	24.9	26.3	27.2	27.9	29.0	30.5	34.2
ii) from other points	na	na	na	na	na	na	7.4	7.6	6.9	7.0	8.4	9.9	9.8
iii) Total	na	na	na	na	na	na	32.2	33.9	34.1	34.9	37.4	40.4	44.0
4. Iron ore													
i) for export	na	na	5.5	7.3	7.5	7.9	15.5	2.0	3.1	2.7	1.3	0.9	5.0
ii) for steel plants	na	na	na	na	na	na	9.6	14.3	15.4	16.4	19.2	19.1	20.3
iii) for other domestic users	na	na	na	na	na	na	21.2	19.7	19.6	18.1	16.2	12.3	14.3
iv) Total	na	na	na	na	na	na	46.4	36.0	38.1	37.2	36.7	32.4	39.7
5. Cement	na	2.5	7.0	7.2	18.9	24.9	57.0	62.0	62.7	59.3	59.1	56.0	54.6
6. Foodgrains	4.0	9.6	14.5	24.3	35.6	33.1	52.0	57.9	71.3	70.5	67.0	60.1	57.8
7. Fertilizers	na	na	3.8	8.9	17.3	23.0	40.7	43.9	39.0	34.5	38.8	43.7	39.2
8. POL	na	2.6	5.3	11.7	15.1	19.9	26.1	26.1	28.5	29.3	27.2	29.3	28.5
9. Container Service													
i) Domestic container	na	na	na	na	na	na	13.8	13.6	13.8	15.9	15.0	12.4	14.1
ii) EXIM containers	na	na	na	na	na	na	27.2	31.6	36.2	36.3	32.9	33.0	30.2
iii) Total	na	na	na	na	na	na	41.0	45.2	50.0	52.2	47.9	45.4	44.3
10. Balance (other goods)	22.3	31.9	37.9	39.1	36.4	44.5	52.3	60.8	54.4	66.0	55.1	54.7	49.9
11.Total revenue earning freight traffic	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	625.7	667.6	691.7	665.8	681.7	654.5	620.2

Source: Ministry of Railways

Notes:

na: Not Available
P: Provisional
a: Excluding Konkan Railways Corporation Limited loading
POL: Petroleum, Oil & Lubricants

1. Figures from 2007-08 reflects the revised commodity group as modified from October 2007.

Table 1.28. Operations of Road Transport

	Unit	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Length of roads													
Total[a]	Thousand Km.	399.9	524.5	914.9	1485.4	2327.4	3373.5	4690.3	4865.4	5231.9	5402.5	5472.1	5603.3
Surfaced	Thousand Km.	157.0	263.0	398.0	684.0	1090.2	1601.7	2524.7	2698.6	3171.0	3220.5	3341.0	3501.9
2. Length of national Highways													
Total[a]	Thousand Km.	19.8	23.8	23.8	31.7	33.7	57.7	70.9	76.8	79.1	91.3	98.0	101.0
Surfaced	Thousand Km.	na	21.0	23.3	31.5	33.4	57.7	70.9	76.8	79.1	91.3	98.0	101.0
3. Length of State Highways													
Total[a]	Thousand Km.	na	na	56.8	94.4	127.3	132.1	163.9	164.4	169.2	170.8	167.1	176.2
Surfaced	Thousand Km.	na	na	51.7	90.3	124.8	129.9	161.9	163.0	167.2	169.0	165.3	170.2
4. No. of Registered vehicles													
All vehicles	Thousand	306.0	665.0	1865.0	5391.0	21374.0	54991.0	141866.0	159491.0	176044 (R)	190704	210023	229917 (P)
Goods vehicles	Thousand	82.0	168.0	343.0	554.0	1356.0	2948.0	7064.0	7658.0	8307 (R)	8698	9344	10495 (P)
Buses*	Thousand	34.0	57.0	94.0	162.0	331.0	634.0	1604.0	1677.0	1814.0 (R)	1887	1971	1748 (P)
5. Revenue realised from Road Transport													
Central	₹Crore	34.8	111.7	451.8	930.9	4596.0	23861.0	75453.2	75572.5	90931.2 (R)	89084.1	109941	199659.7 (P)
States	₹Crore	12.6	55.2	231.4	750.4	3259.6	12901.7	45992.4	55161.1	50602.7 (R)	56749.8	61230.7	70938.9 (P)

Source: Ministry of Road Transport & Highways

1. Basic Road Statistics of India 2015-16

2. Road Transport Year Book 2015-16 (under compilation)

Notes:

a : Includes rural roads constructed under Jawahar Rojgar Yojna as on 31st March, 1996. na : Not available

*: Included omni buses.

P: Provisional

R: Revised

Table 1.29. Growth of Civil Aviation

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Total fleet strenght (number)																	
(i) Air India	13	11	18	24	26	38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Indian Airlines	88	73	45	56	44	55	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Air India Ltd. (Erstwhile national Aviation Company of India Ltd)	-	-	-	-	-	-	-	108	103	109	106	94	93	96	101	107	111
(iv) Alliance Air	-	-	-	-	12	15	15	20	16	17	14	11	11	8	10	11	10
(v) Air India Express	-	-	-	-	-	4	13	18	21	25	NR	21	21	21	17	18	23
(vi) Other Pvt Scheduled Airlines	-	-	-	-	37	131	183	235	238	232	220	229	253	273	279	312	349
2. Revenue tonne-Kilometers (million)																	
(i) Air India	109.4	275.2	980.1	1342.7	1456.5	2364.0	2220.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Indian Airlines	82.4	202.1	400.3	697.6	738.0	1589.0	1233.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Air India Ltd. (Erstwhile national Aviation Company of India Ltd)	-	-	-	-	-	-	-	3460.0	3191.0	3535.0	3682.0	3704.4	3346.3	3910.0	4196.0	4363.7	4739.0
(iv) Alliance Air	-	-	-	-	131.0	73.0	55.0	40.0	29.0	38.0	36.0	30.2	26.6	22.7	18.0	20.2	29.4
(v) Air India Express	-	-	-	-	-	113.0	270.0	435.0	553.0	576.0	547.0	538.0	507.9	620.5	541.4	672.2	856.2
(vi) Other Pvt Scheduled Airlines	-	-	-	-	441.9	1789.0	2901.0	4173.6	4684.5	5338.6	6499.1	7673.0	7020.8	7280.8	8267.2	9607.2	11404.6
(vii) Dedicated Private Freighter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114314.5	113865.0	123876.0	131155.5
(viii) Total (Other Pvt Scheduled Airlines+ Dedicated Private Freighter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121595.3	122132.2	133483.2	142560.1
3. Number of passengers carried (lakh)																	
(i) Air India	1.3	4.9	14.2	21.6	31.9	43.6	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Indian Airlines	7.9	21.3	54.3	78.7	58.9	78.2	85.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Contd....

Table 1.29. Growth of Civil Aviation

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(iii) Air India Ltd. (Erstwhile national Aviation Company of India Ltd)	-	-	-	-	-	-	-	132.1	104.0	117.7	128.3	136.1	141.8	154.1	172.6	184.8	196.0
(iv) Alliance Air	-	-	-	-	18.6	10.1	8.2	5.4	3.2	4.6	5.0	4.7	3.9	3.6	3.1	4.0	6.3
(v) Air India Express	-	-	-	-		4.9	7.3	17.1	22.4	25.0	23.8	23.0	21.6	26.7	25.8	27.8	34.2
(vi) Other Pvt Scheduled Airlines	-	-	-	-	54.2	180.7	289.6	380.3	365.7	422.2	512.9	588.3	548.5	580.0	672.6	821.6	1009.2
4. Passengers handled at (lakh)																	
AAI Airports	na	na	107.4	177.2	390.4	733.4	-	-	-	508.7	596.4	684.0	683.9	716.5	1112.4	931.5	1132.8
Joint venture Interntl.Airports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.8	837.9	939.1	910.1	972.7	788.9	1307.9	1516.8
Total at Indian Airports	na	na	107.4	177.2	390.4	733.4	-	-	-	1237.6	1434.3	1623.1	1594.0	1689.2	1901.3	2239.5	2649.6
5.Cargo handled at (thousand tonnes)																	
AAI Airports	na	na	178.7	377.33	797.41	1397.3	659.8	493.6	497.7	593.0	727.0	703.4	650.4	636.5	681.6	724.5	808.7
Joint venture Interntl.Airports			-	-	-	-	891.0	1220.8	1199.6	1366.8	1621.9	1576.6	1540.1	1641.4	1846.0	1980.0	2169.6
Total at Indian Airports	na	na	178.7	377.33	797.41	1397.3	1550.9	1714.5	1697.3	1959.7	2348.9	2280.0	2190.6	2277.9	2527.6	2704.5	2978.3

Source : Directorate General of Civil aviation : Airport Authority of India
Notes:
*: Fleet figure for the year 2016-17 are provisional
na : Not Available
NR: Not Reported

Table 1.30. Commodity Balance of Petroleum and Petroleum Products

(Million Tonnes)

Item	1950-51[a]	1960-61[a]	1970-71[a]	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I. Crude Oil													
1. Refinery throughput	0.3	6.6	18.4	25.8	51.8	103.4	197.0	204.1	219.2	222.5	223.2	232.9	245.3
2. Domestic production	0.3	0.5	6.8	10.5	32.2	32.4	37.7	38.1	37.9	37.8	37.4	36.9	36.0
(a) On-shore	0.3	0.5	6.8	5.5	11.8	11.8	16.4	18.0	19.4	19.6	18.5	17.8	17.6
(b) Off-shore	...	...	...	5.0	20.4	20.6	21.3	20.1	18.4	18.2	18.9	19.0	18.4
3. Imports	na	6.0	11.7	16.2	20.7	74.1	163.6	171.7	184.8	189.2	189.4	202.8	213.9
4. Exports	na	na	na	na	na	na	na	-	-	-	-	-	-
5. Net Imports (3-4)	na	na	na	na	na	na	na	171.7	184.8	189.2	189.4	202.8	213.9
II. Petroleum Products													
1. Domestic consumption[b]	3.3	7.7	17.9	30.9	55.0	100.1	141.0	148.1	157.1	158.4	165.5	184.7	194.6
of which													
(a) Naphtha	...	...	0.9	2.3	3.4	11.7	10.7	11.2	12.3	11.3	11.0	13.3	13.2
(b) Kerosene	0.9	2.0	3.3	4.2	8.4	11.3	8.9	8.2	7.5	7.2	7.0	6.8	5.4
(c) High speed diesel oil	0.2	1.2	3.8	10.3	21.1	37.9	60.1	64.8	69.1	68.4	69.4	74.6	76.0
(d) Fuel oils	0.9	1.7	4.7	7.5	9.0	12.7	10.8	9.3	7.7	6.2	6.0	6.6	7.2
2. Domestic production[c]	0.2	5.7	17.1	24.1	48.6	95.6	194.8	203.2	217.7	220.8	221.1	231.9	243.5
of which													
(a) Naphtha	na	...	1.2	2.1	4.9	9.9	19.2	18.8	19.0	18.5	17.3	17.9	19.9
(b) Kerosene	na	0.9	2.9	2.4	5.5	8.7	7.8	7.9	8.0	7.4	7.5	7.5	6.0
(c) High speed diesel oil	na	1.1	3.8	7.4	17.2	39.1	78.1	82.9	91.1	93.8	94.4	98.6	102.4
(d) Fuel oils	na	1.6	4.1	6.1	9.4	11.4	20.5	18.4	15.1	13.4	11.9	9.7	9.9
3. Imports[a]	3.1	2.5	1.1	7.3	8.7	9.3	17.4	15.8	16.4	16.7	21.3	29.4	36.3
4. Exports	na	na	0.3	…	2.7	8.4	59.1	60.8	63.4	67.9	63.9	60.5	65.5
5. Net Imports (3-4)	na	na	0.8	7.3	6.0	0.9	-41.7	-45.0	-47.6	-51.1	-42.6	-31.0	-29.2

Source: Ministry of Petroleum and Natural Gas.

Notes:

*: Provisional

a: Excluding Import of LNG

b: Excluding refinery fuel consumption. Including import by private parties.

c: Including Production of Petroleum Products from Fractionators

na: Not Available

Table 1.31. Index of Industrial Production (Base 2011-12)

Industry Group (NIC 2008)	Industry	Weight	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	General Index	100.00	103.3	106.7	111.0	114.7	120.0
	Mining	14.37	94.7	94.6	93.3	97.3	102.5
	Manufacturing	77.63	104.8	108.6	112.7	115.9	121.0
10	Manufacture of food products	5.30	103.3	104.6	110.9	104.7	98.9
11	Manufacture of beverages	1.04	106.7	104.8	108.2	109.7	106.3
12	Manufacture of tobacco products	0.80	107.5	116.4	131.1	136.3	115.9
13	Manufacture of textiles	3.29	108.0	112.6	116.9	119.4	117.4
14	Manufacture of wearing apparel	1.32	99.0	114.8	114.4	131.0	151.7
15	Manufacture of leather and related products	0.50	110.6	113.0	123.0	123.6	122.3
16	Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials	0.19	97.0	94.6	95.3	97.5	93.1
17	Manufacture of paper and paper products	0.87	103.3	114.2	115.1	116.5	114.0
18	Printing and reproduction of recorded media	0.68	96.8	105.8	100.0	103.8	106.0
19	Manufacture of coke and refined petroleum products	11.77	105.9	108.0	108.6	113.7	119.1
20	Manufacture of chemicals and chemical products	7.87	103.9	108.8	109.2	113.7	116.5
21	Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products	4.98	108.1	114.3	116.9	132.1	172.3
22	Manufacture of rubber and plastics products	2.42	101.0	112.4	117.7	118.3	120.5
23	Manufacture of other non-metallic mineral products	4.09	102.9	103.1	108.2	110.4	109.9
24	Manufacture of basic metals	12.80	107.8	112.5	123.5	124.3	130.6
25	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2.65	97.0	101.5	105.9	103.4	105.5
26	Manufacture of computer, electronic and optical products	1.57	100.6	115.2	117.6	123.6	126.7
27	Manufacture of electrical equipment	3.00	113.0	117.4	122.0	128.4	122.6
28	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.	4.77	102.9	103.3	102.6	105.9	114.1
29	Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers	4.86	100.1	99.1	102.6	101.1	101.7
30	Manufacture of other transport equipment	1.78	99.2	103.5	110.0	112.5	117.5
31	Manufacture of furniture	0.13	112.9	125.4	115.6	163.9	176.2
32	Other manufacturing	0.94	113.1	105.2	105.7	119.9	125.6
	Electricity	7.99	104.0	110.3	126.6	133.8	141.6

Source: Central Statistics Office, MOSPI

Table 2.1. Budgetary Transactions of the Central and State Governments and Union Territories* (Including internal and extra-budgetary resources of public sector undertakings for their plans)

(₹ crore)

	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. Total Outlay	36845	176548	615658	2396419	2725009	3021229	3372982	3885473	3843346	3838558
A. Development[1]	24426	105922	317464	1385265	1605787	1782915	1935977	2226539	2180981	2018434
B. Non-Development	12419	70626	298194	1011154	1119222	1238314	1437005	1658934	1662365	1820124
1. Defence (net)	3600	15427	49622	154117	170913	181776	203499	229000	222370	246727
2. Interest payments	2957	25006	122792	351145	403235	457550	537468	615553	599570	670904
3. Tax collection charges	504	1973	6570	20205	22971	26489	29995	35626	34592	37292
4. Police	1163	5657	21343	77103	89815	101881	115217	132175	134442	146244
5. Others[2]	4195	22563	97867	408584	432288	470618	550826	646580	671391	718957
II. Current Revenue	24563	110607	393284	1720242	1842477	2116869	2393750	2783477	2630510	2947996
A. Tax Revenue	19844	87723	305320	1271665	1467890	1716117	1879143	2238115	2098175	2419085
1. Income and corporation tax	2817	10712	67460	437790	487341	553170	632548	729283	698689	791467
2. Customs	3409	20644	47542	135813	149328	165346	172085	201819	188713	208336
3. Union excise duties	6500	24514	68526	137701	144901	175845	169455	206356	184731	229054
4. Sales tax	4018	18228	72874	293256	361332	422578	475131	561597	544256	622856
5. Others	3100	13625	48918	267105	324988	399178	429924	539060	481786	567372
B. Non-Tax Revenue[3]	4719	22884	87964	448577	374587	400752	514607	545362	532335	528911
(Internal resources of public sector undertakings for the Plan)	(1374)	(11183)	(39415)	(184323)	(202717)	(196771)	(237848)	(231445)	(211014)	(176778)
III. Gap (I-II)	12282	65941	222374	676177	882533	904360	979232	1101996	1212836	890562
Financed By:										
IV Net Capital Receipts (A+B)	8831	54455	223283	684695	785377	927020	973545	1090298	1125810	855414
A. Internal (net)	7161	50192	214965	658466	769967	917508	962635	1082159	1113294	842467
1. Net market loans[4]	3163	11308	85341	445433	603608	673820	701972	700997	695693	456405
2. Net small savings	1121	8309	8192	3950	19078	11934	33283	9533	4983	23836
3. Net State and public provident funds	558	3887	23661	26131	17894	26303	17559	41674	20320	36540
4. Special deposits of non-Government provident funds	604	6721	7177	0	0	0	0	0	0	0
5. Special borrowings from RBI against compulsory deposits	-70	-105	na	na	na	na	na	na	na	na
6. Net misc. capital receipts[5]	1785	20072	90594	182952	129387	205451	209821	329955	392298	325686
B. External[6]	1670	4263	8318	26229	15410	9512	10910	8139	12516	12947
1. Net loans	749	3181	7505	23556	12448	7201	7292	5734	9705	11173
(i) Gross	1141	5339	17328	35330	26034	23309	25416	28175	30407	34373
(ii) Less repayments	392	2158	9823	11774	13586	16108	18124	22441	20702	23200
2. Grants	436	586	813	2673	2962	2311	3618	2405	2811	1774
3. Net special credit	-53	-76	0							
V. Overall Budgetary Deficit	3451	11486	-909	-8517	97153	-22658	5689	11697	87026	35147

Source : Economic Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance

Notes:

na Not Available RE : Revised Estimates BE : Budget Estimates

* Figures could not be furnished beyond BE (2015-16) as they are under consistency check.

1. Includes plan expenditure of Railways, Communications and non-departmental commercial undertakings financed out of their internal and extra budgetary resources, including market borrowings and term loans from financial institutions to State Government public enterprises. Also includes developmental loans given by the Central and State Governments to non-departmental undertakings, local bodies and other parties. However, it excludes a notional amount of ₹ 45 crore in 1980-81 on account of conversion of loan capital given to non-departmental commercial undertakings into equity capital.
2. Includes general administration, pensions and ex-gratia payments to famine relief (only non-plan portion), subsidies on food and controlled cloth, grants and loans to foreign countries and loans for non-developmental purpose to other parties, but excludes Contingency Fund transactions. It also excludes notional transactions in respect of subscriptions to International Monetary Fund of ₹ 559 crore in 1980-81, ₹ 550 crore in 1990-1991, ₹ 629 crore in 2000-2001, ₹ 9051 crore in 2010-11, ₹ 1613 crore in 2011-12, ₹ 4323 crore in 2012-13, ₹ 367 crore in 2013-14, ₹ 4846 crore in 2014-15 (RE) and ₹ 35 crore in 2015-16 (BE).
3. Includes internal resources of Railways, Communications and non-departmental commercial undertakings for the plan.
4. Includes market borrowings of State Government public enterprises.
5. Excludes the notional receipts on account of repayments of loans by non-departmental commercial undertakings due to their conversion into equity capital. It also excludes notional transactions in respect of International Monetary Fund and Contingency Fund transactions.
6. ₹ 538 crore for loans from IMF Trust Fund are included in 1980-81 under external loans and an amount of ₹ 572 crores for revolving fund is included in External loans for 1990-91.

Table 2.2. Total Expenditure of the Central Government*

(₹ crore)

	Final outlays			Transfer payments to the rest of the economy			Financial investments & loans to the rest of the economy (gross)	Total expenditure (4+7+8)
	Governmen consumption expenditure	Gross capital formation	Total (2+3)	Current	Capital	Total (5+6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
First Plan (1951-52 to 1955-56)	1241	612	1854	809	123	932	966	3751
Second Plan (1956-57 to 1960-61)	1962	1445	3406	1567	249	1816	2600	7823
Third Plan (1960-61 to 1965-66)	4256	2445	6701	2983	501	3484	5076	15261
Annual Plan (1966-67 to 1968-69)	3878	1243	5121	3214	407	3621	4740	13481
Fourth Plan (1969-70 to 1973-74)	9775	2969	12745	8036	1454	9490	10760	32994
Fifth Plan (1974-75 to 1978-79)	17576	5951	23527	19773	3230	23003	21145	67674
Sixth Plan (1980-81 to 1984-85)	35885	14823	50708	50604	9910	60514	47034	158256
Seventh Plan (1985-86 to 1989-90)	81974	31616	113590	134246	26292	160538	89764	363892
Eighth Plan (1992-93 to 1996-97)	179676	73599	253275	387746	66433	454179	127752	835206
Ninth Plan (1997-98 to 2001-02)	331143	100568	431711	795621	106925	902546	150754	1485011
Tenth Plan (2002-03 to 2006-07)	516165	144027	660192	1390293	185704	1575997	123921	2360110
Eleventh Plan (2007-08 to 2011-12)	1002126	284215	1286341	2946106	529055	3475161	212323	4973825
1950-51	235	80	315	111	6	117	72	504
1955-56	269	153	422	203	49	251	301	975
1960-61	433	307	740	427	69	495	570	1806
1965-66[a]	1109	520	1630	754	132	886	1425a	3940a
1970-71	1669	519	2189	1239	193	1432	1956	5577
1975-76	3449	1204	4654	3018	536	3553	3830	12037
1980-81	5174	1908	7082	6912	1302	8214	7200	22495
1985-86	11210	4558	15768	18347	3825	22173	15172	53112
1990-91	22359	8602	30961	45134	7117	52251	21760	104973
1993-94[b]	31815	12765	44580	66750	11811	78560	22648	145788
1995-96	41881	16685	58566	85304	15263	100566	26101	185233
1997-98[c]	53090	18955	72046	111577	17360	128937	23884	224866
2000-01	71977	22258	94235	183696	22404	206100	27929	328265
2005-06	116305	34450	150755	297267	41681	338948	11380	501083

Contd....

Table 2.2. Total Expenditure of the Central Government*

(₹ crore)

	Final outlays			Transfer payments to the rest of the economy			Financial investments & loans to the rest of the economy (gross)	Total expenditure (4+7+8)
	Governmen consumption expenditure	Gross capital formation	Total (2+3)	Current	Capital	Total (5+6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010-11	230262	65059	295321	656300	150312	806612	62795	1164728
2011-12	255498	65041	320539	756885	141353	898238	44439	1263216
2012-13	271119	74747	345866	851208	130771	981979	46902	1374747
2013-14	306898	74940	381838	940445	144129	1084574	44552	1510964
2014-15(RE)	335838	87518	423356	1010460	15541	1026001	47659	1497016
2015-16(BE)	373276	108683	481959	1049553	133317	1182870	46811	1711640

Source : Ministry of Finance, Economic & Functional Classification of the Central Governmet Budget-various issues

Notes:

RE : Revised Estimates BE : Budget Estimates

* Figure could not be furnised beyond BE (2015-16) as they are under consistency check.

a : For 1965-66, includes ₹ 53 crore as additional payments to IMF, IBRD, IDA & ADB following the change in the par value of the rupee. This is a nominal outlay as it is met by the issue of non-negotiable Government of India securities.

b : From 1993-94 onwards, Delhi is not included.

c : From 1997-98 onwards loans to States/UTs are exclusive of loans against States/UTs shares in small saving collections.

Table 2.3. Financial Performance of Indian Railways

(₹ crore)

	1980-81	1990-91	2001-02	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (BE)	2017-18 (upto Sept. 2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Gross traffic receipts	2624	12096	37837	94536	139558	156711	164334	165292	188999	78735
(i) Passenger coaching	827	3147	11197	25793	36532	42190	44283	46280	50125	24434
(ii) Other coaching	116	336	872	2470	3679	3998	4371	4312	6494	2188
(iii) Goods	1618	8408	24845	62845	93906	105791	109208	104339	118157	52121
(iv) Other earnings	82	242	944	3418	5721	5093	5929	10368	14123	1776
(v) Suspense account	-19	-37	-21	10	-280	-361	543	-7	100	-1784
2. Working expenses	2537	11154	36293	89474	130321	142996	147836	159030	178350	96836
(i) Ordinary working expenses	2233	8234	28703	68139	97571	105996	107736	118830	129750	72536
(ii) Appropriations to depreciation reserve fund	220	1950	2000	5515	7900	7775	5600	5200	5000	2500
(iii) Appropriation to pension fund	84	970	5590	15820	24850	29225	34500	35000	43600	21800
3. Net traffic receipts (1-2)	87	942	1544	5062	9237	13715	16498	6262	10649	-18101
4. Net miscellaneous receipts	40	171	793	1285	2512	3124	2731	-1350	-1700	-699
5. Net revenues (3+4)	127	1113	2337	6347	11749	16839	19229	4912	8949	-18800
6. Dividend										
(i)Payable to general revenues	325	938	2337	4941	8009	9174	8723	***	***	***
(ii) Payment of Deferred Dividend										
(iii) Deferred dividend	0	0	1000							
(iv)Net dividend payable	325	938	1337	4941	8009	9174	8723			
7. Surplus (+) or deficit (-)	-198	175	1000	1406	3740	7665	10506	4912	8949	-18800
8. (i) Capital at charge	6096	16126	37757	130540	170168	197992	224685	249008	293301	263103
(ii) Investment from capital fund	0	0	10390	38676	38676	44125	50450	53450	59450	59253
(iii) Total[(i)+(ii)]	6096	16126	48147	169216	208844	242117	275135	302458	352751	322356
9. Item 5 as % of item 8(iii)	2.1	6.9	4.9	3.8	5.6	7.0	7.0	1.6	2.5	-5.8
10. Item 7 as % of item 8(iii)	-3.2	1.1	2.1	0.8	1.8	3.2	3.8	1.6	2.5	-5.8

Source : Ministry of Railways
Notes:
BE : Budget Estimates
*** Dividend payment has been done away with as per Budget merger conditions and hence no dividend payment from 2017-18

Table 2.4. Financial Performance of the Department of Posts

(₹ crore)

	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Gross receipts	278	840	3298	6962	9367	10730	11636	12940	11511
2. Net working expenses	346	1033	4848	13308	14792	16204	17895	18947	23481
3. Net receipts (1-2)	-68	-193	-1550	-6346	-5425	-5474	-6259	-6007	-11970
4. Dividend to general revenues	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Surplus(+)/deficit (-) (3-4)	-72	-193	-1550	-6346	-5425	-5474	-6259	-6007	-11970

Source : Department of Posts, Ministry of Communications

Table 2.5. Receipts and Expenditure of the Central Government

(₹ crore)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (BE)	2016-17 (RE)	2016-17 (P)	2016-17 (A)	2017-18 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.Revenue receipts (a+b)	572811	788471	751437	879232	1014724	1101473	1195025	1377022	1423563	1376284	1375956	1515771
(a). Tax revenue (net of States' share)	456536	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1054101	1088793	1102063	1101372	1227014
(b). Non-tax revenue	116275	218602	121672	137355	198870	197858	251260	322921	334770	274221	274584	288757
2 . Revenue expenditure	911809	1040723	1145785	1243514	1371772	1466992	1537761	1731038	1734561	1684556	1692986	1836933
of which:												
(a) Interest payments	213093	234022	273150	313170	374254	402444	441659	492670	483069	480519	480714	523078
(b) Major subsidies	134658	164516	211319	247493	244717	249016	241833	231782	232705	206586		240339
(c) Defence expenditure	90669	92061	103011	111277	124374	136807	145937	162759	170374	172737		175862
3. Revenue deficit (2-1)	338998	252252	394348	364282	357048	365519	342736	354016	310998	308272	317030	321162
4. Capital receipts	451676	408856	552929	531140	544724	562200	595758	601038	590845	598571	603312	630964
of which:												
(a) Recovery of loans	8613	12420	18850	15060	12497	13738	20835	10634	11071	15755	17770	11932
(b) Other receipt (mainly PSU disinvestment)	24581	22846	18088	25890	29368	37737	42132	56500	45500	47748	47743	72500
(c) Borrowings and other liabilities$	418482	373590	515991	490190	502859	510725	532791	533904	534274	535068	537799	546532
5. Capital expenditure	112678	156604	158580	166858	187675	196681	253022	247024	279847	290299	286282	309801
6. Non Debt Receipts [1+4(a)+4(b)]	606005	823737	788375	920182	1056589	1152948	1257992	1444156	1480134	1439787	1441469	1600203
7. Total expenditure [2+5=7(a)+7(b)]	1024487	1197327	1304365	1410372	1559447	1663673	1790783	1978062	2014408	1974855	1979268	2146734
of which:												
(a) Plan expenditure	303391	379029	412375	413625	453327	462644	471083	550010		572106		
(b) Non-plan expenditure	721096	818298	891990	996747	1106120	1201029	1319700	1428050		1402749		
8. Fiscal deficit [7-1-4(a)-4(b)]	418482	373590	515990	490190	502858	510725	532791	533906	534274	535068	537799	546531
9. Primary deficit [8-2(a)]	205389	139568	242840	177020	128604	108281	91132	41236	51205	54549	57085	23453
Memorandum items												
(a) Interest receipts	21784	19734	20252	20761	21868	23804	25379	29620	18149	16288		19021
(b) Non-plan revenue expenditure	657925	726491	812049	914306	1019040	1109394	1210587	1327408		1297721		

Source: Union Budget documents and Controller General of Accounts.

Notes:

BE: Budget Estimates P: Provisional Actuals (Unaudited) A: Actuals

$: Does not include receipts in respect of Market Stabilization Scheme, which will remain in the cash balance of the Centeral Government and will not be used for expenditure.

Table 2.6. Receipts and Expenditure of the Central Government

(As per cent to GDP)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (BE)	2016-17 (RE)	2016-17 (P)	2016-17 (A)	2017-18 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.Revenue receipts (a+b)	8.8	10.1	8.6	8.8	9.0	8.9	8.7	9.1	9.4	9.1	9.1	9.0
(a). Tax revenue (net of States' share)	7.0	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3
(b). Non-tax revenue	1.8	2.8	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	2.1	2.2	1.8	1.8	1.7
2 . Revenue expenditure	14.1	13.4	13.1	12.5	12.2	11.8	11.2	11.5	11.5	11.1	11.2	10.9
of which:												
(a) Interest payments	3.3	3.0	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1
(b) Major subsidies	2.1	2.1	2.4	2.5	2.2	2.0	1.8	1.5	1.5	1.4		1.4
(c)Defence expenditure	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		1.0
3. Revenue deficit (2-1)	5.2	3.2	4.5	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3	2.1	2.0	2.1	1.9
4. Capital receipts	7.0	5.3	6.3	5.3	4.8	4.5	4.4	4.0	3.9	3.9	4.0	3.7
of which:												
(a) Recovery of loans	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
(b) Other receipt (mainly PSU disinvestment)	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
(c) Borrowings and other liabilities$	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2
5. Capital expenditure	1.7	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.8
6. Non Debt Receipts [1+4(a)+4(b)]	9.4	10.6	9.0	9.3	9.4	9.3	9.2	9.6	9.8	9.5	9.5	9.5
7. Total expenditure [2+5=7(a)+7(b)]	15.8	15.4	14.9	14.2	13.9	13.4	13.1	13.1	13.4	13.0	13.0	12.7
of which:												
(a) Plan expenditure	4.7	4.9	4.7	4.2	4.0	3.7	3.4	3.7		3.8		
(b) Non-plan expenditure	11.1	10.5	10.2	10.0	9.8	9.7	9.6	9.5		9.2		
8.Fiscal deficit [7-1-4(a)-4(b)]	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2
9.Primary deficit [8-2(a)]	3.2	1.8	2.8	1.8	1.1	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1

Source: Union Budget documents and Controller General of Accounts.

Notes:

BE: Budget Estimates P: Provisional Actuals (Unaudited) A: Actuals

$: Does not include receipts in respect of Market Stabilization Scheme, which will remain in the cash balance of the Centeral Government and will not be used for expenditure.

Table 2.7. Outstanding Liabilities of the Central Government

(End-March) (₹ crore)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (RE)	2017-18 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Internal liabilities#	3036132	3395877	3781135	4347164	4893303	5484848	6045007	6691709	7215739	7722082
(a) Internal debt	2019841	2328339	2667115	3230622	3764566	4240767	4738291	5304835	5731392	6180027
i) Market borrowings	1338194	1746619	2072033	2516953	2984309	3441641	3891734	4298784	4647492	5006718
ii) Others	681647	581720	595082	713669	780257	799126	846557	1006051	1083900	1173309
(b) Other Internal liabilities	1016291	1067538	1114020	1116542	1128737	1244081	1306716	1386874	1484347	1542055
2. External debt(outstanding)*	123046	134083	157639	170088	177289	184581	197514	210262	225135	240924
3. Total outstanding liabilities (1+2)	3159178	3529960	3938774	4517252	5070592	5669429	6242521	6901971	7440874	7963006
4. Amount due from Pakistan on account of share of pre-partition debt	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5. Net liabilities (3-4)	3158878	3529660	3938474	4516952	5070292	5669129	6242221	6901671	7440574	7962706
Memorandum items										
(a) External debt@	264059	249306	278877	322897	332004	374483	366191	406586	408118	423907
(b) Total outstanding liabilities(adjusted)	3300191	3645183	4060012	4670061	5225307	5859331	6411198	7098295	7623857	8145989
(c) Internal liabilities(Non-RBI)##	2707846	3087360	3464858	3904022	4396810	4984590	5540570	6139580	6646470	7161810
(d) Outstanding liabilities (Non-RBI)##	2971905	3336666	3743735	4226919	4728814	5359073	5906761	6546166	7054588	7585717
(e) Contingent liabilities of Central Government	113335	137460	151292	190519	233769	249503	294700	343762	n.a.	n.a.
(f) Total assets	1569043	1607544	1794504	1927143	2080649	2253627	2464424	2773756	3022919	3275837
(As per cent of GDP)										
1. Internal liabilities#	53.9	52.4	48.6	49.8	49.2	48.8	48.6	48.9	47.9	45.8
a) Internal debt	35.9	35.9	34.3	37.0	37.9	37.8	38.1	38.8	38.0	36.7
i) Market borrowings	23.8	27.0	26.6	28.8	30.0	30.6	31.3	31.4	30.8	29.7
ii) Others	12.1	9.0	7.6	8.2	7.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.0
b) Other Internal liabilities	18.1	16.5	14.3	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.8	9.2
2. External debt(outstanding)*	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
3. Total outstanding liabilities (1+2)	56.1	54.5	50.6	51.7	51.0	50.5	50.2	50.4	49.4	47.3

Source: Union Budget Documents and CAA & A

Notes:

n.a. : Not Available

* : External debt figures represent borrowings by Central Government from external sources and are based upon historical rates of exchange

@ : The external debt figures at current exchange rates are taken from Controller of Aid, Account and Audit Division, Ministry of Finance.

For 2017-18(BE), the Net external assistance in 2017-18 has been added to outstanding stock at end-March 2017.

: Internal debt includes net borrowing of , ₹ 88,773 crore for 2008-09,₹ 2,737 crore for 2009-10

: This includes marketable dated securties held by the RBI

RE: Revised Estimates

BE: Budget Estimates

Table 2.8. Total Expenditure and Capital Formation by the Central Government and its Financing*
(As per economic and functional classification of the Central Government budget)

(₹ crore)

		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Total expenditure	688908	864530	992440	1164727	1263216	1374747	1510964	1636916	1711641
II.	Gross capital formation out of budgetary resources of Central Government	143892	136935	184501	256368	234969	230792	242877	260955	262192
	(i) Gross capital formation by the Central Government	43652	51464	58999	65059	65041	74747	74940	87518	108683
	(ii) Financial assistance for capital formation in the rest of the economy	100240	85471	125502	191309	169928	156045	167937	173437	153509
III.	Gross saving of the Central Government	13674	-176082	-232452	-103270	-267428	-241090	-238268	-221961	-275055
IV.	Gap(II-III)	130218	313017	416953	359638	502397	471882	481145	482916	537247
	Financed by									
a.	Draft on other sectors of domestic economy	118180	299208	402774	333409	486987	462370	470235	470399	524300
	(i) Domestic capital receipts	145351	246612	404160	326979	502977	513382	489406	486071	512259
	(ii) Budgetary deficit/draw down of cash balance	-27171	52596	-1386	6430	-15990	-51012	-19171	-15672	12041
b.	Draft on foreign savings	12038	13809	14179	26229	15410	9512	10910	12517	12947
	(percentage increase over previous year)									
II.	Gross capital formation out of budgetary resources of Central Government	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	-1.8	5.2	7.4	0.5
	Memorandum items	**(₹ crore)**								
1	Total expenditure	688908	864530	992440	1164727	1263216	1374747	1510964	1636916	1711641
2	Gross capital formation out of budgetary resources of Central Government	143891	136935	184501	256368	234969	230792	242877	260955	262192
3	Consumption expenditure	131396	174345	210625	230262	255498	271119	306898	335838	373276
4	Current transfers	408676	543347	580898	656300	756885	851208	940445	1010460	1049553
5	Others	4945	9903	16417	21798	15864	21628	20744	29663	26620
	(Growth rate in per cent)									
1	Total expenditure	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	8.8	9.9	8.3	4.6
2	Gross capital formation out of budgetary resources of Central Government	63.7	-4.8	34.7	39.0	-8.3	-1.8	5.2	7.4	0.5
3	Consumption expenditure	8.0	32.7	20.8	9.3	11.0	6.1	13.2	9.4	11.1
4	Current transfers	14.6	33.0	6.9	13.0	15.3	12.5	10.5	7.4	3.9
5	Others	19.7	100.3	65.8	32.8	-27.2	36.3	-4.1	43.0	-10.3
	(Point contribution in per cent)									
1	Total expenditure	20.8	25.5	14.8	17.4	8.5	8.8	9.9	8.3	4.6
2	Gross capital formation out of budgetary resources of Central Government	9.8	-1.0	5.5	7.2	-1.8	-0.3	0.9	1.2	0.1
3	Consumption expenditure	1.7	6.2	4.2	2.0	2.2	1.2	2.6	1.9	2.3
4	Current transfers	9.1	19.5	4.3	7.6	8.6	7.5	6.5	4.6	2.4
5	Others	0.1	0.7	0.8	0.5	-0.5	0.5	-0.1	0.6	-0.2

Source: Ministry of Finance, An Economic and Functional classification of the Central Government Budget-various issues

Notes:

RE: Revised Estimates BE: Budget Estimates

* : Figure could not be furnised beyond BE (2015-16) as they are under consistency check.

1. Gross capital formation in this table includes loans given for capital formation on a gross basis. Consequently domestic capital receipts include loan repayments to the Central Government.
2. Consumption expenditure is the expenditure on wages and salaries and commodities and services for current use.
3. Interest payments, subsidies, pension etc. are treated as current transfers.
4. Gross capital formation & total expenditure are exclusive of loans to States'/UTs' against States'/UTs' share in the small savings collection.
5. The figures of total expenditure of the Central Government as per economic and functional classification do not tally with figures given in the Budget documents. In the economic and functional classification, interest transfered to DCUs, loans written off etc, are excluded from the current account. In the capital account, expenditure financed out of Railways, Posts &Telecommunications' own funds etc, are included.
6. Point contribution refers to contribution of individual component to total growth.

Table 2.9. Receipts and disbursements of State and consolidated General Government

(₹ Crore)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (RE)	2017-18 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
State Governments									
I. Total Receipts (A+B)	1007634	1173575	1367917	1557338	1688047	2008065	2042804	2363610	2529682
A. Revenue Receipts (1+2)	768137	935347	1098531	1252024	1369187	1591583	1534969	1856860	2091757
1. Tax Receipts	528075	680198	812987	946081	1030692	1117113	1131676	1302954	1479653
of which									
States' Own Tax Revenue	363061	460709	557395	654550	712419	779277	729780	821936	929189
2. Non-tax Receipts	240062	255149	285544	305943	338495	474470	403293	553906	612103
of which									
Interest Receipts	15294	15625	18582	24118	27215	24135	17175	20693	15572
B. Capital Receipts	239497	238227	269385	305314	318860	416482	507834	506750	437926
of which									
Recovery of Loans and Advances	8088	4995	17157	7265	6895	18916	6204	11262	49063
II. Total Disbursements (a+b+c)	1015330	1158730	1351612	1534255	1706144	2025782	1959122	2402342	2657528
a) Revenue	799154	932297	1074571	1231702	1379750	1637288	1549732	1905018	2082847
b) Capital	198689	207617	238150	272576	302402	358856	334434	431111	546981
c) Loans and Advances	17487	18816	38891	29976	23992	29638	74956	66213	27700
III. Revenue Deficit	31017	-3051	-23960	-20322	10563	45704	14763	48158	-8909
IV. Gross Fiscal Deficit	188819	161461	168353	195470	247852	327192	337210	439583	382956
General Government									
I. Total Receipts (A+B)	1845808	2153561	2454062	2769029	3001372	3189737	3448763	3981009	4255106
A. Revenue Receipts (1+2)	1210559	1578820	1692679	1971619	2211475	2387693	2450458	3035658	3351138
1. Tax Receipts	984611	1250067	1442752	1687959	1846545	2020728	2075442	2391747	2706667
2. Non-tax receipts	225948	328753	249927	283660	364930	366965	375016	643911	644471
of which:									
Interest receipts	25748	25078	28870	35543	40162	39622	34738	32208	27525
B. Capital Receipts	635249	574742	761383	797410	789897	802044	998305	945351	903968
of which:									
a) Disinvestment proceeds	25393	24087	18753	25991	29728	38883	43266	45930	72684
b) Recovery of loans & advances	11499	8206	25370	12929	9385	22072	15586	13603	51912
II. Total Disbursements (a+b+c)	1852119	2145145	2421768	2694934	3000299	3285210	3378260	4059968	4395796
a) Revenue	1580574	1828020	2063067	2315578	2579086	2798916	2807956	3394811	3663392
b) Capital	246246	268328	291818	328324	377545	426949	460822	528745	632221
c) Loans and Advances	25299	48797	66883	51031	43668	59345	109482	136412	100183
III. Revenue Deficit	370015	249200	370388	343959	367611	411223	357498	359153	312254
IV. Gross Fiscal Deficit	604668	534032	684966	684395	749711	836563	868951	964778	920062

Source: Reserve Bank of India

Notes:

RE: Revised Estimates BE: Budget Estimates

1. Negative (-) sign indicates surplus in deficit indicators.
2. The ratios to GDP at current market prices are based on CSO's National Accounts 2004-05 series and data from 2011-12 onwards are based on new base 2011-12.
3. Capital receipts include public accounts on a net basis.
4. Capital disbursements are exclusive of public accounts.
5. Data from 2015-16 onwards are provisional and pertain to budgets of 26th states.

Table 2.10. Receipts and disbursements of State and consolidated General Government

(As per cent to GDP)

Item	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (RE)	2017-18 (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
State Governments									
I. Total Receipts (A+B)	15.6	15.1	15.7	15.7	15.0	16.1	14.9	15.7	15.0
A. Revenue Receipts (1+2)	11.9	12.0	12.6	12.6	12.2	12.8	11.2	12.3	12.4
1. Tax Receipts	8.2	8.7	9.3	9.5	9.2	9.0	8.3	8.6	8.8
of which									
States' Own Tax Revenue	5.6	5.9	6.4	6.6	6.3	6.3	5.3	5.5	5.5
2. Non-tax Receipts	3.7	3.3	3.3	3.1	3.0	3.8	2.9	3.7	3.6
of which									
Interest Receipts	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
B. Capital Receipts	3.7	3.1	3.1	3.1	2.8	3.3	3.7	3.4	2.6
of which									
Recovery of Loans and Advances	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3
II. Total Disbursements (a+b+c)	15.7	14.9	15.5	15.4	15.2	16.3	14.3	15.9	15.8
a) Revenue	12.3	12.0	12.3	12.4	12.3	13.2	11.3	12.6	12.4
b) Capital	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.4	2.9	3.2
c) Loans and Advances	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	-0.1
III. Revenue Deficit	0.5	0.0	-0.3	-0.2	0.1	0.4	0.1	2.5	2.4
IV. Gross Fiscal Deficit	2.9	2.1	1.9	2.0	2.2	2.6	2.5	2.9	2.3
General Government									
I. Total Receipts (A+B)	28.5	27.7	28.1	27.8	26.7	25.6	25.2	26.4	25.3
A. Revenue Receipts (1+2)	18.7	20.3	19.4	19.8	19.7	19.2	17.9	20.1	19.9
1. Tax Receipts	15.2	16.1	16.5	17.0	16.4	16.2	15.2	15.9	16.1
2. Non-tax receipts	3.5	4.2	2.9	2.9	3.2	2.9	2.7	4.3	3.8
of which:									
Interest receipts	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
B. Capital Receipts	9.8	7.4	8.7	8.0	7.0	6.4	7.3	6.3	5.4
of which:									
a) Disinvestment proceeds	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
b) Recovery of loans & advances	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3
II. Total Disbursements (a+b+c)	28.6	27.6	27.7	27.1	26.7	26.4	24.7	26.9	26.1
a) Revenue	24.4	23.5	23.6	23.3	23.0	22.5	20.5	22.5	21.7
b) Capital	3.8	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.8
c) Loans and Advances	0.4	0.6	0.8	0.5	0.4	0.5	0.8	0.9	0.6
III. Revenue Deficit	5.7	3.2	4.2	3.5	3.3	3.3	2.6	2.4	1.9
IV. Gross Fiscal Deficit	9.3	6.9	7.8	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.5

Source: Reserve Bank of India.

Notes:

RE: Revised Estimates BE: Budget Estimates

1. Negative (-) sign indicates surplus in deficit indicators.
2. The ratios to GDP at current market prices are based on CSO's National Accounts 2004-05 series and data from 2011-12 onwards are based on new base 2011-12.
3. Capital receipts include public accounts on a net basis.
4. Capital disbursements are exclusive of public accounts.

Table 3.1. Employment in Organised Sectors—Public and Private (as on March 31, 2012)

(Lakh persons)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Public Sector							
By branch							
Central Government	28.6	28.0	27.4	26.6	25.5	24.6	25.2
State Governments	73.0	72.1	71.7	72.4	73.5	72.2	71.8
Quasi-Governments	59.1	58.6	58.0	58.4	58.7	58.1	58.0
Local bodies	21.2	21.3	19.7	20.7	20.9	20.5	21.1
Total	181.9	180.0	176.7	178.0	178.6	175.5	176.1
By industry							
Agriculture, hunting etc.	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7
Mining and quarrying	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8
Manufacturing	10.9	10.9	10.4	10.6	10.7	10.2	10.7
Electricity, gas and water	8.5	8.5	8.0	8.4	8.4	8.3	8.2
Construction	8.9	8.7	8.5	8.5	8.6	8.5	8.3
Wholesale and retail trade	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Transport, storage & communications	26.8	26.4	26.3	26.0	25.3	23.8	24.9
Finance, insurance, real estate etc.	13.9	13.7	13.5	13.6	14.1	13.6	13.6
Community, social & personal services	91.8	90.9	88.5	90.1	90.5	91.0	90.4
Total	178.7	176.9	172.8	174.8	175.1	172.7	173.3
2. Private Sector							
Argiculture, hunting etc.	10.3	9.5	9.9	9.0	9.2	9.2	9.2
Mining and quarrying	1.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.3	1.4
Manufacturing	45.5	47.5	49.7	52.0	51.8	54.0	55.3
Electricity, gas and water	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
Construction	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
Wholesale and retail trade	3.9	4.1	2.7	4.7	5.1	5.5	6.0
Transport, storage & communications	0.9	1.0	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1
Finance, insurance,real estate etc.	6.5	8.8	11.0	13.1	15.5	17.2	19.1
Community, social & personal services	18.8	19.5	21.7	20.2	21.4	23.5	24.5
Total	87.7	92.4	98.4	102.9	107.9	114.2	119.4
3. Public Sector							
Male	151.9	149.8	146.3	147.0	146.7	143.8	144.6
Female	30.0	30.2	30.4	30.9	32.0	31.7	31.5
Total	181.9	180.0	176.7	178.0	178.6	175.5	176.1
4. Private Sector							
Male	66.9	69.8	74.0	78.9	81.8	86.7	90.7
Female	21.2	22.9	24.7	25.0	26.6	27.8	29.0
Total	88.1	92.7	98.8	103.8	108.5	114.5	119.7
5. Public and Private Sector							
Male	218.7	219.6	220.4	225.9	228.5	230.5	235.3
Female	51.2	53.1	55.1	55.8	58.6	59.5	60.5
Total	269.9	272.8	275.5	281.7	287.1	290.0	295.8

Source: Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment

Notes:

1. Excludes Sikkim, Arunachal Pradesh, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep as these are not yet covered under the programme.
2. Industry-wise break-up may not tally with public sector, private sector and grand total due to non-inclusion of data as per NIC 1998, in respect of J&K , Manipur and Daman & Diu in 2012.

Table 3.2. Performance of Central Public Sector Enterprises

(₹ crore)

Particulars	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No. of Operating Enterprises	217	214	213	217	220	225	230	234	236	244
Capital Employed	660630	724009	792232	908007	1153833	1337821	1508177	1710453	1833274	1938795
Total Gross Turnover/ Revenue	964890	1096308	1271536	1244805	1498018	1822049	1945814	2066057	1995176	1854667
Total Net Income/Revenue	970357	1102772	1309639	1272219	1470569	1804614	1931186	2056336	1965638	1764749
Net Worth	452613	518485	583144	652993	709498	776162	850921	926663	962518	1002749
Profit before dep., Impairment, Int., Exc. Items, Ex. Ord. Items, & Taxes (PBDIEET)	177990	195049	186836	211184	216602	250654	255936	289361	270400	280254
Depreciation, Depletion & Amortization	38982	42470	44441	51168	57118	63591	66109	69817	77500	74631
(DRE)/Impairment	5841	5802	7661	9565	187	154	436	851	554	409
Profit before Interest, Exc. Items, Ex. Ord. Items & Taxes (PBIEET)	139008	152579	142395	160017	159298	186910	189390	218693	192346	205213
Interest	27481	32126	39300	36060	26521	36152	38184	51638	44942	48373
Profit before Exp. Items Ex. Or.Items & Taxes (PBEET)	111528	120453	103095	123957	132777	150758	151207	167055	147412	156841
Exceptional Items	0	0	0	0	-1479	3957	-13525	-14618	-1335	5580
Profit before Ex. Or. Items & Tax. (PBET)	0	0	0	0	134256	146801	164732	181673	148747	151261
Extra-Ordinary Items	-3553	-2549	-2684	-8280	-2695	-428	-1276	-1550	-1394	-8865
Profit Before Tax (PBT)	115407	122023	117695	132222	136951	147230	166008	183223	150141	160126
Tax Provisions	34352	40749	33828	40018	44871	48985	51025	55178	47230	44638
Net Profit/Loss after Tax from Continuing Operations	81055	81274	83867	92203	92079	98245	114982	128045	102911	115488
Net Profit/Loss after Tax from Discontinuing Operations	0	0	0	0	49	1	-1	250	-45	279
Overall Net Profit/Loss	81055	81274	83867	92203	92129	98246	114981	128295	102866	115767
Profit of Profit-making CPSEs	89581	91577	98488	108434	113944	125929	143543	149636	130364	144523
Loss of Loss incurring CPSEs	-8526	-10303	-14621	-16231	-21816	-27683	-28562	-21341	-27498	-28756
Profit – making CPSEs (No.)	154	160	158	157	158	161	151	164	159	165
Loss – incurring CPSEs (No.)	61	54	55	60	62	64	78	70	76	78
CPSEs making no Profit/Loss (No.)	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Dividend	26819	28123	25501	33223	35700	42627	49703	65115	56527	70954
Dividend Tax	4107	4722	4132	5151	5372	5877	6704	8709	8642	11086

Source: Department of Public Enterprises

Table 4.1. Scheduled Commercial Banks : Seasonal Flow of Funds

(₹ Crore)

Items	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (P)
	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sources																			
1. Increase in aggregate deposits	242388	394782	284494	374223	218449	496694	326878	374235	383090	458282	399921	555186	347996	479730	375101	418903	766357	664010	159886
2. Increase in borrowings from RBI	2094	5634	-11728	42	2274	2715	-2333	6057	7713	5120	20640	-615	43092	73497	-94166	168431	-198100	-12557	18720
3. Increase in other borrowings@	5900	1532	-19495	9836	15677	11386	40853	34260	-5384	20594	32942	-33569	-33371	38205	15126	57980	-4124	21468	-7400
4. Increase in other demand and time liabilities	-1886	11051	11635	10265	1068	11317	18100	13484	1706	36539	-2597	29294	2635	16235	-4457	51297	-45890	5564	23288
5. Residual (Net)	20077	-89932	31894	44908	47277	49846	6659	97635	-25620	-1757	36709	-58102	-62017	-20456	19919	-142805	-12192	-61977	207411
Total	268573	323068	296800	439273	284744	571958	390158	525671	361505	518777	487615	492194	298334	587210	311523	553807	506051	616507	401905
Uses																			
1. Increase in bank credit	189112	224524	99121	370118	180440	516854	152743	517026	151888	496718	341562	392075	123970	418354	149471	563723	245253	346598	141972
2. Increase in investments	12844	181852	205675	12667	89454	27413	200747	35421	209966	58351	105416	101300	150982	128023	150061	-16378	231321	174133	294834
3. Increase in cash in hand	5438	-3201	4518	779	4475	293	5665	119	4660	-299	2256	3123	3392	4093	5075	-991	4512	-590	20466
4. Increase in balances with RBI	61179	-80107	-12514	55709	10375	27398	31003	-26896	-5010	-35993	38380	-4304	19989	36740	6916	7452	24964	96367	-55367
Total	268573	323068	296800	439273	284744	571958	390158	525671	361505	518777	487615	492194	298334	587210	311523	553807	506051	616507	401905

Source: Reserve Bank of India

Notes :

H1 : April to September H2 : October to March

(P): Provisional.

@: Excludes borrowings from RBI, EXIM Bank and NABARD.

1. Data also reflect redemption of Resurgent India Bonds of ₹ 226.93 billion, since October 2003; and the redemption of India Millennium Deposits (IMDs) of ₹ 319.59 billion on December 29, 2005.

2. Residual (net) is the balance of Uses of Funds over Sources of Funds and includes borrowings from RBI, EXIM Bank and NABARD.

3. The data relate to last reporting Fridays.

4. Figures may not add up to totals due to rounding off.

Table 4.2. Scheduled Commercial Banks: Variations in Selected Items

(₹ Crore)

Items	2007-08 Mar 30 to Mar 28	2008-09 Mar 28 to Mar 27	2009-10 Mar 27 to Mar 26	2010-11 Mar 26 to Mar 25	2011-12 Mar 25 to Mar 23	2012-13 Mar 23 to Mar 22	2013-14 Mar 22 to Mar 21	2014-15 Mar 21 to Mar 20	2015-16 Mar 20 to Mar 18	2016-17 Mar 18 to Mar 31	Outstanding as on December 22, 2017 (P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.Demand deposits	94579	-1225	122525	-3904	-16376	36969	51622	80108	94967	392443	1156897
2.Time deposits* @	490427	638395	536191	719048	717488	804402	903484	747617	699038	1037923	9728219
3.Aggregate deposits @	585006	637170	658716	715143	701113	841371	955106	827725	794005	1430366	10885118
4 Borrowings from RBI	-2245	7728	-11686	4989	3723	12833	20026	116589	74265	-210657	120315
5. Cash in hand & balances with RBI	78805	-16690	48492	42541	9891	-36642	39456	64215	18452	125252	519250
6. Investments in Govt.securities	182603	197124	222609	118753	237870	268636	207541	278557	134182	405815	3342288
7. Bank credit	430724	413636	469239	697295	669769	648607	733637	542325	713194	591851	8096727

Source: Reserve Bank of India

Notes:

(P): Provisional

*: Revised in line with the new accounting standards and are consistent with the methodology suggested by the Working Group on Money Supply : Analytics and Methodology of Compilation (June 1998) from 1998-99 onwards.

The revision is in respect of pension and provident funds with commercial banks which are classified as other demand and time liabilities and includes those banks which have reported such changes so far.

@: Data also reflect redemption of Resurgent India Bonds of ₹ 226.93 billion, since October 2003; and the redemption of India Millennium Deposits (IMDs) of ₹ 319.59 billion on December 29, 2005.

Table 4.3. Number of Functioning Branches of Commercial Banks - Bank Group-wise

Branches as on end March

	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Rural	% of Rural Branches to Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Public Sector Banks	68222	73411	81463	86619	89842	91549	29097	31.8
Regional Rural Banks	16926	17886	19121	20139	20916	21343	14954	70.1
Private Sector Banks	13729	16125	18343	20146	23039	24890	4874	19.6
Foreign Banks	320	329	311	317	319	285	9	3.2
Local Area Banks	67	77	87	103	125	72	9	12.5
Small Finance Banks	-	-	-	-	-	803	116	14.4
Payments Banks	-	-	-	-	-	3	-	-
Total	99264	107828	119325	127324	134241	138945	49059	35.3

Source: RBI, Master Office File (MOF) System

Notes:

1. Data include 'Administrative Offices'
2. Population groups are defined as follows: 'Rural' includes centres with population of less than 10,000, 'Semi-Urban' includes centres with population of 10,000 and above but less than of one lakh, 'Urban' includes centres with population of one lakh and above but less than of ten lakhs, and 'Metropolitan' includes centres with population of 10 lakhs and above. All population figures are as per census 2011.
3. 'Public Sector banks' comprises of State Bank of India (and its' erstwhile associates and Bhartiya Mahila Bank prior to April 1, 2017), IDBI bank and nationalized banks, excluding Regional Rural Banks.
4. MOF data are dynamic in nature. It is updated based on information as received from banks. "

Table 4.4. Advances to Agriculture and Other Priority Sectors by Public Sector Banks

Sectors	Number of Accounts (in thousand)				Amount Outstanding (₹ crore)			
	March 2014	March 2015	March 2016	March 2017	March 2014	March 2015	March 2016	March 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Agriculture	48336	51231	51363	52594	702541	743577	902331	946850
1 (a) Direct Finance[a]	47581	50535	na	na	525652	580164	na	na
1 (b) Indirect Finance[a]	755	696	na	na	176889	163413	na	na
2. Small Scale Industries[b]								
3. Micro & Small Enterprises	8358	8329	10592	11123	593410	647855	733164	741958
4. Setting up of Industrial Estates								
5. Small road & water transport Operators								
6. Retail Trade								
7. Small Business								
8. Professional &self employed persons								
9. Micro Credit								
10. Education	2555	2536	2435	2384	55112	56997	59306	60010
11. Consumption								
12. State sponsored Corpns/Organisations								
for on lending to Other Priority Sector								
13. State sponsored organisation for SC/ST								
purchase & supply of inputs & marketing of outputs								
14. Housing Loans	4009	4082	4187	4221	235484	247887	273835	294149
15. Funds provided to RRBs								
16. Advances to Self Help Groups								
17. Advances to Software Industries								
18. Advances to Food & Agro Processing Sector								
19. Investment in Venture Capital								
20. Total Priority Sector Advances[c]	64346	67151	69305	70806	1602907	1707489	1981256	2043474
21. ANBC[d]					4110591	4584973	5056594	5329716
Percentage to ANBC								
1. Agriculture					17.09	16.22	17.84	17.77
1 (a) Direct Finance[a]					12.79	12.65	na	na
1 (b) Indirect Finance[a]					4.30	3.56	na	na
2. Small Scale Industries[b]								
3. Micro & Small Enterprises					14.44	14.13	14.50	13.92
4. Setting up of Industrial Estates								
5. Small road & water transport Operators								
6. Retail Trade								
7. Small Business								
8. Professional & self employed persons								

Contd....

Table 4.4. Advances to Agriculture and Other Priority Sectors by Public Sector Banks

Sectors	Number of Accounts (in thousand)				Amount Outstanding (₹ crore)			
	March 2014	March 2015	March 2016	March 2017	March 2014	March 2015	March 2016	March 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Micro Credit								
10. Education					1.34	1.24	1.17	1.13
11. Consumption								
12. State sponsored corpns/Organisations for on lending to Other Priority Sector								
13. State sponsored organisation for SC/ST purchase & supply of inputs & marketing of outputs								
14. Housing Loans					5.73	5.41	5.42	5.52
15. Funds provided to RRBs								
16. Advances to Self Help Groups								
17. Advances to Software Industries								
18. Advances to Food & Agro Processing Sector								
19. Investment in Venture Capital								
20. Total Priority Sector Advances					38.99	37.24	39.18	38.34

Source: Reserve Bank of India

Notes:

na: Not Available

a: Excludes advances to plantations other than development finance

b: Includes small business

c: Total priority sector advances is the total of items 1 to 12 & 14 to 17 and half of item 13

d: ANBC stands for Adjusted Net Bank Credit

Table 4.5. State-wise Number of Reporting Bank-offices, Deposit and Bank Credit of SCBs and Percentage Share of Advances to Priority Sectors by PSBs

	States or UTs	Number of Reporting Bank Offices		Deposit (₹ Crore)		Credit (₹ Crore)		Percentage share of advances to priority sector in total bank credit of PSBs (P)	
		March 2017	September 2017	March 2017	September 2017	March 2017	September 2017	March 2017	September 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Andaman & Nicobar Islands	66	66	4,140	4,642	1,582	1,693	45	na
2	Andhra Pradesh	6752	6804	250682	261740	251210	267816	66	na
3	Arunachal Pradesh	152	152	12068	11572	2875	3092	32	na
4	Assam	2276	2298	122305	124635	48776	50949	55	na
5	Bihar	6600	6649	295882	301445	90875	91523	65	na
6	Chandigarh	406	413	60422	60720	62197	64544	19	na
7	Chhattisgarh	2402	2467	120582	124689	74603	76964	40	na
8	Dadra & Nagar Haveli	58	60	3601	3723	1330	1457	64	na
9	Daman & Diu	47	47	4378	4461	1020	1111	70	na
10	Goa	679	677	62374	63548	15938	16517	52	na
11	Gujarat	7656	7715	609909	613487	413537	423775	43	na
12	Haryana	4711	4792	310704	344992	179537	187864	58	na
13	Himachal Pradesh	1546	1539	79416	83442	23289	24437	65	na
14	Jammu & Kashmir	1721	1778	93773	96535	37275	41030	45	na
15	Jharkhand	2901	2914	187197	191967	49992	50034	55	na
16	Karnataka	9941	10032	782336	799946	523410	542359	42	na
17	Kerala	6337	6368	412503	426699	246314	262246	58	na
18	Lakshadweep	13	13	958	980	80	79	47	na
19	Madhya Pradesh	6324	6441	322859	329506	190915	205860	61	na
20	Maharashtra	12191	12178	2163654	2137146	2299580	2305296	29	na
21	Manipur	158	166	7792	7034	3004	3420	46	na
22	Meghalaya	343	344	20717	21289	5301	5676	36	na
23	Mizoram	185	189	7217	7628	2603	2750	53	na
24	Nagaland	159	162	9508	9243	2967	3171	34	na
25	NCT of Delhi	3538	3552	1102627	1131596	975993	939834	11	na
26	Odisha	4702	4745	246976	254547	92313	91782	48	na
27	Puducherry	236	238	14735	15765	9364	9787	59	na
28	Punjab	6343	6409	336688	342138	202582	210142	60	na
29	Rajasthan	6938	6957	315105	319976	210398	219643	67	na
30	Sikkim	131	131	7028	7598	1903	2045	53	na
31	Tamil Nadu	10405	10560	671756	688282	715725	740778	48	na
32	Telangana	5003	5050	396303	400565	394571	413738	28	na
33	Tripura	442	444	20721	21324	7357	7734	65	na
34	Uttar Pradesh	16576	16800	890702	899463	351031	349849	63	na
35	Uttarakhand	2010	2029	114997	119233	38791	40761	61	na
36	West Bengal	7822	7866	688824	695486	398762	346242	31	na
	All India	137770	139045	10751439	10927041	7927003	8005997	39	na

Source: RBI, Quarterly Statistics on Deposits and Credit of Scheduled Commercial Banks (Basic Statistical Return (BSR)-7)

Notes:

SCBs: Scheduled Commercial Banks na : Not Available P: Provisional

PSBs: Public Sector Banks

1. The number of reporting of branches / offices, which reported data in BSR-7 is shown.
2. Data are as per the latest geographical boundaries as updated in the MOF system.

Table 5.1. Index Numbers of Wholesale Prices

	Primary articles					Fuel & power	Manufactured products						All commodities
	Total	Food articles		Non-Food articles	Minerals		Total	Food products	Textiles	Chemicals & chemical products	Basic metals, alloys & metal products	Machinery & machine tools	
		Total	Food grains										
Weight-Base: (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
Weight-Base: (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
Last month of (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	113	97	119	117	104	102	100	105	103	105	105.7
2006-07	118	119	126	107	135	119	110	107	101	110	116	112	112.8
2007-08	129	126	137	124	173	127	118	116	101	116	138	115	121.5
2008-09	136	136	152	125	168	123	120	123	103	116	130	118	123.5
2009-10	166	164	172	150	232	140	126	142	112	120	133	120	136.3
2010-11	188	179	176	191	267	158	136	145	132	129	148	123	149.5
2011-12	208	197	186	190	359	178	143	154	128	139	163	126	161.0
2012-13	223	214	216	208	352	192	149	166	133	146	165	129	170.1
2013-14	239	235	231	218	346	214	154	169	143	153	168	133	180.3
2014-15	239	249	236	203	243	188	154	170	140	151	162	135	176.1
2015-16	246	260	260	220	193	172	154	180	140	150	153	135	175.3
2016-17	259	269	270	231	247	204	159	192	143	152	161	135	185.3
Last month of (2011-12 = 100)													
2012-13	115	114	120	120	122	110	106	109	107	110	103	105	108.6
2013-14	121	123	127	118	115	119	111	116	114	116	105	108	114.3
2014-15	120	129	129	112	112	92	110	113	110	114	100	109	109.9
2015-16	123	133	141	117	116	77	109	117	109	111	89	109	107.7
2016-17	127	138	147	122	115	94	112	127	113	112	96	108	113.2
Average of months (2004-05 = 100)													
2005-06	104	105	107	97	115	114	102	101	99	104	102	104	104.5
2006-07	114	116	122	102	137	121	108	107	101	109	112	110	111.4
2007-08	124	124	131	114	153	121	113	110	102	113	123	114	116.6
2008-09	138	135	145	129	187	135	120	120	103	118	138	117	126.0

Contd....

Table 5.1. Index Numbers of Wholesale Prices

	Primary articles					Fuel & power	Manufactured products						All commodities
	Total	Food articles		Non-Food articles	Minerals		Total	Food products	Textiles	Chemicals & chemical products	Basic metals, alloys & metal products	Machinery & machine tools	
		Total	Food grains										
Weight-Base: (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
Weight-Base: (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
2009-10	155	155	166	136	203	132	123	136	107	118	130	118	130.8
2010-11	182	180	174	167	253	148	130	141	120	124	141	121	143.3
2011-12	200	193	181	183	321	169	140	151	129	135	156	125	156.1
2012-13	220	212	207	202	347	186	147	163	131	144	166	128	167.6
2013-14	242	239	226	213	346	205	151	169	139	149	165	132	177.6
2014-15	249	253	235	212	309	203	155	173	143	153	166	135	181.2
2015-16	250	262	253	220	216	180	153	174	140	151	155	135	176.7
2016-17	262	275	281	230	220	190	157	191	142	151	156	135	183.2
Average of months (2011-12 = 100)													
2012-13	111	111	115	113	118	107	105	109	104	108	105	104	106.9
2013-14	122	125	125	118	114	115	109	114	112	113	103	106	112.5
2014-15	125	132	128	115	119	108	111	116	113	116	104	108	113.9
2015-16	125	135	137	118	106	87	109	115	109	113	92	109	109.7
2016-17	129	140	152	122	113	86	111	125	111	111	91	108	111.6
2015-16													
April	122	131	130	112	107	91	110	113	109	114	99	109	110.2
May	123	132	132	116	103	96	111	113	110	115	98	110	111.4
June	125	134	133	117	108	96	110	113	110	115	97	111	111.8
July	124	134	134	116	105	94	110	113	110	114	95	110	111.1
August	125	136	135	118	105	88	109	114	110	113	92	110	110.0
September	126	136	137	119	108	86	109	114	109	113	92	108	109.9
October	126	138	140	120	95	86	109	115	109	113	92	109	110.1
November	127	139	141	121	100	86	109	115	108	112	89	109	109.9
December	127	138	142	122	120	85	108	115	109	111	87	109	109.4
January	124	136	142	121	99	80	108	116	108	111	87	108	108.0

Contd....

Table 5.1. Index Numbers of Wholesale Prices

	Primary articles					Fuel & power	Manufactured products						All commodities
	Total	Food articles		Non-Food articles	Minerals		Total	Food products	Textiles	Chemicals & chemical products	Basic metals, alloys & metal products	Machinery & machine tools	
		Total	Food grains										
Weight-Base: (2004-05=100)	20.1	14.3	4.1	4.3	1.5	14.9	65.0	10.0	7.3	12.0	10.7	8.9	100.0
Weight-Base: (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
February	122	133	141	118	102	76	108	116	109	111	87	108	107.1
March	123	133	141	117	116	77	109	117	109	111	89	109	107.7
2016-17													
April	126	138	144	121	104	78	109	120	110	112	90	108	109.0
May	129	141	147	121	111	81	110	121	110	112	90	108	110.4
June	132	144	151	124	119	85	110	123	110	111	90	108	111.7
July	132	145	155	127	96	85	110	124	111	112	89	108	111.8
August	131	143	154	125	128	81	110	125	112	111	88	108	111.2
September	131	142	153	123	129	83	110	126	112	110	89	107	111.4
October	129	142	155	120	105	85	111	127	111	110	91	108	111.5
November	129	142	158	118	111	87	111	127	111	111	92	108	111.9
December	127	138	158	119	114	88	111	128	111	110	93	108	111.7
January	127	137	153	122	113	93	112	128	111	111	94	108	112.6
February	127	137	150	124	113	95	112	128	112	111	94	108	113.0
March	127	138	147	122	115	94	112	127	113	112	96	108	113.2
2017-18													
April	127	139	147	121	116	92	113	127	114	112	97	108	113.2
May	127	138	145	120	120	91	113	127	114	112	97	108	112.9
June	127	139	144	118	118	90	113	127	114	112	96	109	112.7
July	133	148	143	119	120	88	113	127	113	111	97	108	113.9
August	135	151	143	121	121	89	113	127	114	111	99	109	114.8
September	132	145	144	120	129	92	114	128	113	111	101	109	114.9
October	134	148	143	119	122	94	114	128	113	112	101	109	115.6
November (P)	136	151	142	117	129	95	114	128	114	112	101	109	116.3
December (P)	132	144	141	119	122	97	114	127	113	113	102	109	115.7

Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry.

Note:

P: Provisional

Table 5.2. Index Numbers of Wholesale Prices – Selected Commodities and Commodity Groups

	Rice	Wheat	Pulses	Tea	Raw cotton	Raw jute	Ground-nut seed	Coal	Mineral oils	Sugar, khandsari & gur	Edible oils	Cotton yarn	Cotton fabric	Jute, hemp & mesta textiles	Fertili-zers	Cement & lime	Iron,steel & ferro alloys[a]
Weight-Base: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
Weight-Base: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
Last month of (Base: 2004-05=100)																	
2005-06	105	117	126	92	91	159	94	118	122	112	93	98	98	114	103	106	97
2006-07	115	129	147	97	99	118	132	118	123	97	107	98	97	120	105	130	111
2007-08	131	140	148	110	122	130	147	136	133	93	127	100	98	110	107	138	138
2008-09	151	151	159	156	124	142	141	151	124	126	114	102	105	125	108	148	126
2009-10	163	173	199	129	149	173	153	163	147	178	114	123	109	157	110	151	127
2010-11	167	173	191	138	303	240	171	185	168	164	129	179	128	182	121	154	143
2011-12	175	172	210	145	196	227	231	210	193	169	142	150	131	171	141	163	158
2012-13	206	205	233	212	214	273	266	190	214	184	147	164	134	182	152	172	158
2013-14	232	218	228	170	234	270	197	190	237	178	147	185	142	187	153	164	161
2014-15	234	216	258	156	178	310	223	190	194	171	145	169	145	202	156	178	153
2015-16	239	228	347	182	180	505	256	190	169	183	150	165	146	238	159	176	140
2016-17	257	245	325	203	242	397	262	226	210	218	156	175	150	235	155	172	150
Last month of (Base: 2011-12=100)																	
2012-13	119	123	115	141	100	124	121	103	116	112	100	109	106	107	116	105	102
2013-14	133	128	115	113	107	125	99	107	128	109	107	120	112	108	118	108	104
2014-15	132	126	131	103	84	142	115	107	82	98	99	108	114	121	120	112	97
2015-16	135	134	167	121	86	226	129	106	58	110	100	105	112	153	121	109	84
2016-17	148	143	154	133	114	188	138	116	84	133	108	114	114	147	117	109	91
Average of months (Base: 2004-05=100)																	
2005-06	105	105	113	89	90	135	97	118	117	109	94	95	99	112	102	102	100
2006-07	110	125	149	104	97	136	110	118	127	107	102	98	97	115	104	119	105
2007-08	122	134	145	104	112	122	140	122	126	91	116	101	99	111	106	138	119
2008-09	141	148	156	153	141	138	144	151	142	107	122	103	103	117	107	139	137
2009-10	158	166	191	174	139	160	148	156	136	162	114	111	107	146	108	149	124
2010-11	167	171	197	148	199	211	165	165	157	161	121	142	115	165	117	151	136

Contd....

Table 5.2. Index Numbers of Wholesale Prices – Selected Commodities and Commodity Groups

	Rice	Wheat	Pulses	Tea	Raw cotton	Raw jute	Ground-nut seed	Coal	Mineral oils	Sugar, khandsari & gur	Edible oils	Cotton yarn	Cotton fabric	Jute, hemp & mesta textiles	Fertili-zers	Cement & lime	Iron,steel & ferro alloys[a]
Weight-Base: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
Weight-Base: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
2011-12	172	168	202	151	225	223	200	191	184	168	136	155	132	176	133	157	150
2012-13	194	194	241	199	206	242	247	209	202	186	148	157	134	178	149	169	160
2013-14	226	212	228	196	237	262	219	191	226	183	147	175	139	184	152	167	158
2014-15	241	212	241	179	206	288	210	190	220	183	145	179	144	193	155	170	158
2015-16	237	219	337	183	190	404	246	190	179	167	149	166	146	219	158	174	142
2016-17	252	242	406	210	224	448	265	199	194	208	156	172	148	238	157	175	143
Average of months (Base: 2011-12=100)																	
2012-13	113	115	120	132	95	110	121	102	111	112	106	105	103	103	114	108	105
2013-14	129	125	115	131	109	121	108	105	122	109	104	117	110	106	117	106	102
2014-15	137	123	122	118	96	133	107	107	109	108	102	115	115	113	119	111	102
2015-16	135	128	164	121	90	182	128	107	74	99	99	107	113	137	121	110	87
2016-17	144	142	193	140	107	208	138	109	73	125	107	110	114	151	119	111	86
2015-16																	
April	133	125	134	115	90	141	120	107	81	99	99	108	113	120	121	110	97
May	134	124	144	119	93	142	127	107	88	98	99	109	112	120	121	108	95
June	134	122	155	117	92	160	136	107	90	94	100	110	113	123	121	108	93
July	133	125	157	120	92	162	133	107	85	90	100	109	114	129	121	110	91
August	134	126	162	118	91	160	135	106	76	92	98	109	114	132	122	111	87
September	135	126	167	116	91	167	136	106	72	94	98	107	114	135	122	112	88
October	136	129	178	119	87	181	122	106	73	96	99	106	113	141	122	112	86
November	136	130	180	123	86	196	122	106	73	97	99	105	113	144	121	112	84
December	135	132	179	126	89	205	126	106	71	100	98	104	113	148	121	110	81
January	136	134	175	130	90	217	123	106	63	105	97	103	111	149	122	109	81
February	135	134	169	129	88	222	125	106	56	108	98	106	113	149	122	108	82
March	135	134	167	121	86	226	129	106	58	110	100	105	112	153	121	109	84
2016-17																	
April	136	133	180	141	90	229	139	106	62	117	103	105	113	156	121	109	85

Contd....

Table 5.2. Index Numbers of Wholesale Prices – Selected Commodities and Commodity Groups

	Rice	Wheat	Pulses	Tea	Raw cotton	Raw jute	Ground-nut seed	Coal	Mineral oils	Sugar, khandsari & gur	Edible oils	Cotton yarn	Cotton fabric	Jute, hemp & mesta textiles	Fertili-zers	Cement & lime	Iron,steel & ferro alloys[a]
Weight-Base: (2004-05=100)	1.79	1.12	0.72	0.11	0.70	0.06	0.40	2.09	9.36	2.09	3.04	1.38	1.23	0.26	2.66	1.39	6.88
Weight-Base: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
May	139	135	189	141	94	232	143	106	67	118	105	107	114	155	121	110	85
June	142	137	198	146	105	251	146	107	73	119	104	108	113	155	121	112	84
July	144	138	212	142	116	243	150	107	72	122	104	110	113	158	120	112	82
August	145	139	204	137	116	197	146	107	66	123	106	113	114	155	119	111	81
September	145	140	199	141	111	194	140	107	69	124	108	112	117	150	118	113	83
October	145	141	211	141	106	194	132	107	71	126	108	110	114	148	118	113	86
November	145	148	215	142	102	197	126	107	75	127	108	110	115	147	118	111	87
December	144	152	205	143	104	190	132	107	77	126	110	110	115	144	117	110	87
January	144	151	183	140	111	190	134	114	82	130	111	111	114	145	117	109	88
February	146	149	164	134	114	191	132	116	84	133	110	112	113	146	117	109	88
March	148	143	154	133	114	188	138	116	84	133	108	114	113	147	117	109	91
2017-18																	
April	148	141	156	147	112	169	140	118	80	133	107	117	114	146	117	113	93
May	148	138	152	140	109	164	136	118	79	133	106	116	115	144	117	115	93
June	148	136	147	137	111	163	133	118	77	132	106	115	115	145	116	115	92
July	149	136	146	130	111	158	128	118	75	133	106	115	115	144	116	114	93
August	149	137	145	127	110	155	124	118	77	133	106	114	119	142	117	113	95
September	149	138	151	125	107	160	118	118	80	133	108	113	118	143	117	114	97
October	150	138	145	130	101	158	117	118	82	132	109	111	117	145	117	113	97
November (P)	149	139	138	131	102	152	117	118	85	131	110	110	121	145	117	113	97
December (P)	149	139	134	129	108	154	114	118	87	125	111	111	117	145	117	113	98

Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry.

Notes:

P: Provisional

a: composite index of Iron & semis, steel long, steel flat, stainless steel & alloys and ferro alloys for base 2004-05 and inputs into steel making, metallic iron, mild steel-semi finished steel, mild steel-long products, mild steel-flat products, alloy steel other than stainless steel-shapes and stainless steel-semi finished for base 2011-12.

Table 5.3. All India Consumer Price Index Numbers

	Industrial Workers (CPI-IW)			New Series (CPI-NS)			Agricultural Labourers (CPI-AL)	Rural Labourers (CPI-RL)
Base	(1982=100 & 2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
Description	Food	Non-Food	General	Rural	Urban	Combined	General	General
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Average of Months								
1995-96	337	280	313	…	…	…	237	238[b]
1996-97	369	307	342	…	…	…	256	256
1997-98	388	336	366	…	…	…	264	266
1998-99	445	372	414	…	…	…	293	294
1999-00	446	404	428	…	…	…	306	307
2000-01	453	433	444	…	…	…	305	307
2001-02	466	460	463	…	…	…	309	311
2002-03	477	488	482	…	…	…	319	321
2003-04	495	507	500	…	…	…	331	333
2004-05	506	538	520	…	…	…	340	342
2005-06	527[a]	563[a]	542[a]	…	…	…	353	355
2006-07	126	124	125	…	…	…	380	382
2007-08	136	130	133	…	…	…	409	409
2008-09	153	138	145	…	…	…	450	451
2009-10	176	151	163	…	…	…	513	513
2010-11	194	168	180	…	…	…	564	564
2011-12	206	185	195	113.1	110.4	111.9	611	611
2012-13	230	202	215	124.5	121.8	123.3	672	673
2013-14	259	216	236	112.6	111.8	112.2	750	751
2014-15	276	230	251	119.5	118.1	118.9	800	802
2015-16	293	241	265	126.1	123.0	124.7	835	839
2016-17	305	251	276	132.4	127.9	130.3	870	875
Last Month of								
1995-96	339	292	319	…	…	…	237	238
1996-97	373	322	351	…	…	…	262	262
1997-98	401	352	380	…	…	…	272	273
1998-99	431	391	414	…	…	…	296	296
1999-00	446	418	434	…	…	…	306	307
2000-01	446	444	445	…	…	…	300	302
2001-02	462	476	468	…	…	…	309	311
2002-03	479	498	487	…	…	…	324	326
2003-04	494	517	504	…	…	…	332	334
2004-05	502	555	525	…	…	…	340	342
2005-06	115[a]	122[a]	119[a]	…	…	…	358	360
2006-07	129	125	127	…	…	…	392	393
2007-08	141	134	137	…	…	…	423	423
2008-09	156	141	148	…	…	…	463	464
2009-10	181	161	170	…	…	…	536	536
2010-11	196	176	185	106.9	103.9	105.6	585	584
2011-12	212	192	201	116.2	114.6	115.5	625	626
2012-13	240	210	224	128.3	126.5	127.5	704	705
2013-14	258	223	239	114.6	113.7	114.2	763	765
2014-15	276	235	254	121.1	119.1	120.2	803	807
2015-16	293	247	268	128.0	123.8	126.0	843	848

Contd....

Table 5.3. All India Consumer Price Index Numbers

	Industrial Workers (CPI-IW)			New Series (CPI-NS)			Agricultural Labourers (CPI-AL)	Rural Labourers (CPI-RL)
Base	(1982=100 & 2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
Description	Food	Non-Food	General	Rural	Urban	Combined	General	General
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2016-17	298	255	275	132.8	128.7	130.9	866	872
2015-16								
April	278	237	256	121.5	119.7	120.7	805	809
May	283	237	258	122.4	120.7	121.6	811	816
June	288	238	261	124.1	121.7	123.0	820	824
July	289	241	263	124.7	122.4	123.6	822	827
August	292	240	264	126.1	123.2	124.8	832	836
September	296	240	266	127.0	123.5	125.4	839	843
October	301	242	269	127.7	124.2	126.1	849	853
November	302	243	270	128.3	124.6	126.6	853	857
December	299	243	269	127.9	124.0	126.1	853	857
January	297	245	269	128.1	124.2	126.3	849	854
February	292	246	267	127.9	123.8	126.0	843	849
March	293	247	268	128.0	123.8	126.0	843	848
2016-17								
April	299	247	271	129.0	125.3	127.3	848	854
May	307	248	275	130.3	126.6	128.6	860	866
June	312	247	277	131.9	128.1	130.1	869	874
July	316	249	280	133.0	129.0	131.1	877	881
August	310	251	278	133.5	128.4	131.1	876	881
September	308	250	277	133.4	128.0	130.9	873	877
October	310	251	278	133.8	128.6	131.4	876	881
November	307	251	277	133.6	128.5	131.2	878	883
December	301	253	275	132.8	127.6	130.4	876	881
January	298	253	274	132.4	127.8	130.3	870	876
February	297	254	274	132.6	128.2	130.6	869	874
March	298	255	275	132.8	128.7	130.9	866	872
2017-18								
April	301	256	277	132.9	129.1	131.1	870	876
May	302	257	278	133.3	129.3	131.4	872	878
June	308	256	280	133.9	129.9	132.0	877	884
July	315	259	285	136.2	131.8	134.2	884	890
August	315	259	285	137.8	132.7	135.4	894	900
September	312	262	285	137.6	132.4	135.2	893	899
October	317	261	287	138.3	133.5	136.1	901	907
November	319	261	288	140.0	134.8	137.6	905	910
December (P)	-	-	-	139.8	134.1	137.2	-	-

Sources:

1. Labour Bureau for consumer price indices for Industrial Workers (IW), Agricultural Labourers (AL) and Rural Labourers (RL).
2. CSO for consumer price indices- new series (CPI-NS).

Notes:

(P): Provisional

a: The current series of CPI for Industrial Workers with 2001 base was introduced w.e.f. January, 2006 and the figures from 2005-06 (last month) are based on new base. The earlier series on base 1982=100 was simultaneously discontinued. The conversion factor from the current to the old series is 4.63 in case of the General Index, and 4.58 for Food Index.

b: Average index from November, 1995 to March 1996.

1. Weights of CPI-IW for food & non-food with base 1982=100 are 57% & 43% respectively and with base 2001=100 are 46.20% & 53.80% respectively.
2. CPI- New Series (Rural, Urban & Combined) with base 2010=100 was introduced w.e.f. January 2011. The CPI-UNME has since been totally discontinued.
3. CPI- New Series figures for 2013-14, 2014-15 and 2015-16 is based on new base 2012=100.

Table 5.4. Index Numbers of Wholesale Prices – Relative Prices of Manufactured and Agricultural Products

Year/Months	General Index of Wholesale Price	Price Index of Manufactured Products	Price Index of Agricultural Products[a]	Manufactured price Index as percent of Agricultural Price Index
Weight (Base: 2004-05)	100.00	64.97	18.59	(col.3/Col.4)*100
Weight (Base: 2011-12)	100.00	64.23	19.37	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(Base : 2004-05 = 100)				
2005-06	104.5	102.4	103.4	99.1
2006-07	111.4	108.2	112.5	96.3
2007-08	116.6	113.4	121.5	93.4
2008-09	126.0	120.4	133.5	90.2
2009-10	130.8	123.1	151.0	81.7
2010-11	143.3	130.1	176.6	73.7
2011-12	156.1	139.5	190.4	73.3
2012-13	167.6	147.1	209.6	70.2
2013-14	177.6	151.5	233.0	65.0
2014-15	181.2	155.1	243.9	63.6
2015-16	176.7	153.4	252.3	60.8
2016-17	183.2	157.4	265.0	59.4
(Base : 2011-12 = 100)				
2012-13	106.9	105.3	111.4	94.5
2013-14	112.5	108.5	123.2	88.1
2014-15	113.9	111.2	128.0	86.9
2015-16	109.7	109.2	131.4	83.1
2016-17	111.6	110.7	136.5	81.1
2015-16				
April	110.2	110.1	126.8	86.9
May	111.4	110.5	128.6	86.0
June	111.8	110.3	130.1	84.8
July	111.1	109.9	130.0	84.5
August	110.0	109.2	132.1	82.6
September	109.9	109.2	132.5	82.4
October	110.1	109.4	134.1	81.6
November	109.9	108.8	134.9	80.7
December	109.4	108.4	134.2	80.7
January	108.0	108.0	133.0	81.2
February	107.1	108.3	130.1	83.3
March	107.7	108.8	130.0	83.7
2016-17				
April	109.0	109.2	134.3	81.3
May	110.4	109.8	136.6	80.4
June	111.7	110.0	139.8	78.7
July	111.8	110.3	140.7	78.4
August	111.2	110.2	138.9	79.3
September	111.4	110.4	137.9	80.1
October	111.5	110.8	137.2	80.7
November	111.9	111.0	136.8	81.1
December	111.7	111.1	133.7	83.1
January	112.6	111.6	133.5	83.6
February	113.0	111.8	133.9	83.5
March	113.2	112.3	134.3	83.6
2017-18				
April	113.2	112.6	134.9	83.5
May	112.9	112.6	134.1	84.0
June	112.7	112.6	134.7	83.6
July	113.9	112.6	141.7	79.5
August	114.8	112.8	144.5	78.1
September	114.9	113.7	139.5	81.5
October	115.6	113.7	141.7	80.2
November (P)	116.3	113.9	143.4	79.4
December (P)	115.7	114.0	138.8	82.2

Source: Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry

Notes:

a : Composite Index of the sub-groups - (Food Articles and Non-food Articles)

P : Provisional

Table 5.5. Minimum Support Price/Procurement Price for Crops

(Crop Year Basis)(Rs./quintal)

Commodities	1999-00	2002-03[b]	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Paddy (Common)	490	550	560	570	580[c]	645[h]	850[k]	950[k]	1000	1080	1250	1310	1360	1410	1470	1550
Paddy (Grade 'A')	520	580	590	600	610[c]	675[h]	880[k]	980[k]	1030	1110	1280	1345	1400	1450	1510	1590
Wheat	580	630	640	650[g]	750[h]	1000	1080	1100	1120	1285	1350	1400	1450	1525	1625	1735
Jowar (Hybrid)	415	490	515	525	540	600	840	840	880	980	1500	1500	1530	1570	1625	1700
Jowar (Maldandi)	...	...	...	...	555	620	860	860	900	1000	1520	1520	1550	1590	1650	1725
Bajra	415	495	515	525	540	600	840	840	880	980	1175	1250	1250	1275	1330	1425
Ragi	415	490	515	525	540	600	915	915	965	1050	1500	1500	1550	1650	1725	1900
Maize	415	490	525	540	540	620	840	840	880	980	1175	1310	1310	1325	1365	1425
Barley	430	505	540	550	565	650	680	750	780	980	980	1100	1150	1225	1325	1410
Gram	1015	1225	1425	1435	1445	1600	1730	1760	2100	2800	3000	3100	3175	3425[n]	3800[q]	4400[#]
Masur	...	...	1525	1535	1545	1700	1870	1870	2250	2800	2900	2950	3075	3325[n]	3800[r]	4250[*]
Arhar	1105	1325	1390	1400	1410	1550[d]	2000	2300	3000[l]	3200[l]	3850	4300	4350	4425[o]	4625[s]	5450[**]
Moong	1105	1335	1410	1520	1520	1700[d]	2520	2760	3170[l]	3500[l]	4400	4500	4600	4650[o]	4800[s]	5575[**]
Urad	1105	1335	1410	1520	1520	1700[d]	2520	2520	2900[l]	3300[l]	4300	4300	4350	4425[o]	4575[s]	5400[**]
Sugarcane[a]	56.10	69.50	74.50	79.50	80.25	81.18	81.18	129.84	139.12	145.00[m]	170.0	210.0	220.0	230.0	230.0	255
Cotton F-414/H-777	1575	1695	1760	1760	1770[e]	1800[e]	2500[i]	2500[i]	2500[i]	2800[i]	3600	3700	3750	3800	3860	4020
Cotton H-4 750	1775	1895	1960	1980	1990[f]	2030[f]	3000[j]	3000[j]	3000[j]	3300[j]	3900	4000	4050	4100	4160	4320
Groundnut	1155	1375	1500	1520	1520	1550	2100	2100	2300	2700	3700	4000	4000	4030	4120[t]	4450[**]
Jute(TD-5)	750	850	890	910	1000	1055	1250	1375	1575	1675	2200	2300	2400	2700	3200	3500
Rapeseed/ mustard	1100	1340	1700	1715	1715	1800	1830	1830	1850	2500	3000	3050	3100	3350	3600[t]	4000[*]
Sunflower	1155	1210	1340	1500	1500	1510	2215	2215	2350	2800	3700	3700	3750	3800	3850[t]	4100[*]
Soyabean (Black)	755	805	900	900	900	910	1350	1350	1400	1650	2200	2500	2500	...	...	3050[**]
Soyabean (Yellow)	845	895	1000	1010	1020	1050	1390	1390	1440	1690	2240	2560	2560	2600[p]	2675[t]	
Safflower	1100	1305	1550	1565	1565	1650	1650	1680	1800	2500	2800	3000	3050	3300	3600[t]	4100[*]

Contd....

Table 5.5. Minimum Support Price/Procurement Price for Crops

(Crop Year Basis)(Rs./quintal)

Commodities	1999-00	2002-03[b]	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Toria	1065	1305	1665	1680	1680	1735	1735	1735	1780	2425	2970	3020	3020	3290	3560	-
Copra (milling)	3100	3300	3500	3570	3590	3620	3660	4450	4450	4525	5100	5250	5250	5550	5950	6500
Copra balls	3325	3550	3750	3820	3840	3870	3910	4700	4700	4775	5350	5500	5500	5830	6240	6785
Sesamum	1205	1455	1500	1550	1560	1580	2750	2850	2900	3400	4200	4500	4600	4700	4800[q]	5300*
Niger seed	915	1120	1180	1200	1220	1240	2405	2405	2450	2900	3500	3500	3600	3650	3725[t]	4050*

Source: Deapartment of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notes:

a : Statutory Minimum Price (SMP) upto 2008-09. Fair and Remunerative Price (FRP) from 2009-10 onwards.
b : Including Special onetime drought relief (SDR) price announced for 2002-03.
c : An additional incentive bonus of Rs. 40 per quintal was payable on procurement between January 10, 2006 to March 31, 2007.
d : A bonus of Rs. 40 per quintal was payable over and above the MSP.
e : Medium staple.
f : Long staple.
g : An incentive bonus of Rs. 50 per quintal is payable on wheat over the Minimum Support Price (MSP).
h : An additional incentive bonus of Rs. 100 per quintal was payable over the MSP.
i : Staple length (mm) of 24.5-25.5 and micronaire value of 4.3-5.1
j : Staple length (mm) of 29.5-30.5 and micronaire value of 3.5-4.3
k : An additional incentive bonus of Rs. 50 per quintal was payble over the MSP.
l : Additional incentive at the rate of Rs. 500 per quintal of tur, urad and moong sold to procurement agencies .
m : At 9.5 percent recovery, subject to a premium of Rs.1.53 for every 0.1 percent increase in the recovery above 9.5 percent.
n : Bonus of Rs. 75 per quintal is payable over and above the MSP.
o : Bonus of Rs. 200 per quintal is payable over and above the MSP.
p : Single MSP has been fixed irrespective of the variety.
q : Bonus of Rs. 200 per quintal is payable over and above the MSP.
r : Bonus of Rs. 150 per quintal is payable over and above the MSP.
s : Bonus of Rs. 425 per quintal is payable over and above the MSP.
t : Bonus of Rs. 100 per quintal is payable over and above the MSP.
* : Including Bonus of Rs. 100 per quintal
** : Including Bonus of Rs. 200 per quintal.
: Including Bonus of Rs. 150 per quintal

Table 6.1 A. Foreign Exchange Reserves

(₹ crore)

End of Fiscal	Reserves							Transactions with IMF		
	Gold		RTP	SDRs		Foreign Currency Assets	Total ₹ crore (3+4+6+7)	Drawals	Repur-chases[g]	Outstanding repurchase obligations
	Tonnes	₹ crore	₹ crore	SDRs in Million	₹ crore	₹ crore				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1950-51	220	40	...	...	...	911	951	...	...	48
1951-52	220	40	...	...	...	747	787	...	...	48
1952-53	220	40	...	...	...	763	803	...	...	48
1953-54	220	40	...	...	...	792	832	...	17	30
1954-55	220	40	...	...	...	774	814	...	17	13
1955-56	220	40	...	...	...	785	825	...	7	6
1956-57	220	118	...	...	...	563	681	61	6	61
1957-58	220	118	...	...	...	303	421	35	...	95
1958-59	220	118	...	...	...	261	379	...	...	95
1959-60	220	118	...	...	...	245	363	...	24	71
1960-61	220	118	...	...	...	186	304	...	11	61
1961-62	220	118	...	...	...	180	298	119	61	119
1962-63	220	118	...	...	...	177	295	12	...	131
1963-64	220	118	...	...	...	188	306	...	24	107
1964-65	250	134	...	...	...	116	250	48	48	107
1965-66	216	116	...	...	...	182	298	65	36	137
1966-67	216	183	...	...	...	296	479	89	43	313
1967-68	216	183	...	...	...	356	539	68	43	338
1968-69	216	183	...	...	...	394	577	...	59	279
1969-70	217	183	...	123	92	546	821	...	125	154
1970-71	216	183	...	149	112	438	733	...	154	...
1971-72	216	183	...	248	194	480	857	...	...	...
1972-73	216	183	...	247	226	479	888	...	...	...
1973-74	216	183	...	245	230	581	994	62	...	59
1974-75	216	183	...	235	229	610	1022	485	...	557
1975-76	216	183	...	203	211	1492	1886	207	...	804
1976-77	223	188	...	187	192	2863	3243	...	303	492
1977-78	229	193	...	162	170	4500	4863	...	249	210
1978-79	260	220	...	365	381	5220	5821	...	207	...
1979-80	266	225	...	529	545	5164	5934	...	55[e]	...
1980-81	267	226	...	491	497	4822	5545	274[a]	5[f]	268
1981-82	267	226	...	425	444	3355	4025	637b	...	901

Contd....

Table 6.1 A. Foreign Exchange Reserves

(₹ crore)

End of Fiscal	Reserves							Transactions with IMF		
	Gold		RTP	SDRs		Foreign Currency Assets	Total ₹ crore (3+4+6+7)	Drawals	Repurchases[g]	Outstanding repurchase obligations
	Tonnes	₹ crore	₹ crore	SDRs in Million	₹ crore	₹ crore				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1982-83	267	226	...	270	291	4265	4782	1893[b]	...	2867
1983-84	267	226	...	216	248	5498	5972	1414[b]	72[h]	4444
1984-85	291	246	...	147	181	6817	7243	219[b]	156[i]	4888
1985-86	325	274	...	115	161	7384	7819	...	253[j]	5285
1986-87	325	274	...	139	232	7645	8151	...	672[k]	5548
1987-88	325	274	...	70	125	7287	7686	...	1209[l]	4732
1988-89	325	274	...	80	161	6605	7040	...	1547[m]	3696
1989-90	333	281	...	82	184	5787	6252	3334[c]	1460[n]	2572
1990-91	333	6828	...	76	200	4388	11416	3205[d]	1156[o]	5132
1991-92	351	9039	...	66	233	14578	23850	4231	1127[p]	8934
1992-93	354	10549	...	13	55	20140	30744	1007	868[q]	14986
1993-94	367	12794	...	77	339	47287	60420	...	420[r]	15812
1994-95	396	13752	...	5	23	66005	79780	...	3585[s]	13545
1995-96	398	15658	...	56	280	58446	74384	...	5749[t]	8152
1996-97	398	14557	...	1	7	80368	94932	...	3461[u]	4714
1997-98	396	13394	...	1	4	102507	115905	...	2286[v]	2624
1998-99	357	12559	...	6	34	125412	138005	...	1652[w]	1220
1999-2000	358	12973	...	3	16	152924	165913	...	...	...
2000-01	358	12711	...	2	11	184482	197204	...	...	...
2001-02	358	14868	...	8	50	249118	264036	...	...	...
2002-03	358	16785	3190	3	19	341476	361470	...	...	...
2003-04	358	18216	5688	2	10	466215	490129	...	2598.2	...
2004-05	358	19686	6289	3	20	593121	619116	...	414.9	...
2005-06	358	25674	3374	2	12	647327	676387	3024.6	220.5	...
2006-07	358	29573	2044	1	8	836597	868222	1360.3	...	...
2007-08	358	40124	1744	11	74	1196023	1237965	301.5	...	...
2008-09	358	48793	5000	1	6	1230066	1283865	371.1	2940.1	...
2009-10	558	81188	6231	3297	22596	1149650	1259665	...	10090.4	...
2010-11	558	102572	13158	2882	20401	1224883	1361013	161.3	1594.0	...
2011-12	558	138250	14511	2885	22866	1330511	1506139	…	1392.1	...
2012-13	558	139737	12513	2887	23538	1412631	1588418	…	…	...
2013-14	558	129616	11019	2888	26826	1660914	1828375	…	…	...

Contd....

Table 6.1 A. Foreign Exchange Reserves

(₹ crore)

End of Fiscal	Reserves							Transactions with IMF		
	Gold		RTP	SDRs		Foreign Currency Assets	Total ₹ crore (3+4+6+7)	Drawals	Repur-chases[g]	Outstanding repurchase obligations
	Tonnes	₹ crore	₹ crore	SDRs in Million	₹ crore	₹ crore				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014-15	558	119160	8085	2889	24944	1985458	2137647	…	…	...
2015-16	558	133429	16290	1066	9960	2219061	2378740	…	…	...
2016-17	558	128828	15047	1066	9379	2244939	2398193	…	…	...

Source: Reserve Bank of India

Notes:

SDRs: Special Drawing Rights,

RTP : Reserve Tranche Position in IMF

--- : Nil or Negligible.

a : Excludes ₹544.53 crore drawn under Trust Fund.

b : Drawals under Extended Fund Facility (EFF).

c : Drawals of ₹ 1883.6 crore under Compensatory and Contingency Financing Facility and ₹ 1450.2 crore under First Credit Tranche of Stand-by Arrangement.

d : Drawals of ₹ 2217.2 crore under Compensatory and Contingency Financing Facility and ₹ 987.5 crore under First Credit Tranche of Stand-by Arrangement.

e : Includes voluntary repurchases of Rupees (₹ 199 crore) and sales of Rupees (₹ 35.2 crore) by IMF under its General Resources Account.

f : Sales of Rupees by IMF.

g : Additionally, SDR 59.9 million in May 1979, SDR 7.3 million in July 1980 and SDR 34.5 million in March 1982 were used for voluntary repurchases of Rupees.

h : SDR 66.50 million were used for repurchases of drawals under Compensatory Financing Facility.

i : SDR 33.25 million and Rs. 117.85 crore in foreign currencies were used for repurchases of drawals under CFF.

j : SDR 66.5 million and SDRs 131.25 million were used for repurchases of drawals under CFF and EFF, respectively.

k : SDR 431.25 million were used for repurchases of drawals under EFF.

l : SDR 704.17 million were used for repurchases of drawals under EFF.

m : SDR 804.18 million were used for repurchases of drawals under EFF.

n : SDR 681.25 million were used for repurchases of drawals under EFF.

o : SDR 468.75 million were used for repurchases of drawals under EFF

p : SDR 337.49 million were used for repurchases of drawals under EFF.

q : SDR 237.49 million were used for repurchases of drawals under EFF.

r : SDR 95.84 million were used for repurchases of drawals under EFF.

s : SDR 812.77 million were used for repurchases of drawals under EFF.

t : SDR 1130.48 million were used for repurchases of drawals under EFF.

u : SDR 678.38 million were used for repurchases of drawals under EFF.

v : SDR 449.29 million were used for repurchases of drawals under EFF.

w : SDR 212.46 million were used for repurchases of drawals under EFF.

1. Figures after 1965-66 are not comparable with those of the earlier years owing to devaluation of the Rupee in June 1966.
2. Also figures for July 1991 onwards are not comparable with those of earlier periods due to the downward adjustment of the Rupee effected on July 1, 1991 and July 3, 1991.
3. Drawals, Repurchase and outstanding repurchase obligations are calculated at the ruling rates of exchange.
4. While reserves pertain to end period, repurchases are for the relevant periods.
5. Gold is valued at Rs. 53.58 per 10 grams up to May 1966 and at Rs. 84.39 per 10 grams up to September 1990 and closer to international market price w.e.f. October 17, 1990.
6. Foreign exchange includes (a) foreign assets of the Reserve Bank of India and (b) Government balances held abroad up to 1955-56.
7. i)FCA excludes US $ 250.00 millon invested in foreign currency denominated bonds issued by IIFC (UK) since March 20, 2009, excludes US $ 380.00 million since September 16, 2011, excludes US$ 550 million since February 27, 2012, excludes US $ 673 million since 30th March 2012 and US $ 790 million since July 5, 2012 as also its equavalent value in Indian rupee in respective months.

   ii.) SDRs 530.73 million since March 24, 2014 (Transferred by Government of India to RBI), SDR 530.80 million since June 2014, SDR 530.92 million since September 2014, SDR 1104.74 million since January 2015, SDR 1104.96 million since June 2015. SDRs 1105.24 million since December 2015 (as also its equivalent value in Indian Rupee).

iii.) US$ 100 million under SAARC swap arrangement with Royal Monetary Authority of Bhutan during the period from March 2013 to June 2013, US$ 400 million under SAARC swap arrangement with Central Bank of Sri Lanka during period April to October 2015 and US$ 1100 million with Central Bank of Sri Lanka since September 2015 (as also its equivalent value in Indian Rupee).

8. FCA excludes US $ 250.00 millon invested in foreign currency denominated bonds issued by IIFC (UK) since March 20, 2009, excludes US $ 380.00 million since September 16, 2011, excludes US$ 550 million since February 27, 2012, excludes US $ 673 million since 30th March 2012 and US $ 790 million since July 5, 2012 as also its equavalent value in Indian rupee in respective months.

9. Totals may not tally due to rounding off.

Table 6.1 B. Foreign Exchange Reserves

(US$ million)

End of Fiscal	Reserves					Transactions with IMF		
	Gold	RTP	SDRs	Foreign Currency Assets	Total (2+3+4+5)	Drawals	Repurchases	Outstanding repurchase obligations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1950-51	247	...	...	1914	2161	...	...	100
1951-52	247	...	...	1568	1815	...	...	100
1952-53	247	...	...	1603	1850	...	...	100
1953-54	247	...	...	1664	1911	...	36	64
1954-55	247	...	...	1626	1873	...	36	28
1955-56	247	...	...	1648	1895	...	15	13
1956-57	247	...	...	1184	1431	126	12	128
1957-58	247	...	...	637	884	72	...	200
1958-59	247	...	...	548	795	...	...	200
1959-60	247	...	...	515	762	...	50	150
1960-61	247	...	...	390	637	...	23	128
1961-62	247	...	...	377	624	249	127	250
1962-63	247	...	...	372	619	25	...	275
1963-64	247	...	...	395	642	...	50	225
1964-65	281	...	...	243	524	99	100	225
1965-66	243	...	...	383	626	137	75	288
1966-67	243	...	...	395	638	126	57	418
1967-68	243	...	...	475	718	89	58	450
1968-69	243	...	...	526	769	...	78	372
1969-70	243	...	123	728	1094	...	167	205
1970-71	243	...	148	584	975	...	205	...
1971-72	264	...	269	661	1194	...	...	...
1972-73	293	...	297	629	1219	...	...	...
1973-74	293	...	296	736	1325	79	...	75
1974-75	304	...	293	782	1379	608	...	715
1975-76	281	...	234	1657	2172	239	...	896
1976-77	290	...	217	3240	3747	...	336	559
1977-78	319	...	200	5305	5824	...	333	249
1978-79	377	...	470	6421	7268	...	256	...
1979-80	375	...	662	6324	7361	...	145	...
1980-81	370	...	603	5850	6823	342	16	327
1981-82	335	...	473	3582	4390	692	40	964
1982-83	324	...	291	4281	4896	1968	...	2876
1983-84	320	...	230	5099	5649	1376	70	4150
1984-85	325	...	145	5482	5952	201	134	3932
1985-86	417	...	131	5972	6520	...	209	4290
1986-87	471	...	179	5924	6574	...	521	4291
1987-88	508	...	97	5618	6223	...	930	3653
1988-89	473	...	103	4226	4802	...	1070	2365
1989-90	487	...	107	3368	3962	...	873	1493
1990-91	3496	...	102	2236	5834	1858	644	2623
1991-92	3499	...	90	5631	9220	1240	460	3451
1992-93	3380	...	18	6434	9832	1623	335	4799
1993-94	4078	...	108	15068	19254	325	134	5040

Contd....

Table 6.1 B. Foreign Exchange Reserves

(US$ million)

End of Fiscal	Reserves					Transactions with IMF		
	Gold	RTP	SDRs	Foreign Currency Assets	Total (2+3+4+5)	Drawals	Repurchases	Outstanding repurchase obligations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1994-95	4370	...	7	20809	25186	...	1146	4300
1995-96	4561	...	82	17044	21687	...	1710	2374
1996-97	4054	...	2	22367	26423	...	977	1313
1997-98	3391	...	1	25975	29367	...	615	664
1998-99	2960	...	8	29522	32490	...	102	287
1999-2000	2974	...	4	35058	38036	...	...	...
2000-01	2725	...	2	39554	42281	...	...	...
2001-02	3047	...	10	51049	54106	...	...	...
2002-03	3534	672	4	71890	76100	...	...	...
2003-04	4198	1311	2	107448	112959	...	561.3	...
2004-05	4500	1438	5	135571	141514	...	93.5	...
2005-06	5755	756	3	145108	151622	670.0	50.7	...
2006-07	6784	469	2	191924	199179	302.7	...	...
2007-08	10039	436	18	299230	309723	74.2	...	...
2008-09	9577	981	1	241426	251985	86.3	611.9	...
2009-10	17986	1380	5006	254685	279057	...	461.3	...
2010-11	22972	2947	4569	274330	304818	36.2	353.2	...
2011-12	27023	2836	4469	260069	294397	…	275.1	...
2012-13	25692	2301	4328	259726	292046	…	…	...
2013-14	21567	1834	4464	276359	304223	…	…	...
2014-15	19378	1139	4185	295947	320649	…	…	...
2015-16	20115	2456	1502	336104	360176	…	…	...
2016-17	19869	2321	1446	346319	369955	…	…	...

Source: Reserve Bank of India

Notes:

SDRs: Special Drawing Rights RTP: Reserve Tranche Position in IMF -----: Nil or Negligible

1. For compiling figures in US dollars, gold is valued at SDR 35 per troy ounce as in the International Financial Statistics of the IMF upto October 16, 1990. Thereafter gold has been valued at international market price.
2. Conversion of foreign currency assets and SDR in US dollars is done at exchange rates of the IMF.
3. Transactions with IMF are converted at respective SDR/$ rate.
4. While reserves pertain to end period, repurchases are for the relevant periods.
5. i) FCA excludes US $ 250.00 millon invested in foreign currency denominated bonds issued by IIFC (UK) since March 20, 2009, excludes US $ 380.00 million since excludes US $ 673 million since 30th March 2012 and US $ 790 million since July 5, 2012 (as also its equivalent value in Indian Rupee).September 16, 2011, excludes US $ 550 million since February 27, 2012.

   ii.) SDRs 530.73 million since March 24, 2014 (Transferred by Government of India to RBI), SDR 530.80 million since June 2014, SDR 530.92 million since September 2014, SDR 1104.74 million since January 2015, SDR 1104.96 million since June 2015. SDRs 1105.24 million since December 2015 (as also its equivalent value in Indian Rupee).

   iii.) US$ 100 million under SAARC swap arrangement with Royal Monetary Authority of Bhutan during the period from March 2013 to June 2013, US$ 400 million under SAARC swap arrangement with Central Bank of Sri Lanka during period April to October 2015 and US$ 1100 million with Central Bank of Sri Lanka since September 2015 (as also its equivalent value in Indian Rupee).
6. Includes Rs. 31,463 crore (US$ 6,699 million) reflecting the purchase of 200 metric tonnes of gold from IMF on November 3, 2009. by the IMF done on August 28, 2009 and September 9, 2009, respectively.
7. Includes SDRs 3,082.5 million allocated under general allocation and SDRs 214.6 million allocated under special allocation.
8. Totals may not tally due to rounding off.

Table 6.2. Balance of Payments as per IMF Balance of Payments Manual 5

	Items	2000-01		2010-11		2011-12		2012-13	
		₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Imports (c.i.f.)	264589	57912	1746135	383481	2394647	499533	2732146	502237
2	Exports (f.o.b.)	207852	45452	1165665	256159	1482517	309774	1667690	306581
3	Trade Balance (2-1)	-56737	-12460	-580470	-127322	-912129	-189759	-1064456	-195656
4	Invisibles								
	a) Receipts	147778	32267	867228	190488	1053480	219229	1218893	224044
	b) Payments	102639	22473	506411	111218	517323	107625	634047	116551
	(of which: Interest & Service Payments on Loans and Credits)	21948	4801	27660	6073	41046	8527	59546	10944
	c) Net	45139	9794	360817	79269	536157	111604	584846	107493
5	Current Account Balance	-11598	-2666	-219654	-48053	-375973	-78155	-479610	-88163
6	Capital Account								
	I Foreign Investment	26744	5862	193482	42127	188738	39231	254653	46711
	i) Foreign Direct Investment								
	a) Inward FDI	18404	4031	132358	29029	154961	32952	146954	26953
	b) Outward FDI	-3480	-759	-78257	-17195	-51794	-10892	-38768	-7134
	c) Net	14924	3272	54101	11834	103167	22061	108186	19819
	ii) Portfolio Investment (net)	11820	2590	139381	30293	85571	17170	146467	26891
	II Loans (net)	24459	5264	132714	29135	89748	19307	169073	31124
	i) External Assistance								
	a) Inflow	13521	2941	35872	7882	27355	5646	25747	4735
	b) Out flow	11519	2531	13393	2941	16051	3350	20421	3752
	c) Net	2002	410	22479	4941	11305	2296	5326	982
	ii) Commercial Borrowings[a]								
	a) Inflow	95750	20865	459540	100899	649101	135345	817606	150351
	b) Out flow	73293	16011	349304	76705	570658	118333	653858	120209
	c) Net	22457	4854	110236	24194	78443	17011	163747	30142
	III) Banking								
	a) Receipts	44448	9744	419273	92323	427827	89904	455407	83727
	b) Payments	53592	11705	397253	87361	356829	73678	365140	67157
	c) Net	-9144	-1961	22020	4962	70998	16226	90268	16570
	IV) Rupee Debt Service (net)	-2760	-617	-310	-68	-381	-79	-313	-58
	V) Other Capital								
	a) Receipts	12948	2856	45175	9995	64143	13296	97073	17861
	b) Payments	11637	2564	101914	22411	94216	20224	125020	22908
	c) Net	1311	292	-56739	-12416	-30073	-6929	-27946	-5047
	VI) Errors & omissions (net)	-1369	-305	-12062	-2636	-11560	-2432	14578	2689
7	Total Capital (I to VI of 6)	39241	8535	279105	61103	307470	65324	500313	91989
8	Overall Balance (5 + 7)	27643	5868	59451	13050	-68503	-12831	20702	3826
9	Monetary Movement								
	a) IMF Transactions								
	i) Purchases								
	ii) Repurchases	115	26						
	iii) Net	-115	-26						
	b) Increase (-)/decrease (+) in Reserves	-27258	-5842	-59451	-13050	68503	12831	-20702	-3826
10	Total Reserve movement (9a(iii)+9b) [(-) Increase/ (+) decrease]	-27643	-5868	-59451	-13050	68503	12831	-20702	-3826

Contd....

Table 6.2. Balance of Payments as per IMF Balance of Payments Manual 5

	Items	2013-14		2014-15		2015-16 (PR)		2016-17 (P)	
		₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million	₹ crore	US$ million
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Imports (c.i.f.)	2815918	466216	2820072	461484	2592820	396444	2633395	392580
2	Exports (f.o.b.)	1931074	318607	1934210	316545	1743289	266365	1878943	280138
3	Trade Balance (2-1)	-884845	-147609	-885862	-144940	-849531	-130079	-754452	-112442
4	Invisibles								
	a) Receipts	1413843	233569	1478048	241645	1538693	235044	1616361	240978
	b) Payments	716134	118256	755499	123564	832924	127116	964714	143831
	(of which: Interest & Service Payments on Loans and Credits)	67747	11176	77376	12650	88044	13443	89552	13351
	c) Net	697709	115313	722549	118081	705769	107928	651646	97147
5	Current Account Balance	-187136	-32296	-163313	-26859	-143762	-22151	-102805	-15296
6	Capital Account								
	I Foreign Investment	159650	26386	449072	73456	208579	31891	289394	43224
	i) Foreign Direct Investment (FDI)								
	a) Inward FDI	186830	30763	215893	35283	294258	44907	283292	42215
	b) Outward FDI	-56860	-9199	-24675	-4031	-58476	-8886	-44379	-6603
	c) Net	129969	21564	191219	31251	235782	36021	238913	35612
	ii) Portfolio Investment (net)	29680	4822	257853	42205	-27203	-4130	50482	7612
	II) Loans (net)	45901	7765	19733	3184	-29767	-4634	16038	2379
	i) External Assistance								
	a) Inflow	28239	4659	35408	5780	40244	6123	43561	6495
	b) Out flow	22043	3627	24787	4054	30229	4619	30056	4482
	c) Net	6197	1032	10622	1725	10015	1505	13505	2013
	ii) Commercial Borrowings[a]								
	a) Inflow	785202	130177	718760	117575	748159	114200	764967	114037
	b) Out flow	745498	123444	709648	116116	787941	120339	762434	113672
	c) Net	39704	6733	9112	1459	-39781	-6139	2533	366
	III) Banking								
	a) Receipts	654482	108049	550976	90094	579805	88884	561610	83669
	b) Payments	502818	82601	478893	78476	514547	78254	672787	100285
	c) Net	151664	25449	72083	11618	65257	10630	-111177	-16616
	IV) Rupee Debt Service	-304	-52	-489	-81	-476	-73	-665	-99
	V) Other Capital								
	a) Receipts	133801	22171	176562	28914	160653	24419	241024	35937
	b) Payments	200892	32932	169411	27806	137909	21103	190043	28343
	c) Net	-67091	-10761	7151	1109	22744	3315	50981	7594
	VI) Errors & Omissions	-6629	-983	-6312	-1021	-6746	-1073	2468	364
7	Total Capital (I to VI of 6)	283190	47804	541238	88265	259592	40055	247039	36846
8	Overall Balance (5 + 7)	96054	15508	377925	61406	115830	17905	144234	21550
9	Monetary Movement								
	a) IMF Transactions								
	i) Purchases								
	ii) Repurchases								
	iii) Net								
	b) Increase (-)/decrease (+) in Reserves	-96054	-15508	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550
10	Total Reserve movement (9a(iii)+9b) [(-) Increase/ (+) decrease]	-96054	-15508	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550

Source: Reserve Bank of India

Notes:

P: Preliminary, PR : Partially Revised, a: Commercial borrowings include short term credit.

1. Grants received are covered under item 4(a).
2. Estimated interest accrued and credited to NRI deposits during the year has been treated as notional outflow under invisible payments and added as reinvestment in NRI deposits under banking capital.
3. In accordance with the provision of IMF's Balance of Payments Manual (5th Edition), gold purchased from the Government of India by the RBI has been excluded from the BOP statistics. Data for the earlier years has, therefore, been amended by making suitable adjustments in Other Capital-Receipts and Foreign Exchange Reserves.

   Similarly, item SDR Allocation has been deleted from the table.
4. With effect from 1996-97, private transfer receipts include redemption in rupees of both principal and interest under Non-Resident External (Rupee) Account [NRE(R)A] and Non-Resident Non-Repatriable Rupee Deposit [NR(NR)RD] schemes. This marks an improvement in data reporting.
5. Totals may not tally due to rounding off.

Table 6.3 A. Balance of Payments as per Balance of Payments Manual 6

(₹ crore)

	Items	2013-14			2014-15			2015-16 (PR)			2016-17 (P)		
		Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Current Account (1.A+1.B+1.C)	3342089	3528995	-186906	3412151	3575039	-162888	3281796	3425146	-143350	3495211	3597569	-102358
1.A	Goods and Services (1.A.a+1.A.b)	2850324	3292300	-441976	2901402	3318948	-417546	2753734	3147437	-393703	2973118	3275080	-301962
1.A.a	Goods	1931074	2815918	-884845	1934210	2820072	-885862	1743289	2592820	-849531	1878943	2633395	-754452
1.A.b	Services (1.A.b.1 to 1.A.b.13)	919250	476381	442869	967192	498877	468316	1010446	554617	455828	1094175	641685	452490
1.A.b.1	Manufacturing services on physical inputs owned by others	945	170	775	663	177	485	1200	302	898	768	256	512
1.A.b.2	Maintenance and repair services n.i.e.	1287	1694	-408	1062	1385	-323	995	2119	-1124	1221	2372	-1151
1.A.b.3	Transport	105261	89480	15781	106865	98925	7940	91660	98618	-6958	106312	94773	11539
1.A.b.4	Travel	108807	71418	37389	124542	93535	31008	139542	96756	42786	155929	110154	45775
1.A.b.5	Construction	8091	7462	630	9850	7052	2798	10256	6268	3987	14383	5911	8473
1.A.b.6	Insurance and pension services	12849	6760	6089	13461	6835	6626	13113	7530	5583	14795	10033	4761
1.A.b.7	Financial services	40158	34604	5554	34583	21772	12811	32271	20487	11784	34193	39262	-5069
1.A.b.8	Charges for the use of intellectual property n.i.e.	3567	24020	-20453	3226	29468	-26243	3191	31952	-28761	3807	38368	-34561
1.A.b.9	Telecommunications, computer, and information services	436220	23815	412404	460702	25043	435659	501263	26732	474531	512084	32457	479627
1.A.b.10	Other business services	172250	164550	7699	173793	169173	4620	189693	203860	-14167	220981	216332	4648
1.A.b.11	Personal, cultural, and recreational services	7986	5066	2919	7282	8802	-1520	8658	7913	746	9338	14731	-5394
1.A.b.12	Government goods and services n.i.e.	2947	5888	-2941	3321	5871	-2550	3788	5677	-1890	3946	4021	-75
1.A.b.13	Others n.i.e.	18883	41452	-22569	27842	30838	-2996	14816	46401	-31585	16418	73015	-56597
1.B	Primary Income	68877	208761	-139884	81994	229423	-147430	96324	256104	-159779	109268	285598	-176330
1.C	Secondary Income	422888	27935	394953	428756	26667	402088	431737	21605	410132	412825	36892	375933
2	Capital Account (2.1+2.2)	10019	6399	3620	2789	2257	532	1987	1719	268	2910	1909	1001
2.1	Gross acquisitions (DR.)/disposals (CR.) of non-produced nonfinancial assets	610	570	40	1495	812	683	336	242	94	680	416	264
2.2	Capital transfers	9409	5829	3580	1294	1445	-151	1651	1477	174	2230	1493	737
3	Financial Account (3.1 to 3.5)	3152932	2963018	189914	3365248	3196580	168668	3339775	3189946	149829	3699036	3600147	98889
3.1	Direct Investment (3.1A+3.1B)	263894	133925	129969	317087	125869	191219	392422	156640	235782	474811	235898	238913
3.1.A	Direct Investment in India	218595	31765	186830	276400	60506	215893	364146	69888	294258	404057	120765	283292

Contd....

Table 6.3 A. Balance of Payments as per Balance of Payments Manual 6

(₹ crore)

	Items	2013-14			2014-15			2015-16 (PR)			2016-17 (P)		
		Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.B	Direct Investment by India	45299	102159	-56860	40688	65363	-24675	28276	86752	-58476	70753	115133	-44379
3.2	Portfolio Investment	1226673	1197104	29568	1561229	1311285	249945	1412345	1441933	-29588	1607507	1557026	50482
3.2.A	Portfolio Invesment in India	1221704	1190713	30991	1556857	1307004	249853	1406792	1432998	-26207	1592617	1541095	51522
3.2.B	Portfolio Invesment by India	4968	6391	-1423	4372	4281	91	5553	8935	-3381	14890	15931	-1040
3.3	Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options	58438	45777	12661	92447	102493	-10046	95295	90417	4878	155252	89346	65906
3.4	Other investment	1537539	1423769	113769	1394485	1279009	115476	1434150	1379563	54587	1453092	1565270	-112177
3.4.1	Other equity (ADRs/GDRs)	112		112	7909		7909	2385		2385	0	0	0
3.4.2	Currency and deposits	536189	295199	240990	397597	300743	96855	392397	289262	103136	321269	403019	-81750
3.4.3	Loans (External Assistance, ECBs and Banking Capital)	329292	340006	-10713	359172	363765	-4593	386224	444261	-58037	435424	492278	-56854
3.4.4	Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	3559	3968	-409	2239	1771	468	2674	7972	-5298	2976	4941	-1965
3.4.5	Trade credit and advances	602442	635155	-32712	548374	548820	-446	589587	599194	-9607	613446	569981	43465
3.4.6	Other accounts receivable/payable—other	65944	149443	-83498	79194	63910	15283	60883	38874	22009	79978	95051	-15073
3.4.7	Special drawing rights												
3.5	Reserve assets	66389	162443	-96054	0	377925	-377925	5563	121393	-115830	8373	152607	-144234
4	Total assets/liabilities	3152932	2963018	189914	3365248	3196580	168668	3339775	3189946	149829	3699036	3600147	98889
5	Net errors and omissions	4961	11589	-6628	6725	13037	-6312	2796	9542	-6746	8205	5737	2468

Source: Reserve Bank of India

Notes:

P: Preliminary, PR: Partially Revised

1. Totals may not tally due to rounding off.

Table 6.3 B. Balance of Payments as per Balance of Payments Manual 6

(US$ million)

	Items	2013-14 P			2014-15 P			2015-16 (PR)			2016-17 (P)		
		Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Current Account (1.A+1.B+1.C)	551719	583976	-32257	558173	584962	-26789	501381	523469	-22088	521102	536331	-15229
1.A	Goods and Services (1.A.a+1.A.b)	470420	544964	-74543	474652	543063	-68411	420676	481079	-60402	443261	488249	-44987
1.A.a	Goods	318607	466216	-147609	316545	461484	-144940	266365	396444	-130079	280138	392580	-112442
1.A.b	Services (1.A.b.1 to 1.A.b.13)	151813	78747	73066	158107	81578	76529	154311	84635	69676	163123	95668	67455
1.A.b.1	Manufacturing services on physical inputs owned by others	154	28	125	109	29	79	183	45	138	115	38	76
1.A.b.2	Maintenance and repair services n.i.e.	214	282	-69	173	226	-53	152	324	-171	182	354	-172
1.A.b.3	Transport	17380	14792	2588	17485	16177	1308	14004	15080	-1076	15851	14132	1719
1.A.b.4	Travel	17922	11810	6112	20334	15306	5028	21268	14792	6476	23244	16427	6817
1.A.b.5	Construction	1339	1236	103	1613	1153	460	1562	955	607	2144	881	1263
1.A.b.6	Insurance and pension services	2121	1116	1005	2202	1119	1084	2002	1151	852	2206	1496	710
1.A.b.7	Financial services	6650	5814	835	5661	3580	2081	4944	3135	1809	5099	5852	-754
1.A.b.8	Charges for the use of intellectual property n.i.e.	585	3980	-3395	529	4820	-4291	489	4891	-4402	568	5720	-5152
1.A.b.9	Telecommunications, computer, and information services	72054	3928	68126	75334	4094	71240	76563	4076	72487	76345	4839	71506
1.A.b.10	Other business services	28482	27189	1293	28422	27644	778	28994	31095	-2101	32946	32254	692
1.A.b.11	Personal, cultural, and recreational services	1323	831	493	1192	1440	-248	1325	1221	104	1392	2197	-805
1.A.b.12	Government goods and services n.i.e.	488	979	-490	543	961	-418	579	869	-291	588	600	-11
1.A.b.13	Others n.i.e.	3102	6762	-3660	4510	5030	-520	2245	7000	-4755	2444	10879	-8435
1.B	Primary Income	11352	34380	-23028	13397	37537	-24140	14703	39078	-24375	16291	42582	-26291
1.C	Secondary Income	69948	4633	65315	70123	4362	65762	66002	3312	62690	61550	5500	56050
2	Capital Account (2.1+2.2)	1718	1060	659	456	370	85	304	263	41	434	285	150
2.1	Gross acquisitions (DR.)/disposals (CR.) of non-produced nonfinancial assets	99	93	6	244	134	110	51	37	13	101	62	40
2.2	Capital transfers	1619	967	652	211	236	-25	253	226	27	333	223	110
3	Financial Account (3.1 to 3.5)	521478	488897	32581	550481	522757	27725	510639	487519	23120	551482	536767	14715
3.1	Direct Investment (3.1A+3.1B)	43582	22018	21564	51796	20544	31251	59878	23857	36021	70784	35172	35612
3.1.A	Direct Investment in India	36047	5284	30763	45147	9864	35283	55559	10652	44907	60220	18005	42215

Contd....

Table 6.3 B. Balance of Payments as per Balance of Payments Manual 6

(US$ million)

		2013-14 P			2014-15 P			2015-16 (PR)			2016-17 (P)		
	Items	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net	Credit	Debit	Net
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.B	Direct Investment by India	7535	16734	-9199	6649	10680	-4031	4320	13205	-8886	10564	17167	-6603
3.2	Portfolio Investment	203164	198362	4802	255490	214556	40934	216181	220685	-4503	239738	232127	7612
3.2A	Portfolio Invesment in India	202312	197304	5009	254777	213854	40923	215334	219349	-4016	237514	229748	7766
3.2.B	Portfolio Invesment by India	851	1058	-207	713	702	11	848	1335	-487	2224	2378	-154
3.3	Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options	9607	7601	2006	15184	16748	-1563	14522	13891	631	23148	13327	9822
3.4	Other investment	254424	234707	19717	228011	209502	18509	219202	210326	8876	216570	233350	-16780
3.4.1	Other equity (ADRs/GDRs)	20	-	20	1271	-	1271	373	-	373	0	0	0
3.4.2	Currency and deposits	88244	48858	39386	64995	49205	15789	60024	44216	15808	47928	60009	-12081
3.4.3	Loans (External Assistance, ECBs and Banking Capital)	54524	55653	-1129	58725	59601	-876	59140	67343	-8203	64821	73444	-8623
3.4.4	Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	575	648	-74	364	288	76	407	1194	-787	443	737	-294
3.4.5	Trade credit and advances	100117	105161	-5044	89729	89840	-111	90043	91653	-1610	91453	84986	6467
3.4.6	Other accounts receivable/payable—other	10944	24387	-13443	12928	10568	2361	9215	5920	3294	11925	14175	-2250
3.4.7	Special drawing rights												
3.5	Reserve assets	10701	26209	-15508		61406	-61406	856	18761	-17905	1242	22792	-21550
4	Total assets/liabilities	521478	488897	32581	550481	522757	27725	510639	487519	23120	551482	536767	14715
5	Net errors and omissions	887	1870	-983	1089	2110	-1021	420	1493	-1073	1221	857	364

Notes:

P: Preliminary, PR: Partially Rervised

1. Totals may not tally due to rounding off

Table 6.4. Exchange Rate of Rupee vis-a-vis Selected Currencies of the World

(₹ per unit of foreign currency)

Year /Months	US dollar	Pound sterling	Euro[a]	Yen	Canadian dollar	Turkish lira	Indonesian rupiah	Brazillian real	Mexican peso	Korean won	Pakistan rupee	Thailand baht	SDR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1992-93							**(Official Rate)**						
April	25.890	45.461		0.194	21.800	0.004	0.013	0.012	0.009	0.033	1.049	1.021	35.485
May	25.890	46.838		0.198	21.586	0.004	0.013	0.010	0.009	0.033	1.056	1.014	35.931
June	25.890	47.788		0.204	21.651	0.004	0.013	0.008	0.009	0.033	1.085	1.020	36.551
July	25.890	49.721		0.206	21.764	0.004	0.013	0.007	0.009	0.033	1.119	1.025	37.385
August	25.890	50.384		0.205	21.734	0.004	0.013	0.006	0.009	0.033	1.035	1.027	37.709
September	25.890	47.567		0.211	21.161	0.004	0.013	0.005	0.009	0.034	1.035	1.028	37.695
October	25.890	42.862		0.214	20.805	0.003	0.013	0.004	0.009	0.033	1.054	1.026	37.162
November	25.890	39.535		0.209	20.413	0.003	0.013	0.003	0.008	0.033	1.021	1.019	35.910
December	26.154	40.578		0.211	20.574	0.003	0.013	0.002	0.008	0.033	1.028	1.026	36.329
January	26.199	40.141		0.210	20.500	0.003	0.013	0.002	8.435b	0.033	1.025	1.028	36.082
February	26.199	37.704		0.217	20.788	0.003	0.013	0.002	8.460	0.033	1.010	1.029	35.939
							(Market Rate)[c]						
March 1993	31.526	45.952		0.270	25.279	0.003	0.015	0.001	10.151	0.040	1.198	1.242	43.521
1993-94	31.366	47.206		0.291	23.956	0.002	0.015	0.122	10.009	0.039	1.083	1.240	43.886
2000-01	45.684	67.552	41.483	0.414	30.383	0.007[d]	0.005	24.153	4.788	0.039	0.820	1.100	59.546
2001-02	47.692	68.319	42.181	0.382	30.473	0.004[d]	0.005	19.549	5.183	0.037	0.772	1.069	60.215
2002-03	48.395	74.819	48.090	0.397	31.253	0.003[d]	0.005	15.489	4.806	0.040	0.819	1.132	64.126
2003-04	45.952	77.739	53.990	0.407	33.991	0.003[d]	0.005	15.713	4.248	0.039	0.798	1.132	65.690
2004-05	44.932	82.864	56.555	0.418	35.205	8.269[e]	0.005	15.707	3.964	0.041	0.763	1.121	66.928
2005-06	44.273	79.047	53.912	0.391	37.137	32.843	0.045	19.170	4.122	0.044	0.741	1.096	64.490
2006-07	45.250	85.643	58.051	0.387	39.765	31.156	0.005	21.044	4.113	0.048	0.748	1.236	67.254
2007-08	40.261	80.841	57.060	0.353	39.042	32.155	0.004	21.762	3.703	0.043	0.658	1.194	62.651
2008-09	45.993	78.316	65.058	0.462	40.875	32.678	0.004	23.569	3.853	0.038	0.613	1.346	71.277
2009-10	47.443	75.781	67.051	0.511	43.567	31.266	0.005	25.455	3.616	0.039	0.572	1.409	73.733
2010-11	45.563	70.881	60.232	0.533	44.840	29.888	0.005	26.385	3.663	0.040	0.534	1.464	69.723
2011-12	47.923	76.391	65.894	0.607	48.222	27.682	0.005	28.222	3.788	0.043	0.547	1.564	75.313
2012-13	54.410	85.971	70.069	0.658	54.347	30.291	0.006	27.092	4.171	0.049	0.572	1.768	83.026
2013-14	60.502	96.306	81.175	0.604	57.437	30.100	0.006	26.907	4.679	0.056	0.587	1.924	92.260
2014-15	61.144	98.573	77.521	0.558	53.780	27.223	0.005	24.840	4.457	0.058	0.609	1.882	90.796
2015-16	65.468	98.726	72.289	0.546	49.945	23.060	0.005	18.378	3.944	0.057	0.632	1.872	91.345

Contd....

Table 6.4. Exchange Rate of Rupee vis-a-vis Selected Currencies of the World

(₹ per unit of foreign currency)

Year /Months	US dollar	Pound sterling	Euro[a]	Yen	Canadian dollar	Turkish lira	Indonesian rupiah	Brazillian real	Mexican peso	Korean won	Pakistan rupee	Thailand baht	SDR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2016-17	67.072	87.690	73.609	0.620	51.113	21.067	0.005	20.382	3.489	0.058	0.641	1.908	92.616
April	66.470	95.272	75.409	0.607	51.854	23.463	0.005	18.806	3.808	0.058	0.636	1.897	93.672
May	66.907	97.248	75.692	0.615	51.721	22.632	0.005	18.896	3.676	0.057	0.640	1.886	94.392
June	67.297	95.553	75.573	0.639	52.223	23.050	0.005	19.607	3.591	0.058	0.644	1.907	94.734
July	67.208	88.520	74.359	0.645	51.456	22.617	0.005	20.593	3.623	0.059	0.642	1.921	93.422
August	66.940	87.798	75.004	0.661	51.514	22.621	0.005	20.881	3.627	0.060	0.640	1.925	93.672
September	66.738	87.715	74.826	0.655	50.911	22.465	0.005	20.482	3.468	0.060	0.639	1.922	93.363
October	66.748	82.518	73.607	0.644	50.370	21.664	0.005	20.896	3.521	0.059	0.638	1.903	92.169
November	67.626	83.994	73.104	0.626	50.349	20.451	0.005	20.148	3.339	0.058	0.646	1.912	92.323
December	67.900	84.735	71.598	0.585	50.941	19.396	0.005	20.283	3.310	0.057	0.649	1.898	91.483
January	68.080	83.862	72.326	0.592	51.636	18.184	0.005	21.297	3.183	0.058	0.650	1.921	91.972
February	67.075	83.817	71.465	0.593	51.153	18.316	0.005	21.623	3.309	0.059	0.641	1.917	90.860
March	65.877	81.245	70.342	0.583	49.228	17.943	0.005	21.076	3.419	0.058	0.629	1.890	89.236
2017-18							**(Market Rate)[c]**						
April	64.507	81.543	69.166	0.586	47.996	17.656	0.005	20.561	3.442	0.057	0.616	1.873	87.861
May	64.425	83.210	71.226	0.575	47.331	18.077	0.005	20.101	3.433	0.057	0.615	1.871	88.636
June	64.443	82.513	72.414	0.581	48.405	18.317	0.005	19.556	3.555	0.057	0.616	1.896	89.190
July	64.456	83.754	74.204	0.573	50.766	18.116	0.005	20.144	3.619	0.057	0.612	1.912	89.923
August	63.968	83.043	75.596	0.582	50.736	18.258	0.005	20.294	3.595	0.057	0.608	1.924	90.301
September	64.441	85.725	76.789	0.582	52.502	18.550	0.005	20.567	3.613	0.057	0.613	1.944	91.553
October	65.081	85.915	76.480	0.576	51.747	17.690	0.005	20.380	3.457	0.058	0.619	1.959	91.713

Source: Reserve Bank of India

Notes:

a : The Euro came into existence on January 1, 1999.

b : Peso revalued in January 1993, 1000 old Peso = 1 New Peso.

c : Indicative rates announced by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

d: 100 Turkish Lira

e : Turkish Lira has been replaced by New Lira w.e.f. 1.1.2005.

1. Annual/monthly averages. During March 1992 to February 1993, a dual exchange rate system was prevalent, in which the official rate was fixed by the RBI and the market rate was determined in the Inter-Bank market for the US dollar.

2. The data for 2001-02 in respect of Deutsche Mark, French Franc and Italian Lira pertain to 11 months only as Germany, France and Italy accepted the Euro as their national currency w.e.f. March 1, 2002.

3. Figures of US dollar, Pound sterling, Euro and Japanese yen from May 2012 onwards are RBI's reference rates.

Table 6.5. Trends in Nominal and Real Effective Exchange Rate of Rupee

(Trade Based Weights)

Year/month (Average)	Nominal effective exchange rate (NEER) 6-currency Index	Real effective exchange rate (REER) 6-Currency Index	Nominal effective exchange rate (NEER) 36-currency Index	Real effective exchange rate (REER) 36-Currency Index
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Base Year: 1993-94=100				
1994-95	96.86	105.71	99.21	104.59
1995-96	88.45	101.14	91.65	98.42
1996-97	86.73	100.97	89.08	96.64
1997-98	87.80	104.24	92.17	100.95
1998-99	77.37	95.99	88.76	92.84
1999-00	77.03	97.52	90.90	95.75
2000-01	77.30	102.65	92.11	100.04
2001-02	75.89	102.49	91.52	100.87
2002-03	71.09	97.43	89.22	98.19
2003-04	69.75	98.85	87.15	99.50
2004-05	69.26	101.35	87.28	100.05
Base Year: 2004-05=100				
2005-06	103.04	104.45	102.24	102.38
2006-07	98.09	103.82	97.63	100.76
2007-08	104.62	113.44	104.75	109.20
2008-09	90.42	103.94	93.34	99.65
2009-10	87.07	110.73	90.94	103.88
2010-11	91.83	124.50	93.54	112.68
2011-12	84.44	121.17	87.38	110.27
2012-13	75.59	117.15	78.32	105.57
2013-14	67.76	112.80	72.32	103.27
2014-15	68.60	119.92	74.07	108.96
2015-16	67.52	122.71	74.75	112.08
2016-17 (P)	66.86	125.17	74.65	114.51
2016-17 (P)				
April	65.84	121.36	73.38	111.24
May	65.54	122.40	73.36	112.12
June	65.43	122.62	73.26	112.92
July	66.24	124.46	73.95	114.18
August	66.11	124.57	73.92	114.16
September	66.36	124.89	74.30	114.40
October	67.02	126.29	74.84	115.51
November	67.04	126.31	75.01	115.79
December	67.74	127.01	75.60	116.02
January	67.39	125.13	75.22	114.69
February	68.15	127.03	75.82	115.50
March	69.46	129.97	77.19	117.57
2017-18 (P)				
April	70.64	131.79	78.45	119.75
May	70.12	131.62	78.19	119.48
June	69.55	130.23	77.73	119.13
July	68.97	130.70	77.35	120.02
August	68.62	131.27	77.45	121.16
September	67.61	129.15	76.46	119.20
October	67.45	129.71	76.33	119.59

Source: Reserve Bank of India

Notes:

1. REER figures for the period 1994-95 to 2004-05 are based on Wholesale Price Index (WPI).
2. REER figures for the period 2005-06 to 2014-15 are based on Consumer Price Index (CPI).

P: Provisional

Table 7.1 A. Exports, Imports and Trade Balance

Year	Exports (including re-exports) (₹crore)	Imports (₹ crore)	Trade Balance (₹ crore)	Rate of Change	
				Export	Import
				(per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	485	617	-132	--	--
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1951-52	716	890	-174	18.2	46.4
1952-53	578	702	-124	-19.3	-21.1
1953-54	531	610	-79	-8.1	-13.1
1954-55	593	700	-107	11.7	14.8
1955-56	609	774	-165	2.7	10.6
1956-57	605	841	-236	-0.7	8.7
1957-58	561	1035	-474	-7.3	23.1
1958-59	581	906	-325	3.6	-12.5
1959-60	640	961	-321	10.2	6.1
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1961-62	660	1090	-430	2.8	-2.9
1962-63	685	1131	-446	3.8	3.8
1963-64	793	1223	-430	15.8	8.1
1964-65	816	1349	-533	2.9	10.3
1965-66	810	1409	-599	-0.7	4.4
1966-67	1157	2078	-921	42.8	47.5
1967-68	1199	2008	-809	3.6	-3.4
1968-69	1358	1909	-551	13.3	-4.9
1969-70	1413	1582	-169	4.1	-17.1
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1971-72	1608	1825	-217	4.8	11.7
1972-73	1971	1867	104	22.6	2.3
1973-74	2523	2955	-432	28.0	58.3
1974-75	3329	4519	-1190	31.9	52.9
1975-76	4036	5265	-1229	21.2	16.5
1976-77	5142	5074	68	27.4	-3.6
1977-78	5408	6020	-612	5.2	18.6
1978-79	5726	6811	-1085	5.9	13.1
1979-80	6418	9143	-2725	12.1	34.2
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1981-82	7806	13608	-5802	16.3	8.4
1982-83	8803	14293	-5490	12.8	5.0
1983-84	9771	15831	-6060	11.0	10.8
1984-85	11744	17134	-5390	20.2	8.2
1985-86	10895	19658	-8763	-7.2	14.7
1986-87	12452	20096	-7644	14.3	2.2
1987-88	15674	22244	-6570	25.9	10.7
1988-89	20232	28235	-8003	29.1	26.9
1989-90	27658	35328	-7670	36.7	25.1
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	-3810	35.3	10.8
1992-93	53688	63375	-9687	21.9	32.4
1993-94	69751	73101	-3350	29.9	15.3

Contd....

Table 7.1 A. Exports, Imports and Trade Balance

Year	Exports (including re-exports) (₹crore)	Imports (₹ crore)	Trade Balance (₹ crore)	Rate of Change	
				Export	Import
				(per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1994-95	82674	89971	-7297	18.5	23.1
1995-96	106353	122678	-16325	28.6	36.4
1996-97	118817	138920	-20103	11.7	13.2
1997-98	130100	154176	-24076	9.5	11.0
1998-99	139752	178332	-38580	w7.4	15.7
1999-00	159095	215529	-56434	13.8	20.9
2000-01	201356	228307	-26950	26.6	5.9
2001-02	209018	245200	-36182	3.8	7.4
2002-03	255137	297206	-42069	22.1	21.2
2003-04	293367	359108	-65741	15.0	20.8
2004-05	375340	501065	-125725	27.9	39.5
2005-06	456418	660409	-203991	21.6	31.8
2006-07	571779	840506	-268727	25.3	27.3
2007-08	655864	1012312	-356448	14.7	20.4
2008-09	840755	1374436	-533681	28.2	35.8
2009-10	845534	1363736	-518202	0.6	-0.8
2010-11	1142922	1683467	-540545	35.2	23.4
2011-12	1465959	2345463	-879504	28.3	39.3
2012-13	1634319	2669162	-1034843	11.5	13.8
2013-14	1905011	2715434	-810423	16.6	1.7
2014-15	1896348	2737087	-840738	-0.5	0.8
2015-16	1716378	2490298	-773920	-9.5	-9.0
2016-17	1849429	2577666	-728237	7.8	3.5
2017-18 (Apr-Dec)(P)	1441420	2182290	-740870	7.7	17.0

Source : Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Kolkata

Notes:

1. For the years 1956-57, 1957-58, 1958-59 and 1959-60, the data are as per the Fourteenth Report of the Estimates Committee(1971-72) of the erstwhile Ministry of Foreign Trade.

P: Provisional

Table 7.1 B. Exports, Imports and Trade Balance

Year	Exports (including re-exports) (US $ million)	Imports (US $ million)	Trade Balance (US $ million)	Rate of Change	
				Export	Import
				(per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	1016	1292	-276	--	--
1950-51	1269	1273	-4	24.9	-1.5
1951-52	1490	1852	-362	17.4	45.5
1952-53	1212	1472	-260	-18.7	-20.5
1953-54	1114	1279	-165	-8.1	-13.1
1954-55	1233	1456	-223	10.7	13.8
1955-56	1275	1620	-345	3.4	11.3
1956-57	1259	1750	-491	-1.3	8.0
1957-58	1171	2160	-989	-7.0	23.4
1958-59	1219	1901	-682	4.1	-12.0
1959-60	1343	2016	-673	10.2	6.0
1960-61	1346	2353	-1007	0.2	16.7
1961-62	1381	2281	-900	2.6	-3.1
1962-63	1437	2372	-935	4.1	4.0
1963-64	1659	2558	-899	15.4	7.8
1964-65	1701	2813	-1112	2.5	10.0
1965-66	1693	2944	-1251	-0.5	4.7
1966-67	1628	2923	-1295	-3.8	-0.7
1967-68	1586	2656	-1070	-2.6	-9.1
1968-69	1788	2513	-725	12.7	-5.4
1969-70	1866	2089	-223	4.4	-16.9
1970-71	2031	2162	-131	8.8	3.5
1971-72	2153	2443	-290	6.0	13.0
1972-73	2550	2415	135	18.4	-1.1
1973-74	3209	3759	-550	25.8	55.7
1974-75	4174	5666	-1492	30.1	50.7
1975-76	4665	6084	-1419	11.8	7.4
1976-77	5753	5677	76	23.3	-6.7
1977-78	6316	7031	-715	9.8	23.9
1978-79	6978	8300	-1322	10.5	18.0
1979-80	7947	11321	-3374	13.9	36.4
1980-81	8486	15869	-7383	6.8	40.2
1981-82	8704	15174	-6470	2.6	-4.4
1982-83	9107	14787	-5680	4.6	-2.6
1983-84	9449	15311	-5862	3.8	3.5
1984-85	9878	14412	-4534	4.5	-5.9
1985-86	8904	16067	-7163	-9.9	11.5
1986-87	9745	15727	-5982	9.4	-2.1
1987-88	12089	17156	-5067	24.1	9.1
1988-89	13970	19497	-5527	15.6	13.6
1989-90	16612	21219	-4607	18.9	8.8
1990-91	18143	24075	-5932	9.2	13.5
1991-92	17865	19411	-1546	-1.5	-19.4
1992-93	18537	21882	-3345	3.8	12.7
1993-94	22238	23306	-1068	20.0	6.5

Contd....

Table 7.1 B. Exports, Imports and Trade Balance

Year	Exports (including re-exports) (US $ million)	Imports (US $ million)	Trade Balance (US $ million)	Rate of Change	
				Export	Import
				(per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1994-95	26330	28654	-2324	18.4	22.9
1995-96	31797	36678	-4881	20.8	28.0
1996-97	33470	39133	-5663	5.3	6.7
1997-98	35006	41484	-6478	4.6	6.0
1998-99	33218	42389	t-9171	-5.1	2.2
1999-2000	36715	49738	-13023	10.5	17.3
2000-01	44076	49975	-5899	20.0	0.5
2001-02	43827	51413	-7587	-0.6	2.9
2002-03	52719	61412	-8693	20.3	19.4
2003-04	63843	78149	-14307	21.1	27.3
2004-05	83536	111517	-27981	30.8	42.7
2005-06	103091	149166	-46075	23.4	33.8
2006-07	126414	185735	-59321	22.6	24.5
2007-08	163132	251654	-88522	29.0	35.5
2008-09	185295	303696	-118401	13.6	20.7
2009-10	178751	288373	-109621	-3.5	-5.0
2010-11	251136	369769	-118633	40.5	28.2
2011-12	305964	489319	-183356	21.8	32.3
2012-13	300401	490737	-190336	-1.8	0.3
2013-14	314405	450200	-135794	4.7	-8.3
2014-15	310338	448033	-137695	-1.3	-0.5
2015-16	262290	381007	-118717	-15.5	-15.0
2016-17	275852	384356	-108504	5.2	0.9
2017-18 (Apr-Dec) (P)	223513	338370	-114857	12.1	21.8

Source : DGCI&S, Kolkata

P: Provisional

Notes:

1. For the years 1956-57, 1957-58, 1958-59 and 1959-60, the data are as per the Fourteenth Report of the Estimates Committee (1971-72) of the erstwhile Ministry of Foreign Trade.

Table 7.2 A. Principal Imports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		1960-61			1970-71			1980-81		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Food and live animals chiefly for food (excl. cashew raw)**	...	214	449	...	242	321	...	380	481
	of which:									
I.1	Cereals and cereal preparations	3747.7	181	380	3343.2	213	282	400.8	100	127
II.	**Raw materials and intermediate manufactures**	...	527	1105	...	889	1176	...	9760	12341
II.1	Cashewnuts (unprocessed)	na	...	...	169.4	29	39	25	9	11
II.2	Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	36.2	11	23	7.8	4	5	26.2	32	40
II.3	Fibres	...	101	212	...	127	168	...	164	208
	of which:									
II.3.1	Synthetic and regenerated fibres (man-made fibres)	0.2	...	...	15.8	9	12	68.8	97	122
II.3.2	Raw wool	1.9	1	2	19	15	20	18.8	43	55
II.3.3	Raw cotton	237.1	82	172	139.1	99	131	na	...	...
II.3.4	Raw jute	100.4	8	17	0.7	...	0	8	1	1
II.4	Petroleum, oil and lubricants	800	69	145	12767	136	180	23537	5264	6656
II.5	Animal and vegetable oils and fats	...	5	10	...	39	51	...	709	896
	of which:									
II.5.1	Edible oils	31.1	4	8	84.7	23	31	1633.3	677	857
II.6	Fertilizers and chemical products	...	88	185	...	217	286	...	1490	1884
	of which:									
II.6.1	Fertilizers and fertilizer mfg	307	13	27	2392.7	86	113	5560.2	818	1034
II.6.2	Chemical elements and compounds	...	39	82	...	68	90	...	358	453
II.6.3	Dyeing, tanning and colouring material	...	1	2	...	9	12	...	21	26
II.6.4	Medicinal and pharmaceutical products	...	10	21	...	24	32	...	85	107
II.6.5	Plastic material, regenerated cellulose and artificial resins	...	9	19	...	8	11	...	121	154
II.7	Pulp and waste paper	80.3	7	15	71.7	12	16	36.9	18	23
II.8	Paper, paper board and manufactures thereof	55.6	12	25	159	25	33	371.4	187	236
II.9	Non-metallic mineral manufactures	...	6	13	...	33	44	...	555	702
	of which:									
II.9.1	Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked	...	1	2	...	25	33	...	417	527
II.10	Iron and steel	1325.2	123	258	683.4	147	194	2031.1	852	1078
II.11	Non-ferrous metals	...	47	99	...	119	158	...	477	604
III.	**Capital goods[a]**	...	356	747	...	404	534	...	1910	2416
III.1	Manufactures of metals	...	23	48	...	9	12	...	90	113
III.2	Non-electrical machinery apparatus and appliances including machine toolsb	...	203	426	...	258	341	...	1089	1377
III.3	Electrical machinery, apparatus and appliancesb	...	57	120	...	70	93	...	260	328
III.4	Transport equipment	...	72	151	...	67	88	...	472	597
	Total Imports	**...**	**1122**	**2353**	**...**	**1634**	**2162**	**...**	**12549**	**15869**

Contd....

Table 7.2A. Principal Imports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		1990-91			2000-01			2010-11		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
(1)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	**Food and live animals chiefly for food (excl. cashew raw)**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
	of which:									
I.1	Cereals and cereal preparations	308.3	182	102	69.9	90	20	251.5	545	119
II.	**Raw materials and intermediate manufactures**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
II.1	Cashewnuts (unprocessed)	82.6	134	75	249.7	962	211	501.0	2650	578
II.2	Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	105.1	226	126	119.1	695	152	587.7	8074	1771
II.3	Fibres	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	of which:									
II.3.1	Synthetic and regenerated fibres (man-made fibres)	21.2	56	31	42.6	275	60	81.5	957	210
II.3.2	Raw wool	29.4	182	102	53.7	458	100	94.4	1435	315
II.3.3	Raw cotton	0.2	1	0	212.3	1185	259	56.5	624	137
II.3.4	Raw jute	32.1	20	11	67.3	84	18	83.1	302	67
II.4	Petroleum, oil and lubricants	29359	10816	6028	...	71497	15650	...	482282	105964
II.5	Animal and vegetable oils and fats	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	of which:									
II.5.1	Edible oils	525.8	326	182	4267.9	6093	1334	6677.6	29860	6551
II.6	Fertilizers and chemical products	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	of which:									
II.6.1	Fertilizers and fertilizer mfg	7560.3	1766	984	7423.4	3034	664	20658.9	31533	6885
II.6.2	Chemical elements and compounds	...	2289	1276	...	1542	338	...	13278	2914
II.6.3	Dyeing, tanning and colouring material	...	168	94	...	874	191	...	5368	1178
II.6.4	Medicinal and pharmaceutical products	...	468	261	...	1723	377	...	11114	2436
II.6.5	Plastic material, regenerated cellulose and artificial resins	...	1095	610	...	2551	558	...	31304	6874
II.7	Pulp and waste paper	678.2	458	255	1050.9	1290	282	2634.5	5208	1145
II.8	Paper, paper board and manufactures thereof	286.4	456	254	585.6	2005	439	2145.0	9614	2111
II.9	Non-metallic mineral manufactures	...	...	...	...	797	174	...	...	...
	of which:									
II.9.1	Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked	...	3738	2083	...	22101	4838	...	157596	34620
II.10	Iron and steel	1920.5	2113	1178	1613.6	3569	781	9843.9	47275	10376
II.11	Non-ferrous metals	...	1102	614	...	2462	539	...	212153	46677
III.	**Capital goods[a]**	**...**	**10466**	**5833**	**...**	**25281**	**5534**	**...**	**231712**	**50907**
III.1	Manufactures of metals	...	302	168	...	1786	391	...	15167	3332
III.2	Non-electrical machinery[b] apparatus and appliances including machine tools	...	4240	2363	...	16915	3703	...	118928	26111
III.3	Electrical machinery, apparatus and appliances[b]	...	1702	949	...	2227	487	...	17510	3845
III.4	Transport equipment	...	1670	931	...	4353	953	...	52112	11467
	Total Imports	**...**	**43198**	**24075**	**...**	**228307**	**51413**	**...**	**1683467**	**369769**

Contd....

Table 7.2A. Principal Imports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		2014-15			2015-16			2016-17		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
(1)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
I.	**Food and live animals chiefly for food (excl. cashew raw)**	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	of which:									
I.1	Cereals and cereal preparations	120	718	117	786	1798	276	6128	9589	1429
II.	**Raw materials and intermediate manufactures**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
II.1	Cashewnuts (unprocessed)	933	6600	1087	962	8701	1339	775	9027	1347
II.2	Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	916	11691	1916	928	9878	1513	885	10030	1496
II.3	Fibres	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	of which:									
II.3.1	Synthetic and regenerated fibres (man-made fibres)	...	2484	407	...	2630	403	...	2454	366
II.3.2	Raw wool	97	2126	349	98	2016	308	87	1894	282
II.3.3	Raw cotton	289	3102	509	232	2566	394	500	6339	947
II.3.4	Raw jute	44	140	23	88	363	56	139	704	105
II.4	Petroleum, oil and lubricants	...	842874	138326	...	540505	82944	...	582762	86896
II.5	Animal and vegetable oils and fats									
	of which:									
II.5.1	Edible oils	12732	64890	10621	15644	68677	10492	14007	73039	10893
II.6	Fertilizers and chemical products									
	of which:									
II.6.1	Fertilizers and fertilizer mfr	26649	45295	7399	28593	52502	8072	23590	33706	5024
II.6.2	Chemical elements and compounds*	...	145919	23899	...	142063	21738	...	147356	21974
II.6.3	Dyeing, tanning and colouring material	...	14937	2448	...	14699	2248	...	15307	2283
II.6.4	Medicinal and pharmaceutical products	...	33211	5433	...	35575	5440	...	33502	4995
II.6.5	Plastic material, regenerated cellulose and artificial resins	...	73718	12070	...	77070	11795	...	80227	11964
II.7	Pulp and waste paper	...	5781	944	...	6265	956	...	6537	975
II.8	Paper, paper board and manufactures thereof	...	15681	2567	...	15758	2408	...	17456	2602
II.9	Non-metallic mineral manufactures									
	of which:									
II.9.1	Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked	...	137968	22598	...	131366	20070	...	159464	23809
II.10	Iron and steel	16874	75516	12342	20920	73558	11252	13888	55278	8239
II.11	Non-ferrous metals	...	304062	49676	...	295510	45239	...	262961	39226
III.	**Capital goods[a]**	...	348632	56930	...	353160	53879	...	379106	56494
III.1	Manufactures of metals**	...	27652	4516	...	28631	4372	...	28028	4178
III.2	Non-electrical machinery[b] apparatus and appliances including machine tools	...	110772	18106	...	100814	15396	...	100318	14954
III.3	Electrical machinery, apparatus and appliancesb	...	75475	12330	...	86183	13122	...	84126	12543
III.4	Transport equipment	...	112521	18345	...	119489	18228	...	152337	22688
	Total Imports	**...**	**2737087**	**448033**	**...**	**2490298**	**381007**	**...**	**2577666**	**384356**

Source : DGCI&S, Kolkata

Notes:

... : Not Available.

[a] : From the year 1987-88 onwards, capital goods include project goods.

[b] : From the year 1991-92 onwards, Items III.2 & III.3 exclude electronic goods.

* : II.6.2 Chemical elements and compounds includes Organic & Inorganic Chemicals,Chemical material & Products

** : Items belonging to Manufactures of Metals (Except few ITCHS) already considered under other Groups of Table 4A.

Table 7.2 B : Share and Percentage Change of Major Imports

	Commodity Group	Percentage share			Percentage change[a]		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Food and allied products[b]**	3.9	5.1	5.6	19.9	9.3	12.0
	of which						
	1. Cereals[c]	0.0	0.1	0.4	28.8	135.5	417.9
	2. Pulses	0.6	1.0	1.1	31.5	40.1	8.8
	3. Cashew Nuts	0.2	0.4	0.4	40.5	23.2	0.5
	4. Edible Oils	2.4	2.8	2.8	13.1	-1.2	3.8
II.	**Fuel**	34.8	25.4	26.7	-13.8	-38.1	6.3
	5. Coal[d]	4.0	3.6	4.1	8.5	-23.2	15.3
	6. POL	30.9	21.8	22.6	-16.0	-40.0	4.8
III.	**Fertilizers[e]**	1.7	2.1	1.3	18.1	9.1	-37.8
IV.	**Paper board manufactures & newsprint**	0.7	0.8	0.9	1.0	3.5	7.4
V.	**Capital goods[f]**	11.7	13.0	13.6	-1.4	-5.5	5.6
	of which						
	7. Machinery except elec & machine tool	4.0	4.0	3.9	2.8	-15.0	-2.9
	8. Electrical machinery	2.8	3.4	3.3	5.2	6.4	-4.4
	9. Transport equipment	4.1	4.8	5.9	-4.9	-0.6	24.5
	10. Project goods	0.8	0.7	0.5	-20.2	-24.0	-24.9
VI.	**Others**	34.0	38.1	37.0	11.2	-4.6	-2.0
	of which						
	11. Chemicals[g]	5.9	6.3	6.3	6.5	-9.0	1.1
	12. Pearls precious semi precious stones	5.0	5.3	6.2	-5.8	-11.2	18.6
	13. Iron & steel[h]	2.8	3.0	2.1	35.5	-8.8	-26.8
	14. Non-ferrous metals[i]	2.4	2.6	2.6	21.0	-9.5	1.5
	15. Gold & Silver	8.7	9.3	7.6	17.1	-8.8	-17.3
	16. Professional instruments, optical goods, etc.	0.8	1.0	1.0	0.1	0.4	6.5
	17. Electronic Goods	8.4	10.7	11.2	12.9	9.1	4.7
	Total Imports	100.0	100.0	100.0	-0.5	-15.0	0.9

Source: DGCI&S, Kolkata

Notes:

a : In terms of US dollar

b : Including Tea, Sugar, Milk and Cream, Spices, Fruits & Nuts.

c : Including cereals preparations.

d : Including coke and briquettes.

e : Including fertilizers crude and fertilizers manufactured.

f : Including Manufactures of metals.

g : Including organic chemical, inorganic chemical, chemical materials & products and dyeing, tanning & colouring material.

h : Including primary steel and pig iron based items.

i : Excluding gold and silver

Table 7.3A. Principal Exports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		1960-61			1970-71			1980-81		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Agricultural and allied products**	**...**	**284**	**596**	**...**	**487**	**644**	**...**	**2057**	**2601**
	of which									
I. 1	Coffee	19.7	7	15	32.2	25	33	87.3	214	271
I. 2	Tea and mate	199.2	124	260	199.1	148	196	229.2	426	538
I. 3	Oil cakes	433.8	14	29	878.5	55	73	886	125	158
I. 4	Tobacco	47.5	16	34	49.8	33	43	91.3	141	178
I. 5	Cashew kernels	43.6	19	40	60.6	57	76	32.3	140	177
I. 6	Spices	47.2	17	36	46.9	39	51	84.2	11	14
I. 7	Sugar and molasses	99.6	30	60	473	29	39	97	40	50
I. 8	Raw cotton	32.6	12	25	32.1	14	19	131.6	165	209
I. 9	Rice	...	...	...	32.8	5	7	726.7	224	283
I. 10	Fish and fish preparations	19.9	5	10	32.6	31	40	69.4	217	274
I. 11	Meat and meat preparations	...	1	2	...	3	4	...	56	70
I. 12	Fruits, vegetables and pulses									
	(excl.cashew kernels, processed	...	6	13	...	12	16	...	80	101
	fruits & juices)									
I. 13	Miscellaneous processed foods (incl.	...	1	2	...	4	6	...	36	45
	processed fruits and juices)									
II.	**Ores and minerals (excl. coal)**	...	52	109	...	164	217	...	414	523
	of which									
II.1	Mica	28.4	...	...	26.7	16	21	16.7	18	22
II.2	Iron ore (million tonne)	3.2	17	36	21.2	117	155	22.4	303	384
III.	**Manufactured goods**	...	291	610	...	772	1021	...	3747	4738
	of which									
III. 1	Textile fabrics & manufactures									
	(excl. carpets hand-made)	...	73	153	...	145	192	...	933	1179
	of which									
III.1.1	Cotton yarn,fabrics, made-ups etc.	...	65	136	...	142	188	...	408	516
III.1.2	Readymade garments of all									
	textile materials	...	1	2	...	29	39	...	550	696
III. 2	Coir yarn and manufactures	...	6	13	...	13	17	...	17	22
III. 3	Jute manufactures incl.twist & yarn	790.0	135	283	560.0	190	252	660.0	330	417
III. 4	Leather & leather manufactures incl.									
	leather footwear,leather travel	...	28	59	...	80	106	...	390	493
	goods & leather garments									
III. 5	Handicrafts (incl. carpets hand-made)[c]	...	11	23	...	73	96	...	952	1204
	of which:									
III. 5.1	Gems and jewellery	...	1	2	...	45	59	...	618	782
III. 6	Chemicals and allied products[a]	...	7	15	...	29	39	...	225	284
III. 7	Machinery, transport & metal manufactures									
	including iron and steel[b]	...	22	46	...	198	261	...	827	1045
IV.	**Mineral fuels and lubricants (incl. coal)[d]**	...	7	15	...	13	17	...	28	35
	Total Exports	...	642	1346	...	1535	2031	...	6711	8486

Contd....

Table 7.3A. Principal Exports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		1990-91			2000-01			2010-11		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
	(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	**Agricultural and allied products:**	...	6317	3521	...	28582	6256	...	111393	24448
	of which									
I. 1	Coffee	86.5	252	141	184.9	1185	259	232.6	3010	662
I. 2	Tea and mate	199.1	1070	596	202.4	1976	433	238.3	3354	736
I. 3	Oil cakes	2447.8	609	339	2417.8	2045	448	6936.9	11070	2438
I. 4	Tobacco	87.1	263	147	108.3	871	191	215.9	3985	875
I. 5	Cashew kernels	55.5	447	249	83.8	1883	412	12156.5	2853	627
I. 6	Spices	103.3	239	133	244.9	1619	354	762.7	8043	1768
I. 7	Sugar and molasses	191.0	38	21	769.0	511	112	2086.3	5633	1246
I. 8	Raw cotton	374.4	846	471	30.2	224	49	1885.8	13160	2910
I. 9	Rice	505.0	462	257	1534.4	2943	644	2471.4	11586	2545
I. 10	Fish and fish preparations	158.9	960	535	502.6	6367	1394	825.3	11917	2623
I. 11	Meat and meat preparations	...	140	78	...	1470	322	...	8960	1971
I. 12	Fruits, vegetables and pulses									
	(excl.cashew kernels, processed									
	fruits & juices)	...	216	120	...	1609	352	...	6350	1397
I. 13	Miscellaneous processed foods (incl.									
	processed fruits and juices)	...	213	119	...	1094	239	...	3669	806
II.	**Ores and minerals (excl. coal)**	...	1497	834	...	4139	906	...	39098	8581
	of which									
II.1	Mica	42.0	35	19	63.2	64	14	125.8	189	42
II.2	Iron ore (million tonne)	32.5	1049	585	20161.4	1634	358	46.9	21416	4715
III.	**Manufactured goods**	...	23736	13229	...	160723	35181		789433	173263
	of which									
III. 1	Textile fabrics & manufactures									
	(excl. carpets hand-made)	...	6832	3807	...	...	...			
	of which									
III.1.1	Cotton yarn,fabrics, made-ups etc.	...	2100	1170	...	16030	3509	...	13160	2910
III.1.2	Readymade garments of all									
	textile materials	...	4012	2236	...	25478	5577	...	52861	11614
III. 2	Coir yarn and manufactures	...	48	27	...	221	48	...	726	159
III. 3	Jute manufactures incl.twist & yarn	220.0	298	166	...	932	204	...	2092	459
III. 4	Leather & leather manufactures incl.									
	leather footwear,leather travel									
	goods & leather garments	...	2600	1449	...	8914	1951	...	17818	3909
III. 5	Handicrafts (incl. carpets hand-made)[c]	...	6167	3437	...	5097	1116	...	5877	1293
	of which									
III. 5.1	Gems and jewellery	...	5247	2924	...	33734	7384	...	184420	40509
III. 6	Chemicals and allied products[a]	...	2111	1176	...	22851	5002	...	131544	28905
III. 7	Machinery, transport & metal manufactures									
	including iron and steel[b]	...	3872	2158	...	31870	6976	...	226805	49815
IV.	**Mineral fuels and lubricants (incl.coal)[d]**	...	948	528	...	8822	1931		192639	42280
	Total Exports	...	32553	18143	...	201356	44076		1136964	251136

Contd....

Table 7.3A. Principal Exports

Quantity : Thousand tonnes
Value : ₹ crore & US $ million

		2014-15			2015-16			2016-17		
		Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million	Qty.	₹. Cr	$ million
	(1)	(20	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
I.	**Agricultural and allied products**	...	240639	39354	...	216368	33025	...	226775	33816
	of which									
I. 1	Coffee	243.0	4973	814	255.7	5125	784	288.6	5646	843
I. 2	Tea and mate	234.4	4171	682	245.7	4719	720	243.4	4906	731
I. 3	Oil cakes	3904.6	8129	1324	2056.4	3600	553	2632.3	5410	805
I. 4	Tobacco	219.6	5869	959	215.3	6452	982	204.4	6424	959
I. 5	Cashew kernels	145.4	5622	918	114.8	5086	777	103.2	5323	793
I. 6	Spices	939.0	14848	2430	831.7	16630	2541	1014.5	19111	2852
I. 7	Sugar and molasses	2202.8	5522	903	4663.0	10481	1592	2934.7	8974	1338
I. 8	Raw cotton	1142.5	11643	1900	1347.1	12821	1939	996.1	10907	1621
I. 9	Rice	12001.1	48028	7853	10510.4	38202	5847	10756.0	38443	5734
I. 10	Fish and fish preparations	1231.8	33688	5510	978.0	31219	4768	1185.3	39594	5903
I. 11	Meat and meat preparations	...	30128	4920	...	27528	4198	...	27036	4034
I. 12	Fruits, vegetables and pulses	...	9044.843242	1479.366935	...	11084.22915	1687.511056	...	12042.64105	1797.400611
	(excl.cashew kernels, processed									
	fruits & juices)									
I. 13	Miscellaneous processed foods (incl.	...	13037.10115	2131.715864	...	14100.60383	2153.144792	...	14206.48283	2119.211607
	processed fruits and juices)									
II.	**Ores and minerals (excl. coal)**	...	28684	4684	...	26637	4056	...	36158	5379
	of which									
II.1	Mica	140.4	342	56	135.085574	344	53	134.4	374	56
II.2	Iron ore (million tonne)	7.3	3143	515	5.444485	1263	191	30.7	10291	1534
III.	**Manufactured goods**	...	1266137	207080	...	1260740	192638	...	1360597	202964
	of which									
III. 1	Textile fabrics & manufactures	...	42455.95139	6943.195122	...	40315.37088	6163.9874	...	41111.53653	6130.301813
	(excl. carpets hand-made)									
	of which									
III.1.1	Cotton yarn,fabrics, made-ups etc.	...	57832	9454	...	58073	8874	...	57358	8550
III.1.2	Readymade garments of all	...	102943.1798	16833.3209	...	111019.4281	16964.36054	...	116459.0236	17368.15338
	textile materials									
III. 2	Coir yarn and manufactures	...	1725	282	...	1717	262	...	1977	295
III. 3	Jute manufactures incl.twist & yarn	...	1934	316	...	2049	313	...	2157	321
III. 4	Leather & leather manufactures incl.	...	37852.82855	6195.194412	...	36326.5523	5554.459598	...	35608.01313	5308.297965
	leather footwear,leather travel									
	goods & leather garments									
III. 5	Handicrafts (incl. carpets hand-made)[c]	...	16728	2736	...	20213	3086	...	22845	3407
	of which	...	252207.6767	41266.0716	...	257420.8135	39284.27252	...	290903.3191	43412.76445
III. 5.1	Gems and jewellery	...	228282	37344	...	244763	37395	...	257969	38470
III. 6	Chemicals and allied products[a]									
III. 7	Machinery, transport & metal manufactures	...	433863.2162	70917.1313	...	393742.8963	60220.62974	...	437528.0261	65267.91982
	including iron and steel[b]									
IV.	**Mineral fuels and lubricants (incl. coal)[d]**	...	351090	57614	...	203734	31209	...	217340	32416
	Total Exports	...	1896445	310352.0095	...	1716378	262290	...	1849429	275852

Source: DGCI&S, Kolkata
Notes:

Table 7.3 B. Share and Percentage Change of Major Exports

	Commodity Group	Percentage share			Percentage change[a]		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Agricullture & allied		12.7	12.6	12.3	-8.8	-16.1	2.4
of which							
1	Tea	0.2	0.3	0.3	-15.3	5.6	1.6
2	Coffee	0.3	0.3	0.3	2.5	-3.7	7.5
3	Cereals	0.3	0.2	0.2	-9.2	-34.3	-4.1
4	Unmanufactured Tobacco	0.2	0.3	0.2	-13.9	-2.2	-4.7
5	Spices	0.8	1.0	1.0	-3.0	4.6	12.2
6	Cashewnuts	0.3	0.3	0.3	8.4	-15.4	2.1
7	Oil Meals	0.4	0.2	0.3	-52.9	-58.2	45.6
8	Fruits & Vegetables & Pulses	0.5	0.6	0.7	-17.0	14.1	6.5
9	Marine Products	1.8	1.8	2.1	8.8	-13.5	23.8
10	Raw Cotton	0.6	0.7	0.6	-48.4	2.0	-16.4
II. Ores and Minerals		1.3	1.4	1.8	-18.6	-11.8	34.9
of which							
11	Iron Ore	0.2	0.1	0.6	-67.2	-62.8	701.0
12	Processed minerals	0.3	0.3	0.3	3.1	-15.6	2.9
13	Other ores & minerals	0.8	1.0	0.9	-2.9	-0.1	-3.6
III. Manufactured goods		66.7	73.5	73.6	3.7	-6.9	5.3
of which							
14	Leather & Manufactures	1.2	1.2	1.1	5.6	-13.1	-6.8
15	Leather footwear	0.7	0.8	0.8	11.9	-5.7	-1.0
16	Gems & Jewellerly	13.3	15.0	15.7	-0.3	-4.8	10.5
17	Drugs, Pharmaceuticals & fine chemicals	1.4	1.4	1.3	-1.2	-14.4	-3.6
18	Dyes/intmdts. & Coaltar chemicals	0.8	0.8	0.8	9.4	-13.9	6.0
19	Manufactures of metals	5.2	5.4	4.6	21.0	-11.8	-10.0
20	Machinery & instruments	6.7	6.5	6.9	12.6	-17.8	11.3
21	Transport equipments	7.5	7.9	7.7	21.8	-10.4	2.8
22	Primary & semi-finished Iron & Steel	2.8	2.1	3.1	-6.3	-36.8	58.1
23	Electronic Goods	2.0	2.3	2.2	-22.1	-4.8	0.1
24	Cotton yarn, fabrics, made-ups etc.	3.0	3.4	3.1	-2.5	-6.1	-3.7
25	Readymade Garments	5.4	6.5	6.3	12.3	0.8	2.4
26	Handicrafts	0.9	1.2	1.2	-8.7	12.8	10.6
IV. Crude & Petroleum Products (incl. Coal)		18.6	11.9	11.8	-11.4	-45.8	3.9
V. Other & unclassified items		0.7	0.6	0.6	7.5	-27.4	0.3
Total Exports		100.0	100.0	100.0	-1.3	-15.5	5.2

Source: DGCI&S, Kolkata

Note:

a : In terms of US dollar

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1) Europe	**71,010**	**424,266**	**73,920**	**451,909**	**4.1**	**16.5**	**64,633**	**422,624**	**61,447**	**412,073**	**-4.9**	**16.0**
1.1 EU Countries	**49,951**	**301,284**	**49,208**	**300,771**	**-1.5**	**11.0**	**43,898**	**287,133**	**42,359**	**284,105**	**-3.5**	**11.0**
1) Germany	12,932	78,210	12,788	78,181	-1.1	2.9	12,088	79,098	11,584	77,704	-4.2	3.0
2) Belgium	10,752	64,672	10,806	65,939	0.5	2.4	8,256	54,001	6,625	44,396	-19.8	1.7
3) U K	6,045	36,043	5,018	30,733	-17.0	1.1	5,193	33,936	3,665	24,584	-29.4	1.0
4) France	3,692	22,331	4,416	27,030	19.6	1.0	3,730	24,420	5,708	38,264	53.0	1.5
5) Italy	4,157	25,141	4,232	25,862	1.8	0.9	4,072	26,645	3,895	26,128	-4.4	1.0
6) Netherland	3,139	18,921	2,803	17,095	-10.7	0.6	1,860	12,168	1,896	12,729	1.9	0.5
7) Spain	1,843	11,172	2,005	12,281	8.8	0.4	1,646	10,756	1,969	13,223	19.6	0.5
8) Sweden	1,679	10,158	1,748	10,702	4.1	0.4	1,485	9,693	1,161	7,788	-21.8	0.3
9) Finland	1,054	6,422	917	5,600	-13.0	0.2	1,002	6,550	1,012	6,792	0.9	0.3
10) Austria	829	5,018	816	4,982	-1.6	0.2	827	5,422	908	6,085	9.8	0.2
11) Poland	623	3,780	636	3,891	2.1	0.1	570	3,731	691	4,637	21.3	0.2
12) Ireland	558	3,379	533	3,260	-4.5	0.1	552	3,613	526	3,528	-4.7	0.1
13) Czech Republic	518	3,140	518	3,166	0.0	0.1	508	3,319	539	3,618	6.2	0.1
14) Denmark	445	2,692	458	2,801	2.9	0.1	429	2,812	482	3,231	12.4	0.1
15) Romania	376	2,268	296	1,812	-21.1	0.1	309	2,024	317	2,128	2.6	0.1
16) Hungary	220	1,334	240	1,466	8.6	0.1	243	1,586	219	1,466	-9.8	0.1
17) Portugal	340	2,075	145	885	-57.3	0.0	103	671	141	946	37.7	0.0
18) Slovak Rep	53	322	137	846	157.9	0.0	65	423	69	460	6.0	0.0
19) Greece	109	659	128	779	16.7	0.0	111	722	122	819	9.8	0.0
20) Estonia	115	710	118	720	2.4	0.0	142	913	102	687	-27.9	0.0
21) Lithuania	54	323	112	678	108.4	0.0	214	1,404	271	1,819	26.5	0.1
22) Slovenia	118	714	105	639	-11.5	0.0	89	579	102	682	14.8	0.0
23) Bulgaria	94	568	104	634	10.7	0.0	94	616	182	1,220	94.4	0.1
24) Luxembourg	46	277	42	256	-9.4	0.0	176	1,143	46	310	-73.8	0.0
25) Latvia	104	622	36	220	-65.1	0.0	62	399	40	266	-35.6	0.0
26) Malta	34	210	28	174	-17.5	0.0	26	174	22	150	-15.4	0.0

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27) Cyprus	20	122	23	140	12.4	0.0	48	314	67	445	38.2	0.0
1.2 European Free Trade Association (EFTA)	**20,063**	**116,922**	**23,140**	**141,551**	**15.3**	**5.2**	**19,890**	**129,967**	**17,821**	**119,473**	**-10.4**	**4.6**
1) Switzerland	19,311	112,338	22,133	135,367	14.6	4.9	19,299	126,074	17,249	115,619	-10.6	4.5
2) Norway	745	4,540	1,001	6,148	34.4	0.2	585	3,858	567	3,816	-3.2	0.2
3) Iceland	7	41	5	29	-29.3	0.0	4	27	5	32	10.2	0.0
4) Liechtenstein	0	3	1	7	148.9	0.0	1	8	1	6	-27.3	0.0
1.3 Other European Countries	**996**	**6,060**	**1,572**	**9,587**	**57.8**	**0.4**	**845**	**5,524**	**1,267**	**8,494**	**50.0**	**0.3**
1) Turkey	760	4,594	1,464	8,937	92.5	0.3	777	5,080	1,207	8,097	55.4	0.3
2) Albania	199	1,244	51	301	-74.5	0.0	17	114	7	44	-62.2	0.0
3) Croatia	10	58	29	174	194.8	0.0	36	236	25	170	-29.6	0.0
4) Union Of Serbia & Montenegro	6	33	15	93	172.6	0.0	3	19				
5) Macedonia	20	121	9	56	-54.6	0.0	7	46	24	162	240.6	0.0
6) Bosnia-Hrzgovin	2	10	4	26	156.6	0.0	4	29	3	22	-24.5	0.0
2) Africa	**36,627**	**221,340**	**38,635**	**235,792**	**5.5**	**8.6**	**31,667**	**206,498**	**28,845**	**193,456**	**-8.9**	**7.5**
2.1 Southern African Customs Union (SACU)	**6,598**	**39,081**	**7,567**	**46,262**	**14.7**	**1.7**	**6,547**	**42,692**	**7,256**	**48,652**	**10.8**	**1.9**
1) South Africa	6,075	35,858	6,497	39,741	6.9	1.5	5,948	38,785	5,834	39,117	-1.9	1.5
2) Botswana	383	2,361	1,013	6,168	164.5	0.2	542	3,539	1,307	8,766	141.1	0.3
3) Namibia	13	78	34	209	164.8	0.0	10	68	50	338	382.7	0.0
4) Swaziland	125	770	22	136	-82.3	0.0	41	268	39	264	-3.9	0.0
5) Lesotho	3	14	1	8	-45.0	0.0	5	32	25	167	404.0	0.0
2.2 Other South African Countries	**6,541**	**39,962**	**5,259**	**32,059**	**-19.6**	**1.2**	**3,630**	**23,656**	**3,947**	**26,466**	**8.8**	**1.0**
1) Angola	5,992	36,651	4,618	28,118	-22.9	1.0	2,767	17,984	2,596	17,406	-6.2	0.7
2) Mozambique	293	1,781	326	1,998	11.2	0.1	363	2,375	546	3,662	50.5	0.1
3) Zambia	243	1,454	283	1,740	16.5	0.1	475	3,134	744	4,991	56.5	0.2
4) Zimbabwe	13	76	33	202	161.6	0.0	24	162	60	406	147.3	0.0
2.3 West Africa	**17,237**	**104,580**	**20,035**	**122,203**	**16.2**	**4.5**	**16,741**	**109,124**	**13,025**	87,367	-22.2	3.4
1) Nigeria	14,098	85,767	13,683	83,433	-2.9	3.1	9,949	64,923	7,659	51,375	-23.0	2.0
2) Ghana	371	2,250	1,258	7,741	239.4	0.3	2,981	19,405	1,939	13,015	-35.0	0.5

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3) Gabon	868	5,077	793	4,811	-8.7	0.2	106	691	69	466	-34.2	0.0
4) Equtl Guinea	302	1,869	749	4,581	148.3	0.2	457	3,012	798	5,353	74.5	0.2
5) Cameroon	268	1,624	745	4,542	177.8	0.2	558	3,619	359	2,411	-35.6	0.1
6) Guinea	194	1,116	730	4,449	275.4	0.2	370	2,405	279	1,874	-24.6	0.1
7) Cote D' Ivoire	298	1,791	532	3,216	78.3	0.1	572	3,697	456	3,056	-20.4	0.1
8) Congo P Rep	90	539	366	2,231	308.3	0.1	202	1,305	157	1,049	-22.4	0.0
9) Benin	168	1,001	222	1,343	32.5	0.0	276	1,778	207	1,391	-24.8	0.1
10) Senegal	154	954	208	1,270	35.5	0.0	264	1,727	316	2,118	19.7	0.1
11) Togo	156	949	196	1,198	25.1	0.0	225	1,454	138	929	-38.5	0.0
12) Guinea Bissau	110	678	158	967	44.4	0.0	198	1,294	216	1,443	8.8	0.1
13) Burkina Faso	17	101	152	937	816.3	0.0	238	1,550	256	1,715	7.7	0.1
14) Mali	71	426	79	476	10.8	0.0	243	1,606	99	662	-59.1	0.0
15) Liberia	27	156	58	359	114.7	0.0	32	205	8	51	-76.2	0.0
16) Mauritania	7	44	43	265	489.9	0.0	19	122	11	73	-41.0	0.0
17) Gambia	29	182	36	220	23.6	0.0	31	204	43	290	37.8	0.0
18) Sierra Leone	6	34	24	144	324.3	0.0	17	108	12	82	-26.2	0.0
19) Cape Verde Island	3	19	3	18	-6.6	0.0	3	18	2	13	-31.4	0.0
20) Niger	1	3	1	3	1.9	0.0	0	2	0	0	-90.9	0.0
21) St Helena	0	1	0	1	0.0	0.0			0	0		0.0
22) Sao Tome	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	632	0.0
2.4 Central Africa	108	647	266	1,630	145.7	0.1	531	3,438	369	2,475	-30.5	0.1
1) Congo D. Rep.	47	277	126	770	167.4	0.0	98	624	86	576	-12.1	0.0
2) Chad	11	68	63	390	457.5	0.0	321	2,077	169	1,138	-47.2	0.0
3) Uganda	33	200	38	230	13.7	0.0	46	300	69	462	51.4	0.0
4) Malawi	15	94	37	228	142.8	0.0	64	422	41	278	-35.7	0.0
5) Rwanda	0	2	1	7	384.0	0.0	1	9	1	8	-12.5	0.0
6) C Afri Rep	1	5	1	4	-30.8	0.0	1	5	0	3	-54.5	0.0
7) Burundi	0	1	0	2	61.1	0.0	0	1	2	11	1,353.1	0.0
2.5 East Africa	1,034	6,160	1,442	8,837	39.5	0.3	1,327	8,724	1,319	8,853	-0.6	0.3
1) Tanzania Rep	724	4,298	1,089	6,680	50.3	0.2	925	6,086	948	6,370	2.6	0.3

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2) Kenya	127	763	117	717	-7.3	0.0	128	837	104	699	-18.2	0.0
3) Madagascar	53	317	95	585	80.3	0.0	142	933	120	802	-15.5	0.0
4) Ethiopia	28	170	44	272	55.8	0.0	61	399	67	449	10.0	0.0
5) Somalia	46	279	38	231	-17.5	0.0	16	101	18	119	13.6	0.0
6) Reunion	23	137	23	138	-0.8	0.0	19	123	14	93	-26.0	0.0
7) Mauritius	21	125	21	129	1.9	0.0	20	133	18	123	-9.8	0.0
8) Comoros	7	41	11	70	71.5	0.0	15	100	26	173	69.9	0.0
9) Djibouti	4	24	1	9	-64.6	0.0	1	8	3	19	130.0	0.0
10) Seychelles	1	6	1	7	18.2	0.0	1	4	1	6	37.6	0.0
2.6 North Africa	5,109	30,910	4,066	24,801	-20.4	0.9	2,893	18,864	2,929	19,643	1.3	0.8
1) Egypt A Rp	2,389	14,391	1,742	10,645	-27.1	0.4	1,221	7,922	1,164	7,810	-4.7	0.3
2) Morocco	879	5,388	936	5,725	6.5	0.2	1,078	7,051	793	5,322	-26.4	0.2
3) Sudan	436	2,697	570	3,440	30.5	0.1	299	1,972	605	4,055	102.1	0.2
4) Algeria	861	5,232	552	3,380	-35.9	0.1	149	964	245	1,637	64.3	0.1
5) Tunisia	92	557	196	1,191	114.3	0.0	136	899	115	769	-15.9	0.0
6) Libya	452	2,645	70	419	-84.5	0.0	9	56	7	50	-15.9	0.0
3) America	57,454	347,400	55,909	341,700	-2.7	12.5	45,990	300,963	46,674	313,156	1.5	12.1
3.1 North America	29,326	176,996	28,957	177,103	-1.3	6.5	28,299	185,376	29,383	197,158	3.8	7.6
1) U S A	22,505	135,613	21,815	133,421	-3.1	4.9	21,781	142,678	22,307	149,655	2.4	5.8
2) Canada	3,148	19,030	3,749	22,966	19.1	0.8	4,234	27,793	4,132	27,726	-2.4	1.1
3) Mexico	3,672	22,353	3,393	20,717	-7.6	0.8	2,283	14,905	2,945	19,776	29.0	0.8
3.2 Latin America	28,128	170,404	26,952	164,596	-4.2	6.0	17,692	115,587	17,291	115,998	-2.3	4.5
1) Venezuela	13,940	84,384	11,730	71,586	-15.9	2.6	5,702	37,150	5,512	36,964	-3.3	1.4
2) Brazil	3,721	22,547	5,401	33,037	45.1	1.2	4,040	26,392	4,115	27,653	1.9	1.1
3) Chile	2,508	15,230	3,081	18,806	22.8	0.7	1,961	12,759	1,226	8,229	-37.5	0.3
4) Colombia	4,971	29,996	2,135	13,070	-57.0	0.5	808	5,266	594	3,985	-26.5	0.2
5) Argentina	1,338	8,155	1,992	12,167	48.9	0.4	2,472	16,251	2,501	16,763	1.2	0.7
6) Ecuador	255	1,588	1,066	6,415	317.2	0.2	564	3,652	356	2,384	-36.9	0.1
7) Peru	524	3,172	590	3,617	12.6	0.1	820	5,407	1,077	7,227	31.3	0.3
8) Dominic Rep	13	76	291	1,803	2,225.3	0.1	479	3,146	675	4,515	41.0	0.2

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9) Suriname	13	79	211	1,309	1,503.6	0.0	43	279	46	309	6.0	0.0
10) Costa Rica	204	1,236	155	942	-23.9	0.0	62	403	59	394	-5.4	0.0
11) Paraguay	5	33	88	540	1,568.9	0.0	112	736	155	1,042	38.3	0.0
12) Trinidad	5	33	68	427	1,178.9	0.0	92	609	174	1,164	88.7	0.1
13) Panama Republic	42	251	30	186	-26.8	0.0	72	473	202	1,353	178.4	0.1
14) Honduras	23	137	25	155	12.0	0.0	16	104	22	149	39.2	0.0
15) Uruguay	20	124	20	124	-0.3	0.0	18	116	13	90	-24.1	0.0
16) Guatemala	13	78	17	104	30.5	0.0	13	81	22	146	73.3	0.0
17) Netherlandantil	4	26	11	69	160.0	0.0	59	395	67	446	12.6	0.0
18) Guyana	7	44	10	63	41.5	0.0	18	121	14	97	-21.6	0.0
19) El Salvador	8	48	10	63	28.5	0.0	6	40	6	39	-6.7	0.0
20) Bolivia	2	14	4	22	47.1	0.0	240	1,580	174	1,167	-27.8	0.1
21) Falkland Island	2	10	3	16	65.0	0.0	2	11				
22) Nicaragua	3	16	2	13	-17.4	0.0	4	25	3	18	-31.9	0.0
23) Jamaica	1	6	2	11	97.8	0.0	2	10	1	8	-24.5	0.0
24) Haiti	1	6	2	10	65.3	0.0	3	21	4	24	10.1	0.0
25) Cuba	2	15	2	10	-34.6	0.0	1	9	1	9	-1.8	0.0
26) Fr Guiana	2	15	1	9	-42.9	0.0	1	8	1	10	25.0	0.0
27) Br Virgn Island	0	1	1	5	412.5	0.0	2	10	7	45	333.3	0.0
28) Bahamas	494	3,052	1	4	-99.9	0.0	77	511	259	1,728	235.1	0.1
29) Virgin Island US	2	14	1	4	-73.5	0.0	1	7	5	30	321.5	0.0
30) Antigua	0	0	0	3	1,125.0	0.0	0	0	0	0	-84.8	0.0
31) St Kitt N A	0	0	0	2	1,750.0	0.0	0	1	0	0	-95.3	0.0
32) Belize	2	9	0	1	-86.5	0.0	1	7	1	3	-48.6	0.0
33) Barbados	0	1	0	1	54.5	0.0	0	1	0	1	8.3	0.0
34) St Lucia	1	3	0	1	-72.0	0.0	0	3	0	2	-47.4	0.0
35) Dominica	0	0	0	1	42.9	0.0	0	1	1	5	706.8	0.0
36) Martinique	0	1	0	1	-25.0	0.0						
37) Bermuda	0	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0	5,267	0.0

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38) Guadeloupe	0	2	0	0	-77.1	0.0	0	0				
39) Turks C Island	0	1	0	0	-91.7	0.0	0	0	0	0	47.9	0.0
40) Montserrat	0	0	0	0	0.0	0.0		0				
41) Cayman Island	0	0	0	0	-100.0	0.0			0	0		0.0
42) St Vincent	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0				
43) Grenada	0	0	0	0	0.0	0.0			0	0		0.0
4) Asia	273,198	1,650,452	263,913	1,612,004	-3.4	58.9	222,628	1,455,055	230,569	1,546,324	3.6	60.0
4.1 East Asia (Oceania)	10,628	63,822	11,024	67,445	3.7	2.5	9,703	63,430	11,828	79,387	21.9	3.1
1) Australia	9,823	58,958	10,247	62,701	4.3	2.3	8,899	58,181	11,154	74,864	25.4	2.9
2) New Zealand	615	3,701	591	3,608	-3.8	0.1	548	3,585	504	3,385	-7.9	0.1
3) Papua N Gna	178	1,084	157	961	-11.8	0.0	180	1,161	108	726	-39.8	0.0
4) Solomon Island	5	33	13	84	154.2	0.0	68	444	54	364	-20.3	0.0
5) Nauru Rp	5	30	10	62	114.1	0.0	6	38	0	0	-99.4	0.0
6) Fiji Island	2	11	2	11	-10.0	0.0	0	2	1	4	61.0	0.0
7) Tuvalu			1	9	0	0.0	0	0	0	1	1,077.6	0.0
8) Samoa	0	0	1	7	5,800.0	0.0	2	16	6	42	155.9	0.0
9) Timor Leste	1	5	0	2	-62.7	0.0	0	0	0	1	417.6	0.0
10) Kiribati Rep	0	0	0	0	0	0.0						
11) Vanuatu Rep	0	0	0	0	0	0.0	0	2				
12) Tonga	0	0	0	0	-50.0	0.0	0	0	0	0	50,400	0.0
4.2 ASEAN	41,278	249,595	44,715	273,405	8.3	10.0	39,910	260,744	40,617	272,397	1.8	10.6
1) Indonesia	14,748	89,035	15,005	91,845	1.7	3.3	13,132	85,800	13,428	90,082	2.3	3.5
2) Malaysia	9,230	55,902	11,118	67,919	20.5	2.5	9,084	59,373	8,934	59,881	-1.7	2.3
3) Singapore	6,762	41,063	7,124	43,552	5.4	1.6	7,308	47,735	7,087	47,542	-3.0	1.8
4) Thailand	5,340	32,380	5,866	35,862	9.8	1.3	5,510	36,011	5,415	36,313	-1.7	1.4
5) Vietnam Soc Rep	2,594	15,568	3,003	18,398	15.8	0.7	2,560	16,763	3,321	22,263	29.7	0.9
6) Myanmar	1,396	8,391	1,232	7,477	-11.8	0.3	984	6,378	1,067	7,156	8.4	0.3
7) Brunei	764	4,575	841	5,134	10.1	0.2	554	3,610	628	4,208	13.3	0.2
8) Philippines	392	2,372	423	2,585	8.0	0.1	542	3,532	495	3,318	-8.8	0.1

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9) Lao Pd Rp	39	229	85	523	116.4	0.0	180	1,182	207	1,391	15.2	0.1
10) Cambodia	13	77	18	110	41.2	0.0	54	360	36	242	-33.7	0.0
4.3 West Asia- GCC	101,799	614,287	84,433	514,788	-17.1	18.8	55,790	364,147	55,172	369,966	-1.1	14.4
1) Saudi Arab	36,404	220,515	28,108	171,221	-22.8	6.3	20,321	132,580	19,972	133,946	-1.7	5.2
2) U Arab Emts	29,020	174,127	26,140	159,625	-9.9	5.8	19,446	126,981	21,510	144,237	10.6	5.6
3) Qatar	15,708	95,005	14,605	89,064	-7.0	3.3	9,022	58,912	7,646	51,276	-15.3	2.0
4) Kuwait	17,154	103,363	13,382	81,511	-22.0	3.0	4,970	32,379	4,462	29,899	-10.2	1.2
5) Oman	2,951	17,828	1,752	10,648	-40.6	0.4	1,675	10,957	1,291	8,657	-22.9	0.3
6) Baharain Island	563	3,449	446	2,720	-20.8	0.1	357	2,339	291	1,951	-18.6	0.1
4.4 Other West Asia	32,646	197,386	26,997	164,590	-17.3	6.0	20,140	131,170	25,071	168,147	24.5	6.5
1) Iraq	18,521	111,638	14,248	86,779	-23.1	3.2	10,838	70,564	11,708	78,515	8.0	3.1
2) Iran	10,307	62,798	8,955	54,588	-13.1	2.0	6,279	40,823	10,507	70,478	67.3	2.7
3) Israel	2,312	13,888	2,328	14,229	0.7	0.5	2,095	13,713	1,961	13,147	-6.4	0.5
4) Jordan	611	3,637	858	5,253	40.5	0.2	853	5,580	828	5,556	-2.9	0.2
5) Yemen Republc	782	4,727	541	3,326	-30.9	0.1	7	44	5	32	-30.1	0.0
6) Lebanon	37	224	40	242	6.7	0.0	28	180	30	203	9.4	0.0
7) Syria	77	474	28	173	-63.0	0.0	41	266	32	216	-20.5	0.0
4.5 NE Asia	84,373	510,353	93,813	573,828	11.2	20.9	94,110	616,105	95,067	637,553	1.0	24.7
1) China P Rp	51,035	309,235	60,413	369,565	18.4	13.5	61,707	404,043	61,282	411,094	-0.7	15.9
2) Korea Rp	12,471	75,283	13,529	82,720	8.5	3.0	13,047	85,363	12,585	84,404	-3.5	3.3
3) Japan	9,481	57,212	10,131	61,990	6.9	2.3	9,850	64,493	9,755	65,415	-1.0	2.5
4) Hong Kong	7,322	44,107	5,572	34,089	-23.9	1.2	6,052	39,636	8,204	54,906	35.6	2.1
5) Taiwan	4,041	24,382	4,029	24,618	-0.3	0.9	3,354	21,921	3,143	21,076	-6.3	0.8
6) Korea Dp Rp	12	68	132	805	957.1	0.0	88	567	89	592	0.8	0.0
7) Mongolia	9	51	4	26	-50.9	0.0	4	27	2	13	-51.9	0.0
8) Macao	3	16	2	14	-13.2	0.0	8	54	8	53	-4.5	0.0
4.6 South Asia	2,473	15,009	2,931	17,948	18.5	0.7	2,975	19,459	2,813	18,873	-5.4	0.7
1) Sri Lanka DSR	667	4,064	756	4,643	13.4	0.2	743	4,854	602	4,040	-18.9	0.2
2) Nepal	530	3,204	640	3,916	20.8	0.1	471	3,069	445	2,985	-5.4	0.1
3) Bangladesh PR	484	2,903	621	3,794	28.3	0.1	727	4,767	702	4,708	-3.5	0.2

Contd....

Table 7.4A. Direction of Imports : Imports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4) Pakistan IR	427	2,607	497	3,041	16.5	0.1	441	2,885	454	3,049	3.1	0.1
5) Afghanistan	209	1,288	262	1,613	25.5	0.1	308	2,029	293	1,967	-4.9	0.1
6) Bhutan	152	919	150	915	-1.5	0.0	281	1,827	308	2,063	9.4	0.1
7) Maldives	4	24	4	26	8.8	0.0	4	28	9	62	113.9	0.0
5) CIS & Baltics	7,723	46,694	7,665	46,737	-0.8	1.7	7,078	46,269	9,323	62,467	31.7	2.4
5.1 Cars Countries	703	4,267	776	4,723	10.3	0.2	457	2,980	612	4,085	34.0	0.2
1) Kazakhstan	656	3,978	702	4,267	6.9	0.2	353	2,295	521	3,474	47.7	0.1
2) Uzbekistan	32	192	56	345	77.3	0.0	45	298	47	312	2.9	0.0
3) Turkmenistan	14	87	13	79	-7.4	0.0	47	310	21	143	-54.6	0.0
4) Tajikistan	1	5	4	27	410.5	0.0	10	65	22	146	118.8	0.0
5) Kyrghyzstan	1	4	1	5	20.3	0.0	2	12	1	10	-17.0	0.0
5.2 Other CIS Countries	7,020	42,427	6,890	42,014	-1.9	1.5	6,621	43,289	8,710	58,382	31.6	2.3
1) Russia	3,894	23,570	4,249	25,924	9.1	0.9	4,585	29,986	5,552	37,180	21.1	1.4
2) Ukraine	1,805	10,896	2,239	13,662	24.1	0.5	1,751	11,465	2,481	16,657	41.7	0.7
3) Azerbaijan	1,137	6,857	199	1,189	-82.5	0.0	77	487	462	3,105	498.8	0.1
4) Belarus	158	947	182	1,114	15.5	0.0	165	1,066	171	1,143	3.4	0.0
5) Georgia	24	144	18	112	-23.0	0.0	24	160	32	211	28.8	0.0
6) Moldova	1	3	1	9	175.0	0.0	5	32	12	79	140.1	0.0
7) Armenia	2	10	1	5	-51.8	0.0	14	93	1	7	-92.5	0.0
6) Unspecified Region	4,187	25,282	7,992	48,944	90.9	1.8	9,010	58,889	7,498	50,190	-16.8	2.0
Total Imports	450,200	2,715,434	448,033	2,737,087	-0.5	100.0	381,007	2,490,298	384,356	2,577,666	0.9	100.0

Source: Department of Commerce based on DGCI&S data.

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1) Europe	58,326	353,711	56,304	344,197	-3.5	18.1	50,344	329,678	53,241	356,940	5.8	19.3
1.1 EU Countries	51,635	313,144	49,358	301,724	-4.4	15.9	44,496	291,392	47,195	316,408	6.1	17.1
1) U K	9,822	59,478	9,354	57,179	-4.8	3.0	8,858	57,962	8,551	57,323	-3.5	3.1
2) Germany	7,523	45,561	7,540	46,077	0.2	2.4	7,095	46,468	7,184	48,169	1.3	2.6
3) Netherland	7,998	48,757	6,327	38,662	-20.9	2.0	4,727	30,957	5,071	34,027	7.3	1.8
4) Belgium	6,377	38,687	5,520	33,719	-13.4	1.8	5,028	32,959	5,657	37,915	12.5	2.1
5) Italy	5,274	31,892	5,093	31,124	-3.4	1.6	4,218	27,638	4,903	32,861	16.2	1.8
6) France	5,109	30,954	4,957	30,327	-3.0	1.6	4,634	30,328	5,250	35,180	13.3	1.9
7) Spain	2,885	17,494	3,148	19,252	9.1	1.0	3,237	21,215	3,426	22,972	5.8	1.2
8) Poland	996	6,040	1,051	6,420	5.6	0.3	1,025	6,718	1,198	8,030	16.8	0.4
9) Ireland	414	2,511	760	4,673	83.3	0.2	526	3,445	485	3,256	-7.7	0.2
10) Sweden	733	4,446	740	4,526	1.0	0.2	684	4,476	709	4,754	3.7	0.3
11) Denmark	762	4,610	724	4,426	-4.9	0.2	689	4,515	693	4,647	0.6	0.3
12) Portugal	627	3,809	636	3,888	1.5	0.2	590	3,866	670	4,490	13.6	0.2
13) Romania	286	1,731	417	2,554	45.5	0.1	256	1,676	258	1,726	0.7	0.1
14) Czech Republic	387	2,371	379	2,308	-2.2	0.1	489	3,181	533	3,577	9.1	0.2
15) Austria	336	2,037	363	2,218	7.9	0.1	340	2,228	383	2,569	12.8	0.1
16) Greece	335	2,025	361	2,204	7.7	0.1	336	2,204	381	2,550	13.5	0.1
17) Hungary	344	2,080	349	2,134	1.6	0.1	345	2,258	406	2,725	17.7	0.2
18) Finland	416	2,531	331	2,020	-20.5	0.1	249	1,629	270	1,810	8.6	0.1
19) Malta	168	1,028	328	2,018	95.1	0.1	325	2,117	137	922	-57.8	0.1
20) Bulgaria	168	1,018	266	1,636	58.5	0.1	146	949	240	1,605	64.6	0.1
21) Slovenia	212	1,277	246	1,503	15.8	0.1	265	1,744	252	1,687	-5.1	0.1
22) Slovak Rep	104	631	137	837	31.1	0.0	138	899	146	980	6.3	0.1
23) Lithuania	105	635	103	631	-1.6	0.0	88	579	96	644	9.0	0.0
24) Latvia	102	617	98	600	-3.9	0.0	80	519	116	776	45.4	0.0
25) Estonia	79	479	68	417	-14.0	0.0	64	417	98	654	53.1	0.0
26) Cyprus	62	375	51	313	-17.0	0.0	60	391	72	480	20.0	0.0

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14 (US$ million)	2013-14 (₹ crore)	2014-15 (US$ million)	2014-15 (₹ crore)	Change (4) over (2) (Per cent)	Share (Per cent)	2015-16 (US$ million)	2015-16 (₹ crore)	2016-17 (US$ million)	2016-17 (₹ crore)	Change (10) over (8) (per cent)	Share (per cent)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27) Luxembourg	12	70	10	59	-18.3	0.0	8	53	11	77	42.3	0.0
1.2 European Free Trade Association (EFTA)	2,047	12,250	1,353	8,271	-33.9	0.4	1,538	10,042	1,241	8,304	-19.3	0.5
1) Switzerland	1,797	10,739	1,069	6,542	-40.5	0.3	977	6,422	978	6,545	0.1	0.4
2) Norway	229	1,389	263	1,606	15.0	0.1	542	3,493	245	1,642	-54.8	0.1
3) Iceland	20	120	20	122	0.2	0.0	19	122	17	112	-9.8	0.0
4) Liechtenstein	0	2	0	1	-40.6	0.0	1	5	1	5	-10.1	0.0
1.3 Other European Countries	4,644	28,317	5,594	34,201	20.4	1.8	4,309	28,245	4,805	32,228	11.5	1.7
1) Turkey	4,434	27,042	5,359	32,761	20.9	1.7	4,140	27,136	4,627	31,031	11.8	1.7
2) Croatia	139	842	176	1,083	26.8	0.1	112	737	124	831	10.4	0.0
3) Albania	19	115	19	119	3.7	0.0	24	158	26	177	10.0	0.0
4) Bosnia-Hrzgovin	12	70	18	109	54.5	0.0	20	129	13	88	-33.5	0.0
5) Macedonia	11	65	15	89	34.5	0.0	13	84	15	100	15.7	0.0
6) Union Of Serbia & Montenegro	30	182	7	41	-77.9	0.0	0	1	0	1	0.1	0.0
2) Africa	31,226	189,782	32,842	200,559	5.2	10.6	25,027	163,540	23,129	155,085	-7.6	8.4
2.1 Southern African Customs Union (SACU)	5,395	32,757	5,532	33,777	2.5	1.8	3,805	24,820	3,786	25,385	-0.5	1.4
1) South Africa	5,074	30,770	5,302	32,363	4.5	1.7	3,589	23,411	3,546	23,778	-1.2	1.3
2) Namibia	212	1,330	108	663	-49.2	0.0	74	484	90	603	22.1	0.0
3) Botswana	54	332	44	271	-18.3	0.0	52	341	77	517	47.2	0.0
4) Swaziland	23	137	40	246	75.1	0.0	60	387	40	265	-34.0	0.0
5) Lesotho	31	189	38	234	23.3	0.0	30	196	33	222	10.4	0.0
2.2 Other South African Countries	2,329	14,186	3,214	19,645	38.0	1.0	1,968	12,822	1,511	10,136	-23.2	0.6
1) Mozambique	1,257	7,679	2,071	12,652	64.7	0.7	1,242	8,087	1,010	6,778	-18.7	0.4
2) Angola	536	3,266	553	3,378	3.1	0.2	223	1,454	155	1,037	-30.7	0.1
3) Zambia	377	2,283	367	2,243	-2.8	0.1	298	1,947	237	1,589	-20.4	0.1
4) Zimbabwe	158	958	224	1,373	41.7	0.1	205	1,333	109	731	-46.8	0.0
2.3 West Africa	6,993	42,441	6,980	42,672	-0.2	2.2	6,095	39,911	5,652	37,886	-7.3	2.1
1) Nigeria	2,668	16,181	2,681	16,376	0.5	0.9	2,222	14,523	1,764	11,826	-20.6	0.6
2) Togo	444	2,721	688	4,204	55.1	0.2	532	3,504	316	2,116	-40.7	0.1

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3) Ghana	831	5,045	680	4,170	-18.2	0.2	624	4,091	681	4,566	9.2	0.3
4) Senegal	426	2,580	519	3,173	21.6	0.2	546	3,576	634	4,246	16.2	0.2
5) Benin	764	4,636	498	3,039	-34.8	0.2	427	2,798	448	3,001	4.8	0.2
6) Cote D' Ivoire	299	1,814	310	1,897	3.6	0.1	397	2,601	419	2,812	5.4	0.2
7) Guinea	203	1,237	284	1,735	39.5	0.1	279	1,819	355	2,379	27.4	0.1
8) Congo P Rep	210	1,275	253	1,553	20.2	0.1	167	1,089	136	910	-18.5	0.1
9) Cameroon	260	1,570	249	1,526	-4.1	0.1	191	1,246	149	998	-22.1	0.1
10) Liberia	254	1,546	207	1,265	-18.6	0.1	134	874	146	979	9.3	0.1
11) Mali	109	659	134	820	23.3	0.0	108	708	108	723	-0.2	0.0
12) Burkina Faso	103	624	113	688	9.3	0.0	109	716	115	771	5.7	0.0
13) Sierra Leone	101	601	80	493	-20.4	0.0	91	595	94	628	2.8	0.0
14) Niger	86	525	78	478	-9.4	0.0	80	528	81	545	1.4	0.0
15) Gambia	85	516	74	449	-13.6	0.0	60	391	62	418	4.8	0.0
16) Mauritania	58	351	59	360	1.6	0.0	58	382	66	442	13.1	0.0
17) Gabon	53	321	43	260	-18.8	0.0	37	242	43	290	17.7	0.0
18) Equtl Guinea	17	105	15	92	-12.9	0.0	18	116	11	75	-35.9	0.0
19) Guinea Bissau	19	117	10	60	-48.7	0.0	14	95	22	145	49.7	0.0
20) Cape Verde Island	1	9	4	25	188.1	0.0	1	9	1	8	-12.5	0.0
21) Sao Tome	1	6	1	9	59.8	0.0	1	6	1	6	-0.5	0.0
22) St Helena	0	0	0	1	600.0	0.0	0	1	0	0	-87.1	0.0
2.4 Central Africa	1,092	6,623	1,251	7,658	14.6	0.4	1,252	8,194	1,045	7,004	-16.5	0.4
1) Uganda	531	3,217	554	3,390	4.4	0.2	570	3,731	494	3,315	-13.2	0.2
2) Congo D. Rep.	181	1,099	254	1,559	40.1	0.1	318	2,085	199	1,335	-37.3	0.1
3) Malawi	221	1,343	214	1,307	-3.2	0.1	176	1,154	178	1,195	1.3	0.1
4) Rwanda	88	531	149	913	70.5	0.0	106	690	88	590	-17.0	0.0
5) Chad	33	202	41	249	23.2	0.0	43	284	39	258	-11.4	0.0
6) Burundi	31	186	31	193	2.2	0.0	29	190	36	240	23.8	0.0
7) C Afri Rep	8	46	8	47	0.4	0.0	9	61	10	69	12.2	0.0
2.5 East Africa	9,975	60,827	10,152	61,958	1.8	3.3	7,312	47,772	6,729	45,131	-8.0	2.4
1) Kenya	3,882	23,596	4,118	25,148	6.1	1.3	3,026	19,778	2,194	14,715	-27.5	0.8

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14 (US$ million)	2013-14 (₹ crore)	2014-15 (US$ million)	2014-15 (₹ crore)	Change (4) over (2) (Per cent)	Share (Per cent)	2015-16 (US$ million)	2015-16 (₹ crore)	2016-17 (US$ million)	2016-17 (₹ crore)	Change (10) over (8) (per cent)	Share (per cent)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2) Tanzania Rep	3,401	20,907	2,485	15,133	-26.9	0.8	1,655	10,800	1,784	11,967	7.8	0.7
3) Mauritius	1,000	6,077	1,910	11,649	90.9	0.6	856	5,572	881	5,920	3.0	0.3
4) Ethiopia	817	4,950	783	4,792	-4.1	0.3	794	5,198	774	5,186	-2.5	0.3
5) Somalia	211	1,287	353	2,157	67.3	0.1	487	3,190	504	3,379	3.6	0.2
6) Djibouti	307	1,844	238	1,453	-22.5	0.1	205	1,334	280	1,880	37.1	0.1
7) Madagascar	239	1,456	167	1,021	-30.0	0.1	197	1,284	214	1,428	8.5	0.1
8) Reunion	52	318	49	298	-6.9	0.0	43	279	41	276	-3.6	0.0
9) Seychelles	53	309	33	199	-38.2	0.0	34	224	36	241	5.3	0.0
10) Comoros	14	82	18	108	29.6	0.0	17	112	21	139	22.2	0.0
2.6 North Africa	5,442	32,948	5,712	34,849	5.0	1.8	4,595	30,022	4,407	29,544	-4.1	1.6
1) Egypt A Rp	2,562	15,561	3,026	18,443	18.1	1.0	2,338	15,272	2,067	13,855	-11.6	0.8
2) Algeria	1,070	6,450	1,064	6,494	-0.5	0.3	788	5,135	842	5,643	6.9	0.3
3) Sudan	863	5,213	882	5,395	2.3	0.3	782	5,110	749	5,021	-4.3	0.3
4) Morocco	386	2,330	326	1,993	-15.4	0.1	342	2,246	374	2,507	9.3	0.1
5) Tunisia	274	1,660	250	1,526	-8.9	0.1	222	1,459	255	1,712	14.9	0.1
6) Libya	287	1,734	164	999	-43.0	0.1	123	801	120	805	-2.1	0.0
7) Canary Island	0	0	0	0	0	0						
3) America	54,215	328,173	59,050	360,849	8.9	19.0	52,754	345,069	54,913	368,165	4.1	19.9
3.1 North America	43,423	262,605	47,522	290,481	9.4	15.3	45,223	295,886	47,682	319,678	5.4	17.3
1) U S A	39,158	236,686	42,464	259,523	8.4	13.7	40,340	263,886	42,216	283,036	4.7	15.3
2) Mexico	2,228	13,572	2,862	17,528	28.5	0.9	2,865	18,794	3,461	23,206	20.8	1.3
3) Canada	2,037	12,346	2,196	13,431	7.8	0.7	2,018	13,207	2,004	13,436	-0.7	0.7
3.2 Latin America	10,792	65,568	11,528	70,368	6.8	3.7	7,531	49,183	7,231	48,487	-4.0	2.6
1) Brazil	5,552	33,871	5,964	36,340	7.4	1.9	2,650	17,261	2,400	16,098	-9.4	0.9
2) Colombia	1,008	6,115	1,105	6,762	9.7	0.4	888	5,803	785	5,260	-11.7	0.3
3) Peru	621	3,766	820	5,022	32.1	0.3	703	4,596	696	4,668	-1.0	0.3
4) Chile	664	4,029	566	3,461	-14.8	0.2	679	4,451	674	4,522	-0.7	0.2
5) Argentina	611	3,708	460	2,811	-24.7	0.1	537	3,510	511	3,424	-4.8	0.2
6) Panama Republic	211	1,285	302	1,851	43.0	0.1	201	1,319	220	1,476	9.3	0.1
7) Venezuela	197	1,196	258	1,580	31.0	0.1	131	852	62	416	-52.4	0.0

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8) Guatemala	212	1,289	229	1,401	7.8	0.1	256	1,676	241	1,617	-5.8	0.1
9) Ecuador	290	1,761	225	1,375	-22.5	0.1	153	1,000	198	1,326	29.1	0.1
10) Uruguay	161	975	208	1,270	29.4	0.1	153	995	188	1,263	22.9	0.1
11) Honduras	108	655	188	1,150	73.8	0.1	155	1,014	135	904	-13.0	0.1
12) Trinidad	105	630	165	1,011	57.9	0.1	93	607	85	567	-9.0	0.0
13) Dominic Rep	126	765	141	863	12.1	0.0	175	1,149	225	1,509	28.5	0.1
14) Bahamas	228	1,302	124	733	-45.8	0.0	12	79	6	40	-50.4	0.0
15) Paraguay	89	539	106	654	19.8	0.0	98	644	125	839	27.3	0.1
16) Costa Rica	81	492	96	586	18.2	0.0	135	884	159	1,069	18.2	0.1
17) Haiti	59	358	85	524	44.3	0.0	62	406	71	479	14.7	0.0
18) Bolivia	53	320	71	433	33.2	0.0	74	487	80	533	6.8	0.0
19) Nicaragua	59	361	66	401	10.6	0.0	83	541	86	578	4.6	0.0
20) El Salvador	65	394	61	376	-5.6	0.0	69	448	60	405	-11.8	0.0
21) Fr Guiana	37	219	59	364	61.0	0.0	1	8	1	10	26.3	0.0
22) Netherlandantil	69	416	41	250	-40.2	0.0	37	243	38	255	2.3	0.0
23) Jamaica	36	219	38	232	4.4	0.0	40	263	43	288	7.0	0.0
24) Cuba	36	215	37	228	5.0	0.0	54	353	42	280	-23.1	0.0
25) Belize	22	134	24	150	9.0	0.0	15	95	15	102	5.0	0.0
26) Guyana	24	147	24	149	0.9	0.0	22	143	20	135	-8.3	0.0
27) Suriname	24	146	18	108	-27.1	0.0	13	84	11	70	-18.4	0.0
28) Barbados	6	39	10	62	58.2	0.0	11	69	12	83	17.7	0.0
29) Cayman Island	3	19	7	40	114.3	0.0	4	23	5	32	33.9	0.0
30) Martinique	8	47	6	38	-19.9	0.0	4	29	4	28	-7.0	0.0
31) Virgin Island US	4	24	5	30	23.8	0.0	4	28	5	36	26.0	0.0
32) Guadeloupe	7	39	4	25	-36.1	0.0	3	19	4	29	53.2	0.0
33) Bermuda	3	16	3	17	5.4	0.0	3	17	4	28	62.2	0.0
34) Dominica	2	15	3	16	5.0	0.0	1	10	2	16	66.8	0.0
35) St Lucia	2	14	2	13	-6.6	0.0	3	18	4	29	61.7	0.0
36) Antigua	2	13	2	13	-5.5	0.0	3	17	2	13	-23.0	0.0
37) Grenada	1	9	1	8	-8.2	0.0	2	12	3	20	61.7	0.0

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38) St Kitt N A	1	7	1	8	2.5	0.0	2	14	3	21	40.4	0.0
39) St Vincent	2	11	1	5	-58.7	0.0	1	4	1	5	43.3	0.0
40) Br Virgn Island	0	2	1	4	69.2	0.0	1	6	0	3	-51.1	0.0
41) Montserrat	0	0	0	2	371.4	0.0	1	6	1	4	-35.8	0.0
42) Turks C Island	0	2	0	1	-63.4	0.0	0	1	1	5	385.0	0.0
43) Falkland Island	0	0	0	0	0	0	0	0				
4) Asia	155,426	942,046	153,812	939,921	-1.0	49.6	127,847	836,696	137,748	923,513	7.7	49.9
4.1 East Asia (Oceania)	2,683	16,284	3,221	19,683	20.0	1.0	3,667	23,973	3,369	22,585	-8.1	1.2
1) Australia	2,300	13,958	2,782	17,001	20.9	0.9	3,263	21,332	2,958	19,828	-9.4	1.1
2) New Zealand	277	1,680	322	1,969	16.4	0.1	308	2,015	310	2,077	0.5	0.1
3) Papua N Gna	44	268	52	319	18.7	0.0	39	257	36	243	-8.1	0.0
4) Fiji Island	49	295	50	303	2.1	0.0	44	288	53	352	19.0	0.0
5) Solomon Island	2	12	5	32	153.4	0.0	3	18	2	15	-15.1	0.0
6) Timor Leste	2	13	3	20	47.9	0.0	3	22	2	16	-32.5	0.0
7) Samoa	4	26	2	15	-42.3	0.0	2	15	2	12	-20.3	0.0
8) Vanuatu Rep	3	17	2	11	-33.1	0.0	2	13	2	14	3.2	0.0
9) Kiribati Rep	1	6	1	6	6.4	0.0	1	6	0	3	-50.0	0.0
10) Tonga	1	6	1	6	-11.5	0.0	1	7	1	8	8.0	0.0
11) Tuvalu	0	0	0	0	-50.0	0.0	0	0	0	1	49.1	0.0
12) Nauru Rp	0	1	0	0	-88.2	0.0	0	0	3	17	37,061.8	0.0
4.2 ASEAN	33,134	200,183	31,813	194,483	-4.0	10.3	25,155	164,748	30,962	207,620	23.1	11.2
1) Singapore	12,511	74,969	9,810	59,855	-21.6	3.2	7,720	50,532	9,565	64,116	23.9	3.5
2) Vietnam Soc Rep	5,442	33,253	6,258	38,319	15.0	2.0	5,266	34,590	6,787	45,509	28.9	2.5
3) Malaysia	4,198	25,414	5,817	35,615	38.6	1.9	3,707	24,160	5,225	35,050	41.0	1.9
4) Indonesia	4,850	29,340	4,043	24,674	-16.6	1.3	2,820	18,446	3,488	23,401	23.7	1.3
5) Thailand	3,703	22,431	3,465	21,209	-6.4	1.1	2,988	19,557	3,133	21,012	4.9	1.1
6) Philippines	1,419	8,610	1,396	8,531	-1.7	0.4	1,374	9,012	1,483	9,933	7.9	0.5
7) Myanmar	787	4,806	773	4,736	-1.7	0.2	1,071	7,082	1,108	7,435	3.5	0.4
8) Cambodia	141	858	143	874	0.9	0.0	143	935	105	705	-26.5	0.0
9) Lao Pd Rp	50	305	67	413	34.9	0.0	38	246	26	172	-32.2	0.0

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10) Brunei	32	196	42	256	29.4	0.0	28	186	43	287	50.8	0.0
4.3 West Asia- GCC	48,221	291,908	49,297	301,109	2.2	15.9	41,679	272,665	41,768	279,926	0.2	15.1
1) U Arab Emts	30,520	184,779	33,028	201,853	8.2	10.6	30,290	198,140	31,176	208,940	2.9	11.3
2) Saudi Arab	12,219	73,864	11,163	68,037	-8.6	3.6	6,394	41,798	5,110	34,254	-20.1	1.9
3) Oman	2,812	17,156	2,379	14,548	-15.4	0.8	2,191	14,408	2,728	18,262	24.5	1.0
4) Kuwait	1,061	6,435	1,199	7,333	13.0	0.4	1,248	8,161	1,498	10,047	20.1	0.5
5) Qatar	969	5,911	1,055	6,443	8.9	0.3	902	5,899	785	5,262	-13.0	0.3
6) Baharain Island	639	3,763	473	2,897	-26.0	0.2	654	4,259	472	3,163	-27.9	0.2
4.4 Other West Asia	13,067	79,241	11,185	68,287	-14.4	3.6	7,883	51,561	7,879	52,833	-0.1	2.9
1) Iran	4,972	30,060	4,175	25,530	-16.0	1.3	2,782	18,177	2,380	15,955	-14.5	0.9
2) Israel	3,747	22,757	3,290	20,071	-12.2	1.1	2,821	18,467	3,087	20,698	9.4	1.1
3) Jordan	1,596	9,827	1,431	8,697	-10.3	0.5	500	3,265	522	3,504	4.5	0.2
4) Yemen Republc	1,307	7,886	992	6,045	-24.1	0.3	400	2,635	446	2,990	11.6	0.2
5) Iraq	918	5,525	829	5,090	-9.7	0.3	1,004	6,550	1,111	7,456	10.7	0.4
6) Lebanon	294	1,776	280	1,708	-4.7	0.1	240	1,571	211	1,412	-12.1	0.1
7) Syria	234	1,409	188	1,145	-19.7	0.1	137	896	122	817	-11.0	0.0
4.5 NE Asia	40,816	248,095	37,816	231,103	-7.4	12.2	30,842	201,885	34,547	231,639	12.0	12.5
1) Hong Kong	12,732	77,241	13,600	83,119	6.8	4.4	12,092	79,307	14,047	94,115	16.2	5.1
2) China P Rp	14,867	90,819	11,957	73,169	-19.6	3.9	9,014	58,953	10,172	68,250	12.9	3.7
3) Japan	6,814	41,256	5,386	32,838	-21.0	1.7	4,663	30,435	3,846	25,787	-17.5	1.4
4) Korea Rp	4,209	25,475	4,604	28,092	9.4	1.5	3,524	23,045	4,243	28,444	20.4	1.5
5) Taiwan	1,990	12,061	2,182	13,355	9.6	0.7	1,429	9,347	2,184	14,667	52.8	0.8
6) Korea Dp Rp	187	1,143	77	468	-59.0	0.0	111	730	45	301	-59.6	0.0
7) Mongolia	16	90	8	48	-49.0	0.0	8	55	10	66	15.9	0.0
8) Macao	2	10	2	15	50.0	0.0	2	13	2	10	-23.3	0.0
4.6 South Asia	17,504	106,335	20,480	125,256	17.0	6.6	18,620	121,864	19,222	128,911	3.2	7.0
1) Sri Lanka DSR	4,534	27,644	6,704	41,038	47.8	2.2	5,310	34,652	3,913	26,233	-26.3	1.4
2) Bangladesh PR	6,167	37,411	6,451	39,440	4.6	2.1	6,035	39,527	6,820	45,741	13.0	2.5
3) Nepal	3,592	21,770	4,559	27,859	26.9	1.5	3,930	25,724	5,454	36,580	38.8	2.0
4) Pakistan IR	2,274	13,833	1,857	11,353	-18.3	0.6	2,171	14,286	1,822	12,222	-16.1	0.7

Contd....

Table 7.4B. Direction of Exports : Exports by Regions and Countries

Regions / Countries	2013-14		2014-15		Change	Share	2015-16		2016-17		Change	Share (per cent)
	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(4) over (2) (Per cent)	(Per cent)	(US$ million)	(₹ crore)	(US$ million)	(₹ crore)	(10) over (8) (per cent)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5) Afghanistan	474	2,879	423	2,581	-10.9	0.1	527	3,436	506	3,397	-3.9	0.2
6) Bhutan	356	2,155	334	2,051	-6.1	0.1	469	3,068	509	3,414	8.6	0.2
7) Maldives	106	643	152	933	43.7	0.0	179	1,171	198	1,325	10.5	0.1
5) CIS & Baltics	3,492	21,149	3,396	20,763	-2.7	1.1	2,392	15,670	2,794	18,729	16.8	1.0
5.1 Cars Countries	538	3,256	605	3,696	12.4	0.2	362	2,368	338	2,267	-6.7	0.1
1) Kazakhstan	262	1,580	251	1,532	-4.1	0.1	152	994	121	811	-20.4	0.0
2) Uzbekistan	114	692	170	1,042	49.4	0.1	95	618	109	729	15.1	0.0
3) Turkmenistan	74	448	92	563	24.9	0.0	69	447	58	387	-16.0	0.0
4) Tajikistan	54	327	54	328	-1.0	0.0	22	145	20	137	-8.2	0.0
5) Kyrghyzstan	35	208	38	231	9.3	0.0	25	164	30	204	21.2	0.0
5.2 Other CIS Countries	2,954	17,893	2,792	17,066	-5.5	0.9	2,029	13,302	2,456	16,462	21.0	0.9
1) Russia	2,121	12,829	2,097	12,824	-1.1	0.7	1,588	10,409	1,937	12,985	22.0	0.7
2) Ukraine	481	2,932	349	2,129	-27.5	0.1	259	1,697	310	2,080	19.7	0.1
3) Azerbaijan	124	747	110	676	-10.9	0.0	33	218	40	271	20.6	0.0
4) Armenia	72	442	91	560	26.2	0.0	23	150	30	203	33.1	0.0
5) Georgia	91	555	87	530	-5.1	0.0	83	542	91	609	10.1	0.0
6) Belarus	53	325	48	294	-9.7	0.0	36	235	40	269	12.5	0.0
7) Moldova	10	64	9	54	-16.0	0.0	8	51	7	45	-14.1	0.0
6) Unspecified Region	11,720	70,151	4,935	30,061	-57.9	1.6	3,927	25,724	4,027	26,996	2.6	1.5
Total Exports	314,405	1,905,011	310,338	1,896,348	-1.3	100.0	262,290	1,716,378	275,852	1,849,429	5.2	100.0

Source: D/o Commerce based on DGCI&S data.

Table 7.5. India's Share in World Exports by Commodity Divisions and Groups

(US $ million)

Div. Sl. No.	Code Group	Commodity Division/Group	1980			1985		
			World	India	India's share (%)	World	India	India's share (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		Meat and meat preparations	17832	67	0.4	15755	61	0.4
03		Fish, crustaceans and molluscs & preparations	12258	242	2.0	14335	337	2.4
04		Cereals and cereal preparations	41989	201	0.5	32643	211	0.6
	042	Rice	4355	160	3.7	2916	162	5.6
05		Vegetables and fruits	24018	259	1.1	23606	332	1.4
06		Sugar, sugar preparations and honey	16183	46	0.3	10113	0	0.0
07		Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures	22121	879	4.0	20779	971	4.7
	071	Coffee and coffee substitutes	12979	271	2.1	11676	226	1.9
	074	Tea and mate	1631	452	27.7	1973	517	26.2
	075	Spices	1072	156	14.5	1188	229	19.3
08		Feeding stuff for animals	10322	164	1.6	8515	127	1.5
12		Tobacco and tobacco manufactures	3423	151	4.4	7822	140	1.8
	121	Unmanufactured tobacco and refuse	3423	151	4.4	3798	113	3.0
	122	Manufactured tobacco	…	…	…	4024	27	0.7
22		Oilseeds and oleaginous fruit	9487	30	0.3	7896	20	0.3
28		Metalliferous ores and metal scrap	30239	465	1.5	23137	557	2.4
	281	Iron ore and concentrates	6515	411	6.3	6154	478	7.8
51		Organic chemicals	31841	17	0.1	36923	25	0.1
52		Inorganic chemicals	15491	26	0.2	16318	22	0.1
53		Dyeing, tanning and colouring materials	7986	65	0.8	8024	62	0.8
54	541	Medicinal and pharmaceutical products	13918	109	0.8	15920	130	0.8
55		Essential oils and perfume materials	7647	86	1.1	8136	56	0.7
		soap, cleansing etc.						
58		Artificial resins, plastic materials,	27223	3	0.0	28456	5	0.0
		cellulose esters & ethers						
59		Chemical materials and products n.e.s.	15960	8	0.0	16613	28	0.2
61		Leather, leather manufactures & dressed fur skins	5967	405	6.8	6444	534	8.3
	611	Leather	3415	342	10.0	4185	331	7.9
	612	Manufactures of leather or of composition leather	975	62	6.3	1233	202	16.4
	613	Fur skins,tanned or dressed etc.	1577	1	0.1	1026	0	0.0
65		Textile yarn, fabrics, made-up articles	48884	1145	2.3	48218	1037	2.1
	652	Woven cotton fabrics	6632	351	5.3	6804	327	4.8
	653	Woven fabrics of man made fibres	9325	44	0.5	9735	20	0.2
	654	Woven fabrics other than of cotton or	3188	204	6.4	3462	167	4.8
		man-made fibres						
66	667	Pearls, precious and semi-precious stones	18563	579	3.1	12073	1165	9.6
67		Iron and steel	68231	87	0.1	61891	46	0.1
69		Manufactures of metals n.e.s.	36840	221	0.6	32884	125	0.4
71		Power-generating machinery & equipment	35722	88	0.2	38433	59	0.2
72		Machinery specialized for particular industries	58495	65	0.1	54707	97	0.2
73		Metal-working machinery	15671	32	0.2	12696	55	0.4
74		General industrial machinery & equipment						
		& machine parts thereof	59443	67	0.1	53954	60	0.1
75		Office machinery and ADP equipment	24750	2	0.0	53604	30	0.1
76		Telecommunication and sound recording and	26799	11	0.0	47318	4	0.0
		reproducing apparatus and equipment						
77		Electrical machinery, apparatus and						
		appliances	60947	114	0.2	75739	121	0.2
78		Road vehicles (including air cushion vehicles)	127347	208	0.2	157446	126	0.1
79		Other transport equipment	41291	32	0.1	50709	27	0.1
84		Articles of apparel and clothing accessories	32365	590	1.8	38718	887	2.3
		Total Exports	**1997686**	**8486**	**0.4**	**1930849**	**8904**	**0.5**

Contd....

Table 7.5. India's Share in World Exports by Commodity Divisions and Groups

(US $ million)

Div. Sl. No.	Code Group	Commodity Division/Group	1990			2000		
			World	India	India's share (%)	World	India	India's share (%)
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01		Meat and meat preparations	34118	77	0.2	44690	324	0.7
03		Fish, crustaceans and molluscs & preparations	32847	521	1.6	50875	1391	2.7
04		Cereals and cereal preparations	45314	285	0.6	53575	783	1.5
	042	Rice	3995	254	6.4	6411	654	10.2
05		Vegetables and fruits	50225	400	0.8	68355	856	1.3
06		Sugar, sugar preparations and honey	14236	21	0.1	13866	118	0.9
07		Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures	21131	842	4.0	27953	956	3.4
	071	Coffee and coffee substitutes	8659	148	1.7	11559	264	2.3
	074	Tea and mate	2650	585	22.1	3087	431	14.0
	075	Spices	1415	109	7.7	2541	261	10.3
08		Feeding stuff for animals	15603	336	2.2	20295	469	2.3
12		Tobacco and tobacco manufactures	17860	145	0.8	21628	147	0.7
	121	Unmanufactured tobacco and refuse	5187	107	2.1	5525	147	2.7
	122	Manufactured tobacco	12674	39	0.3	16103	0	0.0
22		Oilseeds and oleaginous fruit	10477	83	0.8	14388	244	1.7
28		Metalliferous ores and metal scrap	35734	753	2.1	49515	510	1.0
	281	Iron ore and concentrates	7653	578	7.6	9229	363	3.9
51		Organic chemicals	70721	232	0.3	134109	1491	1.1
52		Inorganic chemicals	26079	59	0.2	33117	99	0.3
53		Dyeing, tanning and colouring materials	19952	233	1.2	34105	481	1.4
54	541	Medicinal and pharmaceutical products	37753	453	1.2	107482	1255	1.2
55		Essential oils and perfume materials	21027	240	1.1	44279	216	0.5
		soap, cleansing etc.						
58		Artificial resins, plastic materials,	65712	29	0.0	123353	174	0.1
		cellulose esters & ethers						
59		Chemical materials and products n.e.s.	33418	76	0.2	63411	437	0.7
61		Leather, leather manufactures & dressed fur skins	13226	832	6.3	24440	808	3.3
	611	Leather	9295	447	4.8	16551	388	2.3
	612	Manufactures of leather or of composition leather	2868	385	13.4	6831	421	6.2
	613	Fur skins,tanned or dressed etc.	1063	0	0.0	1058	0	0.0
65		Textile yarn, fabrics, made-up articles	105147	2180	2.1	167528	6000	3.6
	652	Woven cotton fabrics	15559	571	3.7	22387	1103	4.9
	653	Woven fabrics of man made fibres	22021	156	0.7	32151	506	1.6
	654	Woven fabrics other than of cotton or	8466	195	2.3	9432	370	3.9
		man-made fibres						
66	667	Pearls, precious and semi-precious stones	27577	2710	9.8	54105	6477	12.0
67		Iron and steel	106342	283	0.3	146147	1481	1.0
69		Manufactures of metals n.e.s.	66088	341	0.5	125259	1167	0.9
71		Power-generating machinery & equipment	81675	126	0.2	158329	218	0.1
72		Machinery specialized for particular industries	118617	236	0.2	167582	346	0.2
73		Metal-working machinery	31051	58	0.2	41413	117	0.3
74		General industrial machinery & equipment						
		& machine parts thereof	130836	132	0.1	225981	78	0.0
75		Office machinery and ADP equipment	126743	112	0.1	378980	0	0.0
76		Telecommunication and sound recording and						
		reproducing apparatus and equipment	100965	31	0.0	299356	0	0.0
77		Electrical machinery, apparatus and						
		appliances	185364	241	0.1	640575	92	0.0
78		Road vehicles (including air cushion vehicles)	312550	344	0.1	549596	370	0.1
79		Other transport equipment	96250	15	0.0	157654	53	0.0
84		Articles of apparel and clothing accessories	94577	2211	2.3	201379	7093	3.5
		Total Exports	**3303563**	**18143**	**0.5**	**6254511**	**41543**	**0.7**

Contd....

Table 7.5. India's Share in World Exports by Commodity Divisions and Groups

(US $ million)

Div. Sl. No.	Code Group	Commodity Division/Group	2005			2010		
			World	India	India's share (%)	World	India	India's share (%)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01		Meat and meat preparations	73937	620	0.8	112000	1821	1.6
03		Fish, crustaceans and molluscs & preparations	71559	1590	2.2	101800	2403	2.4
04		Cereals and cereal preparations	72416	1753	2.4	94300	3136	3.3
	042	Rice	9841	1411	14.3	20300	2296	11.3
05		Vegetables and fruits	114274	1586	1.4	180700	2338	1.3
06		Sugar, sugar preparations and honey	24042	196	0.8	45500	1096	2.4
07		Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures	44914	1042	2.3	80700	2233	2.8
	071	Coffee and coffee substitutes	15729	363	2.3	29600	558	1.9
	074	Tea and mate	4159	393	9.4	7200	720	10.0
	075	Spices	2995	281	9.4	6000	927	15.4
08		Feeding stuff for animals	30390	1127	3.7	57600	2067	3.6
12		Tobacco and tobacco manufactures	24759	232	0.9	35100	879	2.5
	121	Unmanufactured tobacco and refuse	6875	0	0.0	10800	713	6.6
	122	Manufactured tobacco	17884	0	0.0	24300	165	0.7
22		Oilseeds and oleaginous fruit	22888	319	1.4	56400	911	1.6
28		Metalliferous ores and metal scrap	124604	4899	3.9	299000	8475	2.8
	281	Iron ore and concentrates	27673	3816	13.8	105200	6147	5.8
51		Organic chemicals	217584	4536	2.1	335000	7735	2.3
52		Inorganic chemicals	55240	0	0.0	92200	972	1.1
53		Dyeing, tanning and colouring materials	50885	846	1.7	66300	1604	2.4
54	541	Medicinal and pharmaceutical products	67107	564	0.8	134700	1357	1.0
55		Essential oils and perfume materials	82162	511	0.6	122900	1159	0.9
		soap, cleansing etc.						
58		Artificial resins, plastic materials,	72911	0	0.0	108400	910	0.8
		cellulose esters & ethers						
59		Chemical materials and products n.e.s.	106894	1153	1.1	174100	2136	1.2
61		Leather, leather manufactures & dressed fur skins	25347	773	3.1	28200	915	3.2
	611	Leather	20500	638	3.1	23500	785	3.3
	612	Manufactures of leather or of composition leather	3125	0	0.0	3100	130	4.2
	613	Fur skins,tanned or dressed etc.	1722	0.0	0.0	1600	0.0	0.0
65		Textile yarn, fabrics, made-up articles	213619	8462	4.0	259700	12833	4.9
	652	Woven cotton fabrics	28814	861	3.0	28600	1050	3.7
	653	Woven fabrics of man made fibres	32121	981	3.1	36200	1987	5.5
	654	Woven fabrics other than of cotton or	11076	495	4.5	9900	518	5.2
		man-made fibres						
66	667	Pearls, precious and semi-precious stones	91907	11929	13.0	129500	22589	17.4
67		Iron and steel	312975	4959	1.6	416400	10612	2.5
69		Manufactures of metals n.e.s.	215402	2774	1.3	301800	4169	1.4
71		Power-generating machinery & equipment	252199	926	0.4	330700	2335	0.7
72		Machinery specialized for particular industries	264538	1125	0.4	364800	2230	0.6
73		Metal-working machinery	63925	268	0.4	69400	381	0.5
74		General industrial machinery & equipment						
		& machine parts thereof	375374	1825	0.5	527900	3886	0.7
75		Office machinery and ADP equipment	488065	470	0.1	572700	619	0.1
76		Telecommunication and sound recording and						
		reproducing apparatus and equipment	492806	0	0.0	626200	2408	0.4
77		Electrical machinery, apparatus and						
		appliances	852088	2126	0.2	1240100	5522	0.4
78		Road vehicles (including air cushion vehicles)	896733	3088	0.3	1063500	8746	0.8
79		Other transport equipment	214311	1023	0.5	333500	5804	1.7
84		Articles of apparel and clothing accessories	286840	9212	3.2	372000	11229	3.0
		Total Exports	**10355384**	**99618**	**1.0**	**15102605**	**226334**	**1.5**

Contd....

Table 7.5. India's Share in World Exports by Commodity Divisions and Groups

(US $ million)

Div. Sl. No.	Code Group	Commodity Division/Group	2015			2016		
			World	India	India's share (%)	World	India	India's share (%)
(1)	(2)	(3)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
01		Meat and meat preparations	132000	4347	3.3	131100	3975	3.0
03		Fish, crustaceans and molluscs & preparations	124500	4778	3.8	134800	5499	4.1
04		Cereals and cereal preparations	158300	7380	4.7	147300	6096	4.1
	042	Rice	23200	6380	27.5	21700	5316	24.5
05		Vegetables and fruits	230300	3176	1.4	239700	3269	1.4
06		Sugar, sugar preparations and honey	44600	1529	3.4	51200	1769	3.5
07		Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures	102400	3407	3.3	102000	3493	3.4
	071	Coffee and coffee substitutes	37300	813	2.2	36700	844	2.3
	074	Tea and mate	8400	713	8.5	8400	705	8.4
	075	Spices	10300	1701	16.5	10300	1766	17.1
08		Feeding stuff for animals	73900	1066	1.4	70100	775	1.1
12		Tobacco and tobacco manufactures	41200	935	2.3	44100	1012	2.3
	121	Unmanufactured tobacco and refuse	11100	639	5.8	11300	671	5.9
	122	Manufactured tobacco	30100	296	1.0	32800	341	1.0
22		Oilseeds and oleaginous fruit	73100	1408	1.9	72600	1352	1.9
28		Metalliferous ores and metal scrap	233700	1543	0.7	226600	2095	0.9
	281	Iron ore and concentrates	67500	211	0.3	70400	1005	1.4
51		Organic chemicals	335500	10124	3.0	319400	10083	3.2
52		Inorganic chemicals	91000	813	0.9	82400	854	1.0
53		Dyeing, tanning and colouring materials	68100	2452	3.6	69900	2459	3.5
54	541	Medicinal and pharmaceutical products	186700	2339	1.3	198300	2427	1.2
55		Essential oils and perfume materials soap, cleansing etc.	149500	1833	1.2	155800	1951	1.3
58		Artificial resins, plastic materials, cellulose esters & ethers	123500	1223	1.0	122300	1187	1.0
59		Chemical materials and products n.e.s.	199100	3156	1.6	200900	3279	1.6
61		Leather, leather manufactures & dressed fur skins	30100	1312	4.4	26500	1118	4.2
	611	Leather	23400	1095	4.7	20400	908	4.5
	612	Manufactures of leather or of composition leather	4700	216	4.6	5000	210	4.2
	613	Fur skins,tanned or dressed etc.	2000	1	0.0	1100	0	0.0
65		Textile yarn, fabrics, made-up articles	298600	17263	5.8	288500	16121	5.6
	652	Woven cotton fabrics	29700	1771	6.0	28000	1622	5.8
	653	Woven fabrics of man made fibres	45100	2091	4.6	43000	1740	4.0
	654	Woven fabrics other than of cotton or man-made fibres	9700	301	3.1	9100	283	3.1
66	667	Pearls, precious and semi-precious stones	139700	22395	16.0	144500	24566	17.0
67		Iron and steel	375900	8289	2.2	336000	8245	2.5
69		Manufactures of metals n.e.s.	371800	7113	1.9	359700	6546	1.8
71		Power-generating machinery & equipment	372600	3637	1.0	376400	4205	1.1
72		Machinery specialized for particular industries	378300	4101	1.1	374300	3866	1.0
73		Metal-working machinery	78700	527	0.7	74200	561	0.8
74		General industrial machinery & equipment & machine parts thereof	632800	6179	1.0	623200	6115	1.0
75		Office machinery and ADP equipment	534200	590	0.1	518200	538	0.1
76		Telecommunication and sound recording and reproducing apparatus and equipment	775500	1315	0.2	776300	1475	0.2
77		Electrical machinery, apparatus and appliances	1449800	5975	0.4	1459300	6077	0.4
78		Road vehicles (including air cushion vehicles)	1299400	13079	1.0	1332200	14098	1.1
79		Other transport equipment	374000	7923	2.1	355800	6422	1.8
84		Articles of apparel and clothing accessories	470300	18168	3.9	454900	17932	3.9
		Total Exports	**16275903**	**267369**	**1.6**	**15737249**	**264564**	**1.7**

Source: Various issues of United Nations' International Trade Statistics Year Book, and for the years 2015 and 2016 data accessed on 15 January 2018 from http://comtrade.un.org/

Table 7.6. Index Numbers of Foreign Trade

(Base : 1999-2000=100)

Year	Unit Value Index		Volume Index		Terms of Trade		
	Exports	Imports	Exports	Imports	Gross	Net	Income
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000-01	102	109	125	99	79	94	117
2001-02	103	112	126	103	82	92	116
2002-03	106	128	150	109	73	83	124
2003-04	114	132	161	128	80	86	139
2004-05	131	157	179	150	84	83	149
2005-06	139	179	206	174	84	78	160
2006-07	158	206	227	191	84	77	174
2007-08	166	210	245	218	89	79	194
2008-09	194	239	267	262	98	81	217
2009-10	196	215	264	288	109	91	241
2010-11	223	243	304	311	102	92	279
2011-12	268	425	331	246	79	67	222
2012-13	284	459	357	261	73	62	221
2013-14	312	518	378	233	62	60	228
2014-15	300	518	397	235	59	58	230
2015-16	372	518	290	214	74	72	208
2016-17	372	523	313	220	70	71	223

Source: DGCI&S, Kolkata

Notes:

1. Net terms of trade , i.e., the ratio of overall export unit value index to similar Import index .
2. Gross terms of trade , i .e ., the ratio of overall import quantum Index to similar export index.
3. Income terms of trade = (NTT x QIE)/100.
4. QIE = Quantum Index of Exports.

Table 8.1A. Overall External Assistance

(₹ crore)

Year	Loans	Grants	Total (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Authorization			
1985-86	5337.0	313.4	5650.4
1986-87	5730.0	429.5	6159.5
1987-88	8203.1	1062.2	9265.3
1988-89	12855.6	214.2	13069.8
1989-90	10105.8	720.2	10826.0
1990-91	7601.3	522.1	8123.4
1991-92	11805.8	901.8	12707.6
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8
1993-94	11618.8	2415.1	14033.9
1994-95	12384.3	1075.8	13460.1
1995-96	10833.2	1330.0	12163.2
1996-97	14208.8	2932.6	17141.4
1997-98	14865.0	2101.0	16966.0
1998-99	8320.8	209.8	8530.6
1999-2000	17703.7	2615.3	20319.0
2000-01	16455.2	1963.5	18418.7
2001-02	21630.0	3465.0	25095.0
2002-03	19875.7	1296.1	21171.8
2003-04	14754.4	2350.7	17105.1
2004-05	22746.1	3071.1	25817.2
2005-06	17309.1	1628.8	18937.9
2006-07	28271.0	3518.9	31789.9
2007-08	28988.4	4294.4	33282.8
2008-09	28283.4	1242.5	29525.9
2009-10	48968.8	957.6	49926.4
2010-11	35895.1	1536.5	37431.6
2011-12	59035.3	1095.5	60130.8
2012-13	66891.6	1889.0	68780.6
2013-14	54372.6	140.2	54512.8
2014-15	48135.5	119.7	48255.2
2015-16	64208.0	3655.2	67863.2
2016-17	62650.4	249.5	62899.9
B.Utilization			
1985-86	2493.1	442.9	2936.0
1986-87	3175.7	429.3	3605.0
1987-88	4574.4	477.5	5051.9
1988-89	4738.6	565.8	5304.4
1989-90	5137.8	664.7	5802.5
1990-91	6170.0	534.3	6704.3
1991-92	10695.9	919.1	11615.0
1992-93	10102.2	879.6	10981.8
1993-94	10895.4	885.6	11781.0
1994-95	9964.5	916.0	10880.5

Contd....

Table 8.1A. Overall External Assistance

(₹ crore)

Year	Loans	Grants	Total (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1995-96	9958.6	1063.6	11022.2
1996-97	10892.9	1085.6	11978.5
1997-98	10823.4	921.3	11744.7
1998-99	12343.4	895.5	13238.9
1999-2000	13330.7	1073.9	14404.6
2000-01	13527.2	727.2	14254.4
2001-02	16111.7	1447.6	17559.3
2002-03	13898.3	1835.8	15734.1
2003-04	15271.0	2073.4	17344.4
2004-05	14660.9	2490.7	17151.6
2005-06	16097.8	2790.6	18888.4
2006-07	16890.6	2528.4	19419.0
2007-08	17177.7	2673.7	19851.4
2008-09	24089.9	2803.8	26893.7
2009-10	27617.8	3121.2	30739.0
2010-11	35116.1	2789.5	37905.6
2011-12	29349.4	2926.2	32275.6
2012-13	25494.1	2373.6	27867.7
2013-14	31772.4	3415.8	35187.5
2014-15	35257.3	1491.7	36749.0
2015-16	40369.4	2197.0	42566.4
2016-17	47665.0	990.5	48655.5

Source : Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

Notes :

1. Figures of authorization have been arrived at by applying the average exchange rate of the rupee with individual donor currencies.
2. Figures of utilization are at current rates applicable on the date of transaction.
3. Figures of authorization and utilization include loans and grants on both Government and Non-Government accounts.
4. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.1B. Overall External Assistance

(US$ million)

Year	Loans	Grants	Total (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Authorization			
1985-86	4362.1	256.2	4618.3
1986-87	4484.2	336.1	4820.3
1987-88	6326.7	819.2	7145.9
1988-89	8877.0	147.9	9024.9
1989-90	6069.9	432.6	6502.5
1990-91	4236.4	291.0	4527.4
1991-92	4766.0	364.1	5130.1
1992-93	4275.7	330.7	4606.4
1993-94	3717.5	772.7	4490.2
1994-95	3958.2	343.8	4302.0
1995-96	3249.8	399.0	3648.8
1996-97	4000.4	825.6	4826.0
1997-98	4006.8	566.3	4573.1
1998-99	1979.2	49.9	2029.1
1999-2000	4091.4	604.4	4695.8
2000-01	3609.4	430.7	4040.1
2001-02	4438.7	711.1	5149.8
2002-03	4183.5	244.4	4427.9
2003-04	3300.8	525.9	3826.7
2004-05	5212.2	703.7	5915.9
2005-06	3912.2	368.1	4280.4
2006-07	6209.8	773.0	6982.8
2007-08	7182.2	1064.0	8246.1
2008-09	6183.2	271.6	6454.9
2009-10	10318.0	201.8	10519.8
2010-11	7881.0	337.4	8218.3
2011-12	12343.4	229.1	12572.5
2012-13	12301.0	347.4	12648.3
2013-14	9003.7	23.2	9027.0
2014-15	7881.8	19.6	7901.4
2015-16	9818.2	558.9	10377.1
2016-17	9324.9	37.1	9362.0
B.Utilization			
1985-86	2037.7	362.0	2399.7
1986-87	2485.3	336.0	2821.3
1987-88	3528.0	368.2	3896.2
1988-89	3272.1	390.7	3662.8
1989-90	3086.0	399.2	3485.2
1990-91	3438.7	297.8	3736.5
1991-92	4317.9	371.0	4688.9
1992-93	3301.8	287.5	3589.3
1993-94	3486.0	283.4	3769.4
1994-95	3184.8	292.7	3477.5

Contd....

Table 8.1B. Overall External Assistance

(US$ million)

Year	Loans	Grants	Total (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1995-96	2987.4	319.1	3306.4
1996-97	3066.8	305.6	3372.4
1997-98	2917.4	248.3	3165.7
1998-99	2936.0	213.0	3149.0
1999-00	3080.8	248.2	3329.0
2000-01	2967.2	159.5	3126.7
2001-02	3306.3	297.1	3603.4
2002-03	2946.6	386.6	3333.2
2003-04	3416.3	463.8	3880.1
2004-05	3359.5	570.7	3930.2
2005-06	3607.0	625.3	4232.3
2006-07	3918.0	586.5	4265.5
2007-08	4280.5	666.3	4946.8
2008-09	4769.3	555.1	5324.4
2009-10	6130.5	692.8	6823.3
2010-11	7866.5	624.9	8491.4
2011-12	6060.2	590.1	6650.3
2012-13	4715.1	439.0	5154.1
2013-14	5282.9	567.8	5850.7
2014-15	5634.2	238.4	5872.6
2015-16	6068.0	330.2	6398.3
2016-17	7341.5	152.6	7494.1

Source : Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

Notes :

1. Figures in this table are converted from the preceding Table 8.1(A) based on the respective Rupee-US dollar rate.
2. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.2A. Authorization of External Assistance by Source

(₹ crore)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Consortium Members								
(a) Loans	11189.6	28729.7	46401.4	59893.3	35842.5	37464.7	52429.6	41070.1
(b) Grants	1912.3	1185.1	230.2	813.0	93.3	98.0	3.1	215.9
Total	13101.9	29914.8	46631.7	60706.3	35935.9	37562.7	52432.7	41286.0
Country-wise Distribution								
(i) Austria								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Belgium								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Canada								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	20.5	...	...	...	...	...	...	...
Total	20.5	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Denmark								
Grants	15.6	...	...	...	...	...	...	...
(v) France								
(a) Loans							1805.04	957.3
(b) Grants	9.3	...	823.1	769.8	1645.2	...		
(vi) Germany								
(a) Loans	187.7	1504.0	2960.7	3240.2	1215.7	5659.1	1783.4	10487.7
(b) Grants	5.7	12.0	...	38.5	...	21.3	...	...
Total	193.4	1516.0	2960.7	3278.7	1215.7	5680.4	1783.4	10487.7
(vii) Italy								
Loans	42.6	...	...	...	...	...	...	
(viii) Japan								
(a) Loans	784.1	2557.4	16186.2	23049.8	18818.6	6756.1	17337.0	10178.7
(b) Grants	2.2	41.9	...	...	90.3			
Total	786.3	2599.3	16186.2	23049.8	18909.0	6756.1	17337.0	10178.7
(ix) Netherlands								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	6.7	...	...	...	...	...	...	...
Total	6.7	...	...	...	...	...	...	...
(x) Sweden								
Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
(xi) U.K.								
Grants	474.7	905.3	160.2	764.2	...	...	...	...
(xii) U.S.A.								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	0.8	156.6	...	...	...	...	...	...
Total	0.8	156.6			...	...	...	...
(xiii) I.B.R.D.								
(a) Loans	6816.8	8237.1	15250.5	2619.5	2361.2	14657.3	17667.0	13819.6
(b) Grants	391.7	60.6	70.1	10.3	3.0	76.7	3.1	215.9
Total	7208.5	8297.7	15320.6	2629.8	2364.2	14733.9	17670.1	14035.5
(xiv) I.D.A.								
(a) Loans	3358.4	16431.2	11180.9	7374.7	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9
(b) Grants	985.1	8.7	...	...	...	...	...	...
Total	4343.5	16439.9	11180.9	7374.7	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9
II. Russia Fed. & East European Countries								
Loans	...	...	...	22839.3	...	...	...	...
Country-wise Distribution								
(i) Russia Fed.				22839.3				
Loans	...	...	...	22839.3	...	...	...	...
III. Others								

Contd....

Table 8.2A. Authorization of External Assistance by Source

(₹ crore)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a) Loans	5265.6	7165.3	12633.9	6998.3	18530.1	10670.7	11778.4	21580.3
(b) Grants	51.2	351.5	865.2	1076.0	46.8	21.7	3652.1	33.6
Total	5316.8	7516.8	13499.1	8074.3	18576.9	10692.4	15430.5	21613.9
(i) Switzerland								
Grants	...	...	...	...	...	.....	.....	.....
(ii) European Economic Community								
Grants	...	4.3	...	559.9	...	...	...	...
(iii) O.P.E.C. Fund								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Saudi Arab Fund for Development								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(v) Kuwait Fund for Arabic								
Economic Development								
Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
(vi) IFAD (International Fund for								
Agricultural Development								
(a) Loans	...	87.9	426.5	...	400.1	383.2	475.7	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	87.9	426.5	...	400.1	383.2	475.7	...
(vii) IMF Trust Fund								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(viii) International Sugar Org.								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ix) ADB								
(a) Loans	5265.6	7077.5	12207.4	6998.3	18130.0	10287.6	9858.7	17387.8
(b) Grants		...	...	...	...	11.0	13.1	33.59
Total	5265.6	7077.5	12207.4	6998.3	18130.0	10298.6	9871.8	17421.4
(x) European Investment Bank								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	1444.0	1841.0
(b) Grants	...	...	...	...	...	...		...
Total	...	...	...	...	...	...	1444.0	1841.0
(xi) Spain								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xii) Norway								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xiii) Australia								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xiv Other International Institutions[a]								
(a) Loans								2351.52
(b) Grants	51.2	347.2	865.2	516.2	46.8	10.7	3639.0	...
Grand Total	18418.7	37431.6	60130.7	68780.6	54512.8	48255.1	67863.2	62899.9
(a) Loans	16455.2	35895.1	59035.3	66891.6	54372.6	48135.5	64208.0	62650.4
(b) Grants	1963.5	1536.5	1095.4	1889.0	140.2	119.7	3655.2	249.5

Source: Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

---- Nil or Negligible

a Other International Institutions include UNDP, UNFPA, Global Fund, IDF(WB), UN-FAO, NDB and UPU (Universal Postal Union).

Notes:

1. Figures of authorization of external assistance include agreements signed on Government and Non-Government accounts.
2. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.2B. Authorization of External Assistance by Source

(US$ million)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Consortium Members								
(a) Loans	2454.4	6307.8	9701.8	11014.0	5935.3	6134.5	8017.1	6112.9
(b) Grants	419.5	260.2	48.2	149.5	15.5	16.0	0.5	32.1
Total	2873.9	6568.0	9750.0	11163.5	5950.7	6150.6	8017.6	6145.0
Country-wise Distribution								
(i) Austria								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Belgium								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Canada								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	4.5	...	...	...	...	...	...	...
Total	4.5	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Denmark								
Grants	3.4	...	...	...	...	...	...	...
(v) France								
(a) Loans							276.01	142.48
(b) Grants	2.1	...	172.1	141.6	272.4			
(vi) Germany								
(a) Loans	41.2	330.2	619.0	595.9	201.3	926.6	272.7	1561.0
(b) Grants	1.3	2.6	...	7.1	...	3.5	…	…
Total	42.4	332.8	619.0	602.9	201.3	930.1	272.7	1561.0
(vii) Italy								
Loans	9.4	...	...	...	...	...	...	...
(viii) Japan								
(a) Loans	172.0	561.5	3384.3	4238.7	3116.2	1106.3	2651.0	1515.0
(b) Grants	0.5	9.2	...	...	15.0			
Total	172.5	570.7	3384.3	4238.7	3131.2	1106.3	2651.0	1515.0
(ix) Netherlands								
(a) Loans	...	...	...	...	...			
(b) Grants	1.5	...	...	...	...	...	...	...
Total	1.5	...	...	...	...	...	...	...
(x) Sweden								
Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
(xi) U.K.								
Grants	104.1	198.8	33.5	140.5	...	...	...	...
(xii) U.S.A.					...	...	...	...
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	0.2	34.4	...	...	...	...	...	...
Total	0.2	34.4			...	...	...	...
(xiii) I.B.R.D.								
(a) Loans	1495.3	1808.5	3188.7	481.7	391.0	2400.0	2701.5	2056.9
(b) Grants	85.9	13.3	14.7	1.9	0.5	12.6	0.5	32.1
Total	1581.2	1821.8	3203.3	483.6	391.5	2412.6	2702.0	2089.0
(xiv) I.D.A.								
(a) Loans	736.7	3607.6	2337.7	1356.2	1954.3	1701.7	2115.9	837.5
(b) Grants	216.1	1.9	...	...	...	...	….	….
Total	952.8	3609.5	2337.7	1356.2	1954.3	1701.7	2115.9	837.5
II. Russia Fed. & East European Countries								
Loans	...	...	...	4200.0	...	...	...	...
Country-wise Distribution								
(i) Russia Fed. Loans	...	...	...	4200.0	...	...	...	...
III. Others								
(a) Loans	1155.0	1573.2	2641.6	1286.9	3068.5	1747.24	1801.1	3212.0

Contd....

Table 8.2B. Authorization of External Assistance by Source

(US$ million)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b) Grants	11.2	77.1	180.9	197.9	7.8	3.6	558.4	5.0
Total	1166.2	1650.3	2822.5	1484.8	3076.2	1750.8	2359.5	3217.0
(i) Switzerland								
Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) European Economic Community								
Grants	...	0.9	...	103.0	...	...	...	...
(iii) O.P.E.C. Fund								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Saudi Arab Fund for Development								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(v) Kuwait Fund for Arabic								
Economic Development								
Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
(vi) IFAD (International Fund for								
Agricultural Development)								
(a) Loans	...	19.3	89.2	...	66.3	62.7	72.7	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	19.3	89.2	...	66.3	62.7	72.7	...
(vii) IMF Trust Fund							...	...
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(viii) International Sugar Org.							...	...
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ix) ADB								
(a) Loans	1155.0	1553.9	2552.4	1286.9	3002.2	1684.5	1507.5	2588.0
(b) Grants	...	...	...	...	...	1.8	2.0	5
Total	1155.0	1553.9	2552.4	1286.9	3002.2	1686.3	1509.5	2593.0
(x) European Investment Bank								
(a) Loans							220.8	274.0
(b) Grants								
Total							220.8	...
(xi) Spain								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xii) Norway								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xiii) Australia								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xiv) Other International Institutions[a]								
(a) Loans								350
(b) Grants	11.2	76.2	180.9	94.9	7.8	1.8	556.4	...
Grand Total	4040.1	8218.4	12572.4	12648.3	9026.9	7901.4	10377.1	9362.0
(a) Loans	3609.4	7881.0	12343.4	12300.9	9003.7	7881.8	9818.2	9324.9
(b) Grants	430.7	337.4	229.1	347.4	23.2	19.6	558.9	37.1

Source: Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

---- Nil or Negligible

a: Other International Institutions include UNDP, UNFPA, Global Fund, IDF(WB), UN-FAO, NDB and UPU (Universal Postal Union).

Notes:

1. Figures in this table are converted from the preceding Table 8.2(A) based on the respective Rupee- US dollar rates.

2. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.3A. Utilization of External Assistance by Source

(₹ crore)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Consortium Members								
(a) Loans	11168.6	27065.8	22785.9	18390.8	25164.7	26630.2	31364.6	35578.5
(b) Grants	634.0	2018.5	1916.7	1560.1	1043.4	749.6	405.1	135.8
Total	11802.6	29084.3	24702.6	19950.9	26208.1	27379.8	31769.7	35714.3
Country-wise Distribution								
(i) Austria								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Belgium								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Canada								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	2.9	...	...	...	...	...	...	...
Total	2.9	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Denmark								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	49.5	...	...	...	...	...	...	...
Total	49.5	...	...	...	...	...	...	...
(v) France								
(a) Loans	65.2	...	...	16.0	921.7	225.78	329.4	790.4
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	-0.16
Total	65.2	...	...	16.0	921.7	225.78	329.4	790.3
(vi) Germany								
(a) Loans	318.9	1076.9	2043.1	1379.9	3122.0	1861.1	2111.3	2622.4
(b) Grants	67.8	276.2	99.4	62.1	65.6	56.0	80.1	34.7
Total	386.7	1353.1	2142.5	1442.0	3187.6	1917.1	2191.4	2657.1
(vii) Italy								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(viii) Japan								
(a) Loans	2714.0	6582.2	8474.8	7260.0	8750.5	8825.9	10341.5	12506.1
(b) Grants	15.8	1.5	43.5	...	4.4	0.0	29.1	36.0
Total	2729.8	6583.7	8518.3	7260.0	8754.9	8825.9	10370.5	12542.1
(ix) Netherlands								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	70.3	...	...	...	...	...	...	...
Total	70.3	...	...	...	...	...	...	...
(x) Sweden								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xi) U.K.								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	307.3	1682.2	1689.4	1293.4	855.0	601.8	224.3	-0.3

Contd....

Table 8.3A. Utilization of External Assistance by Source

(₹ crore)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total	307.3	1682.2	1689.4	1293.4	855.0	601.8	224.3	-0.3
(xii) U.S.A.								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	81.1	30.6	55.1	23.6	43.4	...	4.7	...
Total	81.1	30.6	55.1	23.6	43.4	...	4.7	...
(xiii) I.B.R.D.								
(a) Loans	3222.4	14533.4	4861.9	4894.8	5631.6	7703.5	9137.3	8794.1
(b) Grants	24.5	24.1	27.2	180.6	73.8	85.9	67.0	65.5
Total	3246.9	14557.5	4889.0	5075.4	5705.3	7789.4	9204.3	8859.6
(xiv) I.D.A.								
(a) Loans	4848.1	4873.3	7406.1	4840.1	6738.9	8013.9	9441.4	9247.4
(b) Grants	14.8	3.9	2.2	0.5	1.2	6.0	0.0	0.0
Total	4862.9	4877.2	7408.2	4840.6	6740.1	8019.8	9441.4	9247.4
(xv) IMF Trust Fund	...	...	...	...	...	...	...	
II. Russia Fed. & East European Countries								
Loans		130.1	220.5	35.9	26.4	8.2	16.9	3.7
Country-wise Distribution								
(i) Russia Federation.								
Loans	130.1	220.5	35.9	26.4	8.2	16.9	3.7	1618.1
(ii) Reps. of Czech & Slovak								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	
III. Others								
(a) Loans	2228.5	7829.8	6527.7	7076.9	6599.5	8610.3	9004.8	12086.6
(b) Grants	93.2	770.95	1009.45	813.52	2371.83	742.1	1791.99	854.7
Total	2321.7	8600.8	7537.1	7890.5	8971.3	9352.3	10796.8	12941.2
Country-wise Distribution								
(i) Abu Dhabi Fund								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Switzerland								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Other International Institutions[a]								
Grants	50.0	501.7	795.9	710.2	1746.0	739.68	1504.35	776.19
(iv) European Economic Community								
Grants	36.3	269.0	208.1	104.0	622.4	...	287.6	70.4
(v) Oil Producing & Exporting Countries								
Loans	41.5	1.0	15.5	20.8	7.9	54.5	26.3	18.7
(vi) Saudi Arab Fund for Development								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	
(vii) Norway								
(a) Loans	...	...	...					
(b) Grants	6.9	...	...	...	...	...	...	
Total	6.9	...	...	...	...	...	...	

Contd....

Table 8.3A. Utilization of External Assistance by Source

(₹ crore)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(viii) Spain								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	
(ix) Kuwait Fund for Arabic								
Economic Development								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	
Total	...	...	...	...	...	...	...	
(x) IFAD (International Fund for								
Agricultural Development)								
(a) Loans	40.1	99.1	142.6	140.7	210.3	191.7	220.1	196.2
(b) Grants	...	0.3	5.5	-0.8	3.5			1.0
Total	40.1	99.4	148.1	140.0	213.8	191.7	220.1	197.2
(xi) ADB								
(a) Loans	2146.9	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2	8364.0	8758.4	11141.0
(b) Grants	...	...	...	...	...	2.41	…	7
Total	2146.9	7729.8	6369.5	6915.4	6381.2	8366.4	8758.4	11148.0
(xii) European Investment Bank								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	730.7
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	730.7
(xiii) Australia								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
Grand Total	14254.4	37905.6	32275.6	27867.7	35187.6	36749.0	42566.5	48655.5
(a) Loans	13527.2	35116.2	29349.4	25494.1	31772.4	35257.3	40369.4	47665.1
(b) Grants	727.2	2789.5	2926.2	2373.7	3415.2	1491.7	2197.1	990.5

Source: Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

---- Nil or Negligible

a Other International Institutions include UNICEF, UNDP, ILO, WHO, UNFPA, UNESCO, UPU, WFP, Global Fund, IDF (WB), UN-FAO, NDB and Ford Foundation.

Notes:

1. Utilization figures are exclusive of suppliers' credit and commercial borrowings.
2. Utilization of assistance is on Government and Non-Govt. accounts.
3. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.3B. Utilization of External Assistance by Source

(US$ million)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Consortium Members								
(a) Loans	2449.8	6063.1	4682.1	3401.4	4184.2	4255.6	4714.5	5479.9
(b) Grants	139.1	452.2	383.6	288.5	173.5	119.8	60.9	21.0
Total	2588.9	6515.3	5065.7	3689.9	4357.7	4375.4	4775.4	5500.9
Country-wise Distribution								
(i) Austria								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Belgium								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Canada								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	0.6	...	...	...	...	...	...	...
Total	0.6	...	...	...	...	...	...	...
(iv) Denmark								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	10.9	...	...	...	...	...	...	...
Total	10.9	...	...	...	...	...	...	...
(v) France								
(a) Loans	14.3	...	...	3.0	153.3	36.08	49.5	121.7
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	0.0
Total	14.3	...	...	3.0	153.3	36.08	49.5	121.7
(vi) Germany								
(a) Loans	70.0	241.2	411.0	255.2	519.1	297.4	317.4	403.9
(b) Grants	14.9	61.9	21.2	11.5	10.9	8.9	12.0	5.3
Total	84.9	303.1	432.2	266.7	530.0	306.4	329.4	409.3
(vii) Italy								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(viii) Japan								
(a) Loans	595.3	1474.5	1744.9	1342.7	1455.0	1410.4	1554.5	1926.2
(b) Grants	3.5	0.3	8.8	...	0.7	...	4.4	5.6
Total	598.8	1474.8	1753.7	1342.7	1455.7	1410.4	1558.8	1931.8
(ix) Netherlands								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	15.4	...	...	...	...	...	...	...
Total	15.4	...	...	...	...	...	...	...
(x) Sweden								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(xi) U.K.								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	67.4	376.8	335.1	239.2	142.2	96.2	33.7	0.0

Contd....

Table 8.3B. Utilization of External Assistance by Source

(US$ million)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total	67.4	376.8	335.1	239.2	142.2	96.2	33.7	0.0
(xii) U.S.A.								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...		
(b) Grants	17.8	6.8	12.3	4.4	7.2	...	0.7	
Total	17.8	6.8	12.3	4.4	7.2	...	0.7	
(xiii) I.B.R.D.								
(a) Loans	706.8	3255.7	991.6	905.3	936.4	1231.1	1373.5	1354.5
(b) Grants	5.4	5.4	5.7	33.4	12.3	13.7	10.1	10.1
Total	712.2	3261.1	997.3	938.7	948.6	1244.8	1383.5	1364.6
(xiv) I.D.A.								
(a) Loans	1063.4	1091.7	1534.7	895.2	1120.5	1280.6	1419.2	1424.3
(b) Grants	3.2	0.9	0.5	0.1	0.2	1.0	0.0	0.0
Total	1066.6	1092.6	1535.1	895.3	1120.7	1281.6	1419.2	1424.3
(xv) IMF Trust Fund	...	...	...	...	...	...	...	...
II. Russia Fed.& East European Countries								
Loans	28.5	49.4	7.4	4.9	1.4	2.7	0.6	249.2
Country-wise Distribution								
(i) Russia Federation.								
Loans	28.5	49.4	7.4	4.9	1.4	2.7	0.6	249.2
(ii) Reps. of Czech & Slovak								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
III. Others								
(a) Loans	488.8	1754.0	1370.7	1308.9	1097.3	1376.0	1353.5	1861.6
(b) Grants	20.5	172.7	206.5	150.5	394.4	118.6	269.4	131.6
Total	509.3	1926.7	1577.2	1459.3	1491.7	1494.5	1622.9	1993.3
Country-wise Distribution								
(i) Abu Dhabi Fund								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) Switzerland								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) Other International Institutions[a]								
Grants	11.0	112.4	157.9	131.4	290.3	118.2	226.12	119.6
(iv) European Economic Community								
Grants	8.0	60.3	47.5	19.2	103.5	...	43.2	10.9
(v) Oil Producing & Exporting Countries								
Loans	9.1	0.2	3.3	3.9	1.3	8.7	4.0	2.9
(vi) Saudi Arab Fund for Development								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(vii) Norway								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	1.5	...	...	...	...	...	...	...
Total	1.5	...	...	...	...	...	...	...

Contd....

Table 8.3B. Utilization of External Assistance by Source

(US$ million)

Source and type of assistance	2000-01	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(viii) Spain								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(ix) Kuwait Fund for Arabic								
Economic Development								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	...
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...	...	...	...	...	...	...
(x) IFAD (International Fund for								
Agricultural Development)								
(a) Loans	8.8	22.2	30.6	26.0	35.0	30.6	33.1	30.2
(b) Grants	...	0.1	1.2	-0.1	0.6	...	...	0.2
Total	8.8	22.3	31.8	25.9	35.6	30.6	33.1	30.4
(xi) ADB								
(a) Loans	470.9	1731.6	1336.8	1279.0	1061.0	1336.6	1316.5	1716.0
(b) Grants	...	...	...	...	...	0.4	….	1.08
Total	470.9	1731.6	1336.8	1279.0	1061.0	1337.0	1316.5	1717.1
(xii) European Investment Bank								
(a) Loans	...	...	...	...	...	...	...	112.6
(b) Grants	...	...	...	...	...	...	...	
Total	...	...	...	...	...	...	...	112.6
(xiii) Australia								
Loans	...	...	...	...	...	...	...	
Grand Total	3126.7	8491.4	6650.3	5154.1	5850.7	5872.6	6398.3	7494.2
(a) Loans	2967.1	7866.5	6060.2	4715.1	5282.9	5634.2	6068.0	7341.5
(b) Grants	159.6	624.9	590.1	439.0	567.9	238.4	330.2	152.6

Source: Aid Accounts and Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

---- Nil or Negligible

a Other International Institutions include UNICEF, UNDP, ILO, WHO, UNFPA, UNESCO, UPU, WFP, Global Fund, IDF (WB), UN-FAO, NDB and Ford Foundation.

Notes:

1. Figures in this table are converted from the preceding Table 8.3(A) based on the respective Rupee- US dollar rates.

2. Totals may not tally due to rounding off.

Table 8.4A. India's External Debt Outstanding

(₹ crore)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Multilateral**	157901	201425	193436	216672	257089	279310	321560	328148	359490	354130	364985
	A. Government Borrowing	144627	181997	170722	190326	222579	235670	268491	269431	294122	288245	299355
	(i) Concessional	107395	127771	116046	120653	138691	143130	163589	154581	166506	156726	163622
	a) IDA	105947	126127	114552	119068	136816	141119	161165	152171	163772	154050	160703
	b) Others	1448	1644	1494	1585	1875	2011	2424	2410	2734	2676	2919
	(ii) Non-concessional	37232	54226	54676	69673	83888	92540	104902	114850	127616	131519	135733
	a) IBRD	22631	29948	28874	39218	45328	48239	53433	57107	61553	60667	61415
	b) Others	14601	24278	25802	30455	38560	44301	51469	57743	66063	70852	74318
	B. Non-Government Borrowing	13274	19428	22714	26346	34510	43640	53069	58717	65368	65885	65630
	(i) Concessional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) Non-concessional	13274	19428	22714	26346	34510	43640	53069	58717	65368	65885	65630
	a) Public Sector	10352	14298	14919	15802	19407	23414	28105	31385	35409	32123	32827
	i) IBRD	4690	7105	8544	9193	11092	12749	14412	15674	17005	16625	16688
	ii) Others	5662	7193	6375	6609	8315	10664	13693	15711	18404	15498	16139
	b) Financial Institutions	2350	3721	5385	7511	10290	14370	18881	21859	25190	29880	29211
	i) IBRD	593	744	1343	1899	2707	2973	3820	3709	5984	7276	7288
	ii) Others	1757	2977	4042	5612	7583	11397	15061	18150	19206	22604	21923
	c) Private Sector	572	1409	2410	3033	4813	5856	6083	5473	4769	3882	3592
	i) IBRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ii) Others	572	1409	2410	3033	4813	5856	6083	5473	4769	3882	3592
II.	**Bilateral**	78802	104997	101976	114904	137086	136329	148813	136060	149483	150889	151469
	A.Government borrowing	59391	74662	71584	80406	91641	88007	96918	88452	102925	109742	114511
	(i) Concessional	59391	74662	71584	80406	91641	88007	96918	88452	102925	109742	114511
	(ii) Non-concessional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.Non-Government borrowing	19411	30335	30392	34498	45445	48322	51895	47608	46558	41147	36958
	(i) Concessional	1737	3262	3169	4101	7648	8435	10318	10080	11892	11995	12052

Contd....

Table 8.4A. India's External Debt Outstanding

(₹ crore)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	a) Public Sector	1226	1156	1121	1621	4963	5916	7763	7546	9052	6758	6920
	b) Financial Institutions	511	2106	2048	2480	2685	2519	2555	2534	2840	5237	5132
	c) Private Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) Non-concessional	17674	27073	27223	30397	37797	39887	41577	37528	34666	29152	24906
	a) Public Sector	10097	15076	13845	13789	14200	13010	13374	11561	10848	9472	9221
	b) Financial Institutions	3735	4311	3436	3754	3886	4206	4361	3323	3119	3167	2554
	c) Private Sector	3842	7686	9942	12854	19711	22671	23842	22644	20699	16513	13131
III.	**IMF[a]**	4479	5188	27264	28163	31528	32439	36910	34350	37177	35129	36746
IV.	**Export Credit**	41296	73772	76011	83112	97117	96556	93275	78915	70612	63301	62896
	a) Buyers' credit	33134	64046	66849	73273	85896	84667	80069	66006	55574	47665	46334
	b) Suppliers' credit	2998	3234	2937	2847	3252	4236	4779	5217	6088	6093	6604
	c) Export credit component of bilateral credit	5164	6492	6225	6992	7969	7653	8427	7692	8950	9543	9958
V.	**Commercial Borrowings**	249243	318209	319221	448448	614623	762128	897744	1128501	1199043	1120748	1241231
	a) Commercial bank loans[b]	160577	219925	202350	261678	373194	454450	582644	635246	647567	570649	560730
	b) Securitized borrowings[c]	82641	91286	113177	183504	238849	306070	313416	490895	549076	547822	678306
	c) Loans/securitized borrowings etc., with multilateral/bilateral guarantee + IFC(W)	6025	6998	3694	3266	2580	1608	1684	2360	2400	2277	2195
VI.	**NRI Deposits[d] (Above one year Maturity)**	174623	210118	217062	230812	299840	385202	624101	720997	841955	757750	771326
VII.	**Rupee Debt[e]**	8065	7760	7480	7147	6922	6839	8826	9426	8479	7963	7863
	a) Defence	7172	6935	6709	6416	6220	6164	8179	8807	7887	7400	7327
	b) Civilian	893	825	771	731	702	675	647	619	592	563	536
VIII.	**Total Long Term Debt (I TO VII)**	714409	921469	942450	1129258	1444205	1698803	2131229	2436397	2666239	2489910	2636516

Contd....

Table 8.4A. India's External Debt Outstanding

(₹ crore)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX.	**Short-Term Debt**	182881	220656	236188	290149	399962	525931	550985	535145	553044	570452	605807
	a) Trade-Related Credits	167540	203345	214267	261006	333202	472026	491271	510938	530806	560781	595148
	1) Above 6 Months	91502	118936	126391	157806	200454	321010	330500	334267	339674	364104	389401
	2) Upto 6 Months	76038	84409	87876	103200	132748	151016	160771	176671	191132	196677	205747
	b) FII Investment in Govt. Treasury Bills and other instruments	2603	10522	15153	24214	48066	29671	33686	7307	132	260	299
	c) Investment in Treasury Bills by foreign central banks and other international institutions etc.	620	534	467	225	326	447	572	714	714	642	637
	d) External Debt Liabilities of:	12118	6255	6301	4704	18368	23787	25456	16186	21392	8769	9723
	1) Central Bank	4458	3892	3139	693	871	985	892	939	1197	1575	1605
	2) Commercial banks	7660	2363	3162	4011	17497	22802	24564	15247	20195	7194	8118
X.	**Grand Total(VIII+IX)**	897290	1142125	1178638	1419407	1844167	2224734	2682214	2971542	3219283	3060362	3242323

Source: Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Ministry of Defence, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India.

Notes:

PR: Partially Revised; QE : Quick Estimates.

IFC(W): International Finance Corporation, Washington D.C. FII: Foreign Institutional Investors

a: Relates to SDR allocations from March 2004 onwards.

b: Includes Financial Lease since 1996.

c: Also includes India Development Bonds (IDBs), Resurgent India Bonds (RIBs), India Millennium Deposits (IMDs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and net investment by 100% FII debt funds and securitized borrowings of commercial banks

FCCB debt has been adjusted since end-March, 1998 after netting out conversion into equity and redemptions.

d: Figures include accrued interest.

e: Rupee denominated debt owed to Russia and payable through exports.

NRO Deposits are included under NRI Deposits from the quarter ended June 2005. Supplier's Credits upto 180 days and FII investment in short-term debt instruments are included under short-term debt from the quarter ended March 2005. Vostro balances / Nostro overdrafts of commercial banks, balances of foreign central banks/international institutions with RBI and investment in T-bills/securities by foreign central banks/ international institutions have been included in external debt from the quarter ended March 2007.

8.4B. India's External Debt Outstanding

(US$ million)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Multilateral**	39490	39538	42857	48475	50452	51590	53418	52391	54000	54501	55550
	A. Government Borrowing	36171	35724	37825	42579	43686	43539	44598	43015	44171	44355	45547
	(i) Concessional	26859	25080	25711	26992	27221	26443	27173	24679	25006	24117	24895
	a) IDA	26497	24757	25380	26637	26853	26071	26770	24294	24595	23705	24451
	b) Others	362	323	331	355	368	372	403	385	411	412	444
	(ii) Non-concessional	9312	10644	12114	15587	16465	17096	17425	18336	19165	20238	20652
	a) IBRD	5660	5878	6397	8774	8897	8912	8876	9117	9244	9335	9344
	b) Others	3652	4766	5717	6813	7568	8184	8549	9219	9921	10903	11308
	B. Non-Government Borrowing	3319	3814	5032	5896	6766	8051	8820	9376	9829	10146	10003
	(i) Concessional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) Non-concessional	3319	3814	5032	5896	6766	8051	8820	9376	9829	10146	10003
	a) Public Sector	2589	2807	3305	3536	3808	4324	4669	5010	5319	4944	4996
	i) IBRD	1173	1395	1893	2057	2177	2355	2394	2502	2554	2558	2539
	ii) Others	1416	1412	1412	1479	1631	1969	2275	2508	2765	2386	2457
	b) Financial Institutions	587	730	1193	1681	2017	2650	3139	3492	3791	4603	4457
	i) IBRD	148	146	298	425	531	549	635	592	899	1120	1109
	ii) Others	439	584	895	1256	1486	2101	2504	2900	2892	3483	3348
	c) Private Sector	143	277	534	679	941	1077	1012	874	719	599	550
	i) IBRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ii) Others	143	277	534	679	941	1077	1012	874	719	599	550
II.	**Bilateral**	19708	20610	22593	25712	26884	25158	24727	21726	22464	23227	23061
	A.Government borrowing	14853	14655	15860	17988	17987	16259	16099	14121	15457	16887	17423
	(i) Concessional	14853	14655	15860	17988	17987	16259	16099	14121	15457	16887	17423
	(ii) Non-concessional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.Non-Government borrowing	4855	5955	6733	7724	8897	8899	8628	7605	7007	6340	5638
	(i) Concessional	435	641	702	918	1501	1558	1714	1610	1786	1846	1834

Contd....

8.4B. India's External Debt Outstanding

(US$ million)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	a) Public Sector	307	227	248	363	974	1093	1290	1205	1359	1040	1053
	b) Financial Institutions	128	414	454	555	527	465	424	405	427	806	781
	c) Private Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) Non-concessional	4420	5314	6031	6806	7396	7341	6914	5995	5221	4494	3804
	a) Public Sector	2525	2959	3072	3087	2781	2397	2223	1846	1646	1459	1407
	b) Financial Institutions	934	846	761	840	762	776	724	531	455	488	388
	c) Private Sector	961	1509	2198	2879	3853	4168	3967	3618	3120	2547	2009
III.	**IMF[a]**	1120	1018	6041	6308	6163	5964	6149	5488	5605	5410	5622
IV.	**Export Credit**	10328	14481	16841	18647	18990	17760	15518	12608	10640	9759	9616
	a) Buyers' credit	8287	12572	14811	16437	16790	15567	13323	10547	8378	7351	7090
	b) Suppliers' credit	750	635	651	646	636	779	795	833	918	940	1011
	c) Export credit component of bilateral credit	1291	1274	1379	1564	1564	1414	1400	1228	1344	1468	1515
V.	**Commercial Borrowings**	62334	62461	70726	100476	120136	140125	149375	180295	180761	172852	189920
	a) Commercial bank loans[b]	40159	43169	44832	58643	72946	83555	96946	101492	97624	88011	85797
	b) Securitized borrowings[c]	20668	17918	25075	41100	46686	56274	52149	78426	82775	84490	103787
	c) Loans/securitized borrowings etc., with multilateral/bilateral guarantee + IFC(W)	1507	1374	819	733	504	296	280	377	362	351	336
VI.	**NRI Deposits[d] (Above one year Maturity)**	43672	41554	47890	51682	58608	70822	103845	115163	126929	116867	118020
VII.	**Rupee Debt[e]**	2017	1523	1658	1601	1354	1258	1468	1506	1278	1228	1203
	a) Defence	1794	1361	1487	1437	1216	1133	1361	1407	1189	1141	1121
	b) Civilian	223	162	171	164	138	125	107	99	89	87	82
VIII.	**Total Long Term Debt (I TO VII)**	178669	181185	208606	252901	282587	312677	354500	389177	401677	383844	402992
IX.	**Short-Term Debt**	45738	43313	52329	64990	78179	96697	91678	85498	83375	87980	92694
	a) Trade-Related Credits	41901	39915	47473	58463	65130	86787	81743	81631	80022	86488	91063
	1) Above 6 Months	22884	23346	28003	35347	39182	59021	54992	53405	51208	56155	59582
	2) Upto 6 Months	19017	16569	19470	23116	25948	27766	26751	28226	28814	30333	31481

Contd....

8.4B. India's External Debt Outstanding

(US$ million)

	Components of External Debt	End-March										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017PR	End-Sep 2017QE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	b) FII Investment in Govt. Treasury Bills and other instruments	651	2065	3357	5424	9395	5455	5605	1167	20	40	46
	c) Investment in Treasury Bills by foreign central banks and other international institutions etc.	155	105	103	50	64	82	95	114	108	99	97
	d) External Debt Liabilities of:	3031	1228	1396	1053	3590	4373	4235	2586	3225	1353	1488
	1) Central Bank	1115	764	695	155	170	181	148	150	180	243	246
	2) Commercial banks	1916	464	701	898	3420	4192	4087	2436	3045	1110	1242
X.	**Grand Total (VIII+IX)**	**224407**	**224498**	**260935**	**317891**	**360766**	**409374**	**446178**	**474675**	**485052**	**471824**	**495686**
	Memo Items :											
	Concessional Debt[f]	44164	41899	43931	47499	48063	45518	46454	41916	43526	44078	45354
	Concessional Debt to total external debt (per cent)	19.7	18.7	16.8	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8	9.0	9.3	9.1
	Short-term debt	45738	43313	52329	64990	78179	96697	91678	85498	83375	87980	92694
	Short-term debt to total external debt (per cent)	20.4	19.3	20.1	20.4	21.7	23.6	20.6	18.0	17.2	18.6	18.7

Source: Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Ministry of Defence, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India.

Notes:

PR: Partially Revised; QE : Quick Estimates.

IFC(W): International Finance Corporation, Washington D.C. FII: Foreign Institutional Investors

a: Relates to SDR allocations from March 2004 onwards.

b: Includes Financial Lease since 1996.

c: Also includes India Development Bonds (IDBs), Resurgent India Bonds (RIBs), India Millennium Deposits (IMDs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and net investment by 100% FII debt funds and securitized borrowings of commercial banks FCCB debt has been adjusted since end-March, 1998 after netting out conversion into equity and redemptions.

d: Figures include accrued interest.

e: Rupee denominated debt owed to Russia and payable through exports.

f: The definition of concessional debt here includes 'concessional' categoreis under multilateral and bilateral debt and rupee debt under item VII. NRO Deposits are included under NRI Deposits from the quarter ended June 2005. Supplier's Credits upto 180 days and FII investment in short-term debt instruments are included under short-term debt from the quarter ended March 2005. Vostro balances / Nostro overdrafts of commercial banks, balances of foreign central banks/international institutions with RBI and investment in T-bills/securities by foreign central banks/ international institutions have been included in external debt from the quarter ended March 2007.

Table 9.1. Selected Indicators of Human Development for Major States

States	Life expectancy at birth (in years)						Infant mortality rate (per 1000 live births)						Birth rate (per 1000)		Death rate (per 1000)		Total fertility rate	
	2007-11			2011-15			2005			2016			2005	2016	2005	2016	2005	2016
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Andhra Pradesh	64.0	68.6	66.3	67.1	71.2	69.0	56	58	57	33	35	34	19.1	16.4	7.3	6.8	2.0	1.7
Assam	61.2	63.6	62.2	63.5	66.2	64.7	66	69	68	43	45	44	25.0	21.7	8.7	6.7	2.9	2.3
Bihar	65.9	66.8	66.3	68.5	68.3	68.4	60	62	61	31	46	38	30.4	26.8	8.1	6.0	4.3	3.3
Gujarat	65.2	69.6	67.3	66.9	71.6	69.1	52	55	54	31	30	30	23.7	20.1	7.1	6.1	2.8	2.2
Haryana	65.0	69.8	67.3	66.9	71.9	69.1	51	70	60	31	35	33	24.3	20.7	6.7	5.9	2.8	2.3
Himachal Pradesh	67.9	72.3	70.1	69.1	75.2	72.0	47	51	49	23	26	25	20.0	16.0	6.9	6.8	2.2	1.7
Jammu & Kashmir	69.4	71.9	70.5	71.2	76.1	73.2	47	55	50	24	25	24	18.9	15.7	5.5	5.0	2.4	1.7
Karnataka	65.2	70.0	67.5	67.2	70.9	69.0	48	51	50	22	27	24	20.6	17.6	7.1	6.7	2.2	1.8
Kerala	71.5	77.3	74.4	72.2	78.2	75.2	14	15	14	9	11	10	15.0	14.3	6.4	7.6	1.7	1.8
Madhya Pradesh	61.3	64.5	62.8	63.2	66.5	64.8	72	79	76	49	44	47	29.4	25.1	9.0	7.1	3.6	2.8
Maharashtra	68.3	72.4	70.3	70.3	73.9	72.0	34	37	36	18	19	19	19.0	15.9	6.7	5.9	2.2	1.8
Odisha	62.9	64.5	63.7	65.6	68.3	66.9	74	77	75	44	44	44	22.3	18.6	9.5	7.8	2.6	2.0
Punjab	67.7	72.2	69.8	70.3	74.2	72.1	41	48	44	20	21	21	18.1	14.9	6.7	6.0	2.1	1.7
Rajasthan	65.0	68.7	66.8	65.7	70.4	67.9	64	72	68	39	44	41	28.6	24.3	7.0	6.1	3.7	2.7
Tamil Nadu	67.6	71.4	69.4	69.1	73.0	71.0	35	39	37	18	17	17	16.5	15.0	7.4	6.4	1.7	1.6
Uttar Pradesh	61.9	64.2	63.0	63.4	65.6	64.5	71	75	73	41	45	43	30.4	26.2	8.7	6.9	4.2	3.1
West Bengal	67.8	71.3	69.4	69.4	71.8	70.5	38	39	38	24	26	25	18.8	15.4	6.4	5.8	2.1	1.6
All India	64.9	68.2	66.5	66.9	70.0	68.3	56	61	58	33	36	34	23.8	20.4	7.6	6.4	2.9	2.3

Source : Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs

Table 9.2. Gross Enrolment Ratio 2015-16 (Provisional)

(per cent)

States/UTs	Classes I-V			Classes VI-VIII			Classes I-VIII		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Andhra Pradesh	84.9	84.1	84.5	81.1	81.6	81.3	83.5	83.1	83.3
Arunachal Pradesh	127.6	125.9	126.8	127.1	133.2	130.1	127.5	128.1	127.8
Assam	104.7	107.6	106.1	87.7	98.8	93.1	98.8	104.6	101.6
Bihar	104.4	111.3	107.7	98.2	119.4	107.9	102.4	113.7	107.7
Chhattisgarh	100.2	99.9	100.0	101.6	103.1	102.3	100.7	101.1	100.9
Gujarat	95.6	99.1	97.2	94.7	97.0	95.7	95.3	98.3	96.7
Haryana	90.0	93.2	91.4	87.4	99.2	92.4	89.0	95.4	91.8
Himachal Pradesh	98.0	99.7	98.8	103.4	105.5	104.4	100.0	101.9	100.9
Jammu & Kashmir	84.9	87.2	86.0	68.8	71.9	70.2	78.8	81.5	80.1
Jharkhand	108.6	109.9	109.2	97.8	108.2	102.7	104.9	109.4	107.1
Karnataka	102.9	103.0	103.0	92.4	94.4	93.4	99.0	99.8	99.4
Kerala	95.5	95.4	95.4	94.6	96.3	95.4	95.1	95.8	95.4
Madhya Pradesh	95.4	93.5	94.5	90.5	98.1	94.0	93.5	95.2	94.3
Maharashtra	97.9	97.6	97.7	97.4	101.4	99.2	97.7	99.0	98.3
Manipur	128.9	132.9	130.9	127.0	132.9	129.9	128.3	132.9	130.6
Meghalaya	138.8	143.1	140.9	126.0	146.2	135.9	134.9	144.0	139.4
Mizoram	124.9	121.0	123.0	135.9	133.6	134.8	128.3	124.8	126.6
Nagaland	98.1	101.0	99.5	98.6	106.4	102.3	98.3	102.7	100.4
Odisha	104.9	102.5	103.7	94.9	93.6	94.3	101.2	99.2	100.2
Punjab	99.9	104.0	101.7	95.0	102.9	98.4	98.0	103.6	100.4
Rajasthan	101.3	99.5	100.4	91.5	91.2	91.3	97.8	96.6	97.2
Sikkim	107.3	98.3	102.9	143.7	157.9	150.6	119.5	118.0	118.8
Tamil Nadu	103.4	104.4	103.9	92.6	95.7	94.0	99.0	100.9	99.9
Telangana	103.1	102.9	103.0	88.6	90.3	89.4	97.6	98.0	97.8
Tripura	107.6	108.4	108.0	125.8	130.3	128.0	113.4	115.3	114.3
Uttar Pradesh	88.6	96.2	92.2	68.2	83.5	75.1	81.3	91.8	86.2
Uttarakhand	98.9	99.8	99.3	85.8	88.1	86.9	93.9	95.3	94.6
West Bengal	103.1	104.3	103.7	97.9	112.6	105.0	101.2	107.3	104.2
A & N Islands	91.1	86.8	88.9	86.4	82.0	84.1	89.3	84.9	87.1
Chandigarh	77.4	86.6	81.4	90.4	102.4	95.5	82.3	92.3	86.7
D & N Haveli	84.7	80.2	82.5	93.7	88.0	91.0	88.0	83.0	85.6
Daman & Diu	79.7	85.0	82.0	74.9	84.6	79.2	77.9	84.8	81.0
Delhi	108.0	113.9	110.7	118.9	140.6	128.1	111.8	122.6	116.6
Goa	100.9	104.5	102.6	96.8	100.9	98.7	99.3	103.1	101.1
Lakshadweep	77.9	69.9	73.8	92.5	75.7	83.3	83.3	72.2	77.5
Puducherry	80.2	90.2	84.8	82.4	92.6	87.0	81.0	91.1	85.6
All India	97.9	100.7	99.2	88.7	97.6	92.8	94.5	99.6	96.9

Source: School Education in India, U-DISE 2015-16 (Provisional)

Table 9.3. Number of Recognised Educational Institutions in India 2015-16

(in numbers)

States/UTs	2015-16 (Provisional)[1]				2015-16 [2]						
	Intermediate/ Sr. Sec. Schools	High/ Secondary Schools	Upper Primary Schools	Only Primary Schools	Universities / University level Institutes	Colleges	Technical Education (Polytechnics)	PGDM	Nursing	Teacher Training	Institutes under Ministries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Andhra Pradesh	2589	11234	10086	38793	28	2532	156	11	297	351	na
Arunachal Pradesh	155	263	1266	2363	9	28	3	na	2	7	na
Assam	2075	6987	13451	48529	21	539	16	1	45	22	2
Bihar	3926	3701	33204	43405	22	744	29	4	80	44	3
Chhattisgarh	3818	2465	14672	32826	22	706	1	10	38	32	3
Gujarat	6592	4350	29642	11840	57	2019	1	18	126	149	7
Haryana	4300	3363	4658	9994	39	1113	204	21	42	37	5
Himachal Pradesh	2212	1570	2930	11327	25	348	41	1	31	18	2
Jammu & Kashmir	1061	3141	10286	14604	11	329	36	na	12	25	na
Jharkhand	1229	3372	15917	28010	14	328	32	8	33	7	10
Karnataka	4509	13627	30563	26790	52	3555	314	26	572	757	8
Kerala	2949	1733	4020	8428	20	1302	79	8	233	273	7
Madhya Pradesh	8100	6793	47276	88593	43	2260	103	19	128	204	7
Maharashtra	8738	16287	29448	53151	45	4569	1091	75	167	1147	21
Manipur	210	899	933	2951	4	87	1	na	6	8	1
Meghalaya	300	1255	3597	9362	10	63	3	na	7	11	1
Mizoram	138	615	1511	1561	3	29	2	na	4	9	na
Nagaland	175	561	825	1265	4	65	4	na	3	4	na
Odisha	1291	9454	22795	36760	21	1076	143	11	179	65	2
Punjab	4553	4618	5446	14371	26	1050	173	2	209	31	4

Contd....

Table 9.3. Number of Recognised Educational Institutions in India 2015-16

(in numbers)

States/UTs	2015-16 (Provisional)[1]				2015-16 [2]						
	Intermediate/ Sr. Sec. Schools	High/ Secondary Schools	Upper Primary Schools	Only Primary Schools	Universities / University level Institutes	Colleges	Technical Education (Polytechnics)	PGDM	Nursing	Teacher Training	Institutes under Ministries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Rajasthan	16958	11237	37656	42577	70	3050	199	19	160	202	5
Sikkim	87	140	346	706	7	16	2	na	1	2	na
Tamil Nadu	6877	5594	9733	35379	58	2368	476	10	115	399	13
Telangana	2162	11333	7189	21948	21	2454	107	25	234	207	11
Tripura	411	603	1262	2568	3	51	3	na	5	4	na
Uttar Pradesh	15937	8632	75644	155756	67	6491	370	128	245	182	12
Uttarakhand	2218	1294	5017	15497	28	439	103	3	9	17	2
West Bengal	6898	3296	8839	76703	34	1082	118	12	54	100	11
A & N Islands	63	49	84	218	na	7	1	na	2	1	na
Chandigarh	90	70	29	12	3	25	3	1	na	3	na
D & N Haveli	21	20	129	177	na	8	na	na	1	na	1
Daman & Diu	24	18	44	59	na	8	na	na	na	2	na
Delhi	1684	377	939	2755	26	191	35	21	17	36	20
Goa	110	385	86	973	2	55	8	1	2	1	na
Lakshadweep	13	1	14	17	na	0	na	na	na	na	na
Puducherry	164	202	87	278	4	84	10	na	1	46	na
All India	112637	139539	429624	840546	799	39071	3867	435	3060	4403	158

Source: [1] : School Education in India, U-DISE 2015-16 [2] : AISHE 2015-16, Ministry of Human Resource Development
Note:
na: Not Available
1: Upper primary means primary schools/sections, secondary means secondary schools/sections and senior secondary means senior secondary schools/sections unless otherwise mentioned.

Table 9.4. State-Wise Literacy Rates (1951-2011)

(per cent)

States/UTs	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Andhra Pradesh	na	21.2	24.6	35.7	44.1	60.5	67.0
Arunachal Pradesh	na	7.1	11.3	25.6	41.6	54.3	65.4
Assam	18.5	33.0	33.9	na	52.9	63.3	72.2
Bihar	13.5	22.0	23.2	32.3	37.5	47.0	61.8
Chhattisgarh	9.4	18.1	24.1	32.6	42.9	64.7	70.3
Gujarat	21.8	31.5	37.0	44.9	61.3	69.1	78.0
Haryana	na	na	25.7	37.1	55.9	67.9	75.6
Himachal Pradesh	na	na	na	na	63.9	76.5	82.8
Jammu & Kashmir	na	13.0	21.7	30.6	na	55.5	67.2
Jharkhand	12.9	21.1	23.9	35.0	41.4	53.6	66.4
Karnataka	na	29.8	36.8	46.2	56.0	66.6	75.4
Kerala	47.2	55.1	69.8	78.9	89.8	90.9	94.0
Madhya Pradesh	13.2	21.4	27.3	38.6	44.7	63.7	69.3
Maharashtra	27.9	35.1	45.8	57.2	64.9	76.9	82.3
Manipur[a]	12.6	36.0	38.5	49.7	59.9	70.5	76.9
Meghalaya	na	26.9	29.5	42.1	49.1	62.6	74.4
Mizoram	31.1	44.0	53.8	59.9	82.3	88.8	91.3
Nagaland	10.5	22.0	33.8	50.3	61.7	66.6	79.6
Odisha	15.8	21.7	26.2	33.6	49.1	63.1	72.9
Punjab	na	na	34.1	43.4	58.5	69.7	75.8
Rajasthan	8.5	18.1	22.6	30.1	38.6	60.4	66.1
Sikkim	na	na	17.7	34.1	56.9	68.8	81.4
Tamil Nadu	na	36.4	45.4	54.4	62.7	73.5	80.1
Tripura	na	20.2	31.0	50.1	60.4	73.2	87.2
Uttar Pradesh	12.0	20.9	24.0	32.7	40.7	56.3	67.7
Uttarakhand	18.9	18.1	33.3	46.1	57.8	71.6	78.8
West Bengal	24.6	34.5	38.9	48.7	57.7	68.6	76.3
A & N Islands	30.3	40.1	51.2	63.2	73.0	81.3	86.6
Chandigarh	na	na	70.4	74.8	77.8	81.9	86.0
D & N Haveli	na	na	18.1	32.9	40.7	57.6	76.2
Daman & Diu	na	na	na	na	71.2	78.2	87.1
Delhi	na	62.0	65.1	71.9	75.3	81.7	86.2
Goa	23.5	35.4	52.0	65.7	75.5	82.0	88.7
Lakshadweep	15.2	27.2	51.8	68.4	81.8	86.7	91.8
Puducherry	na	43.7	53.4	65.1	74.7	81.2	85.8
All India[a]	18.3	28.3	34.5	43.6	52.2	64.8	73.0

Source: Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs

Notes:

a : India and Manipur figures exclude those of the three sub-divisions viz. Mao Maram, Paomata and Purul of Senapati district of Manipur as census results of 2001 in these three sub-divisions were cancelled due to technical and administrative reasons.

na : Not Available

1. Literacy rates for 1951, 1961 and 1971 Censuses relate to population aged five years and above and from 1981 onwards Literacy rates relate to the population aged seven years and above. The literacy rate for 1951 in case of West Bengal relates to total population including 0-4 age group. Literacy rate for 1951 in respect of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Manipur are based on sample population.

Table 9.5. Households with Access to Safe Drinking Water in India

(per cent)

States/ UTs	Households with Tap/Handpump/Tubewell								
	1991			2001			2011		
	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Andhra Pradesh	55.1	49.0	73.8	80.1	76.9	90.2	90.5	88.6	94.5
Arunachal Pradesh	70.0	66.9	88.2	77.5	73.7	90.7	78.6	74.3	91.3
Assam	45.9	43.3	64.1	58.8	56.8	70.4	69.9	68.3	78.2
Bihar	58.8	56.5	73.4	86.6	86.1	91.2	94.0	93.9	94.7
Chhattisgarh	a	a	a	70.5	66.2	88.8	86.3	84.1	93.9
Gujarat	69.8	60.0	87.2	84.1	76.9	95.4	90.3	84.9	97.0
Haryana	74.3	67.1	93.2	86.1	81.1	97.3	93.8	92.0	96.7
Himachal Pradesh	77.3	75.5	91.9	88.6	87.5	97.0	93.7	93.2	97.8
Jammu & Kashmir	na	na	na	65.2	54.9	95.7	76.8	70.1	96.1
Jharkhand	a	a	a	42.6	35.5	68.2	60.1	54.3	78.4
Karnataka	71.7	67.3	81.4	84.6	80.5	92.1	87.5	84.4	92.3
Kerala	18.9	12.2	38.7	23.4	16.9	42.8	33.5	28.3	39.4
Madhya Pradesh	53.4	45.6	79.4	68.4	61.5	88.6	78.0	73.1	92.1
Maharashtra	68.5	54.0	90.5	79.8	68.4	95.4	83.4	73.2	95.7
Manipur	38.7	33.7	52.1	37.0	29.3	59.4	45.4	38.1	60.8
Meghalaya	36.2	26.8	75.4	39.0	29.5	73.5	44.7	35.1	79.5
Mizoram	16.2	12.9	19.9	36.0	23.8	47.8	60.4	43.4	75.8
Nagaland	53.4	55.6	45.5	46.5	47.5	42.3	53.8	54.6	51.8
Odisha	39.1	35.3	62.8	64.2	62.9	72.3	75.3	74.4	79.8
Punjab	92.7	92.1	94.2	97.6	96.9	98.9	97.6	96.7	98.9
Rajasthan	59.0	50.6	86.5	68.2	60.4	93.5	78.1	72.8	94.3
Sikkim	73.1	70.8	92.8	70.7	67.0	97.1	85.3	82.7	92.2
Tamil Nadu	67.4	64.3	74.2	85.6	85.3	85.9	92.5	92.2	92.9
Tripura	37.2	30.6	71.1	52.5	45.0	85.8	67.5	58.1	91.9
Uttar Pradesh	62.2	56.6	85.8	87.8	85.5	97.2	95.1	94.3	97.9
Uttarakhand	a	a	a	86.7	83.0	97.8	92.2	89.5	98.7
West Bengal	82.0	80.3	86.2	88.5	87.0	92.3	92.2	91.4	93.9
A & N Islands	67.9	59.4	90.9	76.7	66.8	97.8	85.5	78.2	98.1
Chandigarh	97.7	98.1	97.7	99.8	99.9	99.8	99.3	98.7	99.4
D& N Haveli	45.6	41.2	91.0	77.0	70.5	96.1	91.6	84.3	98.4
Daman & Diu	71.4	56.9	86.8	96.3	94.9	98.9	98.7	97.8	99.0
Delhi	95.8	91.0	96.2	97.2	90.1	97.7	95.0	87.9	95.2
Goa	43.4	30.5	61.7	70.1	58.3	82.1	85.7	78.4	90.4
Lakshadweep	11.9	3.4	18.8	4.6	4.6	4.6	22.8	31.2	20.2
Puducherry	88.8	92.9	86.1	95.9	96.6	95.5	97.8	99.6	97.0
All India	62.3	55.5	81.4	77.9	73.2	90.0	85.5	82.7	91.4

Source: Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs

Notes:

a : Created in 2001. Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh for 1991 are included under Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh respectively.
na : Not Available as no census was carried out in Jammu & Kashmir during 1991.

Table 9.6. Population of India (1951-2011)

(in thousands)

States /UTs	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Andhra Pradesh	31115	35983	43503	53551	66508	76210	84581
Arunachal Pradesh[a]	na	337	468	632	865	1098	1384
Assam[b]	8029	10837	14625	18041	22414	26656	31206
Bihar	29085	34841	42126	52303	64531	82999	104099
Chhattisgarh	7457	9154	11637	14010	17615	20834	25545
Gujarat	16263	20633	26697	34086	41310	50671	60440
Haryana	5674	7591	10036	12922	16464	21145	25351
Himachal Pradesh	2386	2812	3460	4281	5171	6078	6865
Jammu & Kashmir[c]	3254	3561	4617	5987	7837	10144	12541
Jharkhand	9697	11606	14227	17612	21844	26946	32988
Karnataka	19402	23587	29299	37136	44977	52851	61095
Kerala	13549	16904	21347	25454	29099	31841	33406
Madhya Pradesh	18615	23218	30017	38169	48566	60348	72627
Maharashtra	32003	39554	50412	62783	78937	96879	112374
Manipur[d]	578	780	1073	1421	1837	2294	2856
Meghalaya	606	769	1012	1336	1775	2319	2967
Mizoram	196	266	332	494	690	889	1097
Nagaland	213	369	516	775	1210	1990	1979
Odisha	14646	17549	21945	26370	31660	36805	41974
Punjab	9161	11135	13551	16789	20282	24359	27743
Rajasthan	15971	20156	25766	34262	44006	56507	68548
Sikkim	138	162	210	316	406	541	611
Tamil Nadu	30119	33687	41199	48408	55859	62406	72147
Tripura	639	1142	1556	2053	2757	3199	3674
Uttar Pradesh	60274	70144	83849	105137	132062	166198	199812
Uttarakhand	2946	3611	4493	5726	7051	8489	10086
West Bengal	26300	34926	44312	54581	68078	80176	91276
A & N Islands	31	64	115	189	281	356	381
Chandigarh	24	120	257	452	642	901	1055
D & N Haveli	42	58	74	104	138	220	344
Daman & Diu	49	37	63	79	102	158	243
Delhi	1744	2659	4066	6220	9421	13851	16788
Goa	547	590	795	1008	1170	1348	1459
Lakshadweep	21	24	32	40	52	61	64
Puducherry	317	369	472	604	808	974	1248
All India[d]	361088	439235	548160	683329	846421	1028737	1210855

Source : Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs

Notes:

na: Not Available

a : Census conducted for the first time in 1961.

b : The 1981 Census could not be held in Assam. Total population for 1981 has been worked out by interpolation.

c : The 1991 Census could not be held in Jammu & Kashmir. Total population for 1991 has been worked out by interpolation.

d: India and Manipur figures include estimated population for those of the three sub-divisions viz. Mao Maram, Paomata and Purul Senapati district of Manipur as census results of 2001 in these three sub-divisions were cancelled due to technical and administrative reasons.

Table 9.7. Population under different age groups and Child Sex Ratio in 2001 and 2011

States/UTs	Age Group (2001)					Age Group (2011)					Child Sex Ratio (0-6 years)	
	0-14	15-34	35-59	60 & above	Age not stated	0-14	15-34	35-59	60 & above	Age not stated	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Andhra Pradesh	24398125	26904637	18985717	5788078	133450	21790792	30609248	23131065	8278241	771431	961	939
Arunachal Pradesh	442825	366838	237279	49916	1110	493361	512549	312669	63639	1509	964	972
Assam	9970342	9220063	5875783	1560366	28974	10248899	11123193	7736116	2078544	18824	965	962
Bihar	34874151	24971476	17473783	5501274	177825	41721188	32264872	22002745	7707145	403502	942	935
Chhattisgarh	7692654	6782442	4826242	1504383	28082	8183836	8861697	6472641	2003909	23115	975	969
Gujarat	16624168	18233455	12267094	3499063	47237	17445613	21695832	16272844	4786559	238844	883	890
Haryana	7579980	7458045	4441951	1584089	80499	7529954	9370426	6225793	2193755	31534	819	834
Himachal Pradesh	1884390	2159835	1471395	547564	14716	1775385	2419844	1956201	703009	10163	896	909
Jammu & Kashmir	3617025	3523571	2282065	675324	45715	4240710	4411400	2951417	922656	15119	941	862
Jharkhand	10708694	8563383	6061782	1578662	33308	11891118	10992825	7630779	2356678	116734	965	948
Karnataka	16845601	18667321	13223774	4062022	51844	16024874	22349821	16883719	5791032	45851	946	948
Kerala	8296545	11271154	8911546	3335675	26454	7830974	10335954	11011254	4193393	34486	960	964
Madhya Pradesh	23252416	19871596	12783564	4280924	159523	24302242	25176834	17351555	5713316	82862	932	918
Maharashtra	31100375	34038392	23167117	8454660	118083	29917215	40661653	30280834	11106935	407696	913	894
Manipur	706705	813358	496722	145470	4533	861688	1060221	726088	200020	7777	957	930
Meghalaya	980877	776836	452223	105726	3160	1177942	1052138	592123	138902	5784	973	970
Mizoram	313736	331766	193272	49023	776	356002	412771	259172	68628	633	964	970
Nagaland	728409	762383	404177	90323	4744	679032	760810	434463	102726	1471	964	943
Odisha	12207872	12591532	8904094	3039100	62062	12076422	14385953	11408224	3984448	119171	953	941
Punjab	7617876	8609860	5845668	2191693	93902	7084950	10174719	7576330	2865817	41522	798	846
Rajasthan	22543231	18257954	11608147	3810272	287584	23725426	23811691	15629580	5112138	269602	909	888
Sikkim	188907	205320	115646	29040	1938	165937	251098	151614	40752	1176	963	957
Tamil Nadu	16710874	22392020	17366443	5507400	428942	17007503	25144641	22418323	7509758	66805	942	943
Tripura	1075552	1135652	750645	232549	4805	1017991	1362144	1002622	289544	1616	966	957

Contd....

Table 9.7. Population under different age groups and Child Sex Ratio in 2001 and 2011

States/UTs	Age Group (2001)					Age Group (2011)					Child Sex Ratio (0-6 years)	
	0-14	15-34	35-59	60 & above	Age not stated	0-14	15-34	35-59	60 & above	Age not stated	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Uttar Pradesh	67923332	51963534	33924676	11649468	736911	71308266	68153539	43288570	15439904	1622062	916	902
Uttarakhand	3086976	2845406	1884841	654356	17770	3129008	3602662	2437205	900809	16608	908	890
West Bengal	26645405	27999332	19719644	5700099	111717	24737475	32655852	26027955	7742382	112451	960	956
A & N Islands	104044	142088	90375	17366	2279	92675	147586	114528	25424	368	957	968
Chandigarh	261188	364690	228545	44912	1300	266512	426702	294812	67078	346	845	880
D & N Haveli	77758	90151	43663	8814	104	107813	147931	73701	13892	372	979	926
Daman & Diu	43194	75924	30973	8042	71	54985	122110	54435	11361	356	926	904
Delhi	4492939	5368740	3248002	719650	21176	4565319	6534460	4524015	1147445	16702	868	871
Goa	331226	523205	373952	112273	7012	318160	503105	471691	163495	2094	938	942
Lakshadweep	20734	21382	14752	3729	53	16457	22857	19774	5270	115	959	911
Puducherry	262686	373118	256712	81016	813	298392	440449	387575	120436	1101	967	967
All India	363610812	347676459	237962264	76622321	2738472	372444116	421959587	308112432	103849040	4489802	927	918

Source: Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs

Table 9.8. Socio- Economic Profiles and								
Socio-economic Indicators/Items	**Andhra Pradesh**	**Assam**	**Bihar**	**Chhat-tisgarh**	**Gujarat**	**Haryana**	**Himachal Pradesh**	**Jammu & Kashmir**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Demographic indicators*								
Population 2001 (in '000)	76210	26656	82999	20834	50671	21145	6078	10144
Population 2011 (in '000)	84581	31206	104099	25545	60439	25351	6865	12541
Percentage decadal growth rate of population (1991-2001)	14.6	18.9	28.6	18.3	22.7	28.4	17.5	29.4
Percentage decadal growth rate of population (2001- 2011)	11.0	17.1	25.4	22.6	19.3	19.9	12.9	23.6
Sex-ratio 2001 (Females per 1000 males)	978	935	919	989	920	861	968	892
Sex-ratio 2011 (Females per 1000 males)	993	958	918	991	919	879	972	889
Sex ratio at birth 2012-14 (Females per 1000 males)	919	918	907	973	907	866	938	899
Sex ratio at birth 2013-15 (Females per 1000 males)	918	900	916	961	854	831	924	899
States HDI and its components**								
HDI Ranking 1999-2000	15	17	19	21	10	7	4	11
HDI 1999-2000	0.368	0.336	0.292	0.278	0.466	0.501	0.581	0.465
Health Index 1999-2000	0.521	0.339	0.506	0.341	0.562	0.576	0.681	0.457
Income Index 1999-2000	0.197	0.152	0.100	0.127	0.323	0.417	0.426	0.431
Education Index 1999-2000	0.385	0.516	0.271	0.365	0.512	0.512	0.636	0.507
HDI Ranking 2007-08	15	16	21	23	11	9	3	10
HDI 2007-08	0.473	0.444	0.367	0.358	0.527	0.552	0.652	0.529
Health Index 2008	0.580	0.407	0.563	0.417	0.633	0.627	0.717	0.530
Income Index 2007-08	0.287	0.288	0.127	0.133	0.371	0.408	0.491	0.459
Education Index 2007-08	0.553	0.636	0.409	0.526	0.577	0.622	0.747	0.597
Growth in GSDP and Per capita Income at constant prices (2011-12)#								
GSDP 2014-15 (%)	8.5	6.9	3.6	7.6	10.5	5.7	7.5	-0.3
GSDP 2015-16 (%)	10.9	8.3	7.5	6.6	11.1	9.0	9.1	14.7
Average GSDP 2013-14 to 2015-16 (%)	8.8	6.7	5.4	8.0	9.7	7.6	7.9	6.6
Per capita income (PCY) 2014-15 (%)	8.0	4.2	2.0	5.8	8.6	4.0	6.2	-2.8
Per capita income (PCY) 2015-16 (%)	10.4	8.2	5.8	3.6	10.0	7.5	8.9	14.4
Poverty Headcount Ratio (HCR) ***								
2011-12 (Rural)	10.9	33.9	34.1	44.6	21.5	11.6	8.5	11.5
2011-12 (Urban)	5.8	20.5	31.2	24.8	10.1	10.3	4.3	7.2
2011-12 (Total)	9.20	31.9	33.7	39.9	16.6	11.2	8.1	10.4
2009-10 (Rural)	22.8	39.9	55.3	56.1	26.7	18.6	9.1	8.1
2009-10 (Urban)	17.7	26.1	39.4	23.8	17.9	23.0	12.6	12.8
2009-10 (Total)	21.1	37.9	53.5	48.7	23.0	20.1	9.5	9.4
Rural Urban Disparity ##								
Rural Average MPCE 2009-10 (in `)	1234	1003	780	784	1110	1510	1536	1344
Rural share of food expenditure 2009-10 (%)	58.0	64.4	64.7	58.2	57.7	54.0	51.6	57.8
Urban Average MPCE 2009-10 (in `)	2238	1755	1238	1647	1909	23210	2654	1759
Urban share of food expenditure 2009-10 (%)	44.8	52.9	52.9	43.7	46.2	43.1	41.5	51.3
Rural Average MPCE 2011-12 (in `)	1754	1219	1127	1027	1536	2176	2034	1743
Rural share of food expenditure 2011-12 (%)	51.4	61.3	59.3	52.7	54.9	52.1	47.3	55.3
Urban Average MPCE 2011-12 (in `)	2685	2189	1507	1868	2581	3817	3259	2485
Urban share of food expenditure 2011-12 (%)	42.3	47.7	50.5	42.2	45.2	39.2	42.4	47.8
WPR 2015-16 (15 Years & above) @								
Rural (%)	68.6	51.4	49.3	72.7	52.9	47.1	40.5	36.1
Urban (%)	42.9	45.9	40.8	45.8	41.9	39.5	43.1	38.5
Total (%)	61.6	50.6	48.4	67.3	49.0	44.7	40.8	36.7

Inter-State Comparison of Selected Major States of India												
Jharkhand	Karna-taka	Kerala	Madhya Pradesh	Mahar-ashtra	Odisha	Punjab	Rajasthan	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	Uttara-khand	West Bengal	All India
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26946	52851	31841	60348	96879	36805	24359	56507	62406	166198	8489	80176	1028737
32988	61095	33406	72627	112374	41974	27743	68548	72147	199812	10086	91276	1210855
23.4	17.5	9.4	24.3	22.7	16.3	20.1	28.4	11.7	25.9	20.4	17.8	21.5
22.4	15.6	4.9	20.3	16.0	14.0	13.9	21.3	15.6	20.2	18.8	13.8	17.7
941	965	1058	919	922	972	876	921	987	898	962	934	933
948	973	1084	931	929	979	895	928	996	912	963	950	943
910	950	974	927	896	953	870	893	921	869	871	952	906
902	939	967	919	878	950	889	861	911	879	844	951	900
23	12	2	20	6	22	5	14	8	18	16	13	
0.268	0.432	0.677	0.285	0.501	0.275	0.543	0.387	0.480	0.316	0.339	0.422	0.387
0.434	0.567	0.782	0.363	0.601	0.376	0.632	0.520	0.586	0.398	0.465	0.600	0.497
0.100	0.260	0.458	0.127	0.297	0.076	0.455	0.293	0.285	0.179	0.179	0.210	0.223
0.271	0.468	0.789	0.365	0.606	0.372	0.542	0.348	0.570	0.371	0.371	0.455	0.442
19	12	1	20	7	22	5	17	8	18	14	13	
0.376	0.519	0.790	0.375	0.572	0.362	0.605	0.434	0.570	0.380	0.490	0.492	0.467
0.500	0.627	0.817	0.430	0.650	0.450	0.667	0.587	0.637	0.473	0.530	0.650	0.563
0.142	0.326	0.629	0.173	0.351	0.139	0.495	0.253	0.355	0.175	0.302	0.252	0.271
0.485	0.605	0.924	0.522	0.715	0.499	0.654	0.462	0.719	0.492	0.638	0.575	0.568
12.5	6.7	4.3	5.4	5.4	6.0	4.2	6.4	4.9	4.0	5.3	N.A.	7.5
5.9	8.4	6.6	8.0	8.5	6.0	5.4	6.6	6.1	8.0	7.7	N.A.	8.0
6.7	8.2	4.9	5.7	7.1	6.9	5.4	6.3	6.2	5.9	7.2	N.A.	7.3
11.4	4.2	4.3	3.4	3.9	4.5	2.5	4.7	4.5	1.6	5.3	N.A.	6.3
4.2	6.8	6.5	6.1	6.9	4.9	4.0	5.1	5.0	6.7	6.5	N.A.	6.8
40.8	24.5	9.1	35.7	24.2	35.7	7.7	16.1	15.8	30.4	11.6	22.5	25.7
24.8	15.3	4.9	21.0	9.1	17.3	9.2	10.7	6.5	26.1	10.5	14.7	13.7
36.9	20.9	7.1	31.7	17.4	32.6	8.3	14.7	11.3	29.4	11.3	19.9	21.9
41.6	26.1	12.0	42.0	29.5	39.2	14.6	26.4	21.2	39.4	14.9	28.8	33.8
31.1	19.6	12.1	22.9	18.3	25.9	18.1	19.9	12.8	31.7	25.2	22.0	20.9
39.1	23.6	12.0	36.7	24.5	37.0	15.9	24.8	17.1	37.7	18.0	26.7	29.8
825	1020	1835	903	1153	818	1649	1179	1160	899	1747	952	1054
60.9	56.5	45.9	55.8	54.0	61.9	48.2	54.8	54.7	57.9	45.1	63.4	57.0
1584	2053	2413	1666	2437	1548	2109	1663	1948	1574	1745	1965	1984
51.5	42.3	40.2	41.7	41.0	48.4	44.3	48.0	45.0	46.3	48.5	46.2	44.4
1006	1561	2669	1152	1619	1003	2345	1598	1693	1156	1726	1291	1430
58.4	51.4	43.0	52.9	52.4	57.2	44.1	50.5	51.5	53.0	49.6	58.2	52.9
2018	3026	3408	2058	3189	1941	2794	2442	2622	2051	2339	2591	2630
46.5	40.1	37.0	42.2	41.6	45.4	41.0	44.8	42.7	44.0	46.3	44.2	42.6
71.9	58.6	46.0	47.1	61.1	52.7	40.6	57.9	65.5	45.8	46.4	53.4	53.9
42.0	49.9	44.2	37.8	39.0	42.7	39.3	38.7	45.1	35.6	39.4	43.8	41.8
65.2	55.5	45.2	44.8	52.2	51.2	40.2	53.7	56.3	43.7	44.6	50.7	50.5

Contd....

Table 9.8. Socio- Economic Profiles and								
Socio-economic Indicators/Items	**Andhra Pradesh**	**Assam**	**Bihar**	**Chhat-tisgarh**	**Gujarat**	**Haryana**	**Himachal Pradesh**	**Jammu & Kashmir**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Unemployment Rate 2015-16 (15 Years & above) @								
Rural (%)	3.3	3.3	4.2	0.5	0.6	2.6	11.2	7.8
Urban (%)	4.3	8.5	6.2	5.7	0.6	4.9	2.3	3.2
Total (%)	3.5	4.0	4.4	1.2	0.6	3.3	10.2	6.6
Health related *								
Male Life expectancy at birth (2010-14)	66.3	62.7	67.8	63.3	66.6	66.3	69.3	70.9
Female Life expectancy at birth (2010-14)	70.8	65.5	68.4	66.3	71.0	71.3	74.1	74.9
Total Life expectancy at birth (2010-14)	68.5	63.9	68.1	64.8	68.7	68.6	71.6	72.6
Male Life expectancy at birth (2011-15)	67.1	63.5	68.5	63.6	66.9	66.9	69.1	71.2
Female Life expectancy at birth (2011-15)	71.2	66.2	68.3	66.8	71.6	71.9	75.2	76.1
Total Life expectancy at birth (2011-15)	69.0	64.7	68.4	65.2	69.1	69.1	72.0	73.2
Infant Mortality Rates (per 1000 live births) 2015	37	47	42	41	33	36	28	26
Infant Mortality Rates (per 1000 live births) 2016	34	44	38	39	30	33	25	24
Birth Rate (per 1000) 2015	16.8	22.0	26.3	23.2	20.4	20.9	16.3	16.2
Death Rate (per 1000) 2015	7.1	7.1	6.2	7.5	6.1	6.1	6.6	4.9
Birth Rate (per 1000) 2016	16.4	21.7	26.8	22.8	20.1	20.7	16.0	15.7
Death Rate (per 1000) 2016	6.8	6.7	6.0	7.4	6.1	5.9	6.8	5.0
Education related $								
GER (I-V Class) (2015-16)	84.5	106.1	107.7	100.0	97.2	91.4	98.8	86.0
GER(VI-VIII Class) (2015-16)	81.3	93.1	107.9	102.3	95.7	92.4	104.4	70.2
GER(IX-X Class) (2015-16)	75.5	77.6	78.4	91.9	74.1	84.2	107.1	66.8
Pupil-Teacher Ratio (2015-16) Primary School	21	21	36	20	19	20	12	9
Pupil-Teacher Ratio (2015-16) Upper Primary School	16	13	24	17	13	13	10	6
Pupil-Teacher Ratio (2015-16) High School	20	14	66	33	34	15	18	15
GER (I-V Class) (2014-15)	88.2	115.0	101.1	103.1	98.7	97.6	99.4	86.0
GER(VI-VIII Class) (2014-15)	79.5	95.9	98.1	101.2	93.6	96.0	103.1	70.9
GER(IX-X Class) (2014-15)	72.4	74.8	69.1	101.8	74.3	84.3	115.9	66.3
Pupil-Teacher Ratio (2014-15) Primary School	21	24	35	21	20	22	12	9
Pupil-Teacher Ratio (2014-15) Upper Primary School	15	14	23	18	13	14	10	6
Pupil-Teacher Ratio (2014-15) High School	19	13	59	33	34	14	19	16

Source:
* : Office of Registrar General of India(RGI). Andhra Pradesh includes Telangana for health related data excluding IMR, Birth Rate & Death Rate
** : India HDR 2011 & 1999-2000,
*** : NITI Aayog (Planning Commission),
$: School Education in India, U-DISE 2015-16 (Provisional),
: CSO,
NSSO, Monthly per capita expenditure (MPCE) is based on mixed modified recall period,
@ : 5th EUS 2015-16 (Labour Bureau), WPR (Worker Participation Rate) and Employment Rate are based on Usual Principal & Subsidiary Status (UPSS).

Note:
na: not available.

Inter-State Comparison of Selected Major States of India												
Jharkhand	Karna-taka	Kerala	Madhya Pradesh	Mahar-ashtra	Odisha	Punjab	Rajasthan	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	Uttara-khand	West Bengal	All India
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.2	1.1	10.2	3.0	1.3	3.7	5.7	2.4	3.9	5.6	7.1	3.0	3.4
7.9	1.9	11.0	2.9	1.9	4.4	6.2	3.3	3.5	6.5	2.7	5.4	4.4
2.2	1.4	10.6	3.0	1.5	3.8	5.8	2.5	3.8	5.8	6.1	3.6	3.7
66.2	66.9	72.0	62.5	69.9	64.7	69.7	65.5	68.6	62.9	69.1	68.9	66.4
66.9	70.8	77.8	66.0	73.6	67.1	73.8	70.2	72.7	65.4	74.5	71.6	69.6
66.6	68.8	74.9	64.2	71.6	65.8	71.6	67.7	70.6	64.1	71.7	70.2	67.9
67.0	67.2	72.2	63.2	70.3	65.6	70.3	65.7	69.1	63.4	68.9	69.4	66.9
67.5	70.9	78.2	66.5	73.9	68.3	74.2	70.4	73.0	65.6	74.9	71.8	70.0
67.2	69.0	75.2	64.8	72.0	66.9	72.1	67.9	71.0	64.5	71.8	70.5	68.3
32	28	12	50	21	46	23	43	19	46	34	26	37
29	24	10	47	19	44	21	41	17	43	38	25	34
23.5	17.9	14.8	25.5	16.3	19.2	15.2	24.8	15.2	26.7	17.8	15.5	20.8
5.8	6.6	6.6	7.5	5.8	7.6	6.2	6.3	6.7	7.2	6.4	5.9	6.5
22.9	17.6	14.3	25.1	15.9	18.6	14.9	24.3	15.0	26.2	16.6	15.4	20.4
5.5	6.7	7.6	7.1	5.9	7.8	6.0	6.1	6.4	6.9	6.7	5.8	6.4
109.2	103.0	95.4	94.5	97.7	103.7	101.7	100.4	103.9	92.2	99.3	103.7	99.2
102.7	93.4	95.4	94.0	99.2	94.3	98.4	91.3	94.0	75.1	86.9	105.0	92.8
73.7	83.2	102.4	80.5	90.0	79.6	87.1	76.1	93.9	67.8	85.7	83.6	80.0
27	19	18	20	24	17	18	17	18	39	18	25	23
19	13	14	18	17	14	12	10	15	31	17	27	17
62	16	17	39	23	20	16	21	21	56	16	39	27
108.4	101.9	95.1	101.1	99.0	105.5	105.1	98.6	103.1	95.0	100.5	102.3	100.1
100.0	93.2	96.9	96.6	98.8	90.1	96.8	85.8	94.6	74.5	85.5	103.2	91.2
71.9	81.8	103.2	80.2	89.3	77.1	85.6	76.2	91.9	67.8	90.4	78.2	78.5
29	18	17	22	25	19	19	17	18	39	19	25	24
20	13	14	19	17	14	12	10	15	33	17	28	17
61	16	17	40	23	20	17	23	21	57	18	37	27